सत्यमेव जयते

fssai

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA

Inspiring Trust, Assuring Safe & Nutritious Food

Ministry of Health and Family Welfare, Government of India

वार्षिक रिपोर्ट ANNUAL REPORT 2018-19

सत्यमेव जयते

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA

Inspiring Trust, Assuring Safe & Nutritious Food

Ministry of Health and Family Welfare, Government of India

वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT | 2018-19

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण
Food Safety and Standards Authority of India

विषय-सूची

1.	झलक	1
2.	कर्तव्य, शासन संरचना और मानव संसाधन	12
3.	मानक और विनियम	25
4.	सुरक्षित खाद्य रीतियाँ	30
5.	जोखिम मूल्यांकन और अनुसंधान एवं विकास (आर.ए.आर.डी.)	39
6.	खाद्य आयात	46
7.	खाद्य सुरक्षा अनुपालन	50
8.	खाद्य परीक्षण और निगरानी	60
9.	खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण और क्षमता-निर्माण	74
10.	स्वास्थ्यकर आहार	83
11.	सामाजिक और व्यवहारगत परिवर्तन	89
12.	सूचना, शिक्षा और संप्रेषण (आई.ई.सी)	95
13.	उपभोक्ता का ध्यान और सशक्तिकरण	108
14.	एफ.एस.एस.ए.आई में प्रौद्योगिकी का उपयोग और ई-शासन	115
15.	वैश्विक संपर्क	122
16.	राजभाषा कार्यान्वयन	133
17.	आर.टी.आई मामले	134
18.	वित्तीय विवरणियां, पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	135

सारणियों की सूची

		पृष्ठ संख्या
सारणी 1	प्रवर्तन मैट्रिक्स के संबंध में प्रगति वित्तीय वर्ष 2018-19	3
सारणी 2	खाद्य प्राधिकरण के कर्तव्यों और कार्यों का विवरण	13
सारणी 3	खाद्य प्राधिकरण के अध्यक्ष से भिन्न अन्य सदस्य (धारा 5)	14
सारणी 4	धारा 5(1)(क) के अंतर्गत पदेन सदस्य	15
सारणी 5	वैज्ञानिक पैनलों की सूची	18
सारणी 6	एफ.एस.एस.ए.आई. में स्वीकृत पदों का विवरण	21
सारणी 7	सीधी और प्रतिनियुक्ति आधार पर भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिए एफ.एस.एस.ए.आई. द्वारा विज्ञापित पदों की सूची	23
सारणी 8	इस समय लागू अंतिम विनियमों की सूची	26
सारणी 9	मसौदा क्षेत्र-वार विकसित दस्तावेज	31
सारणी 10	चल रही परियोजनाओं की सूची	43
सारणी 11	पूर्ण परियोजनाओं की सूची	45
सारणी 12	पहली अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2019 तक की अवधि के लिए खाद्य आयात निर्मुक्ति आंकड़े	49
सारणी 13	वर्षों के दौरान लाइसेंस और पंजीकरण की संख्या में हुई वृद्धि दर्शाने वाले आंकड़े	50
सारणी 14	केन्द्रीय अथवा राज्य लाइसेंस और पंजीकरण की पात्रता के लिए मानदण्ड	57
सारणी 15	एफ.एस.एस. अधिनियम, 2006 के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में प्रवर्तन तंत्र की प्रशासनिक संस्थापना (31.03.2019 की स्थिति के अनुसार)	58
सारणी 16	वर्ष 2018-19 के दौरान विश्लेषित नमूनों, निर्धारित मानकों और मानदण्डों के अनुरुप नहीं पाए गए नमूनों की संख्या और की गई दंडात्मक कार्रवाई का विवरण	59
सारणी 17	प्राथमिक और अपीलीय खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं का विवरण	61
सारणी 18	राष्ट्रीय संदर्भ प्रयोगशालाओं की सूची	62
सारणी 19	एस.एफ.टी.एल.के उन्न्यनन के लिए स्वीकृत अनुदान का विवरण	64
सारणी 20	अपीलीय प्रयोगशालाओं के उन्नयन के लिए स्वीकृत और जारी की गई अनुदान का विवरण	66
सारणी 21	2018-19 में खाद्य सुरक्षा पर्यवेक्षकों के क्षेत्रवार प्रशिक्षण की स्थिति	78
सारणी 22	अच्छी प्रयोगशाला रीतियों पर प्रशिक्षण के विवरण	79
सारणी 23	प्रयोगशाला कार्मिकों के लिए विशेषीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण	81
सारणी 24	विकसित/विकासमान माइक्रोसाइटें/पोर्टल	120
सारणी 25	कोडेक्स मानक-निर्धारण के लिए चरणवार प्रक्रिया संबंधी स्पष्टीकरण	126

आकृतियों की सूची

		पृष्ठ संख्या
आकृति 1	सुरक्षित और पोषक खाद्य (एसएनएफ) उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए पहल	8
आकृति 2	खाद्य प्राधिकरण 2018-19 का गठन	15
आकृति 3	खाद्य प्राधिकरण की 26वीं बैठक का एक दृश्य	16
आकृति 4	14.12.2018 को इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में आयोजित 24वीं सीएसी की बैठक	17
आकृति 5	खाद्य प्राधिकरण की संरचना का चित्रात्मक प्रदर्शन	19
आकृति 6	खाद्य प्राधिकरण का संगठनात्मक ढांचा	20
आकृति 7	'ईट राइट मेला' में स्वास्थ्यप्रद रेटिंग परियोजना के अंतर्गत पुरस्कार वितरण समारोह की झलकियां	34
आकृति 8	'स्वच्छ स्ट्रीट फूड हब' के रुप में कांकरीया झील, अहमदाबाद को मान्यता प्रदान करने की झलकियां	36
आकृति 9	आर.ए.आर.डी. के कार्यक्षेत्र में आने वाले महत्वपूर्ण कार्य	39
आकृति 10	एफ.एस.के.ए.एन. की महत्वपूर्ण विशेषताएं	40
आकृति 11	भारत को निर्यात करने वाले प्रमुख 10 देशों की सूची (2018-19)	48
आकृति 12	'राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक' के लिए मानदण्डों की भारांकन पद्धति	54
आकृति 13	एफएसडब्ल्यू वाहन का आंतरिक दृश्य	67
आकृति 14	एफएसडब्ल्यू का बाह्य दृश्य	67
आकृति 15	एफ.एस.एस.ए.आई. अधिसूचित प्रयोगशालाओं, राज्य/सार्वजनिक खाद्य प्रयोगशालाओं, अपीलीय प्रयोगशालाओं की राज्य-वार संख्या	72
आकृति 16	'चल खाद्य सुरक्षा' की राज्य/संघ-शासित क्षेत्रवार स्वीकृति	73
आकृति 17	'स्वस्थ भारत यात्रा' में प्रशिक्षण सहयोगियों की सोत्साह भागीदारी के चित्र	76
आकृति 18	विभिन्न क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा पर्यवेक्षकों के प्रशिक्षणों की छवियाँ	77
आकृति 19	विभिन्न स्थानों पर जी.एफ.एल.पी प्रशिक्षण की कुछ छवियाँ	80
आकृति 20	मानेसर में गैर-एल्कोहलीय बीवरेजों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	81

आकृति 21	सी.ए.एल.एफ, एन.डी.डी.बी, आणंद में दुग्ध पौष्टिकीकारकों की विश्लेषण पद्धति पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	82
आकृति 22	'ओरेंज बुक' का विमोचन	89
आकृति 23	'येलो बुक' लेवल I और II का सम्मुख कवर	90
आकृति 24	एसएनएफ फेलोशिप प्रशिक्षण, मुंबई	91
आकृति 25	'भोग परियोजना' की कुछ छवियाँ	93
आकृति 26	'नेटप्रोफेन' का लोकार्पण	94
आकृति 27	'ईट राइट इंडिया अभियान' की शुरुआत	96
आकृति 28	'आज से थोड़ा कम' अभियान	96
आकृति 29	'ईट राइट टूलकिट' का प्रदर्शन	97
आकृति 30	टूलकिटों का वितरण और फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण	97
आकृति 31	'राष्ट्रीय ईट राइट मेला' की झलकियाँ	99
आकृति 32	समारोह के दौरान सभी विजेताओं के लिए आयोजित कला कार्यशाला	100
आकृति 33	दिव्यांगजनों को पुरस्कार वितरण	101
आकृति 34	एफ.एस.एस.ए.आई के 'एक्सपीरियंस जोन' का उद्घाटन	104
आकृति 35	'आहार – खाद्य और स्वागत-सत्कार मेला 2018' में भागीदारी	105
आकृति 36	19वीं आईयूफोस्ट सम्मेलन, 2018 की छवियाँ	105
आकृति 37	इफ्कोन 2018 उद्घाटन समारोह	106
आकृति 38	श्री अश्विनी कुमार चौबे, राज्य मंत्री (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण) स्वच्छ भारत यात्रा को सफल बनाने वाले व्यक्तियों को प्रमाण-पत्र प्रदान करते हुए	107
आकृति 39	'खाद्य सुरक्षा डिस्प्ले बोर्ड'	109
आकृति 40	उपभोक्ता शिकायत निपटान प्रणाली	113
आकृति 41	अफगानिस्तानी प्रतिनिधिमंडल का दौरा	130
आकृति 42	इफ्की प्रतिनिधिमंडल का दौरा	131

अध्याय-1

झलक

1.1 भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफ.एस.एस.ए.आई.), जिसे संक्षेप में "खाद्य प्राधिकरण" के नाम से जाना जाता है, की स्थापना खाद्य सुरक्षा और मानक (एफ.एस.एस.) अधिनियम, 2006 (2006 का 34) के अंतर्गत प्रमुख रुप से मानव उपभोग के लिए सुरक्षित एवं स्वास्थ्यकर खाद्य की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए खाद्य सामग्रियों के विज्ञान-आधारित मानक निर्धारित करने और उनके निर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री एवं आयात को विनियमित करने के लिए की गई है। इसका विस्तृत कार्यादेश खाद्य सुरक्षा और मानक (एफएसएस) अधिनियम, 2006 की धारा 16 में दिया गया है। इस अधिनियम को खाद्य सुरक्षा और मानक नियम, 2011 और छह विनियमों की अधिसूचना के द्वारा दिनांक 5 अगस्त 2011 से प्रवर्तनात्मक बनाया गया है।

1.2 आदर्श वाक्य "विश्वास के प्रेरक, सुरक्षित और पोषक आहार के आश्वासक" के अनुरुप, निम्नलिखित दृष्टिकोण के माध्यम से अपने कार्यादेश को प्राप्त करने के लिए खाद्य प्राधिकरण ने निरन्तर निम्न वर्णित कार्य किया है:

- वैश्विक दृष्टि से निर्देश चिह्नित विनियमों, मानकों और दिशा-निर्देशों की स्थापना
- अनुज्ञापन और रजिस्ट्रीकरण, निरीक्षण और बेहतर प्रयोगशाला नेटवर्क के माध्यम से सुगम अनुपालन
- विनियामक कर्मियों और इसके साथ-साथ खाद्य कारोबारियों की क्षमता का निर्माण
- सम्मिलन की सच्ची भावना से लोक स्वास्थ्य पहलों का संचालन
- खाद्य सुरक्षा संस्कृति का निर्माण करने के लिए आई.ई.सी. (सूचना, शिक्षा और संप्रेषण) और बी.सी.सी. (व्यवहारगत परिवर्तन संप्रेषण) प्रविधियों का उपयोग
- प्रक्रियाओं को सुप्रवाही बनाने के लिए प्रौद्योगिकी अंगीकरण
- ज्ञान और बेहतर पद्धतियों के सृजन तथा आदान-प्रदान के लिए कार्यनीतिक स्वरुप की साझेदारी का विकास करना

उपर्युक्त वर्णित दृष्टिकोण के अनुरुप इस अध्याय में वर्ष 2018-19 की उपलब्धियों की समीक्षा की प्रमुख बातें दर्शायी गई हैं।विवरण संबंधित अध्यायों में दिया गया है।

1.3 समीक्षाधीन वर्ष में खाद्य प्राधिकरण की दो बैठकें आयोजित हुई थीं और कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे। तथापि,एफ.एस.एस. अधिनियम, 2006 की धारा 5 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख), (ग),(घ), (ड़), (च) और (छ) के अंतर्गत उपलब्ध रिक्तियों पर सदस्यों की नियुक्ति के अभाव में सीमित सदस्यों के साथ इसने कार्य करना जारी रखा।

1.4 केंद्रीय सलाहकार समिति (सी.ए.सी.) बहुत से विषयों के संबंध में खाद्य प्राधिकरण को सलाह देती है और खाद्य उद्योग, उपभोक्ता संगठनों, अनुसंधान संस्थानों और राज्यों के खाद्य प्राधिकरणों जैसे विभिन्न हितधारियों के साथ घनिष्ठ सहयोग सुनिश्चित करती है। वर्ष के दौरान सी.ए.सी. की चार अवसरों पर बैठक आयोजित हुई और कई महत्वपूर्ण मामलों पर विचार-विमर्श हुआ।

1.5 वैज्ञानिक समिति, जोकि प्राथमिक रुप से खाद्य प्राधिकरण को वैज्ञानिक सलाह प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है, की वर्ष के दौरान चार बैठकें आयोजित हुई और खाद्य प्राधिकरण को विभिन्न संस्तुतियाँ कीं।

1.6 वर्ष के दौरान कार्यात्मक रहे 19 विषयों पर विशिष्ट वैज्ञानिक पैनलों की वर्ष के दौरान मानकों के निरुपण एवं अन्य संबंधित मामलों के बारे में सिफारिशें करने के लिए कुल 65 बैठकें आयोजित की गयीं। वर्ष के दौरान, सात वैज्ञानिक पैनलों का पुनर्गठन किया गया जबकि मानकों के विकास के लिए 'प्रतिजैविक अवशिष्ट' और

'मसाले और पाक्य जड़ी-बूटी' के संबंध में दो नए वैज्ञानिक पैनलों का गठन किया गया।

1.7 अभी तक, एफ.एस.एस.ए.आई. 356 कर्मचारियों की स्वीकृत सीमित संख्या के साथ कार्य कर रहा था और इसके अलावा, अधिसूचित भर्ती विनियम के अभाव में, इसे प्राप्त कार्यादेश के अनुसार गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए यह अधिकांष्तया प्रतिनियुक्ति पर आए व्यक्तियों और संविदा आधार पर नियोजित व्यक्तियों पर निर्भर था। वर्ष के दौरान प्राधिकरण के कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या बढ़कर 824 हो जाने से और विभिन्न पदों के लिए भर्ती विनियम की अधिसूचना जारी होने से मानव संसाधन के मोर्चे पर पर्याप्त प्रगति हुई है। एफ.एस.एस.ए.आई. ने अधिसूचित भर्ती विनियमों के प्रावधान के अनुसार नियमित आधार पर विभिन्न पदों को भरने के लिए पहले ही कदम उठाए हैं। पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों और नियमित कर्मचारियों के उपलब्ध होने पर, एफ.एस.एस.ए.आई. अपनी गतिविधियों को अधिक प्रभावी ढंग से निभा सकेगा।

1.8 खाद्य की विभिन्न वस्तुओं के लिए विद्यमान मानकों में संशोधन करने और इसके साथ-साथ नए मानकों के निर्धारण की दिशा में पर्याप्त प्रगति की गई। विनियम निर्धारित करने के लिए अधिसूचना में अभिज्ञात 32 क्षेत्रों में से 28 क्षेत्रों को पहले ही इसके अंतर्गत लाया गया है। वर्ष के दौरान जारी किए गए महत्वपूर्ण अंतिम और मसौदा अधिसूचनाओं में से कुछ इस प्रकार हैं:

अंतिम अधिसूचना

1. खाद्य सुरक्षा और मानक (दृढ़ीकृत खाद्य) विनियम,2018
2. खाद्य सुरक्षा और मानक(खाद्य सुरक्षा संपरीक्षण) विनियम,2018
3. खाद्य सुरक्षा और मानक (प्रयोगशालाओं को मान्यता और अधिसूचना) विनियम,2018
4. खाद्य सुरक्षा और मानक (विज्ञापन और दावे) विनियम, 2018
5. खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग) विनियम, 2018

मसौदा अधिसूचना

1. खाद्य सुरक्षा और मानक (शिशु पोषण के लिए खाद्य) विनियम, 2019
2. खाद्य सुरक्षा और मानक (अधिशेष खाद्य और पुनः प्राप्ति और वितरण) विनियम, 2019

1.9 एफ.एस.एस. (खाद्य कारोबारियों का अनुज्ञापन और रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 2011 की अनुसूची 4 में सामान्य स्वस्थप्रद और स्वच्छता पद्धतियां विनिर्दिष्ट हैं, जिनका अनुपालन खाद्य सुरक्षा के सुनिश्चय के लिए खाद्य कारोबारियों द्वारा किया जाना है। तकनीकी पैनलों की सहायता से इन अपेक्षाओं को अंतर्राष्ट्रीय श्रेष्ठ पद्धतियों के अनुरुप बनाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के लिए संशोधित और अद्यतन किया गया। इस प्रकार के तीन दस्तावेजों को पहले ही प्रचालनात्मक बनाया गया है, जबकि विनिर्माण, कैटरिंग, भण्डारण, परिवहन और व्यापार, खुदरा और ई-कामर्स क्षेत्रों के लिए क्षेत्र-विशिष्ट दस्तावेज अंतिम रुप दिए जाने की प्रक्रिया में हैं। इसके अतिरिक्त, खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता के कार्यान्वयन में सिलसिलेवार समझ के सुनिश्चय के लिए अनुसूची 4 में दी गई पूर्वापेक्षाओं, क्षेत्र विशिष्ट खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (एफ.एस.एम.एस.) के संबंध में आसानी से समझ में आने वाले और प्रचालनात्मक दृष्टि से संभाव्य दिशा-निर्देश दस्तावेज का विकास किया गया है। अभी तक विकसित 11 ऐसे दिशा निर्देश दस्तावेज में से वर्ष के दौरान छः दस्तावेज जारी किए गए। 9 और ऐसे दिशा-निर्देश दस्तावेज मसौदे के चरण में हैं।

1.10 प्राधिकरण ने खाद्य खतरों की पहचान, खाद्य शृंखला में खतरा कम करने के लिए प्रभावी तरीके व तकनीक के विकास व एक ही जगह खाद्य सुरक्षा से संबन्धित उभरते मुद्दों की पहचान व खतरा प्रबंधन के उचित उपाय के सशक्त तंत्र के विकास के लिए जोखिम मूल्यांकन और अनुसंधान एवं विकास (आर ए आर डी) प्रभाग की स्थापना की है। इस प्रभाग द्वारा जो महत्वपूर्ण शुरुआत की गई है, वह है - 'खाद्य सुरक्षा ज्ञान

समावेश नेटवर्क (एफ.एस.के.ए.एन.)',जो कि वैज्ञानिक संगठनों/विशेषज्ञों का एक नेटवर्क है जिसका उद्देश्य उभरते खाद्य सुरक्षा मामलों और खाद्य प्राधिकरण के उत्तरदायित्वों के क्षेत्र में श्रेष्ठ पद्धतियों के बारे में राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक विशेषज्ञों के पास उपलब्ध सूचना का समावेश करना है तथा जहां खाद्य सुरक्षा के लिए जोखिम मूल्यांकन में अंतर अथवा अनिश्चितता विद्यमान हो, वहाँ संयुक्त परियोजनाओं के निरुपण और निष्पादन करना हैं। इस समय 450 से अधिक विशेषज्ञ इस नेटवर्क का भाग हैं।

1.11 खाद्य गुणवत्ता और सुरक्षा के लिए अनुसंधान और विकास की योजना के अंतर्गत, 20 संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं को निधियां उपलब्ध करायी गईं थीं, जिसमें से पांच को पूरा कर लिया गया है और प्रगति के विभिन्न चरणों के अंतर्गत 15 परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है। इन परियोजनाओं से नए मानकों का विकास करने, विद्यमान मानकों का उन्नयन करने और नूतन विश्लेषणात्मक पद्धतियों का विकास करने में मदद मिलेगी।

1.12 विगत कुछ वर्षों के दौरान, खाद्य प्राधिकरण ने वैल्यू चैन अभिक्रमकों द्वारा किए जाने वाले कार्यों को प्रेरित करने और विनियोगों का लाभ उठाने के लिए सूचना, परामर्श, प्रोत्साहन और हस्तक्षेप के माध्यम से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए संस्थागत भूमिकाओं को पुन: परिभाषित किया है।

1.13 एफ.एस.एस. अधिनियम, और इनके अंतर्गत बनाए गए नियम, विनियमों के प्रावधानों के प्रवर्तन के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र महत्वपूर्ण साझेदार हैं। एफ.एस.एस. अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन की जाँच करने के लिए संबंधित राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के खाद्य प्राधिकरणों के कार्मिकों द्वारा नियमित निगरानी, मॉनिटरिंग, निरीक्षण और खाद्य उत्पादों के यादृच्छिक नमूने लेना जारी रखा गया। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने प्रवर्तन के लिए अपने-अपने प्रशासकीय ढाँचे के सुदृढ़ीकरण का कार्य करना जारी रखा। इस समय की स्थिति के अनुसार, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में संचालन समितियां गठित हैं। 31 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में जिला स्तरीय सलाहकार समितियां गठित की गई हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की संख्या बढ़कर 3,373 हो गई है। गत वर्ष यह संख्या 3,144 थी। एफ.एस.एस. अधिनियम के प्रावधानों के प्रभावी प्रवर्तन के लिए खाद्य प्राधिकरण ने निरन्तर राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के प्राधिकारियों को सी.ए.सी. की बैठकों, विडियो कांफ्रेंस और राज्य स्तरीय संचालन समिति की बैठकों के माध्यम से सहायता प्रदान करना जारी रखा।

1.14 सारणी 1 - प्रवर्तन मैट्रिक्स के संबंध में प्रगति वित्तीय वर्ष - 2018-19

क्रम स॰	प्रवर्तन मैट्रिक्स	वर्ष 2018-19
1	विश्लेषित खाद्य नमूनों की संख्या	1,06, 459
2	गैर-अनुपालन पाए गए नमूनों की संख्या	30,415
	- असुरक्षित मामले	3,900
	- खराब गुणवत्ता के मामले	16,870
	- लेबलिंग में दोष/भ्रामक/अन्य मामले	9,645
3	प्रारंभ की गई आपराधिक कार्रवाई के मामले	2,813
4	प्रारंभ की गई दीवानी कार्रवाई के मामले	18,550
5	अपराध-सिद्धि के मामलों की संख्या	701
6	दंड के मामले की संख्या	12,734
7	दंड की कुल राशि	रुपये 32.57 करोड़

1.15 खाद्य कारोबारियों के अनुज्ञापन और रजिस्ट्रीकरण के संबंध में, दिनांक 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार,

केंद्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरणों (सीएलए) द्वारा 46,851 केन्द्रीय लाइसेंस जारी किए गए थे और अधिनियम के अंतर्गत राज्य/संघ शासित क्षेत्र के लाइसेंसिंग प्राधिकरणों द्वारा 10,44,992 लाइसेंस और 47,97,997 पंजीकरण जारी किए गए थे। खाद्य लाइसेंसिंग और पंजीकरण प्रणाली, जो कि लाइसेंस और पंजीकरण के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल है, को अब सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (नागालैण्ड को छोड़कर) और भारतीय रेल के सभी 16 अंचलों के लिए लागू किया गया है।

1.16 एफ.एस.एस.ए.आई. ने खाद्य सुरक्षा के संबंध में राज्यों के निष्पादन के मापन के लिए राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक का विकास किया है। यह सूचकांक पांच महत्वपूर्ण पैरामीटरों अर्थात - मानव संसाधन और संस्थागत आंकड़े, अनुपालन, खाद्य परीक्षण अवसंरचना और निगरानी, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण तथा उपभोक्ता सशक्तिकरण पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के निष्पादन पर आधारित है।

1.17 एफ.एस.एस.ए.आई. ने खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य सुरक्षा संपरीक्षण) विनियम, 2018 को अधिसूचित किया है और खाद्य सुरक्षा संपरीक्षण का कार्यान्वयन करने के लिए 24 खाद्य सुरक्षा संपरीक्षण अभिकरणों को मान्यता प्रदान की है और तृतीय पक्ष संपरीक्षण अभिकरणों के माध्यम से खाद्य सुरक्षा कारोबारियों का संपरीक्षण करने की पहल की है। 'स्वच्छ और सुरक्षित मांस अभियान' के अंतर्गत नगर निगम की 40 वधशालाओं का संपरीक्षण किया जा रहा है।

1.18 अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत भारत में आयातित खाद्य पदार्थों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व खाद्य प्राधिकरण का है। खाद्य प्राधिकरण ने छह स्थानों अर्थात दिल्ली,मुम्बई,कोलकाता, चैन्नई, तूतीकोरिन और कोच्चि पर प्रवेश के 21 केन्द्रों पर खाद्य आयात के विनियमन का कार्य जारी रखा। एफ.एस.एस.ए.आई. द्वारा कुल 91,879 आयातित खाद्य पदार्थों का प्रहस्तन किया गया था जिनका भार 66,73,439.24 मीट्रिक टन (मी.ट.) था। इनमें से, आयातित खाद्य पदार्थों की 1,280 मदों,जिनका भार 16,872.91 मी.ट. था, के संबंध में गैर-अनुपालना प्रमाण-पत्र जारी किए गए थे क्योंकि इनके द्वारा एफ.एस.एस. अधिनियम, 2006 और इनके अंतर्गत बनाए गए नियमों, विनियमों में निर्धारित सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों को पूरा नहीं किया गया था और इसलिए उन्हें अस्वीकृत कर दिया गया था।

1.19 खाद्य पदार्थों के आयात की प्रक्रिया को और अधिक सरल बनाने की दृष्टि से और खाद्य सुरक्षा के साथ कोई समझौता किए बिना इसके व्यवसाय की सहायता के लिए वर्ष के दौरान अनेक कदम उठाए गए। अभिज्ञात पैरामीटरों के आधार पर सीमित प्रकार के निरीक्षण के लिए जोखिम आधारित निरीक्षण करने की प्रणाली प्रारंभ की गई है। ऐसे 396 स्थानों के कस्टम अधिकारियों को एफ.एस.एस. विनियम के अनुसार इन स्थानों पर खाद्य पदार्थों के निर्गम के लिए अधिनामित अधिकारियों के रुप अधिसूचित किया गया है, जहां एफ.एस.एस.ए.आई. की मौजूदगी नहीं है। आयातित पैकेज-बंद पूर्व के खुदरा खाद्य पदार्थों को इसके अंतर्गत लाने के लिए अनन्तिम अनापत्ति प्रमाण पत्र (पीएनओसी) की सुविधा का विस्तार किया गया है जिससे विलम्ब प्रभारों को कम करने में मदद मिलेगी। इन अन्य उपायों से खाद्य वस्तुओं के आयात में बड़े पैमाने पर सुविधा प्रदान की गई है।

1.20 चीन से आयात किए जाने वाले दूध और दूध से बने उत्पादों पर 2008 में लगाए गए प्रतिबंध जो अभी चालू हैं, को आगे और विस्तार करने की आवश्यकता की समीक्षा की गई थी। यह विचार व्यक्त किया गया था कि पूरे भारत में प्रवेश-बंदरगाहों पर मेलामाइन के परीक्षण के लिए सभी अधिसूचित प्रयोगशालाओं की क्षमता का उपयुक्त रुप से उन्नयन किए जाने तक चीन से आयात किए जाने वाले दूध और दूध से बने उत्पादों पर लगाए गए प्रतिबंध का विस्तार किया जाए। तद्नुसार, खाद्य प्राधिकरण ने सरकार से यह सिफारिश की है कि चीन से दूध और दूध से बने उत्पाद आयात करने पर प्रतिबंध की अवधि और 4 महीने अर्थात 23 अप्रैल, 2019 तक अथवा आगे और आदेश होने तक बढ़ायी जाए।

1.21 सशक्त प्रयोगशाला तंत्र के बिना खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कराई जा सकती। वर्ष 2018-19 के अंत में, खाद्य उत्पादों के परीक्षण और विश्लेषण के लिए पूरे भारत में फैली प्राथमिक खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़कर 251 हो गई। गत वर्ष यह संख्या 244 थी। इन 251 प्रयोगशालाओं में से 175 एनएबीएल प्रमाणित प्रयोगशालाएं हैं जिन्हें खाद्य प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित कराया गया है। 76 राज्य खाद्य प्रयोगशालाएं बिना एनएबीएल प्रमाणित हैं, तथापि, एफ.एस.एस. अधिनियम के संक्रमण प्रावधानों के अंतर्गत जारी हैं। इसके अलावा, अपीलीय कार्यों के लिए रेफरल प्रयोगशालाओं की कुल संख्या 18 थीं जिसमें 2 प्रयोगशालाएं ऐसी हैं जो सीधे एफ.एस.एस.ए.आई. के अधीन हैं। अधिसूचित प्रयोगशालाओं की उपलब्धता से पूरे देश में खाद्य परीक्षण सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकी है।

1.22 एफ.एस.एस.ए.आई. राष्ट्रीय संदर्भ प्रयोगशालाओं (एनआरएल) के एक नेटवर्क की स्थापना की प्रक्रिया में है। इन राष्ट्रीय संदर्भ प्रयोगशालाओं की स्थापना से पूरे देश में रोजमर्रा स्वरुप की प्रक्रियाओं, विश्वसनीय परीक्षण पद्धतियों की स्थापना होगी और ऐसे मानक प्रक्रिया/परीक्षण पद्धतियों का प्रमाणीकरण हो सकेगा और साथ ही नई पद्धतियों का विकास और जोखिम अथवा खाद्य श्रेणियों के विशेष संदर्भ में खाद्य प्रयोगशालाओं में परीक्षण में दक्षता का सुनिश्चय किया जा सकेगा। एनआरएल के रुप में अधिसूचित किए जाने के लिए 13 प्रयोगशालाओं का अनुमोदन किया गया है जबकि दो प्रयोगशालाएं सहायता सुविधा के रुप में कार्य करेंगी लेकिन ये स्वतंत्र एनआरएल नहीं होंगी।

1.23 देश में खाद्य परीक्षण प्रणाली को सशक्त बनाने की दृष्टि से एफ.एस.एस.ए.आई ने रु. 481.95 करोड़ (रु. 400.40 करोड़ : गैर आवर्ती, और रु. 81.55 करोड़ : आवर्ती) के परिव्यय से "चल खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं के प्रावधान सहित देश में खाद्य परीक्षण प्रणाली का सशक्तीकरण (सोफ्टेल)'' के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना वर्ष 2016-17 में 3 वर्ष के लिए आरंभ की है। इस योजना में अन्य बातों के साथ-साथ 45 राज्य/सार्वजनिक खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं (एसएफटीएल) और साथ ही रेफरल प्रयोगशालाओं के सशक्तीकरण, लगभग 60 चल खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएँ स्थापित करने आदि की परिकल्पना की गई है। वर्ष 2018-19 की अवधि के दौरान, 13 और राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं के उन्नयन का कार्य किया गया। इसके अलावा, इस अवधि के दौरान, तीन और संदर्भ प्रयोगशालाओं के उन्नयन करने का अनुमोदन किया गया था। 13 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 20 चल खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं, जिन्हें अब फूड सेफ्टी ऑनव्हील्स (एफडब्लयूएस) के नाम से जाना जाता है, भी स्वीकृत की गई थीं। 31-03-2019 की स्थिति के अनुसार, 29 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में जिन एसएफटीएल के उन्नयन का कार्य प्रारंभ किया गया था, उनकी संख्या बढ़कर 37 हो गई है जिनके लिए 220.30 करोड़ रुपये के कुल अनुदान स्वीकृत किया गया है (जिसमें से 218.80 करोड़ रुपये की राशि निर्मुक्त की गई है)। मार्च, 2019 के अंत तक, उच्च गुणवत्ता युक्त उपकरणों की अधिप्राप्ति के लिए 10 रेफरल प्रयोगशालाओं हेतु 28.08 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी जिसमें से 23.571 करोड़ रुपये की राशि निर्मुक्त की गई थी। 32 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कुल 46 एफएसडब्ल्यू की मंजूरी दी गई थी जिसमें से 30 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 40 एफएसडब्लयू उपलब्ध करा दिए गए हैं। इस अवधि के दौरान पहले ही संवितरित किए गए लगभग सभी एफएसडब्लयू को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रचालनात्मक बनाया गया है।

1.24 योग्यताप्राप्त खाद्य विश्लेषकों की कमी की समस्या का समाधान करने के लिए, वर्ष के दौरान पांचवीं खाद्य विश्लेषक परीक्षा आयोजित की गई थी। सिद्धान्त और व्यावहारिक परीक्षा में निष्पादन के आधार पर, 83 उम्मीदवारों को योग्यताप्राप्त खाद्य विश्लेषक घोषित किया गया था। इससे देश में योग्यताप्राप्त खाद्य विश्लेषकों की उपलब्धता बढ़कर 360 हो गई। इसके अलावा, 5वीं खाद्य विश्लेषक परीक्षा के साथ ही दूसरी कनिष्ठ विश्लेषक परीक्षा भी आयोजित की गई थी, जिसमें 125 उम्मीदवारों को योग्य घोषित किया गया था। खाद्य के विश्लेषण में 3 वर्ष का अनुभव पूरा करने के पश्चात, वे खाद्य विश्लेषक परीक्षा की व्यावहारिक परीक्षा में सीधे प्रवेश के पात्र होंगे।

1.25 भारत में विक्रय किए जाने वाले दुग्ध की गुणवत्ता के बारे में निरन्तर चिंता व्यक्त की जाती रही है। इस संबंध में स्थिति का पता लगाने के लिए और दुग्ध की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए उपचारात्मक कार्रवाई करने के लिए, राष्ट्रीय दुग्ध सुरक्षा एवं गुणवत्ता सर्वेक्षण (एनएमक्यूएस) 2018 का आयोजन किया गया था। यह सर्वेक्षण 2018 के दौरान तृतीय पक्ष के माध्यम से छः महीने की अवधि के लिए सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में >50,000 की जनसंख्या वाले सभी जिलों और बड़े नगरों/शहरों में कराया गया था। चल खाद्य परीक्षण वाहनों में स्थल पर ही 6432 नमूने एकत्र किए गए थे और तुरन्त ही गुणात्मक दृष्टि से उनका विश्लेषण किया गया था और एक तिहाई नमूनों, जिनमें अपमिश्रण अथवा संदूषण की संभावना नजर आयी, को सुरक्षा पैरामीटरों के लिए प्रयोगशाला भेज दिया गया और मात्रात्मक विश्लेषण किया गया। 13 नवम्बर, 2018 को एफएसएसएआई द्वारा अंतरिम रिपोर्ट जारी की गई थी। इससे भारत में बड़ी मात्रा में दुग्ध के सुरक्षित होने का पता चलता है। बड़ी संख्या में विश्लेषित किए गए नमूनों में से बहुत कम नमूने ही अपमिश्रित पाए गए थे। हालांकि, सर्वेक्षण में यह पाया गया कि 10% से कम नमूनों में संदूषक थे, जिनकी वजह से दुग्ध सुरक्षित नहीं रह गया था। ये संदूषक प्रमुख रुप से खेती-बाड़ी की खराब पद्धतियों से आए थे। इन नमूनों में से करीब 39% नमूने गुणवत्ता पैरामीटरों को पूरा नहीं करते थे। इसलिए, यह प्रकट होता है कि गुणवत्ता की समस्या होते हुए भी भारत में विक्रय किया जाने वाला दूध बड़े पैमाने पर उपभोग के लिए सुरक्षित है।

1.26 एफ.एस.एस.ए.आई. देश में खाद्य परीक्षण और निगरानी क्षमता के सुदृढ़ीकरण के लिए भारतीय और विदेशी कंपनियों के साथ चार बड़ी भागीदारी कीं।

1.27 वर्ष के दौरान खाद्य प्राधिकरण द्वारा विश्लेषण की तीन और पद्धतियों का अनुमोदन किया गया। यह अनाज और अनाज उत्पाद की श्रेणी के अंतर्गत नई वस्तुओं के पैरामीटरों के विश्लेषण, सुदृढ़ीकृत उत्पाद में पोषक तत्वों के विश्लेषण व घी में वनस्पति तेलों के अपमिश्रण का पता लगाने से संबन्धित हैं।

1.28 प्रशिक्षण दखल एक ऐसा सर्वाधिक होने वाला कार्य है जिसका उपयोग खाद्य पदार्थों के प्रहस्तन और संबंधित खाद्य सुरक्षा परिणामों को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। वर्ष 2018-19 के दौरान खाद्य प्राधिकरण ने खाद्य प्रहस्तकों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के क्षेत्र में अपनी गतिविधियों में और अधिक विस्तार किया है। अल्पावधि में ही, फोस्टेक के अंतर्गत प्रशिक्षण की पारिस्थितिकी में संघठित रुप से वृद्धि हुई है। इसके 160 प्रशिक्षण भागीदार हैं, 1500 से अधिक प्रशिक्षक हैं और पूरी खाद्य मूल्य श्रृंखलाओं पर 17 पाठ्यक्रम हैं। वर्ष 2018-19 में, देश के सभी राज्यों (नागालैंड को छोड़कर) फोस्टेक के अंतर्गत प्रशिक्षण का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था जिसमें एक लाख से भी अधिक खाद्य सुरक्षा पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षित किया गया था। मध्य प्रदेश, पंजाब और दिल्ली के राज्यों द्वारा प्रशिक्षण को 100 प्रतिशत पूरा करने के लिए विशेष अभियानों का संचालन किया गया था। स्ट्रीट फूड वेंडरों, कालेजों और निगमित कैम्पसों के लिए विशेष अभियान चलाए गए थे। मांस और मांस उत्पाद तथा पोल्ट्री मांस उत्पादों के लिए दो विशेष स्तर के पाठ्यक्रम प्रारंभ किए गए थे। फोस्टेक के संबंध में एक पूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

1.29 प्रयोगशाला कार्मिकों को कौशल को बढ़ाने और उनकी क्षमताओं का निर्माण करने के लिए, वर्ष के दौरान, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों/संस्थानों के सहयोग से खाद्य प्राधिकरण द्वारा खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला कार्मिकों के लिए 22 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे जिसमें छः विशिष्ट कार्यक्रम और 16 सामान्य कार्यक्रम थे।

1.30 एफ.एस.एस.ए.आई. ने नए भर्ती हुए खाद्य सुरक्षा अधिकारियों और अधिनामित अधिकारियों के लिए प्रारंभिक प्रशिक्षण सहित विनियामक कर्मियों के लिए प्रशिक्षण नीति का निरुपण किया है इसमें न्याय-निर्णय अधिकारियों सहित ऐसे अधिकारियों के लिए आवधिक पुनश्चर्या प्रशिक्षण के कार्यक्रम भी सम्मिलित हैं। वर्ष 2018-19 में 583 विनियामक कार्मिकों को प्रशिक्षित किया गया है।

1.31 भारत स्वास्थ्य संबंधी तीन प्रमुख चुनौतियों का सामना कर रहा है जो कि इस प्रकार हैं: (1) खाद्यजन्य रोग

और संक्रमणों का खतरा (2) गैर-संक्रमणीय रोगों की घटनाओं में वृद्धि और (3) पोषण संबंधी समस्याएं अर्थात कुपोषण, अल्पोषण अथवा भूख, आहार में महत्वपूर्ण विटामिन और खनिजों के सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी और जरुरत से ज्यादा पोषण, जिसके परिणामस्वरुप मोटापा की स्थिति उत्पन्न होती है। एफ.एस.एस.ए.आई. मंत्रालयों/विभागों और अन्य हितधारियों के समन्वय से इन स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का समाधान करने की दिशा में कार्य कर रहा है। सुरक्षित और पोषक खाद्य(एसएनएफ) पहल के अंतर्गत, खाद्य प्राधिकरण ने स्वास्थ्यप्रद खाद्य विकल्प उपलब्ध कराने के लिए खाद्य कारोबारों पर बल दिया है और 2022 तक खाद्य पदार्थों को ट्रांस-फैट मुक्त करने का कार्यक्रम बनाया है। इस संबंध में खाद्यजन्य रोगों के बारे में कभी भी कोई सूचना मिलने पर चेतावनी देने के लिए एक तंत्र से युक्त मंच का विकास करने के लिए राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र (एनसीडीसी) के साथ विचार भी किया जा रहा है ताकि एफएसओ द्वारा उपयुक्त एवं शीघ्र प्रतिक्रिया करने की पहल की जा सके। गैर-संचारी रोगों और मोटापा में वृद्धि का समाधान करने के लिए, एफ.एस.एस.ए.आई. इन संघटकों के लिए विशेष लेबलिंग प्रावधानों के साथ एच.एफ.एस.एस. - उच्च वसा नमक और शर्करा खाद्यों के संबंध में विनियम बनाने की प्रक्रिया में है। सूक्ष्म पोषण के कुपोषण की समस्या का समाधान करने के लिए, एफ.एस.एस.ए.आई. ने पांच प्रमुख आहारों के पोष्टिकीकरण के लिए मानकों को अधिसूचित किया है और देश में खाद्य के बड़े पैमाने पर खाद्य सुदृढीकरण का परिचालन कर रहा है। सामाजिक खाद्य सुरक्षा योजनाओं जैसे आईसीडीएस, एमडीएम और पीडीएस में पौष्टिकृत खाद्य की शुरुआत की जा रही है। पांच प्रमुख खाद्यों के लिए स्वैच्छिक सुदृड़ीकरण प्रारंभ किया गया है। बाजार में, 70 शीर्ष कंपनियों और क्षेत्रीय ब्रांडों के लगभग 113 सुदृढ़ीकृत प्रमुख खाद्य ब्राण्ड हैं।

1.32 जन्म से उपापचय के दोष (आईईएम) से युक्त बच्चों के लिए प्रोजेक्ट डाइट 4 लाइफ की शुरुआत की गई है, जिन्हें ऐसे विशेष आहार की जरुरत होती है जिसके बिना वे जीवित नहीं रह पाएंगे। आई.ई.एम. दशाओं के उपयुक्त खाद्य के लिए मानकों का निरुपण किया जा रहा है। इसी बीच, विशिष्ट खाद्यों के आयात और विनिर्माण की अनुमति प्रदान की गई है।

1.33 प्रमुख स्वास्थ्य चुनौतियों का मुकाबला करने के साधनों के रुप में और इस बात को मानते हुए कि खाद्य सुरक्षा को एक आदत के रुप में अपनाने के लिए सामाजिक और व्यावहारगत परिवर्तन की दिशा में सक्रिय रुप से कार्य करना आवश्यक है, खाद्य प्राधिकरण ने परियोजना एसएनएफ (सुरक्षित और पोषक खाद्य) की शुरुआत की थी जिसमें खाद्य सुरक्षा, स्वच्छता और स्वस्थप्रद आहार, चाहे घर में हों, या स्कूल, पूजा स्थल पर हों या फिर से घर से बाहर खाने के लिए जाना हो, के संबंध में सामाजिक और व्यावहारगत परिवर्तनों पर जोर दिया गया है। इस पहल के महत्वपूर्ण संघटक हैं जागरुकता और क्षमता निर्माण। वर्ष के दौरान, अन्य हितधारियों के सहयोग से एसएनएफ@वर्कप्लेस, एसएनएफ@स्कूल और एसएनएफ@BHOG पहल के अंतर्गत पर्याप्त प्रगति की गई थी। स्वैच्छिक शुरुआत या फिर सीएसआर के अंतर्गत एसएनएफ@स्कूल कार्यक्रम को अपनाने के लिए विभिन्न संगठन भी आगे आए।

आकृति 1 -सुरक्षित और पोषक खाद्य (एसएनएफ) उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए पहल

1.34 इसके अतिरिक्त, इस पृष्ठभूमि में, सुरक्षित और पोषक खाद्य के उपभोग के लिए जागरुकता उत्पन्न करने के लिए,'ईट राइट इंडिया' आंदोलन नामक एक नई पहल एफ.एस.एस.ए.आई. द्वारा शुरु की गई थी, जिसके अंतर्गत महत्वपूर्ण हितधारियों और नागरिकों को शामिल किया गया था। इस शुरुआत के एक भाग के रुप में,एफ.एस.एस.ए.आई. ने 'ईट राइट' के लिए लोगों को प्रेरित करने के आयोजित की गई स्वस्थ भारत यात्रा की भी शुरुआत की थी जिसके बारे में यह माना जाता है कि यह विश्व की सबसे बड़ी साइक्लोथोन रही। 16 अक्तूबर, 2018 को विश्व खाद्य दिवस पर छः विभिन्न स्थानों से झण्डा दिखाकर शुरु की गई यह यात्रा अपने 100 दिनों से भी अधिक तक चलने के बाद पूरे देश से गुजरती हुई 29 जनवरी, 2019 को समाप्त हुई थी। सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में यात्रा के गुजरने के 2,100 से भी अधिक स्थानों पर कार्यक्रम और आयोजन किए जाने के माध्यम से और स्थानीय रुप से 6,000 से भी अधिक सामुदायिक 'ईट राइट चैम्पियनों' के सृजन द्वारा इस यात्रा के लक्ष्य को प्राप्त किया गया। ये चैंपियन इस आंदोलन को भविष्य में बनाए रखेंगे। 21,000 से अधिक स्वयं सेवकों और 2.5 करोड़ लोगों तक पहुँच बना कर यह यात्रा खाद्य सुरक्षा,खाद्य अपमिश्रण का मुकाबला करने और स्वस्थप्रद आहार के संबंध में जागरुकता का निर्माण करने में समर्थ रही और 'सुरक्षित खाना, सेहतमंद खाना पौष्टिकृत खाना' का संदेश का प्रसार करने में समर्थ रही। इसके अलावा, समाज के हर वर्ग, विशेष रुप से युवा, को इससे जोड़ने के लिए, 'ईट राइट सृजनशीलता चुनौती' का आयोजन किया गया। 3,600 से भी अधिक पंजीकृत विद्यालयों के 75,000 से भी अधिक छात्रों ने स्थल पर ही पोस्टर बनाने की प्रतियोगिता में सक्रिय रुप से भाग लिया।

1.35 खाद्य आपूर्ति में औद्योगिक रुप से उत्पादित ट्रांस फैट के निराकरण का आह्वान करने के लिए 30 नवम्बर, 2018 को एक मॉस मीडिया अभियान की शुरुआत की गई थी। "हार्ट अटैक रिवाइंड"ने नागरिकों को ट्रांस-फैट के उपभोग करने के संबंध में चेतावनी दी है और सेहतमंद विकल्पों के माध्यमय से इनसे छुटकारा पाने की कार्यनीतियां प्रस्तुत की हैं।

1.36 1,50,000 से भी अधिक स्वास्थ्य एवं कल्याण केन्द्रों द्वारा निकट भविष्य में प्रयोग में लाए जाने वाले सरल संदेशों और परस्पर संवादात्मक (इंटरएक्टिव) सामग्री के साथ व्यापक पैकेज का प्रयोग करने में आसानी से प्रयोग करने के रुप में 'ईट राइट टूल किट' का सृजन किया गया है। यह राष्ट्रीय पोषण और जन स्वास्थ्य कार्यक्रमों की मुख्यधारा के रुप में पूरक नियोजित संसाधन के रुप में कार्य करेगा।

1.37 घर से बाहर खाद्य के उपभोग में बढ़ोतरी और खाद्य सुरक्षा से संबंधित चिंताओं को देखते हुए, खाद्य प्राधिकरण ने "सुरक्षित परोसें"परियोजना के अंतर्गत "स्वस्थप्रद रेटिंग"और "खाने का दायित्वपूर्ण स्थान"योजना प्रारंभ की है। ये दोनों योजनाएं प्रतियोगिता के माध्यम से खाद्य सेवा संस्थानों में सुरक्षित खाद्य प्रहस्तन प्रक्रियाओं के सुदृढ़ीकरण और सुरक्षित खाद्य के लिए उपभोक्ताओं की मांग सृजन करने के आशय से हैं। इस समय, लगभग 600 खाद्य कारोबारियों को स्वस्थ्यप्रद रेटिंग मिली हैं। एफ.एस.एस.ए.आई. द्वारा सत्यापन प्रयोजनों के लिए 26 स्वस्थप्रद रेटिंग संपरीक्षण अभिकरणों को मान्यता प्रदान की गई है।

1.38 स्ट्रीट फूड में उपभोक्ताओं का विश्वास बढ़ाने में सहायता करने की दृष्टि से एफ.एस.एस.ए.आई. ने ' स्वच्छ स्ट्रीट फूड हब' परियोजना की शुरुआत की है जिसके अंतर्गत अंतर-विश्लेषण के लिए पूर्व संपरीक्षण की प्रक्रिया, स्वच्छता और साफ-सफाई दशाओं के लिए विशिष्ट मानदण्डों को पूरा करने के लिए सुझाव, विक्रेतायों के प्रशिक्षण, अंतिम संपरीक्षण के माध्यम से और उसके पश्चात संपोषण के माध्यम से स्ट्रीट फूड वेंडरों के कलस्टरों को प्रमाणित किया जाएगा। 13 जुलाई 2018 को एफ.एस.एस.ए.आई. ने कंकरिया लेक, अहमदाबाद (गुजरात) को देश के पहले 'स्वच्छ स्ट्रीट फूड हब' के रुप में मान्यता प्रदान की है। अभी तक, 8 स्ट्रीट फूड कलस्टरों को 'स्वच्छ स्ट्रीट फूड हब' प्रमाणपत्र (गुजरात के 5, मध्य प्रदेश के 01 और महाराष्ट्र के 02) प्रदान किए गए हैं और 62 के संबंध में प्रमाण पत्र प्रदान करने की अनुशंसा की गई है।

1.39 वर्ष 2017 में एफ.एस.एस.ए.आई. द्वारा' खाद्य बचाओ, खाद्य बांटों, खुशी बांटो' की एक शुरुआत की गई थी, जिसका उद्देश्य खाद्य अपशिष्ट न होने देना और अधिशेष खाद्य के दान को बढ़ावा देना है ताकि भूख का मुकाबला किया जा सके। भारतीय खाद्य शेयरिंग गठबंधन (आईएफएसए) खाद्य दान के क्षेत्र में वृद्धि के लिए देश के अधिशेष खाद्य वितरण संगठनों का एक नेटवर्क है। इस पहल के लिए एक वैब आधारित मंच का सृजन किया गया है जो कि खाद्य वितरण संगठनों और लाभग्राहियों के साथ दानकर्ताओं के एकीकरण को समर्थ बनाता है। 12 खाद्य वितरण संगठन एफ.एस.एस.ए.आई. के साथ जुड़े हुए हैं और औसतन वे 70 शहरों में एक लाख लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था कर कर रहे हैं। इस प्रकार के और अधिक उपक्रमों को जोड़ा जा रहा है और यह नेटवर्क विस्तार के लिए तैयार है। एक नया अभियान "थोड़ा काम बड़ा कल्याण" की भी शुरुआत की गई थी जिसके अंतर्गत उत्सवी आयोजनों के दौरान खाद्य अपशिष्ट को रोकने और खाद्य दान को बढ़ावा देने पर ध्यान केन्द्रित किया गया है।

1.40 उपयोग में लाए गए खाना पकाने के तेल (यूसीओ) से स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है क्योंकि तलने की प्रक्रिया के दौरान पोलर यौगिक बनते हैं जो गंभीर स्वास्थ्य संबंधी खतरे पैदा कर सकते हैं। इस समय, उपयोग में लाए गए खाना पकाने के तेल को बिलकुल भी नष्ट नहीं किया जा रहा है या फिर उसका निपटान पर्यावरणीय दृष्टि से खतरनाक ढंग से किया जा रहा है जिससे अपवहन और सीवरेज प्रणालियां अवरुद्ध हो जाती हैं। इस बात को स्वीकार करते हुए कि जैविक डीजल के लिए यूसीओ एक संभावित फीडस्टाक है और इस आपूर्ति श्रृंखला तंत्र का मुख्य सोपान है, एफ.एस.एस.ए.आई. ने 10 अगस्त, 2018 को विश्व जैविक ईंधन दिवस पर आरयूसीओ (रुको) का प्रारंभ किया। आरयूसीओ से तात्पर्य है पुनप्रयोजन के लिए प्रयोग किए गए खाना पकाने का तेल। यह प्रयोग किए गए खाना पकाने के तेल के संग्रहण और इसके बॉयो डीजल में परिवर्तित करने के लिए समर्थित बनाने की एक पारिस्थितिकी प्रणाली है। यूसीओ के संग्रहण और परिवर्तन की प्रगति की निगरानी के लिए एक माइक्रोसाइट भी प्रारंभ की गई है।

1.41 आई.ई.सी.(सूचना, शिक्षा, संप्रेषण) प्रोत्साहनात्मक गतिविधियों को दिशा प्रदान करने के लिए किसी भी

संगठन की रीढ़ की हड्डी होता है। एफ.एस.एस. अधिनियम, नियमों और विनियमों के आवश्यक तत्वों के बारे में हितधारियों को अवगत कराने के लिए प्रिंट और इलेक्ट्रोनिक मीडिया के माध्यम से अनेक गतिविधियों का आयोजन किया गया है। खाद्य प्राधिकरण ने सकारात्मक छवी के निर्माण, जन जागरुकता के सृजन, उपभोक्ता शिक्षा, महत्वपूर्ण शुरुआतों के प्रचार-प्रसार और विभिन्न हितधारियों के साथ मिलकर कार्य करने के लिए बहुत सी प्रदर्शनियों/आयोजनों में भी भाग लिया। खाद्य प्राधिकरण अपने सभी सामाजिक मीडिया मंचों में भी सक्रिय है और उत्तरदायी है। सुरक्षित और पोषक आहार के संबंध में संदेश देने के अलावा, जनता को भी खाद्य प्राधिकरण द्वारा किए जा रहे सभी महत्वपूर्ण उपायों के बारे में और प्रारंभ की जा रही नई शुरुआतों से अवगत कराया जाता है। उपभोक्ता और एफबीओ शिकायतों को भी प्रतिदिन सोशल मीडिया के माध्यम से समाधान किया जाता है।

1.42 उपभोक्ताओं को सूचना और संसूचित पसंद, शिक्षा, सुरक्षित और पोषक आहार, अनुचित व्यापारिक रीतियों से संरक्षण और अपनी शिकायतों के निपटारे का अधिकार है। इन अधिकारों को मान्यता दिलाने की दिशा में खाद्य प्राधिकरण ने कई महत्वपूर्ण पहलें की हैं जिनका उद्देश्य उपभोक्ताओं को अधिकार-संपन्न बनाना और उनके हितों का संरक्षण करना है। इनमें, उपभोक्ता शिक्षा पोर्टल, एसएनएफ और नागरिकों के मार्गदर्शन के लिए अन्य सामाजिक प्रेरण दृष्टीकोण और व्यावहारगत परिवर्तन पहलें, विभिन्न खाद्य कारोबारों के लिए खाद्य सुरक्षा डिस्प्ले बोर्ड, सशक्त उपभोक्ता फीडबैक और शिकायत एवं समाधान प्रणाली, संसूचित रुचियों की व्यवस्था के लिए स्वस्थप्रद रेटिंग,मीनू लेबलिंग,प्रतीकों और लोगो जैसी स्कीमें, और स्वच्छ स्ट्रीट फूड हब आदि जैसे समूहों के प्रमाणन की पहलें शामिल है।

1.43 खाद्य प्राधिकरण जैसी व्यापक और सर्वाधिदेश वाली किसी विनियमात्मक संस्था के लिए प्रौद्योगिकी को अति महत्ता प्रदान करते हुए, खाद्य प्राधिकरण सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) को अत्यधिक रुप से सुदृढ़ बना रहा है। खाद्य लाइसेंसिंग और पंजीकरण प्रणाली (एफ.एल.आर.एस)और खाद्य आयात निर्गम प्रणाली (एफ.आई.सी. एस), जो लाइसेंसिंग, पंजीकरण और आयात प्रणालियों की मेरुदंड है, जैसी अति महत्वूपर्ण आईटी प्रणालियों के संबंध में व्यवस्था आईटी प्रभाग द्वारा की जा रही है। इसके अलावा, इसकी सभी प्रमुख गतिविधियों को आईटी प्रभाग द्वारा विकसित किए गए प्रणालियों और पोर्टलों द्वारा पूरी तरह समर्थ बनाया जा रहा है। वर्ष 2018-19 के दौरान ईट राइट इंडिया, स्वच्छ भारत यात्रा जैसी विभिन्न शुरुआत की गई। इनके अलावा और भी बहुत सी पहल गई थी जिन्हें आईटी मंचों और प्रणालियों के माध्यम से गहन रुप से समर्थित बनाया गया था। इन सभी से संबंधित कार्यान्वयन योजनाओं को अधिक द्रुत और अधिक प्रभावी ढंग से कार्यकरण को समर्थ बनाया गया है।

1.44 अंतर्राष्ट्रीय खाद्य व्यापार के क्षेत्र में तीव्र वृद्धि तथा उद्योग के वैश्विक रुप लिए जाने के साथ खाद्य प्राधिकरण के लिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि वह बहु-पक्षीय और द्विपक्षीय करारों के माध्यम से वैश्विक खाद्य सुरक्षा पहलों में सहभागिता के द्वारा खाद्य पदार्थों की सुरक्षा और गुणवत्ता को सुनिश्चित कराने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा दे। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मानकों के निरुपण में भारत का योगदान कोडेक्स एलीमेनटेरियस आयोग के कार्य में इसके सक्रिय रुप से शामिल होने से स्पष्ट है। यह आयोग एफएओ और डब्ल्यूएचओ की शीर्ष अन्तर्राष्ट्रीय खाद्य मानक संस्था है, जिसके मानक डब्ल्यूटीओ करारों और अन्य बहु-पक्षीय/द्विपक्षीय करारों के अंतर्गत खाद्य वस्तुओं के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए संदर्भ मानकों के रुप में मान्यता प्राप्त हैं। खाद्य प्राधिकरण ने 2018-19 के दौरान आयोजित कोडेक्स समिति की 14 बैठकों में सक्रिय रूप से भाग लिया। भारत ने 53 इलेक्ट्रॉनी कार्यकारी दलों (ई.डब्ल्यू.जी) में हिस्सा लिया और उनमें अपने महत्वपूर्ण विचार प्रकट किए। भारत द्वारा सात ईडब्ल्यूजी की अध्यक्षता और तीन में सह-अध्यक्षता भी की। उपर्युक्त उल्लिखित कोडेक्स समितियों, भौतिक कार्यकारी समूहों (पीडब्ल्यूजी) और ईडब्ल्यूजी में भारत की लिखित टिप्पणियाँ कोडेक्स सचिवालय को प्रस्तुत की गईं और इन टिप्पणियों तथा दखलों के आधार पर समिति सत्रों के दौरान भारत की चिंताओं का मुख्य तौर पर निराकरण किया गया।

1.45 खाद्य सुरक्षा और जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने और सूचना, क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण आदि के आदान प्रदान के माध्यम से जन स्वास्थ्य की दृष्टि से, वर्ष के दौरान एफ.एस.एस.ए.आई. और विदेशी संगठनों व अभिकरणों के बीच अनेक समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। इनमें डैनिश पशु-चिकित्सा और खाद्य प्रशासन, एएसएई (इकोनामिक्स एंड फूड सेफ्टी अथारिटी), पुर्तगाल, यूरोपियन फूड सेफ्टी एजेंसी (ईएफएसएस), 4 जापानी अभिकरणों (अर्थात फूड सेफ्टी कमीशन ऑफ जापान, कंज्यूमर एफेयर एजेंसी आफ जापान, मिनिस्ट्री आफ हैल्थ, लेबर एंड वेलफेयर आफ जापान एंड मिनिस्ट्री आफ एग्रीकल्चर, फोरेस्ट्री एंड फिशरीज आफ जापान) और नीदरलैंड फूड एंड कंज्यूमर प्रोडक्ट सेफ्टी अथारिटी (एनवीडब्ल्यूए) सम्मिलित हैं। इसके अलावा, फ्रांस, जर्मनी और न्यूजीलैंड के अभिकरणों के साथ विगत में किए गए समझौता ज्ञापनों में किए गए समझौतों पर आगे कार्रवाई करने के लिए भी अनुवर्ती कार्रवाई की गई।

1.46 खाद्य प्राधिकरण वैश्विक खाद्य सुरक्षा साझेदारी (जीएफएसपी) से सक्रिय रुप से सम्बद्ध रहा, जो कि एक मध्यवर्गीय आय और विकासशील देशों में खाद्य सुरक्षा में सुधार लाने के लिए समर्पित विश्व बैंक की एक अद्वितीय सार्वजनिक निजी पहल है। न केवल जीएफएसपी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण में मदद कर रहा है, बल्कि यह मुम्बई में एक अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने में एफ.एस.एस.ए.आई. की सहायता भी कर रहा है और विभिन्न देशों का अध्ययन दौरा करने के कार्य में भी सहयोग प्रदान कर रहा है। एफ.एस.एस.ए.आई. को विश्व बैंक की जीएफएसपी की शासी समिति की एक प्रेक्षक सदस्य के रुप में दो वर्षों की अवधि के लिए चयन किया गया है।

1.47 इसके अलावा, खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में समझ और सहयोग बढ़ाने की दृष्टि से वर्ष के दौरान विदेशी शिष्टमंडल के साथ विचार-विमर्श और खाद्य प्राधिकरण शिष्टमंडलों के विदेश दौरों के जरिए कई द्विपक्षीय कार्यक्रम आयोजित किए गए।

1.48 समग्र रुप से, एफ.एस.एस.ए.आई. ने पूर्णतावादी सोच के साथ उपलब्ध संसाधनों की कार्यगत नीति के साथ समुपयोजन के माध्यम से 'सीमित साधनों के अधिकतम उपयोग" के दृष्टिकोण को अपनाया है। बड़ी मात्रा में निधियों के साथ बड़ी संगठनात्मक संरचना के सृजन के स्थान पर, पांच आसान दिशा-निर्देशक सिद्धांतों से भारत के खाद्य प्राधिकरण के कार्यकरण का विनियमन होता है। पहला, एफ.एस.एस.ए.आई. ने परिवर्तन अभिकर्ताओं के रुप में अपने सभी महत्वपूर्ण हितधारियों के साथ कार्य करते हुए देश के लिए बेहतर खाद्य और पोषण के लिए सहभागी दृष्टिकोण का सह-सृजन किया है। दूसरे, इसने सभी से प्राप्त होने वाले विचारों और मिलने वाली सहायता का लाभ उठाने के लिए सभी स्तरों पर संस्थानों और संगठनों के साथ बहु प्रकार की साझेदारी विकसित की है। तीसरे, भारत जैसे एक बड़े देश को अंतर्गत लाने के उद्देश्य से बड़ा स्तर पाने के लिए अधिकतर प्रक्रियाओं और पद्धतियों को मानकीकृत किया गया है। चौथे, एफएसएसएआई, पहुंच, प्रभावकारिता बढ़ाने और पारदर्शिता के सुनिश्चय के लिए प्रौद्योगिकी का उन्नयन कर रहा है। और अंत में, एफ.एस.एस.ए.आई. ने सकारात्मक कार्य प्रकृति और संस्कृति का सृजन किया है। भारत का खाद्य प्राधिकरण यद्यपि छोटा है, तथापि यह अधिक सक्रिय, आधुनिक और कारगर संगठन है जो कि 'नए भारत' का निर्माण कर रहा है। देशवासियों को सुरक्षित और पोषक खाद्य का सेवन करने और समाज के उत्पादक सदस्यों के रुप में मानवीय सम्मान के साथ जीवन-निर्वाह करने में समर्थ बना रहा है। अन्य कम और मध्यम - आय वाले देश, जो उपयुक्त प्रतिकृति बनने योग्य मॉडलों की राह ताक रहे हैं, में खाद्य सुरक्षा प्रणालियों की स्थापना करने में भारत का मॉडल अनुदेशात्मक स्वरुप का हो सकेगा।

****

अध्याय-2

कर्तव्य, शासन संरचना और मानव संसाधन

2. अधिनियम का विकास

2.1 खाद्य नियमों को एक ही विधान के अंतर्गत लाकर उनके समेकन का कार्य कुछ समय से, विशेषकर केंद्र सरकार द्वारा तत्कालीन माननीय वित्त मंत्री की वर्ष 2002 की बजट भाषण में अपनी मंशा जाहिर कर देने के बाद से, चल रहा था। खाद्य सामग्रियों के विनियमन से संबंधित विभिन्न अधिनियमों और आदेशों के समेकन का कार्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय को सौंपा गया था। खाद्य सुरक्षा और मानक विधेयक, 2005 को दिनांक 23 अगस्त 2006 को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने पर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का अधिनियम संख्या 34) के रुप में अधिनियमित किया गया था। इसके पश्चात, यह अधिनियम 24 अगस्त 2006 को भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग I, खंड I में प्रकाशित हुआ। इस संबंध में कई अधिसूचनाओं अर्थात दिनांक 15.10.2007, 28.05.2008, 18.11.2008, 09.03.2009, 31.07.2009, 29.07.2010 और 18.08.2010 के माध्यम से इस अधिनियम के विभिन्न प्रावधान विभिन्न तारीखों को प्रवृत्त हुए।

2.1.1 भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961 के अंतर्गत दिनांक 17 सितंबर, 2007 की मंत्रिमंडल सचिवालय की अधिसूचना द्वारा "खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006" के विषय को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से स्थानांतिरत करके स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को सौंपा गया था। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने "खाद्य सुरक्षा तथा मानक (कठिनाइयों का निराकरण) आदेश, 2007 दिनांक 15 अक्तूबर, 2007 द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 6 के खण्ड (ग) में उप-धारा (I), जो खाद्य प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों के चयन के लिए चयन समिति के बारे में है, में शब्द "स्वास्थ्य" के स्थान पर "खाद्य प्रसंस्करण उद्योग" शब्द रखे गए थे।

2.1.2 यह अधिनियम खाद्य सुरक्षा और मानक (संशोधन) अध्यादेश, 2008 दिनांक 7 फरवरी, 2008 द्वारा संशोधित किया गया तथा धारा 3, 5 और 6 में संशोधन करते हुए खाद्य सुरक्षा और मानक (संशोधन) अधिनियम, 2008 दिनांक 28 मार्च, 2008 द्वारा बदला गया था।

2.2 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (एफएसएस अधिनियम) के बनने से सितम्बर, 2008 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) की स्थापना हुई। इस निर्णय से इस अर्थ में आमूल परिवर्तन हुआ कि खाद्य विनियामक का इकोसिस्टम अनेक विधियों से एकीकृत विधि में तबदील हो गया, जिसमें खाद्य अपमिश्रण पर बल की तुलना में सुरक्षित और स्वास्थ्यकर खाद्य सुनिश्चित कराने पर अधिक बल है।

2.3 जैसाकि एफएसएस अधिनियम में परिकल्पना की गई है, खाद्य प्राधिकरण को मानव उपभोग के लिए सुरक्षित एवं स्वास्थ्यकर खाद्य की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए खाद्य पदार्थों के विनिर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात को विनियमित करने और उससे संबंधित मामलों के लिए कार्यादेश दिया गया है। खाद्य प्राधिकरण के कर्तव्य और कृत्य अधिनियम की धारा 16 में निर्धारित हैं। इनका विवरण सारणी 2 में दर्शाया गया है।

सारणी 2 - खाद्य प्राधिकरण के कर्तव्यों और कार्यों का विवरण

निर्देश निर्धारण	विज्ञान आधारित	सुदृढ़ीकरण क्षमताएं	ध्यान केन्द्रित उपभोक्ता
• खाद्य पदार्थों की पहचान के मानकों का निर्धारण • लेबलिंग और दावों के मानकों का निर्धारण • योजकों, प्रदूषकों, अवशिष्टों आदि के लिए सीमाओं का निर्धारण • नमूना लेने और विश्लेषण की पद्धति के लिए दिशा-निर्देशों का विकास • आयातित खाद्य वस्तुओं के लिए उपयुक्त सीमा नियंत्रण का कार्यान्वयन • जोखिम का मूल्यांकन, प्रबंधन और संप्रेषण सहित जोखिम विश्लेषण करना • प्रयोगशाला प्रमाणन और अधिसूचना के लिए दिशा-निर्देशों का विकास करना • प्रमाणन निकायों के प्रत्यायन के लिए दिशा-निर्देशों का विकास • एफएसएस अधिनियम का प्रवर्तन और कार्यान्वयन का सर्वेक्षण करना • खाद्य सुरक्षा और मानकों से संबंधित मामलों पर राज्य स्तरीय प्राधिकारियों का मार्गदर्शन करना	• नीतियों के निरुपण के लिए वैज्ञानिक परामर्श और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना • .उपभोग और जोखिम सामना, जैविक जोखिमों की घटना और व्यापकता, प्रदूषक, द्रुत अलर्ट प्रणाली आदि के क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास गतिविधियों में अग्रणी बनना • खाद्य सुरक्षा के लिए संकट प्रबंधन प्रोटोकाल का विकास • वैज्ञानिक सहयोग, सूचना और विशेषज्ञता का आदान-प्रदान और वैश्विक दृष्टि से श्रेष्ठ पद्धतियों के कार्यान्वयन के लिए ढांचे का विकास • अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ संबंधों को बेहतर बनाने वैज्ञानिक परामर्श और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना • जोखिम मूल्यांकन पद्धतियों का विकास • अंतर्राष्ट्रीय और देशी मानकों के बीच सामंजस्य को बढ़ावा देना • अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी मानकों के विकास कार्य में योगदान	• खादय सुरक्षा इकोसिस्टम के भीतर राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर खाद्य प्राधिकरणों के स्टाफ, खाद्य कारोबारियों और अन्य हितधारियों की क्षमताओं के सुदृढ़ीकरण के लिए प्रशिक्षण उपलब्ध कराना	• उपभोक्ताओं और सम्बद्ध हितधारियों को उपयुक्त, सरल, सामयिक सूचना उपलब्ध कराना • वैज्ञानिक समितियों और पैनलों की सम्मतियों के बारे में सामयिक ढंग से संप्रेषण • वैज्ञानिक अध्ययनों के परिणामों का आदान-प्रदान • बैठकों की कार्यसूची के संबंध में खाद्य प्राधिकरण, परामर्श समिति, वैज्ञानिक समिति और पैनलों आदि के सदस्यों द्वारा हित संबंधी वार्षिक घोषणाओं का प्रकटन

2.4 खाद्य प्राधिकरण का गठन

2.4.1 एफ.एस.एस अधिनियम की धारा 5 के अनुसार, खाद्य प्राधिकरण का एक अध्यक्ष होगा और निम्नलिखित 22 सदस्य होंगे, जिनमें से एक-तिहाई महिलाएं होंगी, अर्थात्-

सारणी 3 - खाद्य प्राधिकरण के अध्यक्ष से भिन्न अन्य सदस्य (धारा 5)

केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों और विभागों से सदस्य	कृषि, वाणिज्य, उपभोक्ता मामले, खाद्य प्रसंस्करण, स्वास्थ्य, विधायी मामले, लघु उद्योग कार्यों से सम्बद्ध केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों अथवा विभागों का प्रतिनिधित्व करने के लिए संयुक्त सचिव से अन्यून स्तर के 7 सदस्य जो पदेन सदस्य होंगे।
उपभोक्ता, किसानों और खुदरा विक्रेता संगठनों से प्रतिनिधित्व	किसानों और उपभोक्ता संगठनों से 2-2 प्रतिनिधि एवं खुदरा संगठनों से एक प्रतिनिधि
राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से प्रतिनिधित्व	प्रथम अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट जोनों में से एक-एक बार प्रथम तीन वर्ष के चक्रानुक्रम से नियुक्त किए जाने वाले 5 सदस्य
खाद्य उद्योग और स्वतंत्र एसएमई और खाद्य प्रौद्योगिकीविदों अथवा वैज्ञानिकों से प्रतिनिधित्व	क) खाद्य उद्योग के 2 प्रतिनिधि जिनमे से एक लघु उद्योग से ख) 3 प्रख्यात प्रोध्योगिकीविद या वैज्ञानिक

2.4.2 इसके अलावा, अधीनियम की धारा 9 के अनुसार खाद्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी खाद्य प्राधिकरण के सदस्य-सचिव हैं।

2.4.3 खाद्य प्राधिकरण के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में केंद्रीय सरकार द्वारा की जाती है। प्राधिकरण का मुख्यालय एफ.डी.ए. भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली- 110002 पर स्थित है।

2.4.4 वर्ष 2018-19 के दौरान खाद्य प्राधिकरण का गठन निम्नानुसार था:

आकृति 2 - खाद्य प्राधिकरण 2018-19 का गठन

अध्यक्ष

सदस्य-सचिव (मुख्य कार्यकारी अधिकारी)

धारा 5 (1) (क) के अंतर्गत पदेन सदस्य

श्री आशीष बहुगुणा (28.07.2018 तक)

श्रीमती रीता तेवतिया (28.11.2018 से)

श्री पवन अग्रवाल

सारणी 4 - धारा 5(1)(क) के अंतर्गत पदेन सदस्य

क्र.सं.	नाम	पदनाम	मंत्रालय
1	श्री सुधीर कुमार	संयुक्त सचिव	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
	डा. मनदीप कुमार भण्डारी	संयुक्त सचिव	
2	श्री उत्पल कुमार सिंह	संयुक्त सचिव	कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
3	श्री संतोष कुमार सारंगी	संयुक्त सचिव	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
4	श्री पी.वेंकट रामा शास्त्री	संयुक्त सचिव	उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
5	श्री मिन्हाज़ आलम	संयुक्त सचिव	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
6	डा.रीता वशिष्ठ	अपर सचिव	विधि और न्याय मंत्रालय
7	श्री मनोज जोशी	संयुक्त सचिव	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

2.4.5 खाद्य प्राधिकरण की दो बैठकें (26वीं और 27वीं) वर्ष 2018-19 में आयोजित हुई थीं। 26वीं बैठक 16 जून, 2018 को आयोजित हुई थी और 27वीं बैठक 4 फरवरी, 2019 को आयोजित हुई थी। चूँकि गत वर्ष में सदस्यों की सदस्यता अवधि समाप्त होने के परिणामस्वरुप एफएसएस अधिनियम,2006 की धारा 5 की उप धारा (1) के खण्ड (ख), (ग), (घ), (ङ), (च) और (छ) के अंतर्गत वर्ष 2018-19 के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई सदस्य नियुक्त नहीं किया गया था, इसलिए ये बैठकें सीमित सदस्य संख्या के साथ आयोजित हुई थी।

2.4.6 निम्नलिखित विशेष आमंत्रितों ने खाद्य प्राधिकरण की 26वीं और 27वीं बैठक में भाग लिया था:

- सुश्री परणा दासगुप्ता, फेडरेशन आफ इंडियन चैम्बर्स आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की)
- सुश्री मीतू कपूर, कंफेडरेशन आफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआईआई)
- सुश्री श्रेया पाण्डेय, आल इंडिया फूड प्रोसेसर्स एसोसिएशन (एआईएफपीए)

आकृति 3 - खाद्य प्राधिकरण की 26वीं बैठक का एक दृश्य

2.5 **केंद्रीय सलाहकार समिति (सीएसी)**

2.5.1 एफएसएस अधिनियम 2006 की धारा 11 द्वारा केंद्रीय सलाहकार समिति की स्थापना का प्रावधान और धारा 12 में इसके कार्यों का वर्णन है। समिति का मुख्य अधिदेश प्राधिकरण के कार्रवाई कार्यक्रम, कार्य का प्राथमिकीकरण, संभावी जोखिमों की पहचान और ज्ञान प्रबंधन के संबंध में प्राधिकरण को परामर्श देना है। केंद्रीय सलाहकार समिति खाद्य प्राधिकरण, राज्य की प्रवर्तन एजेंसियों तथा खाद्य के क्षेत्र में कार्यरत संगठनों के मध्य निकट सहयोग सुनिश्चित करती है।

2.5.2 केंद्रीय सलाहकार समिति में खाद्य उद्योग, कृषि, उपभोक्ता, संबंधित अनुसंधान निकायों और खाद्य प्रयोगशालाओं के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले दो-दो सदस्य होते हैं। इनके अतिरिक्त, सभी राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों के खाद्य सुरक्षा आयुक्त और वैज्ञानिक समिति के अध्यक्ष इसके पदेन सदस्य होते हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एफ.एस.एस.ए.आई. केंद्रीय सलाहकार समिति का पदेन अध्यक्ष होता है। केन्द्रीय सरकार के संबंधित कृषि, पशुपालन और डेयरी उद्योग, जैव प्रौद्योगिकी, वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता मामले, पर्यावरण तथा वन, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, स्वास्थ्य, पंचायती राज, लघु उद्योग एवं खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय/विभागों के प्रतिनिधि और इसके अतिरिक्त सरकारी संस्थानों या संगठनों और सरकार द्वारा मान्यता-प्रदत्त कृषक संगठनों के प्रतिनिधियों को केंद्रीय सलाहकार समिति की चर्चाओं में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है।

2.5.3 वर्ष 2018-19 के दौरान केंद्रीय सलाहकार समिति की 15 मई, 2018, 7 सितम्बर, 2018, 14 दिसम्बर, 2018 और 13 मार्च, 2019 को क्रमश: 22वीं, 23वीं, 24वीं और 25वीं बैठक आयोजित हुईं।

आकृति 4 - 14.12.2018 को इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में आयोजित 24वीं सीएसी की बैठक

2.6 वैज्ञानिक समिति

2.6.1 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम,2006 की धारा 14 में वैज्ञानिक समिति के गठन का प्रावधान है, जिसमें वैज्ञानिक पैनलों के अध्यक्ष और वैज्ञानिक पैनलों से असंबद्ध छह स्वतंत्र विज्ञानी होते हैं। इस समिति का कार्य खाद्य प्राधिकरण को वैज्ञानिक राय देना, वैज्ञानिक राय की एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सामान्य ताल-मेल करना, विशेष रूप से कार्य-प्रक्रियाओं एवं वैज्ञानिक पैनलों की कार्य प्रणालियों का सुमेलन करना है। वैज्ञानिक समिति एक से अधिक वैज्ञानिक पैनलों के दायरों में आने वाले बहु-क्षेत्रीय मुद्दों पर परामर्श देती है तथा किसी भी वैज्ञानिक पैनल के दायरे में न आने वाले मुद्दों पर कार्य-दल का गठन करती है। वैज्ञानिक समिति अपना अध्यक्ष अपने सदस्यों में से चुनती है।

2.6.2 वर्ष 2018-19 के दौरान वैज्ञानिक समिति की चार बैठकें अर्थात क्रमश: 21 मई, 2018, 06 जून, 2018, 15 नवम्बर, 2018 और 28 मार्च, 2019 को आयोजित हुईं।

2.6.3 वैज्ञानिक समिति द्वारा इन बैठकों के दौरान की गई सिफारिशें खाद्य प्राधिकरण की अगली बैठक में, मसौदा अधिसूचनाएँ और अंतिम अधिसूचनाएँ जारी करने के लिए अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की गईं।

2.7 वैज्ञानिक पैनल

2.7.1 भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 13 द्वारा विषय-सापेक्ष वैज्ञानिक पैनलों के गठन का प्रावधान है, जिनमें स्वतंत्र विज्ञान-विशेषज्ञ होते हैं। ये वैज्ञानिक पैनल जोखिम आकलन इकाई के रूप में काम करते हैं और अपनी सुविचारित वैज्ञानिक राय देते हैं।

2.7.2 खाद्य प्राधिकरण को नए सदस्य बनाकर या मौजूदा सदस्यों को हटाकर या पैनल का नाम बदलकर, जैसी भी स्थिति हो, वैज्ञानिक पैनलों का समय-समय पर पुनर्गठन करने का अधिकार है। वैज्ञानिक पैनल अपने अध्यक्ष का चयन अपने सदस्यों में से करते हैं।

2.7.3 वर्ष 2018-19 के दौरान खाद्य प्राधिकरण द्वारा 'प्रतिजैविक अवशिष्ट' और 'मसाले और पाक्य जड़ी बूटी' के संबंध में दो (02) नए वैज्ञानिक पैनल स्थापित किए गए और सात (07) वैज्ञानिक पैनलों का पुनर्गठन किया गया। रिपोर्टाधीन वर्ष में निम्नलिखित उन्नीस (19) वैज्ञानिक पैनल कार्य करते रहे:

सारणी 5 - वैज्ञानिक पैनलों की सूची

नए पैनल	पुनर्गठित पैनल	विद्यमान पैनल
➢ प्रतिजैविक अवशिष्ट	➢ मिठाई, मिष्टान्न, मधुरक, शर्करा एवं शहद	➢ प्रयोजनमूलक खाद्य, पोषण सामग्रियां, आहारीय उत्पाद और अन्य सदृश उत्पाद
➢ मसाले और पाक्य जड़ी बूटी	➢ जल (सुवासित जल सहित) एवं पेय पदार्थ (एल्कोहल व अल्कोहल रहित)	➢ प्रतिचयन और विश्लेषण पद्धति
	➢ तेल एवं वसा	➢ खाद्य सहयोज्य, सुवासकारी, खाद्य सामग्री के संपर्क में आने वाली प्रसंस्करण सहायक और सामग्री
	➢ दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद	➢ खाद्य श्रृंखला में संदूषक
	➢ मांस एवं पोलट्री सहित मांसउत्पाद	➢ जैविक खतरे
	➢ अनाज, दालें एवं फलियां और उनके उत्पाद (बेकरी सहित)	➢ कीटनाशक अवशिष्ट
	➢ फल एवं वनस्पति और उनके उत्पाद (सूखे फल एवं मेवे सहित)	➢ लेबलिंग और दावे/विज्ञापन
		➢ जीन-परिवर्तित जीव एवं खाद्य
		➢ मत्स्य एवं मत्स्य उत्पाद
		➢ पोषण और पोष्टिकीकरण

2.7.4 रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान इन वैज्ञानिक पैनलों की 65 बैठकें हुई थीं। मानक विकास के संबंध में एक मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार किया गया है जिसके अंतर्गत प्रत्येक चरण पर समयावधि निर्धारित की गई है। इस बात को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिक पैनलों और वैज्ञानिक समिति की बैठकें अधिकाधिक रुप से आयोजित की जा रही है।

2.8 राज्य खाद्य सुरक्षा आयुक्त और अन्य प्राधिकारी

भारत 100 करोड़ से काफी अधिक जनसंख्या वाला बड़ा देश होने के कारण खाद्य सुरक्षा लागू कराना एक बहुत बड़ा कार्य है। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 तथा इसके अंतर्गत बने नियमों और विनियमों के अनुसार खाद्य मानकों का अनुपालन सुनिश्चित कराना मुख्य रूप से राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों की जिम्मेदारी है। इस अधिनियम में प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा आयुक्त तथा उसके अधीन प्रवर्तन कार्मिकों जैसे कि अधिनामित अधिकारियों,खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के लिए प्रावधान किया गया है। न्याय निर्णय के लिए तंत्र में न्याय-निर्णय करने वाले प्राधिकारी और अपीलीय ट्रीब्यूनल सम्मिलित हैं। अपने-अपने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में इस अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक पदों का सृजन करने और उन्हें भरने के लिए राज्य/संघ शासित क्षेत्र जिम्मेदार हैं। फिर भी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रवर्तन कार्मिकों को आवश्यक प्रशिक्षण देकर और उनका क्षमता-निर्माण करके उनकी सहायता कर रही है। आकार, जनसंख्या, खाद्य संस्कृति, भाषाओं, औद्योगिक विस्तार, विनिर्माण संबंधी क्षमता और स्थान के संदर्भ में राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के बीच अत्यधिक विविधता के कारण प्रवर्तन-क्षमता की उनकी अपनी-अपनी चुनौतियां हैं, जिनमें पिछले कुछ वर्षों में लगातार बढ़ोतरी हुई है और सुधार हो रहा है।

2.9 राज्य/जिला स्तरीय संचालन समितियाँ

राज्य/जिला स्तरीय संचालन समितियाँ राज्य/संघ शासित क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा से संबंधित किसी मामले में सहयोग, सहायता करती हैं अथवा परामर्श देती हैं।

आकृति 5 - खाद्य प्राधिकरण की संरचना का चित्रात्मक प्रदर्शन

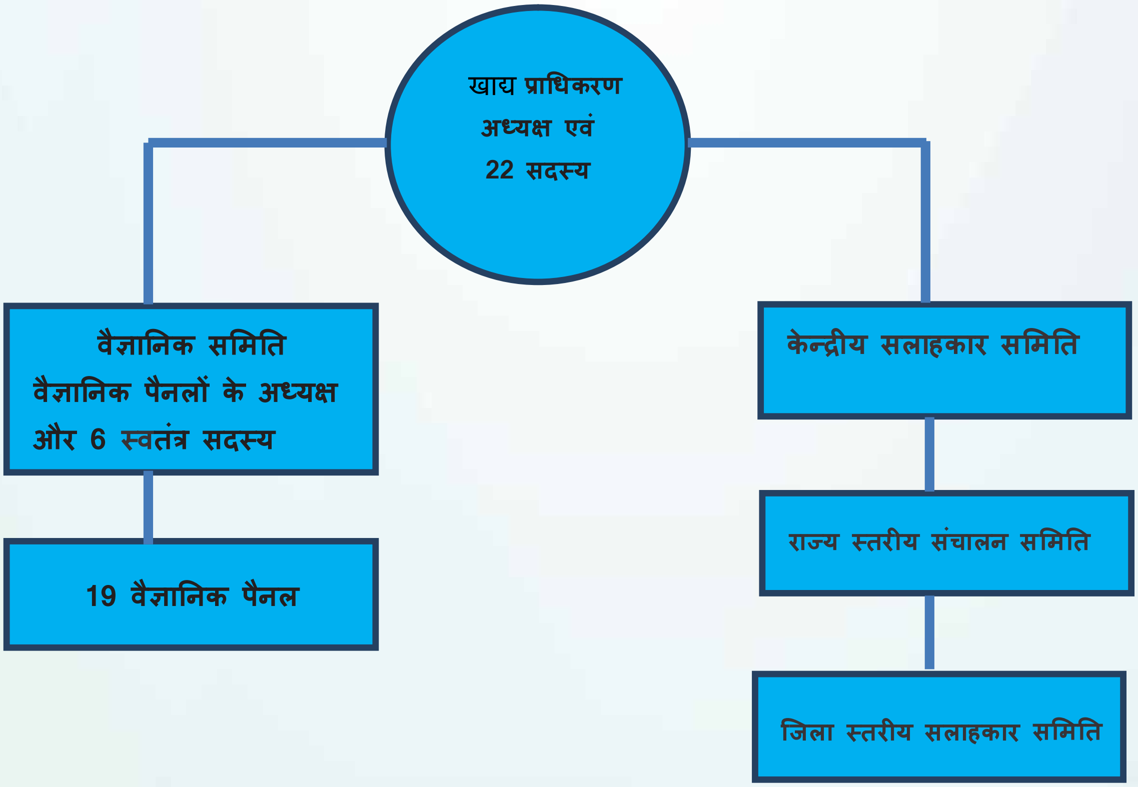

2.10 संगठन का ढाँचा

आकृति 6 - खाद्य प्राधिकरण का संगठनात्मक ढांचा

2.11 खाद्य प्राधिकरण मुख्यालय के प्रभाग

- मानक
- खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली
- कोडेक्स और विनियम
- विनियमात्मक अनुपालन और निगरानी
- गुणता आश्वासन
- आयात
- प्रशिक्षण
- सूचना, शिक्षा और संचार
- अंतर्राष्ट्रीय सहयोग
- जोखिम आकलन और अनुसंधान एवं विकास
- मानव संसाधन और सतर्कता
- सामान्य प्रशासन
- विधि
- सूचना प्रौद्योगिकी
- राजभाषा

इसके अतिरिक्त सामाजिक सुरक्षा कवच कार्यक्रमों और खुले बाजार में खाद्य पौष्टिकीकरण को बढ़ाने के लिए टाटा ट्रस्टस के साथ साझेदारी में खाद्य पौष्टिकीकरण संसाधन केन्द्र की स्थापना की है।

2.12 मानव संसाधन

2.12.1 हाल ही के समय तक, एफ.एस.एस.ए.आई. में स्वीकृत पदों की संख्या केवल 356 थी। एफ.एस.एस.ए.आई. उभरता हुआ संगठन है और हाल के समय में, सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए बहुत से नए कार्यों क्षेत्रों की पहचान की है। इसे ध्यान में रखते हुए, एफ.एस.एस.ए.आई. ने अपने कार्यादेश को पूरा करने के उद्देश्य से 960 जनशक्ति के साथ नए संगठनात्मक संरचना के निर्माण करते हुए अपने

मानव संसाधनों का पुनर्गठन करने की प्रक्रिया आरंभ की। तद्नुसार, एफ.एस.एस.ए.आई. में 960 पदों का सृजन करने के लिए एक प्रस्ताव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को भेजा गया था। वर्ष 2018-19 के दौरान, प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने अतिरिक्त पदों के सृजन के लिए केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से अवगत कराया है जिससे वर्तमान स्वीकृत पदों की संख्या 356 से बढ़कर 824 हो गई है। एफ.एस.एस.ए.आई. में सभी स्वीकृत पदों का पदवार विवरण नीचे सारणी 6 में दिया गया है:

सारणी 6 - एफ.एस.एस.ए.आई. में स्वीकृत पदों का विवरण

क्र.सं.	पदनाम	वेतन स्तर	स्वीकृत पदों की सं.
1.	अध्यक्ष	17	1
2.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	15	1
3.	कार्यकारी निदेशक	14	2
4.	सलाहकार	14	2
5.	निदेशक	13	16
6.	मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी	13	1
7.	प्रधान प्रबंधक	13	1
8.	संयुक्त निदेशक	12	32
9.	उप निदेशक	11	44
10.	सहायक निदेशक	10	22
11.	सहायक निदेशक (तकनीकी)	10	60
12.	खाद्य विश्लेषक	10	10
13.	तकनीकी अधिकारी	7	255
14.	केन्द्रीय खाद्य सुरक्षा अधिकारी	7	74
15.	सहायक निदेशक (राजभाषा)	10	1
16.	हिंदी अनुवादक	6	3
17.	प्रशासनिक अधिकारी	8	25
18.	सहायक	6	76
19.	कनिष्ठ सहायक ग्रेड - I	4	12
20.	वरिष्ठ निजी सचिव	8	7
21.	वैयक्तिक सचिव	7	17
22.	वैयक्तिक सहायक	6	39
23.	वरिष्ठ प्रबंधक (सूचना प्रौद्योगिकी)	12	2
24.	प्रबंधक (सूचना प्रौद्योगिकी)	11	2
25.	उप प्रबंधक (सूचना प्रौद्योगिकी)	10	4
26.	सहायक प्रबंधक (सूचना प्रौद्योगिकी)	7	10

क्र.सं.	पदनाम	वेतन स्तर	स्वीकृत पदों की सं.
27.	सूचना प्रौद्योगिकी सहायक	6	6
28.	वरिष्ठ प्रबंधक	12	2
29.	प्रबंधक	11	8
30.	उप प्रबंधक	10	16
31.	सहायक प्रबंधक	7	8
32.	कनिष्ठ सहायक ग्रेड - II	2	12
33.	स्टाफ कार ड्राइवर (सामान्य ग्रेड)	2	3
34.	बहु-कार्य स्टाफ (एमटीएस)	1	50
	कुल		824

2.12.2 एफ.एस.एस.ए.आई. में विभिन्न पदों के लिए भर्ती विनियम, जिसमें स्वीकृत नए पद सम्मिलित हैं, को पहली अक्तूबर, 2018 को अधिसूचित किया गया था। भर्ती विनियम की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

(i) संवर्ग : एफ.एस.एस.ए.आई. में पदों के तीन संवर्ग में समूह बनाए गए हैं:

1. वैज्ञानिक और तकनीकी संवर्ग
2. प्रशासनिक और वित्त संवर्ग
3. सूचना प्रौद्योगिकी और अन्य विशेषीकृत सेवाएं

(ii) पदों का वर्गीकरण : विभिन्न स्तरों के पदों को वेतन मेट्रिक्स में पद के स्तर के आधार पर समूह "क", "ख" और "ग" के रुप में वर्गीकृत किया गया है, जैसाकि नीचे दर्शाया गया है:

क्र.सं.	विवरण	पदों का वर्गीकरण
1.	वेतन मेट्रिक्स में स्तर 10 अथवा अधिक के पद	समूह "क"
2.	वेतन मेट्रिक्स में स्तर 6 से स्तर 9 के पद	समूह "ख"
3.	वेतन मेट्रिक्स में स्तर 1 से स्तर 5 के पद	समूह "ग"

(iii) भर्ती की पद्धतियां: भर्ती विनियम में निम्नलिखित पांच भर्ती पद्धतियां निर्धारित हैं :

1. सीधी भर्ती
2. प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि संविदा सहित)
3. समामेलन
4. पदोन्नति
5. संविदा आधार पर नियुक्ति

2.13 एफ.एस.एस.ए.आई. में भर्ती की स्थिति

2.13.1 अतिरिक्त पद स्वीकृत होने और भर्ती विनियम अधिसूचित किए जाने के तुरन्त पश्चात एफ.एस.एस.ए.आई. ने नियमित आधार पर रिक्त स्थानों पर नियुक्ति करने की प्रक्रिया प्रारंभ की। एफएसएसएआई ने सीधी भर्ती के आधार पर वेतन स्तर – 11 और इससे ऊपर के स्तर में 26 रिक्त पदों के लिए सीधी भर्ती और विभिन्न वेतन स्तरों में 114 रिक्त पदों को प्रतिनियुक्ति आधार पर भरने के विज्ञापन दिए, जैसाकि विवरण

नीचे सारणी 7 में दिया गया है:

सारणी 7- सीधी और प्रतिनियुक्ति आधार पर भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिए एफ.एस.एस.ए.आई. द्वारा विज्ञापित पदों की सूची

क्र.सं.	पद का नाम (वेतन स्तर)	रिक्तियों की संख्या	
		सीधी भर्ती	प्रतिनियुक्ति आधार पर
1.	कार्यकारी निदेशक (वेतन स्तर-14)		02
2.	सलाहकार (वेतन स्तर-14)		01
3	निदेशक (वेतन स्तर-13)	04	07
4	प्रधान प्रबंधक (वेतन स्तर-13)	01	
5	संयुक्त निदेशक (वेतन स्तर-12)	08	12
6	उप निदेशक (वेतन स्तर-11)	08	12
7	वरिष्ठ प्रबंधक (सूचना प्रौद्योगिकी) (वेतन स्तर-12)	01	01
8	प्रबंधक (सूचना प्रौद्योगिकी) (वेतन स्तर-11)		02
9	उप प्रबंधक (सूचना प्रौद्योगिकी) (वेतन स्तर-10)		04
10	सहायक प्रबंधक (सूचना प्रौद्योगिकी) (वेतन स्तर-7)		01
11	वरिष्ठ प्रबंधक (वेतन स्तर-12)	01	01
12	प्रबंधक (वेतन स्तर-11)	03	02
13	उप प्रबंधक (वेतन स्तर-10)		04
14	सहायक निदेशक (तकनीकी) (वेतन स्तर-10)		18
15	सहायक निदेशक (राजभाषा) (वेतन स्तर-10)		01
16	प्रशासनिक अधिकारी (वेतन स्तर-8)		22
17	वरिष्ठ निजी सचिव (वेतन स्तर-8)		07
18	वैयक्तिक सचिव (वेतन स्तर-7)		17
	कुल	26	114

2.13.2 सहायक निदेशक (वेतन स्तर 10) और इससे नीचे के स्तर पर सीधी भर्ती आधार पर भर्ती के लिए भर्ती करने का कार्य सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान एडसिल को सौंपा गया है जिनके पास सरकारी संगठनों के लिए भर्ती परीक्षाओं का आयोजन कराने के लिए अपेक्षित विशेषज्ञता है। सीधी भर्ती के आधार पर ऐसे 275 पदों को भरने के लिए 26 मार्च, 2019 को एक विज्ञापन दिया गया था जिसके द्वारा 25 अप्रैल, 2019 तक आवेदन आमंत्रित किए गए थे।

2.14 अन्य स्टाफ के मामले

2.14.1 महिला कर्मचारियों के लिए आंतरिक शिकायत समिति

महिला कर्मचारियों के संरक्षण के लिए प्रावधान के संबंध में, विशाखा और अन्य बनाम राजस्थान शासन (1997) मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय और कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन शोषण (निवारण, निषेध और समाधान) अधिनियम, 2013 के अनुसार, एफ.एस.एस.ए.आई. में एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया गया है और हर समय इसका प्रवृत्त रहना और कार्यात्मक बने रहना सुनिश्चित किया गया है। वर्ष 2018-19 की अवधि के दौरान इस समिति को कोई शिकायत नहीं मिली।

2.14.2 सतर्कता संबंधी मामले

क्षेत्रीय कार्यालयों, प्रयोगशालाओं और मुख्यालय के कर्मचारियों के विरुद्ध विभिन्न स्रोतों के माध्यम से प्राप्त शिकायतों पर कार्रवाई एफ.एस.एस.ए.आई. के सतर्कता प्रभाग द्वारा केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिशा-निर्देशों का अनुपालन करते हुए की जाती है। एफ.एस.एस.ए.आई. द्वारा स्वयं अथवा किसी स्वतंत्र अभिकरण (अर्थात केन्द्रीय जांच ब्यूरो) के माध्यम से जांच कराए जाने पर यदि प्रथम दृष्टि में किसी व्यक्ति अथवा एक से अधिक कर्मचारियों के विरुद्ध कोई अनियमितता पायी जाती है तो अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रारंभ करने के संबंध में प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी/ अध्यक्ष के स्तर पर उपयुक्त निर्णय लिए जाते हैं। जहां कहीं अपेक्षित होता है, मानदण्डों के अनुसार केन्द्रीय सतर्कता आयोग से भी परामर्श किया जाता है। वर्ष 2018-19 के दौरान, 15 शिकायतों पर कार्रवाई की गई। मामूली दण्ड की एक अपील का निपटान किया गया। एक कर्मचारी के विरुद्ध बड़ी दण्डात्मक प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए केन्द्रीय सतर्कता आयोग की प्रथम चरण की सलाह प्राप्त की गई थी। सतर्कता जागरुकता सप्ताह का आयोजन किया गया। कर्मचारियों को 02 नवंबर, 2018 को सतर्कता जागरुकता शपथ दिलायी गई।

2.14.3 एफ.एस.एस.ए.आई. शिशु देखभाल केन्द्र

एफ.एस.एस.ए.आई. मुख्यालय, एफडीए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली में कार्यरत महिलायों के शिशुओं की देखभाल के लिए केंद्र - "नन्हें कदम" का उद्घाटन 14 नवम्बर, 2018 को बाल दिवस के अवसर पर सुश्री प्रीति सूदन, सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और श्री पवन कुमार अग्रवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा किया गया। एफडीए भवन में कार्यरत महिला कर्मचारियों और समीपस्थ कार्यालयों में कार्यरत अन्य सरकारी कर्मचारियों के लिए यह एक वरदान सिद्ध होगा।

अध्याय-3

मानक और विनियम

3.1 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने खाद्य सुरक्षा और मानक नियम, 2011 अधिसूचित किए, जो 5 अगस्त 2011 से लागू हैं।

3.2 खाद्य प्राधिकरण की यह जिम्मेदारी है कि वह खाद्य उत्पादों के लिए पहचान के मानक तैयार करे। खाद्य प्राधिकरण ने 1 अगस्त, 2011 को प्रारंभ में भारत के राजपत्र में निम्नलिखित विनियम अधिसूचित किए। ये दिनांक 5 अगस्त, 2011 से लागू हुए हैं। इसी के साथ अधिनियम की दूसरी अनुसूची में उल्लिखित विधान और आदेश दिनांक 5 अगस्त, 2011 से निरस्त हो गए।

- खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य कारोबार का अनुज्ञापन और रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 2011
- खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) विनियम, 2011
- खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011
- खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय पर प्रतिषेध और निर्बंधन) विनियम, 2011
- खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, आविष और अवशिष्ट) विनियम, 2011
- खाद्य सुरक्षा और मानक (प्रयोगशाला और प्रतिचयन विश्लेषण) विनियम, 2011

3.3 उपर्युक्त विनिर्दिष्ट अधिसूचनाओं से पूर्व, खाद्य प्राधिकरण की कार्यप्रणाली की विस्तृत प्रक्रिया वर्ष 2010 में अधिसूचित निम्नलिखित प्रशासकीय विनियमों में निर्धारित थी अर्थात;

- भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (इसकी बैठकों की कार्य प्रणाली) विनियम, 2010. बैठकों में भाग लेने वाले सदस्यों के भत्तों को संशोधित करने के लिए इन विनियमों में एक बार संशोधन किया गया है।

- भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (केंद्रीय सलाहकार समिति की कार्य प्रणाली के लिए प्रक्रिया) विनियम, 2010. बैठकों में भाग लेने वाले सदस्यों के भत्तों में संशोधन करने के लिए इन विनियमों में एक बार संशोधन किया गया है।

- भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (वैज्ञानिक समिति और वैज्ञानिक पैनलों की प्रक्रिया) विनियम, 2010. इन विनियमों में संशोधित प्रक्रिया, जिसमें सदस्यों और उनके कार्यकारी दलों की नियुक्ति, बाहरी विशेषज्ञ, दायित्वों का प्रत्यायोजन, वैज्ञानिक परामर्श के लिए अनुरोध, कोरम और सर्वसम्मति, कार्यसूची, प्रतिपूर्ति और स्वतंत्रता तथा गोपनीयता शामिल हैं, निर्धारित करने के लिए संशोधन किया गया है।

3.4 तत्पश्चात, खाद्य उत्पादों के ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज मानक जिनमें संघटक व सहयोज्य सम्मिलित हैं और इसके साथ-साथ एफ.एस.एस.ए.आई. के अन्य क्षेत्रों के विनियम अधिसूचित किए गए हैं।उत्पादों संघटकों, सहयोज्यों आदि की पहचान करने के लिए तंत्र विद्यमान है जिनके मानकों का अभी विकास किया जाना है अथवा जहां विद्यमान मानकों की समीक्षा करने की आवश्यकता है। यह एक सतत रुप से किया जाने वाला कार्य है। यह उल्लेख किया जा सकता है कि खाद्य विज्ञान, खाद्य उपभोग पद्धति, नए उत्पादों और सहयोज्यों में नवीनतम विकास, प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी में प्रगति और खाद्य विश्लेषणात्मक पद्धतियों में प्रगति और नए जोखिमों की पहचान को ध्यान में रखते हुए विद्यमान मानकों की समीक्षा करना आवश्यक हो जाता है।

3.5 वर्ष 2018-19 के दौरान, बहुत से अंतिम प्रमुख विनियमों को अधिसूचित किया गया है। कुछ अन्य विनियमों को मसौदा के चरण में अधिसूचित किया गया है जिनके द्वारा जनता से टिप्पणियां भेजने का आग्रह किया गया है। कुछ मसौदे-पूर्व के चरण में हैं। इसके अतिरिक्त, विभिन्न विद्यमान विनियमों में संशोधन के माध्यम से खाद्य उत्पादों की विभिन्न श्रेणियों के लिए मानक/संशोधित मानक निर्धारित किए गए हैं। प्रतिजैविक और फार्माकोलोजिकल सक्रिय पदार्थों की सहनशीलता की सीमा निर्धारित की गई है। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 से पूर्व अधिसूचित 370 मानकों की अपेक्षा इस समय, एफ.एस.एस.ए.आई. ने 500 से अधिक खाद्य उत्पाद मानकों का विकास किया है तथा खाद्य सहयोज्यों के लिए मानकों की समीक्षा और इनका विस्तार किया है जिसमें कोडेक्स मानकों के साथ खाद्य सहयोज्यों के मानकों का सामंजस्य स्थापित करते हुए 350 सहयोज्य और खाद्य प्रसंस्करण सहायक के 9000 से अधिक परन्तुक हैं।

3.6 अधिनियम की धारा 16, 22, 92 व अन्य में 32 क्षेत्रों की पहचान की है जिसमे विनियम बनाना अपेक्षित है जिसमे से 28 क्षेत्रों में पहले ही विनियमों को निरुपित किया गया है और अधिसूचित किया गया है।

3.7 इस समय लागू प्रमुख विनियमों की स्थिति, जिसमें 2018-19 में अधिसूचित विनियम सम्मिलित हैं, नीचे सारणी 8 में दिए गए हैं:

सारणी 8 - इस समय लागू अंतिम विनियमों की सूची

क्र.सं.	इस समय प्रवृत्त अंतिम विनियम
I	**खाद्य सुरक्षा और मानक विनियम**
	खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य कारोबार का अनुज्ञापन और रजिस्ट्रीकरण) विनियम,2011
	खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011
	खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय पर प्रतिषेध और निर्बंधन), विनियम, 2011
	खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) विनियम, 2011
	खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, आविष और अवशिष्ट) विनियम, 2011
	खाद्य सुरक्षा और मानक (प्रयोगशाला और प्रतिचयन विश्लेषण) विनियम, 2011
	खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य या स्वास्थ्यअनुपूरक, न्यूट्रास्यूटिकल्स, विशेष आहार विषयक उपयोग के लिए खाद्य, विशेष चिकित्सीय – प्रयोजन के लिए खाद्य, कृत्यकारी खाद्य और नूतन खाद्य) विनियम,2016
	खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य प्रत्याह्वान प्रक्रिया) विनियम, 2017
	खाद्य सुरक्षा और मानक (आयात) विनियम, 2017
	खाद्य सुरक्षा और मानक (गैर-विनिर्दिष्ट खाद्य और खाद्य संघटकों के लिए अनुमोदन) विनियम, 2017
	खाद्य सुरक्षा और मानक (जैव खाद्य)विनियम, 2017
	खाद्य सुरक्षा और मानक (एल्कोहॉलिक पेय)विनियम, 2018
	खाद्य सुरक्षा और मानक (दृढ़ीकृत खाद्य)विनियम, 2018
	खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य सुरक्षा संपरीक्षण)विनियम, 2018

क्रं.सं.	इस समय प्रवृत्त अंतिम विनियम
	खाद्य सुरक्षा और मानक (प्रयोगशालाओं को मान्यता और अधिसूचना) विनियम, 2018
	खाद्य सुरक्षा और मानक (विज्ञापन और दावे) विनियम, 2018
	खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग) विनियम, 2018
II	**भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण कार्य प्रणाली विनियम**,2010
	भारतीयखाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (इसकी बैठकों की कार्य प्रणाली)विनियम, 2010
	भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (केन्द्रीय सलाहकार समिति की कार्य प्रणाली के लिए प्रक्रिया) विनियम, 2010
	भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण(वैज्ञानिक समिति और वैज्ञानिक पैनलों की प्रक्रिया) विनियम, 2010 का अधिक्रमण
III	**खाद्य सुरक्षा और मानक नियम**, 2011

3.8 2018-19 में अधिसूचित महत्वपूर्ण अंतिम विनियमों में कुछ इस प्रकार हैं:

1. खाद्य सुरक्षा और मानक (दृढ़ीकृत खाद्य)विनियम, 2018
2. खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य सुरक्षा संपरीक्षण)विनियम, 2018
3. खाद्य सुरक्षा और मानक (प्रयोगशालाओं को मान्यता और अधिसूचना) विनियम, 2018
4. खाद्य सुरक्षा और मानक (विज्ञापन और दावे) विनियम, 2018
5. खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग) विनियम, 2018

3.9 वर्ष 2018-19 में अधिसूचित महत्वपूर्ण मसौदा विनियम में से कुछ इस प्रकार हैं:

1. खाद्य सुरक्षा और मानक (शिशु पोषण के लिए खाद्य) विनियम, 2019
2. खाद्य सुरक्षा और मानक (अधिशेष खाद्य पुन:प्राप्ति और वितरण) विनियम, 2019

3.10 निम्नलिखित मसौदा-पूर्व विनियम मसौदा अधिसूचित कराने की प्रक्रियाधीन है:

1. खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग और प्रदर्शन) विनियम, 2019
2. खाद्य सुरक्षा और मानक (स्कूली छात्रों के लिए सुरक्षित खाद्य और स्वास्थ्यकर आहार) विनियम, 2019
3. खाद्य सुरक्षा और मानक (आनुवंशिकी संशोधित एवं इंजीनियर्ड खाद्य) विनियम, 2019

3.11. महत्वपूर्ण नए अंतिम विनियमों में से कुछ पर टिप्पणी

3.11.1 खाद्य सुरक्षा और मानक (दृढ़ीकृत खाद्य) विनियम, 2018

एफ.एस.एस.ए.आई. ने इन विनियमों को 2 अगस्त, 2018 को अधिसूचित किया है। ये विनियम भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त हुए हैं। तथापि, इन मानकों का कार्यान्वयन पहली जुलाई, 2019 से प्रारंभ होगा। भारतीय जनसंख्या में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के आशय से इन्हें अधिसूचित किया गया है। बड़े पैमाने पर यह कार्य सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रमों में पौष्टिक खाद्यों की आपूर्ति को अनिवार्य बनाकर और खुले बाजार में स्वैच्छिक पौष्टिकीकरण के माध्यम से किया जा रहा है।

इन विनियमों में दृढ़ीकृत खाद्य उत्पादों अर्थात नमक (आयोडिन और लौह युक्त), तेल और दुग्ध (विटामिन ए और डी युक्त), और आटा, मैदा, कच्चा चावल (प्रमुख रुप से लौह, फोलिक एसिड और विटामिन बी12

से युक्त तथापि, जिंक, विटामिन ए, थियामाइन, रिबोफलाविन, नियासिन और पायरिडोक्सिन को भी जोड़ा जा सकता है) जैसे उत्पादों के दृढ़ीकृत खाद्यान्नों के मानक विनिर्दिष्ट करने के साथ-साथ इन उत्पादों की सरलता से पहचान के लिए लोगो को अनिवार्य उपयोग का प्रावधान भी किया गया है।

3.11.2 खाद्य सुरक्षा और मानक (विज्ञापन और दावे) विनियम, 2018

एफ.एस.एस.ए.आई. ने इन विनियमों को 19 नवंबर, 2018 को अधिसूचित किया था। ये विनियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त हैं। तथापि, प्रावधानों का प्रवर्तन पहली जुलाई 2019 से प्रारंभ होगा।

इन विनियमों का लक्ष्य खाद्य उत्पादों के दावों और विज्ञापनों में निष्पक्षता की स्थापना करना है और ऐसे दावों/विज्ञापनों के लिए खाद्य कारोबार को उत्तरदायी बनाना है ताकि उपभोक्ता के हितों की रक्षा की जा सके। इन विनियमों में कई धाराएं विनिर्दिष्ट हैं, जिनमें परिभाषाओं, दावों और विज्ञापनों के लिए सामान्य सिद्धांतों, विशिष्ट दावों जैसे पोषण दावों (जिसमें पोषक तत्व अथवा तुलनात्मक पोषक दावे सम्मिलित हैं), गैर-अतिरिक्त दावे (जिसमें शर्करा और सोडियम नमक को न मिलाना शामिल है) ,स्वास्थ्य संबंधी दावे (रोगों के जोखिम में कमी) जैसे विशिष्ट दावों के लिए मानदण्डों के बारे में विस्तार से उल्लेख किया गया है। आहार संबंधी दिशा-निर्देश अथवा स्वास्थ्यपरक आहार से संबंधित दावे और शर्तों से युक्त दावे जिसमें निषेधात्मक दावे सम्मिलित हैं, का उल्लेख किया गया है। इसके अतिरिक्त, इसमें अनुमोदित पोषकता के दावों, रोग जोखिम और दृढ़ीकृत खाद्य के लिए स्वास्थ्यपरक दावों, प्राकृतिक, ताजा, शुद्ध, मूल, परंपरागत, प्रीमियम, वास्तविक आदि जैसे शब्दों के प्रयोग के संबंध में दावों के लिए अनुसूचियां सम्मिलित हैं।

खाद्य वस्तुओं के लिए ऐसे विज्ञापन और/अथवा दावों को प्रतिबंधित करने के लिए भी एक प्रावधान किया गया है जिसमें अपने उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए अथवा उपभोक्ता के व्यवहार को प्रभावित करने के लिए किसी अन्य विनिर्माता के उत्पादों का अवमूल्यन किया गया हो।

3.11.3 खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग) विनियम, 2018

एफ.एस.एस.ए.आई. ने 24 दिसम्बर, 2018 को इन विनियमों को अधिसूचित किया था। ये विनियम सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त हुए थे। तथापि, इसके प्रावधानों का प्रवर्तन पहली जुलाई, 2019 से होगा। ये विनियम विभिन्न प्रकार के पैकेजिंग पदार्थों के मानकों से संबंधित हैं जैसे कि प्लास्टिक, धातु और मिश्रित धातु, कागज, गत्ते और ग्लास। विश्व-व्यापि रुप से उपलब्ध पैकेजिंग सामग्री के विभिन्न प्रकारों में नूतनता के लिए खाद्य के लिए सुरक्षित पैकेजिंग सामग्री की सूची का भी विस्तार किया गया है। इन विनियमों में खाद्य तैयार करने, पैकेजिंग और भण्डारण में प्रयोग आने वाले कंटेनरों के लिए सामान्य अपेक्षाओं और एफबीओ द्वारा अनुपालन की जाने वाली उत्पाद विशिष्ट पैकेजिंग अपेक्षाओं का उल्लेख है। इनमें प्लास्टिक पैकेजिंग सामग्रियों के लिए संदूषकों की समग्र प्रवसन और विशिष्ट प्रवसन सीमाओं के लिए भी प्रावधान किया गया है और विभिन्न खाद्य श्रेणियों के लिए पैकेजिंग सामग्रियों की सूची का सुझाव दिया गया है।

3.12 ई-शासन

3.12.1 खाद्य उत्पाद पहचान सत्यापन प्रणाली (एफ.पी.आई.वी.एस.)

एफ.एस.एस.ए.आई. ने 5 नवम्बर, 2018 को खाद्य उत्पाद पहचान सत्यापन प्रणाली (एफ.पी.आई. वी.एस.) प्रारंभ की है। जो पोर्टल http://fssai.gov.in/fpas/home पर दी गई है। इस ऑनलाइन सेवा से खाद्य कारोबारियों (एफबीओ) को यह पहचान करने में मदद मिलती है कि क्या कोई खाद्य उत्पाद, जिसमें मालिकाना खाद्य, न्यूट्रास्यूटिकल्स, खाद्यपूरक और अन्य विशेष खाद्य सम्मिलित है, एफ.एस.एस.ए.आई.

द्वारा अधिसूचित किए गए खाद्य विनियमों के अंतर्गत सम्मिलित है या नहीं अथवा खाद्य सुरक्षा और मानक (गैर-विशिष्ट खाद्य और खाद्य संघटक का अनुमोदन) विनियम,2017 के अंतर्गत निर्धारित अनुसार उत्पाद के अनुमोदन की अपेक्षा है। यह व्यापक प्रणाली उपभोक्ताओं को उपयुक्त श्रेणी तक पहुँचने के लिए सहायता प्रदान करती है और मानक खाद्य उत्पाद/मालिकाना/ न्यूट्रास्यूटिकल्स और विशेष खाद्यों के लिए आवेदन प्रस्तुत करती है और "प्रोडक्ट आइडेंटीफायर" का स्वयं जनित्र होता है जोकि उपयुक्त लाइसेंसिंग प्राधिकरण से लाइसेंस प्राप्त करने में एफबीओ को समर्थ करायेगी।

3.12.2 टिप्पणियों के लिए सम्मति ई-मंच

एफ.एस.एस.ए.आई. ने 5 नवम्बर, 2018 को 'टिप्पणियों के लिए सम्मति ई-मंच' की शुरुआत की है और यह पोर्टल http://fssai.gov.in/comments/Directlogin.aspx पर उपलब्ध है। इस प्रणाली से हितधारियों को अस्तित्व में आने वाले खाद्य मानकों और विनियमों के संबंध में अपने विचार ऑनलाइन प्रस्तुत करने में सुविधा होगी।

3.13 डब्ल्यूटीओ-एसपीएस/टीबीटी अधिसूचना

डब्ल्यूटीओ-एसपीएस/टीबीटी करार के अंतर्गत यथा अपेक्षानुसार खाद्य प्राधिकरण निरन्तर डब्ल्यूटीओ मंच पर अपने मानकों और विनियमों को अधिसूचित करता रहा है और टिप्पणियां और सुझाव आमंत्रित करता रहा है। 2018-19 में डब्ल्यूटीओ के मंच पर 20 एफ.एस.एस.ए.आई. विनियम अधिसूचित किए गए थे। इसके अलावा, खाद्य प्राधिकरण खाद्य और खाद्य सुरक्षा और से संबंधित अन्य देशों की अधिसूचनाओं की भी निगरानी करता है और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय को टिप्पणियां उपलब्ध कराता है।

अध्याय-4

सुरक्षित खाद्य रीतियाँ

4.1 खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य कारोबारियों का अनुज्ञापन और रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 2011 की अनुसूची 4 में संशोधन

4.1.1 देश में सभी खाद्य कारोबारियों (एफबीओ) को खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य कारोबारियों का अनुज्ञापन और रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 2011 के अंतर्गत अनुसूची 4 में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं का अनुपालन करना होता है। इन अपेक्षाओं में सामान्य और विशिष्ट प्रकार की श्रेष्ठ स्वस्थ्यप्रद और स्वच्छ रीतियों का उल्लेख है जिनका अनुपालन खाद्य कारोबारियों द्वारा किया जाना है ताकि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इन अपेक्षाओं को विनिर्माताओं, कैटररों, दुग्ध प्रसंस्करणकर्ताओं, मांस प्रसंस्करणकर्ताओं (वधशालाओं सहित) और छोटे खाद्य व्यवसाय (स्ट्रीट वेंडर सहित) के लिए विकसित किया गया था।

4.1.2 समय बीतने के साथ-साथ, अनुसूची 4 में दी गई अपेक्षाओं और उनके व्यावहारिक कार्यान्वयन में कुछ कमियों की पहचान की गई थी। यह भी महसूस किया गया था कि कुछ खास प्रकार के खाद्य कारोबार के लिए श्रेष्ठ स्वस्थ्यप्रद रीतियां विनिर्दिष्ट नहीं की गईं थीं। इन अपेक्षाओं को अंतर्राष्ट्रीय रुप से श्रेष्ठ रीतियों के अनुरुप बनाने की आवश्यकता भी थी। अत:, इन समस्याओं के निराकरण के लिए अनुसूची 4 में संशोधन करने की आवश्यकता महसूस की गई थी, जिससे तकनीकी पैनल के गठन का मार्ग प्रशस्त हुआ।

4.2 खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य कारोबारियों का अनुज्ञापन और रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 2011 की अनुसूची 4 की समीक्षा और अनुवर्ती दस्तावेजों का विकास

4.2.1 तकनीकी पैनलों की मदद से अनुसूची 4 में दी गई अपेक्षाओं में संशोधन किया गया और अब निम्नलिखित 3 दस्तावेज प्रचालनात्मक बनाए गए हैं:

1. लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाले सभी खाद्य कारोबारियों द्वारा अनुपालन की जाने वाली स्वस्थप्रद और स्वच्छता रीतियों से संबंधित सामान्य अपेक्षाएं
2. कैटरिंग अथवा खादय सेवा कार्यों में कार्यरत सभी खाद्य कारोबारियों द्वारा अनुपालन की जाने वाली स्वस्थप्रद और स्वच्छता रीतियों से संबंधित सामान्य अपेक्षाएं
3. छोटी वधशाला की स्थापना के लिए न्यूनतम स्वस्थप्रद और स्वच्छता अपेक्षाएं

4.2.2 नए क्षेत्रों के लिए अपेक्षाओं को विनिर्दिष्ट करने के लिए अनुसूची 4 की अपेक्षाओं के संशोधन के लिए कार्य को आगे बढ़ाने के लिए, तकनीकी पैनलों द्वारा प्रदान की गई सामग्री के आधार पर निम्नलिखित दस्तावेजों के संबंध में मसौदा तैयार किया गया है, जिसे अंतिम रुप दिया जा रहा है:

सारणी 9 - मसौदा क्षेत्र-वार विकसित दस्तावेज

क्षेत्र	दस्तावेज
1. विनिर्माण क्षेत्र	क. दुग्ध और दुग्ध उत्पादों की अधिप्राप्ति, विनिर्माण, प्रसंस्करण, भण्डारण, संवितरण और परिवहन में कार्यरत सभी लाइसेंस प्राप्त खाद्य कारोबारियों द्वारा अनुपालन की जाने वाली श्रेष्ठ स्वस्थप्रद और स्वच्छता रीतियाँ ख. पोल्ट्री पक्षियों के वध और मांस के प्रसंस्करण के क्षेत्र में कार्यरत खाद्य कारोबारियों द्वारा अनुपालन की जाने वाली श्रेष्ठ स्वस्थप्रद और स्वच्छता रीतियां ग. छोटे पशुओं के वध और मांस के प्रसंस्करण में कार्यरत खाद्य कारोबारियों द्वारा अनुपालन की जाने वाली श्रेष्ठ स्वस्थप्रद और स्वच्छता रीतियां घ. मछली और मछली उत्पादों के प्रहस्तन, प्रसंस्करण, विनिर्माण, पैकिंग, भण्डारण, संवितरण और परिवहन में कार्यरत लाइसेंस प्राप्त खाद्य कारोबारियों द्वारा अनुपालन की जाने वाली श्रेष्ठ स्वस्थप्रद और स्वच्छता रीतियाँ ङ. बड़े पशुओं के वध और मांस के प्रसंस्करण में कार्यरत खाद्य कारोबारियों द्वारा अनुपालन की जाने वाली श्रेष्ठ स्वस्थप्रद और स्वच्छता रीतियाँ च. खाद्य उत्पादों के प्रहस्तन, प्रसंस्करण, विनिर्माण, पैकेंग, भण्डारण, संवितरण और परिवहन में कार्यरत केन्द्रीय लाइसेंस प्राप्त खाद्य कारोबारियों द्वारा अनुपालन की जाने वाली श्रेष्ठ स्वस्थप्रद और स्वच्छता रीतियां छ. खाद्य उत्पादों के प्रसंस्करण, विनिर्माण में कार्यरत पंजीकृत खाद्य कारोबारियों द्वारा अनुपालन की जाने वाली श्रेष्ठ स्वस्थप्रद और स्वच्छता रीतियां
2 कैटरिंग क्षेत्र	क. कैटरिंग अथवा खाद्य सेवा कार्यों में कार्यरत केन्द्रीय खाद्य कारोबारियों द्वारा अनुपालन की जाने वाली श्रेष्ठ स्वस्थ्प्रद और स्वच्छता रीतियाँ ख. स्ट्रीट फूड वेंडिंग सहित खाद्य सेवा कार्यों में कार्यरत पंजीकृत खाद्य कारोबारियों द्वारा अनुपालन की जाने वाली श्रेष्ठ स्वस्थप्रद और स्वच्छता रीतियाँ
3 भण्डारण, परिवहन और व्यापार	क. खाद्य उत्पादों के भण्डारण में कार्यरत लाइसेंस प्राप्त खाद्य कारोबारियों द्वारा अनुपालन की जाने वाली श्रेष्ठ स्वस्थप्रद और स्वच्छता रीतियाँ ख. खाद्य उत्पादों के परिवहन में कार्यरत लाइसेंस प्राप्त खाद्य कारोबारियों द्वारा अनुपालन की जाने वाली श्रेष्ठ स्वस्थप्रद और स्वच्छता रीतियाँ ग. खाद्य उत्पादों के परिवहन में कार्यरत पंजीकृत खाद्य कारोबारियों द्वारा अनुपालन की जाने वाली श्रेष्ठ स्वस्थप्रद और स्वच्छता रीतियाँ
4. खुदरा क्षेत्र	क. खाद्य उत्पादों के खुदरा व्यापार में कार्यरत केन्द्रीय लाइसेंस खाद्य परिवहन क्षेत्र में कार्यरत सभी खाद्य कारोबारियों द्वारा अनुपालन की जाने वाली श्रेष्ठ स्वस्थप्रद और स्वच्छता रीतियाँ ख. बूचड़खाना और खुदरा पॉल्ट्री मांस में कार्यरत पंजीकृत खाद्य कारोबारियों द्वारा अनुपालन की जाने वाली श्रेष्ठ स्वस्थ्प्रद और स्वच्छता रीतियाँ ग. पशु मांस और मछली के खुदरा व्यापार में कार्यरत पंजीकृत खाद्य कारोबारियों द्वारा अनुपालन की जाने वाली श्रेष्ठ स्वस्थ्प्रद और स्वच्छता रीतियाँ घ. खाद्य उत्पादों के खुदरा क्षेत्र में कार्यरत पंजीकृत खाद्य कारोबारियों द्वारा अनुपालन की जाने वाली श्रेष्ठ स्वस्थ्प्रद और स्वच्छता रीतियाँ
5 अन्य कारोबार	क. खाद्य के ई-कामर्स में कार्यरत लाइसेंस प्राप्त खाद्य कारोबारियो द्वारा अनुपालन की जाने वाली श्रेष्ठ स्वस्थप्रद और साफ-सफाई रीतियां स्वच्छता रीतियाँ

4.2.3 विनियामक अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए संशोधित अनुसूची 4 की अपेक्षाओं द्वारा संपूर्ण खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में खाद्य कारोबारियों द्वारा खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली का सतत कार्यान्वयन सुनिश्चित होगा।

4.2.4 निरीक्षण जांच सूची:

अनुसूची 4 की अपेक्षाओं के आधार पर, निरीक्षण के दौरान प्रवर्तन गतिविधियों के लिए नियामक कर्मचारियों द्वारा प्रयोग किए जाने के लिए इन क्षेत्रों के लिए निरीक्षण जांचसूची तैयार की गई है।

4.2.5 दिशा-निर्देश दस्तावेज :

इसके अतिरिक्त, अनुसूची 4 की अपेक्षाओं के कार्यान्वयन में समझ की अनवरता के सुनिश्चय के उद्देश्य से क्षेत्र विशिष्ट उद्योग दिशा-निर्देश (दिशा-निर्देश दस्तावेज) का भी विकास किया गया है। इन दस्तावेज में व्यावहारिक दृष्टिकोण को अपनाया गया है जिसे कारोबार में भी अपनाया जाना चाहिए ताकि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। तथापि, विनिर्माता प्रचालन कार्यों की जरुरतों और जटिलताओं के अनुसार उच्च अथवा कठोर स्तरों को अपना सकते हैं। इन दिशा-निर्देश दस्तावेज का उपयोग करना स्वैच्छिक है और खाद्य कारोबारी अन्य स्थापित श्रेष्ठ पद्धतियों के अनुसार विनियमन की जरुरत के अनुसार इसका अनुपालन कर सकते हैं। अभी तक निम्नलिखित 11 क्षेत्र विशिष्ट एफएसएमएस (खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली) दिशा-निर्देश दस्तावेज का विकास किया गया है, जिसमें वर्ष 2018-19 के दौरान विकसित 6 दिशा-निर्देश दस्तावेज सम्मिलित है:

1. खाद्य वनस्पति तेल और वसा
2. आटा चक्की
3. खाद्य पूरक आहार
4. खाद्य अनाज गोदाम
5. कैटरिंग
6. बैकरी
7. मसाला प्रसंस्करण
8. मछली और मछली उत्पाद
9. मांस और मांस उत्पाद (पोल्ट्री क्षेत्र)
10. दुग्ध प्रसंस्करण
11. फल और वनस्पति प्रसंस्करण

4.2.6 इसके अलावा, तकनीकी पैनलों के सुझाव पर निम्नलिखित औद्योगिक क्षेत्रों के लिए दिशा-निर्देश (दिशा-निर्देश दस्तावेज) भी मसौदे के चरण पर हैं:

1. मिष्ठान्न उत्पाद
2. पैकेज-बंद पेय जल
3. गैर-एल्कोहेलिक पेय
4. एल्कोहेलिक पेय
5. शहद प्रसंस्करण
6. चल-कैटरिंग
7. शर्करा प्रसंस्करण
8. शिशु खाद्य प्रसंस्करण
9. माण्डी (नम और शुष्क)

4.3 'स्वस्थप्रद रेटिंग' और 'खाने का दायित्वपूर्ण स्थान'

4.3.1 'स्वस्थप्रद रेटिंग' और 'खाने का दायित्वपूर्ण स्थान 'परियोजना "सर्व सेफ" के अंतर्गत नई योजनाएं हैं जिसके अंतर्गत देश में सुरक्षित और पोषक खाद्य कैटरिंग क्षेत्रों के विकास को बढ़ावा दिया जाता है।

एफ.एस.एस.ए.आई. ने खाद्य कारोबार में खाद्य की स्वस्थप्रदता के मानकों में सुधार करने तथा बाहर खाते समय संसूचित पसंद उत्पन्न करने के लिए उपयोक्ताओं को समर्थ बनाने के उद्देश्य से खाद्य सेवा कार्य प्रतिष्ठानों के लिए ये योजनाएं प्रारंभ की हैं।

4.3.2 स्वस्थप्रद रेटिंग प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण अपेक्षाएं हैं:

क. एफ.एस.एस.ए.आई. लाइसेंस/पंजीकरणधारी हो और अनुसूची 4 की अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया हो अर्थात विनियामक अपेक्षाएं, उपभोक्ताओं को परोसे जा रहे खाद्य की श्रेष्ठ गुणवत्ता और खाने में सुरक्षित होना सुनिश्चित करने के उपाय अपनाए गए हैं

ख. प्रमाणित खाद्य सुरक्षा पर्यवेक्षक की नियुक्ति और सभी खाद्य प्रहस्तकों को प्रशिक्षण देना

ग. केटरिंग परिसरों में खाद्य सुरक्षा प्रदर्शन बोर्ड (एफएसडीबी) का प्रदर्शन

घ. खाद्य नमूनों का परीक्षण कराना

यह योजना ऑन लाइन पोर्टल (www.fssai.gov.in/servesafe) के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है, जिसमें विनियामक अपेक्षाओं के अनुपालन के पश्चात 'स्वस्थप्रद रेटिंग' के लिए खाद्य कारोबारी विकल्प देते हुए स्व-मूल्यांकन कर सकता है और स्वस्थप्रद रेटिंग जनित्र कर सकता है। इसका स्वस्थप्रद रेटिंग संपरीक्षण अभिकरणों द्वारा सत्यापित किया जाएगा। इस अभिकरणों के संपरीक्षक सत्यापन की प्रक्रिया प्रारंभ करने से पहले फोस्टेक प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं।

4.3.3 'खाने का दायित्वपूर्ण स्थान 'एक दूसरी ऐसी योजना है, जिसका भी यह ही उद्देश्य और ध्येय है कि समाज के लोगों के बीच व्यवहारगत परिवर्तन लाया जाए और प्रत्येक क्षेत्र के हर व्यक्ति के जीवन को समृद्ध बनाने के लिए खाद्य सुरक्षा और खाद्य पदार्थो की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाए है। इस शुरुआत से खाद्य कारोबारियों को स्वयं को दूसरों से अलग दिखाने में और उत्तरदायी खाद्य व्यापार के रुप में अपनी अलग पहचान बनाने में मदद मिलेगी। खाद्य कारोबार के रुप में, उनका यह उत्तरदायित्व है कि वे सुरक्षित खाद्य आहार उपलब्ध कराने के साथ-साथ सही पसंद के बारे में उपभोक्ताओं को शिक्षित भी करें और समाज के प्रति अतिरिक्त जिम्मेदारी के साथ कार्य करें। निम्नलिखित छः महत्वपूर्ण क्षेत्र ऐसे हैं, जिनमें खाद्य कारोबारी स्वैच्छिक रुप से अपना योगदान दे सकते हैं:

1. स्वयंकृत स्वस्थप्रदता को बढ़ावा देना;
2. स्वास्थ्यकारी आहार को बढ़ावा देना;
3. सुरक्षित जल प्रहस्तन पद्धतियों को बढ़ावा देना;
4. शिकायतों का प्रभावी रुप से समाधान;
5. खाद्य पदार्थ तैयार करने में पारदर्शिता/खुला रसोई घर/रसोई घर दौरा; और
6. खाद्य दान

'खाने का दायित्वपूर्ण स्थान ' बनने के लिए एक खाद्य कारोबारी को सबसे पहले 4+ स्वस्थप्रद रेटिंग प्राप्त करना आवश्यक है और इसके पश्चात, इन छः बातों का कार्यान्वयन करना होता है। इन आवश्यक बातों के कार्यान्वयन के पश्चात, खाद्य कारोबारी पूर्व-अभिकल्पित जांच-सूची को भरकर स्व-मूल्यांकन कर सकता है। खाद्य कारोबारी द्वारा न्यूनतम अपेक्षाओं को पूरा कर लिए जाने के पश्चात, खाद्य कारोबारी 'खाने का दायित्वपूर्ण स्थान' होने के आशय से संबंधित एक प्रमाणपत्र जनित्र करने में समर्थ हो जाएगा। यही सूचना एफएसओ और स्वस्थप्रद रेटिंग संपरीक्षण अभिकरण को भेजी जाएगी ताकि उनके रोजमर्रा स्वरुप के निरीक्षण के समय प्रमाणित किया जा सके।

4.3.4 इन योजनाओं के अंतर्गत वर्ष 2018-19 के दौरान किए गए उपायों में सम्मिलित हैं:

(1) एफ.एस.एस.ए.आई. द्वारा 26 स्वस्थप्रद रेटिंग संपरीक्षण अभिकरणों को मान्यता प्रदान की गई है। इन अभिकरणों के संपरीक्षकों को स्वस्थप्रद रेटिंग में सामंजस्यता सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है।

(2) 14 से 16 दिसम्बर, 2018 को नई दिल्ली में आयोजित एफ.एस.एस.ए.आई. के 'ईट राइट मेला' के दौरान स्वस्थप्रद रेटिंग के संबंध में एक संवेदीकरण कार्यशाला भी आयोजित की गई थी जिसमें एफ.एस.एस.ए.आई. द्वारा इस योजना के अंतर्गत 30 पहले अनुकूलकों को स्वस्थप्रद रेटिंग प्रमाण पत्र प्रदान किए गए थे।

(3) स्वस्थ भारत यात्रा के समापन के अवसर पर स्वस्थप्रद रेटिंग योजना के संबंध में एक पैनल द्वारा विचार-विमर्श किया गया था ताकि इस योजना को अपनाने के लाभों के बारे में उपस्थित हितधारियों को संवेदी बनाया जा सके। विख्यात प्रतिष्ठित पाक-कर्मियों और संगठनों ने कैटरिंग क्षेत्र के लिए रेटिंग प्रणाली लाने के लिए एफ.एस.एस.ए.आई. के प्रयासों की सराहना की। इस आयोजन के दौरान 25 खाद्य कारोबार को स्वस्थप्रद रेटिंग प्रमाणपत्र प्रदान किए गए थे।

(4) इस समय, लगभग 600 खाद्य कारोबार ने स्वस्थ्यप्रद रेटिंग प्राप्त की है।

आकृति 7 - ईट राइट मेला' में स्वस्थप्रद रेटिंग परियोजना के अंतर्गत पुरस्कार वितरण समारोह की झलकियां

4.4 भोजन बचाओ, भोजन बांटों, आनन्द बांटो

4.4.1 'भोजन बचाओ, भोजन बांटों, आनन्द बांटो' की शुरुआत 2017 में की गई थी जिसका उद्देश्य खाद्य अपशिष्ट उत्पन्न होने से रोकना और अधिशेष खाद्य के दान को बढ़ावा देना था ताकि भूख का मुकाबला किया जा सके। इंडियन फूड शेयरिंग एलायंस (आईएफएसए) खाद्य दान के विस्तार में वृद्धि के लिए देश के अधिशेष खाद्य वितरण संगठनों का नेटवर्क है।

4.4.2 इसमें खाद्य अपशिष्ट को कम करने के लिए व्यवहारगत कार्यनीतियों के संबंध में जागरुकता का निर्माण करना सम्मिलित है। अधिशेष खाद्य के सुरक्षित खाद्य प्रहस्तन और खाद्य अपशिष्ट के निवारण के संबंध में घर, विद्यालय, खाद्य कारोबार और वितरण संगठनों के लिए दिशा-निर्देश दस्तावेज विकसित किए गए हैं। इस शुरुआत के लिए एक वैब आधारित मंच का भी सृजन किया गया है। यह मंच दानकर्ताओं का वितरण संगठनों और लाभार्थियों के साथ एकीकरण को समर्थ बनाता है।

4.4.3 भारत के विभिन्न भागों में खाद्य एकत्र करने के विभिन्न संगठन हैं। 12 ऐसे निकाय एफ.एस.एस.ए.आई. से सम्बद्ध हैं और औसतन 70 शहरों में एक लाख से अधिक लोगों को खाद्य उपलब्ध करा रहे हैं। ये हैं:

- फीडिंग इंडिया
- इंडिया फूड बैंकिंग नेटवर्क
- नो फूड वेस्ट
- रेबिन हूड आर्मी
- मेरा परिवार
- गिव अवे इंडिया
- रोटी बैंक
- रसोई ऑन व्हील्स
- चिन्तर एनवायरमेंटल रिसर्च एंड एक्शन ग्रुप
- अन्नक्षेत्र
- फीड ऑन
- गूँज

इस प्रकार के और अधिक वितरण संगठनों को जोड़ा जा रहा हैं और इसके नेटवर्क में और अधिक वृद्धि होगी।

4.4.4 हाल ही में, 'मामूली चेष्टा, बड़ा अंतर' नाम से एक नए अभियान की शुरुआत 28 जनवरी, 2019 को एफ.एस.एस.ए.आई. के ईट राइट आंदोलन : स्वस्थ भारत यात्रा के समापन समारोह के अवसर पर की गई थी। इस अभियान में समारोह के अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों के दौरान अधिशेष खाद्य के निवारण और खाद्य दान को बढ़ावा देने पर ध्यान केन्द्रित किया गया था। होटल, जलपान गृह, कैटरर तैयार कार्यसूची जिसमें सूचना, हस्ताक्षर कराने के लिए प्रपत्र और ताजे आहार/फालतू भोजन के लिए दान के लिए हस्ताक्षर कराने के लिए उपभोक्ताओं के प्रशंसा पत्र सम्मिलित होते हैं, एक दूसरे को भेज सकते हैं। पूरे भारत में खाद्य सेवा कार्य प्रतिष्ठानों को इस बात के लिए प्रेरित किया जा रहा है कि वे अधिशेष खाद्य के वितरण के लिए इस योजना को अपनाएं।

4.5 स्वच्छ स्ट्रीट फूड हब

4.5.1 एफ.एस.एस.ए.आई. 'स्वच्छ स्ट्रीट फूड हब' परियोजना के माध्यम से स्वस्थप्रद स्ट्रीट फूड और स्थानीय खाद्य संस्कृति को बढ़ावा दे रहा है जिसके अंतर्गत अंतर के विश्लेषण के लिए संपरीक्षण की एक प्रक्रिया,

स्वस्थप्रदता और स्वच्छता दशाओं के लिए विशिष्ट बेंच मार्क को पूरा करने के लिए सुधार के दिए गए सुझाव, विक्रेतायों के प्रशिक्षण, अंतिम संपरीक्षण और उसके पश्चात संपोषण के माध्यम से स्ट्रीट फूड वेंडरों के कलस्टरों का सत्यापन किया जा रहा है। ऐसे ' स्वच्छ स्ट्रीट फूड हब्स' से उपभोक्ताओं के बीच भरोसे का निर्माण होगा और वह बेझिझक सुरक्षित और स्वस्थप्रद, स्थानीय और क्षेत्रीय खानपान का आनंद ले सकेंगे जिससे भारतीय खाद्य संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। एफ.एस.एस.ए.आई. ने राज्य सरकार के निकायों के साथ मिलकर पूरे देश में फूड स्ट्रीट की विद्यमान अवसंरचनाओं का उन्नयन करने के लिए बेंचमार्क निर्धारित किए हैं। एफ.एस.एस.ए.आई. ऐसे फूड हब को 'स्वच्छ स्ट्रीट फूड हब' के रुप में मान्यता प्रदान करता है और प्रमाणित करता है जो इन मानकों और बेंचमार्को का अनुपालन करते हैं। इस प्रकार की ब्रांडिंग और प्रमाणन से स्ट्रीट फूड में उपभोक्ताओं का विश्वास उत्पन्न होगा। इस परियोजना में हितधारियों मे सरकारी निकाय, प्रशिक्षण अभिकरण, संपरीक्षण अभिकरण और निधियन साझेदार सम्मिलित हैं।

4.5.2 "स्वच्छ स्ट्रीट फूड हब के रुप में घोषणा" के लिए एक दिशा-निर्देश दस्तावेज तैयार किया गया है। इस पहल के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) इस दस्तावेज का एक भाग है। यह सक्रियण और कार्यान्वयन योजनाओं के साथ एक तत्काल परिकलक के रुप में कार्य करता है जिसे सहभागी राज्यों और निकायों द्वारा आसानी से अपनाया जा सकता है। इस शुरुआत के लिए एक समर्पित पोर्टल का विकास किया गया है।

4.5.3 13 जुलाई, 2018 को, एफ.एस.एस.ए.आई. ने देश में कांकरीया झील, अहमदाबाद (गुजरात) को प्रथम 'स्वच्छ स्ट्रीट फूड हब' के रुप में मान्यता प्रदान की है। 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार, आठ स्ट्रीट फूड कलस्टरों को 'स्वच्छ स्ट्रीट फूड हब' प्रमाणपत्र (गुजरात के 05, मध्य प्रदेश के 01 और महाराष्ट्र के 02) प्रदान किए गए हैं और इस प्रमाणन के लिए 62 की सिफारिश की गई है।

आकृति 8 स्वच्छ स्ट्रीट फूड हब के रुप में कांकरीया झील, अहमदाबाद को मान्यता प्रदान करने की झलकियां

4.6 एयरलाइन कैटरिंग

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एफ.एस.एस.ए.आई. की अध्यक्षता में 27 सितम्बर, 2018 को एफ.एस. एस.ए.आई. मुख्यालय में आयोजित एयर लाइन कैटरिंग में खाद्य सुरक्षा के बारे में बैठक आयोजित हुई थी। इस बैठक में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, एयरपोर्ट इकोनोमिक रेग्यूलेटरी अथारिटी, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय, डीआईएएल (दिल्ली) जैसे सरकारी निकायों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इस बैठक की अनुवर्ती कार्रवाई के रुप में, जेट एयरवेज ने अपनी उड़ान के दौरान मनोरंजन पत्रिका में एफ.एस. एस.ए.आई. की पहल पर एक पृष्ठ का विज्ञापन मुद्रित कराया है। विस्तारा ने खाद्य ट्रे के साथ झलकियों की

एक पुस्तिका के वितरण का अभियान चलाया था। इन झलकियों की पुस्तिकाओं में खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और खाद्य अपशिष्ट निवारण को बढ़ावा देने के लिए चार प्रमुख एफ.एस.एस.ए.आई. अभियान सम्मिलित थे।

4.7. उपयोग में लाए गए खाना पकाने के तेल का पुन:प्रयोजन - खाद्य मूल्य श्रृंखला में प्रयोग में लाए गए खाना पकाने के तेल के पुनः प्रवेश रोकने के लिए एफ.एस.एस.ए.आई. द्वारा एक शुरुआत

4.7.1 प्रयोग में लाए गए खाना पकाने के तेल (यूसीओ) की खपत से स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है क्योंकि तलने की क्रिया के दौरान पोलर यौगिकों का निर्माण होता है। ये यौगिक अन्य रोगों के साथ-साथ उच्च रक्त चाप, ऐथिरोस्क्लेरोसिस, अल्जाइमर मानसिक रोग और यकृत के रोग जैसी कई बिमारियों का कारण बनते हैं। इस समय, प्रयोग में लाए गए खाना पकाने के तेल का या तो पुनः उपयोग होता रहता है अथवा पर्यावरणीय दृष्टि से खतरनाक तरीके से निपटान किया जाता है जिससे नालियां और सीवरेज प्रणाली अवरुद्ध हो जाती है। यह भी देखा गया है कि संगठित खाद्य कारोबारियों (एफबीओ) से यूसीओ छोटे जलपान गृह / ढाबों और सड़क के किनारे बैठे वेंडरों तक पहुंच जाता है।

4.7.2 एफ.एस.एस.ए.आई. ने कुल ध्रुवीय यौगिकों (टीपीसी) की अधिकतम 25% की सीमा अधिसूचित की है इस सीमा के पश्चात वनस्पति तेल उपयोग करने के लिए उपयुक्त नहीं होता है। ये मानक पहली जुलाई, 2018 से लागू हैं। ऐसे खाद्य कारोबारियों, जिसकी प्रति दिन खाना पकाने के तेल की खपत 50 लीटर से अधिक है, को एक आदेश जारी किया गया है जिसमें उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि वे यूसीओ निपटान का रिकार्ड अनिवार्य रुप से रखें।

4.7.3 एफ.एस.एस.ए.आई. यूसीओ को खाद्यमूल्य श्रृंखला से विपथित करने और विद्यमान अवैध पद्धतियों को रोकने के लिए एक शैक्षिक, प्रवर्तन और पारिस्थितिकी प्रणाली (ईईई) कार्यनीति का कार्यान्वयन कर रहा है। शिक्षा के मोर्चे पर दिशा-निर्देश दस्तावेज, उपभोक्ताओं के लिए सुझाव और पोस्टर छपवाए गए हैं। एफ.एस.एस.ए.आई. ने मानकीकृत परीक्षण की पद्धतियां जारी की हैं और खाद्य कारोबारी द्वारा यूसीओ का सुरक्षित प्रहस्तन एवं निपटान सुनिश्चित करने के लिए एक मानक प्रचालन प्रक्रिया का भी विकास किया है।

4.7.4 इस बात को मानते हुए कि यूसीओ बॉयोडीजल के लिए एक संभाव्य सामग्री है और इस आपूर्ति श्रृंखला तंत्र का महत्वपूर्ण साधन है, एफ.एस.एस.ए.आई. ने 10 अगस्त, 2018 को विश्व जैविक ईंधन दिवस के अवसर पर प्रयोग में लाए गए खाना पकाने के तेल के संग्रहण एवं जैविक डीजल में परिवर्तित करने में समर्थता हांसिल करने के लिए आरयूसीओ-प्रयोग में लाए गए खाना पकाने के तेल के पुन:प्रयोजन की शुरुआत की है। एक माइक्रोसाइट भी शुरू की गई है जिसके द्वारा यूसीओ के संग्रहण और जैविक डीजल में परिवर्तन की प्रगति पर नजर रखी जा सकेगी।

4.7.5 आरयूसीओ से निम्नलिखित में मदद मिलेगी:

- यूसीओ के बुरे प्रभावों के निराकरण द्वारा स्वास्थ्यप्रद लाभ
- रोजगार के नए अवसर और आर्थिक विकास
- ग्रामीण क्षेत्रों में अवसंरचनात्मक निवेश
- कार्बन पदचिन्ह में कमी के साथ स्वच्छ पर्यावरण
- आयात निर्भरता में कमी (ताड़ वसा)

4.8 'फूड इंनोवेटर्स नेटवर्क' (एफआईएनई)

4.8.1 एफआईएनई

देश की खाद्य सुरक्षा और पोषण परिदृश्य के नूतन प्रकार का समाधान और उसमें परिवर्तन करने के लिए अन्वेषकों और स्टार्ट-अप उद्यमियों को एक साथ लाने के लिए एफ.एस.एस.ए.आई. ने 4 सितम्बर, 2018 को टीआईई, दिल्ली एनसीआर फूड एंड फूड सर्विसिस समिट 2018 के दौरान 'फूड इंनोवेटर्स नेटवर्क' (एफआईएनई) ' की शुरुआत की है। एफआईएनई 'स्टार्ट अप इंडिया' और 'डिजिटल इंडिया' के संबंध में सरकार की शुरुआत के अनुरुप है। एफ.एस.एस.ए.आई. ने एफआईएनई के साधन के माध्यम से संवहनीय और पहुंच योग्य खाद्य परीक्षण, स्वास्थ्यप्रद खाद्य की उपलब्धता सुनिश्चित करना, पौषक रुचियों के प्रति उपभोक्ताओं को शिक्षित करना और खाद्य अपशिष्ट में कमी करना के क्षेत्र की चुनौतियों का समाधान करने में कार्यरत उद्यमियों के साथ मिलकर कार्य करेगा। यह श्रेष्ठ नूतनता, प्रौद्योगिकियों और व्यापारिक माडलों के माध्यम से इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए नूतन युग के समाधानों को कारगर ढंग से उपलब्ध कराने के लिए इन स्टार्ट-अप को परामर्श प्रदान करेगा। फोस्टेक प्लस पाठ्यक्रम जिसका शीर्षक है " फूड स्टार्ट-अप के लिए दिशा-निर्देश" की भी शिविर के दौरान शुरुआत की गई थी। यह पाठ्यक्रम इस क्षेत्र में स्टार्ट अप्स को प्रभावी प्रमुख विनियमों की आवश्यक जानकारी देता है। इसमें लाइसेंसिंग और पंजीकरण, लेबलिंग और पैकेजिंग, सुरक्षा, स्वस्थप्रद और स्वच्छता संबंधी अपेक्षाएं और इसके साथ-साथ एफएसएस अधिनियम के अनुसार अन्य सांविधिक और विनियामक अनुपालनों का विवरण दिया गया है।

4.8.2 एफआईएनई के महत्वपूर्ण संघटक हैं:

- फोस्टेक प्लस पाठ्यक्रम: यह खाद्य सुरक्षा पारिस्थितिकी प्रणाली (ईको सिस्टम), स्टार्ट-अप परिदृश्य और विनियात्मक अपेक्षाओं के बारे में स्टार्ट-अप्स को उन्मुख बनाने के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम है।
- एफ.एस.एस.ए.आई. मित्र कार्यक्रम: एफ.एस.एस.ए.आई. से प्रत्येक स्टार्ट-अप को एक मित्र उपलब्ध कराया जाता है ताकि विनियामकों की विभिन्न अपेक्षायों के मामले में उनका मार्ग निर्देशन किया जा सके।
- ईट राइट स्टार्ट-अप पुरस्कार: खाद्य सुरक्षा और पोषण के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने वाले खाद्य स्टार्ट-अप की पहचान करने और प्रोत्साहन देने के लिए इसकी स्थापना की गई है।
- माइक्रोसाइट : खाद्य स्टार्ट-अप के लिए उपलब्ध संसाधनों के पूल के साथ एक माइक्रोसाइट का सृजन किया गया है जिसमें सरकार की ऐसी योजनाओं की विस्तृत सूची सम्मिलित है, जिनसे वे लाभान्वित हो सकते हैं।(www.fssai.gov.in/fine).

4.9 एफ.एस.एस.ए.आई. - एएफएसटीआई खाद्य सुरक्षा पुरस्कार 2018

एफ.एस.एस.ए.आई. और खाद्य वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकीविद एसोसिएशन (भारत) ने खादय सुरक्षा के क्षेत्र में एफएसएसएआई-एएफएसटीआई पुरस्कार प्रदान करने की शुरुआत की है। ये पुरस्कार ऐसे व्यक्ति (यों) को प्रदान किए जाते हैं, जिन्होंने पुरस्कार वर्ष के लिए पूर्व के पांच वर्षो के दौरान अपने कार्या के माध्यम से खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान किया हो।

मैसूरु, कर्नाटक में आयोजित 8वें इफकोन के दौरान 12 दिसम्बर, 2018 को एफएसएसएआई-एएफएसटीआई खाद्य सुरक्षा पुरस्कार 2018 डा. एस. कांजी लाल प्रमुख वैज्ञानिक, सीएसआईआर-आईआईसीटी, हैदराबाद, डा. अंशु सिंह, वरिष्ठ व्याख्याता, होटल प्रबंधन, कैटरिंग और पोषण संस्थान और डा. एच.जी. कोशिया, खाद्य सुरक्षा आयुक्त, गुजरात को प्रदान किए गए।

अध्याय-5

जोखिम मूल्यांकन और अनुसंधान एवं विकास (आर.ए.आर.डी.)

5.1 देश के लिए एक खाद्य सुरक्षा विनियामक होने के कारण, एफ.एस.एस.ए.आई. पूरे देश में सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित करने और विनियमों एवं खाद्य सुरक्षा मानकों के विकास से संबंधित कार्यों को पूरी विशिष्टता के साथ करता है।

5.2 एफ.एस.एस.ए.आई. ने खाद्य खतरों की पहचान करने, विभिन्न खाद्य श्रृंखलायो में जोखिम में कमी लाने की कारगर पद्धतियों और तकनीकों का विकास करने और इसके साथ-साथ खाद्य सुरक्षा में नए उभरते मुद्दों की पहचान करने और उपयुक्त जोखिम प्रबंधन उपाय का अनुमान लगाने और उनका कार्यान्वयन करने के लिए जोखिम मूल्यांकन और अनुसंधान तथा विकास (आर.ए.आर.डी.) प्रभाग की स्थापना की है। इस प्रभाग के अंतर्गत किए जाने वाले महत्वपूर्ण कार्य इस प्रकार हैं :

आकृति 9 - आर.ए.आर.डी. के कार्यक्षेत्र में आने वाले महत्वपूर्ण कार्य

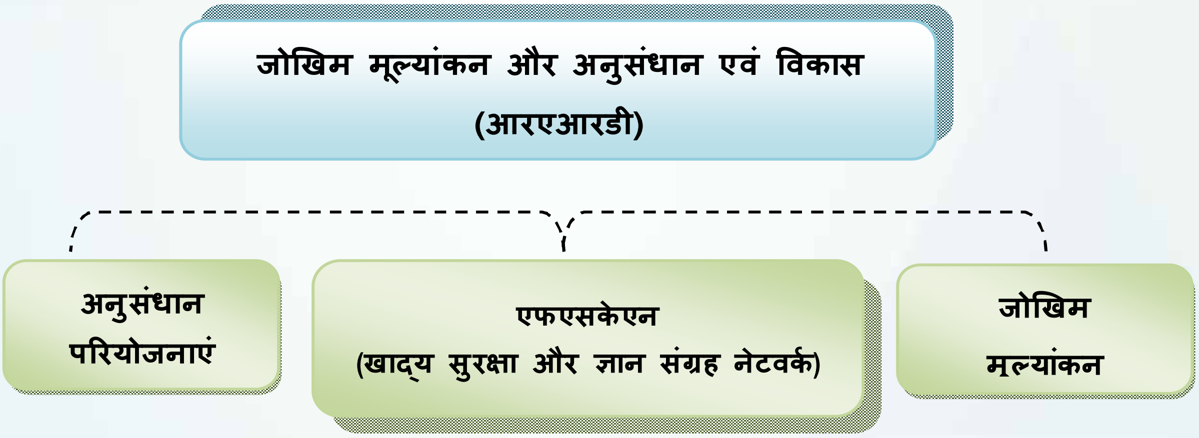

5.3 अनुसंधान परियोजनाएं

5.3.1 एफ.एस.एस.ए.आई. ने अनुसंधान और विकास की योजना के अंतर्गत अनुसंधान और विकास परियोजनाएं प्रस्तुत करने और सहायता हेतु अनुदान प्रदान करने के लिए एक तंत्र का निर्माण किया है। परियोजना प्रस्तावों के चयन से संबंधित मानदण्ड प्रमुख रुप से निम्नलिखित बातों पर आधारित हैं:

- परियोजना की प्रासंगिकता एफ.एस.एस.ए.आई. को प्राप्त कार्यादेश के अनुसार हो
- खाद्य सुरक्षा से संबंधित उभरने वाली मुद्दे

5.3.2 31 मार्च, 2019 तक, एफ.एस.एस.ए.आई. ने 20 संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है, जिसमें से पांच को पूरा कर लिया गया है और 15 परियोजनाओं के संबंध में प्रगति का कार्य विभिन्न चरणों में है। इन परियोजनाओं से नए मानकों का विकास करने, मौजूदा मानकों के उन्नयन और

नवीन विश्लेषणात्मक पद्धतियों का विकास करने में मदद मिलेगी।

5.3.3 चल रही और पूरी की गई अनुसंधान और विकास परियोजनाओं की सूची सारणी 10 और 11 में दी गई है।

5.3.4 मूल्यांकन और मॉनिटरिंग समिति

चल रहे अनुसंधान प्रस्तावों की पुनरीक्षा करने और नई परियोजनाओं के प्रस्तावों की पुनरीक्षा करने के लिए मूल्यांकन और मॉनिटरिंग समिति की छठी बैठक 29 मार्च, 2019 को आयोजित हुई थी। इस समिति द्वारा निधियन के लिए एक प्रस्ताव अर्थात ताजी पकड़ी गई फिनफिश और शैलफिश प्रजातियों की मछलियों में फोरमलडीहाइड के प्राकृतिक स्तर से संबंधित परियोजना के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

5.4 एफ.एस.के.ए.एन (खाद्य सुरक्षा और ज्ञान समामेलन तंत्र)

5.4.1 एफ.एस.एस.ए.आई ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम की धारा 16(3)(ङ) के अधिदेश के अंतर्गत एफ.एस.के.ए.एन की स्थापना की है, जिसका उद्देश्य गतिविधियों के समन्वय, संयुक्त परियोजनाओं के क्रियान्वयन और खाद्य प्राधिकरण के दायित्वों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में उपलब्ध विशेषज्ञता और उत्तम पद्धतियों व सूचना के आदान-प्रदान द्वारा वैज्ञानिक सहयोग के एक ढाँचे को सहज रूप से आगे बढ़ाना है।

एफ.एस.के.ए.एन के मुख्य घटक हैं:

- खाद्य प्राधिकरण के दायित्वों के अंतर्गत क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा के उभरते मुद्दों और उदीयमान उत्तम रीतियों का वैज्ञानिक विशेषज्ञों (राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर) के पास उपलब्ध सूचना का समामेलन।
- ऐसी संयुक्त परियोजनाएँ (पुल एंड पुश टाइप) बनाना और उनका क्रियान्वयन करना, जहां खाद्य सुरक्षा के जोखिम आकलन में कमियाँ या अनिश्चितताएँ हैं।

आकृति 10 - एफ.एस.के.ए एन. की महत्वपूर्ण विशेषताएं

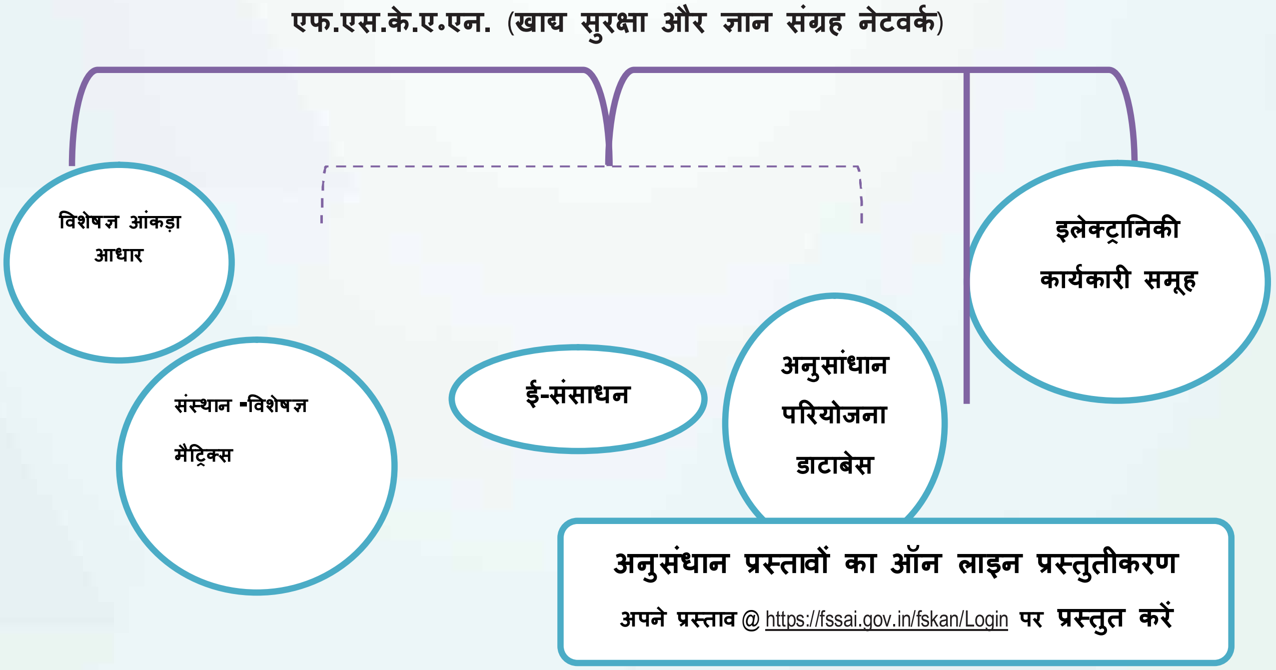

5.4.2 एफ.एस.के.एन. पोर्टल की निम्नलिखित मुख्य विशेषताएं हैं -

1. विशेषज्ञ डैटाबेस : एफ.एस.एस.ए.आई ने पंजीकरण की ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से विभिन्न खाद्य श्रेणियों के 450 से अधिक विशेषज्ञों को पंजीकृत किया है और इसमें और आगे परिवर्धन किया जा रहा है। यह खाद्य सुरक्षा, स्वच्छता और खाद्य पोषण के क्षेत्र में विशेषज्ञों का एक 'डोमेन भंडार' है और मानक निर्धारण की प्रक्रिया, जोखिम आकलन, खाद्य सुरक्षा के महत्वपूर्ण मुद्दों पर नीतिगत निर्णय लेने इत्यादि के प्रयोजन से वैज्ञानिक पैनलों और समिति के लिए वैज्ञानिक राय देने का काम करेगा।

2. संस्था-विशेषज्ञ मैट्रिक्स: एफ.एस.एस.ए.आई खाद्य क्षेत्र में विज्ञान आधारित अनुसंधान में रत प्रमुख संस्थाओं/संगठनों/राज्यों के कृषि विश्वविद्यालयों इत्यादि के साथ सहयोग करती है।

3. ई-संसाधन: यह खाद्य सुरक्षा, स्वच्छता और पोषण से संबंधित ई-जर्नलों, ई-पुस्तिकाओं, प्रमुख अनुसंधान प्रलेखों और लेखों का संग्रहण है। एफ.एस.के.ए.एन के साथ पंजीकृत सदस्य/विशेषज्ञ खाद्य सुरक्षा से संबंधित आधिकारिक, सही, वर्तमान, उद्देश्यपरक संदर्भ सामग्री प्राप्त कर सकते हैं।

4. अनुसंधान परियोजना डैटाबेस: इसमें विभिन्न अनुसंधान संस्थाओं के सहयोग से क्रियान्वित खाद्य सुरक्षा और मानकों से संबंधित पूर्ण और चालू अनुसंधान परियोजनाओं का विवरण है।

5. अनुसंधान प्रस्तावों का ऑनलाइन प्रस्तुतीकरण: इस पोर्टल में अनुसंधान प्रस्तावों का दिशा-निर्देशों के अनुसार ऑनलाइन पंजीकरण और प्रस्तुतीकरण के लिए प्रयोक्ता-सुविधापूर्ण प्रणाली है। ऑनलाइन पंजीकरण नए अनुसंधानकर्ता के लिए एकबारगी प्रक्रिया है और पंजीकृत हो जाने के बाद मुख्य अनुसंधानकर्ता अपने प्रस्ताव की स्थिति जानने के लिए लॉग-इन आईडी और पासवर्ड से इस पोर्टल का उपयोग कर सकता है।

5.5 जोखिम आकलन कक्ष

5.5.1 खाद्य सुरक्षा के ढाँचे में सुधार करने के लिए एफ.एस.एस.ए.आई ने 23 फरवरी, 2016 को जोखिम आकलन कक्ष (आर.ए.सी) स्थापित किया है। इस कक्ष के उद्देश्य हैं:

1. निगरानी डैटा के संग्रहण, संसाधन और विश्लेषण के माध्यम से जोखिम आकलन का आधारभूत कार्य करना और विश्लेषण रिपोर्ट तैयार करना।

2. खाद्य सुरक्षा मामलों के संबंध में वैज्ञानिक राय देने के लिए वैज्ञानिक पैनलों और वैज्ञानिक समिति को इनपुट देना।

3. अभिज्ञात विषय क्षेत्र संबंधी क्षेत्रों में वैज्ञानिक और तकनीकी सहायता के लिए उत्कृष्टता केन्द्रों/नोडल संस्थानों का उपयोग।

4. जोखिम प्रबंधकों और अन्य हितधारकों को वैज्ञानिक पैनलों और वैज्ञानिक समिति के जोखिम आकलन परिणामों को सूचित करना।

5. खाद्य और जल में आविषालु रसायनों की सांद्रता, अथवा रोगजनक सूक्ष्म जीवाणुओं के लिए ऊर्ध्वज और क्षैतिज मानक निर्धारण में समन्वयन करना।

5.6 खाद्य सुरक्षा और व्यवहृत पोषण (एफएसएएन) अनुसंधान एवं विकास नेटवर्क :

वैज्ञानिक सहयोग के माध्यम से जोखिम मूल्यांकन कक्ष को सहायता प्रदान करने के लिए, एफ.एस.

एस.ए.आई., खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम, 2006 की धारा 16 (3)(ड़) के अंतर्गत एफ.एस.एस.ए.आई. को सौंपे गए कार्यादेशों के अनुसार और आर॰ ए. सी के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत, तीन विभिन्न खाद्य सुरक्षा डोमेन अर्थात जैविक खतरों, घटक और रसायनों, पोषण सुरक्षा और प्रतिरक्षा के लिए विभिन्न अनुसंधान संस्थानों और संगठनों के एक वैज्ञानिक नेटवर्क (खाद्य सुरक्षा और व्यवहृत पोषण अनुसंधान एवं विकास नेटवर्क) की स्थापना/विकास कर रहा है।

वैज्ञानिक नेटवर्क का प्रयोजन सहभागिता करने वालों के आपस में संचार में सुधार करना है जिससे गतिविधियों को दोहराने जैसी बातों में कमी आएगी और परिणामस्वरुप विचारों के विपथन से बचा जा सकेगा। यह नेटवर्क मूल्यांकन पद्धतियों के सामंजस्य के लिए और संबंधित क्षेत्र में उभरने वाले संभावित जोखिमों में सहायता करने के लिए आंकड़ों और पद्धतियों को शेयर करने के लिए लाभदायी व्यवस्था है।

5.7 27 अप्रैल, 2018 को आयोजित खाद्य जन्य रोगों को कम करने के संबंध में एफएसएसएआई-सीएचआईएफएसएस गोलमेज सम्मेलन : निगरानी क्षमता और महामारी विज्ञान अन्वेषण का सुदृढ़ीकरण

सीएचआईएफएसएस सहयोग के अंतर्गत 27 अप्रैल, 2018 को "खाद्य जन्य रोगों को कम करने के संबंध में एफ.एस.एस.ए.आई.-सीएचआईएफएसएस गोलमेज सम्मेलन : निगरानी क्षमता और महामारी विज्ञान अन्वेषण का सुदृढ़ीकरण" पर एक तकनीकी कार्यशाला आयोजित की गई थी। इस कार्यशाला का उद्देश्य सभी हितधारियों को एक साथ लाना था, जिसमें विनियामक, अनुसंधान संस्थान, उद्योग, शिक्षण संस्थान, वैश्विक विकास निकाय, जन संदेश अभिकरण और संबंधित हितधारी सम्मिलित हैं, जो निगरानी में सुधार करने, महामारी पर क्रियात्मक कार्यवाई और महत्वपूर्ण आंकड़े एकत्र करने की कार्य विधि तैयार करने के कार्य में सहयोग दे सकें जिससे प्राथमिकताएं तय करने और भारत में खाद्य जनित बीमारियों से निपटने में सहायता मिलेगी। इन कार्यों में विशेष ध्यान निम्न बातों पर केन्द्रित किया जाएगा :

क) पैथोजन विद्यमानता (खाद्य पदार्थों में) और रोग बोझ (निगरानी और रिपोर्टिंग) की समझ

ख) महामारी ज्ञान और अन्वेषणों का सुदृढ़ीकरण - पैथेजन अंतर्दृष्टि और पैथोजन खाद्य मानक संपर्क की समझ

ग) रोगों के नियंत्रण उपाय, प्राथमिकता और सूचना शेयर/नेटवर्किंग तंत्र/मंच (जिसमें प्रयोगशाला की क्षमता में वृद्धि करना और उनके संपर्क-सूत्र सम्मिलित हैं)

5.8 "खाद्य सुरक्षा मूल्यांकन - नवीन संघटक और योज्यक" विषय पर 22 जून, 2018 को आयोजित एफ.एस.एस.ए.आई. - आईआईटीआर- सीएचआईएफएसएस तकनीकी कार्यशाला

सीएचआईएफएसएस ने एफ.एस.एस.ए.आई. की साझेदारी में, "खाद्य सुरक्षा मूल्यांकन- नवीन संघटक और योज्यकों" के संबंध में एक तकनीकी कार्यशाला आयोजित की, जिसका उद्देश्य ऐसे वैज्ञानिक सिद्धांतों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए नूतन संघटकों और योज्यकों के खाद्य सुरक्षा मूल्यांकनों (प्रकटन और जोखिम मूल्यांकन ध्यान केन्द्रित) के संबंध में क्षमता निर्माण में वृद्धि करना है, जिससे विनियामक संदर्भ और साथ ही वैज्ञानिक क्षमता विकास को समझने में मदद मिलेगी।

5.9 "खाद्य योज्यकों : सुरक्षा मूल्यांकन और उपयोग के संबंध में वैश्विक संदर्भ" पर एक दो दिवसीय संगोष्ठी

खाद्य योज्यकों की सुरक्षा के बारे में चिन्ताओं को दूर करने के लिए तथा उनके प्राप्त होने वाले फायदों का मूल्यांकन करने के लिए, 19-20 जुलाई, 2018 को संयुक्त राज्य अमेरिका कृषि विभाग और आईएलएसआई - भारत के सहयोग से एफ.एस.एस.ए.आई. में "खाद्य योज्यकों : सुरक्षा मूल्यांकन और उपयोग के संबंध में वैश्विक संदर्भ" विषय पर एक दो-दिवसीय संगोष्ठी आयोजित की गई थी। इसमें हुए विचार-विमर्श में

सुरक्षा मूल्यांकन के लिए विज्ञान आधारित दृष्टिकोणों : संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत में खाद्य योज्यकों के अनुमोदन के लिए प्रक्रियाओं, खाद्य योज्यकों के संबंध में मामला अध्ययन, खाद्य योज्यक विनियमों के विकास में महत्वपूर्ण विचारों, निगरानी तंत्र और लेबलिंग पर ध्यान केन्द्रित किया गया था।

5.10 अल्पावधि मिशन (एस टी एम)

खाने के लिए तैयार (रेडी टू ईट) खाद्य के लिए भारत में जोखिम मूल्यांकन प्रक्रियाओं और पद्धतियों का विकास करने के उद्देश्य से "सुरक्षित खाद्य के लिए बेहतर प्रशिक्षण (बीटीएसएफ)" यूरोपीय यूनियन (ईयू) के साथ अल्पावधि मिशन (एसटीएम) 12-16 नवम्बर, 2018 तक एफ.एस.एस.ए.आई. में आयोजित किया गया था। डा. कोस्टास कोटत्यूनामिस खाद्य सूक्ष्म जैव एवं स्वच्छता प्रयोगशाला के प्रधान, एरिसटोटल यूनिवर्सिटी आफ दिस्सालोनीकि, ग्रीक और यूरोपियन फूड सेफ्टी अथारिटी (ईएफएसएस) के बायोहजार्ड पेनल के चेयर ने इस मिशन की अध्यक्षता की और जोखिम मूल्यांकन प्रक्रियाओं और ईएफएसए/ईयू में संबंधित मामला अध्ययनों के संबंध में विचार व्यक्त किए। वर्ष 2019-20 के दौरान इस प्रकार के दो और एसटीएम में प्रदर्शन मूल्यांकन में भविष्य सूचक सूक्ष्म जैव साफट्वेयर के प्रयोग के संबंध में व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए भी सत्र भी सम्मिलित करने का प्रस्ताव किया गया है।

सारणी 10 - चल रही परियोजनाओं की सूची

क्र सं0	परियोजना शीर्षक	संगठन का नाम	स्वीकृत बजट
1	भारत के प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों में एक्रिलेमाइड, तापजनित खाद्य विष की उपस्थिती : न्यूनीकरण कार्यनीति और स्वास्थ्य जोखिम	सी एस आई आर – राष्ट्रीय अंतर विषय वैज्ञानिक और प्रोद्योगिक संस्थान, तिरुवनन्तपुरम	27.68 लाख रुपए
2	सोयाबीन में कुनिट्ज ट्रिप्सिन इनहिबिटर एंड फाइटिक एसिड :भारत में अनुमान की विभिन्न पद्धतियों का मूल्यांकन और वाणिज्यिक किस्मों की प्रोफाइलिंग, प्रोमाइजिंग जर्मप्लाज्म और सोया-आधारित उत्पाद	आई सी ए आर –भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान, इंदौर	37.80 लाख रुपए
3	सिट्रस फलों के खाद्य उद्योग में प्रभावी उपयोग के लिए उनके फंक्शनल घटक और एंटी ऑक्सीडैंट विश्लेषण	आई सी ए आर –केन्द्रीय सिट्रस अनुसंधान संस्थान, नागपुर	35.84 लाख रुपए
4	तलाई के समय वनस्पति तेलों की गुणता का मूल्यांकन और बार-बार तलाई के लिए तले तेलों के सुरक्षा संबंधी दिशा-निर्देशों का निर्धारण	सी एस आई आर –भारतीय रासायनिक प्रोद्योगिक संस्थान, हैदराबाद	22.92 लाख रुपए
5	रासायनिक संघटन में और कृत्रिम राइपनरों के अवशिष्टों में परिवर्तन की पहचान के लिए विभिन्न कृत्रिम राइपनरों से कृत्रिम रूप से पकाए गए फलों का तुलनात्मक अध्ययन	सी एस आई आर –भारतीय रासायनिक प्रोद्योगिक संस्थान, हैदराबाद	37.16 लाख रुपए

क्र सं0	परियोजना शीर्षक	संगठन का नाम	स्वीकृत बजट
6	मांस में सस्ते मांस के अपमिश्रण की जाँच के लिए प्रजाति की पहचान	आई सी ए आर-राष्ट्रीय मांस अनुसंधान केंद्र हैदराबाद	40.50 लाख रुपए
7	विभिन्न क्षेत्रों के खाद्य वनस्पति तेलों में पेस्टीसाइड अवशिष्टों और धातु संदूषकों पर डैटा जनन	सी.एस.आई.आर- भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद	29.12 लाख रुपए
8	ट्राइग्लिसराइड संरचना, फैटी एसिड संघटन और लघु संघटकों के आधारपर सम्मिश्र, इंटरएस्टरीकृत और अपमिश्रित तेलों में तेलों की पहचान और मात्रा ज्ञात करने की नवीन पद्धतियों का विकास	लिपिड अनुसंधान केंद्र, सी.एस. आई.आर-भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद	26.16 लाख रुपए
9	खाद्य सुरक्षा और गुणता आश्वासन के लिए मत्स्य खाद्य प्रामणीकरण के लिए मानक प्रोटोकाल और आण्विक साधनों का विकास	आई सी ए आर –केन्द्रीय अंतहदेशीय मत्स्या अनुसंधान संस्थान, बरक्पोर	29.12 लाख रुपए
10	अंगूर के आम प्रसंस्कृत उत्पादों की पोषण गुणता और सुरक्षा मूल्यांकन	आई सी ए आर –राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र, पुणे	30.74 लाख रुपए
11	बाजार में उपलब्ध विभिन्न भेषज् उत्पादों में संदूषण और प्रतिस्थापन ज्ञात करने के लिए डी.एन.ए बार-कोडिंग का अनुप्रयोग	सी एस आई आर- पूर्वोत्तर विज्ञान एवं प्रोद्योगिक संस्थान, जोरहाट	50 लाख रुपए
12	गाय के दूध को छोड़कर गोवंशीय दूध में वसा की शुद्धता ज्ञात करने के लिए आईएसओ 17678:2010 में विहित जी.सी विश्लेषण पद्धतिका मान्यन और मानकीकरण	राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, करनाल	31.64 लाख रुपए
13.	वनस्पतियों में धातु संदूषकों (लोहा,लैड, तांबा, केडमियम, क्रोमियम, अभ्रक, निकल और जिंक) के उत्पन्न होने के संबंध में बेसलाइन आंकड़ों का जनन का अध्ययन	सहयोगात्मक परियोजनाएं : 1) निर्यात निरीक्षण अभिकरण,नई दिल्ली 2) पंजाब जैव प्रौद्योगिकी इंकूबेटर, मोहाली 3) निर्यात निरीक्षण अभिकरण (ईआईए) - कोलकाता प्रयोगशाला 4) ईआईए - मुम्बई प्रयोगशाला 5) ईआईए - चैन्नई प्रयोगशाला 6) कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, रायचुर	99 लाख रुपए

क्र सं0	परियोजना शीर्षक	संगठन का नाम	स्वीकृत बजट
14.	प्रसंस्कृत मांस में कारसिनोजेनिक और म्यूटाजेनिक योजकों का आंकलन	राष्ट्रीय मांस अनुसंधान केन्द्र,हैदराबाद	50 लाख रुपए
15.	भारतीय समुद्रतट के साथ फिनफिश और शैलफिश प्रजातियों में भारी धातु की निगरानी और संभव न्यूनीकरण उपाय	आईसीएआर - केन्द्रीय मत्स्य प्रौद्योगिकी संस्थांन, कोचि	50 लाख रुपए

सारणी 11 - पूर्ण परियोजनाओं की सूची

क्रम सं0	परियोजना शीर्षक	संगठन का नाम	स्वीकृत बजट (लाख रुपयों में)
1	मानव स्वास्थ्य पर खेसारी दाल के पूर्ण प्रभाव का आकलन	राष्ट्रीय पोषण पोषण संस्थान्, हैदराबाद	3.50 लाख रुपए
2	बकरियों में प्रायोगिक तंत्रिकात्रिपुट रोग	राष्ट्रीय पोषण संस्थान्, हैदराबाद	45.21 लाख रुपए
3	भारत में प्रसंस्कृत और गैर प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के उपभोग का आकलन	राष्ट्रीय पोषण संस्थान्, हैदराबाद	1.73 लाख रुपए
4	मत्स्य और मत्स्य उत्पादों में पेस्टीसाइडों और प्रतिजैविकों के अवशिष्ट परियोजना एम.आर.एल निर्धारण ढांचे का विकास	आई.सी.ए.आर - केंद्रीय मत्स्य प्रौद्योगिकी संस्थान, कोच्ची	1.50 लाख रुपए
5	ताजे /डिब्बाबंद/बोतलबंद कच्चे नारियल के पानी में रासायनिक संदूषकों का आकलन	खाद्य एवं औषध आविष विज्ञान अनुसंधान केन्द्र, राष्ट्रीय पोषण संस्थान (आईसीएमआर), हैदराबाद	14.09 लाख रुपए

अध्याय-6

खाद्य आयात

6.1 एफ.एस.एस.ए.आई. को खाद्य के आयात का विनियमन करने और यह सुनिश्चित करने का कार्यादेश प्राप्त है कि खाद्य मानव उपयोग के लिए सुरक्षित हैं तथा स्वास्थ्यकर हैं। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 25 के अनुसार, खाद्य सामग्रियों के सभी आयात पर अधिनियम के प्रावधान लागू होते हैं। इसमें यह प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति भारत में कोई खाद्य सामग्री अधिनियम अथवा उसके अंतर्गत बने किसी नियम अथवा विनियम के उल्लंघन में आयात नहीं करेगा। खाद्य प्राधिकरण ने 9 मार्च, 2017 को एफएसएस (आयात) विनियम, 2017 अधिसूचित किया है।

6.2 एफ.एस.एस.ए.आई. और कस्टम के माध्यम से खाद्य आयात निर्मुक्ति

6.2.1 एफ.एस.एस.ए.आई. के 6 स्थानों अर्थात चैन्नई, कोलकाता, मुम्बई, दिल्ली, कोच्चि और तूतीकोरिन में इसके प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त हैं जिनके अंतर्गत प्रवेश के 21 स्थल आते हैं और इसकी अपनी खाद्य आयात निर्मुक्ति प्रणाली (एफआईसीएस) है जोकि एक ऑनलाइन प्रणाली है और जो स्विफ्ट (व्यापार के सरलीकरण के लिए एकल खिड़की इंटरफेस) के अंतर्गत कस्टम आईस-गेट (भारतीय कस्टम इलैक्ट्रानिक वाणिज्य/इलैक्ट्रानिक डाटा इंटरचेंज (ईसी/ईडीआई) गेटवे) के साथ एकीकृत हैं। एफआईसीएस के भाग के रुप में सभी निर्मुक्ति उप-प्रक्रियाएं इलैक्ट्रानिक तरीके से संपन्न की जाती हैं, जिसमें दस्तावेज की जांच, नमूना लेने, शुल्क का भुगतान, नमूनों का परीक्षण और अंतिम निर्मुक्ति सम्मिलित है।

6.2.2 जोखिम प्रबंधन प्रणाली (आरएमएस)

खाद्य सुरक्षा और मानक (आयात) विनियम, 2017 में एफ.एस.एस.ए.आई. द्वारा निर्धारित जोखिम प्रोफाइल और पैरामीटरों के आधार पर खाद्य वस्तुओं के चुनिन्दा नमूने लेने और परीक्षण करने के लिए प्रावधान किया गया है। तद्नुसार, खाद्य के नमूना लेने के लिए एकीकृत जोखिम प्रबंधन प्रणाली प्रारंभ की गई है। कस्टम विभाग, खाद्य वस्तुओं की जोखिम श्रेणी, आयातकों के अनुपालन इतिहास और मूल देश आदि जैसे मानदंडों के संदर्भ में एफ.एस.एस.ए.आई. के परामर्श से कस्टम के आईस-गेट के माध्यम से जोखिम प्रबंधन प्रणाली (आरएमएस) का कार्यान्वयन करता है। आरएमएस स्व-अनुपालक आयातकों को प्रोत्साहित और पुरस्कृत करता है। कम जोखिम वाले खाद्य पदार्थों के मामले में, 5% यादृच्छिक चयन किया जाता है बशर्ते उसी आयातक द्वारा आयातित उसी उत्पाद के लगातार पूर्व में किए गए पांच बार के संप्रेषणों में एफएसएस विनियमों का अनुपालन किया गया हो। उच्च जोखिम मदों के मामले में, यदि उसी आयातक द्वारा आयातित पांच निरन्तर संप्रेषणों में एफएसएस विनियमों का पालन किया गया है तो उसी आयातक के आयातित उन्हीं वस्तुओं के अगले 20 संप्रेषणों के केवल 25 % नमूने ही लिए जाते हैं। इसके बाद, यदि यह नमूने मानकों पर खरे उतरते हैं तो उच्च जोखिम वस्तुओं के बावजूद भी उसी आयातक द्वारा आयात की गई उसी वस्तु के भावी संप्रेषणों के केवल 5% नमूने ही लिए जाएंगे। एकीकृत जोखिम प्रबंधन प्रणाली से आयातकों के निर्मुक्ति के समय को कम करने में मदद मिली है।

6.2.3 आयातित खाद्य संप्रेषणों की निर्मुक्ति और खाद्य उत्पादों के आयात के सरलीकरण के लिए वर्ष के दौरान उठाए गए कदम:

ऐसी खाद्य वस्तुएं, जो कस्टम प्राधिकारियों द्वारा एफ.एस.एस.ए.आई. को उन छः अवस्थानों, जहां एफ.एस.एस.ए.आई. विद्यमान है, पर निर्मुक्ति के लिए अग्रेषित की जाती हैं, उनके संबंध में दस्तावेज की जांच की

जाती है, दृष्टव्य निरीक्षण किया जाता है, नमूने लिए जाते हैं और परीक्षण किया जाता है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि वे विभिन्न खाद्य सुरक्षा और मानक विनियमों के अंतर्गत स्थापित सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों के अनुरुप हैं अथवा नहीं। यदि नमूनों को अनुरुप पाया जाता है तो अनापत्ति प्रमाण पत्र जनित्र हो जाता है और अनुरुप न पाए जाने की स्थिति में गैर-अनुपालन रिपोर्ट जनित्र होती है। इसके अतिरिक्त, 396 अवस्थानों (विमान पत्तनों/बंदरगाहों/आईसीडी/एलसीएस)के कस्टम अधिकारियों (अधीक्षक/मूल्यांकक/निरीक्षक/परीक्षक) को एफएसएस विनियमों के अनुसार खाद्य निर्मुक्ति के लिए प्राधिकृत अधिकारी के रुप में अधिसूचित किया गया है, जिससे व्यापार का सरलीकरण हुआ है।

6.2.4 इसके अतिरिक्त, आयातित ऐसे खाद्य पदार्थों के लिए एफ.एस.एस.ए.आई. द्वारा अनन्तिम अनापत्ति प्रमाण पत्र (पीएनओसी) जारी किए जाते हैं जिनकी सुरक्षित रहने की अवधि बहुत ही कम होती है (7 दिन से भी कम) जैसे ताजे फल, सब्जियां आदि जिनके लिए विशेष भण्डारण दशाओं (तापमान) की आवश्यकता होती है। पीएनओसी के साथ कोई आयातक परीक्षण के परिणामों के आधार पर अंतिम रुप से निर्मुक्ति किए जाने से पहले प्रयोगशाला के परीक्षण परिणामों के प्राप्त होने तक आयातित खाद्य संप्रेषणों को भलीभांति सुसज्जित भण्डारण सुविधा में भेज सकता है। व्यापार के सरलीकरण के लिए, पीएनओसी सुविधा आयातित पैकेज-बंद पूर्व खुदरा खाद्य उत्पादों के लिए पहली मई, 2018 से शुरू की गयी है जिससे विलम्ब शुल्क कम करने में मदद मिलेगी।

6.2.5 खाद्य नमूनों के परीक्षण के लिए पूरे देश में एफ.एस.एस.ए.आई. की 175 एनएबीएल प्रमाणन प्रयोगशालाओं और 18 रेफरल प्रयोगशालाओं को अधिसूचित कराया है। इनका उपयोग आयातित खाद्य नमूनों के परीक्षण के लिए भी किया जाता है। आयातित खाद्य संप्रेषणों के खाद्य नमूनों के परीक्षण के लिए पूरे देश में पत्तनों/प्रवेश स्थलों के समीप 56 प्रयोगशालाओं की पहचान की गई है। प्रयोगशालाओं में परीक्षण के कार्य में लगने वाले समय की भी लगातार निगरानी की जा रही है जोकि इस समय सामान्यतया 3-5 दिन होती है।

6.2.6 इसके अलावा, एफ.एस.एस.ए.आई. ने आयातित खाद्य नूमनों के पूर्व परीक्षण के लिए थिम्पू (भूटान) और ढाका (बांग्लादेश) स्थित खाद्य प्रयोगशालाओं को मान्यता प्रदान की है। उनके द्वारा जारी परीक्षण विश्लेषण प्रमाण पत्रों को खाद्य आयात निर्मुक्ति के लिए स्वीकार किया जाता है।

6.2.7 जन्मजात मेटाबोलिज्म की त्रुटियों और जानलेवा बीमारी की दशाओं से जूझ रहे बच्चों के लिए विशेष चिकित्सा प्रयोजनों के लिए खाद्य के आयात के लिए 2 नवंबर 2018 से छः महीने की और अवधि अथवा उनके संबंध में मानकों के अधिसूचित होने तक, जो भी पहले हो, अनुमति प्रदान की गई है।

6.2.8 एफ.एस.एस.ए.आई. ने सभी आयातित खाद्य उत्पादों के संप्रेषणों के गैर-अनुपालन की स्थिति दर्शाने के लिए खाद्य आयात अस्वीकरन चेतावनी (फ़ीरा) पोर्टल का विकास किया है और इसे 31 अक्तूबर, 2018 से प्रचालनात्मक बनाया गया है। एफ.एस.एस.ए.आई. के प्राधिकृत अधिकारी, और प्राधिकृत अधिकारियों के रुप में कार्य कर रहे कस्टम अधिकारी अपने-अपने पत्तनों में स्थित अस्वीकृत खाद्य संप्रेषणों का ब्यौरा इस फ़ीरा पोर्टल में उपलब्ध कराते हैं जिसे अपीलों की समिति के निर्णय, जैसाकि प्रयोज्य हो, के आधार पर जांच के पश्चात अस्वीकृत /चेतावनी के रुप में पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाता है जिसे कि जनता द्वारा भी देखे जाने के लिए उपलब्ध कराया जाता है। फ़ीरा पोर्टल में अस्वीकृत किए गए संप्रेषणों का ब्यौरा दिया जाता है, जिसमें उत्पाद, आयातक और निर्यातक, मूल देश, अस्वीकृत किए जाने के विवरण आदि सम्मिलित होते हैं। इससे उत्पाद, पैकेजिंग, लेबलिंग आदि के बारे में अनुपालन किए जाने वाले आवश्यक मानकों के संबंध में निर्यातक देश अथवा निर्यातक को सूचना प्राप्त करने में मदद मिलेगी। अधिकारी/जनता अस्वीकरण के कारणों और चेतावनी के लिए कारणों, यदि कोई हो, के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए देश-वार खाद्य आयात अस्वीकरण की स्थिति देख सकते हैं ताकि प्रभावित होने वाले देश उपयुक्त निर्णय ले सके।

6.2.9 एफएसएस (एल्कोहोलिक पेय) विनियम, 2018 के विनियम 5.12 के अनुसार अपेक्षित लेबलिंग सूचना को आयातित एल्कोहल संप्रेषणों के लिए ठीक करने के लिए अनुमति प्रदान की गई हे।

6.3 आयातित खाद्य वस्तुओं के संबंध में व्यापार डाटा : एक दृष्टि

6.3.1 2018-19 की अवधि के लिए खाद्य आयात निर्मुक्ति प्रणाली (एफआईसीएस) में उपलब्ध डाटा के अनुसार, भारत में जिन प्रमुख खाद्य वस्तुओं का आयात किया जा रहा है, वे हैं : तेल और वसा, सब्जियां, फल और गिरियाँ, काफी, चाय, मेट, मसाले, पेय पदार्थ, अनाज, शर्करा, शर्करा मिष्ठान्न। भारत को खाद्य वस्तुओं का आयात करने वाले देशों में प्रमुख हैं: इण्डोनेशिया, उक्रेन, म्यांमार, मलेशिया, संयुक्त राज्य अमरीका, कनाडा, अर्जेंटीना, मोजाम्बिक, रूस और ब्राजील।

आकृति 11 - भारत को निर्यात करने वाले प्रमुख 10 देशों की सूची (2018-19)

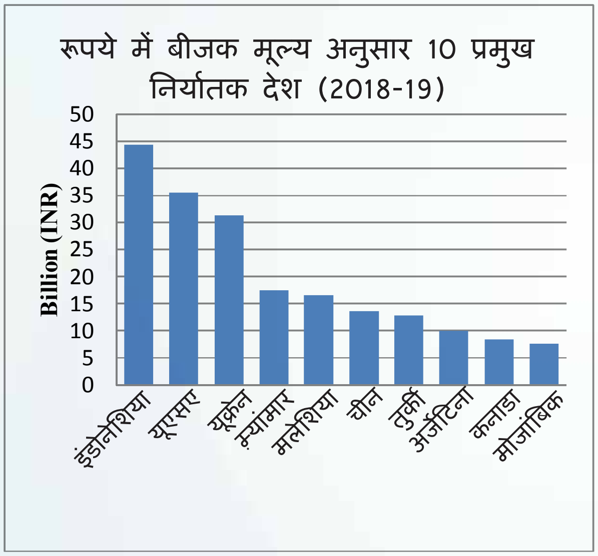

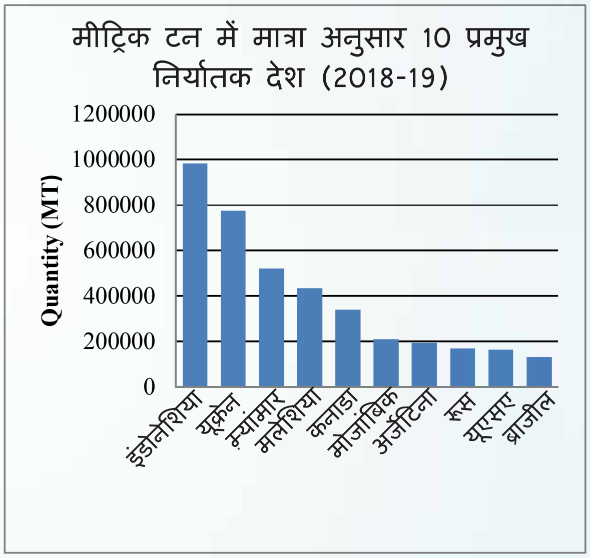

6.3.2 अप्रैल, 2018 से मार्च, 2019 तक की अवधि के लिए एफ.एस.एस.ए.आई. द्वारा लिए गए नमूनों की संख्या और जारी किए गए अनापत्ति प्रमाण पत्रों के बारे में विवरण सारणी -12 में दिया गया है। एफ.एस.एस.ए.आई. द्वारा 66,73,439.24 मीट्रिक टन भार की आयातित खाद्य उत्पाद की 91,879 मदों का प्रहस्तन किया गया। इनमें से 1280 खाद्य मदों, जिनका भार 16,872.91 मीट्रिक टन था, के लिए गैर-अनुरुपता प्रमाण पत्र जारी किए गए थे क्योंकि ये एफएसएस अधिनियम, 2006 और उसके अंतर्गत बनाए गए विनियम के अंतर्गत निर्धारित सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों को पूरा नहीं करते थे और इसलिए इन्हें अस्वीकृत किया गया था।

6.4 चीन से दुग्ध और दुग्ध उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध

6.4.1 भारत सरकार (डीजीएफटी) ने मेलामाइन की उपस्थिति के संबंध में चिंताओं के कारण अधिसूचना संख्या 46 दिनांक 24.09.2008 के द्वारा तीन महीनों के लिए चीन से दुग्ध और दुग्ध उत्पाद के आयात पर प्रतिबंध लगाया था। यह प्रतिबंध अधिसूचना संख्या 67 दिनांक 01.12.2008 द्वारा और छः महीने की अवधि के लिए बढ़ाया गया था। ऐसा करते समय, चाकलेट और चाकलेट उत्पादों और कैंडीज/मिष्ठान्न/

दुग्ध से बने खाद्य पदार्थ और खाद्य वस्तुएं, जिनमें ठोस दुग्ध एक संघटक के रुप में शामिल हो, को भी प्रतिबंध में सम्मिलित किया गया था।

6.4.2 यह प्रतिबंध समय-समय पर बढ़ाया जाता रहा है और प्रतिबंध की यह अवधि 23 दिसंबर,2018 को समाप्त होनी थी। प्रतिबंध के इस मामले पर एफ.एस.एस.ए.आई. में भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों/विभागों के साथ 6 दिसम्बर, 2018 को आयोजित बैठक में समीक्षा की गई थी। यह सुझाव दिया गया था कि चीन से दुग्ध और दुग्ध उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध की अवधि मेलामाइन के परीक्षण के लिए पूरे भारत में प्रवेश के स्थानों के पत्तनों पर स्थित सभी अधिसूचित प्रयोगशालाओं की क्षमता को उपयुक्त रुप से उन्नयन किए जाने तक आगे बढ़ायी जाए। तद्नुसार, सिफारिशों के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा दुग्ध और दुग्ध उत्पादों, जिसमें चाकलेट और चाकलेट उत्पादों और कैंडीज/मिष्ठान्न/दुग्ध से बने खाद्य पदार्थ और खाद्य वस्तुएं, जिनमें ठोस दुग्ध एक संघटक के रुप में शामिल हो, सम्मिलित हैं, के आयात पर प्रतिबंध चार महीनों की अवधि अर्थात 23 अप्रैल, 2019 तक और बढ़ाया गया है।

सारणी 12 – पहली अप्रैल, 2018 से 31 मार्च 2019 तक की अवधि के लिए खाद्य आयात निर्मुक्ति आंकड़े

स्थान	आयातित खाद्य वस्तुओं की सं.	कुल मात्रा (मी.ट.*)	जारी की गई गैर-अनुपालना रिपोर्टों (एनसीआर) की संख्या	एनसीआर से संबंधित मात्रा (मी.ट.)	जारी एनओसी की संख्या	जारी किए गए एनओसी से संबंधित मात्रा (मी.ट.)
चैन्नई	16,725	19,08,208.03	218	6,621.16	11,328	18,58,726.71
कोच्ची	2,233	64,619.57	134	995.97	2,087	40,667.36
कोलकाता	3,887	22,78,632.87	69	657.96	3,049	8,95,890.86
मुम्बई	58,406	19,02,129.35	537	4,681.22	46,982	16,61,164.2
दिल्ली	9,018	45,490.25	236	277.5	8,470	41,054.36
तूतीकोरिन	1,610	4,74,359.18	86	3,639.09	1,516	4,59,659.74
योग	**91,879**	**66,73,439.24**	**1,280**	**16,872.9**	**73,432**	**49,57,163.23**

मी.ट.*मीट्रिक टन

अध्याय-7

खाद्य सुरक्षा अनुपालन

7.1 लाइसेंसिंग/ पंजीकरण:

7.1.1 विनियमात्मक प्रावधान

देश में सभी खाद्य कारोबारियों (एफबीओ) को कारोबार आरंभ करने या जारी रखने के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 31 के अंतर्गत पंजीकृत कराना होता है अथवा लाइसेंस लेना होता है। खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य कारोबार का अनुज्ञापन और रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 2011 में खाद्य लाइसेंस और पंजीकरण की प्रक्रिया संबंधी विनियम हैं। खाद्य कारोबारियों को पात्रता मानदंडों के अनुसार केंद्रीय लाइसेंस, राज्य लाइसेंस दिए जाते हैं अथवा उनके पंजीकरण किए जाते हैं। केन्द्रीय या राज्य लाइसेंस के मामले में किसी स्थान विशेष पर कोई खाद्य कारोबार चलाने के लिए विभिन्न प्रकार के कारोबारों के लिए विशिष्ट लाइसेंस संख्या दी जाती है। खाद्य कारोबारियों द्वारा खाद्य उत्पादों का क्रय या विक्रय केवल लाइसेंसशुदा/पंजीकृत विक्रेताओं से ही करना अपेक्षित होता है और उनका रिकार्ड रखना होता है।

7.1.2 केंद्रीय अथवा राज्य लाइसेंस/पंजीकरण के पात्रता संबंधी मानदंड सारणी 14 में दिए गए हैं।

7.1.3 लाइसेंस देने और पंजीकरण करने की प्रक्रिया आसान बनाने के लिए एफ.एस.एस.ए.आई ने वर्ष 2012 में पंजीकरण, केंद्रीय लाइसेंस और राज्य लाइसेंस के लिए मैनुअल प्रक्रिया को बदलकर एकल खिड़की के रूप में ऑनलाइन खाद्य लाइसेंस और पंजीकरण प्रणाली (एफ.एल.आर.एस) लागू कर दी थी। इस प्रणाली को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए इसमे निरंतर सुधार हुआ है। एफ.एल.आर.एस से खाद्य कारोबारियों तक पहुँच बनाने में सहायता मिली है और पिछले कुछ वर्षों में पंजीकरण और लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाले खाद्य कारोबारियों की संख्या में आशाजनक वृद्धि हुई है।

7.1.4 एफ.एल.आर.एस. के अतिरिक्त, लघु स्तर के खाद्य कारोबारियों के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए एफ.एस.एस.ए.आई कॉमन सर्विस सेंटरों (सी.एस.सी-एस.पी.वी) की सेवाओं का भी लाभ उठा रही है। यह सेवा पूरे भारत के सभी सी.एस.सी में उपलब्ध है।

7.1.5 दिनांक 31 मार्च, 2019 तक केंद्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकारियों (सी.एल.ए) द्वारा खाद्य कारोबारियों को 46,851 केन्द्रीय लाइसेंस जारी किए गए, जोकि गत वर्ष जारी किए गए लाइसेंसों की तुलना में 25% अधिक है। इसी प्रकार, 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार, अधिनियम के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा 10,44,992 लाइसेंस जारी किए गए और 47,97,997 पंजीकरण प्रदान किए गए। इन आंकड़ों से केन्द्रीय लाइसेंस, राज्य लाइसेंस और पंजीकरण की संख्या में महत्वपूर्ण वृद्धि का पता चलता है। लाइसेंसिंग और पंजीकरण का वर्षवार तुलनात्मक विवरण सारणी -13 में दिया गया है:

सारणी 13 - वर्षों के दौरान जारी किए गए लाइसेंस और पंजीकरण की संख्या में हुई वृद्धि दर्शाने वाले आंकड़े

की स्थिति के अनुसार	केन्द्रीय लाइसेंस	राज्य लाइसेंस	पंजीकरण
31.03.2014	14,610	4,66,057	20,73,405
31.03.2015	19,250	5,52,113	23,78,082
31.03.2016	24,917	7,08,664	27,64,600
31.03.2017	30,413	7,92,780	30,39,762
31.03.2018	37,405	7,83,832	31,90,371
31.03.2019	46,851	10,44,992	47,97,997

उपर्युक्त आंकड़ों का रेखाआकृति में प्रदर्शन

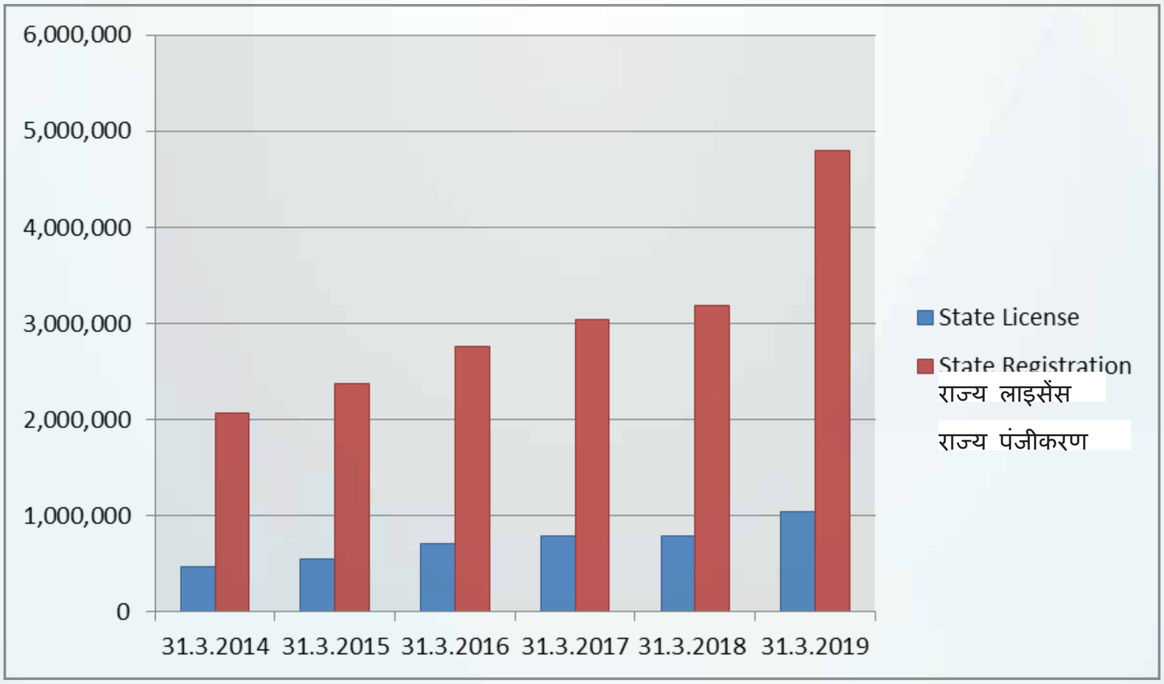

7.2 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में प्रवर्तन तंत्र का प्रशासनिक ढाँचा

एफ.एस.एस अधिनियम, 2006 के अध्याय 7 में अधिनियम के प्रवर्तन संबंधी उपबंध हैं। राज्य/संघ शासित सरकारें अपने क्षेत्रों में एफ.एस.एस. अधिनियम, 2006 को खाद्य सुरक्षा आयुक्त के माध्यम से लागू करने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। खाद्य सुरक्षा आयुक्त के अंतर्गत दल में अभिनामित अधिकारी और खाद्य सुरक्षा अधिकारी शामिल हैं। विभिन्न राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में कुल 36 खाद्य सुरक्षा

आयुक्त हैं, जो अभिनामित अधिकारियों और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के माध्यम से लाइसेंसिंग/पंजीकरण और प्रवर्तन का कार्य करते हैं। न्याय-निर्णयन मशीनरी में विशेष अदालतों और आम दीवानी अदालतों के अतिरिक्त न्याय-निर्णयन अधिकारी और अपीलीय ट्रिब्यूनलें शामिल हैं। विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में प्रवर्तन ढाँचे का विवरण सारणी 15 में दिया गया है।

7.3 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में एफ.एस.एस. अधिनियम और नई शुरुआतों के क्रियान्वयन में वर्ष 2018-19 में हुई प्रगति और नई पहलें:

7.3.1 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों के कार्यान्वयन और प्रवर्तन की जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य/संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों की है। जाँच के लिए संबंधित राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के खाद्य सुरक्षा विभागों के कार्मिकों द्वारा विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार खाद्य पदार्थों की निगरानी, मॉनिटरिंग और निरीक्षण नियमित रूप से किया जाता है और यादृच्छिक नमूने लिए जाते हैं। खाद्य नमूनों के नियमों के अनुरूप न पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अध्याय IX के अंतर्गत दंड के प्रावधान लागू किए जाते हैं। वर्ष 2018-19 के दौरान विश्लेषित नमूनों, निर्धारित मानकों और मानदंडों के अनुरूप नहीं पाए गए नमूनों और की गई दंडात्मक कार्रवाई का विवरण सारणी 16 में दिया गया है।

7.3.2 अनुपालन के प्रति समग्र दृष्टिकोण का विकास करने के लिए, एफ.एस.एस.ए.आई निरीक्षणों और निगरानियों को विश्व मानकों के अनुरूप बनाने के लिए जोखिम आधारित दृष्टिकोण अपना रही है। जोखिम आधारित निरीक्षण प्रणाली (आर.बी.आई.एस) से सुरक्षित खाद्य आपूर्ति तथा उचित व्यापारिक रीतियों का सुनिश्चय किया जा सकेगा। साथ ही कपटपूर्ण रीतियों को रोका जा सकेगा। इसके उद्देश्य हैं : (i) भारत में खाद्य के उपभोक्ता के संरक्षण के लिए घरेलू बाजार में असुरक्षित खाद्य के आगम को रोकना, (ii) प्रहस्तन किए गए अथवा उत्पादित विशिष्ट उत्पादों से निरपेक्ष रहते हुए उत्पाद-आधारित प्रक्रिया की जगह जोखिम-आधारित खाद्य निरीक्षण प्रणाली लागू करना, जिसका उपयोग संपूर्ण खाद्य क्षेत्र के खाद्य निरीक्षकों द्वारा किया जा सकता है, और (iii) 'जोखिम ग्रेड' को लाइसेंसिंग और पंजीकरण प्रणाली से जोड़ना।

7.3.3 फोस्कोरिस

7.3.3.1 एफ.एस.एस.ए.आई. ने 'नियमित निरीक्षण और सैम्पलिंग प्रणाली के माध्यम से खाद्य सुरक्षा अनुपालन' की एक डिजिटल निरीक्षण प्रणाली (फोस्कोरिस) का विकास किया है और सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से खाद्य सुरक्षा निरीक्षण और सैम्पलिंग में पारदर्शिता लाने के लिए उसे अपनाने का अनुरोध किया गया है। इसका उपयोग हाथ में धारण किए जा सकने वाले उपकरण जैसे मोबाइल फोन, टेबलेट के साथ प्रयोग किया जा सकता है और साथ में डेस्कटॉप से भी। फोस्कोरिस न केवल निरीक्षण के लिए बल्कि वास्तविक समय आधार पर निगरानी, आंकड़ा संग्रहण और आंकड़ा विश्लेषण के लिए भी एक सशक्त टूल के रुप में कार्य करेगा। फोस्कोरिस के अंतर्गत निरीक्षण करने वाले अधिकारियों का विवरण, उनकी भौगोलिक स्थिति, खाद्य परिसरों, जिनका निरीक्षण किया जा रहा हो, आदि का विवरण देखा जा सकेगा। निरीक्षण अधिकारी आकृति खींच सकेंगे और इन्हें सिस्टम में अपलोड कर सकेंगे।

7.3.3.2 प्रारंभ में, एफ.एस.एस.ए.आई. ने तीन राज्यों अर्थात पंजाब, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश और एफ.एस.एस.ए.आई. के सभी 5 क्षेत्रों में फोस्कोरिस का कार्यान्वयन किया है और तत्पश्चात, फोस्कोरिस का बिहार और चण्डीगढ़ में कार्यान्वयन किया गया है। इसके अलावा, एफ.एस.एस.ए.आई. ने 21 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विनियात्मक कर्मियों को फोस्कोरिस पर प्रशिक्षण प्रदान किया है।

7.3.3.3 दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित खाद्य कारोबारियों के एककों के निरीक्षण के लिए फोस्कोरिस के क्रियान्वयन में मोबाइल नेटवर्क की चुनौती एक बड़ी चुनौती है। फोस्कोरिस के क्रियान्वयन के लिए राज्यों द्वारा जिस अन्य

चुनौती का सामना किया जा रहा है, वह बुनियादी सुविधाओं के अभाव से संबंधित है जैसे सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित हाथ में धारण किए जाने वाले उपकरण उपलब्ध न होना जिससे फोस्कोरिस के कार्यान्वयन में बाधा आती है। तत्पश्चात, फोस्कोरिस का एक ऑफलाइन माड्यूल (एप वर्जन) भी विकसित किया गया है और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भेजा गया है ताकि उन्हें इस संबंध में कार्रवाई करने और इसे अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

7.3.4 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ पारस्परिक विचार-विमर्श में सुधार के लिए एफ.एस.एस.ए.आई. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के खाद्य सुरक्षा विभाग के साथ विडियो कांफ्रेंसिंग (वीसी) सत्र का आयोजन करता है। सामान्यतया, विडियो कांफ्रेंस सत्र एक समय में एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के साथ साप्ताहिक आधार पर आयोजित किया जाता है। सत्र के दौरान, इन मामलों पर राज्य विशिष्ट समस्याओं और अपनाए जा सकने वाले समाधानों पर विचार-विमर्श किया जाता है।

7.3.5 एफ.एस.एस.ए.आई. ने राज्यों के साथ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की खाद्य सुरक्षा समस्याओं पर विचार-विमर्श के लिए राज्य स्तरीय परामर्श समिति में भाग लेकर परस्पर विचार-विमर्श की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है।

7.3.6 एफएलआरएस एक ऐसा प्रमुख साफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो एफ.एस.एस.ए.आई. के लाइसेंस प्रदान करने और पंजीकरण की प्रणाली का सरलीकरण करती है और जो नागालैंड को छोड़कर, अब सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में प्रचालन में है। इसके अलावा, एफएलआरएस भारतीय रेल के सभी 16 जोन में लागू किया गया है और अब सभी भारतीय रेल के जोन एफएलआरएस पर लाइव हैं।

7.3.7 पिछले वर्षों में लाइसेंसिंग और पंजीकरण प्रणाली के उपयोग के दौरान संबन्धित विनियमों और सूचना प्रौद्योगिकी के मंच पर बहुत-सी कमियां महसूस की गई। एफ.एस.एस.ए.आई. को विनियमों के कार्यान्वयन से संबंधित कार्यात्मक समस्याओं के बारे में समय-समय पर विनियामक कर्मियों और खाद्य कारोबारियों से विभिन्न प्रकार की सूचनाएं मिली थीं। प्राप्त फीडबैक को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि सरकार का ज़ोर खाद्य सुरक्षा के संबंध में कोई समझौता किए बगैर व्यापार करना आसान बनाने पर रहा है, इसलिए एफएसएसएआई ने खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य कारोबारियों का अनुज्ञापन और रजिस्ट्रीकरण) विनियम,2011 और साथ ही एफएलआरएस ऑनलाइन प्रणाली में व्यापक संशोधन और सुधार का प्रस्ताव किया गया है।

7.3.8 खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, एफ.एस.एस.ए.आई. ने ई-कामर्स खाद्य कारोबारियों के प्रचालन से संबंधित दिशा-निर्देश तैयार किए हैं, जिन्हें अब प्रचालनात्मक बनाया गया है। ई-कामर्स प्रतिष्ठानों द्वारा खाद्य कारोबार में अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों के सभी प्रयोज्य प्रावधानों का अनुपालन किया जाना है।

7.3.9 एफ.एस.एस.ए.आई. ने खाद्य और बीवरेज (एफ. एंड बी.) के क्षेत्र में विभिन्न जन संचार के माध्यमों में भ्रामक विज्ञापनों को मानीटर करने और उनका समाधान करने के लिए भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (ए.एस.सी.आई.) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। वर्ष 2018-19 के दौरान, ए.एस.सी.आई. ने खाद्य से संबंधित 301 भ्रामक विज्ञापनों पर कार्रवाई की।

7.4 राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक (एस.एफ.एस.आई.)

एफ.एस.एस.ए.आई. ने खाद्य सुरक्षा के विभिन्न मानदण्डों से संबंधित राज्यों के निष्पादन का मापन करने के लिए राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक का विकास किया है। यह सूचकांक गतिशील मात्रात्मक और गुणात्मक मानदण्ड निर्धारण माडल है जो कि सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा का मूल्यांकन करने के लिए एक उद्देश्यपरक ढांचा है। यह सूचकांक पांच महत्वपूर्ण मानदण्डों पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के निष्पादन पर आधारित है। ये मानदण्ड हैं: मानव संसाधन और संस्थानात्मक आंकड़े; अनुपालन, खाद्य परीक्षण अवसंरचना और निगरानी; प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण तथा उपभोक्ता सशक्तीकरण। इन मानदण्डों की भारांकन पद्धति निम्नलिखित रुप से चित्रांकित की गई है:

आकृति 12 - 'राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक' के लिए मानदण्डों की भारांकन पद्धति

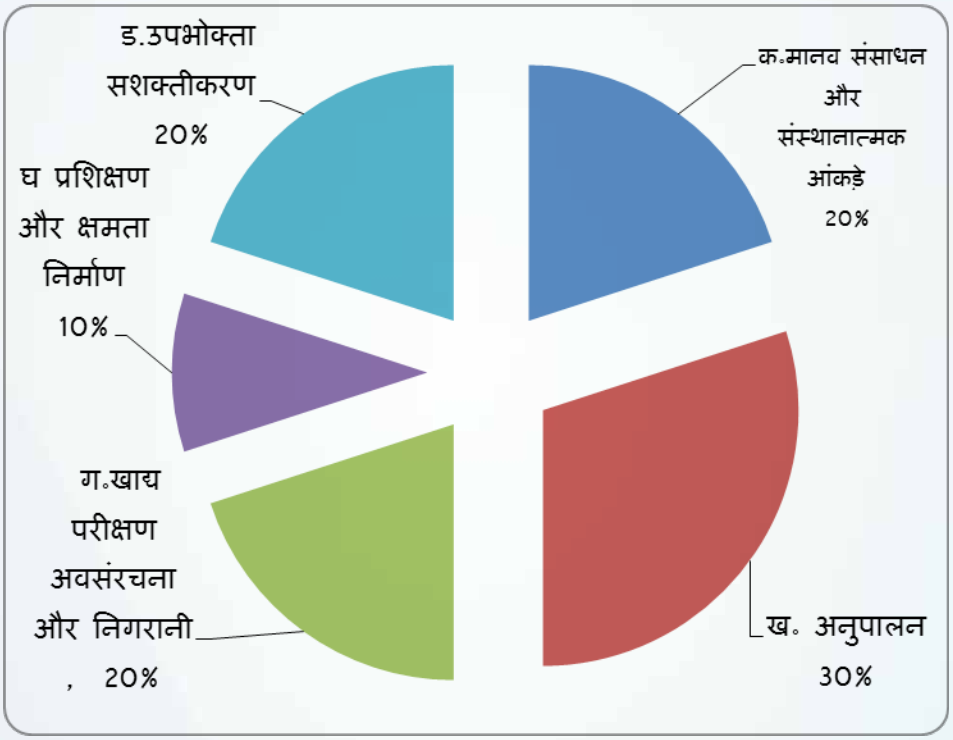

7.5 खाद्य सुरक्षा संपरीक्षण अभिकरणों की नामावली

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 44 के द्वारा खाद्य प्राधिकरण को खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणालियों के साथ खाद्य सुरक्षा संपरीक्षण और अनुपालन की जांच का कार्य करने के लिए किसी संगठन अथवा अभिकरण को मान्यता प्रदान करने की शक्तियां सौंपी गई हैं। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 16(2) द्वारा खाद्य कारोबार के लिए खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (एफ.एस.एम.एस.) के प्रमाणन में नियोजित प्रमाणन निकायों के प्रमाणन के लिए तंत्रों और दिशा-निर्देशों को विनिर्दिष्ट करने के लिए विनियम निरुपित करने के लिए शक्तियां सौंपी गई हैं। तद्नुसार, एफ.एस.एस.ए.आई. ने खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य सुरक्षा संपरीक्षण) विनियम, 2018 को 28 अगस्त, 2018 से अधिसूचित किया है और संपरीक्षण के विभिन्न कार्य क्षेत्रों के अंतर्गत 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार 24 खाद्य सुरक्षा संपरीक्षण अभिकरणों को मान्यता प्रदान की है। एफ.एस.एस.ए.आई. ने अब तृतीय पक्ष संपरीक्षण अभिकरणों के माध्यम से खाद्य कारोबारियों की संपरीक्षा की पहल की है।

7.6 नगर निगम की वधशालाओं का खाद्य सुरक्षा संपरीक्षण करना

एफ.एस.एस.ए.आई. ने 'स्वच्छ और सुरक्षित मांस अभियान' की शुरुआत की है। इस शुरुआत का उद्देश्य एक ऐसी पारिस्थितिकी का विकास करना है जिसके अंतर्गत उपभोक्ताओं को स्वच्छ और सुरक्षित मांस तथा मांस उत्पाद उपलब्ध हो सकेंगे। इस अभियान के संबंध में, एफ.एस.एस.ए.आई. ने शुरुआत के तौर पर, पूरे भारत में 40 नगर निगम वधशालाओं का खाद्य सुरक्षा संपरीक्षण करने के लिए निर्णय लिया है। इस अभियान में सभी खुदरा मांस की दुकानें और मांस प्रसंस्करण एकक और वधशालाओं का अनिवार्य लाइसेंस/पंजीकरण तथा खाद्य सुरक्षा कर्मचारियों द्वारा निरीक्षण करना सम्मिलित है।

7.7 निगरानी

निगरानी रखना विनियामक अनुपालन का एक अभिन्न अंग है और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र नियमित रुप से निगरानी गतिविधियों का आयोजन करती हैं और अपनी निगरानी योजनाओं के अनुसार गहन निगरानी अभियान का संचालन करती हैं। एफ.एस.एस.ए.आई. ने वार्षिक निगरानी योजना तैयार की है और इसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भेजा है ताकि वे भौगोलिक अवस्थिति, खाद्य मदों की उपलब्धता, त्यौहार अथवा विशिष्ट आयोजनों के दौरान सक्रिय/विशिष्ट निगरानी अभियान, खाद्य वस्तुओं से सम्बद्ध जोखिम के स्तर आदि को ध्यान में रखते हुए अपनी-अपनी वार्षिक निगरानी योजना तैयार कर सकें। अपने-अपने क्षेत्रों में प्रारंभ की गई गतिविधियों के आधार पर, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र समय-समय पर एफ.एस.एस.ए.आई. को निगरानी रिपोर्टें प्रस्तुत कर रहे हैं जिनके संबंध में बाद में विभिन्न केन्द्रीय सलाहकार समिति की बैठकों, वीडियो कांफ्रेंसों और राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के खाद्य सुरक्षा आयुक्तों के साथ अन्य बैठकों में इन रिपोर्टों की समीक्षा की जाती है।

7.8 लाइसेंसिंग/पंजीकरण - व्यापार के सरलीकरण की पहलें

- लाइसेंसिंग/पंजीकरण के लिए दस्तावेजों के भौतिक प्रस्तुतकरण की समाप्ति

  यह नोट किया गया कि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र लाइसेंसिंग/पंजीकरण के लिए अपेक्षित विभिन्न दस्तावेज के भौतिक प्रस्तुतिकरण के संबंध में अनुरोध कर रहे थे। इससे आवेदनों के प्रस्तुतिकरण की ऑनलाइन प्रणाली का उद्देश्य विफल होता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए और व्यापार को सरल बनाने के सरकार की प्रतिबद्धता के अनुसरण में तथा व्यापार सुधार कार्ययोजना - 2017 के अनुसार, एफ.एस.एस.ए.आई. ने 16 अप्रैल, 2018 से लाइसेंसिंग/पंजीकरण के लिए अपेक्षित विभिन्न दस्तावेजों को भौतिक रुप से प्रस्तुत करना पूरी तरह से समाप्त कर दिया है।

- लाइसेंस/पंजीकरण के ऑनलाइन प्रेषण की शुरुआत

  यह नोट किया गया कि खाद्य कारोबारियों को लाइसेंस के सिस्टम से उत्पन्न होने के बावजूद भी लम्बे समय से लाइसेंस/पंजीकरण की हस्ताक्षरित प्रति भौतिक रुप से प्राप्त नहीं हो रही थी। डाक में होने वाले इस प्रकार के विलम्ब की स्थिति और इसके परिणामस्वरुप होने वाली असुविधा से बचने और खाद्य कारोबारियों को होने वाली परेशानियों से बचने के लिए, एफ.एस.एस.ए.आई. ने 18 अप्रैल, 2018 को खाद्य कारोबारी की ईमेल आईडी पर सिस्टम से उत्पन्न लाइसेंस/पंजीकरण भेजने का निर्णय लिया है। सिस्टम से उत्पन्न एफ.एस.एस.ए.आई. लाइसेंस/पंजीकरण प्रमाण पत्र पर सुरक्षा विशेषता के रुप में क्विक रेस्पोंस (क्यूआर) कोड अंकित होता है ताकि लाइसेंस/पंजीकरण प्रमाणपत्र का सत्यापन किया जा सके। कंप्यूटर उत्पन्न लाइसेंस/पंजीकरण प्रमाण पत्र के आधार पर खाद्य कारोबारी अपना कारोबार शीघ्र ही शुरु कर सकता है। इस व्यवस्था को पहली मई, 2018 से लागू किया गया है।

- होटलों/जलपान गृहों को लाइसेंस प्रदान करने के लिए दस्तावेजों का युक्तिकरण होटलों/जलपान गृहों के कार्य में संलग्न खाद्य कारोबारियों से लाइसेंस प्रदान करने वाले प्राधिकरण विभिन्न दस्तावेज, हालांकि अपेक्षित नहीं होते हैं, अपलोड करने के बारे में अनुरोध करते रहे थे। अब इसे समाप्त कर दिया गया है।

- लाइसेंस/पंजीकरण के नवीकरण के लिए दिनों की संख्या 60 से बढ़ाकर 120 दिन की गई। इससे पहले, नवीकरण की नियत तिथि से पहले अपने लाइसेंस/पंजीकरण के नवीकरण के लिए खाद्य कारोबारियों को 60 दिन की विंडो प्रदान की गई थी। कारोबार की सुविधा के लिए इसे अब 120 दिन कर दिया गया है।

- भारतीय रेल के सभी क्षेत्रों ऑनलाइन लाइसेंस/पंजीकरण जारी करना

  इससे पूर्व, रेलवे नेटवर्क के खाद्य कारोबारियों को रेलवे द्वारा ऑफलाइन पद्दि्त से लाइसेंस/पंजीकरण जारी किए जा रहे थे। चूँकि अब सभी जोनों को एफएलआरएस के अंतर्गत लाया गया है, इसलिए रेलवे ऑनलाइन लाइसेंस/पंजीकरण जारी कर रही है।

7.9 पहलें जिन पर कार्य योजना बन रही है -

(1) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य कारोबारियों का अनुज्ञापन और रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 2011 में संशोधन

(2) एफएलआरएस प्रणाली में रि-कॉल माड्यूल जोड़ना

(3) लाइसेंसिंग और पंजीकरण प्रक्रियाओं का सरलीकरण और युक्तिकरण तथा एक अधिक सुदृढ़ सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली का विकास

(4) एफएसएमएस के अनुपालन के संपरीक्षण के लिए प्रत्यायन और प्रमाणन अभिकरणों का व्यापक नेटवर्क स्थापित करना

(5) विभिन्न चरणों पर प्रणालीबद्ध निगरानी के माध्यम से प्राधिकरणों के आंतरिक प्रक्रियाओं में समय अंतराल का इष्टमीकृत करना

(6) उभरते कारोबार मॉडलों का सक्रियतापूर्वक समावेशन एवं प्राधिकरण द्वारा प्रतिक्रया अर्थात ई-कामर्स, प्रत्यक्ष बिक्री आदि ताकि पूरी आपूर्ति श्रृंखला में खाद्य कारोबारियों का उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना।

(7) लाइसेंसिंग और जी.एच.पी. के अंतर्गत लाने के लिए ऐसे सभी केन्द्रीय संस्थानों तक पहुंच जिनमें खाद्य से संबंधित गतिविधियां/कैंटीन आदि हैं।

सारणी 14 - केन्द्रीय अथवा राज्य लाइसेंस और पंजीकरण की पात्रता के लिए मानदण्ड

केन्द्रीय लाइसेंस	
•	प्रतिदिन 50,000 लीटर से अधिक द्रवित दूध अथवा प्रति वर्ष 2500 मीट्रिक टन (मी॰ टन) ठोस दूध वाली डेयरी एकक
•	वनस्पति तेल प्रसंस्करण/उत्पादन करने वाली एकक जिनकी संस्थापित क्षमता 2 मी.टन प्रति दिन से भी अधिक है
•	वधशालाएं जो प्रतिदिन 50 बड़े पशुओं/150 छोटे पशुओं/1000 कुक्कुट पक्षियों का वध करने से सुसज्जित हैं
•	मांस प्रसंस्करण एकक जो प्रतिदिन 500 किलोग्राम/प्रति वर्ष 150 मी.टन मांस हैंडल करने के लिए सुसज्जित हैं
•	खाद्य प्रसंस्करण एकक जिनकी संस्थापित क्षमता 2 मी.टन प्रतिदिन है, अनाज, धान्य, दाल मिलिंग एककों को छोड़कर
•	100% निर्यातोन्मुख एकक
•	वाणिज्यिक उपयोग के लिए खाद्य वस्तुओं (जिसमे खाद्य संघटक और सहयोज्य सम्मिलित हैं) का आयात कर रहे सभी आयातक
•	सभी खाद्य कारोबारी जो किसी भी मालिकाना खाद्य का विनिर्माण/प्रसंस्करण/आयात कर रहे हैं जिसके लिए एफ.एस.एस.ए.आई. द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया गया है
•	दो अथवा अधिक राज्यों में संचालन कर रहे खाद्य कारोबारी का पंजीकृत/मुख्य कार्यालय
•	केन्द्रीय सरकारी अभिकरणों जैसे रेलवे, एयर और विमानपत्तन, समुद्रपत्तन, रक्षा आदि के अंतर्गत संस्थापनाओं और एककों में खाद्य कैटरिंग सेवाएं
•	5 स्टार और अधिक प्रत्यायन वाले होटल
•	सभी ई-कामर्स खाद्य कारोबार
राज्य लाइसेंस	
•	सभी खाद्य कारोबारी, पंजीकरण/केन्द्रीय लाइसेंस के लिए पात्र से भिन्न
•	सभी अनाज, धान्य और दाल मिलिंग एकक
पंजीकरण	
•	छोटे विनिर्माता, खुदरा विक्रेता, हॉकर, फेरी वाले या अस्थायी स्टालधारी
•	छोटे खाद्य कारोबारी जिनका वार्षिक टर्नओवर 12 लाख रुपए से अधिक न हो
•	खाद्य की उत्पादन क्षमता जो 100 किलोग्राम/लीटर प्रतिदिन से अधिक न हो
•	500 लीटर प्रति दिन या इससे कम दूध की अधिप्राप्ति या हैंडलिंग और संग्रहण
•	प्रतिदिन वध क्षमता 2 बड़े पशु या 10 छोटे पशु या 50 पोल्ट्री पक्षी अथवा इससे कम

सारणी 15 - एफ.एस.एस. अधिनियम, 2006 के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में प्रवर्तन तंत्र की प्रशासनिक संस्थापना (31.03.2019 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य का नाम	एफ.एस.सी.	ए.ओ. की सं.	डी.ओ. की सं.	एफ.एस.ओ. की सं.	एस.एल.ए.सी	डी.एल.ए.सी	ट्रिब्यूनल
1	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	1	3	3	14	हां	हां	हां
2	आंध्र प्रदेश	1	13	14	32	हां	हां	हां
3	अरुणाचल प्रदेश	1	22	22	3	हां	हां	हां
4	असम	1	27	5	35	हां	हां	हां
5	बिहार	1	38	14	14	हां	हां	नहीं
6	चंडीगढ़	1	1	1	6	हां	हां	हां
7	छत्तीसगढ़	1	27	30	56	हां	हां	हां
8	दादर और नगर हवेली	1	1	1	1	हां	हां	हां
9	दमन और दीव	1	2	2	2	हां	हां	हां
10	दिल्ली	1	11	5	26	हां	हां	हां
11	गोवा	1	2	2	21	हां	हां	हां
12	गुजरात	1	33	38	137	हां	हां	हां
13	हरियाणा	1	22	25	75	हां	हां	हां
14	हिमाचल प्रदेश	1	12	15	75	हां	हां	नहीं
15	जम्मू और कश्मीर	1	22	24	106	हां	हां	हां
16	झारखण्ड	1	24	24	219	हां	हां	नहीं
17	कर्नाटक	1	36	30	230	हां	नहीं	हां
18	केरल	1	22	18	162	हां	हां	हां
19	लक्षद्वीप	1	1	1	13	हां	नहीं	नहीं
20	मध्य प्रदेश	1	51	51	163	हां	हां	हां
21	महाराष्ट्र	1	7	62	265	हां	हां	हां
22	मणिपुर	1	16	10	22	हां	हां	हां
23	मेघालय	1	11	11	11	हां	हां	हां
24	मिजोरम	1	9	10	25	हां	हां	नहीं
25	नागालैण्ड	1	11	4	7	हां	हां	नहीं
26	ओडिशा	1	30	36	105	हां	हां	नहीं
27	पुडुचेरी	1	2	4	8	हां	हां	हां
28	पंजाब	1	22	22	35	हां	नहीं	हां
29	राजस्थान	1	40	43	60	हां	नहीं	हां
30	सिक्किम	1	4	6	6	हां	हां	नहीं
31	तमिलनाडु	1	32	32	391	हां	हां	हां
32	तेलंगाना	1	31	35	80	हां	नहीं	हां
33	त्रिपुरा	1	3	23	64	हां	हां	हां
34	उत्तराखण्ड	1	13	15	90	हां	हां	हां
35	उत्तर प्रदेश	1	75	77	662	हां	हां	हां
36	पश्चिम बंगाल	1	23	26	152	हां	हां	हां
कुल		36	699	741	3,373			

टिप्पणी: एफ.एस.सी.=खाद्य सुरक्षा आयुक्त, ए.ओ. = न्याय निर्णय अधिकारी,डीओ=अभिनामित अधिकारी,एफएसओ=खाद्य सुरक्षा अधिकारी, एसएलएसी=राज्य स्तरीय सलाहकार समिति,डीएलएसी-जिला स्तरीय सलाहकार समिति

सारणी 16 - वर्ष 2018-19 के दौरान विश्लेषित नमूनों, निर्धारित मानकों और मानदण्डों के अनुरुप नहीं पाए गए नमूनों की संख्या और की गई दंडात्मक कार्रवाई का विवरण

क्रमांक	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र का नाम	विश्लेषित खाद्य नमूनों की संख्या	गैर-अनुपालन पाए गए नमूनों की संख्या				प्रारम्भ की गई कार्यवाई के मामलों की संख्या		अपराध सिद्धि / दंड के मामलों की संख्या/ दंड राशि		
			असुरक्षित	खराब गुणवत्ता	लेबलिंग में दोष / भ्रामक / अन्य मामले।	योग	आपराधिक	दीवानी	अपराध सिद्धि	दंड	दंड की कुल राशि (रु.)
1	अंडमान और निकोबार	268	0	11	0	11	1	90	1	89	12,74,000
2	आंध्र प्रदेश	4,715	149	244	299	692	104	456	29	344	1,06,91,300
3	अरुणाचल प्रदेश	291	1	3	7	11	1	7	0	6	21,000
4	असम	515	46	48	17	111	7	14	0	5	77,000
5	बिहार	4,135	110	151	111	372	25	146	0	30	10,65,000
6	चंडीगढ	315	3	16	11	30	37	21	30	15	3,35,000
7	छत्तीसगढ	988	16	141	51	208	23	27	17	8	9,95,000
8	दादरा और नगर हवेली	58	0	2	4	6	0	6	0	6	63,000
9	दमन और दीव	145	0	1	3	4	0	4	0	0	0
10	दिल्ली	2,461	96	148	241	485	29	110	38	31	47,16,001
11	गोवा	1,550	6	45	37	88	1	9	0	17	8,66,000
12	गुजरात	9,884	47	432	343	822	22	353	22	237	1,95,89,004
13	हरियाणा	2,929	95	459	183	737	47	488	5	242	51,16,860
14	हिमाचल प्रदेश	229	6	20	17	43	4	10	4	35	9,65,500
15	जम्मू और कश्मीर	3,600	44	732	640	1,416	10	698	1	466	57,18,800
16	झारखंड	499	44	101	63	208	10	71	0	22	4,85,000
17	कर्नाटक	3,945	100	120	236	456	71	249	0	146	9,50,800
18	केरल	4,378	201	321	259	781	102	565	2	339	1,11,17,000
19	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	मध्य प्रदेश	7,063	44	651	674	1,369	114	1,095	8	557	1,82,28,200
21	महाराष्ट्र	4,742	278	633	125	1,036	957	910	18	529	1,19,96,269
22	मणिपुर	388	0	28	28	56	0	16	0	12	6,89,000
23	मेघालय	81	3	0	0	3	1	0	0	3	1,93,700
24	मिजोरम	124	2	7	18	27	0	0	0	0	0
25	नागालैंड	202	0	175	0	175	0	63	0	63	37,500
26	ओडिशा	327	22	44	25	91	38	123	0	3	2,20,000
27	पुडुचेरी	2,037	0	39	0	39	0	0	0	7	
28	पंजाब	11,920	92	2,015	1,854	3,961	45	1,840	3	1,762	1,57,03,200
29	राजस्थान	5,760	208	1,272	667	2,147		657	141	686	20,17,000
30	सिक्किम	182	0	17	0	17	0	0	0	0	0
31	तमिलनाडु	5,730	728	813	1,060	2,601	666	1,718	306	1,485	5,01,11,950
32	तेलंगाना	1,760	23	86	59	168	33	191	3	15	2,48,000
33	त्रिपुरा	192	2	6	0	8	0	3	0	0	0
34	उत्तर प्रदेश	22,583	1,404	7,907	2,506	11,817	451	8,524	73	5,526	15,89,81,003
35	उत्तराखंड	755	0	25	10	35	8	28	0	28	28,53,000
36	पश्चिम बंगाल	1,708	130	157	97	384	6	58	0	20	4,53,000
	कुल	**1,06,459**	**3,900**	**16,870**	**9,645**	**30,415**	**2,813**	**18,550**	**701**	**12,734**	32,57,78,087

स्रोतः राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों

अध्याय-8

खाद्य परीक्षण और निगरानी

8.1 खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की अधिसूचना

8.1.1 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अध्याय VIII, धारा 43 के अनुसार, एफ.एस.एस.ए.आई. द्वारा खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुपालन के लिए खाद्य प्रयोगशालाओं में खाद्य के परीक्षण के लिए एक पारिस्थितिकी प्रणाली (ईको सिस्टम) को प्रोत्साहित करना अपेक्षित है।

8.1.2 खाद्य विनियामक संस्थापना के एक अभिन्न भाग के रुप में, खाद्य परीक्षण पारिस्थितिकी प्रणाली के अंतर्गत निम्नलिखित प्रमुख कार्यों करने होते हैं:

- खाद्य कानूनों/विनियमों के निर्धारित गुणवत्ता और सुरक्षा मानदण्डों और समर्थ प्रवर्तन के प्रति खाद्य/खाद्य वस्तुओं (घरेलु और आयातित) का विश्लेषण और परीक्षण
- बाजार निगरानी गतिविधियों में सहायता करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विक्रय किए जा रहे खाद्य उत्पाद मानकीकृत हैं और इनका विक्रय निर्धारित मानदण्डों के अनुपालन में किया जाता है।
- जोखिम मूल्यांकन ढांचे का एक भाग बनना, जिसमें खाद्य से संबंधित घटनाएं सम्मिलित हैं और बाद में खाद्य मानकों अथवा दिशा-निर्देश दस्तावेजों के विकास में सहायता
- परीक्षण पद्धतियों में सामंजस्य स्थापित करने, विकास करने अथवा प्रमाणिक बनाने के लिए एक नेटवर्क का अभिन्न भाग बनना
- खाद्य परीक्षण और खाद्य मानकों के बारे में विशेष रुप से उपभोक्ताओं के बीच जागरुकता उत्पन्न करना

खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं का उपयोग विनियामक, उपभोक्ताओं और खाद्य कारोबारियों द्वारा किया जा सकता है ताकि सभी स्तरों पर खाद्य कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जा सके।

8.1.3 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 43(1) के अनुसार, खाद्य प्राधिकरण द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत खाद्य विश्लेषणों द्वारा नमूनों का विश्लेषण करने के प्रयोजन से राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एन ए बी एल) अथवा किसी अन्य प्रत्यायन अभिकरण द्वारा प्रत्यायित खाद्य प्रयोगशालाओं और अनुसंधान संस्थानों को अधिसूचित किया जाएगा।

8.1.4 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 43(2) के अनुसार, खाद्य प्राधिकरण अधिनियम अथवा इसके अंतर्गत बनाए गए किसी भी नियमों और विनियमों द्वारा अधिसूचना द्वारा अपीलीय खाद्य प्रयोगशाला को सौंपे गए कार्यों के कार्यान्वयन के लिए एक या अधिक अपीलीय खाद्य प्रयोगशाला अथवा प्रयोगशालाओं की स्थापना अथवा मान्यता प्रदान करेगा।

8.1.5 इससे पूर्व, खाद्य प्रयोगशालाओं को इस प्रयोजन के लिए निर्धारित किए गए "एफ.एस.एस.ए.आई.द्वारा प्रत्यायित खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं को मान्यता एवं अधिसूचना के लिए दिशा-निर्देश" के अनुसार एफ.एस.एस.ए.आई. द्वारा मान्यता प्रदान की जा रही थी और अधिसूचित किया जा रहा था। तथापि, एक कानूनी आधार उपलब्ध कराने, पारदर्शिता लाने और खाद्य प्रयोगशालाओं की गतिविधियों की समीक्षा करने और निगरानी करने के लिए एक उपयुक्त प्रणाली, जिसके द्वारा देश में खाद्य परीक्षण की गुणवत्ता में सुधार

लाया जा सकता है, के होने को आवश्यक बनाने के लिए नवम्बर, 2018 में खाद्य सुरक्षा और मानक (प्रयोगशालाओं को मान्यता और अधिसूचना) विनियम, 2018 को अधिसूचित किया गया है। उक्त विनियमों में प्रयोगशालाओं के लिए मान्यता और अधिसूचना के लिए सभी प्रक्रियात्मक अपेक्षाएं सम्मिलित है जैसे कि प्रयोगशालाओं के प्रकार, मान्यता प्रदान करने और अधिसूचना के लिए मानदण्ड, नवीकरण, संपरीक्षण और अन्वेषण, प्रयोगशालाओं के दायित्व, निलम्बन, मान्यता वापिस लेने, लेखा परीक्षा आदि के अंतर्गत आते हैं।

8.1.6 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार, खाद्य प्राधिकरण की 269 प्रयोगशालाओं का एक नेटवर्क था, इन प्रयोगशालाओं में परीक्षण के लिए 251 प्राथमिक प्रयोगशालाएं हैं, जिसमें 175 प्रयोगशालाएं एफ.एस.एस. अधिनियम, 2006 की धारा 43(1) के अंतर्गत मान्यताप्राप्त और अधिसूचित है तथा एफ.एस.एस. अधिनियम, 2006 की धारा 43(2) के अंतर्गत अपीलीय (रेफरल) परीक्षण के लिए मान्यता प्राप्त और अधिसूचित 18 प्रयोगशालाएं सम्मिलित हैं। एफ.एस.एस.ए.आई. द्वारा मान्यता प्राप्त और अधिसूचित सभी प्रयोगशालाओं का क्षेत्रवार गठन नीचे दिया गया है:

सारणी 17 - प्राथमिक और अपीलीय खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं का विवरण

प्राथमिक खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं		**संख्या**
1	राज्य खाद्य प्रयोगशालाएं	12
2	केन्द्रीय सरकारी संस्थानों/स्वायत्त निकायों की प्रयोगशालाएं	19
3	निजी प्रयोगशालाएं	144
4	ट्रांजिशन प्रावधानों के अंतर्गत सरकारी प्रयोगशालाएं*	76
	योग प्राथमिक खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं	**251**
अपीलीय खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं		
1	केन्द्रीय सरकारी संस्थानों/स्वायत्त निकायों की प्रयोगशालाएं	16
2	खाद्य प्राधिकरण की स्वामित्व वाली प्रयोगशालाएं	02
	योग अपीलीय प्रयोगशालाएं	**18**

(*एफएसएस अधिनियम 2006 की धारा 98 के अंतर्गत ट्रांजिशन प्रावधान के अंतर्गत मान्यताप्राप्त और अधिसूचित)

8.1.7 वर्ष 2018-19 के दौरान, 13 नई प्राथमिक खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं को अधिसूचित किया गया था जबकि पहले से ही ऐसी अधिसूचित 4 प्रयोगशालाओं को विमुक्त किया गया था। इसी प्रकार, 2 नई अपीलीय प्रयोगशालाओं, नामत: पंजाब बॉयोटैक्नोलाजी इंकूबेटर, मोहाली और सीएसआईआर-इंडियन इंस्टीच्यूट आफ टॉक्सीकोलोजी रिसर्च, लखनऊ को अधिसूचित किया गया था और 2 अपीलीय प्रयोगशालाओं अर्थात सीएसआईआर-इंडियन इंस्टीच्यूट आफ इंटीग्रेटिव मेडीसिन, जम्मू और आईसीएआर-इंडियन इंस्टीच्यूट आफ वेजीटेबल रिसर्च, वाराणसी को विमुक्त किया गया था।

8.1.8 इससे देश के हर भाग में खाद्य परीक्षण की सुविधाओं की उपलब्धता में सुधार हुआ है। खाद्य प्राधिकरण द्वारा खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की अधिसूचना जारी करना एक सतत प्रक्रिया है जो प्रयोगशालाओं के स्वैच्छिक आवेदनों पर आधारित होता है। तथापि, खाद्य प्राधिकरण ने ऐसे राज्यों में जहां इस समय कोई भी उपलब्ध नहीं है निजी खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं को प्रोत्साहित करने और अधिसूचित करने और इसके साथ-साथ जहां राज्य खाद्य प्रयोगशालाओं अथवा अधिसूचित प्रयोगशालाओं की संख्या कम है वहां

यह संख्या बढ़ाने के लिए प्रस्ताव किया है। राज्यवार एफ.एस.एस.ए.आई. अधिसूचित प्रयोगशालाओं राज्य/सार्वजनिक खादय प्रयोगशाला, अपीलीय प्रयोगशाला की संख्या आकृति 15 में दर्शायी गई है।

8.1.9 खाद्य प्राधिकरण के अधीन खाद्य प्रयोगशालाएं

18 अपीलीय प्रयोगशालाओं में से दो एफ.एस.एस.ए.आई. के सीधे नियंत्रण में हैं अर्थात खाद्य मानकीकरण और अनुसंधान प्रयोगशाला (एफआरएसएल), गाजियाबाद और केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला (सीएफएल), कोलकाता। अब इन दोनों का क्रमश: यह नाम रखा गया है: राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला (एनएफएल) - गाजियाबाद और राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला (एनएफएल), कोलकाता। एनएफएल-गाजियाबाद का विकास अत्याधुनिक मॉडल खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला के रुप में किया गया है और यह पहली अगस्त, 2018 से सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोड में कार्य कर रही है। इसी प्रकार, एनएफएल-कोलकाता का भी परिष्कृत विश्लेषणात्मक उपकरणों से नवीनीकरण और उन्नयन किया गया है। उन्नत सूक्ष्म जैव विज्ञानीय विश्लेषणात्मक उपकरणों से एनएफएल, कोलकाता में सूक्ष्म जैव विज्ञानीय अनुभाग का भी उन्नयन किया जा रहा है और इसके जून, 2019 तक तैयार हो जाने की संभावना है।

8.2 राष्ट्रीय संदर्भ प्रयोगशालाएं (एनआरएल)

8.2.1 खाद्य सुरक्षा और मानक (प्रयोगशालाओं को मान्यता और अधिसूचना) विनियम, 2018 के विनियम 3 के अनुसार, परीक्षण की पद्धतियों के विकास, प्रमाणन, उत्कृष्टता, परीक्षण और प्रशिक्षण के प्रयोजन से खाद्य प्राधिकरण किसी भी अधिसूचित खाद्य प्रयोगशाला अथवा अपीलीय खाद्य प्रयोगशाला को राष्ट्रीय संदर्भ प्रयोगशाला (एनआरएल) के रुप में अधिसूचित कर सकता है। एफ.एस.एस.ए.आई. उत्पाद आधार पर या विश्लेषण आधार या उत्पाद और विश्लेषण दोनों के संयुक्त आधार पर राष्ट्रीय संदर्भ प्रयोगशालाओं (एनआरएल) के नेटवर्क की स्थापना की प्रक्रिया में है। ये एनआरएल रोजमर्रा स्वरुप की प्रक्रियाओं के लिए पूरे देश में मानकों का निर्धारण करेंगी, विश्वसनीय परीक्षण पद्धतियां स्थापित करेंगी और ऐसी मानक प्रक्रियाओं/परीक्षण पद्धतियों का प्रमाणन, नई पद्धतियों का विकास और जोखिम अथवा खाद्य श्रेणियों के विशेष संदर्भ में खाद्य प्रयोगशालाओं में परीक्षण में उत्कृष्टता सुनिश्चित करेंगी। एनआरएल प्रणाली की स्थापना की संकल्पना का अनुमोदन खाद्य प्राधिकरण द्वारा 25 मई, 2017 को आयोजित इसकी 23वीं बैठक में किया गया था।

8.2.2 रुचि की अभिव्यक्ति के आधार पर, 39 आवेदन प्राप्त हुए थे जिसमें से 17 को छांटा गया था। सावधानीपूर्वक मूल्यांकन और निरीक्षण के पश्चात, इस प्रयोजन के लिए गठित कोर समिति ने एनआरएल के रुप में अधिसूचित की जाने वाली 13 प्रयोगशालाओं को और केवल सहायक सुविधा के रुप में कार्य करने के लिए, न कि एक स्वतंत्र एनआरएल के रुप में, 2 प्रयोगशालाओं को सहायक राष्ट्रीय संदर्भ प्रयोगशालाओं (ए.एन.आर.एल.) के रुप में अंतिम रुप दिया था और संस्तुति की थी। अधिसूचित एनआरएल के नाम और विशिष्ट कार्य क्षेत्र नीचे दर्शाया गया है:

सारणी 18 - राष्ट्रीय संदर्भ प्रयोगशालाओं की सूची

क्रं.सं.	प्रयोगशाला/संस्थान/संगठन का नाम	विशिष्ट क्षेत्र जिसके लिए एनआरएल/एएनआरएल के रुप में घोषित
	एनआरएल के रुप में सरकारी प्रयोगशालाएं	
1.	सीएसआईआर-सैंट्रल फूड टैक्नोलौजिकल रिसर्च इंस्टीच्यूट मैसूरु	पौषण सूचना और लेबलिंग
2.	निर्यात निरीक्षण अभिकरण, कोच्चि	जीएमओ परिक्षण
3.	पंजाब बॉयोटैक्नोलॉजी इंकूबेटर, मोहाली	मिठाई और मिष्ठान्न, जिसमें मधु सम्मिलित है।
4.	आईसीएआर-राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केन्द्र	कीटनाशक अवशेष और माईकोटोक्सिंस

क्र.सं.	प्रयोगशाला/संस्थान/संगठन का नाम	विशिष्ट क्षेत्र जिसके लिए एनआरएल/एएनआरएल के रुप में घोषित
5.	आईसीएआर- केन्द्रीय मत्स्य प्रौद्योगिकी संस्थान, कोच्चि	मत्स्य और मत्स्य उत्पाद
6.	पशुधन एवं खाद्य विश्लेषण एवं शिक्षण केन्द्र - राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, आनन्द	डेयरी और डेयरी उत्पाद
7.	सीएसआईआर- इंडियन इंस्टीच्यूट आफ टोक्सिकोलोजी रिसर्च, लखनऊ	न्यूट्रास्यूटिकल्स, कार्यात्मक खाद्य और नूतन / उभरते खाद्य/खाद्य संघटक का विश मूल्यांकन/जोखिम मूल्यांकन
8.	राष्ट्रीय पौध स्वास्थ्य, प्रबंधन संस्थान, हैदराबाद	फलों और सब्जियों, अनाज और दालों, मसालों और पीटीपी में कीटनाशक अवशेष का विश्लेषण और उसका पीटीपी
	एनआरएल के रुप में निजी प्रयोगशालाएं	
9.	ट्रिलोजी एनालिटीकल लेबोरेट्री प्रा.लि. हैदराबाद	अनाज और दालों, मसालों और कंडीमेंट्स में माइकोटोक्सिन और संबंधित पीटी गतिविधियों
10.	एडवर्ड फूड रिसर्च एंड एनालिसिस सेंटर लिमिटिड, कोलकाता	पशु चिकित्सा औषध अवशेष, प्रतिजैविक और हारमोंस
11.	विम्टा लैब्स लिमिटिड, हैदराबाद	जल, अल्कोहोलिक और गैर-अल्कोहोलिक पेय
12.	फेयर लेब्स प्रा. लि., गुरुग्राम	तेल और वसा
13.	नियोजन फूड एंड एनीमल सिक्योरिटी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटिड, कोच्चि	खाद्य एलर्जीकारक
	एनआरएल की सहायक सुविधा	
1	निर्यात निरीक्षण अभिकरण, ईआईए, चैन्नई	सूक्ष्म जैव विज्ञानीयमें पीटीपी के रुप में सहायक सुविधा
2	निर्यात निरीक्षण अभिकरणईआईए, कोलकाता	सभी खाद्य श्रेणियों में भारी धातुओं के क्षेत्र में पीटीपी के रुप में सहायक सुविधा

8.2.3 एनआरएल जब पूरी तरह से प्रचालन में आ जाएगा, तब उसे सिंगल अम्ब्रेला नेटवर्क में लाया जाएगा जिसे एनआरएल (एनएनआरएल) का नेटवर्क कहा जाएगा।

8.2.4 15 प्रयोगशालाओं की उपर्युक्त सूची का अनुमोदन 4 फरवरी, 2019 को आयोजित खाद्य प्राधिकरण की 27वीं बैठक में किया गया था।

8.2.5 एन.आर.एल. और ए.एन.आर.एल. के लिए दिशा-निर्देशों की पुस्तिका, जिसमें पृष्ठभूमि, उत्तरदायित्व, वित्तीय विनियम, प्रगति रिपोर्ट और समझौता ज्ञापन (एमओयू) का प्रारुप का उल्लेख किया गया है, तैयार की जा रही है। यह पुस्तिका समझौता ज्ञापन का एक भाग होगी। एन.आर.एल. को मान्यता केवल तभी लागू होगी जब समझौता ज्ञापन पर एन.आर.एल. द्वारा विधिवत हस्ताक्षर कर दिए जाएं और एफ.एस.एस.ए.आई. द्वारा इसे स्वीकृति प्रदान कर दी जाए। इन प्रयोगशालाओं को मार्च, 2019 में अनुमोदन से अवगत करा दिया गया है। यह पुस्तिका और समझौता ज्ञापन शीघ्र ही उन्हें भेजा जाएगा।

8.3 देश में खाद्य परीक्षण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण की केन्द्रीय क्षेत्र की योजना जिसमें चल खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की व्यवस्था करना सम्मिलित है -

8.3.1 देश में खाद्य परीक्षण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण की केन्द्रीय क्षेत्र की योजना जिसमें चल खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की व्यवस्था करना सम्मिलित है, का अनुमोदन 31 अगस्त, 2016 को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किया गया था जिसका परिव्यय 481.95 करोड़ रुपये (400.40 करोड़ रुपये - गैर आवती, 81.55 करोड़ रुपये- आवर्ती) था और यह इसके कार्यान्वयन की अवधि 2016-17 से 2018-19 तक तीन वर्षों लिए थी। कार्यान्वयन की प्रगति को देखते हुए, इस योजना को मार्च, 2021 तक दो वर्षों की अवधि के लिए जारी रखने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा गया है। मंत्रालय का अनुमोदन अभी प्राप्त नहीं हुआ है।

8.3.2 केन्द्रीय क्षेत्र की इस योजना के कार्यान्वयन के महत्वपूर्ण घटकों और स्थिति का विवरण नीचे दिया गया है:

(i) राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण :

योजना के इस घटक के अंतर्गत, लगभग 45 राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं (एस.एफ.टी.एल.) का सुदृढ़ीकरण किया जाना है। प्रत्येक की अनुमानित लागत 10 करोड़ रुपये (लगभग) है जिसमें तीन अत्याधुनिक गुणवत्तापूर्ण उपकरणों (एच.ई.ई.) अर्थात जी.सी.-एम.एस.एम.एस., आई.सी. पी.एम.एस और एलसी-एम.एस.एम.एस. की संस्थापना के लिए भौतिक अवसंरचना के सृजन/नवीकरण के लिए 50 लाख रुपये, एच.ई.ई. (जिसमें 7 वर्षों के लिए जनशक्ति और 5 वर्षों के व्यापक वार्षिक रख रखाव अनुबंध सम्मिलित है) की अधिप्राप्ति के लिए 8.50 करोड़ रुपये और एक सूक्ष्म जैव विज्ञानीय प्रयोगशाला की स्थापना के लिए 1.00 करोड़ रुपये सम्मिलित हैं। उत्तर पूर्वी राज्य में एक नई प्रयोगशाला की स्थापना के लिए अनुमानित अनुदान 3 करोड़ रुपये है।

वर्ष 2018-19 की अवधि के दौरान, 13 और एस.एफ.टी.एल. के उन्नयन का कार्य प्रारंभ किया गया था जिसके लिए अत्याधुनिक गुणत्तापूर्ण उपकरण (जनशक्ति सहित) की अधिप्राप्ति, सूक्ष्म जैव विज्ञानीय प्रयोगशाला की स्थापना और अति परिष्कृत उपकरणों की स्थापना करने के लिए अवसंरचना का नवीकरण करने के लिए स्वीकृत की गई अनुदान की राशि 143.10 करोड़ रुपये थी जिसमें से 141.60 करोड़ रुपये जारी कर दिए गए थे। गत वर्ष तक 23 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के जिन 24 एस.एफ.टी.एल. के उन्नयन का कार्य प्रारंभ किया गया था उनकी संख्या बढ़कर 29 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र में 37 एस.एफ.टी.एल. हो गई है। इसके लिए कुल 220.30 करोड़ रुपये (जिसमें से 218.80 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं) की अनुदान की राशि स्वीकृत की गई है। स्वीकृत की गई अनुदान की राशि का विवरण नीचे सारणी 19 में दिया गया है:

सारणी 19 - एस.एफ.टी.एल.के उन्न्यनन के लिए स्वीकृत अनुदान का विवरण

स्वीकृत/जारी अनुदान और प्रयोजन	एस.एफ.टी.एल. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
रु.15.50 करोड़ नवीकरण कार्य के लिए (@Rs.50 लाख / एसएफटीएल	31 एस.एफ.टी.एल. 27 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात (2 प्रयोगशालाएं अर्थात वड़ोदरा और राजकोट), हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर (2 प्रयोगशालाएं अर्थात जम्मू और श्रीनगर), झारखण्ड, कर्नाटक(बंगलुरु), केरल (2 प्रयोगशालाएं अर्थात कोझीकोड और तिरुवनंतपुरम), मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, नागालैण्ड, ओडिशा, पुदुचेरी, पंजाब, राजस्थान (2 प्रयोगशालाएं अर्थात जोधपुर और उदयपुर), तमिलनाडु (2 प्रयोगशालाएं अर्थात चैन्नई और मदुरै), तेलंगाना, उत्तराखण्ड, पश्चिम बंगाल.
रुपये 183.45 करोड़ अत्याधुनिक गुणवत्ता पूर्ण उपकरणों (एच.ई.ई.) की अधिप्राप्ति के लिए	26 एस.एफ.टी.एल. 22 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात (2 प्रयोगशालाएं अर्थात वड़ोदरा और राजकोट), हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर (2 प्रयोगशालाएं अर्थात जम्मू और श्रीनगर),झारखण्ड, कर्नाटक(बंगलुरु),केरल,मणिपुर, मध्य प्रदेश, मेघालय, नागालैण्ड, ओडिशा, पंजाब,राजस्थान (2 प्रयोगशालाएं अर्थात जोधपुर और उदयपुर), तमिलनाडु (2 प्रयोगशालाएं अर्थात चैन्नई और मदुरै), तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल

स्वीकृत/जारी अनुदान और प्रयोजन	एस.एफ.टी.एल. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
रु. 8.95करोड़ सूक्ष्म जैव विज्ञानीय प्रयोगशाला	14 एस.एफ.टी.एल. 13 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	दिल्ली जम्मू तथा कश्मीर (2 प्रयोगशालाएं), गुजरात,गोवा,, कर्नाटक, केरल,मेघालय, नागालैण्ड,पंजाब,राजस्थान,तमिलनाडु, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल
रु. 2.40 करोड़ उत्तर पूर्वी राज्य में नई खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना	1 एस.एफ.टी.एल. 1 राज्य	मणिपुर (मोरेह)
रु. 10 करोड़ एचईई के स्थान पर मूलभूत कार्यात्मक प्रयोगशाला के रुप में उन्नयन	2 एस.एफ.टी.एल. 2 राज्य	कर्नाटक (मैसूरु) और सिक्किम (सिंगटाम)

(ii) अपीलीय खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण:

खाद्य सुरक्षा और मानक विनियम (एफएसएसआर) के अनुसार योजना के इस घटक में अत्याधुनिक गुणवत्ता पूर्ण सुविधाओं से युक्त अपीलीय खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं के सुदृढ़ीकरण की परिकल्पना की गई है। एफ.एस.एस.आर. के अनुसार कुछ प्रमुख उपकरण सुविधाओं के लिए विद्यमान और अपेक्षित परीक्षण सुविधाओं के बीच के अंतर को पूरा करने के लिए प्रत्येक अपीलीय प्रयोगशाला के उन्नयन के लिए अनुमानित अनुदान की राशि 3 करोड़ रुपए है।

इस अवधि के दौरान, 3 और अपीलीय प्रयोगशालाओं अर्थात सीएसआईआर-इंडियन इंस्टीच्यूट आफ टोक्सोकोलॉजी रिसर्च (आईआईटीआर), लखनऊ, राष्ट्रीय मांस रेफरल केन्द्र (एनआरसी-एम) हैदराबाद और पंजाब बायोटेक्नोलॉजी इंकूबेटर (पीबीटीआई), मोहाली को अत्याधुनिक गुणवत्तापूर्ण उपकरणों के साथ उन्नयन के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया था जिसके लिए 9.856 करोड़ रुपए की राशि का अनुदान जारी किए गए। इसके साथ ही उच्च गुणवत्तायुक्त उपकरणों की अधिप्राप्ति के लिए 10 अपीलीय प्रयोगशालाओं को मार्च, 2019 के अंत तक 28.08 करोड़ रुपए का कुल अनुदान का अनुमोदन किया गया है जिसमें से 23.571 करोड़ रुपए जारी किए गए थे। विवरण निम्न सारणी 20 में दिया गया है:

सारणी 20 – अपीलीय प्रयोगशालाओं के उन्नयन के लिए स्वीकृत और जारी की गई अनुदान का विवरण

क्र.सं.	अपीलीय प्रयोगशाला का नाम और पता	राशि (करोड़ रुपये में)		उपकरण का नाम
		स्वीकृत	जारी (मास, वर्ष)	
1	खाद्य सुरक्षा और विश्लेषणात्मक गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला, मार्फत सीएफटीआरआई, मैसूरू	4.00	4.00 (मार्च, 2017)	आईआरएमएस एवं एलसी-एमएस/एमएस
2	भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान (एचएफपीटी) तंजावुर	1.65	0.825 (जुलाई, 2017)	आटोमेटिड माइक्रोबियल आइडेंटीफिकेशन सिस्टम एंड डीएनए सिक्वेंसर
3	भारतीय रसायन प्रौद्योगिकी संस्थान (आई आईसीटी) हैदराबाद	1.25	1.25 (तीन किश्तों में)	एएएस,जीसी-एमएस एंड एचपीएलसी-यूवी-एफएलडी
4	आईसीएआर- केन्द्रीय मत्स्य प्रौद्योगिकी संस्थान, (सीआईएफटी) कोच्चि, केरल	3.50	3.50 (दो किश्तों में)	एलसी-एमएस/एमएस
5	पशुधन एवं आहार विश्लेषण तथा अध्ययन केन्द्र, मार्फत एनडीडीबी आनन्द, गुजरात	2.10	1.886 (दो किश्तों में)	क्यूक्यूक्यू आईसीपी एमएस/एमएस हाइफिनेटिड विद क्रोमेटोग्राफी एलांग विद एसेस्सरीज
6	राष्ट्रीय वनस्पति स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान (एनआईपीएचएम)-हैदराबाद	3.18	1.59	एलसी-एमएस/एमएस, ईवेपोरेटर विद नाइट्रोजन जेनेरेटर आदि
7	राष्ट्रीय अंगूर अपीलीय केन्द्र, (आईसीएआर-एनआरसीजी)	3.00	3.00 (दो किश्तों में)	यूपीएलसी-क्यूटीओएफ-एमएस विद लाइसेंस्ड साफ्टवेयर
8	सीएसआईआर-भारतीय विषविज्ञान अनुसंधान संस्थान (सीएसआईआर-आईआईटीआर), लखनऊ	3.40	2.72	एलसी-एच0आरएमएस
9	पंजाब बायोटेक्नोलॉजी इंकूबेटर (पीबीटीआई), मोहाली	3.00	2.40	आईसीपी-एमएस ईए-एलसी-आईआरएमएस
10	आईसीएआर- राष्ट्रीय मॉस अनुसंधान केन्द्र(आईसीएआर-एनआरसीएम), हैदराबाद	3.00	2.40	एलसी-एमएस/एमएस डीएनए सिक्वेंसर बेक्टीरियल कल्चर सिस्टम बायोसेफ्टी वर्क स्टेशन
	योग	**28.08 करोड़**	**23.571 करोड़**	

(iii) चल खाद्य प्रयोगशालाओं के लिए सहायता :

इस योजना के अंतर्गत, पूरे देश में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लगभग 60 चल खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं (एमएफटीएल), जिन्हें फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स (एफएसडब्ल्यू) के नाम से जाना जाता है (प्रत्येक 20 जिले में एक-एक परंतु प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में कम से कम एक) की स्थापना की जाएगी। इससे न केवल दूरस्थ क्षेत्रों में खाद्य परीक्षण अवसंरचनाओं के अभाव की समस्या का समाधान किया जा सकेगा बल्कि उपभोक्ताओं की मूलभूत विश्लेषणात्मक जरुरतों को भी पूरा किया जा सकेगा। इन प्रयोगशालाओं को संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा अथवा उनके अभिकरणों/ गैर-सरकारी संगठनों आदि द्वारा संचालित किया जाएगा। एक एमएफटीएल, इसके नवीकरण और प्रयोगशाला उपकरण के सृजन की अनुमानित लागत, लगभग 38.5 लाख रुपए है जिसमें जीएसटी सम्मिलित है। इसके अलावा, पीओएल(पेट्रोल, तेल, स्नेहक) और उपभोज्य पदार्थों के संबंध में राज्यों/

संघ राज्य क्षेत्रों को 5 लाख रुपए प्रति वर्ष का आवर्ती अनुदान भी उपलब्ध कराया जा रहा है।

एफएसडब्ल्यू का उपयोग इन प्रयोजन के लिए किया जाएगा- (i) निगरानी और राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों, भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों, स्कूलों और उपभोक्ता संगठनों में खाद्य सुरक्षा के संबंध में जागरुकता सृजन के लिए (ii) दूरस्थ क्षेत्रों से लिए गए नमूनों की खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं तक ढुलाई करने,(iii) खाद्य सुरक्षा कानूनों और समान स्वच्छता पद्धतियों के विभिन्न पहलुओं में उपभोक्ता की शिक्षा (iv) घी, दूध, खोया,मिष्ठान्न, खाद्य तेल, मसाले में गुणात्मक संदूषण, नमकीन इत्यादि मैं गैर अनुमत रंगो के लिए स्थल पर ही परीक्षण। गुणात्मक दृष्टि से प्रत्येक एफएसडब्ल्यू 7 विभिन्न खाद्य श्रेणियों के >54 मानदण्डों का परीक्षण कर सकती है। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक एफएसडब्ल्यू में राज्यों द्वारा इच्छा व्यक्त करने पर, सरल सूक्ष्म जीव-विज्ञानीय परीक्षणों के निष्पादन के लिए प्रावधान किया गया है।

वर्ष 2018-19 के दौरान, 13 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 20 एफएसडब्ल्यू मंजूर किए गए थे, जिनमें से 17 एसएफडब्ल्यू 12 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को संवितरित किए गए। 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार 32 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कुल 46 एफएसडब्ल्यू स्वीकृत किए गए थे जिनमे 40 को वितरित कर दिया गया था। संवितरित किए लगभग सभी एफएसडब्ल्यू को राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा इस अवधि के दौरान प्रचालनात्मक बनाया गया है। एफएसडब्ल्यू का राज्यवार आबंटन इस प्रकार है:

अंडमान और निकोबार (1), अरुणाचल प्रदेश (1), असम (1), बिहार(1), चण्डीगढ़(1), छत्तीसगढ़ (2), दादर और नगर हवेली, दमन और दिव(1), दिल्ली (3), गोवा (1), गुजरात (2), हरियाणा (2), हिमाचल प्रदेश (2), जम्मू और कश्मीर (2), झारखण्ड (1), कर्नाटक (1), केरल (1), मध्यप्रदेश (2), महाराष्ट्र (2), मणिपुर (1), मेघालय (2), नागालैंड (1), ओडिशा (1), पुदुचेरी (1), पंजाब (2), राजस्थान (1), सिक्किम (1), तमिलनाडु (1), तेलंगाना (1), त्रिपुरा (1), उत्तराखण्ड (1), उत्तर प्रदेश (4) और पश्चिम बंगाल(1)

आकृति 13 - एफएसडब्ल्यू वाहन का आंतरिक दृश्य 14 -एफएसडब्ल्यू का बाह्य दृश्य

(iv) खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की क्षमता निर्माण

क्षमता निर्माण देश में खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की पारिस्थितिकी प्रणाली के सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन का आवश्यक संघटक है। इस गतिविधि का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं ने एनएबीएल प्रत्यायन का दर्जा हांसिल कर लिया है और उन्होंने देश में सर्वश्रेष्ठ प्रयोगशालाओं की बराबरी कर ली है। सभी राज्य खाद्य प्रयोगशालाएं और अपीलीय प्रयोगशालाएं इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पात्र होंगी। इसके अलावा, देश में खाद्य विश्लेषकों के कारगर एवं अर्हताप्राप्त नेटवर्क की स्थापना करने के उद्देश्य से एफएसएसएआई द्वारा अधिसूचित प्रयोगशालाओं को भी क्षमता निर्माण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस घटक के अंतर्गत 3 वर्षों के लिए 15 करोड़ रुपए की राशि आरक्षित रखी गई है।

इस अवधि के दौरान, खाद्य प्राधिकरण द्वारा खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं के कर्मियों के लिए 22 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, जिसमें 6 विशेषीकृत कार्यक्रम और 16 सामान्य कार्यक्रम थे, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों/संस्थानों के सहयोग से आयोजित किए गए थे।

8.4 नमूने और विश्लेषण करने की पद्धतियों से संबंधित मैन्यूअल

नमूना लेने और विश्लेषण की पद्धतियों से संबंधित वैज्ञानिक पैनल और वैज्ञानिक सामिति की सिफारिशों के आधार पर वर्ष के दौरान खाद्य प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित पद्धतियों का अनुमोदन किया गया :-

(i) अनाज और अनाज उत्पाद की श्रेणी के अंतर्गत नई वस्तुओं के मानदण्डों के विश्लेषण की पद्धतियां

(ii) खाद्य उत्पादों में दृडीकृत तत्वों के विश्लेषण के लिए पद्धतियां

(iii) घी (शोधित दुग्ध वसा) में वनस्पति तेलों के अपमिश्रण का पता लगाने के लिए पद्धति

विश्लेषणों की सभी अनुमोदित पद्धतियां एफएसएसएआई की वैबसाइट पर दर्शायी गई हैं।

8.5 खाद्य विश्लेषक परीक्षा (एफएई)/कनिष्ठ विश्लेषक परीक्षा (जेएई)

8.5.1 पाँचवीं खाद्य विश्लेषक परीक्षा

योग्यताप्राप्त खाद्य विश्लेषकों की संख्या में वृद्धि करने और प्राथमिक तथा अपीलीय प्रयोगशालाओं की मानव संसाधन की मांग में वृद्धि करने के लिए एफ.एस.एस.ए.आई. नियमित रुप से खाद्य विश्लेषक की परीक्षाएं आयोजित करता रहता है। इस अवधि के दौरान, 5वीं एफएई का सिद्धांत परीक्षा का पेपर 22 सितम्बर, 2018 को ऑन लाइन विधि के माध्यम से 13 केन्द्रों (उत्तर - 4, दक्षिण-4, पश्चिम-3 तथा पूर्व-2) में आयोजित किया गया था। इसमें 640 उम्मीदवार उपस्थित हुए थे जिनमें से 100 उम्मीदवारों को व्यावहारिक परीक्षा में उपस्थित होने के योग्य पाया गया था। व्यावहारिक परीक्षा 22-23 दिसम्बर, 2018 को तीन केन्द्रों अर्थात (i) राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमशीलता और प्रबंधन संस्थान (एनआईएफटीईएम), कुण्डली, सोनीपत, हरियाणा (ii) खाद्य सुरक्षा और विश्लेषणात्मक गुणवत्ता नियंत्रण विभाग (एफएसएक्यूसीएल) सीएसआई आर-केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकीय अनुसंधान संस्थान (सीएसआईआर- सीएफटीआर आई), मैसूरु और (iii) खाद्य इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी विभाग रसायन प्रौद्योगिकी संस्थान (आईसीटी) मुम्बई में आयोजित की गई थी। व्यावहारिक परीक्षा में सम्मिलित हुए 92 उम्मीदवारों में से खाद्य विश्लेषक बोर्ड ने 9

जनवरी, 2019 को आयोजित बैठक में 83 को योग्यता प्राप्त खाद्य विश्लेषक घोषित किया। इसके साथ ही, इस परीक्षा के 5 सत्रों के माध्यम से योग्यताप्राप्त खाद्य विश्लेषकों के रुप में घोषित उम्मीदवारों की संख्या 360 है। इसके अलावा, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की प्रयोगशालाओं में 31 और लोक विश्लेषक नियुक्त हैं।

8.5.2 दूसरी कनिष्ठ विश्लेषक परीक्षा (जेएई)

खाद्य परीक्षण कर्मियों के अभाव को देखते हुए तथा नए स्नातकोत्तर को खाद्य उद्योग/खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं में रोजगार की संभावनाओं के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए और एक विशेषज्ञ के अपेक्षित रुप में विश्लेषणात्मक अनुभव अर्जित कर लेने के पश्चात खाद्य विश्लेषक की विशेषज्ञता अपनाने के लिए, कनिष्ठ विश्लेषक परीक्षा 5वीं खाद्य विश्लेषक परीक्षा के साथ ही ऑन लाइन विधि के माध्यम से आयोजित की गई थी। शैक्षिक अर्हता, परीक्षा का पाठ्यक्रम और सैद्धांतिक पेपर (पेपर I और पेपर II) 5वीं एफएई और दूसरी जेएई परीक्षाओं के लिए एक जैसा ही था। जेएई के लिए कुल 964 उम्मीदवार उपस्थित हुए थे, जिसमें से 125 उम्मीदवारों को योग्यताप्राप्त कनिष्ठ विश्लेषक घोषित किया गया था। ये 125 उम्मीदवार खाद्य के विश्लेषण में तीन वर्षों का अनुभव प्राप्त करने पर, खाद्य विश्लेषक परीक्षा (एफएई) की व्यावहारिक परीक्षा में सीधे प्रवेश के पात्र हो जाएंगे।

8.5.3 पाठ्यक्रम में संशोधन करने के लिए और खाद्य विश्लेषक और कनिष्ठ विश्लेषक परीक्षाओं के लिए परीक्षा की पद्धति में संशोधन के लिए एक समिति गठित की गई है।

8.6 निगरानी गतिविधियां

8.6.1 दुग्ध निगरानी

एफ.एस.एस.ए.आई. द्वारा राष्ट्रीय दुग्ध सुरक्षा और गुणवत्ता सर्वेक्षण (एन.एम.क्यू.एस.), 2018 का कार्य तृतीय पक्ष को सौंपा गया था। एन.एम.क्यू.एस. 2018 के अंतर्गत 2 गुणवत्ता मानदण्ड (वसा और एसएनफ), 13 सामान्य अपमिश्रक और 4 संदूषक (प्रतिजैविक, कीटनाशक और एफलाटोक्सिनM1, एल्यूमिनियम फोस्फेट) के विश्लेषण थे। इस सर्वेक्षण का अभिकल्पन एफ.एस.एस.ए.आई. के मार्गदर्शन में सभी 29 राज्यों और 7 संघ शासित क्षेत्रों के >50000 से अधिक की आबादी वाले सभी जिलों और बड़े नगरों/शहरों को अंतर्गत लाने के लिए किया गया था। यह सर्वेक्षण मई से अक्तूबर 2018 के छः महीने की अवधि के दौरान किया गया था। बड़ी संख्या में नमूनों और एक रुप परीक्षण प्रोटोकाल के संदर्भ में यह एक अद्वितीय स्वरुप का सर्वेक्षण रहा था। कुल 6432 नमूनों में से, 41%(2607) प्रसंस्कृत दूध के थे और शेष 59%(3825) कच्चे दूध के थे। प्रसंस्कृत दूध में से 60% टोण्ड दूध के थे, 20% फुल क्रीम दूध के थे, 15% स्टेंडर्ड दूध के थे और 5% डबल टोंड दूध के थे। कच्चे दूध में से, गाय, भैंस और मिश्रित दूध के प्रत्येक के एक तिहाई नमूने थे। सभी 6432 नमूनों का स्थल पर तुरन्त ही चलते-फिरते वाहनों में गुणात्मक विश्लेषण किया गया और करीब एक तिहाई नमूनों में से जिनसे सुरक्षा मानदण्डों के लिए संभावित अपमिश्रण अथवा संदूषण का पता चला था, उन्हें प्रयोगशाला में भेजा गया था और उनका मात्रात्मक विश्लेषण किया गया था। एफ.एस.एस.ए.आई. द्वारा 13 नवम्बर, 2018 को एक अंतरिम रिपोर्ट जारी की गई थी। इस रिपोर्ट से यह पता चलता है कि भारत में दूध काफी हद तक सुरक्षित है। बड़ी संख्या में नमूनों में से बहुत ही कम नमूनों को अपमिश्रित पाया गया था। सर्वेक्षण में तथापि 10% से कम नमूने संदूषित पाये गए जिनका मुख्य कारण घटिया कृषि पद्धतियों का होना था। 90% से अधिक नमूनों को सर्वेक्षण में सुरक्षित पाया गया था।

- 10% से कम (6432 नमूनों में से 638) संदूषित (प्रतिजैविक, कीटनाशक, एफलाटोक्सिनM_1 और एल्यूमिनियम फोस्फेट) थे। जिसके कारण उपभोग के लिए दूध असुरक्षित हो गया था।

- 6432 नमूनों में से 368 (अर्थात 5.7%) में एफलाटोक्सिनM_1 का पता चला था जो कि अनुमत सीमा से अधिक था। एफलाटोक्सिनM1 की उपस्थिति के बारे में यह नहीं माना जा सकता कि यह अपमिश्रण जानबूझकर किया गया है। यह सीधे तौर पर चारे की गुणवत्ता से संबंधित है और मानव स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव पड़ता है।
- 6432 नमूनों में से 195 नमूनों (अर्थात 3% नमूनों में) में अमोनियम सल्फेट का पता चला था। पशुओं को दिए जाने वाले चारे में प्रोटीन की मात्रा में वृद्धि करने के लिए अमोनियम सल्फेट सहित अमोनियम योगिकों को कथित तौर पर मिश्रित किया गया!
- 6432 नमूनों में से 77 नमूने, जो कि 1.2% है, सीमा से अधिक प्रति जैविक अवशेषों के होने के कारण असफल हो गए थे और इसका प्रमुख कारण बोवाइन मास्टीटिस से ग्रस्त पशुओं की चिकित्सा में ऑक्सी-टेट्रासाइक्लिन का प्रयोग होना है।
- दूध में कीटनाशक अवशेषों का पता चला था लेकिन इनका स्तर विनियम में विनिर्दिष्ट एमआरएल से कम पाया गया था। अत: कीटनाशक अवशेषों के होने से चिंता की कोई बात नहीं है।
- 6432 नमूनों में से 12 अपमिश्रित थे जिनसे दूध की सुरक्षा प्रभावित हुई थी। सांख्यिकीय विश्लेषण से पता चलता है कि इस प्रकार के अपमिश्रकों की उपस्थिति सर्वेक्षण में अत्यधिक संख्या में लिए गए नमूनों को देखते हुए सांख्यिकीय दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है।
- दूध के विभिन्न प्रकारों के लिए वसा और एसएनएफ की सीमाओं के विरुद्ध इस सर्वेक्षण में वसा और एसएनएफ के स्तरों के लिए नमूनों का परीक्षण किया गया था। यह देखा गया कि 1261 (19.6%) नमूने वसा के मानक को पूरा नहीं करते थे और 2165 (33.7%) नमूने एसएनएफ के मानकों को पूरा नहीं करते थे। अन्य 218 नमूनों (3.4%) में शर्करा और माल्टोडेक्सट्रिन के मिश्रण का पता चला था। समग्र रुप से, 2505 नमूने अर्थात कुल का 39% नमूने गुणवत्ता पैरामीटरों को पूरा नहीं करते थे।

यह एक पहला ऐसा सर्वेक्षण था जिसमें दूध में कीटनाशकों, प्रतिजैविकों, अफलाटोक्सिनM1 और अमोनियम सल्फेट के अवशेषों सहित संदूषकों का विश्लेषण किया गया था। इन सभी मामलों में, जहां दूध के संदूषित होने का पता चला था, घटिया गुणवत्ता युक्त चारे का सेवन, प्रति जैविकों का गैर-जिम्मेदाराना प्रयोग और घटिया खेती प्रणाली इस संदूषण के कारण थे। यह पाया गया था कि संदूषण की ये घटनाएं केवल कुछ ही क्षेत्र में और कुछ ही राज्यों में हुई थीं और तद्नुसार, हॉट स्पाटों का पता लगाया गया। इन सर्वेक्षणों के निष्कर्षों से एफएसएसएआई को पूरे देश में अपनी विनियात्मक सैम्पलिंग के अतिरिक्त हाट स्पाट क्षेत्रों में प्रयासों में तेजी लाने में मदद मिलेगी।

8.7 खाद्य परीक्षण और निगरानी क्षमता के सुदृढ़ीकरण के लिए साझेदारी

मैसर्स थर्मोफिशर साइंटिफिक इण्डिया लि. के साथ समझौता ज्ञापन

एफ.एस.एस.ए.आई. ने खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में आगे और अनुसंधान करने के लिए और प्रदर्शन और प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए एनआरएल, गाजियाबाद स्थित एफ.एस.एस.ए.आई. के परिसर में खाद्य सुरक्षा समाधान केन्द्र की स्थापना के लिए 3 मई, 2018 को मैसर्स थर्मोफिशर साइंटिफिक इण्डिया लि. के साथ एक समझौता किया है। इस केन्द्र की स्थापना हो गई है और अप्रैल, 2019 में इसके खुल जाने की संभावना है।

मैसर्स मिरक लाइफ साईंस प्राइवेट लिमिटिड के साथ समझौता ज्ञापन

एफ.एस.एस.ए.आई. ने खाद्य विश्लेषकों के कौशल विकास, अनुसंधान, खाद्य सुरक्षा, मानक और मानक

संचालन प्रक्रिया का विकास करने के लिए विश्व श्रेणी की प्रयोगशाला के निर्माण के प्रयोजन के लिए "सूक्ष्म जैव विज्ञानीय विश्लेषण प्रशिक्षण केन्द्र" अथवा सी-मेट नामक आधुनिक प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए 12 जुलाई, 2018 को मैसर्स मिरक लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटिड के साथ एक करार किया है। एफ.एस.एस.ए.आई. ने सी-मेट में सूक्ष्म जैव विज्ञानीय प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक दूसरे के साथ सहयोग करने के लिए 23 जनवरी, 2019 को मैसर्स मिरक लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटिड के साथ एक अन्य करार किया है। सी-मेट प्रयोगशाला एफ.एस.एस.ए.आई. को अप्रैल, 2019 तक सौंप दिए जाने की संभावना है।

यूनिवर्सिटी आफ लावल क्यूबैक, कनाडा के साथ आशय का ज्ञापन (एमओआर्ड्र)

एफ.एस.एस.ए.आई. ने खाद्य सुरक्षा और पोषण को अंतर्गत लाते हुए सहयोगात्मक ढांचे की स्थापना के लिए 12 अक्तूबर, 2018 को यूनिवर्सिटी आफ लावल क्यूबेक, कनाडा के साथ एक आशय का ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं। मूल रुप से इसका उद्देश्य फैकल्टी और छात्रों के आदान-प्रदान के माध्यम से क्षमता निर्माण और तकनीकी आदान-प्रदान कार्यक्रम तैयार करना है।

यूनाइटिड स्टे्टस फार्माकोपियल कंवेशन (यूएसपी), संयुक्त राज्य अमरीका के साथ समझौता ज्ञापन

एफ.एस.एस.ए.आई. ने खाद्य संघटकों और योज्यों, स्वास्थ्य पूरकों, न्यूट्रास्यूटिकल्स और संबंधित उत्पादों सहित खाद्य की गुणवत्ता और सुरक्षा की महत्ता की सूचना के अंतरण और आदान-प्रदान में सुधार तथा जागरुकता वृद्धि के उद्देश्य से 25 फरवरी, 2019 को यूएसपी के साथ एक करार किया है।

आकृति 15 -एफ.एस.एस.ए.आई. अधिसूचित प्रयोगशालाओं, राज्य/सार्वजनिक खाद्य प्रयोगशालाओं, अपीलीय प्रयोगशालाओं की राज्य-वार संख्या

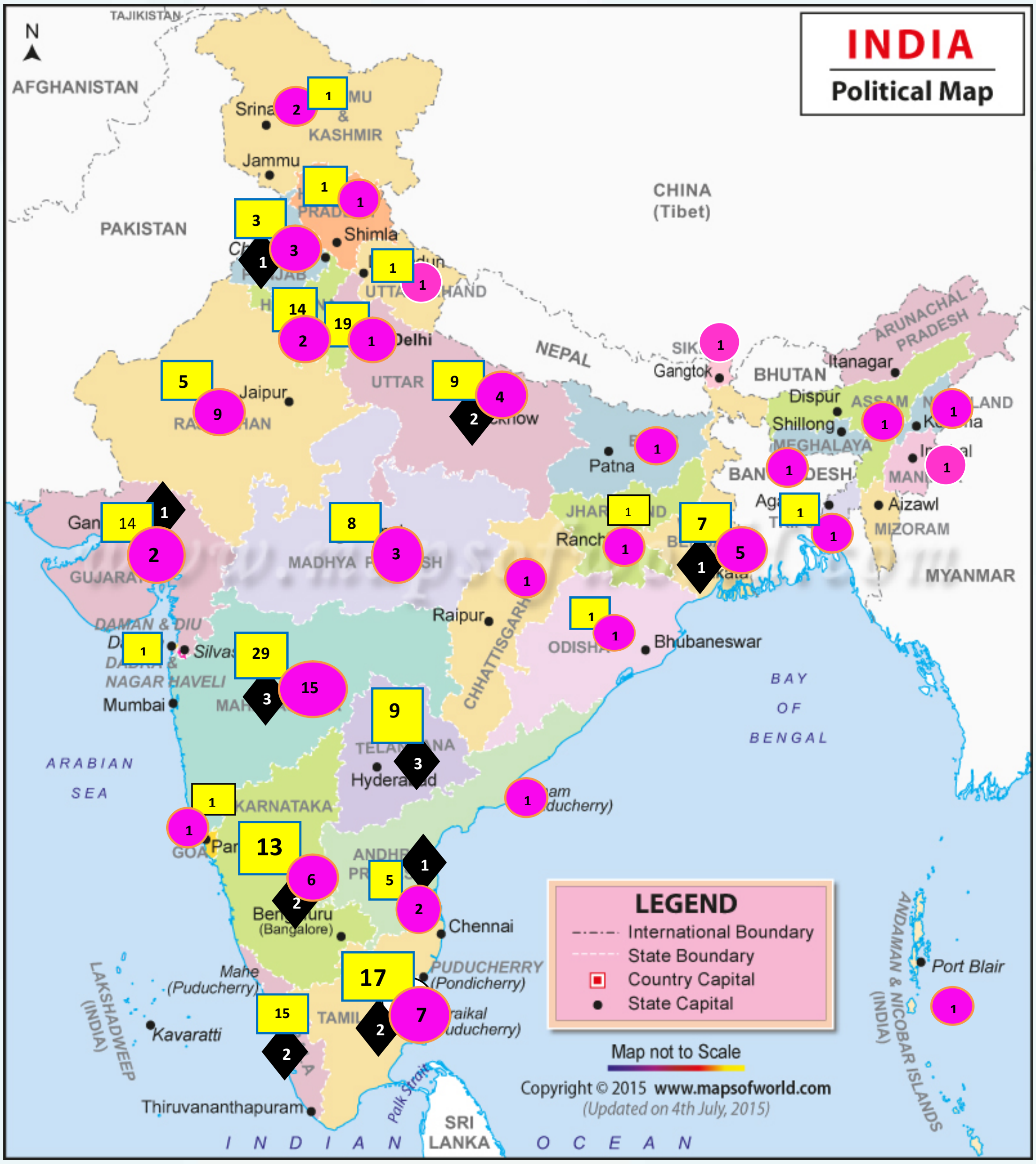

INDEX:

- FSSAI notified laboratories-175
- State/public Laboratories-76
- Referral laboratories-18

आकृति 16 -चल खाय सुरक्षा की राज्य/संघ शासित क्षेत्रवार स्वीकृति

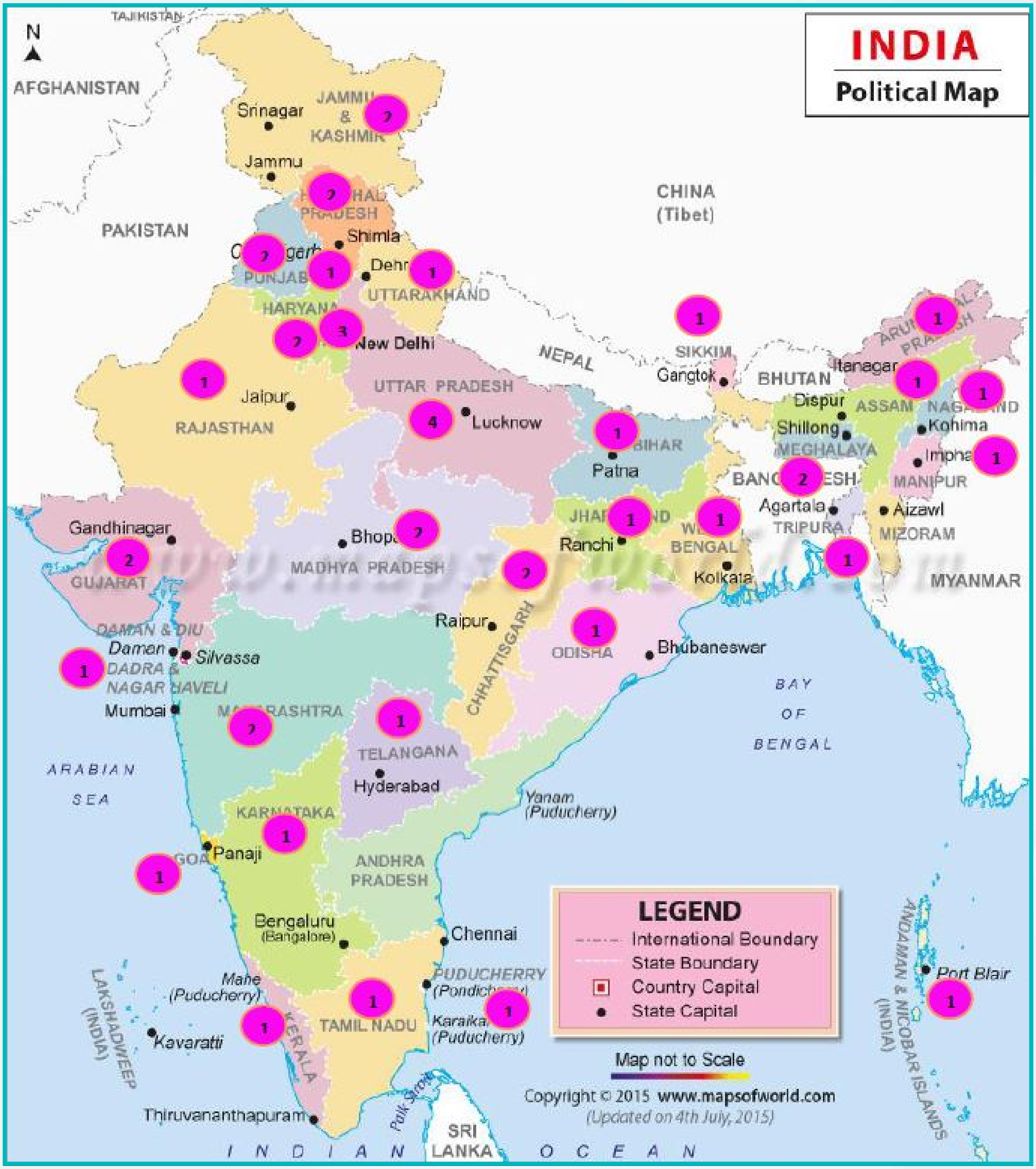

अध्याय-9

खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण और क्षमता-निर्माण

9.1 खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण और प्रमाणन (फोस्टैक)

9.1.1 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 16(3)(ज) के अनुसार प्राधिकरण को अपने क्षेत्र अथवा उससे बाहर के उन व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने हैं, जो खाद्य कारोबार में शामिल हों अथवा जिनके ऐसा कारोबार आरंभ करने की इच्छा हो, चाहे वे खाद्य कारोबारी हों अथवा कर्मचारी हों अथवा किसी अन्य हैसियत में हों।

9.1.2 इसके अनुपालन में एफ.एस.एस.ए.आई ने खाद्य ईकोसिस्टम के खाद्य कर्मियों के लिए मई, 2017 में खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता पर खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण और प्रमाणन कार्यक्रम (फोस्टैक) आरंभ किया। इससे देश में खाद्य कारोबार में खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता के लिए स्व-अनुपालन की संस्कृति बनती है। ये पाठ्यक्रम मुख्यत: खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य कारबार का अनुज्ञापन और रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 2011 की अनुसूची 4 में निर्धारित विभिन्न क्षेत्रों के खाद्य कारोबारियों द्वारा अनुपालन के लिए स्वच्छता और साफ सफाई की सामान्य और अच्छी रीतियों पर आधारित हैं।

9.1.3 कुछ ही समय में प्रशिक्षण ईकोसिस्टम में खाद्य श्रृंखला, जिसमें उत्पादन, कैटरिंग, खुदरा और भंडारण, ट्रांसपोर्टेशन शामिल हैं, में 160 से अधिक प्रशिक्षण सहयोगी, 1500 से अधिक प्रशिक्षक और 17 पाठ्यक्रम हो गए हैं। पाठ्यक्रमों में उच्च जोखिम खाद्य, जैसे दूध, मांस,कुक्कुट उत्पाद, स्वास्थ्य अनुपूरक इत्यादि शामिल हैं।

9.1.4 2018-19 के दौरान फोस्टैक के अंतर्गत एक लाख से अधिक खाद्य सुरक्षा पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षित किया गया।

9.1.5 फोस्टैक के एक वर्ष की स्मृति में प्रशिक्षण सहयोगियों का प्रयास

मई, 2018 में फोस्टैक के एक वर्ष पूरा होने पर सभी प्रशिक्षण सहयोगियों ने 1 मई से 31 मई, 2018 के दौरान कम से कम एक प्रशिक्षण आयोजित करके "फोस्टैक का एक वर्ष का समारोह" में स्वैच्छिक रूप से भाग लिया। इस प्रकार एक माह में पूर्वोत्तर राज्यों, जैसे मणिपुर, मेघालय और दक्षिणी राज्यों, जैसे केरल, कर्नाटक इत्यादि में देश के विभिन्न स्थानों पर 257 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस एक माह की अवधि में कुल 4100 लोगों को प्रशिक्षित किया गया।

9.1.6 राज्यों के एफ.डी.ए द्वारा विशेष अभियान

2018-19 में नागालैंड को छोड़कर देश के सभी राज्यों में फोस्टैक के अंतर्गत प्रशिक्षण दिया गया। मध्य प्रदेश, पंजाब और दिल्ली राज्यों द्वारा प्रशिक्षण को 100 प्रतिशत पूरा करने के विशेष अभियान चलाए गए। पंजाब में फोस्टैक को मिशन 'तंदरुस्ती' के साथ जोड़ा गया, जो नागरिकों को स्थायी रूप से श्रेष्ठ बनाने के प्रयोजन से स्वस्थ पंजाब बनाने की राज्य की एक पहल है। लगभग सभी राज्यों ने फोस्टैक के लिए नोडल अधिकारी नामित कर दिए हैं।

9.1.7 अन्य सरकारी विभागों द्वारा अंगीकरण

खाद्य कारोबारों के अलावा फोस्टैक कार्यक्रम को अर्ध-सैनिक बलों, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा

अपने मध्याह्न भोजन योजना के लिए, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा अपनी विभागीय कैंटीनों के लिए, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा सेल्फ हेल्प ग्रुपों के लिए, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन द्वारा स्ट्रीट फूड विक्रेताओं के लिए, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा लघु और मध्यम स्तर के कारोबार उद्यमियों के लिए, आईआरसीटीसी और राज्यों के गृह विभागों द्वारा जेलों के लिए भी अंगीकरण किया गया।

9.1.8 स्ट्रीट फूड विक्रेताओं के लिए विशेष अभियान

स्ट्रीट फूड विक्रताओं के प्रशिक्षण के लिए बड़े खाद्य कारोबारियों, जैसे एचयूएल, कोका-कोला, नेस्ले, केएफसी, जुबिलैंट फूड प्राइवेट लिमिटेड, द्वारा अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक ज़िम्मेदारी (सीएसआर) निधि का उपयोग करते हुए विशेष अभियान चलाए गए। एक वर्ष में लगभग 20,000 स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को प्रशिक्षण दिया गया।

9.1.9 महाविद्यालयों और कार्पोरेट कैंपसों में विशेष अभियान

एच.यू.एल के सहयोग से विश्वविद्यालयों और कॉर्पोरेट कार्यालयों के कैंपसों के कैंटीन स्टाफ के प्रशिक्षण का विशेष अभियान चलाया गया। एक वर्ष में 12 कॉर्पोरेट कार्यालयों में 41 और 35 महाविद्यालयों के कैंपसों में 8 प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए गए।

9.1.10 शुरु किए गए पाठ्यक्रम

2017-18 में फोस्टैक के अंतर्गत कैटरिंग, उत्पादन, बेकरी, दूध और दुग्ध उत्पाद इत्यादि क्षेत्रों में 15 पाठ्यक्रम चलाए गए थे। वर्ष 2018-19 के दौरान निम्नलिखित पाठ्यक्रम आरंभ किए गए:

क्रम सं0	क्षेत्र	पाठ्यक्रम स्तर	अवधि
1	मांस और मांस उत्पाद	विशेष स्तर	8 घंटे
2	कुक्कुट और कुक्कुट मांस उत्पाद	विशेष स्तर	8 घंटे

उपर्युक्त पाठ्यक्रमों के अलावा 'फोस्टैक प्लस' कोर्स के रूप में पाठ्यक्रमों की एक नई श्रृंखला आरंभ की गई, जो मध्य प्रबंधन अथवा वरिष्ठ प्रबंधन स्तर के लिए है, जिसमें अनुसूची 4 के अनुसार खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता अपेक्षाओं के अतिरिक्त अन्य विनियमात्मक उपबंधों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। स्टार्ट-अपों और जैव खाद्य कारोबारों के लिए फोस्टैक प्लसकोर्स के रूप में 2 कोर्स आरंभ किए गए। 2018-19 के दौरान खाद्य सुरक्षा पर्यवेक्षकों के लिए आयोजित प्रशिक्षणों की क्षेत्रवार स्थिति सारणी 21 में दी गई है।

9.1.11 स्वस्थ भारत यात्रा में फोस्टैक

2018-19 के दौरान एफ.एस.एस.ए.आई की अगुआई में खाद्य सुरक्षा, खाद्य अपमिश्रण से निपटने और स्वास्थ्यकर आहारों के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए विशाल रिले साइकिल रैली आयोजित की गई। ईट राइट इंडिया का संदेश फैलाने के लिए इस रैली में देश के सभी हिस्सों से लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। फोस्टैक के प्रशिक्षण सहयोगियों ने भी रैली में पूरे देश में भाग लिया। उन्होंने रैली में भाग लेने के अतिरिक्त विद्यार्थियों, जनता और खाद्य कारोबारों के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए और साथ-साथ अपने नेमी फोस्टैक कार्यक्रम भी चलाए।

आकृति 17 - 'स्वस्थ भारत यात्रा' में प्रशिक्षण सहयोगियों की सोत्साह भागीदारी के चित्र

9.1.12 अन्य विशेष पहलें

9.1.12.1 परस्पर संवादात्मक (इंटरएक्टिव) रेडियो परामर्श सत्र

एफ.एस.एस.ए.आई ने ज्ञानवाणी पर इंटरएक्टिव रेडियो सत्रों के माध्यम से खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता के विभिन्न पहलुओं पर उपभोक्ताओं और उद्योग के लोगों को शिक्षित करने के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) के सहयोग से विशेष कार्यक्रम आरंभ किया है। हर पखवाड़े आयोजित होने वाला यह कार्यक्रम एक घंटे का चर्चा सत्र होता है, जिसमें विषय विशेषज्ञ खाद्य क्षेत्र के विभिन्न मुद्दों के सुरक्षा और स्वच्छता पहलुओं पर चर्चा करते हैं। विशेषज्ञ श्रोताओं से भी बात करते हैं और उनके प्रश्नों के उत्तर देते हैं। ऐसा पहला सत्र दिनांक 14 जनवरी, 2018 को "उच्च वसा, लवण और शर्करा (एच.एफ.एस.एस.) युक्त खाद्य पदार्थों के बढ़ते सेवन और उनके स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव" विषय पर आयोजित किया गया। तब से अनेक सत्र आयोजित किए जा चुके हैं, जिनमें खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता के विभिन्न मुद्दों पर बात की गई।

9.1.12.2 फोस्टैक के अंतर्गत नए कदम

"एफ.एस.एस.ए.आई स्व-अनुपालन की संस्कृति के लिए प्रतिबद्ध" संदेश के साथ फोस्टैक का एक नया लोगो जारी किया गया। फोस्टैक के बारे में एक पूरी मार्गदर्शिका जारी की गई।

FoSTaC

Food Safety Training & Certification

एफ.एस.एस.ए.आई स्व-अनुपालन की संस्कृति के लिए प्रतिबद्ध

आकृति 18 - विभिन्न क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा पर्यवेक्षकों के प्रशिक्षणों की छवियाँ

ए.डी.एस.डी में दूध और दुग्ध उत्पादों पर खाद्य सुरक्षा और मानक प्रशिक्षण

एस.ई.ए में खाद्य तेल और वसाओं पर खाद्य सुरक्षा और मानक प्रशिक्षण

सी.पी.एच.एफ.एस में स्वास्थ्य अनुपूरकों और न्युट्रास्युटिकल्स पर खाद्य सुरक्षा और मानक प्रशिक्षण

फूड कोगनिजैंट में पशु मांस और मांस उत्पादों पर खाद्य सुरक्षा और मानक प्रशिक्षण

एफ.बी.एम.आई में इक्वीनॉक्स में उन्नत उत्पादन पर खाद्य सुरक्षा और मानक प्रशिक्षण

उन्नत कैटरिंग प्रयोगशालाओं पर खाद्य सुरक्षा और मानक प्रशिक्षण

सारणी 21 - 2018-19 में खाद्य सुरक्षा पर्यवेक्षकों के क्षेत्रवार प्रशिक्षण की स्थिति

क्रम सं.	क्षेत्र और स्तर	आयोजित कुल प्रशिक्षण	प्रशिक्षित खाद्य सुरक्षा पर्यवेक्षक
1	बेकरी (स्तर-1)	29	646
2	बेकरी (स्तर-2)	56	1,472
3	कैटरिंग	788	14,975
4	कैटरिंग (स्तर-2)	849	17,519
5	खाद्य तेल और वसा	50	952
6	स्वास्थ्य अनुपूरक और न्युट्रास्युटिकल्स	1	21
7	उत्पादन (स्तर-1)	238	4,638
8	उत्पादन (स्तर-2)	1,413	28,774
9	दूध और दुग्ध उत्पाद, खाद्य सुरक्षा पर्यवेक्षकों के लिए	209	4,415
10	कुक्कुट मांस और कुक्कुट उत्पाद-विशेष	8	194
11	खुदरा और वितरण (स्तर-1)	21	427
12	खुदरा और वितरण (स्तर-2)	119	3,250
13	भंडारण और परिवहन (स्तर-2)	54	825
14	स्ट्रीट फूड विक्रय	412	19,905
15	जल और जल-आधारित बीवरेज	94	1,895
	कुल	4,341	99,908

9.2 खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला कार्मिकों का क्षमता-निर्माण और प्रशिक्षण

9.2.1 अवधि के दौरान खाद्य प्राधिकरण ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों/संस्थाओं/एजेंसियों के सहयोग से खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला स्टाफ के लिए कुल 22 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए, जिनमें से 6 विशेषित कार्यक्रम और 16 सामान्य कार्यक्रम थे। इन कार्यक्रमों के विवरण नीचे दिए गए हैं:

9.2.2 अच्छी खाद्य प्रयोगशाला रीतियाँ (जी.एफ.एल.पी)

"अच्छी खाद्य प्रयोगशाला रीतियों (जीएफएलपी) पर प्रशिक्षण" देश में खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं में काम करने वाले सभी वैज्ञानिक और तकनीकी कार्मिकों को अच्छे खाद्य प्रयोगशाला प्रचालनों के विभिन्न पहलुओं में प्रशिक्षित करने के लिए एफ.एस.एस.ए.आई की अखिल भारतीय परियोजना है। यह पाठ्यक्रम चिह्नित प्रतिष्ठित/अधिसूचित प्रयोगशालाओं में संचालित किया जाता है। अवधि के दौरान ऐसे कुल 15 कार्यक्रम संचालित किए गए, जिनमें प्रयोगशालाओं के कुल 446 कार्मिकों ने भाग लिया। इन कार्यक्रमों के विवरण सारणी 22 में दिए जा रहे हैं।

सारणी 22 - अच्छी प्रयोगशाला रीतियों पर प्रशिक्षण के विवरण

क्रम सं0	प्रशिक्षण की तिथि	स्थान	प्रतिभागी
1.	24-26 अप्रैल, 2018	हबर्ट एन्वायरो केअर सिस्टम प्रा0 लि0, चेन्नई	22
2.	9-11 मई, 2018	रसायन प्रौद्योगिकी संस्था, मुंबई	22
3.	29-31 मई, 2018	केंद्रीय मत्स्य प्रौद्योगिकी संस्था (सीआईएफटी), कोच्ची	32
4.	20-22 जून, 2018	सीएसआईआर– भारतीय आविष अनुसंधान संस्थान (आईआईटीआर), लखनऊ	25
5.	31 जुलाई - 2 अगस्त 2018	श्री इंन्स्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च, दिल्ली	29
6.	28-30 अगस्त, 2018	विमटा लैब्स लिमिटेड, अहमदाबाद	33
7.	10-12 सितंबर, 2018	भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्था, आईआईएफपीटी, तंजावुर	32
8.	17-19 सितंबर, 2018	राष्ट्रीय रसायन प्रौद्योगिकी संस्था, आईआईसीटी, हैदराबाद	31
9.	24-26 सितंबर, 2018	एन्वायरोकेअर लैब्स, मुंबई	29
10.	9-11 अक्टूबर,2018	निर्यात निरीक्षण परिषद् (ईआईए), कोच्ची	36
11.	24-26 अक्टूबर, 2018	राष्ट्रीय परीक्षण गृह, जयपुर	33
12.	26-28 दिसंबर, 2018	राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, बेंगलुरू	18
13.	15-17 जनवरी, 2019	गुणता मूल्यांकन प्रयोगशाला, मसाला बोर्ड, मुंबई	31
14	28-30 जनवरी, 2019	सी.ई.जी टेस्ट हाउस एंड रिसर्च सेंटर प्रा0 लि0, जयपुर	33
15	6-8 फरवरी, 2019	तेल प्रयोगशाला, प्रौद्योगिकी विभाग, कोलकाता विश्वविद्यालय	40
		योग	446

आकृति 19 - विभिन्न स्थानों पर जी.एफ.एल.पी प्रशिक्षण की कुछ छवियाँ

ई.आई.ए, कोच्ची

सी.एस.आई.आर - आई.आई.टी.आर, लखनऊ

सी.ई.जी टेस्ट हाउस, राजस्थान

9.2.3 एन.ए.बी.एल-प्रत्यायन जागरूकता कार्यक्रम

वर्ष के दौरान राज्य सरकार की प्रयोगशालाओं को एन.ए.बी.एल प्रत्यायन लेने में सहायता करने के लिए एफएसएसएआई मुख्यालय, नई दिल्ली में 12 मार्च 2019 को एक एन.ए.बी.एल-प्रत्यायन जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में राज्य सरकारों की कुल 29 प्रयोगशालाओं ने भाग लिया।

9.2.4 विशेषीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रम

वर्ष के दौरान 6 विशेषीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रयोगशालायों के कुल 172 कार्मिकों ने प्रशिक्षण लिया। इन विशेषीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण सारणी 23 में दिया जा रहा है।

सारणी 23 - प्रयोगशाला कार्मिकों के लिए विशेषीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण

दुग्ध पौष्टिकीकारकों की विश्लेषण पद्धति पर प्रशिक्षण कार्यक्रम			
1.	11-15 जून, 2018	राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एन.डी.डी.बी), आणंद में दुग्ध पौष्टिकीकारकों की विश्लेषण पद्धति पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	13
तेल और वसा पौष्टिकीकारकों की विश्लेषण पद्धति पर प्रशिक्षण कार्यक्रम			
2	24-28सितंबर, 2018	फेयर लैब्स, प्रा0 लि0, गुरुग्राम में तेल और वसा पौष्टिकीकारकों की विश्लेषण पद्धति पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	22
सूक्ष्मजैविकी में प्रायोगिक प्रशिक्षण			
3	8 अक्टूबर, 2018	नई दिल्ली में खाद्य सुरक्षा प्रबंधन में सूक्ष्मजैविक खाद्य सुरक्षा प्रतिचयन और परीक्षण पर प्रायोगिक प्रशिक्षण	40
4	26-30 नवंबर, 2018	राज्य खाद्य प्रयोगशाला, वडोदरा, गुजरात में उन्नत सूक्ष्मजैविक तकनीकों पर प्रायोगिक प्रशिक्षण	30
विश्लेषण की उन्नत तकनीकों पर प्रायोगिक प्रशिक्षण			
5	26 फरवरी, 2019	मानेसर में गैर-एलकोहलीय बीवरेजों के लिए विश्लेषण की उन्नत तकनीकों पर प्रायोगिक प्रशिक्षण	57
6	8-10 जनवरी, 2019	सिंगापुर में कवक विष पर खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यशाला	10
		योग	172

आकृति 20 - मानेसर में गैर-एल्कोहलीय बीवरेजों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

आकृति 21 - सी.ए.एल.एफ, एन.डी.डी.बी, आणंद में दुग्ध पौष्टिकीकारकों की विश्लेषण पद्धति पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

9.3 नियामक स्टाफ का प्रशिक्षण

एफ.एस.एस.ए.आई ने नियामक स्टाफ के लिए एक प्रशिक्षण नीति बनाई है और सभी नव नियुक्त खाद्य सुरक्षा अधिकारियों और अभिनामित अधिकारियों को परिचय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये प्रशिक्षण सभी राज्यों में पैनलबद्ध संस्थाओं अथवा एफ.एस.एस.ए.आई और राज्य/संघशासित क्षेत्र सरकार के बीच सहमत किसी अन्य स्थान पर दिए जाते हैं। खाद्य नमूनों का प्रतिचयन इस पाठ्यक्रम का एक अभिन्न अंग है। एफ.एस.एस.ए.आई नियामक स्टाफ के लिए परिचय प्रशिक्षण के साथ-साथ पुनश्चर्या प्रशिक्षण भी देता है। प्रशिक्षण सामग्री सभी राज्यों/संघशासित सरकारों को उपलब्ध करा दी गई है और उन्हें आवश्यकता होने पर प्रशिक्षण सामग्री का अनुवाद कराने को भी कहा गया है।

इस प्रशिक्षण नीति के तहत वर्ष 2018-19 में 583 नियामक कर्मियों (अभिनामित अधिकारियों/खाद्य सुरक्षा अधिकारियों) को प्रशिक्षण दिया गया।

अध्याय-10

स्वास्थ्यकर आहार

10.1 आज भारत स्वास्थ्य से संबंधित तीन प्रमुख चुनौतियों का सामना कर रहा है। पहली चुनौती खाद्यजनित बीमारियों यथा पेचिस, टॉयफाइड, और दस्त के संक्रमण की है। दूसरी चुनौती कैंसर, हृदवाहिनी की बीमारियों और मधुमेह जैसी गैर-संचारी रोगों की है। स्वास्थ्य को तीसरी प्रमुख चुनौती कुपोषण-अल्पपोषण अथवा भूख, आहार में प्रमुख विटामिनों और खनिजों की अल्पता के कारण उत्पन्न सूक्ष्म पोषक तत्वों का कुपोषण और अति पोषण के कारण मोटापे का तिहरा बोझ है। ये समस्याएँ समाज के किसी वर्ग विशेष तक सीमित नहीं हैं, बल्कि ये सभी सामाजिक और आर्थिक स्तरों, लिंग, आयु और भौगोलिक क्षेत्रों में व्याप्त हैं। दूसरे शब्दों में हर व्यक्ति इनसे प्रभावित है। इसके अतिरिक्त ये सभी बीमारियाँ हमारे खान-पान से जुड़ी होती हैं। तथापि इन बीमारियों को सुरक्षित आहार, अच्छे पोषण और खान-पान की स्वास्थ्यकर आदतों से रोका जा सकता है।

10.2 खाद्यजनित बीमारियों का डर

असुरक्षित और अस्वच्छ खाना खाने से खाद्यजनित बीमारियाँ हो जाती हैं। विश्व में खाद्यजनित बीमारियाँ और संक्रमण बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार विश्व में प्रत्येक वर्ष 10 में से एक व्यक्ति खाद्यजनित बीमारियों के कारण बीमार पड़ता है। इस प्रकार ये बीमारियाँ लोगों के स्वास्थ्य और उत्पादकता पर बहुत प्रभाव डालती हैं। बहुत से मामलों, विशेषकर पाँच वर्ष से छोटे बच्चों में, इनसे मृत्यु भी हो जाती है। हर वर्ष खाद्यजनित बीमारियों से विश्व में 4,20,000 लोगों की मृत्यु हो जाती है। इनमें से एक तिहाई मृत्यु के मामले पाँच वर्ष से छोटे बच्चों के होते हैं। विश्व की तुलना में भारत में खाद्य जनित मृत्यु और बीमारियाँ अधिक होती हैं।

10.3 गैर-संचारी रोगों की बढ़ती घटनाएँ

कैंसर, हृदवाहिनी की बीमारियाँ, मधुमेह और जटिल श्वासरोग जैसे गैर-संचारी रोग तेजी से बढ़ रहे हैं। इन बीमारियों से भारत में 58.70 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है, जो हर तरह से मृत्यु का 60% हैं। इन बीमारियों का मुख्य कारण अस्वास्थ्यकर आहार, शारीरिक क्रियाकलापों में कमी, एल्कोहल और तंबाकू का दुरुपयोग है। ये बीमारियाँ बनने से रोकी जा सकती हैं।

10.4 पोषण संबंधी मुद्दे

भारत में अल्प पोषण, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी और अति पोषण के मामले देखने में आते हैं। एक ओर बहुत सी जनता को पर्याप्त खाना नहीं मिलता। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, 2018 के अनुसार भारत का स्थान 119 देशों में 103वाँ है। इसके अतिरिक्त सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी भी व्यापक रूप से देखने में आती है। वैश्विक स्तर पर 200 करोड़ लोग विटामिन अथवा सूक्ष्म पोशाक तत्वों की कमी से पीड़ित हैं जिसका एक तिहाई हिस्सा भारत में हैं। 70% से अधिक भारतीय प्रमुख विटामिनों और खनिजों की कमी में से किसी न किसी कमी से पीड़ित हैं और उन्हें 50% अनुशंसित सूक्ष्म पोषक तत्वों का दैनिक आहार मान (आर.डी.ए) नहीं मिलता। यह गुप्त भूख भारतीय समाज के सभी वर्गों – शहरी और ग्रामीण, धनी और गरीब, वृद्ध और युवा – को प्रभावित करती है, जिनमें महिलाएँ और बच्चे अधिक जोखिम में हैं। इससे रक्तल्पता, मस्तिष्क क्षति, स्टंटिंग, तंत्रिका नली दोष, अंधता जैसे विकार हो जाते हैं। रक्तल्पता के बारे में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे (एनएचएफएस)-4 के 2015-16 के आँकड़ों से पता चलता है कि 58.4%

बच्चे (6-59 माह के) रक्तल्पता से पीड़ित हैं, 5 वर्ष से कम उम्र के 35.7% बच्चे अल्पभार हैं, पुनर्जनन आयु (15-49 वर्ष) की 53% महिलाएँ और उसी आयु के 22.7% पुरुष रक्ल्पता (<13.0 g/dl) से पीड़ित हैं। कुपोषण और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से मानव संसाधनों की दृष्टि से भारतीय अर्थ व्यवस्था को भारी नुकसान होता है और देश की उत्पादकता और विकास बाधित होते हैं। दूसरी ओर, हाल के वर्षों में अति पोषण के मामले भी देखने में आए हैं, जिससे मोटापा हो जाता है। वर्तमान में भारत में 3 करोड़ लोगों को मोटापा है। भारत और चीन में विश्व के 15% से अधिक मोटे लोग हैं।

10.5 एफ.एस.एस.ए.आई की भूमिका

10.5.1 इन स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने के लिए एफ.एस.एस.ए.आई ने कई कदम उठाए हैं। खाद्यजनित बीमारियों को कम करने के लिए एफ.एस.एस.ए.आई खाद्यजनित बीमारियों के बारे में आँकड़े और सूचना प्राप्त करने की पूर्णतः कार्यात्मक और सशक्त प्रणाली बना रही है। इस प्रयोजन के लिए एफ.एस.एस.ए.आई "खाद्य सुरक्षा मैनुअल" बनाने के लिए डब्ल्यूएचओ के साथ काम कर रही है। इस खाद्य सुरक्षा मैनुअल को एकीकृत स्वास्थ्य सूचना सेवा (आईएचआईएच) से जोड़ा जाएगा, जिसका डब्ल्यूएचओ द्वारा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आई.डी.एस.पी (एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम) से समन्वय करके पहले ही विकास किया जा रहा है। इस मंच से एफ.एस.एस.ए.आई को खाद्यजनित बीमारियों की घटनाओं और उन पर संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाई को डैटा बेस के माध्यम से मॉनिटर करने में सहायता मिलेगी। रिपोर्ट के आधार पर मॉनिटरिंग के दौरान पाए गए खाद्य खतरों से जोखिम आकलन कक्ष को मानव स्वास्थ्य के खतरों को प्राथमिकता देने और जोखिम आकलन अध्ययन करने, जहाँ आवश्यक हो, का प्रस्ताव मंगाने में सहायता मिलेगी और अध्ययनों के परिणामों को तब वैज्ञानिक पैनलों/ समिति को उनकी वैज्ञानिक राय के लिए भेजा जाएगा। एफ.एस.एस.ए.आई "खाद्यजनति बीमारियों की जाँच के लिए मार्गदर्शी मैनुअल" भी बना रही है। एफ.एस.एस.ए.आई ने खाद्य सुरक्षा आयुक्तों को लिखा है कि वे स्वास्थ्य सचिवों को लिखें कि प्रत्येक जिले के खाद्य सुरक्षा अधिकारी को एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (आई.डी.एस.पी) के तहत द्रुत कार्रवाई दल (आर.आर.टी) के सदस्य के रूप में नामित करें, जो उसमें विहित कार्रवाई करेंगे। इस निर्देश से राज्य खाद्य सुरक्षा प्राधिकारियों को खाद्यजनित बीमारियों की घटनाएँ होने की सूचना मिलेगी और उन्हें तदनुसार कार्रवाई करने में सुविधा होगी।

10.5.2 एफ.एस.एस.ए.आई ने घर, स्कूल, कार्यस्थल अथवा भोजनालय में प्रत्येक व्यक्ति को एस.एन.एफ से परिचित कराने और खाद्य सुरक्षा, स्वच्छता और स्वास्थ्यकर आहार के प्रति सामाजिक और व्यवहारगत परिवर्तन लाने की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए एस.एन.एफ पहल आरंभ की है। इसने खाद्य सुरक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने, खाद्य अपमिश्रण से निपटने और स्वास्थ्यकर आहार करने और 'सुरक्षित खाएँ, स्वास्थ्यकर खाएँ और पौष्टिकीकृत खाएँ' का संदेश देने के लिए ईट राइट इंडिया अभियान चलाया है, जिसका विवरण बाद के अध्यायों में दिया गया है।

10.5.3 गैर-संचारी रोगों और मोटापे को कम करने के लिए एफ.एस.एस.ए.आई एच.एफ.एस.एस. – उच्च वसा, लवण और शर्करा खाद्य, जो गैर-संचारी रोगों के कारण होते हैं, पर दिशा-निर्देश बना रही है।

10.5.4 सूक्ष्म पोषक तत्वों के कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए एफ.एस.एस.ए.आई देश में खाद्य का व्यापक स्तर पर पौष्टिकीकरण बढ़ा रही है।

10.6 उच्च वसा, शर्करा, लवण (एच.एफ.एस.एस) खाद्यों का कम सेवन

10.6.1 आम जनता द्वारा उच्च वसा, लवण और शर्करा वाले खाद्य पदार्थों के सेवन को कम करने के मुद्दे से निपटने के लिए एफ.एस.एस.ए.आई ने 'सम्मुख लेबलिंग' (एफओपी) का प्रस्ताव किया है, जिसमें पैक के अग्रभाग पर ऊर्जा (कैलोरी), सैच्युरेटिड फैट, ट्रांस-फैट, योजित शर्करा और सोडियम और उनके आर.डी.ए में प्रति

शत योगदान की अनिवार्य घोषणा विहित है। इन उपबंधों को प्रस्तावित खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग और प्रदर्श) विनियमों में शामिल किया गया है। 'सम्मुख लेबलिंग' का प्रस्तावित डिजाइन निम्नानुसार है:

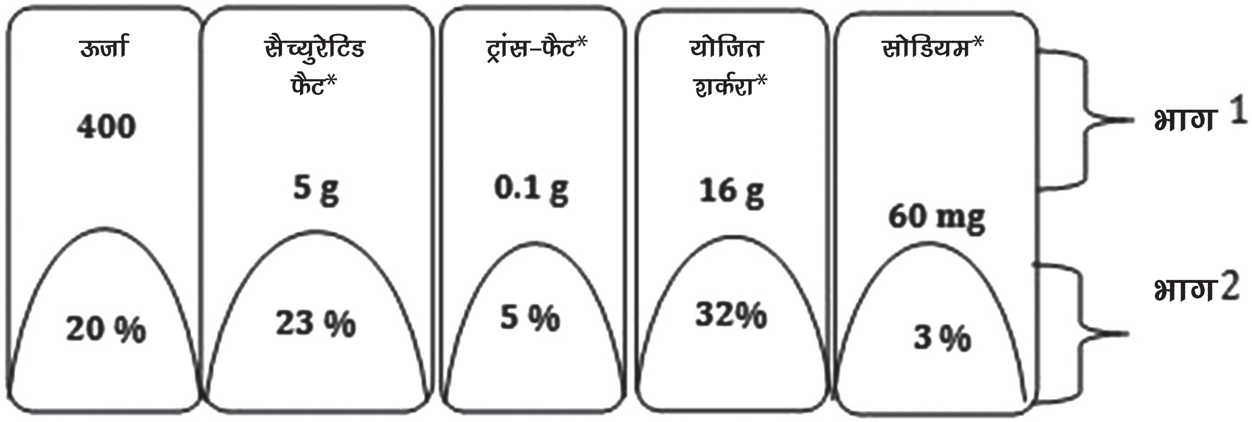

नोट: 2000 किलो कैलोरी के संदर्भ दैनिक ऊर्जा ग्रहण पर आधारित

***किसी खाद्य के माध्यम से इन तत्वों का अत्यधिक उपयोग स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है।**

जहाँ

भाग 1 : ऊर्जा, सैच्युरेटिड फैट, ट्रांस-फैट, योजित शर्करा और सोडियम की मात्रा बताता है;

भाग 2 : आर.डी.ए को प्रति शत योगदान बताता है।

10.6.2 इसके अतिरिक्त 'ईट राइट इंडिया' अभियान के अंतर्गत, खाद्य कारोबारियों को खाद्य के ज्यादा स्वास्थ्यकर विकल्प उपलब्ध कराने के लिए प्रेरित किया है और अनेक खाद्य कारोबारियों ने निम्नलिखित उपाय करके इस पहल में भाग लेने की प्रतिबद्धता दर्शाई है:

- देश को 2022 (इंडिया@75) तक ट्रांस-फैट मुक्त बनाने के लिए खाद्य तेल उद्योग, बेकरियों और हलवाइयों द्वारा खाद्य उत्पादों में ट्रांस-फैट को चरणबद्ध रूप में कम करके समाप्त करना,
- पैकेजबंद खाद्यों में शर्करा और लवण अंश कम करने के लिए प्रमुख खाद्य कंपनियों द्वारा अपने खाद्य उत्पादों के नुस्खे पुन: बनाना,
- खाद्य सेवा क्षेत्र द्वारा ज्यादा स्वास्थ्यकर विकल्प उपलब्ध कराना और पोषण संबंधी सूचना के बारे में मेनु लेबलिंग आंरभ करना,
- खाद्य के खुदरा विक्रेताओं और ई-कॉमर्स विक्रेताओं द्वारा ज्यादा स्वास्थ्यकर खाद्यों के विकल्प उपलब्ध कराना और खुदरा बिक्री की जिम्मेदार रीतियाँ अपनाना।

10.7 खाद्य पौष्टिकीकरण

10.7.1 सूक्ष्म तत्वों की कमी से निपटने का सर्वाधिक प्रभावी, मापनीय, सस्ता और स्थायी उपाय आहारों का दृढीकरण अथवा पौष्टिकरण है। खाद्य पौष्टिकरण खाद्य पदार्थों में आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों की थोड़ी मात्रा मिलाना है। यह आहार के विविधिकरण का पूरक है और व्यक्ति की पोषण संबंधी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायता मिलती है। इससे खाद्य के स्वाद, बनावट अथवा सुवास में कोई परिवर्तन किए बिना

पोषण की कमी को बड़ी आसानी से पूरा किया जा सकता है। इससे भी बड़ी बात यह है कि इसमें व्यवहार परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होती।

10.7.2 विनियम

इस संबंध में पहल करते हुए एफ.एस.एस.ए.आई ने 5 प्रमुख आहारों अर्थात् तेल और दूध (विटामिन ए और डी), गेहूँ का आटा और चावल (लौह, फोलिक एसिड और विटामिन बी12), और दुहरा पौष्टिकीकृत लवण (आयोडीन और लौह) के पौष्टिकीकरण के बारे में खाद्य सुरक्षा और मानक (दृढ़ीकृत खाद्य) विनियम, 2018 अधिसूचित किए हैं। पौष्टिकीकृत खाद्य पदार्थों के लोगो (+F) ने उद्योग के लिए खाद्य पौष्टिकीकरण को अपनाने और पौष्टिकीकरण को राष्ट्रीय कार्रवाई सूची में मजबूती से शामिल करने का सशक्त कारण उत्पन्न कर दिया है। वर्ष के दौरान प्रीमिक्स के आपूर्तिकर्ताओं,+Fलोगो को समर्थन, पोषण और पौष्टिकीकरण वैज्ञानिक पैनल द्वारा अनुमोदित पौष्टिकीकृत खाद्यों की लेबल घोषणा के लिए वैज्ञानिक स्वास्थ्य दावों के बारे में विभिन्न परामर्शिकाएँ भी जारी की गईं।

10.7.3 सामाजिक नेटवर्क योजनाओं के तहत कार्यान्वयन

10.7.3.1 महिला और बाल विकास मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा और साक्षरता विभाग) ने आई.सी.डी.एस और एम.डी.एम के अंतर्गत आपूर्तित गेहूँ के आटे, खाद्य तेल और दुहरे पौष्टिकीकृत लवण के अनिवार्य पौष्टिकीकरण के लिए क्रमशः दिनांक 10 जुलाई, 2018 और 2 अगस्त, 2017 को परामर्शिकाएँ जारी की थीं। हाल ही में महिला और बाल विकास मंत्रालय ने आई.सी.डी.एस और सबला योजना के अंतर्गत पौष्टिकीकृत चावल को शामिल करने के लिए दिनांक 28 फरवरी, 2019 को परामर्शिका जारी की। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने भी दिनांक 22 दिसंबर, 2016 को एक परिपत्र जारी किया था, जिस द्वारा गेहूँ के आटे का वितरण करने वाले राज्यों को पी.डी.एस के अंतर्गत केवल पौष्टिकीकृत आटे का वितरण करने का परामर्श दिया गया। आगे, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने दिनांक 1 अक्टूबर, 2018 को राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में पौष्टिकीकृत तेल के प्रचार को प्रोत्साहित करने का परामर्श दिया गया। इसके अतिरिक्त खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग पी.डी.एस में पौष्टिकीकृत चावल को प्रोत्साहित करने के लिए एक केंद्रीय योजना ला रहा है।

10.7.3.2 भारत की पोषण संबंधी चुनौतियों पर राष्ट्रीय परिषद् ने दिनांक 18 अप्रैल, 2018 को आयोजित अपनी पहली बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ निर्देश दिया कि देश में रक्तल्पता के बढ़ते स्तर और विटामिन-डी के घटते स्तर से निपटने के लिए आंगनवाड़ी सेवा योजना और एम.डी.एम के अंतर्गत, जहाँ व्यवहार्य हो, मुख्य आहारों का पौष्टिकीकरण तुरंत आरंभ किया जाए। नीति आयोग ने सभी राज्यों/संघशासित क्षेत्रों को खाद्य पौष्टिकीकरण में गति लाने के निर्देश दिए हैं।

10.7.3.3 अनेक राज्य पहले ही अपने सरकारी कार्यक्रमों में पौष्टिकीकृत खाद्यों के अंगीकरण की उन्नत अवस्था में हैं। 17 राज्यों अर्थात् ओडिशा, कर्नाटक, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, राजस्थान, तमिल नाडु, त्रिपुरा, पश्चिमी बंगाल, केरल, बिहार, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश और 4 संघशासित क्षेत्रों ने अब अपनी चयनित वस्तुओं के पौष्टिकीकरण को जिला स्तर पर या सीमित स्तर पर सरकारी सुरक्षा नेट कार्यक्रमों (एस.एन.पी) अर्थात् आई.सी.डी.एस, एम.डी.एम और पी.डी.एस में अंगीकरण कर लिया है।

10.7.4 पौष्टिकीकृत आहारों की खुले बाजार में उपलब्धता

10.7.4.1 पाँच आहारों के लिए स्वैच्छिक पौष्टिकीकरण आरंभ हो गया है। 70 शीर्षस्थ कंपनियों और क्षेत्रीय ब्रांडों के अखिल भारतीय और क्षेत्रीय स्तर पर खुले बाजार में फिलहाल ~113 ब्रांड पौष्टिकीकृत हैं। तेल और दुग्ध उद्योग में इसके प्रति अच्छी रुचि दिखाई दी है। पैकेजबंद परिशोधित खाद्य तेल उद्योग के शीर्षस्थ दस उत्पादकों के 47 प्रतिशत, संगठित दुग्ध उद्योग के 31.5 प्रतिशत उत्पादक एफ.एस.एस.ए.आई मानकों के अनुसार पौष्टिकीकरण कर रहे हैं।

10.7.4.2 खुदरा विक्रेता और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, केंद्रीय भंडार, सी.आर.पी.एफ/सी.एस.डी और सैनिक बलों की कैंटीनें और मेस लोगों को पौष्टिकीकृत आहारों के लाभ बता रही हैं और उन्हें उपलब्ध करा रही हैं।

10.7.5 खाद्य पौष्टिकीकरण संसाधन केंद्र

10.7.5.1 एफ.एस.एस.ए.आई ने हितधारकों को आवश्यक सहायता देने के लिए नोडल प्वाइंट के रूप में खाद्य पौष्टिकीकरण संसाधन केंद्र (एफ.एफ.आर.सी) (http://ffrc.fssai.gov.in/) स्थापित किया है। संसाधन सामग्री वस्तुवार तैयार की गई है। उदाहरण के लिए तकनीकी हैंडबुकों सहित टूल किटें, प्रशिक्षण मैनुअल, एफ.ए.क्यू, प्रत्यायित प्रीमिक्स आपूर्तिकर्ताओं और उपकरण निर्माताओं के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया, सूक्ष्म पोषक तत्वों के परीक्षण के लिए एन.ए.बी.एल-प्रत्यायित प्रयोगशालाओं की सूची और निविदा प्रलेख बनाना शामिल हैं।

10.7.5.2 एफ.एस.एस.ए.आई/एफ.एफ.आर.सी ने सभी राज्य सरकारों को कहा है कि वे अपने राज्य में पौष्टिकीकरण प्रयासों के समन्वय के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त करें।

10.8 डाइट 4 लाइफ परियोजना :

10.8.1 उपापचय के जन्मजात दोषों (आई.ई.एम) से युक्त जन्मे बच्चों की विशेष आहारिक आवश्यकताएँ होती हैं, जिन्हें पूरा न करने पर संज्ञानात्मक और शारीरिक विकार हो जाते हैं। विशेष आहारों के बिना आई.ई.एम वाले बच्चे प्रायः शैशव पार नहीं कर पाते। परंतु समय पर पहचान हो जाने और उपचार आरंभ कर देने से आई.ई.एम के विकारों को कम किया जा सकता है। आई.ई.एम से भारत में लगभग 30,000 बच्चे प्रभावित हैं, परंतु इस विकार की पर्याप्त जाँच सुविधाएँ न होने के कारण नैदानित 30,000 मामले संभवतः एक बहुत बड़ी समस्या का छोटा सा अंश हैं।

10.8.2 मई, 2016 में पैरेंट सपोर्ट ग्रुप – एम.ई.आर.डी (उपापचय दोष और विरले रोग) ने भारत में आई.ई.एम के विशेष आहारों के आयात के लिए एफ.एस.एस.ए.आई से संपर्क किया। इस पहल में आई.ई.एम उत्पादों के मानक निर्धारण के साथ-साथ अंतरिम काल में उत्पादों के आयात की अनुमति देना और कार्यशालाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से विभिन्न हितधारकों से संपर्क करना शामिल है, जिससे उनकी क्षमता का निर्माण होगा। इसे 'डाइट-4-लाइफ' पहल कहा गया है।

10.8.3 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ एफ.एस.एस.ए.आई इंडियन डाइटेटिक एसोसिएशन, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, इंडियन सोसायटी फॉर इन्बोर्न एरर्ज ऑफ मेटाबोलिज्म, एम.ई.आर.डी (उपापचय दोष और विरले रोग), इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, नैशनल नियोनैटोलॉजी फोरम, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् और इंडियन सोसायटी फॉर पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटेरॉलॉजी, हेपाटॉलॉजी एंड न्यूट्रिशन जैसे विभिन्न संगठनों के साथ सहयोग कर रही है। ये हितधारक एक संचालन समिति के अंग हैं, जो इस पहल का मार्गदर्शन और संचालन करती है।

परियोजना की मुख्य बातें:

- आई.ई.एम दशाओं के लिए विशेषता आहारों के मानक तैयार किए जा रहे हैं। इसी दौरान प्रयोजनमूलक खाद्य, न्युट्रास्युटिकल्स, आहारिक उत्पाद और मिलते-जुलते उत्पाद वैज्ञानिक पैनल द्वारा अनुशंसित आई.ई.एम की 17 विकार प्रबंधन दशाओं (15 आई.ई.एम और 2 हाइपोएलर्जीकारी) के विशेषता आहारों का आयात और उत्पादन अनुमत किया गया। तदनुसार ये उत्पाद रोगियों को मिलने आरंभ हो गए हैं।

- देश के सभी आहार विज्ञानियों को उपापचय के जन्मजात दोषों के प्रति संवेदनशील बनाने और प्रशिक्षित करने के लिए पोषण प्रबंधन पर राष्ट्र स्तरीय प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम (टी.ओ.टी) आयोजित किया गया।

- बच्चों में आई.ई.एम के प्रबंधन और एलर्जी अवस्थाओं का उपचार करने के प्रयोजन से आहार के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए आहार विज्ञानियों, डॉक्टरों, अभिभावकों/रोगियों के लिए आई.ई.एम के कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।

जनता को उपापचय के विकारों, संभावी लक्षणों, निदान/उपचार केंद्रों, उपलब्ध आहारों इत्यादि संबंधी सूचना देने के लिए आई.ई.एम के संबंध में **http://diet4life.fssai.gov.in/**नामक वेबसाइट बनाई गई है।

10.8.4 इस परियोजना में रोगियों के लिए आहार की उपलब्धता सुनिश्चित कराने, संबंधित चिकित्सा संकाय को प्रशिक्षण देने, जागरूकता कार्यक्रमों और हितधारकों से संवाद स्थापित करने और उन्हें सूचना देने के लिए एक पोर्टल के रूप में काम करने हेतु समग्रतात्मक दृष्टिकोण अपनाया गया है।

अध्याय-11

सामाजिक और व्यवहारगत परिवर्तन

11.1 एफ.एस.एस.ए.आई की सुरक्षित और पोषक खाद्य पहलें खाद्य सुरक्षा, स्वच्छता और स्वास्थ्यकर आहार के बारे में सामाजिक और व्यवहारगत परिवर्तन लाने पर केंद्रित हैं। हर व्यक्ति को चाहे वह घर में हो, स्कूल में हो, कार्य-स्थल पर हो, अथवा बाहर हो, को जानकार व संवेदी बनाना ही एस.एन.एफ का लक्ष्य है। निम्नलिखित भाग में इन्हीं पहलों और वर्ष 2018-19 के दौरान की गई गतिविधियों को दर्शाया गया है।

11.2 एस.एन.एफ (सुरक्षित और पोषक आहार) @ वर्कप्लेस:

11.2.1 कार्य-स्थल पर सुरक्षित और सही खाना खाने के बारे में बताने के लिए दिनांक 15 मई, 2018 को एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि – डॉ. विनोद पाल, सदस्य, नीति आयोग द्वारा 'द ओरेंज बुक: कार्य-स्थल पर सुरक्षित और पोषक आहार की आपकी मार्गदर्शिका' का विमोचन किया गया। स्वत: प्रगतिपरक और स्थिर ईकोसिस्टम बनाने के लिए प्रत्येक कार्य-स्थल के लिए एफ.एस.एस.ए.आई-प्रशिक्षित संसाधन व्यक्तियों, स्वास्थ्य और कल्याण समन्वयकों और खाद्य सुरक्षा पर्यवेक्षकों का सिस्टम फ्रेमवर्क बनाया गया है। एक ऑनलाइन पोर्टल (www.snfportal.in/workplace) भी आरंभ किया गया, जिसके माध्यम से इच्छुक कार्य-स्थल इस अभियान से जुड़ सकते हैं और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाला कार्य-स्थल बनने के लिए संसाधनों, सूचनाओं और लिंकों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

आकृति 22 - 'ओरेंज बुक' का विमोचन

11.2.2 अपनी एसएनएफ@वर्कप्लेस पहल के अंग के रूप में एफ.एस.एस.ए.आई ने प्रतिदिन हजारों व्यक्तियों को भोजन परोसने वाली केंद्र सरकार की विभिन्न विभागीय कैंटीनों के खाद्य सुरक्षा पर्यवेक्षकों के लिए प्रशिक्षण आयोजित किया। सभी सरकारी विभागीय कैंटीनों का खाद्य सुरक्षा विनियमों के अंतर्गत अनुज्ञापन/पंजीकरण सुनिश्चित कराने के लिए एफ.एस.एस.ए.आई ने प्रशिक्षण के दिन स्व-स्थाने पंजीकरण में सहायता की और पंजीकृत कैंटीनों को खाद्य सुरक्षा डिस्प्ले बोर्ड वितरित किए। यह प्रशिक्षण का पहला चरण था और लक्ष्य यह है कि कुछ समय में सभी विभागीय कैंटीनों को कवर कर लिया जाए।

11.3 एसएनएफ (सुरक्षित और पोषक आहार)@स्कूल

11.3.1 सितंबर, 2017 में एफ.एस.एस.ए.आई ने स्कूली बच्चों में खान-पान की अच्छी आदतों को बढ़ावा देने के लिए एसएनएफ(सुरक्षित और पोषक आहार)@स्कूल पहल आरंभ की थी। एसएनएफ@स्कूल के अंतर्गत स्कूल समुदाय में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए विश्वसनीय वैज्ञानिक संसाधन सामग्री तैयार की गई है। छात्रों के लिए 'द येलो बुक' लेवल I और II तथा 'एक्टिविटी बुक' तैयार की गई हैं। 'प्रशिक्षण मैनुअल' अध्यापकों और अभिभावकों के लिए तैयार किया गया है।

11.3.2 'येलो बुक' लेवल I और II श्रेणी I से VIII तक के छात्रों के लिए बनाई गई है। इनमें खाद्य सुरक्षा और पोषण की आधारभूत अवधारणाएँ दी गई हैं और 'करो और सीखो' को प्रोत्साहित करने की गतिविधियों पर अधिक बल दिया गया है। ये पुस्तकें प्रामाणिक तकनीकी संसाधन हैं, समझने में आसान हैं और खाद्य सुरक्षा और पोषण संबंधी मुद्दों पर जानकारी देने के लिए इंटरएक्टिव ढंग से और चित्रात्मक रूप में लिखी और डिजाइन की गई हैं।

आकृति 23 – 'येलो बुक' लेवल I और II का सम्मुख कवर

11.3.3 एक्टिविटी बुक को मुख्य संदेशों पर आधारित खेलों और गतिविधियों के माध्यम से खान-पान की सुरक्षित और स्वास्थ्यकर आदतें डालने के लिए येलो बुक की सहयोगी पुस्तक के रूप में तैयार किया गया है। गतिविधियों को स्कूली बच्चों को रोचक और इंटरएक्टिव तरीके से काम में लगाने और शिक्षित करने के लिए तैयार किया गया है।

11.3.4 प्रशिक्षण मैनुअल को शिक्षाविदों, प्रैक्टिशनरों और विषय विशेषज्ञों द्वारा तैयार किया गया है। यह पुस्तक तथ्यों, सूचनाओं और अवधारणाओं का संसाधन पूल है। साथ ही इसमें वयस्कों और अध्यापकों के लिए विविध प्रकार की सहायक सामग्री और साधन दिए गए हैं। शिक्षण सामग्री, येलो बुक्स और प्रशिक्षण मैनुअल देश भर में अध्यापकों और अभिभावकों को उपलब्ध कराने के लिए एफ.एस.एस.ए.आई की वेबसाइट 'snfportal.in' तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफॉर्म 'diksha' पर दी गई हैं।

11.3.5 शुभंकर

एसएनएफ कार्यक्रम के सुपर हीरो शुभंकर 'मास्टर सेहत' और 'मिस सेहत' को बच्चों और वयस्कों को सार्वजनिक स्थानों और स्कूलों में इंटरएक्टिव सेशन में लगाने के लिए बनाया गया है। 31 मार्च, 2019 तक देश के विभिन्न शहरों में ऐसे 900 से अधिक एक्टिवेशन सत्र आयोजित किए जा चुके हैं।

11.3.6 मास्टर प्रशिक्षक

एसएनएफ@स्कूल में दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और गोवा में 521 से अधिक मास्टर प्रशिक्षकों का दल है। इन मास्टर प्रशिक्षकों को ईयू-सीआईटीडी भागीदारी कार्यक्रम के अंतर्गत विषय विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षित किया गया है।

11.3.7 एसएनएफ फेलोशिप कार्यक्रम

एसएनएफ फेलोशिप कार्यक्रम को महाविद्यालयों के सहयोग से तैयार किया गया है, जिसके अंतर्गत महाविद्यालय के छात्र 10 स्कूलों को अपनाते हैं और स्कूलों को एसएनएफ@स्कूल कार्यक्रम के अंतर्गत दर्ज कराते हैं। 2018-19 के दौरान मुंबई और दिल्ली-एनसीआर में एसएनएफ फेलोशिप कार्यक्रम के अंतर्गत 7 महाविद्यालयों (एस.एन.डी.टी, एस.वी.एन, लेडी इरविन, जामिया हमदर्द, भास्कराचार्य महाविद्यालय, दौलत राम और लक्ष्मी बाई) को दर्ज किया गया।

आकृति 24 - एसएनएफ फेलोशिप प्रशिक्षण, मुंबई

11.3.8 एसएनएफ पोर्टल

स्कूलों के पंजीकरण के लिए एक वेबसाइट बनाई गई है और दिनांक 31 मार्च, 2019 तक लगभग 7,200 स्कूलों को पोर्टल पर पंजीकृत किया गया है। पंजीकरण के बाद स्कूल अपने स्वास्थ्य और कल्याण समन्वयक (एच.डब्ल्यू.सी) को प्रमाणित कर सकते हैं और येलो बुक, गतिविधि बुक में दी गई गतिविधियाँ

अथवा अपनी गतिविधियाँ कर सकते हैं। लगभग 750 एच.डब्ल्यू.सी को प्रमाणित किया जा चुका है और स्कूलों द्वारा 9,000 से अधिक गतिविधियाँ की जा चुकी हैं।

11.3.9 भागीदारी के माध्यम से बहिरंग संपर्क

बहुत से संगठनों ने एसएनएफ@स्कूल कार्यक्रम को या तो स्वैच्छिक रूप से या कॉर्पोरेट सामाजिक ज़िम्मेदारी (सीएसआर) के अंतर्गत अपना लिया है।

- वोलुएंटरी हेल्थ एसोसिएशन ऑफ इंडिया –इसने 125 स्कूलों में अपने स्कूल हेल्थ कार्यक्रमों में एसएनएफ@स्कूल को शामिल किया। चरण 1 में 10,000 छात्रों, 390 अध्यापकों को प्रभावित किया, टीम सेहत के 119 सदस्य बनाए और 40 एच.डब्ल्यू.सी (30 स्कूलों से) बनाए
- चाइल्ड सर्वाइवल इंडिया –इसने मोंडलेज, इंडिया के तत्वाधान में उत्तरी दिल्ली नगर निगम के 40 स्कूलों में एसएनएफ@स्कूल को अपनाया
- भारती फाउंडेशन –इसने पाँच राज्यों अर्थात् पंजाब, राजस्थान, तमिल नाडु, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के 1000 स्कूलों के स्कूल हेल्थ कार्यक्रमों में एसएनएफ@स्कूल को शामिल किया
- हेल्थसेटगो –यह स्कूली वातावरण के लिए एक स्वास्थ्य स्टार्ट-अप है। इसने 200 से अधिक स्कूलों में एसएनएफ@स्कूल को क्रियान्वित किया
- मैक्मिलन एजुकेशन –यह शिक्षा सामग्री की अग्रणी कंपनी है। इसने शैक्षणिक वर्ष 2019 के लिए बच्चों के लिए उपयुक्त उनके पाठ्यक्रम में शिक्षण सामग्री जोड़ी है। यह पुस्तकों का तीन भाषाओं (पंजाबी, असमिया, बंगाली) में अनुवाद भी कर रही है। यह कार्यशालाओं के माध्यम से एसएनएफ@स्कूल कार्यक्रम में 20,000 स्कूलों को चरणबद्ध रूप में जोड़ रही है
- ट्रोपिकाना –इसने मुंबई और दिल्ली के 4 महाविद्यालयों में एसएनएफ फेलोशिप कार्यक्रम का वित्तपोषण किया;
- आई.टी.सी –इसने आई.वी.आर क्विज करके, स्कूल के मौजूदा संपर्क कार्यक्रम के माध्यम से और सहपाठियों की नोटबुकों में प्रविष्टियों के माध्यम से एसएनएफ@स्कूल को योगदान दिया
- मैरिको –इसने प्रशिक्षण सामग्री को डिजिटल रूप देने और उसका हिंदी एवं मराठी में अनुवाद करने में सहायता की है। इसने दिल्ली-एनसीआर, मुंबई, कोलकाता, लखनऊ, कानपुर, चंडीगढ़, जयपुर और अहमदाबाद में शुभंकर गतिविधियाँ आयोजित कराकर भी सहयोग दिया
- डाबर इंडिया –इसने शुभंकर गतिविधियाँ कीं और निशुल्क वितरण के लिए येलो बुक छपवाई
- केलोग्ज इंडिया –इसने निशुल्क वितरण के लिए 10,000 येलो बुक्स छपवाईं
- नावोजिम्ज इंडिया –इसने येलो बुक का तीन भाषाओं (कन्नड, मलयालम, तेलुगु) में अनुवाद करवाया और वितरण के लिए एक्टिविटी बुक्स तैयार करवाईं

11.3 फूड सेफ्टी मैजिक बॉक्स

स्कूली बच्चों को शिक्षित करने के लिए शैक्षणिक साधन के रूप में 'अपने आप करो' खाद्य सुरक्षा परीक्षण किट तैयार की गई है। यह एक छोटे आकार का, हल्का सुवाह्य बक्सा है, जिसमें कुछ आधारभूत रसायन, कुछ छोटे-छोटे उपकरण और सुरक्षा गैजेट होते हैं। एक सहयोगी मार्गदर्शिका में विभिन्न खाद्य उत्पादों,

जैसे दूध, शहद, मसाले इत्यादि, की परीक्षण प्रक्रिया बड़े सरल ढंग से चित्रों के माध्यम से बताई गई है। कुल मिलाकर बॉक्स की सामग्रियों से 76 बड़े आसान परीक्षण किए जा सकते हैं। ये मैजिक बॉक्स (प्रारंभ में 5000) राज्यों के स्कूलों को उपलब्ध कराए जाएँगे।

11.5 एसएनएफ@भोग

11.5.1 'भोग परियोजना–BHOG परियोजना (Blissful Hygienic Offering to God)' एफ.एस.एस.ए.आई की एक ऐसी पहल है, जिसके अंतर्गत प्रसाद तैयार करते समय खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता को अपनाने और बनाए रखने के लिए पूजा-स्थलों (पीओडब्ल्यू) को प्रोत्साहित किया जाता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि श्रद्धालुओं को वितरित प्रसाद सुरक्षित और स्वास्थ्यकर हो। भोग परियोजना के माध्यम से एफ.एस.एस.ए.आई का लक्ष्य प्रसाद/लंगर आदि के रूप में दिए जाने वाले खाद्य पदार्थों के बनाने संबन्धित खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से गलत रीतियों को रोकने के लिए पूजा-स्थलों में जागरूकता उत्पन्न करना है और उपयुक्त नियामक अनुपालन सुनिश्चित कराना है।

11.5.2 पूजा-स्थलों को अपने यहाँ'भोग' के क्रियान्वयन में सहायता और सहयोग करने के लिए ''पूजा-स्थलों में खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता का रख-रखाव'' नामक एक मार्गदर्शी प्रलेख तैयार किया गया है। इसमें लाभदायक बातें, करो और न करो तथा अपनाई जाने वाली पद्धतियाँ और रीतियाँ दी गई हैं। एसएनएफ@भोग ब्रोशर भी बनाया गया है, जिसमें इस पहल, इसकी क्रियान्वयन योजना और संपर्क सूचना दी गई है।

11.5.3 वर्ष 2018-19 के दौरान एसएनएफ@भोग पहल को और अधिक सशक्त बनाने के लिए निम्नलिखित अन्य कदम उठाए गए:

(क) एफ.एस.एस.ए.आई ने नैशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट फूड वेंडर्स ऑफ इंडिया (नास्वी) के सहयोग से आई.जी.एन.सी.ए, निकट इंडिया गेट, नई दिल्ली में दिनांक 14 से 16 दिसंबर, 2018 तक एक तीन-दिवसीय 'ईट राइट मेला' आयोजित किया। भोग पहल के अंतर्गत 'भारत के मंदिर-खाद्य' नामक एक मंडप तैयार किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं को भारत के अत्यंत प्रसिद्ध मंदिरों के प्रसिद्ध भोजन और तरह-तरह के प्रसाद दिए गए। गुजरात, तमिल नाडु, राजस्थान, महाराष्ट्र और दिल्ली के कुल 14 मंदिरों ने इस उत्सव में भाग लिया।

(ख) भोग के क्रियान्वयन के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) का पुनरीक्षण किया गया और राज्य संस्थाओं को परिचालित किया गया। राज्यों, यथा ओडिशा, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड ने भोग पहल के क्रियान्वयन के लिए मंदिरों की पहचान कर ली है।

आकृति 25 - 'भोग परियोजना' की कुछ छवियाँ

11.6 एसएनएफ ऑन ट्रैक

आई.आर.सी.टी.सी के सैंडविच बक्सों, पेपर कपों और पेपर नैपकिनों पर छपवाने के लिए एफ.एस.एस.ए.आई ने "खाने में नमक, चीनी व तेल: आज से थोड़ा कम" जन स्वास्थ्य संदेश उपलब्ध कराया। खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता के 8 विभिन्न संदेशों वाले 10,000 से अधिक पोस्टर छपवाए गए और आई.आर.सी.टी.सी द्वारा पहचाने गए विभिन्न स्थानों (पैंट्री कार/बेस किचन/जल विक्रय मशीनें इत्यादि) पर लगवाने के लिए उसे दिए गए।

11.7 नेटप्रोफैन (खाद्य एवं पोषण पेशेवर नेटवर्क)

विभिन्न विषयों के पेशेवरों के विचारों के आदान-प्रदान से खाद्य और पोषण के प्रति समग्रतावादी दृष्टिकोण अपनाने के लिए नेटप्रोफैन, जो सुरक्षित खाद्य को बढ़ावा देने और सभी को स्वास्थ्यकर आहार उपलब्ध कराने के लिए खाद्य, पोषण और जन स्वास्थ्य के क्षेत्र के पेशेवरों का नेटवर्क है, दिनांक 22 और 23 मार्च, 2019 को नई दिल्ली में आयोजित एक दो-दिवसीय कार्यशाला में आरंभ किया गया। इस नेटवर्क की स्थापना का प्रयोजन स्थानीय आवश्यकताओं और मुद्दों को चरणबद्ध रूप में हल करने के लिए गतिविधियाँ तैयार करना तथा अंगीकरण और क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय, राज्य और शहर स्तर पर सक्रिय स्वत: टिकाऊ मॉडल बनाना है। चरण 1 में 20 शहरों में गतिविधियाँ की जाएँगीं और चरण 2 में चरण 1 से सबक सीखकर 20 अतिरिक्त शहरों में गतिविधियाँ की जाएँगी। राष्ट्र स्तरीय 6 पेशेवर संगठन यथा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आई.एम.ए), इंडियन डाइटेक्टिक एसोसिएशन (आई.डी.ए), न्युट्रिशन सोसायटी ऑफ इंडिया (एन.एस.आई), एसोसिएशन ऑफ फूड साइंटिस्ट्स एंड टेक्नोलॉजिस्ट्स ऑफ इंडिया (ए.एफ.एस.टी.आई), एसोसिएशन ऑफ एनालाइटिकल केमिस्ट्स, इंडिया चैप्टर (ए.ओ.ए.सी), इंडियन फेडरेशन ऑफ कलिनरी एसोसिएशन्स (आई.एफ.सी.ए) इस नेटवर्क के सदस्य हैं। इनमें से कई एसोसिएशनों/फेडरेशनों के व्यापक स्थानीय नेटवर्क हैं, जो अपनी स्थानीय शाखाओं के माध्यम से सामग्री के प्रसार में सहायता कर सकते हैं।

आकृति 26 - 'नेटप्रोफैन' का लोकार्पण

अध्याय-12

सूचना, शिक्षा और संप्रेषण (आई.ई.सी)

12.1 सूचना, शिक्षा और संप्रेषण (आई.ई.सी) गतिविधि कार्यनीतियों और दृष्टिकोणों का संयोजन करती है और संगठन, समुदाय और हितधारक के परिभाषित लक्ष्य प्राप्त करने और उन्हें बनाए रखने में मुख्य भूमिका निभाती है। आई.ई.सी संवर्धनात्मक गतिविधियों के लिए किसी संगठन का मेरुदंड होता है। यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण संघटक होता है, जिसके लिए विभिन्न हितधारकों पर केंद्रित सतत प्रयासों की आवश्यकता होती है। यह लोगों को निर्णय लेने और व्यवहारगत परिवर्तन लाने में क्षम बनाता है। एफ.एस.एस.ए.आई की आई.ई.सी गतिविधियाँ आवश्यकताओं का आकलन करके दृश्यमानता को बढ़ाने के लिए लोगों को अधिनियम, नियमों और विनियमों के बारे में बताने और जागरूकता पैदा करने के लिए की जाती हैं। इनके अंतर्गत संप्रेषण के विभिन्न माध्यमों का प्रयोग करते हुए विभिन्न लक्षित ग्रुपों को महत्वपूर्ण सूचना दी जाती है।

जागरूकता अभियान

12.2 'ईट राइट इंडिया' अभियान

भारत में खाद्यजनित बीमारियाँ, कुपोषण, सूक्ष्म तत्वों की कमी और मोटापे तथा गैर संचारी रोगों (एन.सी.डी) की बढ़ती हुई संख्याओं के परिदृश्य में लोगों को शिक्षित करना और उनके खाद्य के प्रति व्यवहार में परिवर्तन करना बहुत महत्वपूर्ण है। इस पृष्ठभूमि में एफ.एस.एस.ए.आई ने 'ईट राइट इंडिया' अभियान की शुरुआत हितधारकों और नागरिकों को शामिल करके की है। यह पहल जन स्वास्थ्य में सुधार लाने के भारत सरकार के तीन मुख्य कार्यक्रमों, स्वच्छ भारत मिशन, आयुष्मान भारत और पोषण अभियान के अनुरूप है। इस अभियान की शुरुआत 10 जुलाई,2018 को की गई। खाद्य उद्योग, जन स्वास्थ्य पेशेवर, सिविल सोसायटी और उपभोक्ता संगठन,प्रभावी व्यक्ति और प्रसिद्ध व्यक्ति एक ही मंच पर एक साथ आए और उन्होंने देश में 'ईट राइट अभियान' छेड़ने के लिए ठोस कदम उठाने का वचन लिया। जहाँ खाद्य उद्योग, बेकरियों और हलवाइयों ने ट्रांस-फैट को 2022 तक चरणबद्ध रूप में कम कम करके अंततः समाप्त करने [इंडिया@75-2022 तक ट्रांस-फैट से मुक्ति] की प्रतिबद्धता जताई, मुख्य खाद्य कंपनियों ने नमक, शर्करा और सैच्युरेटिड फैट को कम करने के लिए अपने पैकेजबंद खाद्य पदार्थों के नुस्खे पुनः बनाने की प्रतिबद्धता दिखाई। खाद्य सेवा क्षेत्र ने ज्यादा स्वास्थ्यकर खाद्य विकल्प उपलब्ध कराने और मेनु लेबलिंग करने का वचन लिया। खाद्य के मुख्य खुदरा विक्रेताओं, ई-कॉमर्स विक्रेताओं, ने खाद्य के ज्यादा स्वास्थ्यकर विकल्प उपलब्ध कराने और जिम्मेदार खुदरा रीतियाँ अपनाने पर सहमति जताई।

आकृति 27 – 'ईट राइट इंडिया अभियान' की शुरुआत

2018-19 के दौरान ईट राइट अभियान के तहत निम्नलिखित गतिविधियाँ की गईः

12.2.1 'आज से थोड़ा कम' अभियान

अभियान को आरंभ करने और जनप्रिय बनाने के लिए संचार मीडिया और सोशल मीडिया पर नमक, शर्करा और वसा का सेवन कम करने के लिए एक प्रभावी सूचना अभियान लघु विडियो द्वारा शुरु किया गया। इसके तहत राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त अभिनेता श्री राजकुमार राव (जिन्होंने अभियान में लोक कल्याण भावना से भाग लेने की सहमति व्यक्त की) को संदेश देते दर्शाया गया। यह अभियान अपने साधारण संदेश 'आज से थोड़ा कम' को प्रभावी रूप से देने में सक्षम है। अभियान के मुख्य किरदार के रूप में श्री राव ने मुंबई में 'ईट राइट इंडिया' अभियान को आधिकारिक रूप में शुरू किया तथा 'आज से थोड़ा कम' संदेश को सभी संभव मंचों के माध्यम से फैलाने की प्रतिबद्धता दर्शाई। इस वीडियो को देश के विभिन्न सिनेमा घरों में दिखाया गया। वीडियो को 'फूड फूड' चैनल पर भी दर्शाया गया स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के माध्यम से दूरदर्शन के क्षेत्रीय और उपग्रह चैनलों पर भी दर्शाया गया।

आकृति 28 - 'आज से थोड़ा कम' अभियान

12.2.2 ईट राइट टूल किट

उपलब्ध संसाधनों का लाभ उठाने और खाद्य एवं पोषण संबंधी सरकारी काय्रक्रमों का अभिसरण सुनिश्चित कराने के लिए 'ईट राइट टूल किट' को समझने में आसान पैकेज के रूप तैयार किया गया है, जिसमें साधारण संदेश और इंटरएक्टिव सामग्री (खेल, श्रृव्य–दृश्य, पोस्टर इत्यादि) हैं। इसका आगे चलकर 1,50,000 से अधिक स्वास्थ्य और कल्याण केन्द्रों द्वारा उपयोग किया जाएगा। यह अनुपूरक संसाधन है। इसे राष्ट्रीय पोषण और जन स्वास्थ्य के मुख्य कार्यक्रमों में उपयोग किया जाएगा। यह 'ईट राइट इंडिया' अभियान को स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों (एच.डब्ल्यू.सी) से जोड़ता है। जमीनी स्तर पर कार्य करने वाले 1500 से अधिक कार्यकर्ताओं अर्थात् ऑक्जीलरी नर्स मिडवाइव्ज (ए.एन.एम), प्रत्यायित सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा), आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के 500 नोडल अधिकारियों को 'ईट राइट टूलकिट' के उपयोग द्वारा सामुदायिक शिक्षा देने और बहिरंग संपर्क कार्यक्रमों के लिए प्रशिक्षित किया गया है और उन्हें टूलकिटें भी दी गईं। इन कार्यकर्ताओं के माध्यम से देश में ईट राइट का व्यापक संदेश देना संभव है।

आकृति 29 - 'ईट राइट टूलकिट' का प्रदर्शन

आकृति 30 - टूलकिटों का वितरण और फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण

12.2.3 स्वस्थ भारत यात्रा

12.2.3.1 महात्मा गांधी की 150वीं जन्म शताब्दी वर्ष का सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए लाभ उठाने के माननीय प्रधान मंत्री के विचारों से प्रेरित होकर 'स्वस्थ भारत यात्रा', जो लोगों को सही खाना खाने के लिए प्रेरित करने हेतु विश्व की सबसे बड़ी साइक्लॉथान मानी जाती है, विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर दिनांक 16 अक्टूबर, 2018 को आरंभ की गई। यह यात्रा छह विभिन्न स्थानों – लेह, पणजी, तिरुवनंतपुरम्, पुदुचेरी, कोलकाता और अगरतला से छह विभिन्न पथों पर प्रारंभ हुई, जिसमें 21,629 स्वैच्छिक साइकिल यात्रियों के साथ 'ईट राइट मोबाइल यूनिट' और 'चल खाद्य परीक्षण यूनिट' का कारवाँ भी शामिल था। इसने 36 राज्यों और संघशासित क्षेत्रों में 21,000 से अधिक किलोमीटर की यात्रा कर खाद्य सुरक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने, खाद्य अपमिश्रण से निपटने और स्वास्थ्यकर आहार के प्रति सचेत करने और 'सुरक्षित खाओ, स्वास्थ्यकर खाओ और पौष्टिकीकृत खाओ' का संदेश फैलाने के लिए लगभग ढाई करोड़ लोगों से संपर्क किया।

12.2.3.2 यात्रा अपनी शुरुआत के 100 से अधिक दिनों के बाद नई दिल्ली में विशाल समापन समारोह के साथ समाप्त हुई। समापन समारोह सेंट्रल पार्क, राजीव चौक, नई दिल्ली में दिनांक 29 जनवरी, 2019 को संपन्न

हुआ, जिसमें माननीय राज्य मंत्री, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, श्री अश्विनी कुमार चौबे ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया और अनेक अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने समारोह को सुशोभित किया।

12.2.3.3 इस अभियान की भावना को बनाए रखने और समुदायों के बीच मुख्य संदेश पहुँचाने के लिए 6,000 से अधिक ' ईट राइट चैंपियन' बनाए गए।

12.2.4 राष्ट्रीय ईट राइट मेला

12.2.4.1 गांधी जी की खाद्य, पोषण और उनकी खान-पान की आदतों से प्रेरित होकर एफ.एस.एस.ए.आई ने नैशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया (नास्वी) के राष्ट्रीय स्ट्रीट फूड फेस्टिवल के दसवें संस्करण के सहयोग से नई दिल्ली में दिनांक 14 से 16 दिसंबर, 2018 तक पहला राष्ट्रीय ईट राइट मेला आयोजित किया। यह नास्वी, टेस्टिंग इंडिया सिम्पोसियम, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों, खाद्य कारोबारियों, खाद्य और स्वास्थ्य के क्षेत्र के प्रसिद्ध विशेषज्ञों और विभिन्न हितधारकों के सहयोग से आयोजित किया गया। राष्ट्रीय ईट राइट मेला सही आहार के विभिन्न तत्वों का 360 डिग्री अनुभव कराने, पोषण और तंदरुस्ती सुनिश्चित कराने के साथ-साथ सुरक्षित, स्वास्थ्यकर और पौष्टिकीकृत खाने के संदेश को फैलाने के लिए एफ.एस.एस.ए.आई की विभिन्न पहलों को दिग्दर्शित करने के लिए आयोजित किया गया। ईट राइट मेला का रेडिया प्रोमोशन अभियान 13 से 16 दिसंबर, 2018 तक किया गया। यह राष्ट्रीय स्तर का समारोह सूचनात्मक मॉडल के रूप में विकसित आयोजन था और इसमें सूचना मंडप, खाद्य स्टालें और कुछ गतिविधियाँ शामिल थीं, जिनमें प्रतियोगिताएँ, लाइव फूड डेमो, विशेषज्ञ पैनल की चर्चाएँ और भौतिक गतिविधियाँ मुख्य थीं।

12.2.4.2 आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के सहयोग से राज्यों की राजधानियों समेत चालीस अन्य स्थानों पर ऐसे ही मेले आयोजित करने के लिए एक प्रतिकृति टेंप्लेट बनाई गई है।

आकृति 31 - 'राष्ट्रीय ईट राइट मेला' की झलकियाँ

12.2.5 ईट राइट रचनात्मकता चुनौती पुरस्कार

12.2.5.1 दिनांक 14 नवंबर, 2018 को बाल दिवस के अवसर पर एफ.एस.एस.ए.आई ने 'ईट राइट पुरस्कार' और 'ईट राइट रचनात्मकता चुनौती' पुरस्कारों की घोषणा की, जिससे 'ईट राइट इंडिया' अभियान को और बल मिला। 'ईट राइट रचनात्मकता चुनौती' का प्रयोजन सही खाना खाने के संदेश को फैलाने के लिए देश के युवाओं में रचनात्मकता को उजागर करना था। यह प्रतियोगिता तीन स्तरों पर चलाई गई: स्कूल, शहर और राष्ट्रीय स्तर, जिसमें कक्षा एक से बारहवीं तक के बच्चों ने भाग लिया। इसने सुरक्षित खाने, सही खाने और पौष्टिकीकृत खाने के साथ-साथ खाद्य बेकारी न होने देने के साधारण संदेशों को फैलाने के लिए सहायी वातावरण बनाने के लिए रचनात्मकता को एक सशक्त माध्यम के रूप में अपनाने को प्रेरित किया।

12.2.5.2 देश के 3,600 स्कूलों से 75,000 से अधिक बच्चों ने चुनौती में भाग लिया। लगभग 150 भित्ती चित्रकारियाँ और 800 डिजिटल रचनाओं का सृजन हुआ, जिनमें वीडियो, लघु कथाएँ और जिंगल शामिल थीं।

आकृति 32 - समारोह के दौरान सभी विजेताओं के लिए आयोजित कला कार्यशाला

आकृति 33 - दिव्यांगजनों को पुरस्कार वितरण

12.3 ईट राइट स्टार्ट-अप पुरस्कार

ईट राइट स्टार्ट-अप पुरस्कारों की स्थापना सुरक्षित और स्वास्थ्यकर आहार के क्षेत्र में नवाचार को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए की गई थी। पहली बार चार श्रेणियों- खाद्य परीक्षण, खाद्य सेवा, सामुदायिक संपर्क और कार्य-नियोजन – के लिए दिनांक 14 नवंबर, 2018 को शुरुआत की गई। कुल 26 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 4 विजेताओं का चयन करके उन्हें खाद्य उत्पादों की संबंधित श्रेणी में पुरस्कृत किया गया।

12.4 हार्ट अटैक रिवाइंड

मेसर्स वाइटल स्ट्रेटजीज के सहयोग से दिनांक 30 नवंबर, 2018 को एक संचार मीडिया अभियान की शुरुआत की गई, जिसके तहत खाद्य आपूर्ति में उद्योग में उत्पादित ट्रांस-फैट को समाप्त करने पर बल दिया गया। 'हार्ट अटैक रिवाइंड' ने नागरिकों को ट्रांस-फैट के सेवन के खतरों से अवगत कराया और ज्यादा स्वास्थ्यकर विकल्पों के माध्यम से उनसे बचने की नीति समझाई। मुख्य डिजिटल प्लेटफॉर्मों, जैसे यूट्यूब, फेसबुक, होटस्टार, और वूट, पर चार सप्ताह तक 17 भाषाओं में 30 सेकिंड की जन-घोषणा का प्रसारण किया गया। इसके अतिरिक्त अभियान को रेडियो चैनलों पर तथा दिल्ली/एनसीआर में आउटडोर होर्डिंगों के

माध्यम से भी चलाया गया। साथ ही एक सोशल मीडिया अभियान द्वारा जनता के स्वास्थ्य पर ट्रांस- फैट के हानिकारक प्रभावों पर प्रकाश डाला गया।

12.5 खाद्य सुरक्षा और अनुप्रयुक्त पोषण पर उच्चतर शिक्षा संस्थानों से ताल-मेल

देश में खाद्य सुरक्षा के ईकोसिस्टम को अद्यतन करने और भविष्य के लिए खाद्य पेशेवरों में क्षमता-निर्माण करने के लिए एफ.एस.एस.ए.आई ने खाद्य सुरक्षा और अनुप्रयुक्त पोषण पर उच्चतर शिक्षा संस्थानों (एच.ई.आई) से ताल-मेल के लिए अपने वृहद् फ्रेमवर्क से अवगत कराने के लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, शिक्षाविदों, उद्योग और औद्योगिक संघों; मंत्रालयों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रीन्योरशिप एंड मैनेजेमेंट (निफ्टेम), भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.एफ.टी), फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की), और ए.ओ.ए.सी इंडिया के प्रतिनिधियों के साथ दिनांक 3 जुलाई, 2018 को प्रथम स्तरीय चर्चा की। एच.ई.आई के साथ प्रभावी रूप से ताल-मेल के लिए ट्रिपल ई-रणनीति (एंगेज, एक्साइट, इनेबल) अपनाई जा रही है। इस फ्रेमवर्क से संबंधित हितधारकों को दिनांक 13 अगस्त, 2018 को एफ.एस.एस.ए.आई-सी.आई.आई-एस.के.ए की खाद्य सुरक्षा पर आयोजित वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय क्विज प्रतियोगिता के माध्यम से परिचित कराया गया, जिसमें 160 से अधिक महाविद्यालयों ने भाग लिया। इस पहल से एफ.एस.एस.ए.आई भारत में उदीयमान खाद्य उद्योग के लिए भविष्य के लिए तैयार कुशल कार्यबल बनाना चाहती है।

12.6 परस्पर संवादात्मक (इंटरएक्टिव) रेडियो परामर्श सत्र

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के सहयोग से शैक्षिक एफ.एम रेडियो स्टेशन 'ज्ञान वाणी' के माध्यम से निम्नलिखित विषयों पर इंटरएक्टिव रेडियो परामर्श सत्र आयोजित किए गए:

i. स्कूलों में खाद्य सुरक्षा और पोषण-I– दिनांक 1 अप्रैल, 2018 को
ii. स्कूलों में खाद्य सुरक्षा और पोषण-II– दिनांक 15 अप्रैल, 2018 को
iii. 'खाद्य अपमिश्रण – इसे जानने के सरल तरीके'– दिनांक 6 और 20 मई, 2018 को
iv. खाद्यजनित रोग और निवारण – दिनांक 23 जून, 2018 को
v. 'खाद्य धोखाधड़ी, खाद्य रक्षा' दिनांक 04 जुलाई, 2018 को
vi. 'घर पर सुरक्षित और पोषक आहार-II' दिनांक 07 जुलाई, 2018 को
vii. 'खाद्य संदूषण और एलर्जी के प्रति जागरूकता'– 21 जुलाई, 2018 को
viii. खाद्य स्थापना के लिए साफ-सफाई और स्वच्छता संबंधी अपेक्षाएँ' – 21 जुलाई, 2018 को
ix. 'कृत्रिम मीठा और मानव स्वास्थ्य - आज से थोड़ा कम'– दिनांक 20 अक्टूबर, 2018 को
x. 'आहार से ट्रांस-फैट खत्म करें – 2022 तक ट्रांस-फैट मुक्त भारत' दिनांक 03 नवंबर, 2018 को
xi. 'कुक्कुट मांस और कुक्कुट उत्पादों के बारे में जागरूकता'– दिनांक 17 नवंबर,2018 को
xii. 'प्रयुक्त कुकिंग ऑयल – रुको का निपटान' –दिनांक 01 दिसंबर, 2018 को
xiii. 'आइस क्रीमों और अन्य ठंडे खाद्य पदार्थों की तुरंत फ्रीजिंग के लिए द्रव नाइट्रोजन और एंटी-माइक्रोबियल दवाओं के उपयोग का स्वास्थ्य पर प्रभाव'– दिनांक 15 दिसंबर, 2018 को
xiv. 'स्वास्थ्यकर और सुरक्षित खाद्य का चयन' दिनांक 05 जनवरी, 2019 को
xv. 'स्वस्थ भारत यात्रा'– दिनांक 26 जनवरी, 2019 को।

12.7 सोशल मीडिया

वर्ष 2018-19 में एफ.एस.एस.ए.आई के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों – ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम का फोलोअरों, एंगेजमेंट और अधिगम में सरलता में नुमाइशी वृद्धि हुई। एफ.एस.एस.ए.आई ने 9.84 लाख लोगों को एंगेज करने और प्रत्येक प्लेटफॉर्म के लिए बनाई गई विशद सोशल मीडिया योजनाओं के माध्यम से लगभग 3.34 करोड़ तक पहुँच बनाई। बढ़ावा देने के सामान्य तरीकों के अलावा, इस वर्ष एफ.एस.एस.ए.आई ने पहली बार पेड प्रोमोशन प्रणाली भी अपनाई। मुख्य मुद्दों को अपनाने और युवा पीढ़ी के लिए उपयुक्त बने रहने के लिए मौजूदा रुझानों का लाभ उठाने के लिए एफ.एस.एस.ए.आई के श्रोतागण का विश्लेषण करने के साथ-साथ अतिरिक्त विशेषताओं के लिए विभिन्न सोशल मीडिया साधनों का उपयोग उठाया गया।

12.8 प्रकाशन/ब्रोशर/पन्ने:

उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने और सभी हितधारकों को एफ.एस.एस.ए.आई के कार्यकरण तथा नई पहलों की महत्ता बताने के लिए 2018-19 के दौरान निम्नलिखित प्रकाशन जारी किए गए और वितरित किए गए:

ब्रोशर/पन्ने	पुस्तकें	वीडियो
• डोकिट ईट राइट	• मार्गदर्शी प्रलेख – स्वच्छ स्ट्रीट फूड केंद्र	• सुरक्षित खाद्य परोसें
• नमक कम	• मार्गदर्शी नोट – खाद्य सेवा प्रतिष्ठानों में मेनु लेबलिंग	• अपमिश्रण से निपटें
• चीनी कम	• लौह यात्रा पुस्तिका	• स्वच्छ स्ट्रीट फूड केंद्र
• तेल/घी कम	• ईट राइट इंडिया – स्वस्थ भारत यात्रा	• रुको
• ईट राइट इंडिया – तेल और वसा	• स्वस्थ भारत यात्रा फोटोबुक	• गांधी फिल्म
• ईट राइट इंडिया – चाय, कॉफी और अन्य बीवरेज	• जन भागीदारी के 50 दिन – स्वस्थ भारत यात्रा	• एसबीवाई फिल्म
• ईट राइट रचनात्मकता चुनौती	• फोस्टैक पुस्तिका – खाद्य कारोबार में क्षमता-निर्माण द्वारा स्व-अनुपालन की संस्कृति का पोषण	• दुहरा पौष्टिकीकृत नमक
• ईट राइट रचनात्मकता चुनौती दिशा-निर्देश	• ईट राइट टूलकिट	• पौष्टिकीकृत गेहूँ का आटा और चावल
• 25 ईट राइट पुरस्कार	• ओरेंज बुक	• पौष्टिकीकृत तेल और दूध
• एसएनएफ@अस्पताल	• डार्ट संस्करण 2	• खराब खाद्य को जाँचें
• भोजन बाँटें आनंद बाँटें	• प्रशिक्षण मैनुअल – दूध और दुग्ध उत्पाद	• सुरक्षित और स्वास्थ्यकर कुकिंग ऑयल
• ईट राइट मेला	• जैविक खाद्य पर प्रशिक्षण मैनुअल (फोस्टैक+)	• स्वस्थ जीवन (संतुलित आहार)
• नेटप्रोफैन	• स्टार्ट-अपों के लिए गो टू गाइड	• एच.एफ.एस.एस– थोड़ा कम, दिल, दिमाग, कंट्रोल क्यूँ

ब्रोशर/पन्ने	पुस्तकें	वीडियो
• उपभोक्ता सशक्तीकरण	• एसएनएफ@स्कूल एक्टिविटी बुक	• ईट राइट मेला
• भारत में खाद्य सुरक्षा के परिदृश्य में बदलाव	• हेल्दी इंडिया डेस्कटॉप कैलेंडर	• वैष्णव जन तो
• क्षमता-निर्माण		
• ईट राइट पहेली		
• रुको		

12.9 एफ.एस.एस.ए.आई का एक्सपीरियंस जोन

एक्सपीरियंस जोन, जिसमें भारत का खाद्य सुरक्षा ईकोसिस्टम बताया गया है, टाटा ट्रस्ट्स के सहयोग से एफ.डी.ए भवन में बनाया गया। इसका उद्घाटन श्री अमिताभ कांत, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नीति आयोग द्वारा दिनांक 16 मई, 2018 को किया गया। कल्पित वास्तविकता और वृद्धिकारी प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए इसमें खाद्य सुरक्षा विनियमन के इतिहास को इसके खाद्य अपमिश्रण पर पुराने संकीर्ण दृष्टिकोण से लेकर सभी 132 करोड़ नागरिकों के लिए सुरक्षित और स्वास्थ्यकर आहार उपलब्ध कराने के अधिक समग्रतावादी दृष्टिकोण तक को समाहित किया गया। 360 डिग्री एक्सपीरियंस जोन में बताया गया है कि कैसे एफ.एस.एस.ए.आई ने अपनी भूमिका में केवल 'प्रवर्तक' से 'सहायी' के रूप में बदलाव किया। इंटरएक्टिव प्रदर्शों के माध्यम से आगंतुक खाद्य वैल्यू श्रृंखला की जटिलता को समझ सकते हैं, लागू प्रणालियों और प्रक्रमों को देख सकते हैं और यह जान सकते हैं कि कैसे एफ.एस.एस.ए.आई नियामक, खाद्य कारोबारों और नागरिकों के मध्य भागीदारी का सृजन कर रही है।

आकृति 34 - एफ.एस.एस.ए.आई के 'एक्सपीरियंस जोन' का उद्घाटन

12.10 समारोह और प्रदर्शनियाँ

2018-19 के दौरान एफ.एस.एस.ए.आई ने जन जागरूकता उत्पन्न करने, उपभोक्ता शिक्षा देने, अपनी पहलों का प्रचार करने और विभिन्न हितधारकों के साथ सशक्त संवाद करने के लिए निम्नलिखित प्रदर्शनियों/ समारोहों में भाग लिया:

i. प्रगति मैदान, नई दिल्ली में दिनांक 27 से 29 जुलाई, 2018 तक आयोजित 'सरकारी उपलब्धियाँ और योजनाएँ प्रदर्शनी'। उत्कृष्ट उपलब्धियों और सर्वोत्तम प्रदर्श के लिए एफ.एस.एस.ए.आई को प्रथम पुरस्कार दिया गया।

ii. 'आहार – खाद्य और स्वागत-सत्कार मेला 2018', भारत व्यापार संवर्धन संगठन (आईटीपीओ) द्वारा दिनांक 23 से 25 अगस्त, 2018 तक चेन्नई ट्रेड सेंटर में आयोजित।

आकृति 35 - 'आहार-खाद्य और स्वागत-सत्कार मेला 2018' में भागीदारी

iii. 'फूड इन्ग्रीडिएंट्स इंडिया एंड हेल्थ इन्ग्रीडिएंट्स (फाई इंडिया एंड हाई) 2018', यू.बी.एम इंडिया प्रा0 लि0 द्वारा इंडिया एक्स्पो मार्ट, ग्रेटर नोएडा में दिनांक 30 अगस्त से 01 सितंबर, 2018 तक आयोजित।

iv. सिडको एक्जीबिशन सेंटर, नवी मुंबई में दिनांक 23 से 27 अक्टूबर, 2018 तक आयोजित '19वीं आईयूफोस्ट वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी 2018'। द इंटरनैशनल यूनियन ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी (आईयूफोस्ट) खाद्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए वैश्विक वैज्ञानिक संगठन है, जिसके 75 से अधिक देशों के 3,00,000 से अधिक सदस्य हैं, जो विश्व खाद्य आपूर्ति की सुरक्षा और संरक्षा बढ़ाने वाले कार्यक्रमों और परियोजनाओं में सहयोग देते हैं।

आकृति 36 - 19वीं आईयूफोस्ट सम्मेलन, 2018 की छवियाँ

v. 'ड्रिंक टेक्नोलॉजी इंडिया, 2018' – बॉंबे इंटरनैशनल एक्जीबिशन सेंटर, मुंबई में दिनांक 24 से 27 अक्टूबर, 2018 तक।

vi. 'बॉयोफैक इंडिया, 2018' – प्रगति मैदान, नई दिल्ली में दिनांक 25 से 27 अक्टूबर, 2018 तक।

vii. 'एग्रो वर्ल्ड, 2018' – आई.ए.आर.आई, पूसा कैंपस, नई दिल्ली में दिनांक 25 से 27 अक्टूबर, 2018 तक

viii. 'क्लाइमेट जंबूरी, 2018' – त्यागराज स्पोर्ट्स कंप्लेक्स, नई दिल्ली में दिनांक 01 से 03 नवंबर, 2018 तक।

ix. '5वाँ वाइब्रेंट इंडिया, 2018' और 'मेरी दिल्ली उत्सव'– पीतमपुरा दिल्ली हाट, नई दिल्ली में 02 और 04 नवंबर, 2018।

x. '23वाँ अखिल भारतीय बाल शिक्षा श्रव्य-दृश्य उत्सव और आई.सी.टी मेला' – सी.आई.ई.टी, एन.सी.ई.आर.टी, नई दिल्ली में दिनांक 27 से 29 नवंबर, 2018 तक।

xi. '8वाँ इंटरनैशनल फूड कन्वेंशन (इफ्कोन 2018)' – सी.एफ.टी.आर.आई, मैसुरू में दिनांक 12 से 15 दिसंबर, 2018 तक। कन्वेंशन का विषय 'स्टार्ट-अप के लिए समग्रतावादी दृष्टिकोण, खाद्य नवाचार और कृषि और खाद्य उद्योग जेमेशन के लिए मानव संसाधन प्रशिक्षण था। एफ.एस.एस.ए.आई को जन जागरूकता उत्पन्न करने, खाद्य सुरक्षा को प्रेरित और प्रोत्साहित करने में श्रेष्ठता के लिए बेस्ट एक्जीबिटर पुरस्कार मिला।

आकृति 37 - इफ्कोन 2018 उद्घाटन समारोह

xii. 'इंडस फूड – ए ग्लोबल फूड एंड बीवरेज रिवर्स बायर्स-सेलर्स मीट (आर.बी.एस.एम)' – भारत व्यापार संवर्धन परिषद् द्वारा इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट, ग्रेटर नोएडा में दिनांक 14 से 15 जनवरी, 2019 तक आयोजित।

xiii. 'स्थानीय खाद्य प्रणालियों के माध्यम से स्वास्थ्यकर आहार को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय कार्यशाला' – नैशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड एडवांस्ड रिसर्च ऑन डाइट्स, लेडी इरविन कॉलेज और यूनिसेफ इंडिया के सहयोग से नीति आयोग द्वारा होटल लीमेरिडियन, नई दिल्ली में दिनांक 20 से 21 फरवरी, 2019 तक आयोजित।

xiv. 'निफ्टेम फूड फेस्टिवल' – निफ्टेम कैंपस, कुंडली, सोनीपत, हरियाणा में दिनांक 21 से 22 फरवरी, 2019 तक आयोजित।

xv. 'द्वितीय द्वादश ज्योतिर्लिंग समारोह 2019' – सभी 12 ज्योतिर्लिंगों के प्रशासकों को एफ.एस.एस.ए.आई के 'भोग' और स्वच्छता रेटिंग पहलों को बढ़ावा देने और संवेदी बनाने के लिए सोमनाथ, गुजरात में दिनांक 23 से 25 फरवरी, 2019 तक आयोजित।

xvi. 'आहार – अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और स्वागत-सत्कार मेला 2019' - भारत व्यापार संवर्धन संगठन (आईटीपीओ) द्वारा दिनांक 12 से 16 मार्च, 2019 तक प्रगति मैदान, नई दिल्ली में जन जागरूकता, उपभोक्ता शिक्षा,एफ.एस.एस.ए.आई की पहलों के प्रचार और विभिन्न हितधारकों के साथ सशक्त एकीकरण के लिए आयोजित।

xvii. 'स्वस्थ भारत यात्रा का समापन समारोह' - यह यात्रा अपनी शुरुआत के 100 से अधिक दिनों बाद नई दिल्ली में विशाल समापन समारोह में समाप्त हुई1 समापन समारोह सेंट्रल पार्क, राजीव चौक में दिनांक 29 जनवरी, 2019 को आयोजित किया गया, जिसमें माननीय राज्य मंत्री, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, श्री अश्विनी कुमार चौबे ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया और अनेक अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने समारोह को सुशोभित किया।

आकृति 38 - श्री अश्विनी कुमार चौबे, राज्य मंत्री (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण) स्वच्छ भारत यात्रा को सफल बनाने वाले व्यक्तियों को प्रमाण-पत्र प्रदान करते हुए

अध्याय-13

उपभोक्ता का ध्यान और सशक्तिकरण

13.1 परिचय

उपभोक्ताओं को सूचना, सूझ-बूझ से पसंद करने, शिक्षा, सुरक्षित और पोषक आहार, अनुचित व्यापार रीतियों से संरक्षण और अपनी शिकायतों के निपटान का अधिकार है। इन अधिकारों के मद्देनजर एफ.एस.एस.ए.आई ने कई मुख्य पहलें की हैं, जिनका उद्देश्य उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना और उनके हितों का संरक्षण करना है।

13.2 विशिष्ट उपभोक्ता शिक्षा पोर्टल

उपभोक्ताओं का खाद्य सुरक्षा से संबंधित सभी मुद्दों के बारे में शिक्षित करने के लिए एफ.एस.एस.ए.आई ने सभी खाद्य क्रेताओं को स्मार्ट, सजग और जागरूक उपभोक्ता बनाने के लिए www.foodsmart.fssai.gov.in नाम से विशिष्ट रूप से समर्पित अन्योन्य क्रियात्मक पोर्टल तैयार किया है। यह पोर्टल उन्हें सूझ-बूझ से पसंद करने के बारे में बताता है, चाहे वे कच्ची खाद्य सामग्री खरीद रहे हों या प्रसंस्कृत खाद्य सामग्री या बाहर खाना खा रहे हों। यह उपभोक्ताओं को उनके विचार व्यक्त करने, प्रश्न पूछने और अपनी शिकायतें दर्ज कराने का मंच भी उपलब्ध कराता है।

13.3 मार्गदर्शी नोट

एफ.एस.एस.ए.आई खाद्य अपमिश्रण के प्रति सामान्य चिंताओं और खाद्य सुरक्षा के अन्य मुद्दों के समाधन के लिए और खाद्य से संबंधित भ्रांतियों को दूर करने के लिए उपभोक्ताओं और अन्य हितधारकों के लिए मार्गदर्शी नोट बनाकर उनका प्रसार कर रही है। अब तक निम्नलिखित विषयों पर मार्गदर्शी नोट बनाए गए हैं:

- फलों की कृत्रिम पकाई
- अंडे की गुणता और सुरक्षा : प्लास्टिक के अंडों के बारे में मिथक का निराकरण
- फलों और सब्जियों पर स्टिकर
- प्रयुक्त कुकिंग ऑयल का प्रहस्तन और निपटान
- विकिरणित खाद्य सुरक्षित होता है : इससे संबंधित मिथकों का निराकरण
- दालों और बेसन की सुरक्षा सुनिश्चित करना
- सुरक्षित मसाले
- मछली में फोर्मलिन का मामला

एफ.एस.एस.ए.आई ने इन्हें अपनी वेबसाइट और सोशल मीडिया पर डाला है। प्रसार में सुविधा के लिए सामग्री कई भाषाओं में उपलब्ध होने के साथ-साथ डिजिटल फॉरमैट में भी है।

13.4 खाद्य सुरक्षा डिस्प्ले बोर्ड

13.4.1 खाद्य सुरक्षा डिस्प्ले बोर्ड : एफ.एस.एस.ए.आई ने विभिन्न खाद्य कारोबारों यथा खुदरा स्टोरों, दूध के बूथों, सब्जियों और फलों के खुदरा विक्रेताओं, मांस की दुकानों, रेस्टोरेंटों, स्ट्रीट फूड विक्रेताओं, उत्पादकों, भंडारणकर्ताओं, शराब की खुदरा दुकानों, ट्रांस्पोर्टरों और वितरकों के लिए 'खाद्य सुरक्षा डिस्प्ले बोर्ड' (एफ.एस.डी.बी) शुरू किए हैं।

13.4.2 इन बोर्डों में न केवल एफ.एस.एस.ए.आई की पंजीकरण/लाइसेंस संख्या होती है, बल्कि ये उपभोक्ताओं को खाद्य कारोबारों द्वारा अपने कारोबार में अपनाई जाने वाली खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता संबंधी उपयुक्त रीतियों के बारे में भी जानकारी देते हैं। इनमें उपभोक्ताओं के लिए फीडबैक, प्रश्नों और शिकायतों के लिए संपर्क दूरभाष का उपबंध भी है।

13.4.3 इसके अतिरिक्त खान-पान क्षेत्र के लिए एफ.एस.डी.बी को अनिवार्य बनाया गया है और एफ.एस.एस.ए.आई यह सुनिश्चित करने की प्रक्रिया में है कि संपूर्ण क्षेत्र के लिए एफ.एस.डी.बी को संबंधित खाद्य कारोबारियों द्वारा प्रदर्शित किया जाए।

आकृति 39 - 'खाद्य सुरक्षा डिस्प्ले बोर्ड' (एफ.एस.डी.बी)

13.5 सुरक्षित और पोषक आहार की पहलें

सुरक्षित और पोषक आहार (एस.एन.एफ) की पहलें वे पहलें हैं, जिनमें दैनिक जीवन में अर्थात् घर पर, स्कूल में, कार्य-स्थल पर अथवा भोजनालय में नागरिकों के मार्गदर्शन और व्यवहारगत परिवर्तन के लिए 360 डिग्री दृष्टिकोण अपनाया गया है। घर (द पिंक बुक), स्कूल (द येलो बुक), और कार्य-स्थल (द ओरेंज बुक) के लिए सुरक्षित और पोषक आहार की संसाधन पुस्तकें तैयार की गई हैं। पिंक बुक में लाभदायक बातें, करो और न करो, और भारतीय रसोइयों के लिए अनुशंसित पद्धतियाँ और रीतियाँ बताई गई हैं। द येलोबुक में इंटरएक्टिव क्लास रूम लेक्चरों के साथ-साथ पाठ्यक्रम और पाठ्येतर गतिविधियाँ दी गई हैं। यह अभिभावकों,अध्यापकों और छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण साधन का काम करती है। द ओरेंज बुक कार्य-स्थल पर सभी के लिए खाद्य सुरक्षा और पोषण सुनिश्चित करने के लिए सहायी वातावरण बनाने का मार्गदर्शी प्रलेख है। द्रुत परीक्षण से अपमिश्रण जानें (डार्ट) पुस्तिका खाद्य अपमिश्रण जानने के लिए

आम तौर पर सेवित वस्तुओं के आसानी से स्वयं किए जाने वाले परीक्षणों का संग्रह है, जिससे यह खाद्य में जनता के विश्वास का निर्माण करती है। इन्हें क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराया जा रहा है। एस.एन. एफ के तहत टी.ओ.टी मॉडल (प्रशिक्षक प्रशिक्षण) के माध्यम से प्रत्येक क्षेत्र के स्वास्थ्य और कल्याण समन्वयकों को प्रशिक्षित और प्रमाणित किया जा रहा है। कार्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सी.एस.आर) के अंतर्गत वित्त पोषण के लिए उद्योग के साथ सहयोग के मॉडलों का सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया है और स्थिर व्यवस्था का रीतिबद्ध ढाँचा तैयार किया गया है।

13.6 सामाजिक जुड़ाव

अभियान प्राय: किसी मामले पर ध्यान केंद्रित करने और सभी हितधारकों को उस दिशा में काम में लगाने के लिए लाभदायक होते हैं। स्वस्थ भारत यात्रा, जो अखिल भारतीय रिले साइक्लाथॉन थी,'सुरक्षित खाएँ, स्वास्थ्यकर खाएँ और पौष्टिकीकृत खाएँ' का संदेश देने और बाजार में उपलब्ध खाने के प्रति उपभोक्ता का विश्वास पैदा करने के लिए आयोजित की गई थी। इस रिले साइक्लाथॉन में 21,629 साइकिल यात्रियों ने 16 अक्टूबर, 2018 से 29 जनवरी, 2019 के मध्य 104 दिनों तक 21,000 से अधिक किलो मीटरों की दूरी तय की। देश में अनेक समारोह और गतिविधियाँ की गईं और लगभग ढाई करोड़ लोगों तक पहुँच बनाई गई। इस अभियान को बनाए रखने के प्रयोजन से समुदायों में मुख्य संदेश को देने के लिए 6,000 से अधिक ईट राइट चैपियन बनाए गए। ईट राइट रचनात्मकता चुनौती, जो एक अखिल भारतीय कला प्रतियोगिता थी, युवा वार्ग की रचनात्मकता को बाहर लाने और 'ईट राइट' अभियान का संदेश फैलाने के लिए आयोजित की गई थी। इस चुनौती में 3,600 स्कूलों के 75,000 छात्रों ने भाग लिया। लगभग 150 भिति चित्रकारियाँ और 800 डिजिटल रचनाओं, वीडियो,लघु कथाओं, जिंगलों का सृजन हुआ।

13.7 इलेक्ट्रॉनी, मास और सोशल मीडिया का उपयोग

इंटरएक्टिव सामग्री यथा लघु वीडियो, जीआईएफ, ईट राइट पहेली, ईट राइट कैलेंडर और आदत ट्रैकर, पोस्टर, स्वास्थ्यकर रेसिपि इत्यादि से अलग वेब पोर्टल बनाए गए। ईट राइट के मुख्य संदेश का प्रसार रेडिओ, यूट्यूब, ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के माध्यम से किया जा रहा है। खाद्य की सुरक्षा और गुणता के बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर झूठे और भ्रामक प्रचार को रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं।

13.8 प्रभावशाली और प्रसिद्ध व्यक्तियों की सेवाओं का उपयोग

महात्मा गांधी के खाद्य और पोषण संबंधी दर्शन से प्रेरणा लेते हुए ईट राइट का मुख्य संदेश के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए पोषण और खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र के प्रभावशाली व्यक्तियों की सेवाओं का उपयोग उठाया गया। पौष्टिकीकृत खाद्य और कम लवण, शर्करा और वसा वाले आहार अपनाने हेतु प्रेरित करने के लिए लोकप्रसिद्ध व्यक्तियों को दर्शाते हुए लघु फिल्मों का उपयोग किया जा रहा है। बच्चों में खान-पान की स्वास्थ्यकर आदतें डालने के लिए 'टीम सेहत' के शुभंकर को प्राणवान बनाया गया। 10 लाख से अधिक बच्चों से संपर्क के साथ देश में अनेक शुभंकर गतिविधियाँ की गईं।

13.9 परस्पर संवादात्मक रेडियो परामर्श सत्र

एफ.एस.एस.ए.आई ने ज्ञानवाणी पर परस्पर संवादात्मक (इंटरएक्टिव)रेडियो परामर्श सत्रों के माध्यम से

खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता के विभिन्न पहलुओं पर उपभोक्ताओं और उद्योग के लोगों को शिक्षित करने के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के सहयोग से विशेष कार्यक्रम किए। हर पखवाड़ा आयोजित किया जाने वाला यह एक घंटे का सीधे प्रसारण वाला सत्र होता है, जिस दौरान विषय के विशेषज्ञ खाद्य क्षेत्र के विभिन्न मामलों सुरक्षा और स्वच्छता संबंधी पहलुओं पर चर्चा करते हैं। विशेषज्ञ श्रोताओं से बात भी करते हैं और उनके प्रश्नों के उत्तर देते हैं। ऐसा पहला सत्र दिनांक 14 जनवरी, 2018 को हुआ था, जो 'उच्च वसा, लवण और शर्करा (एच.एफ.एस.एस) वाले खाद्य पदार्थों का बढ़ता सेवन और उनका स्वास्थ्य पर प्रभाव' विषय पर था। तब से अब तक कुल कई आयोजित किए जा चुके हैं, जिनमें खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई।

13.10 सूझ-बूझकर की गई पसंद प्रेरित करना

बेहतर जानकारी से उपभोक्ता सूझ-बूझ करके पसंद कर सकता है। हाल ही की कुछ पहलों में निम्नलिखित शामिल हैं:

स्वस्थप्रद रेटिंग – इसका प्रयोजन तृतीय पक्ष के ऑडिटों और निरीक्षणों के माध्यम से खाद्य सेवा स्थापनाओं में खाद्य स्वच्छता के मानकों की रेटिंग करके उपभोक्ताओं को सूझ-बूझ से पसंद करने में सशक्त बनाना है।

स्वच्छ स्ट्रीट फूड हब (सी.एस.एफ.एच) – स्वच्छ स्ट्रीट फूड हब के कारण उपभोक्ताओं की नजरों में 'सुरक्षित' स्ट्रीट फूड की अवधारणा बढ़ गई है। पहला स्वच्छ स्ट्रीट फूड हब कांकरिया झील, अहमदाबाद को घोषित किया गया था जिसके बाद 8 अन्य हब को यह प्रमाणपत्र दिया जा चुका है और देश में 62 अन्य स्वच्छ स्ट्रीट फूड हब के प्रमाणीकरण का कार्य चल रहा है।

मेनु लेबलिंग – इसका प्रयोजन उपभोक्ताओं को बाहर भोजन करते समय खाद्य पदार्थों के कैलोरी मान और पोषक तत्वों की मात्रा से परिचित कराना है। इससे उपभोक्ताओं को अपनी पसंद सूझ-बूझ से करने में सहायता मिलेगी, परिणामस्वरूप रेस्टोरेंट अपने मेनु में ज्यादा स्वास्थ्यकर विकल्प उपलब्ध कराने को प्रेरित होंगे।

प्रमाणन – उपभोक्ताओं को जैविक खाद्यों, पौष्टिकीकृत उत्पादों, नशीले पदार्थमुक्त खेल पोषण उत्पादों की पहचान करने के प्रतीक और लोगो बनाए गए हैं। उपभोक्ता की जागरूकता के लिए जिम्मेदार स्थापना-आधारित प्रतीक भी बनाए जा रहे हैं, उदाहरणार्थ रुको (पुनर्प्रयोजन प्रयुक्त कुकिंग ऑयल)।

13.11 खाद्य अपशिष्ट को रोकना

खाद्य अपशिष्ट को रोकने और भूख से निपटने के लिए 'भोजन बचाओ, भोजन बाँटो, आनंद बाँटो' पहल आरंभ की गई है। इसमें अपशिष्ट खाद्य को कम करने के लिए व्यवहारगत रीतियों के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना है। भूख से निपटने के लिए 70 शहरों के जरूरतमंद व्यक्तियों को अधिशेष भोजन सुरक्षित रूप से वितरित करने के लिए खाद्य संग्रहण और वितरण संगठनों का नेटवर्क इंडियन फूड शेयरिंग एलायंस (आई.एफ.एस.ए) स्थापित किया गया है। 12 एजेंसी इस में शामिल हैं और यह नेटवर्क अन्य राज्यों में फैल रहा है।

13.12 चल खाद्य सुरक्षा

परीक्षण, प्रशिक्षण और जागरूकता उत्पन्न करने के प्रयोजन से चल खाद्य परीक्षण की एक नई अवधारणा को जन्म दिया गया है। दैनिक उपभोग की वस्तुओं दूध, पानी, खाद्य तेल और अन्य वस्तुओं में आम मिलावटों के साधारण परीक्षण करने के अलावा इन चल यूनिटों का उपयोग नागरिकों में खाद्य सुरक्षा, स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाने और खान-पान की स्वास्थ्यकर आदतों को बढ़ावा देने तथा खाद्य कारोबारों के खाद्यकर्मियों और पर्यवेक्षकों के प्रशिक्षण और प्रमाणन के लिए भी किया जा रहा है। ऐसी 46 चल प्रयोगशालाओं की स्वीकृति दी गई है, जिनमें से 40 प्रयोगशालाएँ 30 राज्यों/संघशासित क्षेत्रों को सुपुर्द की जा चुकी हैं।

13.13 खाद्य सुरक्षा मैजिक बॉक्स

स्कूली बच्चों को शिक्षित करने के लिए शिक्षा के साधान के रूप में 'अपने आप करो' खाद्य सुरक्षा परीक्षण किट तैयार की गई है। यह छोटे आकार का एक हल्का सुवाह्य बक्सा है जिसमें कुछ आधारभूत रसायन, छोटे-छोटे उपकरण और सुरक्षा गैजेट होते हैं। इसमें उपलब्ध एक सहयोगी मार्गदर्शी पुस्तिका में विभिन्न खाद्य उत्पादों, यथा दूध, शहद, मसालों इत्यादि के परीक्षण करने के ढंग बहुत ही साधारण तरीकों से और चित्रों के माध्यम से बताया गया है। कुल मिलाकर बॉक्स में ऐसे 76 अति सरल परीक्षण बताए गए हैं। इन मैजिक बक्सों (पहले चरण में 5,000) को राज्यों के स्कूलों को उपलब्ध कराया जाएगा।

13.14 उपभोक्ता फीडबैक और शिकायत निपटान की सशक्त प्रणाली - फूड सेफ्टी कनेक्ट

13.14.1 फूड सेफ्टी कनेक्ट विभिन्न माध्यमों (डिजिटल माध्यम सहित) की सक्रिय भागीदारी और उपयुक्त जुड़ाव प्रणाली स्थापित करने के लिए एफ.एस.एस.ए.आई की एक पहल है। यह खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता के संबंध में उपभोक्ताओं की शिकायतों के निपटान के लिए एक कुशल प्रयास है। इसके प्रयोजन निम्नानुसार हैं:

- जिम्मेदार ईकोसिस्टम की स्थापना –उपभोक्ताओं पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए खाद्य कारोबारों के सभी हितधारकों को शामिल करते हुए सबके सहयोग से खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- संप्रेषण साधनों में सुधार करना –उपभोक्ताओं, खाद्य विनियामकों और खाद्य कारोबार उद्योग के मध्य।
- भरोसेमंद और सशक्त सूचना और फीडबैक प्रणाली स्थापित करना : एफ.एस.एस.ए.आई और राज्य खाद्य विनियामकों द्वारा उपभोक्ताओं को सूचना का अबाध प्रवाह सुनिश्चित करने और उनके मुद्दों/शिकायतों को समयबद्ध और दक्षता से निपटाने हेतु।

आकृति 40 - उपभोक्ता शिकायत निपटान प्रणाली

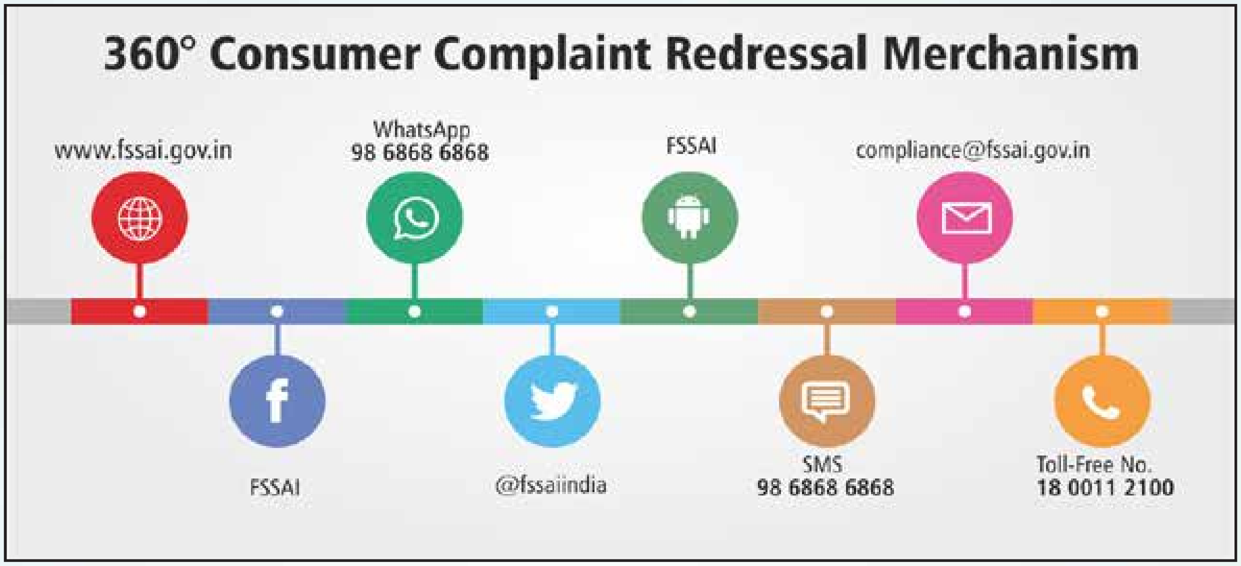

13.14.2 उपभोक्ता मुद्दों की निपटान प्रणाली

(क) एफ.एस.एस.ए.आई ने उपभोक्ताओं की फीडबैक/शिकायतों को कई माध्यमों से सरल बना दिया है, जिससे एक जिम्मेदार ईकोसिस्टम के लिए एक विश्वसनीय और सशक्त सूचना और फीडबैक प्रणाली का सृजन हुआ। उपभोक्ताओं और खाद्य कारोबारियों की शिकायतें/मुद्दे एफ.एस.एस.ए.आई द्वारा विभिन्न माध्यमों से प्राप्त हो रही है, जिनमें वेब पोर्टल और मोबाइल एप, एफ.एस.एस.ए.आई हेल्पलाइन, ई-मेल, व्हट्सएप, ट्विटर, फेसबुक शामिल हैं। इनके अतिरिक्त खाद्य और बीवरेज क्षेत्र से संबंधित शिकायतें उपभोक्ता मामले विभाग के इन्ग्राम पोर्टल के माध्यम से भी प्राप्त हो रही हैं।

(ख) आगे, एफ.एस.एस.ए.आई अन्य स्रोतों, यथा प्रशासनिक सुधार और सार्वजनिक शिकायत विभाग (डी.ए.आर.पी.जी), कैबिनेट सचिवालय, राष्ट्रपति सचिवालय, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग, प्रधान मंत्री कार्यालय इत्यादि से भी ऑफलाइन और ऑनलाइन (डी.ए.आर.पी.जी के पी.जी पोर्टल के माध्यम से) दोनों तरह से शिकायतें प्राप्त हो रही हैं।

(ग) एफ.एस.एस.ए.आई द्वारा ऊपर बताए गए माध्यमों से प्राप्त उपभोक्ताओं और खाद्य कारोबारियों की शिकायतों/मुद्दों को एकल पोर्टल अर्थात् फूड सेफ्टी कनेक्ट पोर्टल पर इकट्ठा किया जाता है। दर्ज की गई प्रत्येक शिकायत/मुद्दे को एक अलग कोड दिया जाता है, उसका जोखिमवार प्राथमिकीकरण किया जाता है और उसके बाद उसे खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम तथा उसके अंतर्गत बने नियमों और विनियमों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित राज्य के अभिनामित अधिकारी व खाद्य कारोबारी को भेजा जाता है। इन शिकायतों की नियमित रूप से मॉनिटरिंग भी की जाती है।

13.14.3 विनियमात्मक कार्य का विस्तार और उपभोक्ता सशक्तीकरण

शिकायत निपटान प्रणाली की समग्र दक्षता में सुधार लाने और सभी राज्यों एवं संघशासित क्षेत्रों के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को उपभोक्ता अधिकारों के प्रति संवेदी बनाने के लिए एफ.एस.एस.ए.आई खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के लिए नियमित रूप से कार्यशालाएँ करती रहती है।

13.14.4 खाद्य कारोबारियों को उपभोक्ताओं के अधिकारों के प्रति संवेदी बनाना

एफ.एस.एस.ए.आई ने उपभोक्ताओं की शिकायतों के समय पर तथा अच्छी प्रकार निपटान के लिए मानदंड बनाए हैं और कार्रवाई की समय-सीमा निर्धारित की है और यह सुनिश्चित किया है कि खाद्य कारोबारी उपभोक्ताओं की शिकायतों और उनके मुद्दों पर विशिष्ट रूप से कार्रवाई करने के लिए 'नोडल अधिकारी' नामित करें। नोडल अधिकारियों के कार्यों की मानिटरिंग करने के अलावा एफ.एस.एस.ए.आई उनके लिए नियमित रूप से कार्यशालाएँ भी आयोजित करती है। इन कार्यशालाओं के आयोजन का उद्देश्य खाद्य कारोबारी स्तर पर शिकायत निपटान प्रणाली को सशक्त बनाना और उसमें सुधार करना भी होता है और उसी के साथ जवाबदेह एवं जिम्मेदार कारोबार रीतियों का बढ़ावा देना है।

13.15 भ्रामक विज्ञापन और लेबल

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 द्वारा खाद्य संबंधित भ्रामक विज्ञापन और लेबल निषिद्ध हैं। इसी प्रकार उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उपभोक्ता को ऐसे विज्ञापनों से संरक्षण का अधिकार देता है, जिसमें उन्हें 'अनुचित व्यापार रीतियाँ' कहा गया है। विज्ञापनों के संबंध में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के उल्लंघन जानने और रोकने के लिए एफ.एस.एस.ए.आई ने भारत विज्ञापन मानक परिषद् (ए.एस.सी.आई) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, जिसके तहत ए.एस.सी.आई विभिन्न मीडिया चैलनों में खाद्य और बीवरेज (एफ एंड बी) क्षेत्र के भ्रामक विज्ञापनों के मामलों की व्यापक रूप से मानिटरिंग करेगी। ए.एस.सी.आई उपभोक्ता मामले मंत्रालय के 'गामा' (भ्रामक विज्ञापनों के विरुद्ध शिकायत) पोर्टल सहित विभिन्न स्रोतों से प्राप्त भ्रामक एफ एंड बी विज्ञापनों के विरद्ध प्राप्त शिकायतों पर कार्रवाई भी करेगी। समझौता ज्ञापन में यह भी उपबंधित है कि ए.एस.सी.आई किसी खाद्य कारोबारी द्वारा उसके निर्देशों का अनुपालन न किए जाने पर वह एफ.एस.एस.ए.आई को रिपोर्ट करे, जिससे वह खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के तहत आगे की कार्रवाई कर सके। वर्ष 2018-19 के दौरान ए.एस.सी.आई ने खाद्य से संबंधित 301 भ्रामक विज्ञापनों पर कार्रवाई की।

13.16 उपलब्ध नीति और विनियमात्मक सहयोग

जहाँ सभी विनियमों और मानकों से खाद्य सुरक्षा को सहयोग मिलता है, एफ.एस.एस.ए.आई ने उपभोक्ता के सशक्तीकरण में विशेष रूप से सहयोग देने के लिए निम्नलिखित मुख्य विनियम अधिसूचित किए हैं/बनाए हैं :

- विज्ञापन और दावे विनियम
- लेबलिंग विनियम जिनमें उच्च सैच्युरेटिड फैट, लवण और शर्करा (एच.एफ.एस.एस) वाले खाद्य पदार्थ शामिल हैं
- पौष्टिकीकरण विनियम
- जैविक खाद्य विनियम
- खाद्य उत्पादों की विभिन्न प्रकार की श्रेणियों के लिए ट्रांस-फैट की सीमाएँ।

13.17 विविध-हितधारक भागीदारी

विभिन्न प्रकार की उपभोक्ता पहलों में सहयोग देने के लिए कई प्रकार के हितधारकों के साथ भागीदारियाँ की गईं। इसमें सरकारी विभाग, उपभोक्ता और सिविल सोसायटी संगठन, विकास सहयोगी, कार्पोरेट, शैक्षिक संस्थाएँ, पेशेवर नेटवर्क और नागरिक शामिल हैं। ये भागीदारियाँ सुरक्षित और स्वास्थ्यकर आहार अपनाने के लिए नागरिकों का ध्यान आकर्षित करने, उन्हें प्रेरित करने और क्षम बनाने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

अध्याय-14

एफ.एस.एस.ए.आई में प्रौद्योगिकी का उपयोग और ई-शासन

14.1 एफ.एस.एस.ए.आई के आई.टी प्रभाग की भूमिका और जिम्मेदारियाँ

14.1.1 पिछले कुछ वर्षों में ई-शासन सरकार के लिए ध्यानाकर्षण का मुख्य क्षेत्र बन गया है। एफ.एस.एस.ए.आई जैसे व्यापक अधिदेश वाली नियामक संस्था के लिए प्रौद्योगिकी की अति महत्ता को समझते हुए आउटसोर्सिंग के पुराने मॉडल, जब एफ.एस.एस.ए.आई की सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित सभी गतिविधियाँ नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्मार्ट गवर्निंग (एन.आई.एस.जी) के माध्यम से की जाती थीं, हटकर संस्था में ही सूचना प्रौद्योगिकी प्रभाग की स्थापना की गई।

14.1.2 एफ.एस.एस.ए.आई में आई.टी प्रभाग की स्थापना का प्रयोजन नए और मौजूदा अनुप्रयोगों के सार्थक प्रौद्योगिक समाधान उपलब्ध कराना है, जिससे सौंपी गई जिम्मेदारियों के सर्वोत्तम संभव परिणाम आएँ। इसके लिए आई.टी प्रभाग कभी-कभी नवाचारी प्रौद्योगिक सहभागियों के सशक्त नेटवर्क का उपयोग करता है, जिससे एफ.एस.एस.ए.आई को अपना कार्य तेजी से और चुस्ती से करने में सहायता मिलती है।

14.1.3 एफ.एस.एस.ए.आई का आई.टी प्रभाग दो वर्ष पूर्व अपनी स्थापना के बाद इसके प्रत्येक प्रमुख प्रभाग के स्तर तक के ई-शासन अनुप्रयोगों का मुख्य निर्माता बनकर उभरा है। संस्थागत आई.टी प्रभाग से एफ.एस.एस.ए.आई की वृहद् स्तरीय महत्वपूर्ण आई.टी सिस्टमों, जैसे खाद्य अनुज्ञापन और पंजीकरण प्रणाली (एफ.एल.आर.एस), पंजीकरण और आयात प्रणाली (एफ.आई.सी.एस), जो एफ.एस.एस.ए.आई की अनुज्ञापन, पंजीकरण और आयात प्रणालियों की मेरुदंड हैं, के लिए बाहरी एजेंसियों पर निर्भरता कम हो गई है। वर्ष 2018-19 के दौरान विभिन्न गतिविधियाँ शुरू की गईं, यथा ईट राइट इंडिया, स्वस्थ भारत यात्रा आदि। इन सभी पहलों को आई.टी प्लेटफॉर्मों और प्रणालियों द्वारा ही गहन सहयोग मिलता है।

14.2 एफ.एस.एस.ए.आई में आई.टी अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण -

14.2.1 एफ.एस.एस.ए.आई के मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों सभी में आई.टी अवसंरचना को पर्याप्त रूप से सुदृढ़ कर दिया गया है:

(i) सभी कार्यालयों में इंटरनेट कनेक्टिविटी की बैंडविड्थ बढ़ा दी गई है, जो मुख्यालय में अब पी.जी.सी.एल के माध्यम से 60 एम.बी.पी.एस और क्षेत्रीय कार्यालयों में 12 एम.बी.पी.एस कर दी गई है। एन.आई.सी डैटा सेंटर, शास्त्री पार्क, नई दिल्ली में कुल आबंटित संसाधन 292 कोर सीपीयू, 224 जीबी रैम और 20.252 टीबी एचडीडी वाले एफ.एस.एस.ए.आई के 6 एफ.एल.आर.एस सर्वर हैं।

(ii) क्लाउड अंगीकरण - वेबसाइट, माइक्रोसाइटें और अन्य पोर्टल अब बी.एस.एन.एल क्लाउड से चल रहे हैं। एफ.एस.एस.ए.आई ने इंटरनेट पर अपने सभी एप्लीकेशन होस्ट करने के लिए "क्लाउड फर्स्ट"प्रणाली अपनाई है, जिससे समय और लागत में कमी आई है।

(क) बी.एस.एन.एल क्लाउड पर एफ.आई.सी.एस के लिए अब कुल आबंटित संसाधन 14vCPU; 40 GB RAM; 2240 GB HDD वाले तीन वी.एम हैं। इसके अतिरिक्त एफ.एस.एस.ए.आई ने 50 से अधिक अन्य सभी वेबसाइटों/पोर्टलों (11 वी.एम) के लिए बी.एस.एन.एल क्लाउड की सेवा ली है, जिनका कुल आबंटित संसाधन 16vCPU; 28GB RAM 1040GB HDD है।

(ख) एन.आई.सी की नैशनल क्लाउड सर्विस 'मेघराज' पर खाद्य सुरक्षा और अनुपालन प्रणाली (फॉस्कोस) एप्लीकेशन होस्ट की जा रही है और कुल आबंटित संसाधन 112vCPU; 224GB RAM और 3620 GB HDD वाले इसके 7 वी.एम हैं।

(iii) एफ.एस.एस.ए.आई के सभी कार्यालयों में अब वीडियो सम्मेलन की सुविधा है और इनके तथा राज्य सरकारों के साथ वीडियो सम्मेलन नियमित रूप से होते रहते हैं, जिससे दौरों की आवश्यकता और लागत घट गई है।

14.3 खाद्य लाइसेंसिंग और पंजीकरण प्रणाली (एफ.एल.आर.एस) और खाद्य आयात निर्मुक्ति प्रणाली (एफ.आई.सी.सी) का प्रबंधन

खाद्य लाइसेंसिंग और पंजीकरण प्रणाली (एफ.एल.आर.एस)

14.3.1 खाद्य लाइसेंसिंग और पंजीकरण प्रणाली (एफ.एल.आर.एस) मुख्य सोफ्टवेअर एप्लीकेशनों में से एक है, जिससे एफ.एस.एस.ए.आई की लाइसेंसिंग और पंजीकरण प्रणाली में सहायता मिलती है और अब यह नागालैंड को छोड़कर सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में क्रियान्वित है। भारतीय रेल के सभी 16 अंचलों में भी एफ.एल.आर.एस क्रियान्वित हो गया है। इन 16 रेलवे अंचलों के कार्मिकों को रेल्वे के खाद्य कारोबारियों को लाइसेन्स/पंजीकरण के लिए एफ.एल.आर.एस एप्लीकेशन का प्रयोग करने के आवश्यक प्रत्यय-पत्र प्रदान कर दिए गए हैं।

14.3.2 ऑनलाइन भुगतान गेटवे सात राज्यों अर्थात् दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिल नाडु, कर्नाटक, केरल और पश्चिम बंगाल में लागू कर दिया गया है। भुगतान के विभिन्न गेटवे के अतिरिक्त भारत सरकार के PayGov को सभी राज्यों/संघशासित क्षेत्रों में भुगतान के एकल गेटवे के रूप में क्रियान्वित किया गया है।

14.3.3 वर्ष 2016 में छोटे खाद्य कारोबारियों को देश में कार्यरत तीन लाख से अधिक कॉमन सर्विस सेंटरों (सी.एस.सी) में रजिस्टर कराने की सुविधा प्रदान की गई और इसके लिए एफ.एस.एस.ए.आई ने सी.एस.सी-एस.पी.वी के साथ करार करके एफ.एल.आर.एस को सी.एस.सी के साथ एकीकृत कर दिया है। पंजीकरणों को प्रोत्साहित करने के लिए सी.एस.सी के सर्विस चार्ज एफ.एस.एस.ए.आई द्वारा दिए जा रहे हैं।

14.3.4 वर्ष के दौरान एफ.एस.एस.ए.आई ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के अंतर्गत समग्र अनुज्ञापन और पंजीकरण विनियमों में सुधार करने का निर्णय लिया है, जिस समय लाइसेंसिंग और पंजीकरण के माध्यम से केवल प्रलेखन पर जोर देने की बजाय खाद्य सुरक्षा अनुपालन पर अधिक बल दिया जाएगा। फॉस्कोस ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म में वह नया सोफ्टवेअर वर्धित एप्लीकेशन है, जो मौजूदा खाद्य अनुज्ञापन और पंजीकरण प्रणाली (एफ.एल.आर.एस) का स्थान लेगा।

खाद्य आयात निर्मुक्ति प्रणाली (एफ.आई.सी.एस)

14.3.5 खाद्य आयात निर्मुक्ति प्रणाली (एफ.आई.सी.एस) उन छह स्थानों पर भारत में आयातित खाद्य की निर्मुक्ति के लिए कार्रवाई हेतु वेब-आधारित एकीकृत प्रणाली है, जहाँएफ.एस.एस.ए.आई की मौजूदगी है।

14.3.6 एफ.आई.सी.एस एप्लीकेशन को भी सीमा शुल्क के सिंगल विंडो इंटरफेस फॉर फेसिलिटेटिंग ट्रेड (स्विफ्ट) के साथ जोड़ा गया है। अब आयातकों/कस्टम हाउस एजेंट (सी.एच.ए) को बिल ऑफ एंट्री (बी.ओ.ई) स्विफ्ट के पास एकीकृत घोषणा पत्र के माध्यम से केवल एक बार फाइल करनी होती है। उसके बाद आवश्यक सूचना निर्मुक्ति के लिए स्विफ्ट द्वारा एफ.आई.सी.एस को भेजी जाती है।

14.3.7 एफ.आई.सी.एस के कार्य के रूप में निर्मुक्ति की सभी कार्रवाइयाँ इलेक्ट्रॉनी रूप से की जाती हैं, जिनमें प्रलेख की जाँच, प्रतिचयन, शुल्कों का भुगतान, नमूनों का परीक्षण और अंतिम निर्मुक्ति शामिल हैं। खाद्य प्रतिचयन के लिए एकीकृत जोखिम प्रबंधन प्रणाली लागू की गई है। इससे आयातों की निर्मुक्ति में लगने वाले समय में कमी आई है।

14.3.8 इस प्रणाली को **https://fics.fssai.gov.in/**लिंक पर किसी भी मानक वेब ब्राउजर जैसे आई.ई, क्रोम इत्यादि का उपयोग करके देखा जा सकता है। यह वेब-आधारित प्रणाली है और इसलिए इसका सभी हितधारकों द्वारा 24*7 प्रयोग किया जा सकता है।

14.4 2018-19 के दौरान नई प्रणालियों का विकास और लागू प्रणालियों का क्रियान्वयन

14.4.1 खाद्य आयात अस्वीकरण चेतावनी (फीरा)

खाद्य आयात अस्वीकरण चेतावनी (फीरा) आयातित खाद्य उत्पादों की सभी खेपों के अपालन को दर्ज करने का एक वेब-आधारित साधन है, जिसका लिंक एफ.आई.सी.एस सिस्टम पर भी उपलब्ध है। इसे 31 अक्टूबर, 2018 से लागू किया गया।

14.4.2 खाद्य उत्पाद पहचान सत्यापन प्रणाली (एफ.पी.आई.वी.एस)

एफ.एस.एस.ए.आई ने दिनांक 05 नवंबर, 2018 को खाद्य उत्पाद पहचान सत्यापन प्रणाली (एफ.पी.आई.वी.एस) आरंभ की, जो http://fssai.gov.in/fpas/home पोर्टल पर देखी जा सकती है। इस ऑनलाइन सर्विस से खाद्य कारोबारियों को यह पहचान करने में आसानी होती है कि क्या कोई खाद्य उत्पाद एफ.एस.एस.ए.आई द्वारा अधिसूचित किसी खाद्य विनियम में कवर किया गया है, जिनमें मालिकाना खाद्य, न्युट्रास्युटिकल्स, खाद्य अनुपूरक और अन्य विशेष आहार विनियम शामिल हैं अथवा जिनके लिए खाद्य सुरक्षा और मानक (गैर-निर्दिष्ट खाद्य और खाद्य संघटकों के लिए अनुमोदन) विनियम, 2017 के अंतर्गत यथाविहित उत्पाद अनुमोदन की आवश्यकता होती है।

14.4.3 सम्मति ई-मंच

एफ.एस.एस.ए.आई ने दिनांक 05 नवंबर, 2018 को 'सम्मति ई-मंच' की स्थापना की, जो https://fssai.gov.in/comments/Directlogin.aspx पर उपलब्ध है। इस प्रणाली से हितधारकों को भावी खाद्य मानकों और विनियमों पर अपनी सम्मति ऑनलाइन देने में सहायता मिलेगी।

अन्य लागू प्रणालियां

14.4.4 नियमित निरीक्षण और प्रतिचयन प्रणाली द्वारा खाद्य सुरक्षा अनुपालन (फॉस्कोरिस)

'नियमित निरीक्षण और प्रतिचयन प्रणाली द्वारा खाद्य सुरक्षा अनुपालन (फॉस्कोरिस)' खाद्य सुरक्षा के लिए वेब-आधारित रीयल टाइम निरीक्षण मंच है। फॉस्कोरिस एक व्यापक 360^{0} सत्यापन प्रणाली है, जिसे https://foscoris.fssai.gov.in पर देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त ऑफलाइन माड्यूल भी उपलब्ध है, जो प्रचालन में आसान साधन है और जो नेट होने पर डैटा को अपडेट करता रहता है।

14.4.5 आईएफएस.क्विक एक्सेस प्रणाली

भारतीय खाद्य मानक क्विक एक्सेस खाद्य वस्तुओं की सुरक्षा के साथ-साथ उनकी गुणता संबंधी सभी मानकों को एकीकृत करते हुए एकल प्लेटफॉर्म है। इस सिस्टम से किसी भी उत्पाद के बारे में हर प्रकार की सूचना एक ही स्क्रीन पर ली जा सकती है और इसे **http://fssai.gov.in/IFSquickaccess/** पर देखा जा सकता है।

14.4.6 इंडियन फूड लैबोरेटरी नेटवर्क (इन्फोल्नेट)

इंडियन फूड लैबोरेटरी नेटवर्क (इन्फोल्नेट) किसी भी प्रकार के खाद्य नमूने के परीक्षण में रत सभी प्रयोगशालाओं के एकीकरण का आईटी समाधान है। इस प्रणाली से राज्यों को अपनी निगरानी गतिविधियाँ की आयोजना और क्रियान्वयन में सहायता मिलती है। इन्फोल्नेट के एक अंग के रूप में सृजित डैटा रिपोजिटरी जोखिम विश्लेषण, खाद्य मानकों में सुधार, प्रशिक्षण और क्षमता-निर्माण में सहायता करता है। इस पोर्टल को यू.आर.एल **https:infolnet.fssai.gov.in/** पर देखा जा सकता है।

14.4.7 जैव उत्पादों के लिए जैविक भारत पोर्टल

भारत से जैव खाद्य का पोर्टल एक विनियमात्मक पोर्टल है। इस पोर्टल के माध्यम से जैविक खाद्य उत्पादों को खाद्य के नाम और/अथवा कंपनी दोनों के नाम से खोजा जा सकता है। इस पोर्टल पर उपभोक्ता उत्पादक, प्रमाणन प्रणाली और प्रमाणित जैविक उत्पादों की उपलब्धता के बारे में हर प्रकार की जानकारी ले सकता है। इस पोर्टल को यूआरएल http://jaivikbharat.fssai.gov.in/ पर देखा जा सकता है।

14.4.8 खाद्य नियामक पोर्टल – खाद्य कारोबारियों का मित्र पोर्टल

यह घरेलू प्रकार्यों और खाद्य आयातों दोनों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खाद्य कारोबारियों के लिए एकल इंटरफेस है, जिसमें खाद्य कारोबारियों की सुविधा के लिए और अनुपालन का बोझ कम करने के लिए एक ही स्थान पर अनेक आईटी प्लेटफॉर्म हैं। इसे यू.आर.एल http://foodregulatory.fssai.gov.in/ पर देखा जा सकता है।

14.4.9 खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण और प्रमाणन (फोस्टैक) प्रशिक्षण पोर्टल

प्रशिक्षण और प्रमाणन अब एफ.एस.एस.ए.आई का मुख्य कार्य बन गया है। ऑनलाइन सुरक्षित और पोषक आहार (एस.एन.एफ) संशोधनों के अतिरिक्त फोस्टैक पोर्टल पर तीन प्रकार के प्रशिक्षण माड्यूल अर्थात् आधारभूत, उन्नत और विशेष माड्यूल, दिए गए हैं। इस पोर्टल को यू.आर.एल https://fostac.fssai.gov.in/ पर देखा जा सकता है।

14.5 सामाजिक संपर्क/डिजिटल कनेक्ट

14.5.1 अंत्य उपभोक्ताओं से सीधे संपर्क बनाने के लिए कई नई संप्रेषण माध्यम बनाए गए हैं, जो उपभोक्ता और एफ.एस.एस.ए.आई के मध्य सीधी कड़ी का काम करते हैं। एफ.एस.एस.ए.आई अब उपभोक्ताओं से बड़ी संख्या में सोशल मीडिया चैनलों के माध्यम से जुड़ी है।

14.5.2 एफ.एस.एस.ए.आई सर्वाधिक व्यापक रूप से प्रयुक्त दो सोशल मीडिया - फेसबुक और ट्विटर पर पर्याप्त रूप से सक्रिय है। उपभोक्ताओं द्वारा उठाए मुद्दे और शंकाओं का समाधान करने के लिए प्रत्येक विभाग में फेसबुक को अनेक कर्मी देखते हैं।

14.5.3 एफ.एस.एस.ए.आई की अपनी निशुल्क हेल्पलाइन डेस्क है और इसका हेल्पलाइन नंबर उपयुक्त कनेक्ट माध्यम से परिचालित किया गया है। उपर्युक्त अनेक चैनलों से प्राप्त शिकायतों/शंकाओं को वेब पोर्टल/मोबाइल एप को आटो रिडायरेक्ट कर दिया जाता है।

14.5.4 कंज्यूमर कनेक्ट पहल के लिए एक मोबाइल एप भी आरंभ किया गया है। इस पहल के तहत उपभोक्ता एफ.एस.एस.ए.आई से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए प्राधिकरण से मोबाइल एप, व्हट्सएप, निशुल्क नंबर, वेबसाइट इत्यादि अनेक माध्यमों से संपर्क कर सकता है।

14.6 स्वस्थ जीवन के लिए सुरक्षित जल

इस पोर्टल पर पैकेजबंद पेय जल के नमूनों के परीक्षण परिणाम दिए जाते हैं। इस परियोजना का ध्येय उपभोक्ताओं को सेवित जल के बारे में सोच-समझकर पसंद करने में क्षम बनाना है। यह साइट यू.आर.एल https://safewater.fssai.gov.in/ पर देखी जा सकती है।

14.7 एफ.एस.एस.ए.आई वेबसाइट

एफ.एस.एस.ए.आई की नए रूप की एकीकृत वेबसाइट का डिजाइन और विकास किया गया है, जिसमें वेब डिजाइनों के नवीनतम रुझानों को ध्यान में रखा गया है। इसमें सूचना को अधिक आसान तरीके से दिया गया है, जिससे नागरिक/खाद्य कारोबारी आँकड़े आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। एफ.एस.एस.ए.आई की सभी पहलें और विभिन्न वेबसाइटें एफ.एस.एस.ए.आई की समेकित वेबसाइट से आसानी से देखी जा सकती हैं।

14.8 खाद्य पौष्टिकीकरण संसाधन केंद्र (एफ.एफ.आर.सी)

खाद्य पौष्टिकीकरण संसाधन केंद्र देश में खाद्य के व्यापक पौष्टिकीकरण के लिए एक संसाधन और सहयोग केंद्र है। यह संशोधित वेबसाइट यू.आर.एल http://ffrc.fssai.gov.in पर देखी जा सकती है।

14.9 माइक्रो साइटें/पोर्टल

सारणी 24 - विकसित/विकासमान माइक्रोसाइटें/पोर्टल

माइक्रोसाइट/पोर्टल का नाम	विशेषताएँ.
सुरक्षित और पोषक आहार पहल – एसएनएफ@ स्कूल,एसएनएफ @होम, एसएनएफ@ ईटिंग आउट, रेस्टोरेंट, क्लीन स्ट्रीट फूड हब, एसएनएफ@भोग, एसएनएफ @वर्कप्लेस इत्यादि	प्रत्येक पहल के लिए विभिन्न माइक्रो साइटें बनाई गई हैं और इन्हें व्यापक बनाने के लिए इनमें और आगे सुधार किया जा रहा है। इसका प्रयोजन सभी हितधारकों को एक ही मंच पर लाना है।
खाद्य विश्लेषक परीक्षा पोर्टल	खाद्य विश्लेषक परीक्षा पोर्टल 2017 और 2018 में इस परीक्षा के लिए आवेदकों हेतु सिंगल प्वांट संपर्क साधन था।
उपभोक्ता शिक्षा पोर्टल	इस पोर्टल का प्रयोजन उपभोक्ताओं को खाद्य सुरक्षा और मानकों के बारे में शिक्षित करना और जागरूक बनाना है। इससे नागरिकों की भागीदारी बढ़ेगी और उनके द्वारा सेवित खाद्यों के बारे में उनके अधिकारों का ज्ञान बढ़ेगा।
फूड इनोवेटर्स नेटवर्क (फाइन) – खाद्य सुरक्षा और पोषण की मुख्य चुनौतियों के समाधान के लिए नवाचारकर्ताओं का ध्यानाकर्षण	भारत सरकार के 'स्टार्ट-अप इंडिया' और 'डिजिटल इंडिया' पहलों के साथ-साथ एफ.एस.एस.ए.आई नूतन समाधान देने और देश के खाद्य सुरक्षा और पोषण परिदृश्य में बदलाव के लिए नवाचारकर्ताओं और स्टार्ट-अप उद्यमियों को एक साथ ला रहा है। इस पोर्टल को http://fssai.gov.in/fine/ पर देखा जा सकता है।
भोजन बचाओ, भोजन बाँटो, आनंद बाँटो – यह इंडियन फूड शेयरिंग एलायंस (आई. एफ.एस.ए) नाम से एक मंच है।	देश के नागरिकों और खाद्य कारोबाररियों में भोजन को बाँटने की प्रवृति को बढ़ाने के लिए ''भोजन बचाओ, भोजन बाँटो, आनंद बाँटो''पहल के अंतर्गत प्रारंभिक उत्पादन से लेकर अंत्य उपभोक्ता द्वारा खपत तक पूरी आपूर्ति श्रृंखला में खाद्य की बेकारी रोकने के लिए इंडियन फूड शेयरिंग एलायंस (आई.एफ.एस.ए) नाम से एक मंच समन्वित ढंग से आरंभ किया गया है।
एफ.एस.एस.ए.आई इंटर्नशिप पोर्टल	एफ.एस.एस.ए.आई इंटर्नशिप योजना युवाओं को खाद्य और पोषण के क्षेत्र में ज्ञान के नए अवसर प्रदान करने के लिए आरंभ की जा रही है। इस पोर्टल पर एफ.एस.एस.ए.आई में भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने के निर्देश दिए गए हैं और इसे http://www.fssai.gov.in/internship यू.आर. एल पर देखा जा सकता है।
द्रुत परीक्षण से अपमिश्रण ज्ञात करें (डार्ट) – मोबाइल रिस्पोंसिव पोर्टल	यह मोबाइल रिस्पोंस्वि वेब पोर्टल है, जिसमें किसी प्रकार की मिलावट जानने के लिए आसानी से जल्दी किए जा सकने वाले आम परीक्षणों की जानकारी दी गई है। इस साइट को यू.आर.एल https://fssai.gov.in/dart/ पर देखा जा सकता है।
पुनर्प्रयोजन प्रयुक्त कुकिंग ऑयल (रुको) पोर्टल	पुनर्प्रयोजना प्रयुक्त कुकिंग ऑयल (रुको) पोर्टल वह ईकोसिस्टम है, जिसकी सहायता से रूको को इकट्ठा करके उसे बायोडीजल में बदला जा सकता है। इस साइट को https://fssai.gov.in/ruco यू.आर.एल पर देखा जा सकता है।

14.10 भविष्य की योजना

14.10.1 एफ.एस.एस.ए.आई के लीगेसी सोफ्टवेअर एप्लीकेशन एफ.एल.आर.एस में मौलिक डिजिटल बदलाव किया जा रहा है। नई खाद्य सुरक्षा और अनुपालन प्रणाली (फॉस्कोस) और अनेक अन्य एप्लीकेशन बनाए जा रहे हैं और यह एक जारी रहने वाली प्रक्रिया है। एफ.एस.एस.ए.आई विभिन्न प्रकार के एप्लीकेशनों के लिए कृत्रिम बुद्धि आधारित आटोमेशन का प्रयोग करते हुए लचीले तकनीकी समाधान ला रही है, जिनसे अंततः उपभोक्ताओं को लाभ पहुँचता है।

14.10.2 एफ.एस.एस.ए.आई की आई.टी टीम को यह पक्का विश्वास है कि खाद्य सुरक्षा और मानकों का अनुपालन सुनिश्चित कराने, जोखिम प्रबंध का क्रियान्वयन करने, पारदर्शिता बढ़ाने, दक्ष प्रक्रियाएँ बनाने और एक सशक्त डैटा कार्यनीति बनाने के लिए वह भविष्य का ध्यान रखकर आने वाले वर्षों में भी प्रौद्योगिकी और स्वचालन का उपयोग करके ऐसे और अच्छे काम कर सकती है और अपनी योग्यता साबित कर सकती है।

अध्याय-15

वैश्विक संपर्क

15 कोडेक्स की बैठकों में भागीदारी

15.1 कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमिशन संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य एवं कृषि संगठन (एफ.ए.ओ) तथा डब्ल्यू.एच.ओ की संयुक्त अंतर-सरकारी संस्था है, जिसके 189 सदस्य {188 सदस्य देश और एक सदस्य संगठन (ई.यू)} हैं। कोडेक्स उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की रक्षा करने और उचित व्यापार रीतियाँ सुनिश्चित करने के लिए सुमेलित अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मानक बनाने के लिए 1963 से काम कर रहा है। भारत कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमिशन का 1964 से सदस्य है और अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मानक निर्धारण की प्रक्रिया में अपना योगदान देता रहा है। भारत कोडेक्स की बैठकों में और उन्हें आयोजित तथा सह-आयोजित करने में सक्रिय रूप से भाग लेता है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि अंतर्राष्ट्रीय मानक निर्धारण के समय भारत के मुद्दे भी ध्यान में रखे जाएँ।

15.2 अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मानक निर्धारण में भारत का योगदान कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमिशन के कार्य में इसकी सक्रिय भागीदारी से झलकता है। अप्रैल 2018 से मार्च, 2019 के दौरान भारतीय प्रतिनिधिमंडलों ने कोडेक्स समिति की 14 बैठकों में भाग लिया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल में खाद्य प्राधिकरण, संबंधित मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधि और अन्य हितधारक शामिल थे। कोडेक्स की इन बैठकों में कोडेक्स सचिवालय को सौंपी गई भारत की लिखित टिप्पणियों पर विचार किया गया और इन टिप्पणियों एवं दखलों के आधार पर समिति के सत्रों में भारत की अधिकांश चिंताओं का समाधान किया गया।

15.3 वर्ष 2018-19 अवधि के दौरान कोडेक्स समिति की बैठकों में विचारित कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे

15.3.1 दिनांक 23 से 27 अप्रैल, 2018 तक आयोजित खाद्य पदार्थों में पशु औषधियों के अपशिष्टों पर कोडेक्स समिति का 24वाँ सत्र

समिति ने फिलिपीन और भारत के अनुरोध पर सूची में एथॉक्सीक्वीन रखने पर सहमति जताई। अब भारत को सी.सी.आर.वी.डी.एफ के अगले सत्र तक खाद्य सहयोज्य पदार्थों पर संयुक्त विशेषज्ञ समिति के मूल्यांकन अथवा पुनर्मूल्यांकन के लिए एथॉक्सीक्वीन ((झींगों के आहार सहयोज्य के रूप में प्रयुक्त) पर डैटा प्रस्तुत करना है।

15.3.2 दिनांक 02 से 06 जुलाई, 2018 तक आयोजित कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमिशन का 41वाँ सत्र (सीएसी41)

(i) एंडोक्राइन भंजक रसायन के रूप में पेस्टीसाइडों पर नए कार्य का प्रस्ताव

कमिशन ने भारत द्वारा उठाए गए मुद्दे की महत्ता को नोट किया और साथ ही सूचित किया कि अप्रैल, 2018 में आयोजित सी.सी.पी.आर.50 के सुझाव के अनुसार भारत ने प्रस्ताव में संशोधन कर दिया है, जिसमें पेस्टीसाइड पर ध्यान केंद्रित किया गया है और इसलिए इस मुद्दे पर और आगे विचार करने के लिए सी.सी.पी.आर ही संबंधित तकनीकी बॉडी है। अब भारत को इस मुद्दे को सी.सी.पी.आर की अप्रैल, 2019 में होने वाली अगली बैठक में विचार हेतु उठाना है।

(ii) बैंगन का मानक और खाद्य आलु का मसौदा मानक

कमिशन ने स्टेप 8 पर बैंगन और स्टेप 5 पर खाद्य आलु के मानक अपनाए, जिन्हें प्रारंभ में भारत

द्वारा प्रारूपित और प्रस्तुत किया गया था।

(iii) चुनिंदा वस्तुओं में सीसे के अधिकतम स्तर

कमिशन ने स्टेप 8 पर आम की चटनी में सीसे का अधिकतम स्तर भारत द्वारा यथाप्रस्तावित 0.4 मिग्रा/किग्रा अपनाया। अंगीकृत अधिकतम स्तर भारत द्वारा अपने यहाँ जनरेट किए गए आँकड़ों के अनुसार घटित स्तरों से अधिक है।

15.3.3 दिनांक 12 से 16 नवंबर, 2018 तक आयोजित खाद्य स्वच्छता पर कोडेक्स समिति का 50वाँ सत्र (सी.सी.एफ.एच.50)

(i) खाद्य स्वच्छता के सामान्य सिद्धांतों (सीएक्ससी1-1969) और इसके एच.ए.सी.सी.पी अनुबंध का प्रस्तावित मसौदा पुनरीक्षण (भारत द्वारा सह-अध्यक्षता)

मसौदे को और आगे पुनरीक्षण के लिए स्टेप 3 को वापस किया गया। आगे, समिति ने सी.सी.एफ.एच की अगली बैठक में विचारार्थ संशोधित प्रस्ताव तैयार करने के लिए यूनाइटेड किंगडम की अध्यक्षता और भारत की सह-अध्यक्षता में भौतिक कार्यकारी दल (पी.डब्ल्यू.जी) स्थापित किया।

(ii) मछली और मत्स्य उत्पादों की रीति संहिता का प्रस्तावित मसौदा पुनरीक्षण (सीएक्ससी 52-2003)

समिति ने कोडेक्स कमिशन के अंगीकरण के लिए संहिता के अलग खंड के रूप में नए अंगीकृत हिस्टैमाइन दिशा-निर्देश और सीएक्ससी 52-2003 के अन्य खंडों में परिणामी संशोधनों पर सहमति व्यक्त की।

(iii) खाद्य कारोबारियों के लिए खाद्य एलर्जेन प्रबंधन की रीति संहिता का प्रस्तावित मसौदा

समिति ने कोडेक्स कमिशन द्वारा स्टेप 5 पर अंगीकरण के लिए प्रस्तावित मसौदा संहिता को अग्रेषित करने पर सहमति व्यक्त की।

15.3.4 दिनांक 26 से 30 नवंबर, 2018 तक आयोजित पोषण और विशेष आहारिक उपयोग के खाद्य पर कोडेक्स समिति का 40वाँ सत्र (सी.सी.एन.एफ.एस.डी.यू40)

(i) अनुवर्ती फॉर्मूला – अनिवार्य संघटन के मानक की पुनरीक्षा

समिति ने स्टेप 7 पर बड़े शिशुओं के लिए अनुवर्ती फॉर्मूले और छोटे बच्चों के उत्पाद की अनिवार्य अपेक्षाएँ रखने पर सहमति व्यक्त की और प्रलेख पर कार्य करने के लिए इलेक्ट्रॉनी कार्यकारी दल (ई.डब्ल्यू.जी) की स्थापना की।

(ii) अनुवर्ती फॉर्मूले के मानक की पुनरीक्षा

समिति ने सीएसी42 द्वारा अंगीकरण के लिए 'खंड क: बड़े शिशुओं के लिए अनुवर्ती फॉर्मूला' को स्टेप 5 पर भेजने और बड़े शिशुओं के लिए अनुवर्ती फॉर्मूले के लेबलिंग उपबंधों को सीसीएफएल 45 की सहमति के लिए भेजने पर सहमति व्यक्त की।

(iii) तैयार उपचारी खाद्य पदार्थों संबंधी प्रस्तावित मसौदा दिशा-निर्देश

कार्यसूची पर भौतिक कार्यकारी दल (पी.डब्ल्यू.जी) द्वारा चर्चा की गई, जिस दौरान उन खंडों पर ध्यान केंद्रित किया गया जिन पर ई.डब्ल्यू.जी की सर्वसम्मति न बन सकी और जिन्हें स्क्वेअर ब्रेकिटों में डाल दिया गया था। उसके बाद समिति ने खंड 5.2.2 (खाद्य सहयोज्य पदार्थ) और खंड

6.2 (प्रोटीन) का बनाना जारी रखने और शेष पाठ को स्टेप 4 पर रखे रखने के लिए ई.डब्ल्यू.जी बनाने पर सहमति व्यक्त की।

15.3.5 दिनांक 10 दिसंबर, 2018 से 14 दिसंबर, 2018 तक एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध पर तदर्थ कोडेक्स अंतर-सरकारी कार्य दल का छठा सत्र (टी.एफ.ए.एम.आर 6)

(i) खाद्यजनित प्रति-सूक्ष्मजीवी प्रतिरोध नियंत्रण और न्यूनीकरण रीति संहिता का प्रस्तावित मसौदा (सीएक्ससी 61-2005)

समिति ने प्रस्तावित रीति संहिता के मसौदा को पुन: प्रारूपण के लिए स्टेप 2/3 को वापस भेजने के लिए सहमति प्रकट की और उसके लिए एक ई.डब्ल्यू.जी की स्थापना की।

(ii) खाद्यजनित प्रति-सूक्ष्मजीवी प्रतिरोध की एकीकृत मॉनिटरी और निगरानी पर प्रस्तावित मसौदा दिशा-निर्देश

समिति ने प्रस्तावित रीति संहिता के मसौदा को पुन: प्रारूपण के लिए स्टेप 2/3 को वापस भेजने के लिए सहमति प्रकट की और उसके लिए एक ई.डब्ल्यू.जी की स्थापना की।

15.3.6 दिनांक 21 से 25 जनवरी, 2019 तक मसालों और पाक् जड़ी-बूटियों पर कोडेक्स समिति का चौथा सत्र (सी.सी.एस.सी.एच 4)

शुष्कित अथवा निर्जल लहसुन का भारत द्वारा यथातैयार और प्रस्तुत मानक का प्रस्तावित मसौदा कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमिशन के 42वें सत्र को स्टेप 5/8 (कोडेक्स मानक के रूप में अंतिम अंगीकरण) के लिए अग्रेषित किया गया।

15.3.7 दिनांक 25 फरवरी से 01 मार्च, 2019 तक वसाओं और तेलों पर कोडेक्स समिति का 26वाँ सत्र (सी.सी.एफ॰ओ.26)

नामोदिष्ट वनस्पति तेलों के कोडेक्स मानक में अखरोट के तेल, बादाम के तेल, हेजलनट के तेल, पिस्ते के तेल, अलसी के तेल और एवोकेडो के तेल का भारत द्वारा यथासमर्थित सम्मिलन कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमिशन के 42वें सत्र को स्टेप 5/8 पर अंगीकरण के लिए अग्रेषित किया गया। इस कार्य के लिए भारत इलेक्ट्रॉनी कार्यकारी दल की ईरान के साथ सह-अध्यक्षता कर रहा था।

15.3.8 दिनांक 11 से 15 मार्च, 2019 तक सामान्य सिद्धांतों पर कोडेक्स समिति का 31वाँ सत्र (सी.सी.जी.पी.31)

समिति ने पत्राचार द्वारा कार्य कर रही समितियों द्वारा आरंभ किए जाने वाले उचित कार्यों की पहचान करने के मानदंड बनाने और ऐसी समितियों के लिए प्रक्रिया मैनुअल में दिए गए संबंधित दिशा-निर्देशों के आधार पर तथा उनके संगत प्रक्रियात्मक मार्गदर्शी सिद्धांत बनाने और साथ ही यह भी सुनिश्चित करने कि कोडेक्स के कोर मान अर्थात् सहयोग, सर्वसमावेश, सर्वसम्मति-निर्माण और पारदर्शिता बनाए रखने पर सहमति व्यक्त की।

15.4 इलेक्ट्रॉनी कार्यकारी दलों में भागीदारी

अवधि के दौरान भारत ने 53 इलेक्ट्रॉनी कार्यकारी दलों (ई.डब्ल्यू.जी) में भाग लिया, जिनमें उसने महत्वूपर्ण सम्मतियाँ दीं। भारत ने 7 ई.डब्ल्यू.जी की अध्यक्षता और 3 की सह-अध्यक्षता भी की।

15.5 कोडेक्स में भागीदारी के लिए प्रभावी तैयारी के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला

सी.सी.एशिया सदस्य देशों के लिए नई दिल्ली में दिनांक 5 से 6 सितंबर, 2018 तक एक दो-दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में 18 एशियाई देशों के 45 अधिकारियों ने भाग लिया। कार्यशाला में एशियाई देशों की इलेक्ट्रॉनी सिस्टम और साधन, जिनमें नई कोडेक्स वेबसाइट, ऑनलाइन कमेंटिंग सिस्टम (ओ.सी.एस), इलेक्ट्रॉनी कार्यकारी दलों (ई.डब्ल्यू.जी) के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म और वेब-आधारित अन्य साधन शामिल हैं, चलाने की क्षमता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया।

15.6 खाद्य सुरक्षा और कोडेक्स संपर्क बिंदु, श्रीलंका के लिए कार्यरत श्रीलंका के हितधारकों के लिए प्रशिक्षण (25 से 28 फरवरी, 2019, कोलंबो, श्रीलंका)

खाद्य सुरक्षा और कोडेक्स संपर्क बिंदु, श्रीलंका के लिए कार्यरत श्रीलंका के हितधारकों के लिए एक कार्यशाला और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसके आयोजन का मुख्य प्रयोजन भागीदारों, विशेषकर सरकारी अधिकारियों, को राष्ट्रीय कोडेक्स ढाँचे सहित कोडेक्स प्रक्रियाओं को पूरी तरह समझने, प्रभावी खाद्य नियंत्रण प्रणाली के लिए कोडेक्स में सक्रिय भागीदारी, कोडेक्स से संबंधित गतिविधियों में भाग लेने के लिए नए विकसित कोडेक्स के वेब साधनों को समझने, कोडेक्स संपर्क बिंदु का ढाँचा और कार्यकरण – भारत उदाहरण के रूप में, और डब्ल्यू.टी.ओ काल में अधिकार और दायित्व तथा एस.पी.एस. करार के अनुसार खाद्य विनियमों को अधिसूचित करने की विधि प्रक्रिया के प्रति संवेदनशील बनाना था। प्रशिक्षण भारत के कोडेक्स संपर्क बिंदु (एफ.एस.एस.ए.आई) के अधिकारियों के साथ-साथ डब्ल्यू.एच.ओ के वरिष्ठ अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार द्वारा दिया गया।

15.7 कोडेक्स न्यास निधि 2

कोडेक्स ट्रस्ट फंड 2 (सी.टी.एफ) की स्थापना एफ.ए.ओ/डब्ल्यू.एच.ओ द्वारा पात्र देशों में सहयोजित गतिविधियों की श्रृंखला के माध्यम से कोडेक्स में सहभागिता के लिए सशक्त, ठोस और टिकाऊ राष्ट्रीय क्षमता के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए की गई थी। सीटीएफ2 के अनुसार किसी अकेले देश को या ग्रुप आवेदनों के आधार पर सफल आवेदनों वाले पात्र देशों को बहु-वार्षिक सहयोग दिया जाएगा।

भारत ने सी.टी.एफ2 के तहत कोडेक्स में पूरी और प्रभावी सहभागिता के लिए क्षमता निर्माण हेतु राष्ट्रीय कोडेक्स ढाँचे, प्रक्रियाओं और प्रणालियों को सशक्त बनाने के लिए भूटान और नेपाल के साथ अगुआ देश के रूप में ग्रुप आवेदन किया। सी.टी.एफ सचिवालय ने आवेदन का अनुमोदन कर दिया है। भारत ने न्यास निधि में 5 वर्ष तक अंशदान के लिए कोडेक्स ट्रस्ट फंड सचिवालय (डब्ल्यू.एच.ओ) के साथ अंशदान समझौते पर भी हस्ताक्षर किए हैं।

सारणी 25 - कोडेक्स मानक-निर्धारण के लिए चरणवार प्रक्रिया संबंधी स्पष्टीकरण

सदस्य देश द्वारा नए कार्य के लिए परियोजना दस्तावेज का विकास	
स्टेप 1 :	परियोजना दस्तावेज के आधार पर आयोग द्वारा नए कार्य का अनुमोदन और कार्यकारी समिति द्वारा पुनरीक्षा और कार्य आरंभ करने के लिए संबंधित बॉडी (सहायक समिति – कोडेक्स समिति अथवा अन्य बॉडी) की पहचान
स्टेप 2 :	प्रस्तावित मसौदा मानक का विकास
स्टेप 3 :	कोडेक्स सचिवालय द्वारा सभी सदस्यों और पर्यवेक्षकों को प्रस्तावित मसौदे का सम्मतियों के लिए परिचालन
स्टेप 4 :	कार्य के लिए नियत बॉडी द्वारा प्रस्तावित मसौदे और सम्मतियों पर विचार-विमर्श; पाठ में संशोधन और अगले चरण (अग्रेषण, लौटाने, रोकने) के बारे में निर्णय
स्टेप 5 :	प्रस्तावित मसौदा मानक का सभी सदस्यों और पर्यवेक्षकों को सम्मतियों के लिए परिचालन; क्रिटिकल पुनरीक्षा के लिए कार्यकारी समिति को; और मसौदा मानक के रूप में अंगीकरण के लिए आयोग को प्रस्तुतीकरण
स्टेप 5/8 :	काम में गति लाने की विधि, सम्मतियों के दूसरे दौर को छोड़ना; चरण 5 पर आयोग तीन निर्णय एक साथ लेने का निर्णय ले सकता है; चरण 5 पर अंगीकरण; चरण 6 और 7 को समाप्त करना; और चरण 8 पर अंगीकरण करना
स्टेप 6 :	सम्मतियों के लिए परिचालन (चरण 3 के अनुसार)
स्टेप 7 :	चर्चा और अगले चरण के बारे में निर्णय (चरण 4 के अनुसार)
स्टेप 8 :	मसौदा मानक का कार्यकारी समिति को क्रिटिकल पुनरीक्षा के लिए और आयोग को कोडेक्स मानक के रूप में अंगीकरण के लिए प्रस्तुतीकरण

15.8 अन्य अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाएँ

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अनुसार खाद्य प्राधिकरण द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग में सुधार के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों को वैज्ञानिक और तकनीकी सहायता प्रदान की जानी अपेक्षित है। खाद्य प्राधिकरण अंतर्राष्ट्रीय सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा आरंभ किए गए खाद्य मानकों पर कार्य में ताल-मेल को भी बढ़ावा देगी और अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी मानकों तथा घरेलू खाद्य मानकों में एकरूपता को बढ़ावा देगी। इस गतिविधि के अंग के रूप में एफ.एस.एस.ए.आई ने वर्ष 2018-19 के दौरान निम्नलिखित कार्य सम्पन्न किए:

15.9 समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू) पर आधारित गतिविधियाँ

15.9.1 डेनमार्क

15.9.1.1 एफ.एस.एस.ए.आई और डेनिश वेटरिनरी एंड फूड एडमिनिस्ट्रेशन (डी.वी.एफ.ए) के मध्य दिनांक 16 अप्रैल, 2018 को खाद्य सुरक्षा सहयोग संबंधी एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। उसे भारत के माननीय प्रधान मंत्री के स्टॉकहॉम दौरे (अप्रैल 16-17, 2018) के दौरान हस्ताक्षरित किया गया। इस समझौते ज्ञापन से दोनों देशों के मध्य खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग और पारस्परिक विनिमय को प्रोत्साहन और मिलेगा और उसका संवर्धन होगा।

15.9.1.2 समझौते ज्ञापन के तहत डेनमार्क का अध्ययन दौरा – 17 से 21 सितंबर, 2018

डेनिश वेटरिनरी एंड फूड एडमिनिस्ट्रेशन (डी.वी.एफ.ए), पर्यावरण और खाद्य मंत्रालय, डेनमार्क द्वारा एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल के डेनमार्क के दौरे का आयोजन किया गया। इस दौरे के दौरान डेनमार्क में खाद्य

स्मार्ट शहरों,पोषण लेबलिंग, मोटापे और अतिभार से बचने के लिए बच्चों और युवाओं में अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों और बीवरेजों के खाद्य बाजार की मॉनिटरिंग पर ध्यान केंद्रित किया गया। यह दौरा डेनमार्क में खाद्य सुरक्षा विनियमन प्रणाली, विद्यालयों में चालू उनकी स्वास्थ्य संवर्धन गतिविधियों और खाद्य सुरक्षा समाधान तथा नोर्डिक फूड लैब नीति द्वारा की गई पोषण संबंधी अनुशंसाओं को जानने में लाभदायक रहा।

15.9.2 पुर्तगाल

एफ.एस.एस.ए.आई और ए.एस.ए.ई (इकानॉमिक एंड फूड सेफ्टी अथॉरिटी), पुर्तगाल के मध्य खाद्य सुरक्षा और प्रशिक्षण और क्षमता-निर्माण के क्षेत्र में दिनांक 07 सितंबर, 2018 को एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। सहयोग के क्षेत्र निम्नानुसार हैं:

- विधियों, विनियमों और मानकों सहित खाद्य सुरक्षा नीति पर सूचना-विनिमय
- जोखिम विश्लेषण; मानक-निर्धारण प्रणालियाँ; मॉनिटरी और निगरानी प्रणालियाँ (निरीक्षण); खाद्यजनित रोग और जाँच, परीक्षण प्रयोगशालाएँ
- विशिष्ट तकनीकी सहयोग परियोजनाओं का विकास
- जन स्वास्थ्य, अथवा दोनों देशों के मध्य आयातित-निर्यातित खाद्य से संबंधित धोखेबाजी की रीतियों के संबंध गंभीर और तत्काल प्रवृत्ति के मुद्दों पर एक-दूसरे को सूचित करना और सहयोग करना।

15.9.3 ई.एफ.एस.ए

15.9.3.1 मुख्य कार्यकारी अधिकारी,एफ.एस.एस.ए.आई के दौरे के दौरान पार्मा, इटली में दिनांक 14 सितंबर, 2018 को एफ.एस.एस.ए.आई और यूरोपीय फूड सेफ्टी एजेंसी(ई.एफ.एस.ए) के मध्य सहयोग के एक ज्ञापन (एम.ओ.सी) पर हस्ताक्षर किए गए। इस दौरे के दौरान ई.एफ.एस.ए द्वारा एम.आर.एल निर्धारण और आयात सहनशीलता के लिए अपनाई गई प्रक्रिया को जानने के लिए बैठकें भी की गईं। इस सहयोग ज्ञापन में दोनों एजेंसियों के मध्य जोखिम आकलन संबंधी डाटा -संग्रहण और डाटा आदान प्रदान के क्षेत्र में वैज्ञानिक सहयोग और संवाद को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। ई.एफ.एस.ए के साथ इस सहयोग ज्ञापन से ई.एफ.एस.ए की पौध संरक्षण उत्पादों (पेस्टीसाइडों) की अधिकतम अवशिष्ट सीमाओं (एम.आर.एल) के निर्धारण की प्रक्रियाओं और आयात सहनशीलता को समझने में सहायता मिलेगी। इससे भारत में ऐसी ही प्रणाली स्थापित करने में सहायता मिलेगी।

15.9.3.2 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एफ.एस.एस.ए.आई के नेतृत्व में दिनांक 10 से 14 सितंबर, 2018 तक नीदरलैंड्स/बेल्जियम/इटली (ई.एफ.एस.ए) के प्रतिनिधिमंडल का दौरा

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एफ.एस.एस.ए.आई के नेतृत्व में इस प्रतिनिधिमंडल के दौरे से एफ.एस.एस.ए.आई और यूरोप की अन्य एजेंसियों अर्थात् नीदरलैंड्स की एन.वी.डब्ल्यू.ए, डी.जी सैंटे और बेल्जियम फेडरल एजेंसी फॉर सेफ्टी ऑफ फूड चेन, बेल्जिम, रोम में एफ.ए.ओ/ कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमिशन और पार्मा, इटली में ई.एफ.एस.ए के मध्य खाद्य सुरक्षा के क्षेत्रों में पारस्परिक सहयोग को सशक्त बनाने में सहायता मिली।

15.9.4 जापान

15.9.4.1 माननीय प्रधान मंत्री के जापान दौरे के दौरान दिनांक 29 अक्टूबर, 2018 को एफ.एस.एस.ए.आई और 4 जापानी एजेंसियों अर्थात् द फूड सेफ्टी कमिशन ऑफ जापान, द कंज्यूमर एफेअर्स एजेंसी ऑफ जापान, द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, लेबर एंड वेल्फेअर ऑफ जापान और द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, फोरेस्ट्री एंड फिशरीज ऑफ जापान के मध्य खाद्य सुरक्षा पर एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते

ज्ञापन का प्रयोजन भारत और जापान की उपरोक्त एजेंसियों के मध्य खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में पारस्परिक सहयोग को सशक्त बनाना है।

15.9.4.2 समझौते ज्ञापन के तहत प्रथम इंडो-जापान संयुक्त कार्यकारी दल (जे.डब्ल्यू.जी) की बैठक एफ.एस.एस.ए.आई में दिनांक 29 जनवरी, 2019 को हुई। जे.डब्ल्यू.जी से भारत में जापानी कंपनियों के मुद्दों के समाधान में सहायता मिली।

15.9.5 नीदरलैंड्स

खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए मार्च, 2019 में एफ.एस.एस.ए.आई, निर्यात निरीक्षण परिषद्, भारत (ई.आई.सी) और नीदरलैंड्स फूड एंड कंज्यूमर प्रॉडक्ट सेफ्टी अथॉरिटी (एन.वी.डब्ल्यू.ए) के मध्य एक त्रिपक्षीय समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता ज्ञापन एफ.एस.एस.ए.आई और एन.वी.डब्ल्यू.ए, नीदरलैंड्स के मध्य नवंबर, 2012 में हस्ताक्षरित समझौते ज्ञापन के नवीकरण के रूप में था, जिसमें ई.आई.सी को तृतीय पार्टी के रूप में शामिल किया गया।

15.9.6 फ्रांस

जनवरी, 2016 में एफ.एस.एस.ए.आई और ए.एन.एस.ई.एस, जो कि खाद्य, पर्यावरण और व्यावसायिक स्वास्थ्य व सुरक्षा की फ्रांस की एजेंसी है, के मध्य एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। एक समझौते ज्ञापन के तहत फ्रांस के विशेषज्ञों ने राज्य खाद्य प्रयोगशाला, वडोदरा, गुजरात में दिनांक 26-30 नवंबर, 2018 को एक सूक्ष्मजैविक विश्लेषण में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया।

15.9.7 जर्मनी

एफ.एस.एस.ए.आई और जर्मनी की बी.एफ.आर (जोखिम आंकलन की केन्द्रीय संस्था) और बी.वी.एल (उपभोक्ता संरक्षण और खाद्य सुरक्षा का केन्द्रीय कार्यालय) के मध्य हस्ताक्षरित कार्यान्वयन की संयुक्त बयान के तहत सहयोग पर चर्चा करने के लिए एफ.एस.एस.ए.आई में दिनांक 28 मार्च, 2019 को एक जर्मन प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की गई। एफ.एस.एस.ए.आई ने बी.एफ.आर की तकनीकी विशेषता से एक जोखिम आकलन केंद्र की स्थापना का प्रस्ताव किया। बी.एफ.आर और बी.वी.एल भारत की संदर्भ प्रयोगशालाओं के उन्नयन में भी सहयोग करेंगे। एफ.एस.एस.ए.आई की राष्ट्रीय संदर्भ प्रयोगशालाओं (एन.आर.एल) और यूरोपियन संघ संदर्भ लैबोरेटरी (ई.यू.आर.एल) के मध्य विशेषज्ञों/वैज्ञानिकों के आदान-प्रदान के कार्यक्रम की संभावना भी खोजी गई।

15.9.8 न्यूजीलैंड

अक्टूबर, 2016 में एफ.एस.एस.ए.आई और न्यूजीलैंड के प्राथमिक उद्योग मंत्रालय (एम.पी.आई) के मध्य सहयोग की एक व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए गए। व्यवस्था के क्रियान्वयन के तौर-तरीके खोजने के लिए न्यूजीलैंड की खाद्य सुरक्षा प्रणालियाँ जानने के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी,एफ.एस.एस.ए.आई के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने अप्रैल, 2018 में न्यूजीलैंड का दौरा किया। इस दौरे से न्यूजीलैंड में खाद्य विनियमन प्रणालियों को जानने में सहायता मिली।

15.10 ग्लोबल फूड सेफ्टी पार्टनरशिप (जी.एफ.एस.पी) के सहयोग से गतिविधियाँ

विश्व बैंक द्वारा स्थापित जी.एफ.एस.पी मध्य आय वर्गीय और विकासशील देशों में खाद्य सुरक्षा को सुधारने के लिए समर्पित अनोखी सरकारी-निजी पहल है।

15.10.1 जी.एफ.एस.पी के सहयोग से प्रशिक्षण कार्यक्रम

- कवकविषों पर जी.एफ.एस.पी खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम सिंगापुर में ए.वी.ए, सिंगापुर के सहयोग से दिनांक 8 से 10 जनवरी, 2019 तक आयोजित किया गया।
- मास्टर प्रशिक्षक अब इन विषयों पर भारत में ही प्रशिक्षण दे रहे हैं और उन्होंने प्रशिक्षित व्यक्तियों का पूल बनाने में भी सहायता की।

15.10.2 अक्टूबर, 2018 में एफ.एस.एस.ए.आई को विश्व बैंक की जी.एफ.एस.पी की शासी समिति का दो साल के लिए पर्यवेक्षक सदस्य बनाया गया।

15.10.3 जी.एफ.एस.पी मुंबई में एक अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना और विभिन्न देशों के अध्ययन दौरों में सहायता प्रदान कर रही है।

15.11 विदेशों में बैठकों/कार्यक्रमों में भागीदारी

एफ.एस.एस.ए.आई के अधिकारियों/प्रतिनिधिमंडलों ने 2018-19 के दौरान निम्नलिखित बैठकों/कार्यशालाओं में भाग लिया।

15.11.1 पेरिस, फ्रांस में दिनांक 6 से 7 फरवरी, 2019 तक ग्लोबल एक्शन नेटवर्क ऑन न्युट्रिशनल लेबलिंग की प्रथम बैठक

एफ.एस.एस.ए.आई के अध्यक्ष ने पेरिस, फ्रांस में दिनांक 6 से 7 फरवरी, 2019 तक आयोजित ग्लोबल एक्शन नेटवर्क ऑन न्युट्रिशनल लेबलिंग की प्रथम बैठक में एफ.एस.एस.ए.आई का प्रतिनिधित्व किया। यह एक्शन नेटवर्क संयुक्त राष्ट्र संघ पोषण पर कार्रवाई दशक 2016-2025 के बारे में अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में है। इस एक्शन नेटवर्क का ध्येय पोषण लेबलिंग के प्रयासों में तेजी लाने के इच्छुक देशों का संघ बनाना और उसके कार्यान्वयन को बढ़ावा देना है।

15.11.2 आदिस अबाबा, इथियोपिया में खाद्य सुरक्षा पर डब्ल्यू.एच.ओ/एफ.ए.ओ का प्रथम विश्व सम्मेलन

मुख्य कार्यकारी,एफ.एस.एस.ए.आई के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल, जिसमें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का एक प्रतिनिधि भी शामिल था, ने आदिस अबाबा, इथियोपिया में दिनांक 11 से 14 फरवरी, 2019 तक ओयाजित डब्ल्यू.एच.ओ/एफ.ए.ओ के खाद्य सुरक्षा पर प्रथम विश्व सम्मेलन में भाग लिया। इस सम्मेलन से विश्व के अनेक खाद्य नियामकों, विशेषकर अफ्रीकी देशों- गांबिया, जांबिया और इथोपिया से जुड़ने में सहायता मिली, जो खाद्य सुरक्षा के एफ.एस.एस.ए.आई मॉडल, उसकी हाल की क्षमता-निर्माण और जागरूकता पहलों से प्रभावित हुए और जिन्होंने उसके बारे में अधिक जानने की रुचि दिखाई। इस संबंध में खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में क्षमता-निर्माण के लिए अफ्रीकी देशों से सहयोग करने के एफ.एस.एस.ए.आई के एक प्रस्ताव 'अफ्रीका में खाद्य सुरक्षा' पर एक अवधारणा नोट के साथ स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के माध्यम से सहमति और सहयोग के लिए विदेश मंत्रालय को भेजा गया है।

15.12 भारत में आए प्रतिनिधिमंडल

15.12.1 अफगानिस्तानी प्रतिनिधिमंडल का भारत दौरा

अफगानिस्तान सरकार के अनुरोध पर अफगानिस्तान के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों का दो सप्ताहों का एक प्रशिक्षण कार्यक्रम भारत में दिनांक 28 जनवरी से 8 फरवरी, 2019 तक आयोजित किया गया। इस दौरे में

इंटरनैशनल ट्रेड सेंटर (आई.टी.सी), जेनेवा ने समन्वय किया और यूरोपियन संघ ने वित्तपोषण किया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत चंडीगढ़ में राज्य खाद्य सुरक्षा कार्यलय का दौरा, कोच्ची की आयात बंदरगाह का क्षेत्रीय दौरा, दिल्ली की प्रयोगशालाओं का दौरा और नासिक की खाद्य प्रसंस्करण यूनिट का दौरा कराया गया, जिनसे प्रतिनिधिमंडल को खाद्य सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं की जानकारी बढ़ाने में सहायता मिली।

आकृति 41 - अफगानिस्तानी प्रतिनिधिमंडल का दौरा

15.12.2 नेपाली प्रतिनिधिमंडल का भारत दौरा

खाद्य प्रौद्योगिकी और गुणता नियंत्रण विभाग (डी.एफ.टी.क्यू.सी), नेपाल के एक प्रतिनिधिमंडल ने परामर्श बैठक कार्यक्रम-सह-परिचयन दौरे के लिए दिनांक 25 से 29 मार्च, 2019 तक एफ.एस.एस.ए.आई, नई दिल्ली का दौरा किया। इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व श्री संजीव कुमार कर्न, महानिदेशक, डी.एफ.टी.क्यू.सी ने किया। प्रतिनिधिमंडल के दौरे के दौरान एफ.एस.एस.ए.आई के कर्तव्यों और ढाँचागत व्यवस्था, एफ.एस.एस अधिनियम के क्रियान्वयन और क्षेत्र दौरों के माध्यम से राज्यों की खाद्य सुरक्षा और गुणता नियंत्रण प्रणालियों पर ध्यान केंद्रित किया गया।

15.12.3 इंडो-फ्रेंच चैंबर ऑफ कामर्स (इफ्की) से प्रतिनिधिमंडल

इंडो-फ्रेंच चैंबर ऑफ कामर्स (इफ्की), जो भारत में कार्यरत फ्रांस की उपभोक्ता वस्तु और सेवा समिति है, के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ दिनांक 09 जनवरी, 2019 को बैठक की गई। बैठक के दौरान एफ.एस.एस.ए.आई के विनियमों- एल्कोहलीय पेय विनियमों, सुवास विनियमों, खाद्य सुरक्षा और मानक (विज्ञापन और दावे) विनियमों; मानकों (खाद्य रंगों, सहयोज्य पदार्थों); उत्पाद अनुमोदनों और भारत आयात अपेक्षाओं के बारे में व्यापारिक मुद्दों पर चर्चा की गई।

आकृति 42 - इफ्की प्रतिनिधिमंडल का दौरा

15.12.4 संयुक्त राष्ट्र संघ में लैटिन अमरीकी और कैरिबियाई देशों के समूह (जी.आर.यू.एल.ए.सी) के प्रतिनिधिमंडल का दौरा

लैटिन अमरीकी देशों और भारत के मध्य व्यापारिक संबंधों को लेकर विचार-विनिमय जी.आर.यू.एल.ए.सी के चीफ ऑफ मिशन के साथ दिनांक 04 जून, 2018 को एक बैठक की गई, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय मानकों, खाद्य सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर चर्चा की गई। दोनों पक्षों ने पारस्परिक हित की गतिविधियों पर सहयोग सशक्त करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।

15.12.5 न्यूजीलैंड के अधिकारियों के साथ बैठक

एफ.एस.एस.ए.आई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के साथ न्यूजीलैंड के प्राथमिक उद्योग मंत्रालय (एम.पी.आई) के मार्किट एक्सेस कौंसिलर के साथ दिनांक 13 जून, 2018 को एक बैठक की गई। बैठक के दौरान एम.पी.आई, न्यूजीलैंड के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अंग के रूप में क्रियान्वयन व्यवस्था के मसौदे और प्रयोगशालाओं के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग और परीक्षण पद्धतियों पर चर्चा की गई।

15.12.6 इथोपिया-नीदरलैंड्स ट्रेड फॉर एग्रीकल्चरल ग्रोथ प्रोग्राम (एन्टैग्) के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक

एफ.एस.एस.ए.आई के अध्यक्ष के साथ इथोपिया-नीदरलैंड्स ट्रेड फॉर एग्रीकल्चरल ग्रोथ प्रोग्राम (एन्टैग्) के प्रतिनिधिमंडल ने दिनांक 30 अगस्त, 2018 को एक बैठक की। बैठक का विषय दालों के आयात के संबंध में भारतीय विनियमों को जानना था।

15.12.7 ब्रिटिश उच्चायोग के अधिकारियों के साथ बैठक

ब्रिटिश उच्चायोग के अधिकारियों के साथ दिनांक 06 सितंबर, 2018 को एक बैठक की गई। बैठक के दौरान सरकारों के मध्य(जी2जी) कारोबार सरलता की उत्तम रीतियों के बारे चर्चा की गई।

15.12.8 फिलिपीन के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक

फिलिपीन के सीनेटर के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल के साथ दिनांक 24 अक्टूबर, 2018 को एक बैठक की गई। बैठक के आयोजन का प्रयोजन भारत में खाद्य सुरक्षा के ढाँचे और एफ.एस.एस.ए.आई की हाल की पहलों को समझना था।

15.13 वाणिज्य/स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में/अन्यत्र बैठकें

15.13.1 भारत और जर्मनी के मध्य कृषि, खाद्य उद्योग और उपभोक्ता संरक्षण पर इंडो-जर्मन संयुक्त कार्यकारी दल (जे.डब्ल्यू.जी) की छठी बैठक नई दिल्ली में दिनांक 27 मार्च, 2019 को सम्पन्न

प्रतिनिधिमंडल को सूचित किया गया कि भारत की खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण अपेक्षाकृत रूप से नई है और मानक, नियम एवं विनियम बनाए जा रहे हैं। अनेक खाद्य सुरक्षा मानकों को कोडेक्स के साथ सुमेलित किया गया है। चूँकि भारत में खाद्य सुरक्षा ईकोसिस्टम का विकास हो रहा है,एफ.एस.एस.ए.आई अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ सक्रिय रूप से भागीदारी कर रही है। एफ.एस.एस.ए.आई और बी.एफ.आर तथा बी.वी.एल के मध्य आशय की संयुक्त अभिव्यक्ति के तहत हस्ताक्षरित जर्मनी के साथ सहयोग के मुद्दों के समाधान में सहायक हो सकता है। दोनों पक्ष एंडोक्राइन डिस्रपटरों के क्षेत्र में मिलकर काम करने को सहमत हुए।जर्मन पक्ष चालू फेलोशिप और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के विवरण उपलब्ध कराएगा।

15.14 भविष्य के लिए दृष्टिकोण

एफ.एस.एस.ए.आई खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में विभिन्न देशों/अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ सहयोग की संभावनाएँ खोजने के लिए निरंतर रत है। यह कार्य वह बैठकें आयोजित करके/ उनमें भाग लेकर, पारस्परिक हित के क्षेत्रों में विभिन्न देशों/तकनीकी विशेषज्ञों के साथ सेमिनार, मिशन, कार्यशालाएँ आयोजित करके संपन्न करती है। इसके अतिरिक्त एफ.एस.एस.ए.आई के प्रतिनिधिमंडल विभिन्न देशों की उत्तम रीतियों को बेहतर ढंग से समझने और उन्हें भारतीय परिवेश में लागू करने के लिए उनके यहाँ का अध्ययन दौरा/ दौरा करके करता है।

अध्याय-16

राजभाषा कार्यान्वयन

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने 2018-19 के दौरान राजभाषा के क्षेत्र में सतत प्रगति जारी रखी और राजभाषा क्रियान्वयन के हर क्षेत्र को नई दिशा प्रदान की। राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में एफ.एस.एस.ए.आई ने अनेक विनियमों, अधिसूचनाओं, प्रेस नोटों, मानक मसौदों, परिपत्रों, प्रपत्रों, ब्रोशरों, संसदीय समितियों की प्रश्नावलियों, एफ.ए.क्यू, मैनुअलों, वेबसाइटों, पोर्टलों, महत्वूपर्ण एवं प्रमुख समितियों की बैठकों, आदेशों, दिशा-निर्देशों, निविदाओं, वार्षिक रिपोर्ट, पोस्टरों, विज्ञापनों, ए.टी.एन, संदेशों इत्यादि के लगभग 2,000 पृष्ठों का अनुवाद कार्य किया। प्राधिकरण ने अपनी राजभाषा कार्यान्वयन समिति की सभी बैठकें समय पर कीं। इन बैठकों में प्राधिकरण में राजभाषा कार्यान्वयन के संबंध में अनेक महत्वूपर्ण निर्णय लिए गए और उन पर अनुवर्ती कार्रवाई भी सुनिश्चित कराई गई। प्राधिकरण ने नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की सभी बैठकों में भाग लिया और मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों के लिए सामग्री समय पर भेजी। प्राधिकरण ने वर्ष की चारों तिमाहियों के हिंदी कार्यों की तिमाही प्रगति रिपोर्टें मंत्रालय, राजभाषा विभाग, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय आदि को समय पर भेजीं। दिनांक 14 जून, 2018 को संसदीय संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप-समिति ने प्राधिकरण के हिंदी कार्य की प्रगति का निरीक्षण किया, जिस दौरान उसने हिंदी कार्य को और अधिक बढ़ाने के लिए अनेक मार्गदर्शन दिए। प्राधिकरण ने इन मार्गदर्शनों के अनुसार हिंदी कार्यान्वयन की 40-सूत्री नीति बनाकर उसका कार्यान्वयन कराया। प्राधिकरण ने वर्ष के दौरान चार हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन भी किया, जिनमें अधिकारियों और कर्मचारियों दोनों को हिंदी कार्यान्वयन का प्रशिक्षण प्रदान किया गया। वर्ष के दौरान 14 से 28 सितंबर, 2018 तक हिंदी पखवाड़ा भी मनाया गया, जिस दौरान हिंदी की विभिन्न प्रतियागिताएँ आयोजित की गईं और विजेता प्रतियोगियों को नकद पुरस्कार प्रदान किए गए। वर्ष के दौरान अंग्रेजी-हिंदी पुस्तकों पर हुए कुल व्यय का 61.5% हिंदी पुस्तकों पर व्यय किया गया,जबकि 2017-18 वर्ष के दौरान हिंदी पुस्तकों पर कोई व्यय नहीं किया गया था। भर्ती विनियमों की अधिसूचना के बाद प्राधिकरण में अन्य पदों के साथ-साथ एक सहायक निदेशक (राजभाषा) और पाँच हिंदी अनुवादकों के पद भी स्वीकृत कराए गए और इन पर भर्ती की आगे की कार्रवाई आरंभ की गई। इनके अतिरिक्त मुख्यालय के विभिन्न प्रभागों तथा अधीनस्थ कार्यालयों को समय-समय पर हिंदी कार्यान्वयन संबंधी मार्गदर्शन प्रदान करना जारी रखा गया, जिसके परिणामस्वरूप इन सभी प्रभागों और कार्यालयों में राजभाषा हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने में तत्परता देखने को मिली। कुल मिलाकर प्राधिकरण ने अपने यहाँ राजभाषा कार्यान्वयन में तत्परता से कार्य करके इसे नया आयाम दिया और अपने अधिकारियों तथा कर्मचारियों को विभिन्न प्रकार से प्रेरित और प्रोत्साहित किया, जिनके परिणामस्वरूप प्राधिकरण में हिंदी पत्राचार, टिप्पण लेखन, धारा 3(3) के अनुपालन आदि में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। इस प्रकार प्राधिकरण हिंदी कार्य को बढ़ाने के लिए लगातार प्रतिबद्ध है तथा भविष्य में यह इसे और अधिक बढ़ाने के लिए प्रयासशील है।

अध्याय-17

आर.टी.आई मामले

वर्ष 2018-2019 (1.4.2018 – 31.3.2019)

	यथा 01-04-2018 को आदि शेष	धारा 6(3) के तहत वर्ष के दौरान प्राप्तअन्य लोक प्राधिकारियों से प्राप्त आवेदन	वर्ष के दौरान प्राप्त (अन्य लोक प्राधिकारियों को अंतरित मामलों सहित)	अन्य लोक प्राधिकारियों को अंतरित मामले	मामले जिनमें अनुरोध/अपील को अस्वीकार किया गया	मामले जिनमें अनुरोध/अपील को स्वीकार किया गया
आवेदन	142	399	1,013	166	59	1,194
प्रथम अपील	6	1	86	3	0	83

मामलों की संख्या, जिनमें अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की गई	शून्य

अभिनामित ए.पी.आई.ओ की सं0	अभिनामित सी.पी.आई.ओ की सं0	अभिनामित ए.ए की सं0
	28	19

उन अवसरों की संख्या जिनमें आवेदन को अस्वीकार करने के लिए विभिन्न उपबंध लागू किए गए													
आर.टी.आई अधिनियम, 2005 की संबंधित धाराएँ													
धारा8 (1)										धाराएँ			अन्य
क	ख	ग	घ	ङ	च	छ	ज	झ	ञ	9	11	24	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59

प्राप्त शुल्क की राशि (रुपयों में)		
पंजीकरण शुल्क राशि	अतिरिक्त शुल्क और अन्य कोई शुल्क	दंड की राशि
3282	9696	0

क्या पब्लिक अथोरिटी ने नागरिकों द्वारा आवेदित सूचना के परिणामस्वरूप अपने नियमों/विनियमों/प्रक्रियाओं में कोई परिवर्तन किया? कृपया परिवर्तनों का संक्षिप्त विवरण दें (अधिकतम 500 वर्ण)

शून्य

ब्लॉक V (अनिवार्य घोषणाओं संबंधी विवरण)		
क. क्या धारा 4(1)(ख) के अंतर्गत अनिवार्य घोषणा लोक प्राधिकारी की वेबसाइट पर डाली हुई है? हाँ	यदि (क) का उत्तर 'नहीं' हो तो क्या प्रसार का अन्य कोई माध्यम है? नीचे विवरण दें ((500 वर्णों से अधिक नहीं)	यदि (क) का उत्तर 'हाँ' हो तो वेबसाइट का विवरण/यू.आर.एल दें, जहाँ घोषणाएँ की गई हैं (अधिकतम 150 वर्ण)
ख. धारा 4(1)(ख) के अंतर्गत अनिवार्य घोषणा को अपडेट करने की पिछली तिथि		30/06/2017
ग. क्या अनिवार्य घोषणा को डीओपीटी के कार्यालय ज्ञान सं0 1/6/20011-IR, दिनांक 15.04.2013 के अनुसार तृतीय पक्ष द्वारा ऑडिट किया गया? नहीं		यदि (ग) का उत्तर 'हाँ' हो तो वेबसाइट का विवरण/यू.आर.एल बताएँ, जहाँ ऑडिट रिपोर्ट डाली गई हो (अधिकतम 150 वर्ण)
धारा 4(1)(ख) के अंतर्गत अनिवार्य घोषणा के ऑडिट की तिथि (फॉरमैट dd/mm/yyyy		(फॉरमैटdd/mm/yyyy)

अध्याय-18

वित्तीय विवरणियाँ

वित्तीय वर्ष
2018-2019

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत स्थापित एक वैधानिक प्राधिकरण)

एफडीए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110 002

विषय-सूची

	पृष्ठ सं0
तुलन पत्र	137
आय और व्यय लेखा	138
उपरोक्त वित्तीय विवरणियों की अनुसूचियाँ (अनुसूची 1 से 25)	139
प्राप्तियाँ और भुगतान खाता	154
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ (अनुसूची 26)	157
आकस्मिक देयताएँ और लेखों पर टिप्पणियाँ (अनुसूची 27)	159
अनुबंध I	161
भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक का पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	165
प्रतिवेदन पर खाद्य प्राधिकरण का उत्तर	173

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण
तुलन पत्र यथा 31-03-2019 को

(राशि रुपयों में)

कोष/कैपिटल फंडएवं देनदारियाँ	अनुसूची	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
कोर्पस/पूँजीगत निधि	1	3,03,13,11,342	2,27,14,72,990
आरक्षित और अधिशेष	2	-	-
चिन्हित/बंदोबस्ती निधि	3	-	-
जमानती ऋण और उधारी	4	-	-
गैर–जमानती ऋण और उधारी	5	-	-
विलंबित क्रेडिट देयताएँ	6	-	
मौजूदा देनदारियाँ और प्रावधान	7	16,49,34,617	34,09,62,607
योग		**3,19,62,45,959**	**2,61,24,35,597**
परिसंपत्तियाँ			
अचल परिसंपतियाँ	8	11,37,11,431	10,99,83,508
निवेश – चिन्हित/बंदोबस्ती निधियों से	9	-	-
निवेश – अन्य	10	-	-
मौजूदा परिसंपत्तियाँ, ऋण, अग्रिम आदि	11	3,08,25,34,528	2,50,24,52,089
विविध व्यय (बट्टे खाते अथवा समायोजित नहीं किया गया)		-	-
योग		**3,19,62,45,959**	**2,61,24,35,597**

सहायक निदेशक
(वित्त, बजट,एवं लेखा)

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,एफएसएसएआई

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 28.06.2019

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरणा
31-03-2019 को समाप्त वर्ष का आयएवं व्यय लेखा

(राशि रूपयों में)

आय	अनुसूची	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
सेवाओं से आय	12	47,35,92,128	32,85,44,592
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त अनुदान/सब्सिडी	13	2,58,04,92,086	1,81,13,21,690
शुक/अंशदान	14	-	-
निवेश से आय (निधियों को अंतरित चिन्हित/बंदोबस्ती निधियों के निवेश से आय)	15	-	-
रॉयल्टी/प्रकाशन इत्यादि से प्राप्त आय	16	-	-
अर्जित ब्याज	17	19,38,89,514	12,69,48,764
अन्य आय	18	1,54,90,235	37,99,618
तैयार माल और चालू कार्य के स्टॉक में वृद्धि/(कमी)	19	-	-
योग (क)		**3,26,34,63,962**	**2,27,06,14,664**
व्यय			
स्थापना व्यय	20	18,24,78,567	17,46,64,496
प्रशासनिक व्यय इत्यादि	21	2,25,59,98,916	1,58,00,05,361
मरम्मतएवं रख–रखाव पर व्यय	22	2,18,73,730	2,30,18,508
अनुदान/सब्सिडी इत्यादि पर व्यय	23	1,74,81,160	1,02,01,800
मूल्यह्रास	24	2,57,93,237	2,57,57,236
ब्याज	25	-	-
योग (ख)		**2,50,36,25,610**	**1,81,36,47,401**
व्यय से अधिक आय का शेष (क–ख)		75,98,38,352	45,69,67,263
स्पेशल रिजर्व को अंतरित		-	-
सामान्य रिजर्व को/से अंतरित		-	-
अधिशेष के रूप में शेष/(घाटा) कोर्पस/पूँजीगत निधि को ले जाया गया		**75,98,38,352**	**45,69,67,263**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	26		
आकस्मिक देयताएँ और खातों पर टिप्पणियाँ	27		

सहायक निदेशक
(वित्त, बजट,एवं लेखा)

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,एफएसएसआई

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 28.06.2019

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण
यथा 31-03-2019 के तुलन पत्र की अंग स्वरूप अनुसूचियाँ

अनुसूची 1 – कोष/कैपिटल फन्डः

(राशि रूपयों में)

कोर्पसः पूँजीगत निधि	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
वर्ष के आरंभ में शेष	2,27,14,72,990	1,81,45,05,727
जोड़ें कोर्पस/पूंजीगत निधि को अंशदान		
जोड़ें/(घटाएँ) आय तथा व्यय लेखा से अंतरित निवल आय (व्यय)	75,98,38,352	45,69,67,263
बंदोबस्ती निधि से अंतरित राशि	-	-
वर्ष के अतं में शेष	**3,03,13,11,342**	**2,27,14,72,990**

अनुसूची 2 – आरक्षितएवं अधिशेषः

		वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
1. पूँजीगत रिजर्वः			
	पिछले लेखानुसार	-	-
	वर्ष के दौरान जमा	-	-
	घटाएँः वर्ष के दौरान कटौतियाँ	-	-
पुनर्मूल्याकंन रिजर्वः			
	पिछले लेखा के अनुसार	-	-
	वर्ष के दौरान जमा	-	-
	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	-	-
3. विशेष रिजर्वः			
	पिछले लेखानुसार	-	-
	वर्ष के दौरान जमा	-	-
	घटाएँः वर्ष के दौरान कटौतियाँ	-	-
4. सामान्य रिजर्वः			
	पिछले लेखानुसार	-	-
	वर्ष के दौरान जमा	-	-
	घटाएँः वर्ष के दौरान कटौतियाँ	-	-
योग		-	-

(राशि रुपयों में)

अनूसूची– 3 उददिष्ट/अक्षय निधियां	वर्तमान वर्ष अचल परिसंपति निधि	पिछले वर्ष अचल परिसंपति निधि
क) निध्रियों का आदि शेष	-	-
ख) निधियों में जमा		
i. दान/अनुदान	-	-
ii. निधियों के कारण निवेश से आय	-	-
iii. अन्य जमा (प्रकृति बताएँ)		
क) पूँजीगत व्यय – योजनागत	-	-
ख) पूंजीगत व्यय – गैर–योजनागत	-	-
ग) उपहार में दी गई पूँजी	-	-
घ) जी.पी.एफ में स्टाफ का अंशदान	-	-
ड) जी.पी.एफ खाते में जमा ब्याज	-	-
च) अग्रिम की वापसी	-	-
iv. संचित रिजर्व	-	-
v. कोर्पस निधि को अंतरण	-	-
योग (ख)	-	-
योग (क+ख)	-	-
ग) निधियों के उद्देश्यों की दिशा में उपयोग/व्यय		
i. पूँजीगत व्यय	-	-
अचल परिसंपति	-	-
– अन्य	-	-
– सेवा के अयोग्य सामग्री का निपटान	-	-
– वर्ष के दौरान मूल्यह्रास	-	-
कुल	-	-
ii. राजस्व व्यय		
– वेतन, मजदूरी और भत्ते आदि.	-	-
– किराया	-	-
– अन्य प्रशासनिक व्यय	-	-
– स्टाफ को अग्रिम	-	-
– स्टाफ तथा कलाकारों को अंतिम भुगतान	-	-
– अदावे वाले शेष को अंतरण	-	-
– स्टाफ द्वारा अंतिम निकासी	-	-
कुल	-	-
योग (ग)	-	-
वर्ष के अंत में निवल शेष (क+ख–ग)	-	-

अनुसूची– 4 जमानती ऋण और उधार राशि

(राशि रुपयों में)

	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
1. केंद्र सरकार	-	-
2. राज्य सरकार (उल्लेख करें)	-	-
3. वित्तीय संस्थान		
क) मियादी ऋण	-	-
ख) अर्जित और देय ब्याज	-	-
4. बैंक		
क) मियादी ऋण	-	-
– अर्जित और देय ब्याज	-	-
ख) अन्य ऋण (उल्लेख करें)	-	-
– अर्जित और देय ब्याज	-	-
5. अन्य संस्थान औरएजेंसियाँ	-	-
6. डिबैंचर और बांड	-	-
7. अन्य (उल्लेख करें)	-	-
योग	-	-

अनुसूची 5 – जमानती ऋण और उधार राशि

(राशि रुपयों में)

	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
1. केंद्र सरकार	-	-
2. राज्य सरकार (उल्लेख करें)	-	-
3. वित्तीय संस्थान	-	-
4. बैंक		
5. अन्य संस्थान औरएजेंसियाँ	-	-
6. डिबैंचर और बांड	-	-
7. फिक्स्ड डिपॉजिट	-	-
8 अन्य (उल्लेख करें)	-	-
योग	-	-

अनुसूची–6 आस्थगित ऋण देयताएँ

	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
क) पूँजीगत उपस्कर और अन्य परिसंपतियों के रेहन से प्राप्त स्वीकृतियाँ	+ -	-
ख) अन्य	-	-
योग	-	-

अनुसूची 7 – मौजूदा देनदारियाँ और प्रावधान

(राशि रुपयों में)

	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
क मौजूदा देनदारियाँ		
1. स्वीकृतियाँ	-	-
2. छुट–पुट देनदारियाँ		
क) वस्तुओंएवं सेवाओं के लिए (अनुसूची–7.1 के अनुसार)	10,40,49,555	26,95,10,917
ख) अन्य (अनुसूची–7.2 के अनुसार)	-	-
3. पेशगी राशि जमा	4,12,800	4,94,000
4. निम्नलिखित पर उपार्जित परन्तु अदेय ब्याजः		
क) जमानती ऋण/उधार राशि		
ख) गैर–जमानती ऋण/उधार राशि		
5. वैधानिक देयताएँः		
क) अतिदेय		-
ख) अन्य (अगले वित्तीय वर्ष में देय मास के लिए शुल्क और कर)	44,51,650	929,303
6. अन्य चालू देयताएँः		
क) वेतन से कटौती	18,90,408	12,05,241
ख) पुराने चौक	21,15,706	45,43,586
ग) प्राप्त जमानत राशि	1,74,64,914	1,59,79,614
घ)एफ.आर.एस.एल के पुराने लंबित भुगतान	(7,095)	25,96,018
ड) बैंक द्वारा गलत क्रेडिट	-	11,79,365
च) देय जी.एस.टी रिवर्स चार्ज और राहत निधि	24,201	-
7. वर्ष के अंत में अनुदान का अव्ययित शेषः		
क) वर्ष के अंत में अव्ययित अनुदान	3,45,32,477	4,45,24,563
योग (क)	**16,49,34,617**	**34,09,62,607**

(राशि रुपयों में)

	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
ख. प्रावधान		
1. कराधान के लिए		-
2. ग्रेच्युटी	-	-
3. अधिवर्षिता / पेंशन	-	-
4. संचित छुट्टी नकदीकरण	-	-
5. व्यापार वारंटियाँ / दावे	-	-
6. अन्य (विशेष)	-	-
क) किराया दर और कर व्यय	-	-
ख) कार्यालयी व्यय	-	-
ग) आपूर्ति और सामग्री व्यय	-	-
घ) यात्रा व्यय	-	-
योग (ख)	**-**	**-**
योग (क+ख)	**16,49,34,617**	**34,09,62,607**

		वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
अनुसूची 7.1 वस्तुओं/सेवाओं की छुट-पुट देनदारियाँ			
1	श्रीए. रामाचंद्रन	4,810	4,810
2	श्री चिन्मय	8,755	4,560
3	छुट्टी वेतन पेंशन अंशदान के चेक वापस प्राप्त	22,57,884	-
4	एशियन साइंटीफिक इंडस्ट्रीज	2,20,78,931	-
5	हाइड्रोकार्बन सोल्यूशंस इंडिया प्रा0 लि0	34,69,200	-
6	सदस्य	60,132	3,65,235
7	कंफेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री	-	3,88,800
8	डीजी मेडिकल, हेल्थ	-	5,00,000
9	वाटर्स जीईएसएमबीएच हेट्जिंगर	-	37,70,989
10	खाद्य सुरक्षा आयुक्त, लखनऊ	-	50,00,000
11	मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं के दावे	6,32,98,861	5,10,61,024
12	आरब्रो फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	1,28,70,982	20,84,15,499
	योग	**10,40,49,555**	**26,95,10,917**

अनुसूची 7.2 – अन्य के लिए विविध ऋणदाता

	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
अन्य की छुट-पुट देनदारियाँ		
1 देय ब्याज व्यय	-	-
योग	**-**	**-**

अनुसूची 8 - अचल संपत्तियाँ

(राशि, रुपयों में)

क्र.सं.	विवरण	मूल्यह्रास की दर	ग्रोस ब्लॉक					मूल्यह्रास					नेट ब्लॉक	
			वर्ष के आरंभ में लागत/ मूल्यांकन	वर्ष के दौरान जमा 30.09.2018 तक जमा	वर्ष के दौरान जमा 30.09.2018 के बाद जमा	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	वर्ष के अंत में लागत/मूल्यांकन	वर्ष के आरंभ में स्थिति	वर्ष के दौरान आरंभिक शेष पर	वर्ष के दौरान जमा राशियों पर	वर्ष के दौरान कटौतियों पर	वर्ष के अंत तक का योग	वर्तमान वर्ष के अंत में स्थिति	पिछले वर्ष के अंत में स्थिति
क.	**इमारत:-**													
	क) आर.ओ, कोलकाता (सिविल और विद्युतीय कार्य)	10%	52,40,885	-	-	-	52,40,885	14,91,733	3,74,915	-	-	1,866,648	33,74,237	37,49,152
	ख) आर.ओ, चेन्नई (सिविल और विद्युतीय कार्य)	10%	54,65,606	-	-	-	54,65,606	7,92,513	4,67,309	-	-	12,59,822	42,05,784	46,73,093
	ग) मुख्यालय, एफडीए भवन (सिविल और विद्युतीय कार्य)	10%	1,25,76,718	1,05,03,272	-	-	2,30,79,990	17,63,815	10,81,290	10,50,327	-	38,95,433	1,91,84,558	1,08,12,903
	घ) शीर्ष मंजिल (अस्थायी निर्माण)	40%	2,57,80,953	-	-	-	2,57,80,953	75,48,691	72,92,905	-	-	148,41,596	1,09,39,357	1,82,32,262
ख.	**संयंत्र, मशीनरी और उपकरण**						-		-	-	-	-		
	क) प्रयोगशाला के उपकरण	15%	63,32,665	-	5,06,355	-	68,39,020	34,10,020	4,38,397	37,977	-	38,86,393	29,52,627	29,22,645
	ख) पानी की पाइप लाइन	15%	2,88,891	-	-	-	2,88,891	2,03,219	12,851	-	-	2,16,070	72,821	85,672
	ग) मशीनरी उपकरण	15%	30,84,315	-	1,18,363	-	32,02,678	15,90,624	2,24,054	8,877	-	18,23,555	13,79,123	14,93,691
	घ) एलईडी फिटिंगें	15%	24, 80,589	-	-	-	24,80,589	5,30,226	2,92,554	-	-	8,22,780	16,57,809	19,50,363
ग.	मारूति सियाज (2)	15%	15, 11,028	-	-	-	15,11,028	3,22,982	1,78,207	-	-	5,01,189	10,09,838	11,88,046
घ.	**फर्नीचर और फिक्स्चर**	10%	1, 48,85,805	98,000	67,29,992	-	2,17,13,797	50,29,282	9,85,653	3,46,300	-	63,61,235	1,53,52,564	98,56,532
	शीर्ष मंजिल (इंटीरियर फर्नीचर और फिक्स्चर)	10%	2, 99,07,028				2,99,07,028	14,95,351	28,41,168	-	-	43,36,519	2,55,70,509	2,84,11,678
ड.	**कार्यालय उपकरण**					-	-		-	-	-	-	-	
	1 इलेक्ट्रॉनिक उपस्थिति मशीन	15%	1,65,690	-	40,674	-	2,06,364	71,729	14,094	3,051	-	88,874	1,17,490	93,961
	2 फोटोकॉपी मशीन	15%	48,67,567	-	-	-	48,67,567	24,37,766	3,64,470	-	-	28,02,236	20,65,331	24,29,801
	3 फ्रिज	15%	3,07,985	-	1,65,008	-	4,72,993	1,53,759	23,134	12,376	-	1,89,269	2,83,725	1,54,226
	4 रूम हीटर	15%	10,980	-	31,919	-	42,899	4,421	984	2,394	-	7,799	35,100	6,559
	5 स्कैनिंग मशीन	15%	1,56,750	9,746	-	-	1,66,496	1,17,240	5,927	1,462	-	1,24,628	41,868	39,510
	6 वैक्यूम क्लीनर	15%	7,790			-	7,790	5,986	271	-	-	6,257	1,533	1,804
	7 वीजीए स्विचर और स्प्लिटर	15%	2,12,510	20,678	-	-	2,33,188	87,809	18,705	3,102	-	1,09,616	1,23,572	1,24,701
	8 बीटल ट्विन फोन	15%	10,931	6,509	-	-	17,440	8,266	400	976	-	9,642	7,798	2,665
	9 मोबाइल फोन	15%	2,46,661			-	2,46,661	1,42,301	15,654	-	-	1,57,955	88,706	1,04,360
	10 कोर्डलेस फोन/माइक्रोफोन	15%	8,476	3,08,630	8,29,600	-	11,46,706	6,814	249	1,08,515	-	1,15,578	10,31,128	1,662
	11 फ़ैक्स मशीन	15%	2,29,930	-	-	-	2,29,930	1,71,928	8,700	-	-	1,80,628	49,302	58,002
	12 गीजर	15%	16,042	-	28,000	-	44,042	12,895	472	2,100	-	15,467	28,575	3,147
	13 माइक्रोवेव	15%	13,350	-	22,877	-	36,227	10,574	416	1,716	-	12,706	23,521	2,776
	14 ऑयल फील्ड रेडिएटर	15%	25,365	-	-	-	25,365	19,940	814	-	-	20,754	4,611	5,425
	15 वोल्टेज स्टेबलाइजर	15%	25,950	-	-	-	25,950	20,281	850	-	-	21,131	4,819	5,669
	16 वाटर डिस्पेंशर	15%	20,500	-	-	-	20,500	15,242	789	-	-	16,031	4,469	5,258

क्रं.सं.	विवरण	मूल्यह्रास की दर	ग्रोस ब्लॉक					मूल्यह्रास					नेट ब्लॉक	
			वर्ष के आरंभ में लागत/ मूल्यांकन	वर्ष के दौरान जमा 30.09.2018 तक जमा	वर्ष के दौरान जमा 30.09.2018 के बाद जमा	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	वर्ष के अंत में लागत/मूल्यांकन	वर्ष के आरंभ में स्थिति	वर्ष के दौरान आरंभिक शेष पर	वर्ष के दौरान जमा राशियों पर	वर्ष के दौरान कटौतियों पर	वर्ष के अंत तक का योग	वर्तमान वर्ष के अंत में स्थिति	पिछले वर्ष के अंत में स्थिति
17	ऑडियो कंफ्रेंस सिस्टम	15%	18,17,526	-	-	-	18,17,526	8,84,296	1,39,985	-	-	10,24,281	7,93,246	9,33,230
18	वीडियो कंफ्रेंस सिस्टम	15%	26,72,500	-	-	-	26,72,500	7,00,118	2,95,857	-	-	9,95,975	16,76,525	19,72,383
19	एलसीडी / एलईडी टीवी	15%	31,72,432	21,875	12,16,042	-	44,10,349	16,86,668	2,22,865	94,484	-	20,04,017	24,06,332	14,85,764
20	प्लाज़्मा टीवी	15%	25,68,875	-	-	-	25,68,875	20,28,984	80,984	-	-	21,09,968	4,58,908	5,39,891
21	पंपसेट	15%	28,173	-	-	-	28,173	12,112	2,409	-	-	14,521	13,653	16,061
22	टाटा स्काई और ईपीआरएस सिस्टम	15%	29,495	-	-	-	29,495	22,715	1,017	-	-	23,732	5,764	6,780
23	सीमेंन हाई पाथ 1150 डिजिटल व ऑप्टिपॉइंट	15%	8,61,793	-	-	-	8,61,793	5,72,836	43,344	-	-	6,16,179	2,45,615	2,88,958
24	स्पीकर	15%	1,40,055	-	-	-	1,40,055	21,293	17,814	-	-	39,107	1,00,949	1,18,762
25	डिजिटल कैमरा	15%	83,050	-	-	-	83,050	61,218	3,275	-	-	64,493	18,558	21,832
26	कार्यालय उपकरण	15%	3,81,716	82,550	3,082,412	-	35,46,678	1,27,167	38,182	2,43,563	-	4,08,913	31,37,766	2,54,549
27	ब्लू रे डिस्क प्लेयर	15%	99,000	-	-	-	99,000	72,024	4,046	-	-	76,070	22,931	26,976
28	एल सी डी प्रॉजेक्टर	15%	2,47,950	-	65,975	-	3,13,925	1,54,981	13,945	4,948	-	1,73,875	1,40,051	92,969
29	कूलर	15%	1,23,697	-	42,110	-	1,65,807	72,277	7,713	3,158	-	83,148	82,659	51,420
30	फ्रेंकिंग मशीन	15%	3,44,940	-	-	-	3,44,940	2,42,654	15,343	-	-	2,57,997	86,943	1,02,286
31	विजिकूलर और डीप फ्रीजर	15%	1,07,437	-	44,830	-	1,52,267	72,995	5,166	3,362	-	81,524	70,743	34,442
32	फ़ोन	15%	47,853	-	-	-	47,853	18,299	4,433	-	-	22,732	25,121	29,554
33	टाटा स्काई	15%	7,622	-	-	-	7,622	6,172	218	-	-	6,389	1,233	1,450
34	एयर कंडीशनर	15%	1,95,488	242,729	2,65,000	-	7,03,217	1,15,255	12,035	56,284	-	1,83,574	5,19,643	80,233
35	वॉयस रिकॉर्डर	15%	6,490	-	-	-	6,490	2,803	553	-	-	3,356	3,134	3,687
36	ट्रांसफार्मर	15%	12,53,668	-	-	-	12,53,668	4,83,759	1,15,486	-	-	5,99,246	6,54,422	7,69,909
37	बोरवेल समर सीवेल	15%	55,968	-	-	-	55,968	4,198	7,766	-	-	11,964	44,005	51,770
च	**कंप्यूटर सहायक उपकरण**						-	-	-	-	-	-		
1	कंप्यूटर	40%	2,17,85,464	19,87,202	1,95,799	-	2,39,68,465	1,86,87,475	12,39,196	8,34,041	-	2,07,60,711	32,07,754	30,97,989
2	यू.पी.एस और बैटरी	40%	82,33,221	-	22,500	-	82,55,721	39,28,680	17,21,816	4,500	-	56,54,996	26,00,725	43,04,541
3	प्रिंटर और स्कैनर	40%	52,82,039	238,881	1,078,771	-	65,99,691	32,53,335	8,11,482	3,11,307	-	43,76,123	22,23,568	20,28,704
4	सिस्को 2821 सिक्योरिटी बंडल	40%	1,71,306	-	-	-	1,71,306	1,40,827	12,192	-	-	1,53,019	18,287	30,479
5	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	40%	62,49,848	-	-	-	62,49,848	47,09,949	6,15,960	-	-	53,25,909	9,23,939	15,39,899
6	लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर सिस्टम	40%	2,28,800	-	-	-	2,28,800	2,28,643	63	-	-	2,28,706	94	157
7	नेटवर्किंग उपकरण	40%	28,67,643	-	14,36,272	-	43,03,915	14,65,166	5,60,991	2,87,254	-	23,13,411	19,90,504	14,02,477
8	वेब कैम	40%	1,14,916	-	-	-	1,14,916	54,126	24,316	-	-	78,442	36,474	60,790
9	सर्वर	40%	1,27,34,397	-	-	-	1,27,34,397	1,06,05,826	8,51,428	-	-	1,14,57,255	12,77,142	21,28,571
10	सैन सिस्टम हार्ड डिस्क	40%	35,78,379	-	-	-	35,78,379	15,92,378	7,94,400	-	-	23,86,779	11,91,600	19,86,001
छ	**लाइब्रेरी की किताबें**	40%	47,58,263	18,810	59,779	-	48,36,852	46,52,831	42,173	19,480	-	47,14,484	1,22,367	1,05,432
	कुल(क)		**19,41,30,964**	**1,35,38,882**	**1,59,82,278**	-	**22,36,52,124**	**8,41,47,465**	**2,23,51,684**	**34,41,553**	-	**10,99,40,702**	**11,37,11,431**	**10,99,83,508**
	पिछले वर्ष		12,69,52,741	2,02,01,189	4,75,40,806	5,63,772	19,41,30,964	5,88,40,151	1,48,13,479	1,09,43,757	-	84,5,97,386	10,99,83,508	6,81,12,599

अनुसूची 9 – उद्दिष्ट/अक्षय निधियों से निवेश

(राशि रुपयों में)

	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
1. सरकारी प्रतिभुतियों में	-	-
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	-	-
3. शेयर	-	-
4. डिबैंचर तथा बांड	-	-
5. सब्सिडियरी तथा संयुक्त उद्यम	-	-
6. अन्य (उल्लेख करें)	-	-
योग	-	-

अनुसूची 10 –निवेश – अन्य

	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
1. सरकारी प्रतिभूतियों में	-	-
2. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	-	-
3. शेयर	-	-
4. डिबैंचर तथा बांड	-	-
5. सब्सिडियरी तथा संयुक्त उद्यम	-	-
6. अन्य (उल्लेख करें)	-	-
योग	-	-

अनुसूची 11 वर्तमान परिसंपत्तियाँ, ऋण तथा अग्रिम आदि

(राशि रुपयों में)

	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
क) वर्तमान परिसंपत्तियाँ		
1. मालसूची		
क) स्टोर तथा स्पेयर्स	-	-
ख) औजार	-	-
ग) स्टॉक–इन–ट्रेड		
चालू कार्य – उत्तरी क्षेत्र (सी.एच.ई.बी)	45,90,000	45,90,000
2. छुट–पुट लेनदारियॉं		
क) छह माह से अधिक अवधि के लिए बकाया ऋण	-	-
3. पास में नगदी (चेक/ड्राफ्ट और अग्रदाय सहित)	90,884	90,884
4. बैंक में शेष		
क) अनुसूचित बैंकों में:		
जमा खातों में	2,45,00,65,614	2,12,24,11,739
क्षेत्रीय कार्यालयों के बचत खातों में	6,12,54,794	3,11,27,744

	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
मुख्यालय के बचत खातों में और अन्य	31,73,76,531	16,85,16,196
मियादी जमा से कर की कटौती	2,88,14,230	2,21,73,338
ख) गैर–अनूसूचित बैंकों में	-	
चालू खातों में	-	-
जमा खातों में	-	-
बचत खातों में	-	-
5. डाकघर बचत खाता	-	-
योग(क)	**2,86,21,92,053**	**2,34,89,09,901**

अनुसूची 11 वर्तमान परिसंपत्तियाँ, ऋण तथा अग्रिम आदि (जारी)

(राशि रुपयों में)

	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
ख) ऋण, अग्रिम तथा अन्य परिसंपत्तियाँ		
1.ऋण		
क) स्टाफ	-	-
ख) इस तरह के क्रिया–कलापों/उद्देश्यों में रत अन्य को	-	-
ग) अन्य (उल्लेख)	-	-
2. नकद अथवा अन्य रूप में वसूली योग्य अग्रिम और अन्य राशियाँ या निम्न के रूप में प्राप्त होने वाली राशियाँ		
क) पूंजीगत खातों में	-	-
ख) पूर्व भुगतान से	-	-
ग) अन्य	-	-
प्रतिभूति राशियाँ	1,91,55,227	1,89,15,620
केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन (60% हिस्सेदारी)	7,60,11,398	5,92,27,864
– वित्तीय वर्ष 2018–2019 में दिए गए अग्रिम (अनुबंध I)	7,92,37,805	-
– वित्तीय वर्ष 2017–2018 में दिए गए अग्रिम (अनुबंध I)	1,78,02,899	3,59,75,633
– वित्तीय वर्ष 2016–2017 में दिए गए अग्रिम (अनुबंध I)	72,05,206	82,19,406
– वित्तीय वर्ष 2015–2016 में दिए गए अग्रिम (अनुबंध I)	62,97,428	85,97,428
– वित्तीय वर्ष 2014–2015 में दिए गए अग्रिम (अनुबंध I)	4,68,121	4,68,121
– वित्तीय वर्ष 2013–2014 में दिए गए अग्रिम (अनुबंध I)	1,06,475	1,06,475
– वित्तीय वर्ष 2008–2009 से 2012–13 में दिए गए अग्रिम (अनुबंध I)	1,40,57,916	1,42,12,270
3. उपार्जित आय		
क) उद्दिष्ट/बंदोबस्ती निधियों से किए गए निवेश से		-
ख) निवेश – मियादी जमा से	-	78,19,371
ग) ऋण तथा अग्रिम से	-	-
घ) अन्य		
4. प्राप्ति योग्य दावे	-	-
कुल (ख)	**22,03,42,475**	**15,35,42,188**
कुल (क+ख)	**3,08,25,34,528**	**2,50,24,52,089**

अनुसूची 12 – बिक्री/सेवाओं से आय

	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
1) बिक्री से आय		
क) तैयार माल की बिक्री से		
ख) कच्चे माल की बिक्री से	-	-
ग) रद्दी की बिक्री से	-	-
2) सेवाओं से आय		
क) लाइसेंस शुल्क से	37,71,02,417	29,95,47,518
ख) नमूने परीक्षण शुल्क से	80,89,926	72,35,005
ग) उत्पाद अनुमोदन शुल्क से	47,50,000	25,50,000
घ) आयात के चाक्षुष निरीक्षण से	8,36,49,784	1,92,12,069
योग	**47,35,92,128**	**32,85,44,592**

अनुसूची 13– अनुदान/सब्सिडी

	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1) केंद्रीय सरकार (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार)	2,57,05,00,000	1,83,44,00,000
2) राज्य सरकार		
3) सरकारीएजेंसियां		
4) संस्थान/कल्याण संस्थाएं		
5) अंतर्राष्ट्रीय संगठन		
6) अन्य :		
जोडें : वर्ष के प्रारंभ में अव्ययित शेष	4,45,24,563	2,14,46,253
घटाएंः मंत्रालय को वापस की गई अनुदान राशि	-	-
घटाएंः वर्ष के अंत में अनुदान का अव्ययित शेष	(3,45,32,477)	(4,45,24,563)
घटाएंः वर्ष के दौरान पूंजीकृत अनुदान	-	
	-	-
योग	**2,58,04,92,086**	**1,81,13,21,690**

अनुसूची –14 शुल्क/चंदा

(राशि रुपयों में)

	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
1) प्रवेश शुल्क	-	-
2) वार्षिक शुल्क/चंदा		
3) सेमिनार/कार्यक्रम शुल्क		
4) परामर्श शुल्क		
5) अन्य		
योग	-	-

अनुसूची–15 निवेशों से आय

(राशि रुपयों में)

	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
1) ब्याज		
क) सरकारी प्रतिभूतियों से	-	-
ख) अन्य बांडों और डिबेंचरों से	-	-
2) अन्यः		
–निवेशों से ब्याज	-	-
योग	-	-
उद्दिष्ट बंदोबस्ती निधियों को अंतरित	-	-

अनुसूची 16 – रॉयल्टी, प्रकाशनों इत्यादि से आय

(राशि रुपयों में)

	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
1 रॉयल्टी से आय	-	-
2 प्रकाशनों से आय	-	-
3 अन्य (उल्लेख करें)	-	-
	-	-
कुल	-	-

अनुसूची 17 – अर्जित ब्याज

		वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
1	मियादी जमा राशियों से		
	क) अनुसूचित बैंकों में		
	I बैंक ऑफ बड़ौदा	-	-
	II आई.सी.आई.सी.आई बैंक	19,59,711	-
	III ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	-	-
	IV एयू स्माल फाइनैंस बैंक	86,79,452	-
	V इंडसइंड बैंक	13,36,17,070	9,68,90,646
	ख) ऑटोस्वीप से अर्जित	2,45,07,252	2,08,28,748
	ग) संस्थानों से		
	घ) अन्य से		
2	बचत खातों से		
	क) अनुसूचित बैंकों में	2,51,26,029	92,29,370
	ख) गैर–अनुसूचित बैंकों से		
	ग) डाकघर बचत खातों से		
	घ) अन्यः मंत्रालय को वापस किया गया ब्याज		
3	ऋणों सेः		
	क) कर्मचारी/स्टॉफ को दिए गए ऋणों से		
	ख) अन्य को दिए गए गए ऋणों से		
	कुल	**19,38,89,514**	**12,69,48,764**

अनुसूची 18 – अन्य आय

(राशि रुपयों में)

		वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
1	परिसंपत्तियों की बिक्री/निपटान से लाभ		
	क) स्वामित्व वाली परिसंपत्तियाँ	-	-
	ख) अनुदान से अर्जित या निशुल्क प्राप्त परिसपत्तियाँ	-	-
2	विविध आय		
	प्रयोगशाला परीक्षण और ऑडिटिंगएजेंसी औरएफ.ए.ओ निधि इत्यादि	18,57,270	-
	पूराने अखबारों की बिक्री	13,19,698	6,188
	निविदा फॉर्मों की बिक्री/आवेदन शुल्क/भर्ती शुल्क	1,16,71,568	22,41,007
	आरटीआई शुल्क	10,424	4,986
	अन्य आय	2,75,241	11,00,035
	सीपीएफ प्राप्तियाँ	3,56,034	4,47,402
	कुल	**1,54,90,235**	**37,99,618**

अनुसूची 19– तैयार माल और चालू कार्य के स्टॉक में वृद्धि/(कमी)

		वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
क)	अंत स्टॉक		
	तैयार माल	-	-
	चालू कार्य	-	-
ख)	घटाएँ: आरम्भिक स्टॉक		
	तैयार माल	-	-
	चालू कार्य	-	-
	निवल वृद्धि/(कमी) (क–ख)	**-**	**-**

अनुसूची 20– स्थापना व्यय

	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
क) वेतनएवं मजूदरी	16,18,45,818	14,82,49,942
ख) भत्तेएवं बोनस	-	-
ग) कर्मचारी कल्याण पर व्यय	-	-
घ) छुट्टी वेतन और पेंशन अंशदान	1,95,17,645	2,52,76,896
ड) अन्य	-	
चिकित्सा दावों की प्रतिपूर्ति	11,15,104	11,37,658
कुल	**18,24,78,567**	**17,46,64,496**

अनुसूची 21 - प्रशासनिक खर्च

(राशि रुपयों में)

		वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
क)	मजदूरी और प्रोसेसिंग खर्च	-	-
ख)	बिजलीएवं ऊर्जा	74,40,211	63,27,841
ग)	जल प्रभार	10,44,841	11,10,037
घ)	किराया, दरें और कर	5,18,98,437	5,32,94,249
ड.)	डाक शुल्क और संचार प्रभार	4,97,173	7,40,855
च)	छपाईएवं लेखन–सामग्री (आपूर्ति और सामग्री)	79,20,176	46,37,863
छ)	यात्रा और वाहन व्यय	4,27,24,314	4,12,21,011
ज)	संगोष्ठी / कार्यशालाओं पर खर्च (सीएमएंडएस)	49,25,792	53,08,800
झ)	सदस्यता शुल्क व्यय (कोडेक्स न्यास फंड को अंशदान)	45,67,225	-
ञ)	लेखापरीक्षक का पारिश्रमिक	72,255	92,340
ट)	कानूनी और प्रोफेशनल व्यय	16,03,64,176	14,46,54,147
ठ)	वाल पेंटिंग और पालिशिंग वर्क	-	-
ड)	आईईसी और प्रचार व्यय	4,47,65,341	9,67,57,532
ढ)	कार्यालय व्यय	2,12,07,350	1,11,66,619
ण)	प्रशिक्षण प्रभार	46,10,947	31,00,947
त)	निगरानी	2,21,22,058	521,067
थ)	टेलीफोन और मोबाइल व्यय	23,18,926	19,17,506
द)	मनोरंजन व्यय	1,17,645	87,849
ध)	खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं का सशक्तीकरण (सोफ्टेल)	1,77,26,67,745	1,13,68,85,449
न)	मोटर वाहन व्यय	1,30,13,967	1,24,85,962
प)	लाइब्रेरी व्यय	2,32,858	2,97,193
फ)	अन्य प्रशासनिक व्यय		
	बैंक प्रभार	7,16,244	1,19,181
	इंटरनेट व्यय	79,007	19,092
	सूचना प्रौद्योगिकी व्यय	1,41,02,578	79,56,892
	सदस्यता शुल्क		
	जीएसटी भुगतान	6,42,95,227	-
	अन्य	1,42,94,424	5,12,61,016
ब)	पिछली अवधि का व्यय	-	41,913
कुल		**2,25,59,98,916**	**1,58,00,05,361**

अनुसूची 22 – मरम्मतएवं रख-रखाव व्यय

(राशि रुपयों में)

		वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
मरम्मतएवं रख–रखाव			
i)	ए.सी प्लांट, कंप्यूटरोंएवं अन्य उपकरणों की मरम्मतएवं रख–रखाव	2,18,73,730	2,30,18,508
ii)	वाहन मरम्मत, प्रचालनएवं रख–ररखाव	-	-
iii)	अन्य	-	-
	कुल	**2,18,73,730**	**2,30,18,508**

अनुसूची 23– अनुदानों, सब्सिडी इत्यादि पर व्यय

(राशि रुपयों में)

	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
क) संस्थानों/संगठनों को दिया गया अनुदान (रेफरल लैब, पुणे और सी.एफ.टी.आर.आई, मैसूर)	1,74,81,160	1,02,01,800
ख) संस्थानों/संगठनों को दी गई सब्सिडी	-	-
कुल	**1,74,81,160**	**1,02,01,800**

अनुसूची 24 – मूल्यह्रास

	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
स्थायी परिसंपत्तियों का	2,57,93,237	2,57,57,236
कुल	**25,79,23,237**	**2,57,57,236**
घटाएँः स्थायी परिसंपत्ति निधि को अंतरित	**-**	**-**
कुल	**2,57,93,237**	**2,57,57,236**

अनूसूची 25 – चुकाए गए ब्याज

	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
क) सावधि ऋणों पर	-	-
ख) अन्य ऋणों पर	-	-
ग) अन्य– सीपीएफ पर ब्याज	-	-
कुल	**-**	**-**

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण
यथा 31.03.2019 के तुलन पत्र अंगस्वरूप अनुसूचियाँ

अव्ययित अनुदानों का नकदी आधार पर निरूपण

(राशि रुपयों में)

		2018-19	2017-18
	आखिरी दिन नकदी और बैंक शेष	31,74,67,415	16,86,07,080
	क्षेत्रीय कार्यालय में शेष	6,12,54,794	3,11,27,744
जोड़ें	मियादी जमा में निवेश	2,45,00,65,614	2,12,24,11,739
जोड़ें	मियादी जमा पर प्रतिदेय टीडीएस	2,88,14,230	2,21,73,338
घटाएं	न चुकाई गई देनदारियॉं	4,68,66,687	21,84,49,893
घटाएं	वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरानएफएसएसएआई का आंतरिक अर्जन	69,48,57,443	-
घटाएं	वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरानएफएसएसएआई का आंतरिक अर्जन	48,33,09,517	48,33,09,517
घटाएं	वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरानएफएसएसएआई का आंतरिक अर्जन	36,84,12,371	36,84,12,371
घटाएं	वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरानएफएसएसएआई का आंतरिक अर्जन	29,64,62,374	29,64,62,374
घटाएं	वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरानएफएसएसएआई का आंतरिक अर्जन	30,11,59,250	30,11,59,250
घटाएं	वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरानएफएसएसएआई का आंतरिक अर्जन	33,18,78,910	33,18,78,910
घटाएं	वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरानएफएसएसएआई का आंतरिक अर्जन	25,53,25,389	25,53,25,389
घटाएं	वित्तीय वर्ष 2011–12 के दौरानएफएसएसएआई का आंतरिक अर्जन	3,12,84,900	3,12,84,900
घटाएं	वित्तीय वर्ष 2010–11 के दौरानएफएसएसएआई का आंतरिक अर्जन	71,96,249	71,96,249
घटाएं	वित्तीय वर्ष 2009–10 के दौरानएफएसएसएआई का आंतरिक अर्जन	49,83,589	49,83,589
घटाएं	वित्तीय वर्ष 2008–09 के दौरानएफएसएसएआई का आंतरिक अर्जन	13,32,896	13,32,896
	वर्ष का अव्ययित अनुदान (वर्तमान देयता)	**3,45,32,477**	**4,45,24,563**
	वर्ष के आरंभ में प्राप्त अनुदान	2,57,05,00,000	1,83,44,00,000
जोड़ें	वर्ष के आरंभ में अव्ययित शेष	4,45,24,563	2,14,46,253
घटाएं	वर्ष के अंत में अव्ययित शेष	(3,45,32,477)	(4,45,24,563)
घटाएं	वर्ष के दौरान पूंजीकृत अनुदान	-	-
घटाएं	मंत्रालय को वापस किया गया अनुदान	-	-
	मंत्रालय से आय के रूप में प्राप्त अनुदान	**2,58,04,92,086**	**1,81,13,21,690**
क्रं.स.	**एफ.एस.एस.ए.आई को वर्ष के दौरान अनुदान के अलावा प्राप्त अन्य निधियाँ**	**2018-19**	**2017-18**
1	लाइसेंस शुल्क	37,71,02,417	29,95,47,518
2	उत्पाद अनुमोदन	47,50,000	25,50,000
3	नमूना परीक्षण	2,03,27,763	2,70,48,910
4	आयातित नमूनों का चाक्षुष निरीक्षण	8,36,49,785	1,92,12,069
5	बैंक ब्याज	2,51,26,029	92,29,370
6	ऑटो स्वीप ब्याज/मियादी जमा पर ब्याज	16,87,63,485	10,99,00,023
7	आरटीआई शुल्क	10,424	4,986
8	समाचार पत्रों/रद्दी की बिक्री	13,19,698	6,188
9	निविदा की लागत/आवेदन शुल्क	1,16,71,568	22,41,007
10	अध्यक्ष की सीपीएफ रसीदें	3,56,034	4,47,402
11	विविध रसीदें	21,32,511	11,00,035
12	जमानती राशि/पेशगी	11,64,493	30,26,676
13	पिछली अवधि का समायोजन	-	857,337
14	पुराने चेक	(24,27,880)	27,10,183
15	वेतन से वैधानिक कटौती	6,85,167	42,48,448
16	बैंक द्वारा गलत क्रेडिट	-	11,79,365
17	पिछले साल से संबंधित विविध रसीदें	2,25,950	-
		69,48,57,443	**48,33,09,517**

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण
01.04.2018 से 31.03.2019 तक की अवधि की प्राप्तियां और भुगतान

(राशि रुपयों में)

क्रं.स.	प्राप्तियां	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
I	**आरंभिक शेष**		
	क) पास में नकदी	90,884	90,884
	ख) बैंक शेष		
	i) सेविंग बैंक खाता	19,96,43,940	25,46,00,053
	ii) करंट अकाउंट		
	iii) मियादी खाता		
II	**प्राप्त अनुदान**		
	क) भारत सरकार से		
	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	2,57,05,00,000	1,83,44,00,000
III	**निम्नलिखित से निवेशों पर आय**		
	क) उद्दिष्ट/बंदोबस्ती निधि	-	-
	ख) अपनी निधियाँ (अन्य निवेश)	-	-
IV	**प्राप्त ब्याज**		
	बैंक में जमा राशियों से (ऑटोस्वीप)	2,45,07,252	2,08,28,748
	बैंक में जमा राशियों से (एफडीआर+बचत)	16,93,82,262	9,83,00,645
	ऋणों, अग्रिमों इत्यादि पर	-	-
V	**लाइसेंसधारियों से हुई आय**		
	लाइसेंस शुल्क	37,71,02,417	29,95,47,518
	नमूना परीक्षण शुल्क	80,89,926	72,35,005
	उत्पाद अनुमोदन	47,50,000	25,50,000
	आयातित उत्पादों का चाक्षुष निरीक्षण	8,36,49,785	1,92,12,069
VI	**निवेश का नकदीकरण**	2,12,24,11,739	1,33,80,37,436
VII	**प्राप्त टीडीएस**		
	अनुबधों पर	-	-
	किराये पर	-	-
	प्रोफेशनल पर	-	9,66,227

क्रं.स.	प्राप्तियां	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
	वेतन पर	-	4,89,566
VIII	**समायोजित अग्रिम**		
	कर्मचारी	54,83,040	47,14,291
	सप्लायरध्अन्य	5,41,24,356	15,08,85,910
IX	**अन्य कोई प्राप्ति**		
	आरटीआई शुल्क	10,424	4,986
	समाचारपत्रों / रद्दी की बिक्री	13,19,698	6,188
	निविदा फार्म / आवेदन की बिक्री	1,16,71,568	22,41,007
	विविध आय	21,32,511	11,00,035
	बैंक द्वारा गलत जमा	-	11,79,365
	अन्य प्राप्तियां	3,56,034	4,47,402
X	**ठेकेदार द्वारा ईएमडी/प्रतिभूति जमा**	17,33,100	35,06,676
XI	**वेतन से कटौती**	2,42,57,906	42,48,448
XII	**पूराने चेक**	9,57,020	32,24,080
XIII	**प्रत्यायित प्रयोगशालाएं**	41,08,14,583	12,99,63,580
	कुल	**6,07,29,88,445**	**4,17,77,80,119**

(राशि रुपयों में)

क्रम सं	भुगतान	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
I	**व्यय**		
	क) स्थापना व्यय (अनुसूची 20 के संगत)	14,89,65,350	14,70,15,365
	ख) प्रशासनिक व्यय (अनुसूची 21 के संगत)	2,23,92,80,292	1,34,23,54,829
	ग) मरम्मत और रख–रखाव पर व्यय (अनुसूची 22 के संगत)	1,95,95,286	2,15,82,923
	घ) अन्य व्यय	21,00,21,680	11,54,820
II	**दिए गए अनुदान**		
	सहायता अनुदान	1,74,81,160	1,02,01,800

क्रम सं	भुगतान	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
III	**निवेश और जमा**		
	क) उद्दिष्ट बंदोबस्ती निधियों से		
	ख) अपनी निधियों से (निवेश – अन्य)	2,45,00,65,614	2,12,24,11,739
IV	**स्थायी परिसंपत्तियों और चालू पूँजीगत कार्यों पर व्यय**		
	क) स्थायी परिसंपत्तियों की खरीद	2,95,21,160	6,77,41,995
	ख) चालू पूँजीगत कार्यों पर व्यय		
V	**कर्मचारियों को अग्रिम**	65,35,271	52,17,618
VI	**आपूर्तिकर्ताओं/अन्य को अग्रिम**	11,11,18,993	10,25,11,698
VII	**टीडीएस जमाराशि**		
	ठेकेदारों पर	22,78,444	14,35,585
	किराये पर	18,53,509	13,74,854
	प्रोफेशनल पर	1,48,65,115	1,19,15,861
	वेतन पर	99,40,478	1,07,17,064
	अन्य जमा राशियों पर	66,40,892	43,33,505
			-
VIII	**ठेकेदार की ई.एम.डी/सिक्योरिटी डिपोजिट**	5,68,607	4,80,000
IX	**वेतन से कटौतियाँ**	2,35,72,739	1,69,32,067
X	**पुराने चेक**	33,84,900	5,13,897
XI	**प्रत्यायित प्रयोगशालाएं**	39,85,76,746	11,01,49,675
XII	**अंतशेष**		
	क) पास में नकदी	90,884	90,884
	ख) बैंक में शेष		
	i) सेविंग बैंक खाते	37,86,31,325	19,96,43,940
	ii) चालू खाते		
	iii) मियादी खाते		
		6,07,29,88,445	**4,17,77,80,119**

सहायक निदेशक (वित्त, लेखाएवं बजट)

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,एफ.एस.एस.ए.आई

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 28.6.2019

31.03.2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के वित्तीय लेखों की अंगस्वरूप अनुसूचियाँ

अनुसूची 26 – महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

1. **लेखांकन परंपरा**

अन्यथा वर्णित न होने पर वित्तीय विवरणऐतिहासिक लागत परंपरा और लेखांकन की उपार्जन पद्धति के आधार पर तैयार किए जाते हैं।

2. **राजस्व मान्यता**

लाइसेंस शुल्क, उत्पाद अनुमोदन शुल्क और नमूना परीक्षण शुल्क इत्यादि को प्राप्ति होने पर मान्यता दी जाती है। अन्य आय को उपार्जन के आधार पर माना जाता है। बचत बैंक खातों पर ब्याज को उपार्जन के आधार पर लेखाबद्ध किया जाता है।

3. **निवेश**

''दीर्घकालीन निवेशों'' के तौर पर वर्गीकृत निवेश लागत आधार पर वहन किए जाते हैं। अस्थायी निवेश के अलावा अन्य ह्रास के लिए प्रावधान इस तरह के निवेश की लागत में किया जाता है। ''चालू'' वर्गीकृत निवेश न्यून लागत और उचित मूल्य जो कम हो पर वहन किए जाते हैं।ऐसे निवेशों के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान प्रत्येक निवेश के लिए अलग से किया जाता है, न कि वैश्विक आधार पर । लागत में दलाली, अंतरण स्टाम्प जैसे अधिग्रहण व्यय शामिल होते हैं।

4. **स्थायी परिसंपत्तियाँ**

स्थायी परिसंपत्तियाँ अर्जन की लागत में संचित मूल्य ह्रास घटाकर आवक भाड़ा, शुल्क और करों और अर्जन से संबंधित आकस्मिक और आनुषंगिक खर्च शामिल करके दर्शायी जाती हैं। निर्माण–निहित परियोजनाओं के संबंध में परिसंपत्तियों के मूल्य के भाग रूप में, संबंधित पूर्व–प्रचालन खर्च (समापन से पूर्व विशिष्ट परियोजना हेतु ऋण पर ब्याज सहित) को पूंजीबद्ध किया जाता है।

संचित कोश के अतिरिक्त गैर–मौद्रिक अनुदानों के माध्यम से प्राप्त स्थायी परिसंपत्तियाँ कैपिटल रिजर्व में जमा दर्शाते हुए उल्लिखित मूल्य पर पूंजीबद्ध की जाती हैं।

5. **मूल्य ह्रास**

मूल्य ह्रास का प्रावधान आयकर अधिनियम के प्रावधानोंएवं ह्रासित मूल्य पद्धति के आधार पर और उनमें निर्दिष्ट दरों के अनुसार किया जाता है। वर्ष के दौरान स्थायी परिसंपत्तियों में वृद्धि/कमी के संबंध में मूल्य ह्रास पर तदनुसार विचार किया जाता है।

6. **मालसूची का मूल्य-निर्धारण**

स्टेशनरी, उपभोज्य वस्तुओं, प्रकाशन और अन्य स्टोर सामग्री की खरीद पर खर्च का लेखांकन राजस्व व्यय में किया जाता है।

7. विविध व्यय

आस्थगित राजस्व खर्च को खर्च की तिथि से 5 वर्ष की अवधि में बट्टे खाते में डाला जाता है।

8. सरकारी अनुदान

8.1 सरकारी अनुदानों का लेखांकन वसूली आधार पर किया जाता है। परंतु वित्तीय वर्ष से संबंधित अनुदान जारी होने की स्वीकृति 31 मार्च से पहले प्राप्त हो जाने और अनुदान वास्तव में अगले वित्तीय वर्ष में प्राप्त होने पर उसका लेखांकन उपार्जन आधार पर किया जाता है और समान राशि को वसूली योग्य दर्शाया जाता है।

8.2 पूंजीगत प्रकृति के सरकारी अनुदानों को प्राप्ति आधार पर माना जाता है और उन्हें निधि आधारित लेखांकन के अनुसार उद्दिष्ट/अक्षय निधि के अंतर्गत पूजीगत अनुदान के रूप में दर्शाया जाता है।

8.3 राजस्व खर्च को पूरा करने हेतु सरकारी अनुदानों को उपयोग किए जाने की सीमा तक, उस वर्ष की आय माना जाता है जिसमें वे प्राप्त हुए होते हैं।

8.4 नकद आधार पर संगणित अप्रयुक्त अनुदानों को आगे ले जाया जाता है और उन्हें तुलन पत्र में देयता के रूप में दिखाया जाता है।

9. विदेशी मुद्रा लेन-देन

9.1 विदेशी मुद्रा में लेन–देन का लेखांकन लेन–देन की तिथि को प्रचलित विनियम दर पर किया जाता है।

9.2 चालू परिसंपत्तियों, विदेशी मुद्रा ऋणों और चालू देयताओं को वर्ष के अंत में प्रचलित विनिमय दर पर परिवर्तित किया जाता है और परिणामतः लाभ/हानि का, विदेशी मुद्रा देयता स्थिर परिसंपत्तियों से संबंधित होने पर स्थायी परिसंपत्तियों की लागत से समायोजन किया जाता है। उसे अन्य मामलों में राजस्व माना जाता है।

अनुसूची 27 – आकस्मिक देयताएँ और लेखों पर टिप्पणियाँ

क. आकस्मिक देयताएँ

1. आकस्मिक देयताएँ

1.1	ऋण न माने गए प्राधिकरण के विरुद्ध दावे	–	रु. शून्य (पिछले वर्ष रु. शून्य)
1.2	निम्न के संबंध में –		
	– प्राधिकरण द्वारा/की ओर से दी गई बैंक गारंटी	–	रु. शून्य (पिछले वर्ष रु. शून्य)
	– बैंकों द्वारा डिस्काउंट किए गए बिल	–	रु. शून्य (पिछले वर्ष रु. शून्य)
1.3	निम्न के संबंध में विवादास्पद मांगः		
	– आयकर	–	रु. 9.66 करोड़ (पिछले वर्ष रु. शून्य)
	– बिक्री कर	–	रु. शून्य (पिछले वर्ष रु. शून्य)
	– निगम कर	–	रु. शून्य (पिछले वर्ष रु. शून्य)
1.4	आदेशों के गैर–निष्पादन पर पार्टियों के दावे, किंतु प्रविष्टि द्वारा विवादित	–	रु. शून्य (पिछले वर्ष रु. शून्य)

2. पूंजीगत प्रतिबद्धताएँ

पूंजीगत लेखा में निष्पादन हेतु शेष और गैर–प्रावधान वाले अनुबंधों का अनुमानित मूल्य – रु. शून्य (पिछले वर्ष रु. शून्य)

ख. लेखों पर टिप्पणियाँ

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अधीन स्थापित भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण मेंएक वैधानिक प्राधिकरण है और पूर्णतः भारत सरकार द्वारा वित्त–पोषित है। अतएव इसकी लेखांकन नीतियाँ अधिकांशतः जीएफआर और आरएंडपी नियमों पर आधारित हैं। प्राधिकरण के लेखा सिद्धांत और नीतियाँ संक्षेप में निम्न प्रकार हैं:

1. चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण और अग्रिम

प्रबंधन की राय में चालू परिसंपत्तियों, ऋणों और अग्रिमों का मूल्य सामान्य कार्य–व्यवहार में वसूली पर होता है, जो कम से कम तुलन–पत्र में दर्शाई गई कुल राशि के बराबर होता है। वर्ष के दौरान अग्रिमों में वृद्धि मुख्य तौर पर कर्मचारियों/बाहर की पार्टियों को दिए गए अग्रिमों के कारण है।

कराधान

वित्तीय वर्ष 2014–15 में प्राधिकरण को AAAGF0023K पैन नम्बर मिला।

2. विदेशी मुद्रा लेन-देन

2.1 सी.आई.एफ आधार पर परिकलित आयातों का मूल्यः

तैयार माल की खरीद	शून्य
कच्चा माल और कंपोनेंट (पारगमन सहित)	शून्य
पूंजीगत माल	शून्य
स्टोर, स्पेयर और उपभोज्य सामान	शून्य

2.2 विदेशी मुद्रा में खर्च

1) यात्रा	48,63,720/–
2) वित्तीय संस्थाओं/बैंकों को विदेशी मुद्रा में अदायगी और ब्याज का भुगतान	शून्य
3) अन्य खर्च	
बिक्री पर कमीशन	शून्य
कानूनी और प्रोफेशनल खर्च	शून्य
विविध खर्च	शून्य

2.3 आय

एफओबी आधार पर निर्यातों का मूल्य	शून्य
सेवाओं का मूल्य	शून्य

3. वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति नियंत्रकएवं महालेखापरीक्षक द्वारा प्राधिकरण के लिए लागू किए गए निर्धारित प्रारूप में की गई है।

4. निधियों के स्रोत

प्राधिकरण के बजट में निधियों की प्राप्तियों का वर्गीकरण निम्न प्रकार किया जाता हैः

i) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार से निवल अनुदान

ii) विविध प्राप्तियाँ, जैसे लाइसेंस शुल्क, नमूना परीक्षण शुल्क, बचत बैंक खातों पर ब्याज, मियादी जमा पर ब्याज और अन्य विविध प्राप्तियाँ इत्यादि।

5. स्थायी परिसंपत्ति निधि और भवन निधि

सहायता अनुदानों से अर्जित पूंजीगत परिसंपत्तियों का पूंजीकरण स्थायी परिसंपत्तियों के अंतर्गत संचित कोश के तहत अनुदान का पूँजीकरण करके और साथ–साथ वर्ष के लिए प्राप्त सहायता अनुदान कम करके किया गया है। तदनुसार स्थिर परिसंपत्तियों पर प्रभारित मूल्य ह्रास को निधि– आधारित लेखांकन और मिलान धारणा के अनुसार संबंधित निधि को प्रभारित किया गया है।

6. आँकड़ों का निकटतम पूर्णांकन किया गया है।

7. पिछले वर्ष के आँकड़ों को, जहाँ आवश्यक हो,एजीसीआर द्वारा निर्धारित और सुझाए गए तथा प्राधिकरण द्वारा अंगीकृत प्रारूप के अनुसार पुनः समूहीकृत/पुनः व्यवस्थित करके पुनः तैयार किया गया है।

8. 1 से 27 तक अनुसूचियाँ संलग्न हैं और ये यथा 31.03.2019 के तुलन पत्र और उस तिथि को समाप्त वर्ष के आय और व्यय लेखा की अभिन्न अंग हैं।

अनुंबंध I

वर्ष 2018–19 के दौरान पार्टियों को दिया गया अग्रिम

क्रम सं0	पार्टियों के नाम	राशि
1	आईटीपीओ	4,14,180
2	शट्टर स्टॉक	1,66,793
3	नंबर्गमेसे इंडिया प्रा0 लि0	3,61,080
4	इंदिरा गांधी नैशनल सेंटर	6,36,256
5	ट्रेड प्रोमोशन कौंसिल	7,36,320
6	राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम	77,88,000
7	स्टाफ को अग्रिम	23,59,171
8	मनु पात्र	48,300
9	सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफएडवांस्ड कंप्यूटिंग	53,900
10	डैटा सेंटरएनडीसी	38,59,818
11	होटल अशोक	1,81,333
12	खाद्य सुरक्षा आयुक्त, असम	1,00,000
13	ए.एफ.एस.टी	5,00,000
14	बी.एस.ई.एस	43,595
15	डी.डी.ओ	11,800
16	बॉमरएंड लॉरी	79,00,000
17	कामिनी कंस्ट्रक्शंस	1,36,11,347
18	मनमोहन सिंह	1,56,12,890
19	एन.बी.सी.सी लि0	1,50,00,000
20	कंट्रोलर ऑफ पब्लिकशंस	6,41,400
21	एन.डी.एम.सी	3,22,468
22	मेरकी स्पोर्ट्सएंडएंटरटेनमेंट प्रा0 लि0	30,00,000
23	रसायन प्रौद्योगिकी संस्थान	1,92,500
24	निदेशक, भारतीय आविष विज्ञान संस्थान	5,97,900
25	राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र	99,987
26	भारतीय खाद्य प्रसंस्करण संस्थान	2,93,805
27	सी.एस.आई.आर दृ भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान	5,47,000
28	एन्वॉयरो केअर लैब्स	2,03,000
29	आईयूफोस्ट 2018	17,70,000
30	भारतीय आविष अनुसंधान संस्थान	2,00,000
31	खाद्य और औषध नियंत्रण प्रशासन (डब्ल्यू.एच.ओ निधि)	2,25,000
32	विश्लेषण और पशुधन केंद्र	50,000
33	सी.एफ.टी.आर.आई, मैसूर	2,00,000
34	इंस्टीट्यूट ऑफ सेंट्रल टेक्नोलॉजी	1,60,000
35	निफ्टेम, कुंडली, हरियाणा	1,70,000
36	भारतीय बागवानी संस्था	3,18,500
37	क्वालिटी इवेलुएशन लैब	1,86,098
38	ऑयल लैबोरेटरी विभाग, कोलकाता	2,14,113
39	बी.आई.एस निट्स	36,108
40	आई.सी.ए.आर यूनिट सी.आई.एफ.टी कोचीन	3,00,000
41	इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैदराबाद	1,25,143
	योग	**7,92,37,805**

वर्ष 2017–18 के दौरान पार्टियों को दिया गया अग्रिम

क्र.सं.	पार्टियों के नाम	राशि
1	स्टॉफ को अग्रिम	5,67,513
2	एल्पकोर्ड नेटवर्क	27,882
3	एपिडा	1,57,500
4	बी.आई.एस निट्स	1,16,323
5	केन्द्रीय मत्स्य प्रौद्योगिकी संस्थान	2,47,500
6	डिप्टी जनरल भारतीय परिषद	10,982
7	विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय	45,50,467
8	निर्यात निरीक्षण अभिकरण, मुम्बई	1,17,500
9	भारत व्यापार संवर्धन संगठन	19,70,552
10	रसायन प्रौद्योगिकी संस्थान	1,50,000
11	आर्थिक विकास संस्थान	2,35,000
12	मनमोहन सिंह कान्ट्रेक्टर	50,01,454
13	स्वास्थ्यएवं परिवार कल्याण मंत्रालय	7,650
14	एन.ए.बी.एल, नई दिल्ली	94,400
15	राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान	1,60,000
16	राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद	7,080
17	राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केन्द्र	4,14,000
18	एन.एन.एस इवेंट्सएंडएक्जीबिशन	7,25,417
19	पी.सी.आई.एमएंडएच	2,000
20	स्कॉच कंसल्टेंसी	1,53,400
21	भारतीय खेल प्राधिकरण	19,99,939
22	भारत व्यापार संवर्धन परिषद	7,96,500
23	व्यापार संवर्धन संगठन, मुम्बई	2,89,840
	कुल	**1,78,02,899**

वर्ष 2016–17 के दौरान पार्टियों को दिया गया अग्रिम

क्र.सं0	पार्टियों के नाम	राशि
1	एन.आई.सी.एस.आई	14,79,820
2	एन.आई.सी.एस.आई	13,479
3	स्टॉफ को अग्रिम	4,65,636
4	सहायक निदेशक संपदा (रोकड़)	1,35,000
5	सहायक निदेशक संपदा (रोकड़)	15,000
6	बॉमरएंड लारी	1,29,906
7	केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी कल्याणएसोसिएशन	62,000
8	सेंटर फॉर साइंसएंडएन्वायरनमेंट	550
9	चिल्ड्रन्स बुक ट्रस्ट	2,292
10	कन्फेडरेशन आफ इंडियन इंडस्ट्री	8,000
11	नियंत्रक, खाद्यएवं औषध प्रशासन	1,12,000
12	सी.पी.डब्ल्यू.डी	1,62,104
13	एन.ए.बी.एल के लिए डी ओ मुम्बई	65,510
14	दीन दयाल उपाध्याय	10,20,983
15	विज्ञापनएवं दृश्य प्रचार निदेशालय	11,28,521

क्र.सं0	पार्टियों के नाम	राशि
16	महानिदेशालय भारतीय चिकित्सा परिषद	638
17	आई.आई.सी.ए	25,000
18	भारत व्यापार संवर्धन संगठन	2,67,168
19	इंडियन फूड पैकर	5,000
20	आर्थिक विकास संस्थान	2,35,000
21	मनुपात्र इंफोर्मेशन सोल्यूशन प्रा.लि.	47,081
22	एन कोड सोल्यूशन	13,800
23	नैशनल बुक ट्रस्ट	2,156
24	एन.आई.पी.एच.एम	1,99,308
25	प्रगति इंडियन ऑयल	22,576
26	अध्यक्ष, नराकास, दिल्ली	1,000
27	राजस्थान इलेक्ट्रोनिक्स	49,328
28	संचालक आर.सी.वी.पी नोरोन्हा प्रशासन अकादमी, भोपाल	68,950
29	एस.एच.एस.बीएन.आर.एच.एम–बी	64,400
30	स्कॉच कंसल्टेंसी सर्विसिस प्रा.लि.	1,38,000
31	भारतीय खेल प्राधिकरण	12,65,000
	योग	**72,05,206**

वर्ष 2015–16 के दौरान पार्टियों को दिया गया अग्रिम

क्र.सं.	पार्टियों के नाम	राशि
1	विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय	54,72,119
2	दीन दयाल उपाध्याय संस्थान	57,000
3	स्टाफ को अग्रिम	3,58,170
4	टाटा स्काई	11,770
5	एफ.सी.आई, मुम्बई	2,00,000
6	केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी कल्याणएसोसिएशन	35,000
7	नैशनल इंफोर्मेटिक्स सेंटर सर्विसिस	1,63,369
	योग	**62,97,428**

वर्ष 2014–15 के दौरान पार्टियों को दिया गया अग्रिम

क्रम सं0	पार्टियों के नाम	राशि
1	विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय	4,647
2	स्टाफ को अग्रिम	1,03,489
3	टाटा स्काई	22,190
4	प्रगति इंडियन ऑयल	21,840
5	केंद्रीय मत्स्य प्रौद्योगिकी संस्थान	1,50,000
6	निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ (लक्षद्वीप)	62,750
7	ग्रामीण प्रबंधन संस्थान, आणंद	35,955
8	एफ.डी.ए, छत्तीसगढ़	67,250
	योग	**4,68,121**

वर्ष 2013-14 के दौरान पार्टियों को दिया गया अग्रिम

इन्वाइस सं0	पार्टियों के नाम	राशि
1	विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय	47,575.00
2	मनुपात्र	46,000.00
3	टाटा स्काई	9,900.00
4	राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद	1,000.00
5	सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान	2,000.00
	योग	**1,06,475.00**

वित्तीय वर्ष 2008-2009 से 2012-13 के दौरान पार्टियों को दिया गया अग्रिम

क्र.सं.	पार्टियों के नाम	राशि
1	ए.बी.पी प्रा. लि.	14,134.00
2	अखिल भारतीय खाद्य प्रसंस्करणएसोसिएशन	2,167.00
3	प्राधिकृत अधिकारी, चेन्नई	10,000.00
4	प्राधिकृत अधिकारी, जे.एन.पी.टी, न्हावा शेवा	10,000.00
5	प्राधिकृत अधिकारी, समुद्री पत्तन, चेन्नई	10,000.00
6	बैग फुल	1,200.00
7	खाद्य सुरक्षा आयुक्त, जम्मू और कश्मीर	2,45,073.00
8	कंफेडरेशन आफ इंडियन इंडस्ट्री	18,50,000.00
9	कंज्यूमरएसोसिएशन आफ इंडिया चेन्नई	58,148.00
10	डी.जी. अकादमी ऑफएडमिनिस्ट्रेशन, भोपाल	90,000.00
11	दक्षएज्युकेशनएंड वेल्फेयर सोसायटी	2,64,900.00
12	दीन दयाल उपाध्याय	2,34,008.00
13	विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय (डी.ए.वी.पी)	44,56,977.00
14	उप निदेशकएस.पी.आई.पी.ए, अहमदाबाद	1,002.00
15	फिक्की	79,750.00
16	महा सचिव, दिल्ली टेलीग्राफ अकादमी	50,000.00
17	एच.एस.सी.सी. इंडिया लि.	16,414.00
18	भारत व्यापार संवर्धन संगठन	2,00,000.00
19	भारतीय प्रबंधन संस्थान, बंगलौर	4,37,698.00
20	राष्ट्रीय पोषण संस्थान	47,43,444.00
21	एस.एस. बिल्डकोन प्रा. लि., गाजियाबाद	2,00,000.00
22	स्टेट हैल्थ सोसायटी (आई.डी.एस.एल), जयपुर	4,56,400.00
23	यू.ए.एच.एफ.डब्ल्यू.एस फूड सेफ्टीएंड स्टेंडर्ड्स, देहरादून	1,61,600.00
24	उप निदेशक चेन्नई	1,10,000.00
25	उप निदेशक (एफएंड वी.पी),एन.बी.सी.सी	44,394.00
26	उप निदेशक गुवाहाटी	10,000.00
27	उप निदेशक, कोलकाता	62,336.00
28	उप निदेशक मुंबई	90,000.00
29	स्टाफ को अग्रिम	1,48,271.00
	योग	**1,40,57,916.00**

कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय व्यय)
Office of the Director General of Audit, (Central Expenditure)
इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली–110 002
Indraprastha Estate, New Delhi-110002

सत्यमेव जयते

पत्र संख्याः ए.एम.जी. II/एस.ए.आर./एफ.एस.एस.ए.आई./7-17/2019-20/... दिनांकः 10.01.2020

सेवा में,
सचिव, भारत सरकार,
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय,
निर्माण भवन,
नई दिल्ली-110011.

विषय : वर्ष 2018-19 के लिए भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली के लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

मैं, **भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली** के वर्ष 2018-19 के प्रमाणित वार्षिक लेखे की प्रति, उसके पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र की प्रति संसद के पटल पर रखने के लिए संलग्न करता हूँ ।

संसद को प्रस्तुत कर दस्तावेज की दो प्रतियाँ उस तिथि को दर्शाते हुए, जब वे संसद को प्रस्तुत किए गए थे, इस कार्यालय को तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, 9 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110124. को भेजी जाएं।

कृपया यह सुनिश्चित किया जाए कि पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को संसद के दोनो सदनों के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले वार्षिक लेखाओं को शासी निकाय (Governing body) द्वारा अनुमोदित कर लिया गया है तथा यह भी सुनिश्चित करें कि वर्ष 2018-19 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षा प्रमाण पत्र को संसद के पटल पर रखने से पहले सभी पूर्व वर्षो के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र संसद के पटल पर प्रस्तुत किये जा चुके है ।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद एवं इससे जारी करने से सम्बन्धित सभी कार्यो को आपके निकाय द्वारा किया जाना ही अपेक्षित है । पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद जारी करते समय निम्नलिखित अस्वीकरण **(disclaimer)** अंकित करें ।

"प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा।"

अनुलग्नकः यथोपरि

भवदीय,

– ह०/-

(प्रवीण कुमार सक्सेना)
उप-निदेशक (ए.एम.जी.-II)

Ph. : +91-11-23454100
Fax : +91-11-23702271
DGACR Building, I.P. Estate, New Delhi - 110002
E-mail : dgace@cag.gov.in

पत्र संख्याः ए.एम.जी. II/एस.ए.आर./एफ.एस.एस.ए.आई./7-17/2019-20/902 दिनांकः 10.01.2020

पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र की प्रति **श्री रीता तेयोटिया, अध्यक्ष, भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, एफडीए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली- 110002.** को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित की जाती है।

संसद को प्रस्तुत दस्तावेंजो की दो प्रतियाँ उस तिथि को दर्शाते हुए जब वे संसद को प्रस्तुत किए गए थे, इस कार्यालय को तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, नई दिल्ली-110124 को भेजी जाएं।

अनुलग्नकः **यथोपरि**

प्रवीण सक्सेना 10/1/2020

(प्रवीण कुमार सक्सेना)
उप-निदेशक (ए.एम.जी.-II)

पत्र संख्याः ए.एम.जी. II/एस.ए.आर./एफ.एस.एस.ए.आई./7-17/2019-20/ दिनांकः

भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली की पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र सहित **महानिदेशक (रिपोर्ट स्वायत्त निकाय), भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, 9 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110124.** को अग्रेषित की जाती है।

यह महानिदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय व्यय) के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है ।

अनुलग्नकः **यथोपरि**

-हस्ता-

(प्रवीण कुमार सक्सेना)
उप-निदेशक (ए.एम.जी.-II)

भारत के नियंत्रकएवं महा लेखापरीक्षक का भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के लेखों पर 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष का पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

हमने नियंत्रकएवं महा लेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँएवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 (2) के अंतर्गत भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (प्राधिकरण) की यथा 31 मार्च, 2019 की संलग्न बैलेंस शीट तथा उस तिथि को समाप्त वर्ष के आयएवं व्यय और प्राप्तियों तथा भुगतान लेखों का ऑडिट किया है। ये वित्तीय विवरणियाँ प्राधिकरण के प्रबंधन की जिम्मेदारी हैं। हमारी जिम्मेदारी अपने ऑडिट के आधार पर इन वित्तीय विवरणियों पर अपनी राय व्यक्त करना है।

2. इस पृथक ऑडिट रिपोर्ट में भारत के नियंत्रकएवं महा लेखापरीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियाँ वर्गीकरण, उत्तम लेखांकन रीतियों, लेखांकन मानकों और प्रकटीकरण के मानदंडों से अनुरूपता के संबंध में केवल लेखांकन संव्यवहार इत्यादि के बारे में हैं। विधियों, नियमोंएवं विनियमों (औचित्यएवं नियमितता) के अनुपालन में वित्तीय लेन–देनों और दक्षता–सह–कार्यकारिता पहलुओं इत्यादि, यदि कोई हों, के ऑडिट अवलोकनों की रिपोर्ट निरीक्षण रिपोर्टों/सीएजी ऑडिट रिपोर्टों के माध्यम से अलग से दी जाती है।

3. हमने यह ऑडिट भारत में सामान्यतः मान्य लेखांकन मानकों के अनुसार किया है। इन मानकों में अपेक्षा है कि हम अपने ऑडिट की योजना इस प्रकार बनाएँ और उसे इस प्रकार करें कि हमें वित्तीय विवरणियाँ वस्तुपरक गलत टिप्पणियों से मुक्त होने के बारे में तार्किक आश्वासन मिल जाए। ऑडिट में वित्तीय विवरणियों में राशि के समर्थन में साक्ष्यों और प्रकटनों का परीक्षण के आधार पर जाँच करना शामिल होता है। ऑडिट में प्रबंधन द्वारा लेखांकन के लिए प्रयुक्त सिद्धांतों और सार्थक अनुमानों के आकलन के साथ–साथ वित्तीय विवरणियों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी शामिल होता है। हम समझते हैं कि हमारी ऑडिट हमें अपनी राय रखने के लिए तर्कसंगत आधार प्रदान करती है।

4. अपने ऑडिट के आधार पर हम रिपोर्ट करतें हैं किः–

i) हमने वे सभी सूचनाएँ और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के आधार पर हमारे ऑडिट प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे।

ii) इस रिपोर्ट में शामिल बैलेंस शीट, आयएवं व्यय और प्राप्तियोंएवं भुगतान के लेखे भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित लेखों केएक समान प्ररूप के अनुसार तैयार किए गए हैं।

iii) हमारे विचार में प्राधिकरण द्वारा उपयुक्त लेखा बहियाँ और अन्य संबंधित रिकार्ड रखे गए हैं, जोऐसी बहियों की हमारी जाँच से देखने में आया है।

iv) हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि:–

1. **बैलेंस शीट**

क.1. देयताएँ

क.1.1 वर्तमान देयताएँ और प्रावधान (अनुसूची–7): रूपये 16.49 करोड़

क.1.1.1 वर्ष 2012–13 से 2015–16 तक उत्पाद अनुमोदन योजना के अंतर्गत 18.19 करोड़ रुपये की राशि शुल्क के रूप में वसूली गई थी, जो वापसी योग्य नहीं बताई गई थी। तथापि, उत्पाद अनुमोदन योजना को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 19 अगस्त, 2015 को समाप्त कर दिया गया था। उस समय प्राधिकरण के पास 1876 आवेदन लंबित थे। उनका शुल्क आवेदकों को वापस नहीं किया गया था और उसे प्राधिकरण के पिछले वर्ष के लेखों में प्राप्तियों के रूप में मान लिया गया। चूँकि ये आवेदन निरस्तीकरण अथवा अनुमोदन के निर्णय के लिए लंबित थे, इनके लिए प्राप्त शुल्क को लेखों में देयताओं के रूप में दिखाया जाना चाहिए था। इस प्रकार प्राधिकरण की देयता रुपये 4.50 करोड़ (1800X25000) कम दिखाई गई और कोर्पस/पूँजीगत निधि उतनी ही अधिक बताई गई।

क.1.1.2 वार्षिक लेखों की अनुसूची 7 (अर्जित ब्याज) के अनुसार वर्ष 2018–19 के दौरान प्राधिकरण ने रु. 19.39 करोड़ का ब्याज अर्जित किया, जिसमें रु. 2.30 करोड़ का ब्याज स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से प्राप्त सहायता–अनुदान (जी०आई०ए०) से अर्जित हुआ। आगे, वर्ष 2018–19 के उपयोग प्रमाण–पत्र के अनुसार प्राधिकरण को पिछले वर्ष के जी.आई.ए की अव्ययित राशि पर रु. 3.02 करोड़ का ब्याज अर्जित हुआ।

जी.आई.ए से अर्जित ब्याज मंत्रालय को वापस किया जाना अपेक्षित होता है और उसे देयता के रूप में माना जाना होता है, परंतु उसे प्राधिकरण की आय के रूप में शामिल किया गया है। इससे चालू देयताएँ रु. 5.32 करोड़ कम और इतनी ही राशि की आय अधिक दिखाई गई है।

क.1.1.3 रु. 3.56 लाख की राशि 'अन्य आय – अनुसूची 18' में देयता की बजाय सी.पी.एफ प्राप्ति के रूप में दिखाई गई है। इससे रु. 3.56 लाख की आय अधिक और इतनी ही राशि की देयता कम दिखाई गई है।

क.2 परिसम्पत्तियाँ

क.2.1 अचल परिसम्पत्तियाँ (अनुसूची–8): रूपये 11.37 करोड़

क.2.1.1 'अनुसूची 11 वर्तमान परिसम्पत्तियाँ' के अंतर्गत प्राधिकरण ने उत्तरी क्षेत्र, केंद्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो (सी.एच.ई.बी) में रु. 0.46 करोड़ का चालू कार्य दिखाया है। यह क्षेत्र में चालू सिविल कार्य से संबंधित है। लेखों केएकरूप प्रारूप के अनुसार इसे वर्तमान परिसम्पतियों की बजाय स्थायी अचल परिसम्पत्तियों के अंतर्गत चालू पूँजीगत कार्य के रूप में दिखाया जाना चाहिए था। इससे स्थायी परिसंपत्तियों के अंतर्गत चालू पूँजीगत कार्य रु. 0.46 करोड़ कम दर्शाया गया है और वर्तमान पि.

रसंपत्तियाँ, ऋण और अग्रिम इतनी ही राशि के अधिक दर्शाए गए हैं।

क.2.2 वर्तमान परिसंपत्तियाँ, ऋण, अग्रिम इत्यादि (अनुसूची 11) – रु. 308.25 करोड़

क.2.2.1 ऑडिट ने देखा कि प्राधिकरण ने अपनी विभिन्न गतिविधियों के संचालन के लिए तीन बैंक खातों के बैलेंस नहीं दर्शाए हैं/शामिल नहीं किए हैं। गतिविधि अनुसार ये बैंक बैलेंस निम्न प्रकार हैं:

(राशि रुपयों में)

क्रम सं0	बैंक खाता सं0/बैंक	बैंक खाते की गतिविधि	यथा 31.03.2019 को शेष राशि
1	038601002307/ आईसीआईसीआई बैंक	खाद्य पौष्टिकीकरण संसाधन केंद्र (एफ.एफ. आर.सी) स्थापित करने और चलाने के लिए टाटा ट्रस्ट्स से राशि प्राप्त करने हेतु।एफ.एफ. आर.सी का प्रमुख ध्येय विटामिनों और खनिजों की कमी दूर करना है।	12,28,141
2	038601002456/ आईसीआईसीआई बैंक	लघु खाद्य हैंडलरों के पंजीकरण के लिए अभिनामित कॉमन सर्विस सेंटरों पर संचित राशि प्राप्त करने के लिए	2,33,66,707
3	038601002194/ आईसीआईसीआई बैंक	प्राधिकरण द्वारा खाद्य सुरक्षा, खाद्य अपमिश्रण निवारण और स्वास्थ्यकर आहारों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए स्वस्थ भारत यात्रा आयोजित करने हेतु	98,443
		कुल	2,46,93,291

बैंक खातों की इन शेष राशियों को शामिल न करने से वर्तमान परिसंपत्तियाँ (बैंक बैलेंस) और वर्तमान देयताएँ/उद्दिष्ट निधि रु. 2.47 करोड़ कम दर्शाई गई है।

ख. आय और व्यय लेखा

ख.1 प्रशासनिक व्यय – रु. 225.60 करोड़

एफ.एस.एस.ए.आई विभिन्न घटकों और अपनी प्रयोगशालाओं से संबंधित केंद्रीय क्षेत्र की ''चल खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं के उपबंध सहित देश में खाद्य परीक्षण प्रणाली का सशक्तीकरण'' (सोफ्टेल) नामक योजना अर्थात् राज्य खाद्य प्रयोगशालाओं का सशक्तीकरण, रेफरल प्रयोगशालाओं का सशक्तीकरण, चल खाद्य प्रयोगशाला, राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला, गाजियाबाद और राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला, कोलकाता का क्रियान्वयन कर रही है। वर्ष 2018–19 के दौरान प्राधिकरण को मंत्रालय से रु. 185. 60 करोड़ का सहायता–अनुदान (जी.आई.ए) (पूँजीगत परिसंपत्तियों का सृजन) मिला। इसमें से रु. 177.27 करोड़ को संस्थाओं/संगठनों को दिए गए अनुदान के रूप में दिखाने की बजाय सोफ्टेल के लिए प्रशासनिक व्यय के रूप में दर्शाया गया जिससे प्रशासनिक व्यय के लिए इतनी ही राशि अधिक दर्शाई गई और अनुदानों पर व्यय के लिए कम दर्शाई गई।

ग. सामान्य

ग.1 प्राधिकरण ने न तो लेखों में सेवा–निवृत्ति लाभों के लिए कोई प्रावधान किया, न ही सेवा–निवृत्ति के लाभों की कोई लेखांकन नीति दर्शाई, जिससे आई.सी.ए.आई के लेखांकन मानक–15 का उल्लंघन हुआ।

ग.2 लेखांकन मानक–5 के अनुसार पिछली अवधि के मदों की प्रकृति और राशि लाभ–हानि की विवरणी में इस रीति से अलग–अलग दर्शाई जानी चाहिए कि वर्तमान लाभ–हानि पर उनके प्रभाव को जाना जा सके।

अनुसूची–21 (प्रशासनिक व्यय) में रु. 45,67,225/– को "चंदे पर व्यय (कोडेक्स ट्रस्ट निधि को अंशदान)" के रूप में दर्शाया गया है। इस राशि में वर्ष 2016–17 से 2018–19 की अवधि के दौरान किया गया व्यय शामिल है। इस प्रकार पिछले वर्षों के व्यय को पिछले वर्षों के व्यय के रूप में दर्शाया जाना चाहिए था।

ग–3 अनुसूची 11 (वर्तमान परिसंपत्तियाँ, ऋण, अग्रिम इत्यादि) में रु. 6.12 करोड़ की राशि को "बैंक बैलेंस – अनुसूचित बैंकों के साथ – क्षेत्रीय कार्यालयों के बचत खातों में" शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया गया है, जिसमें प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालयों के बैलेंस शामिल हैं। रिकॉर्डों की जाँच से पता चला कि राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला, गाजियाबाद का बैलेंस रु. 49.05 लाख था, जबकि बही में रु. 53.23 लाख दर्शाया गया। इस अंतर का समाशोधन करने की आवश्यकता है।

ग.4 वर्ष 2018–19 के उपयोग प्रमाण–पत्र के अनुसार प्राधिकरण को सहायता–अनुदानों (जी.आई.ए) पर रु. 2.21 करोड़ का ब्याज मिला। परंतु प्राधिकरण में उपलब्ध बैंक खातों की विवरणियों में ब्याज की यह राशि रु. 2.30 करोड़ दर्शाई गई है। इसका समाशोधन करने की आवश्यकता है।

घ. सहायता-अनुदान

प्राधिकरण को वर्ष 2018–19 के दौरान स्वास्थ्यएवं परिवार कल्याण मंत्रालय से रु. 257.05 करोड़ का सहायता–अनुदान (जी.आई.ए) प्राप्त हुआ। वर्ष के आरंभ में इसके पास खर्च न की गई रु. 7.47 करोड़ की राशि (जी.आई.ए – रु. 4.45 करोड़ और ब्याज – रु. 3.02 करोड़) शेष थी। प्राधिकरण को रु. 2.30 करोड़ का ब्याज भी अर्जित हुआ। प्राधिकरण ने यथा 31 मार्च, 2019 तक रु. 258.05 करोड़ व्यय किए और रु. 8.77 करोड़ (जी.आई.ए – रु. 3.45 करोड़ और ब्याज – रु. 5.32 करोड़) व्यय नहीं किए।

ड. **प्रबंधन–पत्र**

ऑडिट रिपोर्ट में शामिल न की गई कमियाँएफ.एस.एस.ए.आई के प्रबंधन को अलग से जारी किए गए प्रबंधन–पत्र के माध्यम से सुधारात्मक कार्रवाई के लिए सूचित कर दी गई हैं।

v. पूर्ववर्ती पैराग्राफों में हमारे अवलोकनों के अध्यधीन हम रिपोर्ट करते हैं कि इस रिपोर्ट में लेखा–परीक्षित बैलेंस शीट, आयएवं व्यय और प्राप्तियाँएवं भुगतान लेखे लेखा बहियों के अनुसार हैं।

vi. जहाँ तक –

क. भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) की यथा 31 मार्च, 2019 की कार्य–दशाओं की बैलेंस शीट, और

ख. उस तिथि को समाप्त वर्ष के अधिशेष आयएवं व्यय लेखे का संबंध है, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम सूचना तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, ऊपर कथित महत्वपूर्ण मामलों तथा इस ऑडिट रिपोर्ट के अनुबंध में उल्लिखित अन्य मामलों के अध्यधीन, लेखांकन नीतियों और लेखा–टिप्पणियों के साथ पठित उक्त वित्तीय विवरणियाँ भारत में सामान्यतः मान्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सत्य और निष्कपट हैं।

भारत के नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक के लिए और की ओर से

हस्ता/–

स्थानः नई दिल्ली | **महानिदेशक, लेखापरीक्षक**

दिनांक : 09.01.2020 | **(केंद्रीय व्यय)**

अस्वीकरण : प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का हिंदी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा।

अनुबंध

1. आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता

1.1 स्वास्थ्यएवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 2018–19 का आंतरिक ऑडिट नहीं किया।

1.2 प्राधिकरण के लेखों में 2009–10 से लगातार आयएवं व्यय में पूर्व अवधि का समंजन देखा गया।

2. आंतरिक नियंत्रण पद्धति की पर्याप्तता

ऑडिट द्वारा निम्नलिखित क्षेत्रों में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली कमजोर पाई गईः

(क) वर्ष के दौरान आंतरिक लेखा परीक्षा न करना,

(ख) तीन बैंक खातों को वार्षिक लेखों के बाहर रखना,

(ग) लेखों और बैंक विवरणी के अनुसार बैंक बैलेंस में अंतर होना,

(घ) शाखा कार्यालयों की स्थायी परिसंपत्तियों और वस्तु–सूची की भौतिक जाँच न करना,

(ड़) परिसंपत्ति रजिस्टर में विभिन्न परिसंपत्तियों का उत्तरोत्तर जोड़ न दिखाना और उसे 'अनुसूची 8–अचल परिसंपत्ति' के तहत दिखाए गए निर्धारित प्रपत्र में न रखना।

3. अचल परिसंपत्तियों की भौतिक जाँच की पद्धति

2018–19 में प्राधिकरण के मुख्यालय की अचल परिसंपत्तियों की भौतिक जाँच की गई थी। शाखा कार्यालयों की अचल परिसंपत्तियों की भौतिक जाँच नहीं की गई।

4. वस्तुओं की भौतिक जाँच की पद्धति

वर्ष 2018–19 में बहियों, लेखन–सामग्रियों और अन्य उपभोज्य सामग्रियों की भौतिक जाँच की गई थी। शाखा कायालयों की सामग्रियों की भौतिक जाँच नहीं की गई।

5. वैधानिक देयताओं के भुगतान में नियमितता

यथा 31.03.19 को अतिदेय और अन्य (अगले वित्तीय वर्ष में माह के देय शुल्क और कर) के संबंध में रु. 18.90 लाख की वैधानिक देयता शेष थी।

--

पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर खाद्य प्राधिकरण का उत्तर

खाद्य प्राधिकरण ने प्रतिवेदन में लेखापरीक्षा की टिप्पणियों को उचित कार्यवाई के लिए नोट कर लिया है

सत्यमेव जयते

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA

Inspiring Trust, Assuring Safe & Nutritious Food

Ministry of Health and Family Welfare, Government of India

वार्षिक रिपोर्ट ANNUAL REPORT 2018-19

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण

Food Safety and Standards Authority of India

Table of Contents

1.	Overview	1
2.	Duties, Governance Structure and Human Resource	12
3.	Standards and Regulations	25
4.	Safe Food Practices	30
5.	Risk Assessment and Research & Development (RARD)	39
6.	Food Imports	46
7.	Food Safety Compliance	50
8.	Food Testing & Surveillance	60
9.	Food Safety Training and Capacity Building	74
10.	Healthy Diets	83
11.	Social and Behavioural Change	89
12.	Information, Education and Communication (IEC)	95
13.	Consumer Focus and Empowerment	108
14.	Leveraging Technology and e-Governance at FSSAI	115
15.	Global Outreach	122
16.	Rajbhasha	133
17.	RTI Matters	134
18.	Financial Statements, Separate Audit Report	135

List of Tables

		Page No.
Table 1	Progress on enforcement metrics FY-2018-19	4
Table 2	Overview of duties & functions of the Food Authority	13
Table 3	Members, other than the Chairperson, of the Food Authority (Section 5)	14
Table 4	Ex-officio members under section 5 (1) (a)	15
Table 5	List of Scientific Panels	18
Table 6	Details of sanctioned posts in FSSAI	21
Table 7	List of posts advertised by FSSAI for being filled on direct recruitment and deputation basis	23
Table 8	List of final regulations currently in force	26
Table 9	Draft sector-wise documents developed	31
Table 10	List of ongoing projects	43
Table 11	List of completed projects	45
Table 12	Data of food import clearance for the period 1st April, 2018 to 31st March, 2019	49
Table 13	Data reflecting rise in number of licence and registration issued over the years	51
Table 14	Eligibility criteria for a Central or State Licence and Registration	57
Table 15	Administrative setup of enforcement machinery in States/UTs under FSS Act, 2006 (as on 31.03.2019)	58
Table 16	Details of samples analysed, found non-conforming to the prescribed standards and norms and penal action taken during the year 2018-19	59
Table 17	Details of primary and referral food testing laboratories	61
Table 18	List of National reference laboratories	62
Table 19	Details of grant sanctioned for upgradation of SFTLs	64
Table 20	Details of grant sactioned and released for upgradation of referral labs	66
Table 21	Sector-wise training status for Food Safety Supervisors in 2018-19	78
Table 22	Details of training on Good Food Laboratory Practices	79
Table 23	Details of specialised training programs for lab personnel	81
Table 24	Micro-sites / Portals created / under development	120
Table 25	Explanation regarding step procedure for development of Codex standards	126

List of Figures

		Page No.
Figure 1	Initiatives to realise Safe & Nutritious Food (SNF) objectives	8
Figure 2	Composition of the Food Authority 2018-19	15
Figure 3	26th Meeting of the Food Authority in progress	16
Figure 4	24th CAC meeting held on 14.12.2018 at IGNCA in progress	17
Figure 5	Pictorial representation of structure of the Food Authority	19
Figure 6	Organizational structure of the Food Authority	20
Figure 7	Glimpses of award ceremony under 'Hygiene Rating' project from Eat Right Mela	34
Figure 8	Glimpses of recognition of Kankaria Lake, Ahmedabad as 'Clean Street Food Hub'	36
Figure 9	Showing Key Work Areas of RARD	39
Figure10	Key features of FSKAN	40
Figure11	List of top 10 exporting countries to India (2018-19)	48
Figure 12	Weightage pattern of parameter for 'State Food Safety Index'	54
Figure 13	Internal view of the FSW Van	67
Figure 14	External view of the FSW Van	67
Figure 15	State-wise number of FSSAI notified laboratories, State/Public food laboratories, referral laboratories	72
Figure 16	State/UT wise sanction of 'Food Safety on Wheel'	73
Figure 17	Snap shots of enthusiastic participation of training partners in 'Swasth Bharat Yatra'	76
Figure 18	Scenes from Food Safety Supervisors' trainings in various sectors	77
Figure 19	Few glimpses from GFLP trainings at various places	80
Figure 20	Training programme on non-alcoholic beverages, Manesar	81
Figure 21	Training programme on 'Method of Analysis for Fortificants in Milk' at CALF, NDDB, Anand	82

		Page No.
Figure 22	Launch of 'The Orange Book'	89
Figure 23	Front cover of 'Yellow Book Level I and II'	90
Figure 24	SNF Fellowship Training, Mumbai	91
Figure 25	Few glimpses under 'Project BHOG'	93
Figure 26	Launch of 'NetProFan'	94
Figure 27	Launch of the 'Eat Right India' Movement	96
Figure 28	'Aaj Se Thoda Kam' Campaign	96
Figure 29	Display of 'The Eat Right Toolkit'	97
Figure 30	Distribution of Toolkit and training of frontline workers	97
Figure 31	Glimpses of 'National Eat Right Mela'	99
Figure 32	Art workshop organized for all the winners during the event	100
Figure 33	Distribution of awards to differently-abled	101
Figure 34	Inauguration of 'FSSAI Experience Zone'	104
Figure 35	Participation in 'AAHAR-The Food and Hospitality Fair, 2018'	105
Figure 36	Pics from 19th IUFoST Conference, 2018	105
Figure 37	Inauguration Ceremony of IFCON, 2018	106
Figure 38	Shri Ashwini Kumar Choubey, MoS (H&FW) awarding certificates to the awardees who contributed towards the success of SBY	107
Figure 39	'Food Safety Display Boards'	109
Figure 40	Consumer Complaint Redressal Mechanism	113
Figure 41	Visit of Afghanistan Delegation	130
Figure 42	Visit of IFCCI Delegation	131

Chapter-1

Overview

1.1 The Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI in short), also referred to as the "Food Authority", has been established under the Food Safety and Standards (FSS) Act, 2006 (Act No. 34 of 2006), primarily for laying down science-based standards for articles of food and to regulate their manufacture, storage, distribution, sale and import to ensure availability of safe and wholesome food for human consumption. Its detailed mandate is given in Section 16 of the FSS Act, 2006. The Act was operationalized with the notification of Food Safety and Standards Rules, 2011 and six Regulations w.e.f. 5th August, 2011.

1.2 In line with the motto of 'Inspiring trust, assuring safe and nutritious food', the Food Authority has worked relentlessly to fulfil its mandate through the following approach:

- Setting globally benchmarked regulations, standards and guidelines
- Facilitating compliance through licensing, registration, inspection and improved laboratory network
- Building capacity of regulatory staff as well as food business operators
- Driving public health initiatives in the true spirit of convergence
- Leveraging IEC (Information, Education & Communication) and BCC (Behaviour change communication) techniques to build a food safety culture
- Embracing technology to streamline processes
- Forging strategic partnerships to generate and exchange knowledge and best practices

This chapter highlights an overview of the achievements of FSSAI for the reporting year 2018-19 in alignment with the approach described above. The details are given in the relevant chapters.

1.3 The Food Authority met on 2 occasions in the year under report and took several important decisions. However, it continued to function with a truncated strength in the absence of appointment of members against available vacancies under clauses (b), (c), (d), (e), (f) &(g) of sub-section (1) of Section 5 of FSS Act, 2006.

1.4 Central Advisory Committee (CAC) advises the Food Authority on a number of issues and ensures close co-operation with various stakeholders such as food industry, consumer organizations, research institutions and state food authorities. The CAC met on four occasions during the year and discussed several important issues.

1.5 Scientific Committee, which is primarily responsible for providing scientific opinion to the Food

Authority, held four meetings during the year and made various recommendations to the Food Authority.

1.6 During the year, 19 subject specific scientific panels held a total of 65 meetings for making recommendations regarding formulation of standards and other related matters. Further, in this period, seven scientific panels were reconstituted whereas two new scientific panels on 'Antibiotic Residues' and 'Spices and Culinary Herbs' were constituted.

1.7 Hitherto, FSSAI was functioning with a limited sanctioned strength of 356 and in the absence of notified Recruitment Regulations, it was relying largely on persons on deputation and by engaging persons on contract basis to carry out activities as per its mandate. The year saw substantial progress on the Human Resource front with increase in Authority's sanctioned strength to 824 and notification of Recruitment Regulations for various posts. FSSAI has already initiated steps to fill up various posts on regular basis as per provisions of the notified Recruitment Regulations. With adequate strength and availability of regular staff, FSSAI will be able to discharge its functions more effectively.

1.8 Considerable progress was made towards framing of new standards as well as amendment of existing standards for various articles of food. Out of 32 areas identified in the Act for framing regulations, 28 areas are already covered. Some of the important final and draft notifications issued during the year are as below:

Final Notification

1. Food Safety and Standards (Fortification of Foods) Regulations, 2018.
2. Food Safety and Standards (Food Safety Auditing) Regulations, 2018.
3. Food Safety and Standards (Recognition and Notification of Laboratories) Regulations, 2018.
4. Food Safety and Standards (Advertising & Claims) Regulations, 2018.
5 Food Safety and Standards (Packaging) Regulations, 2018.

Draft notifications

1. Food Safety and Standards (Foods for Infant Nutrition) Regulations, 2019.
2. Food Safety and Standards (Recovery and Distribution of Surplus Foods) Regulations, 2019.

1.9 Schedule 4 of FSS (Licensing and Registration of Food Businesses) Regulations, 2011 specify general hygiene and sanitary practices to be followed by Food Business Operators to ensure food safety. With the help of technical panels, these requirements have been revised and updated for various sectors aligning with international best practices. Three such documents have already

been operationalised while sector specific documents for manufacturing, catering, storage, transport and trade, retail and e-commerce sectors are in the process of finalization. Further, to ensure consistent understanding in implementation of food safety and hygiene Schedule 4 pre-requisites, sector specific, easy-to-understand and operationally feasible guidance documents on Food Safety Management System (FSMS) have also been developed. Out of 11 such guidance documents developed so far, six were issued during the year. 9 more such guidance documents are at the draft stage.

1.10 Risk Assessment and Research & Development (RARD) Division has been established with a view to develop a robust system for identification of food hazards, development of effective risk reduction methods and techniques across the food chain as well as to put a system in place to identify emerging food safety issues, anticipate and undertake appropriate risk management measures. A key initiative launched by this Division is 'Food Safety Knowledge Assimilation Network (FSKAN)', which is a network of scientific organizations/experts with objective for assimilation of information with scientific experts, nationally or internationally, on emerging food safety issues and best practices in the fields within the Food Authority's responsibilities and formulation and execution of joint projects where gaps or uncertainty in risk assessment for food safety exist. More than 450 experts are a part of this network presently.

1.11 Under a scheme of Research & Development for Food Quality and Safety, 20 joint research projects were funded, out of which five have been completed and 15 are ongoing at different stages of progression. These projects would help in developing new standards, upgrading the existing ones and developing innovative analytical methods.

1.12 Over the past few years, the Food Authority has redefined institutional roles to be more about facilitating compliance by providing information, advice, incentives and interventions to motivate and leverage investments and actions by value chain actors.

1.13 States/UTs are an important partner to enforce the provisions of the FSS Act, rules and regulations made thereunder. Regular surveillance, monitoring, inspection and random sampling of food products continued to be undertaken by the food safety officials of respective States/UTs to check for compliance against the provisions of FSS Act. States/UTs continued to strengthen their administrative set up for enforcement. As of date, all States/UTs have established State level steering committees. District level advisory committees have been constituted in 31 States/UTs. Strength of Food Safety Officers has also increased to 3,373 against 3,144 in the previous year. The Food Authority continued to support State/UTs authorities through meetings of CAC, video conferences and participation in State level steering committee meetings for effective enforcement of the provisions of FSS Act.

1.14 Table 1- Progress on enforcement metrics FY-2018-19

S. No.	Enforcement Metric	2018-19
1	Food Samples Analysed	1,06, 459
2	Samples Found Non-Conforming	30,415
	- Unsafe	3,900
	- Sub-Standard	16,870
	- Labeling/Misleading etc.	9,645
3	Criminal Proceedings Launched	2,813
4	Civil Proceedings Launched	18,550
5	Convictions	701
6	Cases where Penalty was Imposed	12,734
7	Total value of Penalties Imposed	Rs. 32.57 cr

1.15 With respect to Licensing and Registration of FBOs, as on 31st March, 2019, 46,851 Central licenses had been issued by the Central Licensing Authorities (CLAs). 10,44,992 licenses and 47,97,997 registrations had been issued by licensing authorities of States/UTs under the Act. Food Licensing and Registration System, an online portal for Licensing and Registration, is now rolled out in all States /UTs (except Nagaland) and all 16 zones of Indian Railways.

1.16 FSSAI has developed a State Food Safety Index to measure the performce of States on food safety. This index is based on performance of States/UTs on five significant parameters, namely- Human Resource and Institutional Data, Compliance, Food Testing Infrastructure and Surveillance, Training and Capacity Building, and Consumer Empowerment.

1.17 FSSAI has notified Food Safety and Standards (Food Safety Auditing) Regulations, 2018 and has sofar recognised 24 food safety auditing agencies for carrying out food safety audit. FSSAI has initiated audit of Food Business Operators through third party auditing agencies. Audit of 40 municipal slaughter houses is being conducted under a ' Clean and Safe Meat Campaign'.

1.18 It is the responsibility of Food Authority to ensure safety of food imported into India. The Food Authority continued to regulate food import at 21 points of entry at six locations viz. Delhi, Mumbai, Kolkata, Chennai, Tuticorin and Kochi. A total of 91,879 food items containing 66,73,439.24 Metric Tonne (MT) of imported food products were handled by FSSAI. Of these, 1,280 items, weighing 16,872.91 MTs of food, were issued non-conforming certificates as these did not meet the safety and quality standards prescribed under the FSS Act, 2006 and the rules & regulations made thereunder and were, thus, rejected.

1.19 Several steps were taken during the year with a view to further ease the process of food imports and facilitate trade without compromising with the food safety. Risk based inspection allowing for limited inspections based on identified parameters has been introduced. Customs Officials at 396 locations,where FSSAI is not present, have also been notified as Authorized Officers for clearance of food at these locations as per FSS Regulations. Provisional NOC (PNOC) facility has been extended to cover imported pre-packaged retail food products which would help decrease

the demurrage charges. These and other steps have greatly facilitated the import of food.

1.20 Need for further extension of ban on import of milk and milk products from China, which is continuing since 2008, was reviewed. It was opined that the ban on import of milk and milk products from China may be extended until the capacity of all notified laboratories at ports of entry across India has been suitably upgraded for testing melamine. Accordingly, the Food Authority recommended to the Government that the ban on milk and milk products from China may be further extended for a period of 4 months i.e. upto 23rd April, 2019 or until further orders.

1.21 Food safety cannot be ensured without a robust laboratory system. At the end of the year 2018-19, the number of primary food testing labs for analysis and testing of food products rose to 251 spread all over India as against 244 in the previous year. Of these 251 labs, 175 are NABL accredited labs notified by the Food Authority. 76 State food labs are, however, continuing under the transition provisions of the FSS Act without NABL accreditation. Further, there were a total of 18 Referral Labs for appellate functions, including two such labs directly under FSSAI. The availability of these notified labs has ensured adequate food testing facilities across the country.

1.22 FSSAI is in the process of setting up a network of National Reference Laboratories (NRLs). These NRLs would set up a country wide standard for routine procedures, reliable testing methods & validation of such standard procedure/testing methods, development of new methods and ensuring proficiency in testing across the food laboratories with special reference to the risks or food categories. 13 laboratories have been approved for being notified as NRLs while two laboratories will act as a support facility but not as independent NRLs.

1.23 With a view to strengthen the Food Testing System in the country, a Central Sector Scheme for "Strengthening of the Food Testing System in the country including provision for Mobile Food Testing Labs" (SOFTeL) was rolled out by the Food Authority with an outlay of Rs. 481.95 crore (Rs.400.40 crore : non-recurring, and Rs. 81.55 crore :recurring) during the year 2016-17. The Scheme envisaged, inter-alia, strengthening of 45 state/public food testing labs besides referral labs, establishment of nearly 60 mobile food testing labs etc. During the period 2018-19, 13 more State food testing labs (SFTLs) were taken up for upgradation. Further, during the period, three more referral laboratories were approved for upgradation. 20 mobile food testing labs, now called Food Safety on Wheels (FSW), were also sanctioned to 13 States/UTs. As on 31st March, 2019, total number of SFTLs taken up for upgradation increased to 37 in 29 States/UTs with total sanctioned grant of Rs.220.30 crores (of which Rs. 218.80 cr was released). Till end of March, 2019, an amount of Rs. 28.08 crore was sanctioned for 10 referral labs for procurement of high end equipments out of which Rs. 23.571 cr was released. A total of 46 FSWs in 32 States/UTs were sanctioned of which 40 FSWs were provided to the 30 States/UTs. Almost all the FSWs already delivered have been operationalized by the States/UTs during the period.

1. 24 To address the problem of shortage of qualified Food Analysts, 5th Food Analyst Examination was held during the year. On the basis of performance in theory and practical examination,

83 candidates were declared as qualified food analyst. With this, 360 qualified Food Analysts are now available in the country. Further, 2nd JAE was conducted simultaneously alongwith 5th FAE in which 125 candidates were declared qualified. These candidates, upon acquiring three years' experience in the analysis of food, will be eligible for appearing directly in the practical examination of Food Analysts Examination.

1.25 There have been regular concerns regarding quality of milk sold in India. To ascertain the status of the same and to take corrective measures to improve the quality of milk, National Milk Safety and Quality Survey (NMQS), 2018 was conducted through a third party, for a period of six months during 2018 across all States and UTs covering all districts and major towns/cities with a population >50,000. 6432 samples were collected and analysed qualitatively immediately on site in mobile food testing vans and nearly one-third of the samples that indicated possible adulteration or contamination for safety parameters were sent to the laboratory and analysed quantitatively. The Interim Report was released by FSSAI on 13th November, 2018. Out of large number of samples analysed, very few samples were found to be adulterated. The Survey, however, found that slightly less than 10% samples had contaminants rendering the milk unsafe. These contaminants came mainly from poor farm practices. Nearly 39% of the samples, however, did not meet quality parameters. Thus, it emerged that milk sold in India is largely safe to consume though quality issue persists.

1.26 FSSAI also entered into four major partnerships with Indian and foreign entities to strengthen food testing and surveillance capacity in the country.

1.27 Three more methods of analysis were approved by the Food Authority during the year. These related to methods of analysis for parameters of new commodities under cereal and cereal product category; analysis of fortificants in food products, and for detection of adulteration in ghee (clarified milk fat) with vegetable oils.

1.28 Training is one of the most common interventions used to improve food handling and related food safety outcomes. During 2018-19, the Food Authority further expanded its activities in the area of training and capacity building of food handlers. In a short period, the training ecosystem under FoSTaC has grown organically having 160 training partners; more than 1500 trainers and 17 courses across the food value chains. In 2018-19, training under FoSTaC was taken up in all States of the country (except Nagaland) in which over one lakh Food Safety Supervisors were trained. Special drives for 100 percent completion of training was taken up by the States of Madhya Pradesh, Punjab and Delhi. Special drives were undertaken for street food vendors, colleges and corporate campuses etc. Two special level courses for meat and meat products and poultry and poultry meat products were started. A complete guide on FoSTaC was also released.

1.29 To upskill and build the capacities of lab personnel, a total of 22 training programs for food testing laboratory personnel were organised by the Food Authority during the year in collaboration with

National and International Organizations/institutions. These included six specialized programs and 16 general programs.

1.30 FSSAI has framed a training policy for regulatory staff, including induction training for newly recruited Food Safety Officers and Designated Officers, and periodic refresher trainings for such officers including Adjudicating Officers also. During 2018-19, 583 regulatory personnel have been imparted training.

1.31 India is facing three major health challenges which are (i) threat of food borne diseases and infections (ii) increasing incidence of non-communicable diseases; and (iii) nutrition related problems i.e malnutrition-under nutrition or hunger, micronutrient deficiency of key vitamins and minerals in the diet and over nutrition, resulting in obesity. FSSAI is working towards addressing these health challenges in coordination with Ministries/Departments and other stakeholders. Food Authority has nudged food businesses to provide healthier food options and phase out trans-fats by 2022. It is also in discussion with National Centre for Disease Control (NCDC) to develop a platform with a mechanism to generate alerts as and when food borne illness incidence is reported so that appropriate and quick response could be initiated by FSOs. To address the rise of non-communicable diseases and obesity, FSSAI is in process of making regulations on HFSS-High Fat, Salt and Sugar Foods, with special labeling provisions for these ingredients. To address the problem of micronutrient malnutrition, FSSAI has notified standards for fortification of five staple foods and is steering large-scale fortification of food in the country. Fortified food is being introduced in social food security schemes such as ICDS, MDM and PDS. Voluntary fortification has begun for five staples. 70 top companies and regional brands have around 113 brands of fortified staples in the market.

1.32 Project 'Diet 4 Life' has been launched for Children with Inborn Errors of Metabolism (IEM) conditions who require special diets without which they would not survive. Standards for food for IEM conditions are under the process of formulation. Meanwhile, import and manufacturing of specialty foods have been allowed.

1.33 As a means to address the major health challenges and recognising that it is imperative to actively work towards social and behavioural change to inculcate food safety as a habit, the Food Authority had initiated Project SNF (Safe and Nutritious Food) which focuses on social and behavioural change around food safety, hygiene and healthy diets whether at home, school, place of worship, workplace or while eating out. Awareness and capacity building are key components of this initiative. During the year, considerable progress was made under SNF@workplace, SN@School and SNF@BHOG initative in cooperation with other stakeholders. Various organisations also came forward to adopt the SNF@School program either under voluntary initiatives or under CSR.

Figure 1 - Initiatives to realise Safe & Nutritious Food (SNF) objectives

1.34 Further, in this backdrop, to create awareness around need for consumption of safe and nutritious food, a new initiative called 'Eat Right India' movement was launched by FSSAI by engaging with key stakeholders and citizens. As a part of this initiative, FSSAI also launched Swasth Bharat Yatra, considered to be the world's biggest cyclothon, to nudge people to 'Eat Right'. The Yatra culminated on 29.01.2019 after more than 100 days since its flag off on 16th October 2018, the World Food Day, at six different locations traversing entire length and breadth of the country. The goal of this Yatra was achieved through engagement activities and events at more than 2,100 locations across all the States and UTs along the Yatra, and the creation of over 6000 local, community 'Eat Right Champions' who would sustain this movement in the future. With more than 21,000 volunteer cyclists and 2.5 crore people reached, the Yatra was able to build awareness around food safety, combating food adulteration and healthy diets and spread the message of 'Eat Safe, Eat Healthy and Eat Fortified'. Further, to engage with every section of the society, particularly the youth, the 'Eat Right Creativity Challenge' was conducted. Over 75,000 students from more than 3,600 registered schools actively participated in on-the spot poster making competition.

1.35 A mass media campaign was also launched on 30th November, 2018 calling for the elimination of industrially produced trans-fat in the food supply. "Heart Attack Rewind" warned citizens about the health hazards of consuming trans-fat and offered strategies to avoid them through healthier alternatives.

1.36 'Eat Right tool kit' has been created as an easy to use comprehensive package with simple messages and interactive material to be used by over 1,50,000 Health and Wellness Centres over a time. It will serve as a supplementary engagement resource to be mainstreamed in the national nutrition and public health programmes.

1.37 In view of the increasing out-of-home food consumption and related concerns on food safety, the Food Authority has introduced 'Hygiene Rating' and 'Responsible Place to Eat' schemes under Project 'Serve Safe'. Both these schemes are intended to strengthen safe food handling practices in food service establishments through competition and also by creating consumer demand for safe food. Almost 600 food businesses received Hygiene Ratings by end of March, 2019. 26 Hygiene Rating Audit Agencies have been recognized by FSSAI for verification purposes.

1.38 With a view to help create consumer trust in street food, FSSAI has launched 'Clean Street Food Hub' project under which clusters of street food vendors will be certified through a process of pre-audit for gap analysis, suggestions for improvement to meet specified benchmarks for hygienic and sanitary conditions, training of vendors, final audit and, thereafter, sustenance. On 13th July 2018, FSSAI recognized Kankaria Lake, Ahmedabad (Gujarat) as the First Clean Street Food Hub in the country. By end of March, 2019, 8 street food clusters were awarded 'Clean Street Food Hub' certificates (05 from Gujarat, 01 from Madhya Pradesh and 02 from Maharashtra) and 62 were recommended for the certification.

1.39 A 'Save Food, Share Food, Share Joy' initiative was launched by FSSAI in 2017 with an aim to prevent generation of food waste and promote surplus food donation to fight hunger. Indian Food Sharing Alliance (IFSA) is an alliance of food recovery networks of the country for increasing the coverage of food donation. A web-based platform has been created for this initiative which enables integration of donors with recovery agencies and beneficiaries. 12 food collection bodies are associated with FSSAI and on an average they are feeding over a lakh people in 70 cities. More such agencies are being roped in and the network is set to expand. A new campaign called 'A small gesture, A big difference' was also launched with focus on prevention of food waste and promote food donation during celebratory events.

1.40 The consumption of Used Cooking Oil (UCO) poses adverse health effects since polar compounds with serious health hazards are formed during frying. At present, used cooking oil is either not discarded at all or disposed of in an environmentally hazardous manner choking drains and sewerage systems. Recognizing that UCO is a potential feedstock for biodiesel and the cornerstone of this supply chain mechanism, FSSAI on 10th August 2018, the World Biofuel Day, launched RUCO – Repurpose Used Cooking Oil, an ecosystem to enable the collection and conversion of used cooking oil to biodiesel. A microsite has been launched to monitor the progress of the collection and conversion of UCO.

1.41 IEC (Information, Education, Communication) is the backbone of any organization to channelize the promotional activities. A number of activities have been organized to make stakeholders

aware about the essential elements of the FSS Act, Rules & Regulations involving print and electronic media. The Food Authority also participated in several exhibitions/events to build a positive image, create public awareness, educate consumers, publicise key initiatives and to engage with various stakeholders. The Food Authority is also active and responsive on all its social media platforms. In addition to messaging on Safe & Nutritious Food, the public is also made aware about all the significant steps being taken by the Food Authority and new initiatives being introduced. The consumer and FBO grievances are also redressed through social media on daily basis.

1.42 Consumers have a right to information and informed choice; right to safe and nutritious food; right to be protected from unfair trade practices; and the right to redress their grievances. In recognition of these rights, the Food Authority undertook many key initiatives, aimed at empowering consumers and protecting their interests. These include a Consumer Education Portal; SNF and other social mobilisation approaches for citizens' guidance and behavioural change; Food Safety Display Boards for various food businesses; Guidance Notes on various subjects related to food safety to dispel myths; a robust Consumer feedback and Grievance and Redressal mechanism; providing informed choice through schemes such as hygiene rating, menu labelling, symbols and logos, and certificaton of clusters like clean street food hubs etc.

1.43 Given the critical importance of technology for a regulatory body with a mandate as broad and overarching as the Food Authority, Food Authority is leveraging Information Technology (IT) to the maximum extent. Critical IT systems like Food Licensing & Registration System (FLRS) and Food Import Clearance System (FICS), which form the backbone of licensing, registration and import systems are being managed by the IT Division. Further, all its principal activities are being fully supported by systems and portals develped by the IT Division. The year 2018-19 also witnessed the launch of various initiatives like Eat Right India, Swasth Bharat Yatra among many more which were also supported intensively through IT platforms and systems. All these enabled roll-out of the related implementation plans faster and more effectively.

1.44 With the exponential growth of international food trade and the industry becoming global, it becomes important for Food Authority to promote international collaboration to fulfill its responsibility of ensuring safety and quality of foods by way of participation in global food safety initiatives through multilateral and bilateral engagements. India's contribution in international food standards formulation is evident through its active involvement in the work of Codex Alimentarius Commission, the apex international food standards body of the FAO and WHO, whose standards are recognized as reference standards for international trade of foods under the WTO agreements as well as other multilateral/bilateral engagements. The Food Authority has actively participated in the 14 Codex Committee Meetings held during 2018-19. India also participated in 53 Electronic Working Groups (eWGs) and significant comments were submitted in the EWGs. India also chaired seven eWGs and co-chaired three eWGs. In all, the above-mentioned Codex Committees, Physical Working Groups (PWGs) and eWGs, India's written comments were

submitted to the Codex Secretariat, and India's concerns were largely addressed based on these comments and interventions during the Committee sessions.

1.45 With a view to promote co-operation in the field of food safety and public health through exchange of information, capacity building and training etc., a number of MOUs were signed during the year between FSSAI and foreign organizations including Danish Veterinary and Food Administration; ASAE (Economic and Food Safety Authority), Portugal; European Food Safety Agency (EFSA); 4 Japanese agencies (viz. the Food Safety Commission of Japan, the Consumer Affairs Agency of Japan, Ministry of Health, Labour and Welfare of Japan and Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries of Japan); and Netherlands Food and Consumer Product Safety Authority (NVWA) with Export Inspection Agency as third party. Also, further follow up actions were undertaken in furtherance of MOUs signed in previous years with agencies in France, Germany and New Zealand.

1.46 The Food Authority actively engaged with Global Food Safety Partnership (GFSP), which is a unique public-private initiative of World Bank dedicated to improve the food safety in middle-income and developing countries. Not only GFSP is helping in training and capacity building in key areas, it is also supporting FSSAI in setting up an International Training Centre in Mumbai and facilitating study visits to various countries. FSSAI has been selected as an observer member of the Governing Committee of GFSP of the World Bank for a two-year term.

1.47 Further, with a view to enhance understanding and cooperation in the field of food safety, several bilateral engagements were held during the year by way of interaction with foreign delegations and visit of the Food Authority delegations abroad.

1.48 FSSAI has adopted an approach of 'doing more with less', through strategic utilisation of available resources with holistic thinking. Instead of creating a mega – organisational structure with large funding, five simple guiding principles govern the working of India's Food Authority. Firstly, FSSAI has co-created a shared vision for improved food and nutrition for the country by working with all its key stakeholders as change agents. Secondly, it has developed multiple partnerships with institutions and organisations across the board to benefit from ideas and support from all. Thirdly, most of the processes and practices have been standardised to achieve scale in order to cover the entire country as big as India. Fourthly, the FSSAI is leveraging technology to enhance reach, effectiveness and ensure transparency. And, finally, the FSSAI has created a positive work ethos and culture. India's Food Authority is a small, yet nimble, modern and effective organisation that is building 'New India' enabling citizens to have safe and nutritious food, and live with human dignity as productive members of society. India's model could be instructive in establishing food safety systems in other low and middle –income countries that are looking for suitable replicable models.

Chapter-2

Duties, Governance Structure and Human Resource

2. Enactment of the Act

2.1 The work on consolidation of food laws into a single statute had been on the anvil for some time, especially after the Central Government declared its intent in the budget speech of then Hon'ble Finance Minister in 2002. The work pertaining to consolidation of various Acts and Orders governing food was entrusted to the Ministry of Food Processing Industries. The Food Safety and Standards Bill, 2005 was enacted as the Food Safety and Standards Act, 2006 (Act No. 34 of 2006) once it received the assent of the President of India on 23rd August, 2006. Subsequently, the Act was published in the Gazette of India (Extraordinary) Part I, Section 1 on 24th August, 2006. Various provisions of the Act came into force on various dates through several notifications in this regard viz. notifications dated 15.10.2007, 28.05.2008, 18.11.2008, 09.03.2009, 31.07.2009, 29.07.2010 and 18.08.2010.

2.1.1 Vide Cabinet Secretariat's notification under Govt. of India (Allocation of Business) Rules, 1961 dated 17th September, 2007, the subject " Food Safety and Standards Act, 2006" was shifted to the Ministry of Health & Family Welfare from the Ministry of Food Processing Industries. Vide the Ministry of Health and Family Welfare 'The Food Safety and Standards (Removal of Difficulties) Order, 2007 dated 15th October, 2007 in Sub-Section(I), in clause (c) of Section 6 of The Food Safety and Standards Act, 2006 relating to Selection Committee for selection of Chairperson and Members of the Food Authority, for the word 'Health', the words "Food Processing Industries 'were substituted.

2.1.2 The Act has been amended vide the Food Safety and Standards(Amendment) Ordinance, 2008 dated 7th Feb, 2008, which was replaced by the Food Safety and Standards(Amendment) Act, 2008 dated 28th March, 2008 amending Sections 3, 5 and 6.

2.2 The passing of the Food Safety and Standards Act, 2006 (FSS Act) led to the establishment of the Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) in September, 2008. This decision marked a paradigm shift from a fragmented to a unified food regulatory ecosystem with a more holistic approach of ensuring safe and wholesome food as opposed to just prevention of adulteration.

2.3 The Food Authority's mandate as envisaged in the FSS Act is to regulate manufacture, storage, distribution, sale and import of food to ensure availability of safe and wholesome food for human consumption and for matters connected therewith. The duties and functions of the Food Authority have been prescribed under Section 16 of the Act. An overview of the same is presented in the Table 2.

Table 2 -Overview of duties & functions of the Food Authority

Set Direction	Science Based	Strengthen Capacities	Consumer Focused
• Set standards of identity for articles of food • Set standards for labelling and claims • Set limits for additives, contaminants, residues etc. • Develop guidelines for methods of sampling & analysis • Implement appropriate border controls for imported food items • Conduct risk analysis including assessment, management and communication of risks • Develop guidelines for laboratory accreditation & notification • Develop guidelines for accreditation of certification bodies • Conduct survey of enforcement and implementation of FSS Act • Guide state level authorities on matters related to food safety & standards	• Provide scientific advice and technical support for framing policies • Lead R&D activities in areas such as consumption and risk exposure, incidence and prevalence of biological risks, contaminants, rapid alert system etc. • Develop crisis management protocols for food safety • Develop framework for scientific cooperation, exchange of information and expertise, implementation of global best practices • Provide scientific advice and technical support to improve relations with international organizations • Develop risk assessment methodologies • Promote consistency between international and domestic standards • Contribute to the development of international technical standards	• Provide training to strengthen capacities of staff of food authorities at national and state level, food business operators and other stakeholders within the food safety ecosystem	• Provide appropriate, simple, timely information to consumers and relevant stakeholders • Communicate about opinions of scientific committees and panels in a timely manner • Share results of scientific studies • Disclose annual declarations of interest by Food Authority, Members of advisory committee, scientific committee and panels etc. in relation to meeting agendas

2.4 Composition of the Food Authority

2.4.1 As per Section 5 of the FSS Act, the Food Authority shall consist of a Chairperson and the following twenty-two members out of which one – third shall be women, namely: -

Table 3 -Members, other than the Chairperson, of the Food Authority (Section 5)

Members from the Ministries and Departments of Central Government	7 members not below the rank of Joint Secretary to represent Ministries or Departments of Central Government dealing with Agriculture, Commerce, Consumer Affairs, Food Processing, Health, Legislative Affairs, Small scale industries who shall be members *ex-officio*
Representation from consumer, farmers' and retailers' organizations	2 representatives each from consumer organizations and farmers' organizations and 1 from retailers' organizations
Representation from States and UTs	5 members to be appointed every three years on rotation; one each in-seriatim from the zones specified in first schedule of the Act
Representation from Food Industry and Independent SMEs and Food Technologists or Scientists	a) 2 representatives from food industry including one from small scale industry b) 3 eminent food technologists or scientists

2.4.2 In addition, as per Section 9 of the Act, Chief Executive Officer of the Food Authority is the Member-Secretary of the Food Authority.

2.4.3 The Chairperson and Chief Executive Officer of the Food Authority are appointed by the Central Government in the Ministry of Health & Family Welfare. The Head Office of the Authority is located at FDA Bhawan, Kotla Road, New Delhi – 110002.

2.4.4 The composition of the Food Authority during the year 2018-19 was as follows:

Figure 2- Composition of the Food Authority 2018-19

Chairperson		Member Secretary (CEO)	Ex-Officio Members under Section 5(1)(a)
Shri Ashish Bahuguna (till 28.07.2018)	Mrs. Rita Teaotia (since 28.11.2018)	Shri Pawan Agarwal	

Table 4 -Ex-officio members under Section 5 (1) (a)

S.No.	Name	Designation	Ministry
1	Shri Sudhir Kumar	Joint Secretary	Ministry of Health & Family Welfare
	Dr. Mandeep Kumar Bhandari	Joint Secretary	
2	Shri Utpal Kumar Singh	Joint Secretary	Ministry of Agriculture & Farmers' Welfare
3	Shri Santosh Kumar Sarangi	Joint Secretary	Ministry of Commerce & Industry
4	Shri P Venkata Rama Sastry	Joint Secretary	Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution
5	Shri Minhaj Alam	Joint Secretary	Ministry of Food Processing Industries
6	Dr.ReetaVasishta	Additional Secretary	Ministry of Law & Justice
7	Shri Manoj Joshi	Joint Secretary	Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises

2.4.5 Two meetings of the Food Authority (26th and 27th) were held during 2018-19. 26th Meeting was held on 16th June,2018 and 27th Meeting was held on 4th February, 2019. As no members were appointed by the Central Government during 2018-19 under clause (b), (c), (d), (e), (f) & (g) of sub-section (1) of Section 5 of FSS Act, 2006 consequent upon expiry of the term of the members in previous year(s), these meetings of the Food Authority were held with a truncated strength.

2.4.6 Following special invitees attended the 26th and 27th meetings of the Food Authority :

- Ms Parna Dasgupta, Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry (FICCI)
- Ms Meetu Kapur, Confederation of Indian Industry (CII)
- Ms Shreya Pandey, All India Food Processors' Association (AIFPA)

Figure 3- 26th Meeting of the Food Authority in progress

2.5 Central Advisory Committee (CAC)

2.5.1 Section 11 of the FSS Act, 2006 provides for establishment of the Central Advisory Committee (CAC) and Section 12 delineates its functions. The primary mandate of the Committee is to advise the Authority on the work programme, prioritization of work, identification of potential risks and knowledge management. The CAC ensures close co-operation and co-ordination among the Food Authority, the State enforcement agencies and the organizations operating in the field of food.

2.5.2 The CAC consists of two members each to represent the interests of food industry, agriculture, consumers, relevant research bodies and food laboratories. In addition, all the Commissioners of Food Safety of States/UTs and the Chairperson of the Scientific Committee are ex–officio members. The Chief Executive Officer, FSSAI is the Chairperson of the Central Advisory Committee, ex-

officio. The representatives of the concerned Ministries/ Departments of the Central Government in Agriculture, Animal Husbandry and Dairying, Bio- technology, Commerce and Industry, Consumer Affairs, Environment and Forests, Food Processing Industries, Health, Panchayati Raj, Small Scale Industries and Food and Public Distribution, as well as representatives of the government institutes or organizations and government recognized farmers' organizations are invitees to the deliberations of the Central Advisory Committee.

2.5.3 During the year 2018-19, four meetings of CAC (22nd, 23rd, 24th and 25th) were held on 15th May, 2018, 7th September, 2018, 14th December, 2018 and 13th March, 2019 respectively.

Figure 4 - 24th CAC meeting held on 14.12.2018 at IGNCA in progress

2.6 Scientific Committee

2.6.1 Section 14 of the Food Safety and Standards Act, 2006 provides for the constitution of a Scientific Committee comprising the Chairpersons of the Scientific Panels and six independent scientific experts not belonging to any of the Scientific Panels. The Committee is responsible for providing scientific opinion to the Food Authority, general co-ordination necessary to ensure consistency of the scientific opinion and in particular with regard to the adoption of working procedures and harmonisation of working methods of the Scientific Panels. The Scientific Committee provides opinion on multi-sectoral issues falling within the competence of more than one Scientific Panels and also sets up working groups on issues which do not fall within the competence of any of the Scientific Panels. The Scientific Committee chooses a Chairperson from amongst its members.

2.6.2 During the year 2018-19, the Scientific Committee held 4 meetings on 21st May, 2018; 6th June, 2018; 15th November, 2018; and 28th March, 2019 respectively.

2.6.3 Recommendations of the Scientific Committee made during these meetings were placed before the Food Authority at its subsequent meeting(s) for its approval and for issuance of draft notifications and final notifications.

2.7 Scientific Panels

2.7.1 Section 13 of the Food Safety and Standards Act, 2006 provides for establishment of subject specific Scientific Panels which consist of independent scientific experts to act as the risk assessment bodies and give their considered scientific opinion.

2.7.2 The Food Authority has been empowered to reconstitute the Scientific Panels by adding new members or by omitting the existing members or by changing the name of the Panel as the case may be. The Scientific Panels choose a Chairperson from amongst its members.

2.7.3 During the year 2018-19, the Food Authority set up two (2) new Scientific Panels on 'Antibiotic Residues' and 'Spices and Culinary Herbs' and reconstituted seven (7) Scientific Panels. The following nineteen (19) Scientific Panels remained functional during the year under report:

Table 5 – List of Scientific Panels

New Panels	Reconstituted Panels	Existing Panels
➢ Antibiotic Residues ➢ Spices and Culinary Herbs	➢ Sweets, Confectionery, Sweeteners, Sugar & Honey ➢ Water (including flavoured water) & Beverages (alcoholic non-alcoholic) ➢ Oils & Fats ➢ Milk and Milk Products ➢ Meat and Meat Products including Poultry ➢ Cereals, Pulses & Legume and their Products (Including Bakery) ➢ Fruits & Vegetables and their Products (Including Dried Fruits and Nuts)	➢ Functional foods, Nutraceuticals, Dietetic Products and Other Similar Products ➢ Method of Sampling and Analysis ➢ Food additives, Flavourings, Processing Aids and Materials in Contact with Food ➢ Contaminants in Food Chain ➢ Biological Hazards ➢ Pesticide Residues ➢ Labelling and Claims/ Advertisements ➢ Genetically Modified Organisms and Foods. ➢ Fish and Fisheries Products ➢ Nutrition and Fortification

2.7.4 These Scientific Panels had organized 65 meetings during the year under report. Meetings of the Scientific Panels and Scientific Committee are being conducted more frequently to expedite the process of standards development. A Standard Operating Procedure (SOP) on standards development has also been prepared prescribing timeline at each stage.

2.8 State Food Safety Commissioner and other Authorities

India being a vast country with a population well over a billion, food safety enforcement is a herculean task. The responsibility of compliance of food standards as per Food Safety and Standards Act, 2006 and Rules and Regulations framed thereunder rests primarily with the State and UT Governments. The Act provides for Food Safety Commissioner for each State/UT and enforcement personnel such as Designated Officers, Food Safety Officers under him. Machinery for adjudication includes Adjudicating Authorities and Appellate Tribunals. The States/UTs are responsible for creation and filling up of necessary posts required for effective implementation of the Act in the respective State/UT. The Food Safety and Standards Authority of India is, however, providing some support in the form of imparting necessary training and capacity building of enforcement /adjudicating authorities of States/UTs, strengthening food testing infrastructure, guidance etc. The huge diversity among States/UTs in terms of size, population, food culture, languages, industry penetration, manufacturing capability and location has its own set of challenges in terms of enforcement capability which is consistently growing and improving over the last few years.

2.9 State/District level Steering Committees

State/District level Steering Committees assist, aid or advise on any matter concerning food safety in a State/UT.

Figure 5 - Pictorial representation of structure of the Food Authority

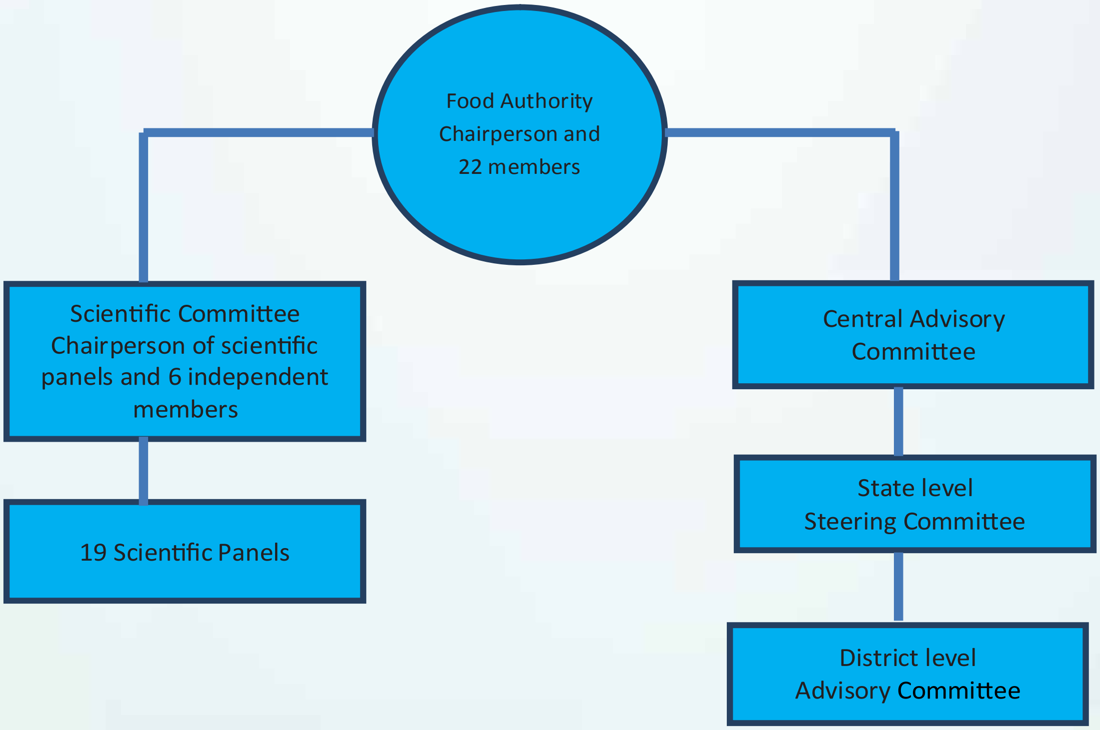

2.10 Organizational Structure of the Food Authority-

Figure 6-- Organizational structure of the Food Authority

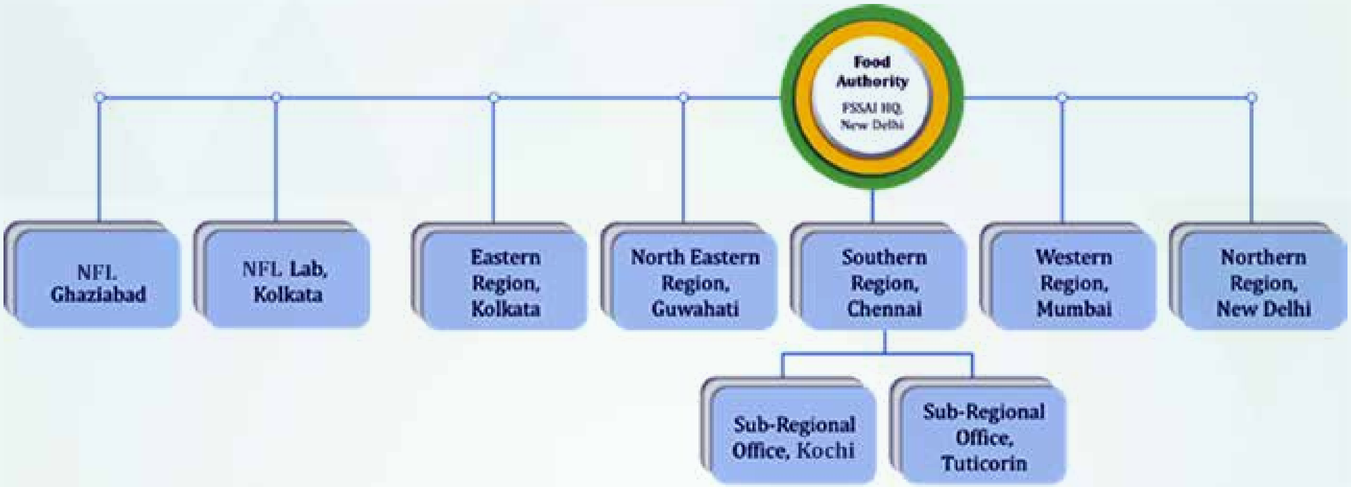

2.11 Divisions of Food Authority at HQ-

- Standards
- Food Safety Management Systems
- Codex and Regulation
- Regulatory Compliance and Surveillance
- Quality Assurance
- Imports
- Training
- Information, Education and Communication
- International Cooperation
- Risk Assessment and Research & Development
- Human Resource and Vigilance
- General Administration
- Legal
- IT
- Rajbhasha

In addition, Food Fortification Resource Centre (FFRC) has been established in partnership with Tata Trusts to promote fortification across social safety nets and open market.

2.12 Human Resource

2.12.1 Till recently, FSSAI had a sanctioned strength of 356 only. FSSAI is an evolving organisation and in recent times, several new areas of work were identified to take the agenda of safe and wholesome food forward. Considering this, FSSAI initiated a process for restructuring of its Human Resources

by projecting a new organisational structure with manpower of 960 in order to fulfil the its mandate. A proposal for creation of 960 posts in FSSAI was,accordingly, forwarded to the Central Government. During 2018-19, the administrative Ministry viz. the Ministry of Health and Family Welfare has conveyed the approval of the Central Government for creation of additional posts raising the present sanctioned strength from 356 to 824. Post-wise details of all the sanctioned posts in FSSAI is given at Table 6 below:

Table 6 – Details of sanctioned posts in FSSAI

Sl No.	Name of Post	Pay Level	Sanctioned Strength
1	Chairperson	17	1
2	CEO	15	1
3	Executive Director	14	2
4	Advisor	14	2
5	Director	13	16
6	Chief Technology Officer	13	1
7	Principal Manager	13	1
8	Joint Director	12	32
9	Deputy Director	11	44
10	Assistant Director	10	22
11	Assistant Director (Tech)	10	60
12	Food Analyst	10	10
13	Technical Officer	7	255
14	Central Food Safety Officer	7	74
15	Assistant Director (OL)	10	1
16	Hindi Translator	6	3
17	Administrative Officer	8	25
18	Assistant	6	76
19	Junior Assistant Grade- I	4	12
20	Senior Private Secretary	8	7
21	Personal Secretary	7	17
22	Personal Assistant	6	39
23	Senior Manager (IT)	12	2
24	Manager (IT)	11	2
25	Deputy Manager (IT)	10	4
26	Assistant Manager (IT)	7	10
27	IT Assistant	6	6
28	Senior Manager	12	2
29	Manager	11	8
30	Deputy Manager	10	16
31	Assistant Manager	7	8
32	Junior Assistant Grade-II	2	12
33	Staff Car Driver (Ordinary Grade)	2	3
34	Multi Tasking Staff (MTS)	1	50
	Total		824

2.12.2 The Recruitment Regulations for various posts in FSSAI, including the newly sanctioned posts, have been notified on 1st October, 2018. The salient features of the Recruitment Regulations are:

(i) Cadres: Posts in FSSAI have been grouped into three cadres:-

1. Scientific and Technical Cadre
2. Administrative and Finance Cadre
3. I.T. and other Specialized Services

(ii) Classification of Posts: Posts at various levels have been classified as Group 'A', 'B' and 'C' based on the level of the post in the pay matrix as under:

Sl No.	Description	Classification of Posts
1	Posts of Level 10 or above in pay matrix	Group 'A'
2	Posts of Level 6 to Level 9 in pay matrix	Group 'B'
3	Posts of Level 1 to level 5 in pay matrix	Group 'C'

(iii) Mode of Recruitment: Following five modes of recruitment have been prescribed in the Recruitment Regulations:

1. Direct Recruitment
2. Deputation (including Short Term Contract)
3. Absorption
4. Promotion
5. Contract Appointment

2.13 Recruitment Status in FSSAI

2.13.1 After the additional posts were sanctioned and the Recruitment Regulations notified, FSSAI immediately initiated the process of filling up the vacancies on regular basis. FSSAI advertised 26 vacant posts in Pay level -11 and above on direct recruitment basis and 114 vacant posts in various pay levels on deputation basis as per details given in Table 7.

Table 7 - List of posts advertised by FSSAI for being filled on direct recruitment and deputation basis

Sl. No	Name of Post (Pay Level)	No. of Vacancies	
		Direct Recruitment	Deputation Basis
1	Executive Director (Pay level-14)	-	02
2	Advisor (Pay level-14)	-	01
3	Director (Pay level-13)	04	07
4	Principal Manager (Pay level-13)	01	-
5	Joint Director (Pay level-12)	08	12
6	Deputy Director (Pay level-11)	08	12
7	Senior Manager (IT) (Pay level-12)	01	01
8	Manager (IT) (Pay level-11)	-	02
9	Deputy Manager (IT) (Pay level-10)	-	04
10	Assistant Manager (IT) (Pay level-7)	-	01
11	Senior Manager (Pay level-12)	01	01
12	Manager (Pay level-11)	03	02
13	Deputy Manager (Pay level-10)	-	04
14	Assistant Director (Technical) (Pay level-10)	-	18
15	Assistant Director (OL) (Pay level-10)	-	01
16	Administrative Officer (Pay level-8)	-	22
17	Senior Private Secretary (Pay level-8)	-	07
18	Personal Secretary (Pay level-7)	-	17
	Total	26	114

2.13.2 For recruitment at the level of Assistant Director (Pay level 10) and below on direct recruitment basis, the work of recruitment has been entrusted to EdCIL, a Public Sector Undertaking under the aegis of the Ministry of Human Resource Development, which has the requisite expertise to hold recruitment tests for Governmental Organisations. An advertisement for filling up 275 such posts on direct recruitment basis was issued on 26th March, 2019 seeking applications upto 25th April, 2019.

2.14 Other Staff Matters

2.14.1 Internal Complaints Committee for women employees

For protection of women employees, in accordance with the Hon'ble Supreme Court judgment in the *Vishakha and others v State of Rajasthan* (1997) case and the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013, an Internal Complaints Committee has been constituted in FSSAI and it is ensured that the same is effective and functional at all times. The Committee did not receive any complaint during the period 2018-19.

2.14.2 Vigilance matters

Vigilance Division of FSSAI deals with complaints received through various sources against the employees of its Regional offices, Laboratories and Headquarters by following the CVC guidelines. On investigation by the FSSAI itself or through independent agency (e.g. CBI) if prima facie, irregularities are attributed to any individual or more than one official, then further appropriate decision regarding initiation of Disciplinary Proceeding is taken at the level of Chief Executive Officer /Chairperson of the Authority. CVC is also consulted where required as per the prescribed norms. During the period 2018-19, 15 complaints were processed. One Appeal of minor penalty was disposed. Ist stage advice of CVC for initiating major penalty proceeding against one employee was obtained. Vigilance Awareness week was observed during which vigilance awareness pledge was administered to the staff on 2nd November, 2018.

2.14.3 FSSAI Day-Care Centre

FSSAI Day Care Centre for kids - "Nanhe Kadam" was inaugurated on the occasion of Children's Day on 14th November, 2018 by Ms. Preeti Sudan, Secretary, Ministry of Health and Family Welfare and Shri Pawan Agrawal CEO, FSSAI at FSSAI Headquarter, FDA Bhawan, Kotla Road, New Delhi. This will be a boon for women employees working in FDA Bhawan and other government employees in the neighbourhood.

Chapter-3

Standards and Regulations

3.1. The Ministry of Health & Family Welfare, Government of India, notified the Food Safety and Standards Rules, 2011, which came into effect from 5th August, 2011.

3.2. It is the responsibility of the Food Authority to frame standards of identity for food products. The Food Authority initially notified the following regulations in the Gazette of India on 1st August, 2011 which came into force from 5th August, 2011, and simultaneously, the enactments and orders mentioned in the second schedule of the Act stood repealed w.e.f. 5th August, 2011.

- Food Safety and Standards (Licensing and Registration of Food Businesses) Regulations, 2011
- Food Safety and Standards (Packaging and Labelling) Regulations, 2011
- Food Safety and Standards (Food Product Standards and Food Additives) Regulations, 2011
- Food Safety and Standards (Prohibition and Restriction on Sales) Regulations, 2011
- Food Safety and Standards (Contaminants, Toxins and Residues) Regulations, 2011
- Food Safety and Standards (Laboratory and Sampling Analysis) Regulations, 2011

3.3. Prior to the notifications mentioned above, the detailed procedure for functioning of the Food Authority was prescribed in the following administrative regulations notified in 2010, namely;

- Food Safety and Standards Authority of India (Transaction of Business at its Meetings) Regulations, 2010. The Regulations have been amended once to revise the allowances for the Members participating in meetings.
- Food Safety and Standards Authority of India (Procedure for Transaction of Business of Central Advisory Committee) Regulations, 2010. These Regulations have been amended once to revise the allowances for the Members participating in meetings.
- Food Safety and Standards Authority of India (Procedure of Scientific Committee and Scientific Panels) Regulations, 2010. The Regulations have been amended to prescribe the revised procedure which includes appointment of Members and their working groups, external experts, delegation of responsibilities, requests for scientific advice, quorum and consensus, agenda, reimbursement and independence & confidentiality.

3.4 Subsequently, several regulations covering vertical and horizontal standards of food products, ingredients, additives as well as for regulating other areas of functions of FSSAI have been notified. Mechanism exists for identifying the products, ingredients, additives etc. whose standards are still to be developed or where review of existing standards is called for. It is a continuous exercise.

It may be mentioned that review of existing standards becomes necessary taking into account the latest developments in food science, food consumption pattern, new products and additives, advancement in the processing technology and food analytical methods, and identification of new risks.

3.5 During the year 2018-19, many final principal regulations have been notified. Some other regulations have been notified at draft stage for inviting public comments. Some are at pre-draft stage. In addition, through amendment to various existing regulations, standards/revised standards have been prescribed for various categories of food products. Tolerance limits of antibiotics and pharmacological active substances have also been prescribed. As against 370 standards notified prior to Food Safety and Standards Act, 2006, at present FSSAI has developed over 500 food product standards, reviewed and expanded standards for food additives that now has over 9000 provisos covering 350 additives and food processing aids by harmonizing the standards of food additives with Codex Standards.

3.6 Out of 32 areas that are listed in Section 16, 22, 92 and other Sections of the Act, regulations have already been framed and notified in 28 areas.

3.7 The status of the principal regulations which are currently in force, including those notified in 2018-19, is given in Table 8 below :

Table 8 - List of final regulations currently in force

S.NO.	FINAL REGULATIONS CURRENTLY IN FORCE
I.	**Food Safety and Standards Regulations**
	Food Safety and Standards (Licensing and Registration of Food Businesses) Regulations, 2011.
	Food Safety and Standards (Food Product Standards and Food Additives) Regulations, 2011.
	Food Safety and Standards (Prohibition and Restriction on Sales) Regulations, 2011.
	Food Safety and Standards (Packaging and Labelling) Regulations, 2011.
	Food Safety and Standards (Contaminants, Toxins and Residues) Regulations, 2011.
	Food Safety and Standards (Laboratory and Sampling Analysis) Regulations, 2011.
	Food Safety and Standards (Food or Health Supplements, Nutraceuticals, Foods for Special Dietary Uses, Foods for Special Medical Purpose, Functional Foods and Novel Food) Regulations, 2016.
	Food Safety and Standards (Food Recall Procedure) Regulations, 2017.
	Food Safety and Standards (Import) Regulations, 2017.
	Food Safety and Standards (Approval for Non-specified Food & Food Ingredient) Regulations, 2017.

S.NO.	FINAL REGULATIONS CURRENTLY IN FORCE
	Food Safety and Standards (Organic Food) Regulations, 2017.
	Food Safety and Standards (Alcoholic Beverages) Regulations, 2018.
	Food Safety and Standards (Fortification of Foods) Regulations, 2018.
	Food Safety and Standards (Food Safety Auditing) Regulations, 2018.
	Food Safety and Standards (Recognition and Notification of Laboratories) Regulations, 2018.
	Food Safety and Standards (Advertising & Claims) Regulations, 2018.
	Food Safety and Standards (Packaging) Regulations, 2018.
II.	**Food Safety and Standards Authority of India Business Transaction Regulations, 2010**
	Food Safety and Standards Authority of India (Transaction of Business at its Meetings) Regulations, 2010.
	Food Safety and Standards Authority of India (Procedure for Transaction of Business of Central Advisory Committee) Regulations, 2010.
	Supersession of Food Safety and Standards Authority of India (Procedure of Scientific Committee and Scientific Panels) Regulations, 2010.
III.	**The Food Safety and Standards Rules, 2011**

3.8 Some of the important final regulations notified in 2018-19 include-

1. Food Safety and Standards (Fortification of Foods) Regulations, 2018.
2. Food Safety and Standards (Food Safety Auditing) Regulations, 2018.
3. Food Safety and Standards (Recognition and Notification of Laboratories) Regulation, 2018.
4. Food Safety and Standards (Advertising & Claims) Regulations, 2018.
5. Food Safety and Standards (Packaging) Regulations, 2018.

3.9 Some of the important draft regulations notified in 2018-19 include-

1 Food Safety and Standards (Foods for Infant Nutrition) Regulations, 2019.

2 Food Safety and Standards (Recovery and Distribution of Surplus Foods) Regulations, 2019.

3.10 Following pre-draft regulations are under the process of getting draft notified-

1. Food Safety and Standards (Labelling and Display) Regulations, 2019.
2. Food Safety and Standards (Safe and Wholesome Food for School Children) Regulations, 2019.
3. Food Safety and Standards (Genetically Modified and Engineered Foods) Regulation, 2019.

3.11 Notes on some of the important new final Regulations

3.11.1 Food Safety and Standards (Fortification of Foods) Regulations, 2018

FSSAI has notified these Regulations on 2nd August, 2018. These Regulations came into force from the date of their publication in Gazette of India, However, enforcement against these standards will start from 1st July, 2019. These are intended to prevent micronutrient deficiencies among Indian population, majorly through mandatory supply of fortified foods in government-run programs and also through voluntary fortification in open market.

These regulations specify standards of fortified food products, namely, salt (with Iodine and Iron); oil and milk (with Vitamin A and D); and atta, maida, raw rice (mainly with Iron, Folic acid, and Vitamin B12 though Zinc, Vitamin A, Thiamine, Riboflavin, Niacin and pyridoxine can also be added) along with provision of mandatory use of +F logo for easy identification of these products.

3.11.2 Food Safety and Standards (Advertising and Claims) Regulations, 2018

FSSAI notified these Regulations on 19th November, 2018. These Regulations came into force from the date of their publication in Official Gazette. However, the enforcement of the provisions will start from 1st July, 2019.

These regulations are aimed at establishing fairness in claims and advertisements of food products and make food businesses accountable for such claims /advertisements so as to protect consumer interests. These Regulations contain several sections detailing definitions; general principles for claims and advertisements; criteria for specific claims like nutrition claims (including nutrient content or nutrient comparative claims); non-addition claims (including non-addition of sugars and sodium salts); health claims (reduction of disease risk); claims related to dietary guidelines or healthy diets; and conditional claims including prohibited claims. Further, it includes the schedules for approved Nutrition claims, Health claims for disease risk & fortified foods, claims regarding use of words like natural, fresh, pure, original, traditional, premium, real etc.

A provision has also been made for restricting the advertisements and/or claims for food articles that undermine the products of any other manufacturer for the purpose of promoting their products or influencing consumer behaviour.

3.11.3 Food Safety and Standards (Packaging) Regulations, 2018

FSSAI notified these Regulations on 24th December, 2018. These Regulations came into force from the date of their publication in the Official Gazette. However, the enforcement of the provisions will start from 1st July, 2019. These Regulations deal with the standards for various types of packaging material such as plastics, metal & metal alloys, paper, paper board and glass. For the sake of innovation with different types of packaging material available globally, the list

of safe packaging materials for food has also been broadened. These regulations specify the general requirements for containers used in the preparation, packaging & storing of food and product specific packaging requirements to be followed by the FBOs. These also provide for overall migration and specific migration limits of contaminants for plastic packaging materials and a suggestive list of packaging materials for different food categories.

3.12 e- Governance

3.12.1 Food Product Identity Verification System (FPIVS)

FSSAI has launched Food Product Identity Verification System (FPIVS) on 5th November, 2018, which is available at portal https://fssai.gov.in/fpas/home.

This online service helps Food Business Operators (FBOs) in identifying whether a food product is covered under any of the food regulations notified by FSSAI including Proprietary Foods, Nutraceuticals, Food supplements and other special foods, or requires product approval as prescribed under Food Safety and Standards (Approval for Non-Specified Food and Food Ingredients) Regulations, 2017. This comprehensive system navigates the user towards reaching the appropriate category and submitting the application for Standard Food Product/ Proprietary/ Nutraceuticals and special foods and auto generates a 'Product Identifier' which would enable the FBOs in obtaining the license from appropriate licensing authority.

3.12.2 e-Platform for Comments

FSSAI launched "e-Platform for Comments" on 5th November, 2018 and is available on the portal https://fssai.gov.in/comments/Directlogin.aspx. This system will facilitate stakeholders for online submission of their views on upcoming food standards & regulations.

3.13 WTO-SPS/TBT notification

As required under WTO-SPS/TBT agreement, FSSAI has been constantly notifying its standards and regulations on WTO platform asking for comments and suggestions. 20 FSSAI regulations have been notified on WTO during 2018-19. Furthermore, FSSAI monitors notifications of other countries related to food and food safety and provides comments to Ministry of Commerce & Industry.

Chapter-4

Safe Food Practices

4.1 Revision of Schedule 4 of Food Safety & Standards (Licensing & Registration of Food Businesses) Regulation, 2011

4.1.1 All the Food Business Operators (FBOs) in the country are required to comply with requirements specified in Schedule 4 under Food Safety & Standards (Licensing & Registration of Food Businesses) Regulations, 2011. These requirements specify general & specific good hygiene and sanitary practices to be followed by Food Business Operators to ensure food safety. These requirements were developed for manufacturers, caterers, milk processors, meat processors (including slaughter houses) and petty food businesses (including street vendors).

4.1.2 In the course of time, the gaps were identified in the requirements as specified under Schedule 4 and in their practical implementation. It was also realized that for certain kinds of food businesses, good hygiene practices were not specified. These requirements also needed to be aligned with international best practices. Thus, the need for revision of Schedule 4 requirements to overcome these gaps was felt which led to constitution of technical panels.

4.2 Review of Schedule 4 of Food Safety & Standards (Licensing & Registration of Food Businesses) Regulation, 2011 and development of subsequent documents

4.2.1 With the help of technical panels, the Schedule 4 requirements were revised and following three revised documents have now been operationalized:

a. General Requirements on Hygienic and Sanitary Practices to be followed by all Food Business Operators applying for License.

b. General Requirements on Hygienic and Sanitary Practices to be followed by all Food Business Operators engaged in catering or food service operations.

c. Minimum Hygienic and Sanitary requirements for establishing a small slaughter house.

4.2.2 Taking the work for revision of Schedule 4 requirements forward by specifying the requirements for new sectors, following documents have been drafted with the inputs of technical panels which are under process of finalization:

Table 9 - Draft sector-wise documents developed

Sector	Document
1. Manufacturing Sector	a. Good hygienic and sanitary practices to be followed by licensed FBOs engaged in procurement, manufacturing, processing, storage, distribution and transportation of milk and milk products. b. Good Hygiene & sanitary practices to be followed by FBOs engaged in slaughtering and meat processing of poultry birds. c. Good Hygiene & sanitary practices to be followed by FBOs engaged in slaughtering and meat processing of small animals. d. Good hygienic and sanitary practices to be followed by licensed FBOs engaged in handling, processing, manufacturing, packing, storing, distribution & transportation of fish and fish products. e. Good Hygiene & sanitary practices to be followed by FBOs engaged in slaughtering and meat processing of large animals. f. Good hygienic and sanitary practices to be followed by central licensed FBOs engaged in handling, processing, manufacturing, packing, storing, distribution & transportation of food products. g. Good hygienic and sanitary practices to be followed by registered FBOs engaged in processing, manufacturing of food products.
2. Catering Sector	a. Good hygienic and sanitary practices to be followed by central licensed FBOs engaged in catering or food service operation. b. Good hygienic and sanitary practices to be followed by registered FBOs engaged in food service operation including street food vending.
3. Storage, Transport and Trade.	a. Good hygienic and sanitary practices to be followed by licensed FBOs engaged in storage of food products. b. Good hygienic and sanitary practices to be followed by licensed FBOs engaged in transport of food products. c. Good hygienic and sanitary practices to be followed by registered FBOs engaged in transport of food products.
4. Retail Sector	a. Good hygienic and sanitary practices to be followed by central licensed FBOs engaged in retail of food products. b. Good hygienic and sanitary practices to be followed by registered FBOs engaged in butchery and retail of poultry meat. c. Good hygienic and sanitary practices to be followed by registered FBOs engaged in retail of animal meat and fish. d. Good hygienic and sanitary practices to be followed by registered FBOs engaged in retail of food products.
5. Other Businesses	a. Good hygienic and sanitary practices to be followed by licensed FBOs engaged in e-commerce of food.

4.2.3 The revised Schedule 4 requirements for various sectors will ensure consistent implementation of Food Safety Management System by food businesses across the food supply chain and enable the FBOs to meet the regulatory requirements.

4.2.4 Inspection Checklists

Based on the requirements of Schedule 4, Inspection checklists have been prepared for these sectors to be used by the regulatory staff for enforcement activities during inspection.

4.2.5 Industry Guides

Further, in order to ensure consistent understanding in implementation of Schedule 4 requirements, sector specific food industry guides (Guidance Documents) have also been developed. These documents contain practical approaches which a business should adopt to ensure food safety. However, manufacturers may adopt higher or stringent levels, depending on the needs and complexity of operations. The use of these guidance documents is voluntary and food business operators may comply with the requirement of the regulation according to other established best practices. Following 11 sector specific FSMS (Food Safety Management System) guidance documents have been developed till now which include six guidance documents developed during the year 2018-19:

a. Edible Vegetable Oils & Fats
b. Flour Milling
c. Food Supplements
d. Food Grain Warehouse
e. Catering
f. Bakery
g. Spice Processing
h. Fish and Fish Products
i. Meat and Meat products (Poultry Sector)
j. Milk processing
k. Fruits and Vegetables processing.

4.2.6 Further, with the inputs of the Technical Panel, following Industry Guides (Guidance documents) are also under draft stage:

a. Confectionery Product
b. Packaged Drinking water
c. Non-Alcoholic Beverages
d. Alcoholic Beverage
e. Honey Processing
f. Mobile Catering
g. Sugar processing
h. Infant food processing
i. Mandi (Wet and Dry)

4.3 'Hygiene Rating' and 'Responsible Place to Eat'

4.3.1 'Hygiene Rating' and 'Responsible Place to Eat' are new schemes under Project 'Serve Safe' that promote development of safe and nutritious food catering sectors in the country. FSSAI has introduced these schemes for food service establishments aimed at improving the standards of food hygiene in food businesses and to enable the consumer to make informed choices while eating out.

4.3.2 The key requirements for obtaining hygiene ratings are:

- Have FSSAI License/Registration and follow Schedule 4 requirements i.e. the regulatory requirements; adopt measures to ensure that food being served to the consumers is of good quality and safe to eat
- Appoint a certified Food Safety Supervisor and train all food handlers
- Display Food Safety Display Boards (FSDBs) prominently in the catering premises
- Get food samples tested

This scheme is being implemented through an online portal (www.fssai.gov.in/servesafe), where Food Businesses opting for 'Hygiene Rating' (and later 'Responsible Place to Eat') after complying with the regulatory requirements can go for self-assessment and generate hygiene ratings. The same would be verified by the hygiene rating audit agencies. The auditors of these agencies undergo a FoSTaC training before starting verification process.

4.3.3 'Responsible Place to Eat' is second scheme aimed at same objective and aims at bringing the behavioural change among the people of the society and ensure food security and food availability across every sector enriching every life. This initiative will help the FBOs to distinguish themselves from others and create their unique identity as responsible Food Business. As a food business, it is their responsibility to not only serve safe food but also educate the consumers about the right choices and do a little extra for the society. The six key areas where a FBO can voluntarily contribute are:

- Promote Personal Hygiene
- Promote healthy eating
- Promote safe water handling practices
- Effective complaint handling
- Transparency in Food Preparation/open kitchen/kitchen visits
- Donate Food

To become a 'Responsible Place to Eat' an FBO has to first obtain 4+ Hygiene Rating and then implement these six points. After implementation of the necessary points, FBO may do self assessment by filling a pre-designed checklist. Once minimum requirements are fulfilled, the FBO

will be able to generate a certificate of being a 'Responsible Place to Eat'. The same information will be shared with Food Safety Officer and Hygiene Rating Audit Agency for validation at the time of their routine inspection.

4.3.4 Steps taken during the year 2018-19 under these schemes include-

(a) 26 Hygiene Rating Audit Agencies have been recognized by FSSAI. The auditors of these agencies are being trained to ensure consistency in the hygiene rating audits.

(b) During FSSAI's Eat Right Mela conducted from 14th to 16th December, 2018 at New Delhi, a sensitization workshop on Hygiene Rating was also conducted where 30 early adopters of this scheme were awarded Hygiene Rating Certificate by the FSSAI.

(c) During the culmination ceremony of Swasth Bharat Yatra, a panel discussion on Hygiene Rating Scheme was organized to sensitize the stakeholders present about the benefits of adoption of this scheme. Leading celebrity chefs and associations praised FSSAI's efforts to bring out rating system for catering sector. Hygiene Rating certificates were awarded to 25 Food Businesses during this event.

(d) By end of March, 2019, almost 600 food businesses had received Hygiene Ratings.

Figure 7 - Glimpses of award ceremony under 'Hygiene rating' project from Eat Right Mela

4.4 Save Food, Share Food, Share Joy

4.4.1 'Save Food, Share Food, Share Joy' initiative launched in 2017 aims to prevent generation of food waste and promote surplus food donation to fight hunger. Indian Food Sharing Alliance (IFSA) is an alliance of food recovery networks of the country for increasing the coverage of food donation.

4.4.2 It includes building awareness on behavioural strategies to reduce food waste. Guidance documents for home, school, food businesses and recovery agencies on safe food handling of excess/surplus food, prevention of food waste have been developed. A web-based platform has also been created for this initiative. This platform enables integration of donors with recovery agencies and beneficiaries.

4.4.3 There are multiple food collection organisations working in various parts of India. 12 such bodies are associated with FSSAI and on an average they are feeding over a lakh people in 70 cities**.** These are:

- Feeding India
- India Food Banking Network
- No Food Waste
- Robin Hood Army
- Mera Parivar
- Give away India
- Roti Bank
- Rasoi on Wheels
- Chintan Environmental Research and Action Group
- Annakshetra
- Feed On.
- Goonj

More such agencies are being roped in and the network is set to expand.

4.4.4 More recently, a new campaign called 'A small gesture, A big difference' was launched on 28th January, 2019 at FSSAI's 'Eat Right Movement: Swasth Bharat Yatra' concluding ceremony. This campaign focuses on prevention of food waste and promotes food donation during celebratory events. Hotels, Restaurants, Caterers can share a ready docket containing information, signup form and certificate of appreciation with the customers to sign up for donation for fresh meals/ surplus meals. The food service establishments across India are being encouraged to adopt this scheme to prevent food waste.

4.5 Clean Street Food Hub

4.5.1 FSSAI is promoting hygienic street food and local food culture through 'Clean Street Food Hub' project under which clusters of street food vendors are being certified through a process of pre-audit for gap analysis, giving suggestions for improvement to meet specified benchmarks for hygienic and sanitary conditions, training of vendors, final audit and there after sustenance. Such 'Clean Street Food Hubs' will build trust among consumers to have a safe and hygienic, local and regional cuisine, thereby promoting Indian Food Culture. FSSAI, with the support of state government bodies, has framed benchmarks for upgrading the existing infrastructures of food streets across the country. FSSAI recognises and certifies those Food Hubs as 'Clean Street Food Hub ' that comply with these standards and benchmarks. Such branding and certification would help to create consumer trust in street food. The stakeholders involved in the project are government bodies, training agencies, auditing agencies and funding partners.

4.5.2 A Guidance document for "Declaration as Clean Street Food Hub" has been prepared. SOP for the initiative is a part of this document. This acts as a ready reckoner with activation and implementation plans that can be easily adopted by participating States and Bodies. A dedicated portal has been developed for this initiative.

4.5.3 On 13th July 2018, FSSAI recognized Kankaria Lake, Ahmedabad (Gujarat) as the First Clean Street Food Hub in the country. As on 31st March, 2019, eight street food clusters have been awarded 'Clean Street Food Hub ' certificate (05 from Gujarat, 01 from Madhya Pradesh and 02 from Maharashtra) and 62 have been recommended for this certification.

Figure 8 - Glimpses of recognition of Kankaria Lake, Ahmedabad as 'Clean Street Food Hub'

4.6 Airline Catering

A meeting regarding food safety in airline catering was held on 27th September, 2018 at FSSAI HQ, under the Chairmanship of CEO, FSSAI with the representatives from government bodies like AAI (Airport Authority of India), AERA (Airport Economic Regulatory Authority), DGCA (Directorate General of Civil Aviation), DIAL (Delhi). As a follow up of this meeting, Jet Airways printed a one

Page Advertisement on FSSAI initiatives in their in-flight entertainment magazine. Vistara did a campaign by distributing promo folds along with food trays. These promofolds included four major FSSAI campaign to promote food safety, health and no food waste.

4.7. Repurpose Used Cooking Oil (RUCO)- *An initiative by FSSAI to prevent entry of used cooking oil in the food value chain*

4.7.1 The consumption of Used Cooking Oil (UCO) poses adverse health effects since polar compounds are formed during frying. These compounds are associated with several diseases such as hypertension, atherosclerosis, alzheimer's disease and liver diseases amongst others. At present, used cooking oil is either not discarded at all or disposed of in an environmentally hazardous manner choking drains and sewerage systems. UCO from organised Food Business Operators (FBOs) also reportedly finds its way to small restaurants/ dhabas and road-side vendors.

4.7.2 FSSAI has notified the limit for Total Polar Compounds (TPC) to be maximum 25% beyond which the vegetable oil is not suitable for use. These standards have come into force from 1st July, 2018. An order directing FBOs with consumption of more than 50 litres of cooking oil per day to mandatorily maintain UCO disposal records has been issued.

4.7.3 FSSAI is implementing an Education, Enforcement and Ecosystem (EEE) strategy to divert UCO from the food value chain and curb current illegal practices. On the education front, guidance documents, tips for consumers and posters have been published. FSSAI has issued standardised test methods and has also developed a Standard Operating Procedure(SOP) to ensure safe handling and disposal of UCO by FBOs.

4.7.4 Recognizing that UCO is a potential feedstock for biodiesel and the cornerstone of this supply chain mechanism, FSSAI launched RUCO – Repurpose Used Cooking Oil, an ecosystem to enable the collection and conversion of used cooking oil to biodiesel on 10th August 2018, World Biofuel Day. A microsite has been launched to monitor the progress of the collection and conversion of UCO to biodiesel.

4.7.5 RUCO will help bring:

- Health benefits by avoiding ill effects of UCO
- Employment generation and economic growth
- Infrastructural investment in Rural Areas
- Cleaner environment with reduced carbon footprint
- Reduction of import dependency (Palm Stearin)

4.8 'Food Innovators Network' (FINE)

4.8.1 FINE

To bring together innovators and start-up entrepreneurs to provide innovative solutions and transform country's food safety and nutrition landscape, FSSAI launched the 'Food Innovators Network' (FINE) programme on 4th September, 2018 during TiE Delhi NCR Food & Food Services Summit 2018. FINE is in conjunction with the Government's initiative on 'Start-Up India' and 'Digital India'. FSSAI through the medium of FINE will engage with entrepreneurs working to address challenges in areas such as affordable and accessible food testing, ensuring availability of healthy food, educating consumers towards nutritious choices and reducing food waste. It will mentor these start-ups to effectively provide innovative new age solutions to tackle these challenges through the best of innovation, technologies and business models. FoSTaC Plus Course titled "Go to Guide for Food Start-ups" was also launched during the summit. The course serves as a regulatory walkthrough for start-ups in this sector. It details the procedures related to licensing & registration, labelling & packaging, safety, health & sanitary requirements as well as other statutory and regulatory compliances as per the FSS Act.

4.8.2 Key Components of FINE are :

- *FoSTaC Plus course*: It is a training program to orient the start-ups about the food safety ecosystem, the start-up landscape and regulatory requisites.
- *FSSAI Buddy Programme* – Each start-up is assigned a buddy from FSSAI to help them navigate through the regulatory space.
- *Eat Right Start-up Awards*: It has been instituted to recognize and encourage food start-ups in the area of food safety and nutrition.
- *Microsite:* A *microsite* has been created with a pool of resources available for food start-ups including a comprehensive list of government schemes they can benefit from (www.fssai.gov.in/fine).

4.9 FSSAI-AFSTI Food Safety Award 2018

FSSAI and Association of Food Scientists and Technologists (India) has introduced FSSAI-AFSTI awards in the field of food safety. The awards are for person(s) who have made notable contributions in the area of food safety through their work during the last five years preceding the year of award.

The FSSAI-AFSTI Food Safety Award 2018 has been given to Dr. S. Kanjilal, Principal Scientist, CSIR-IICT, Hyderabad; Dr. Anshu Singh, Senior Lecturer, Institute of Hotel Management, Catering & Nutrition and Dr. HG Koshia, Commissioner of Food Safety, Gujarat on 12th December, 2018 during 8th IFCON held at Mysuru, Karnataka.

Chapter-5

Risk Assessment and Research & Development (RARD)

5.1 Being a food safety regulator for the country, FSSAI works towards ensuring availability of safe and wholesome food for human consumption throughout the country, and pre-dominantly works on the development of regulations and food safety standards.

5.2 FSSAI has established Risk Assessment and Research & Development (RARD) Division to develop a robust system for identification of food hazards; development of effective risk reduction methods and techniques across the food chain as well as to put a system in place to identify emerging food safety issues; and anticipate and undertake appropriate risk management measures. The key work areas under this Division are:

Figure 9 - Showing Key Work Areas of RARD

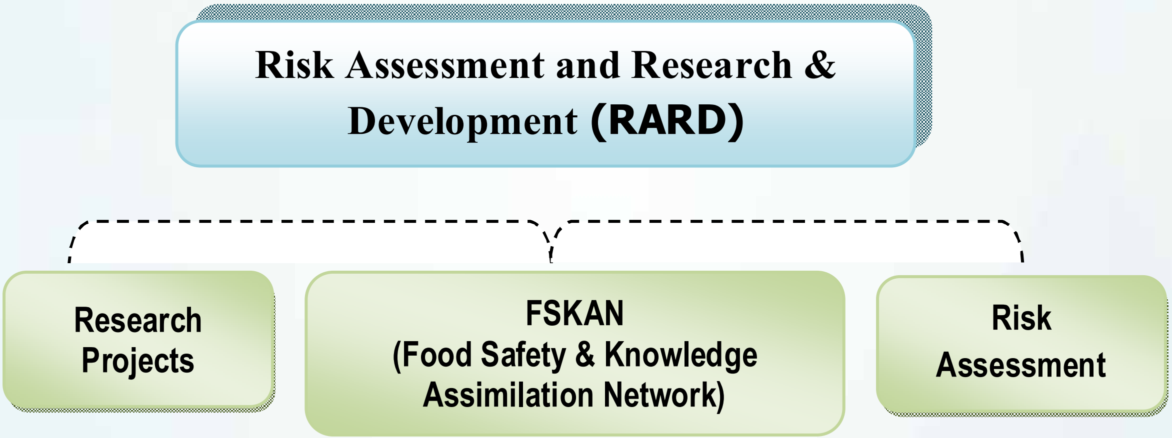

5.3 Research Projects

5.3.1 FSSAI has framed a mechanism for submission and grant of R&D projects for support under the Scheme of Research and Development. The criteria for selection of the project proposals is mainly based on two points:

- The relevance of the project to FSSAI's mandate
- Emerging issues related to food safety

5.3.2 Till 31st March, 2019, FSSAI has funded 20 joint research projects, out of which five have been completed and 15 are ongoing at different stages of progression. The projects will help in developing new standards, upgrading the existing ones and in development of the innovative analytical methods.

5.3.3 The list of ongoing and completed R & D Projects is at Tables 10 and 11.

5.3.4 Evaluation and Monitoring Committee

The Sixth meeting of Evaluation & Monitoring Committee was held on 29th March, 2019 to review the progress of ongoing research proposals as well as to review new project proposals. The Committee approved one proposal i.e. natural levels of formaldehyde in freshly harvested finfish and shellfish species for funding.

5.4 FSKAN (Food Safety & Knowledge Assimilation Network)

5.4.1 FSKAN has been established by FSSAI as mandated under Section 16(3) (e) of Food Safety and Standards Act, 2006, with an aim to facilitate a scientific co-operation framework by the co-ordination of activities, exchange of information, implementation of joint projects and exchange of expertise and best practices in the fields within Food Authority's responsibilities.

The key components of FSKAN are:

- Assimilation of information with scientific experts, nationally or internationally, on emerging food safety issues and best practices in the fields within the Food Authority's responsibilities.
- Formulation and execution of joint projects (pull and push type) where gaps or uncertainty in risk assessment for food safety exist.

Figure10 - Key features of FSKAN

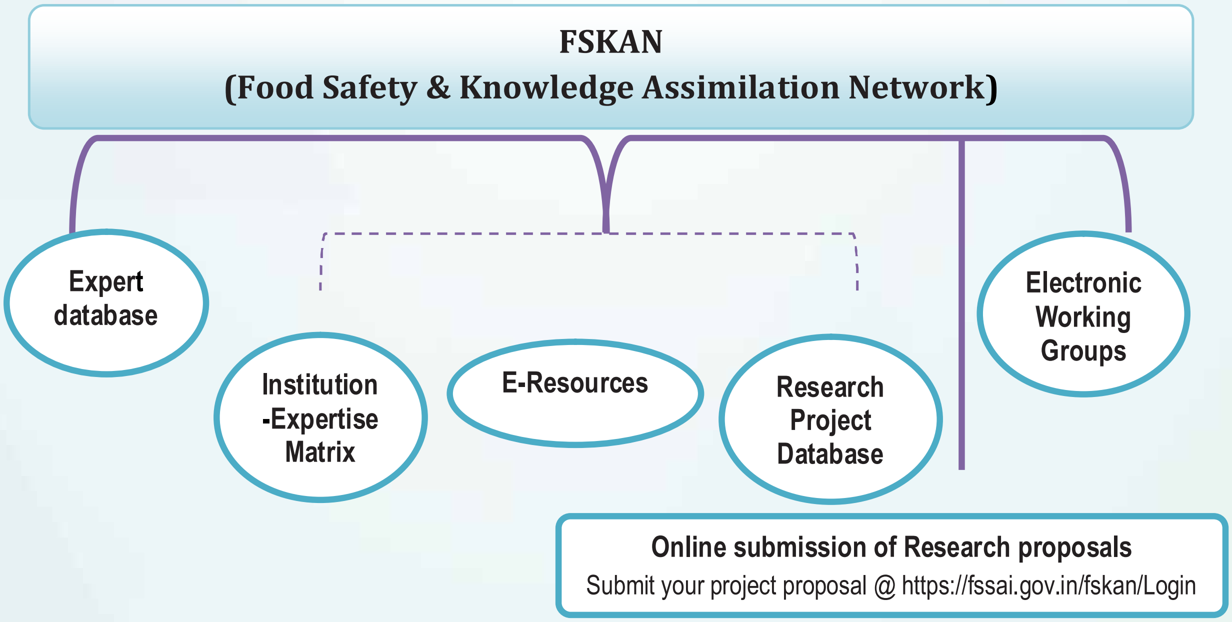

5.4.2 The FSKAN portal has following key features-

1. Expert database: FSSAI has enrolled more than 450 experts in different food categories through online process of registration and the process is ongoing for further additions. It is a 'Domain Repository' of experts in the field of food safety, hygiene and food nutrition and will serve as a support for Scientific Panels and Scientific Committee for scientific inputs required for the purposes of standard setting process, risk assessment and policy decision on important food safety issues etc.
2. Institution-Expertise Matrix: FSSAI collaborates with premier Institutes/ Organizations/ State Agricultural Universities etc. involved in science based research in food sector.
3. E-Resources: It is a consortium of E-journals, e-books, leading research papers and articles pertaining to food safety, hygiene and nutrition. The members/experts registered with FSKAN have access to authoritative, accurate, current, objective reference material pertaining to food safety.
4. Research Project Database: It has details of the accomplished and ongoing research projects pertaining to food safety & standards implemented in collaboration with various Research Institutes.
5. Online submission of research proposals: The portal provides a user-friendly system for online registration and submission of research proposals as per the guidelines. The online registration is a one-time process for a new researcher and once registered, the principal researcher can access through Login ID and Password for tracking the status of the proposal.

5.5 Risk Assessment Cell

5.5.1 To improve the Food Safety Framework, FSSAI has established a Risk Assessment Cell (RAC) on 23rd February, 2016. Objectives of the Cell are**:**

1. To carry out the basic work of risk assessment through collection, processing and analysis of surveillance data and prepare an analysis report.
2. Provide inputs to the Scientific Panels and Scientific Committee for providing the scientific opinions on food safety issues.
3. Utilization of centers of excellences/ nodal institutions for scientific and technical support in identified thematic areas.
4. Communicate the risk assessment findings conducted by Scientific Panels and Scientific Committee to the risk managers and other stakeholders.
5. Coordinate in setting vertical and horizontal standards for concentrations of toxic chemicals, or pathogenic microorganisms in foods and water.

5.6 Food Safety and Applied Nutrition (FSAN) R & D Network:

To provide assistance to the Risk Assessment Cell through scientific cooperation, FSSAI is in the process of establishing/developing a scientific network (Food Safety and Applied Nutrition R&D Network) of various research institutions & organizations for three different food safety domain i.e. Biological hazards; Ingredients and Chemicals; Nutrition Safety and Security as per the mandate provided to FSSAI under section 16(3)(e) of the FSS Act, 2006 and under the ambit of the RAC.

The purpose of the Scientific Network is to improve the channel of communication among participants thereby reducing the duplication of activities and consequently avoiding the divergence of opinions. The Network is an advantaged setting to share data and methodologies for harmonization of assessment practices and to assist in anticipating emerging risks in the concerned area.

5.7 FSSAI-CHIFSS Roundtable on Reducing Food Borne Illness: Strengthening surveillance capabilities and epidemiological investigations" held on 27th April 2018:

A technical workshop on "FSSAI -CHIFSS Roundtable on Reducing Food borne Illness: Strengthening Surveillance Capabilities and Epidemiological Investigations" was held on 27th April, 2018 under the CHIFSS collaboration. The objective of the workshop was to bring together all the stakeholders, including Regulators, Research Institutes, Industries, Academia, Global Development Bodies, Public Messaging Agencies and related stakeholders, who can contribute to prepare a roadmap for improving surveillance, response to outbreaks and capturing critical data and insights that will help identify priorities and enable addressing the high burden of food borne illness in India, with a special focus on:

a) Understanding Pathogen Prevalence (in foods) and disease burden (monitoring & reporting)

b) Strengthening epidemiological intelligence and investigations - Pathogen insights and understanding pathogen-food-human link

c) Control measures, prioritization of diseases and information sharing/networking mechanisms / platforms (including enhancing laboratory capabilities and their linkages.

5.8 FSSAI – IITR – CHIFSS Technical Workshop on "Food Safety Assessment – Novel Ingredients and Additives" held on 22nd June, 2018 –

CHIFSS, in partnership with FSSAI, held a technical workshop on "Food Safety Assessment – Novel Ingredients and Additives" with the objective to enhance the capability building on food safety assessments (exposure and risk assessment focus) of Novel Ingredients and Additives, with focus on the scientific principles that can help appreciate the regulatory context as well as Scientific Capability Development.

5.9 A two-day Seminar on "Food Additives: A Global Perspective on Safety Evaluation and Use–

To address the concerns about safety of food additives and to evaluate their benefits, a two-day Seminar on "Food Additives: A Global Perspective on Safety Evaluation and Use" was conducted at FSSAI in association with US Deptt. of Agriculture and ILSI –India on 19th - 20th July, 2018. The discussions focused on science based approaches for safety assessment; procedures for approval of Food Additives in US & India; Case Studies on Food Additives; Important considerations in development of Food Additive Regulations; Surveillance Mechanism & Labeling.

5.10 Short Term Mission

With the objective to develop risk assessment procedures and practices in India for Ready-to-Eat (RTE) food, a Short Term Mission (STM) with "Better Training for Safer Food (BTSF)", European Union (EU) was conducted at FSSAI from 12-16 Nov., 2018. Dr. Kostas Koutsoumanis, Head of Laboratory of Food Microbiology and Hygiene, Aristotle University of Thessaloniki, Greece and Chair of European Food Safety Authority (EFSA) Biohazard Panel headed the mission and deliberated the risk assessment procedures and related case studies in EFSA/EU. The STM also included a session for hands on training on the use of Predictive Microbiology Software in Exposure Assessment in two more such STMs are proposed during 2019-20.

Table 10 - List of ongoing projects

Sl. No	Project Title	Name of the Organisation	Sanctioned Budget
1	Occurrence of acrylamide, a heat induced food toxicant, in processed food products of India: Mitigation strategies and health risks.	CSIR- National Institute for inter-disciplinary Science and Technology (NIIST), Thiruvananthapuram	Rs 27.68 Lacs
2	Kunitz Trypsin Inhibitor &Phytic Acid in Soybean: Assessment of various methods of estimation & profiling of commercial varieties, promising Germplasm and Soy-based products in India.	ICAR- Indian Institute of Soybean Research, Indore.	Rs 37.8 Lacs
3	Functional components and antioxidants analysis of citrus fruit for its potential application in food industry.	ICAR- Central Citrus Research Institute, Nagpur	Rs 35.84 Lacs
4	Assessment of the Quality of Vegetable Oils while frying and formulation of safety guidelines for fried oils for repeated frying.	CSIR- Indian Institute of Chemical Technology, Hyderabad.	Rs 22.92 Lacs
5	Comparative studies of artificially ripened fruits ripened with various artificial ripeners for identification of changes in chemical composition and the residues of artificial ripeners.	CSIR- Indian Institute of Chemical Technology (IICT), Hyderabad.	Rs 37.16 Lacs
6	Species identification to check adulteration of cheaper quality meat in meat.	ICAR- National Research Centre on Meat, Hyderabad.	Rs 40.50 Lacs

Sl. No	Project Title	Name of the Organisation	Sanctioned Budget
7	Generation of Data on Pesticide Residues and Metal Contaminants in Edible Vegetable oils of different regions.	CSIR- Indian Institute of Chemical Technology, Hyderabad.	Rs 29.12 Lacs
8	Development of novel methodologies for the identification and quantification of oils in blended, interesterified and adulterated oils based on triglyceride structure, fatty acid composition and minor constituents.	Centre for Lipid Research, CSIR-Indian Institute of Chemical Technology, Hyderabad	Rs 26.16 Lacs
9	Development of standard protocols and molecular tools for fish food authentication for food safety and quality assurance.	ICAR-Central Inland Fisheries Research Institute, Barrackpore	Rs 29.12 Lacs
10	Nutritional quality and safety evaluation of common processed products of grapes.	ICAR- National Research Centre for Grapes, Pune	Rs 30.74 Lacs
11	Application of DNA bar coding to detect contamination and substitution for different herbal products available in the market.	CSIR- North East Institute of Science and Technology, Jorhat	Rs 50 Lacs
12	Validation and Standardization of the GC analysis method given in ISO 17678:2010 for determination of milk fat purity in bovine milk other than cow's milk	National Dairy Research Institute, Karnal	Rs 31.64 Lacs
13.	Study to generate baseline data on the occurrence of metals contaminants (Iron, Lead, Copper, Cadmium, Chromium, Manganese, Nickel and Zinc) in vegetables	Collaborative project: i. Export Inspection Agency, New Delhi ii. Punjab Biotechnology Incubator, Mohali iii. Export Inspection Agency (EIA) -Kolkata Laboratory iv. EIA- Mumbai Laboratory v. EIA- Chennai Laboratory vi. University of Agricultural Sciences, Raichur.	Rs 99.00 Lacs
14	Estimation of Carcinogenic and Mutagenic compounds in processed meat.	National Research Centre on Meat, Hyderabad	Rs 50.00 Lacs
15	Monitoring of heavy metal in finfish and shellfish species along the Indian Coast and possible mitigation measures.	ICAR-Central Institute of Fisheries Technology), Kochi.	Rs 50.00 Lacs

Table 11 - List of completed projects

Sl.No	Project Title	Name of the Organisation	Sanctioned Budget
1	Assessment of total implication of khesari dal on human health	National Institute of Nutrition, Hyderabad	Rs 3.50 Lacs
2	Experimental Neurolathyrism in Goats	National Institute of Nutrition, Hyderabad	Rs 45.21 Lacs
3	Assessment of consumption of Processed & Non processed foods in India	National Institute of Nutrition, Hyderabad	Rs 1.73 Lacs
4	Pesticide and Antibiotic Residues in fish and fisheries projects: Evolving framework for fixation of MRLs	ICAR- Central Institutes of Fisheries Technology, Kochi	Rs 1.50 Lacs
5	Assessment of chemical contaminants in fresh/packaged/bottled tender coconut water	Food and Drug Toxicology Research Centre, National Institute on Nutrition (ICMR), Hyderabad	Rs 14.09 Lacs

Chapter-6

Food Imports

6.1 FSSAI's mandate extends to regulation of import of food and to ensure that it is safe and wholesome for human consumption. As per Section 25 of the Food Safety & Standard Act, 2006, import of articles of food are subject to the provisions of the Act. It stipulates that no person shall import into India any article of food in contravention of the Act or any Rules and Regulations made thereunder. The Food Authority has notified FSS (Import) Regulations, 2017 on 9th March, 2017.

6.2 **Food Import Clearance through FSSAI and Customs**

6.2.1 FSSAI has its Authorised Officers at 6 locations namely Chennai, Kolkata, Mumbai, Delhi, Kochi and Tuticorin covering 21 points of entry and has its own Food Import Clearance System (FICS) which is an online system, integrated with the Customs ICE-GATE (Indian Customs Electronic Commerce/Electronic Data interchange (EC/EDI) Gateway) under SWIFT (Single window interface for facilitating trade). As a part of FICS, all clearance sub-processes are handled electronically which includes document scrutiny, sampling, payment of fees, testing of samples and final clearance.

6.2.2 Risk Management System (RMS)

Food Safety & Standards (Import)Regulations, 2017 provides for selective sampling & testing of food articles on the basis of risk profile and parameters set by FSSAI. Accordingly, an Integrated Risk Management System for food sampling has been introduced. Customs Department implements the Risk Management System (RMS) through Customs' ICEGATE in consultation with FSSAI with reference to parameters such as risk category of the food items, compliance history of the importers and country of origin etc. RMS encourages and incentivizes self-compliant importers. In case of low risk food items, 5% random selection is done provided earlier five consecutive consignments of the same product imported by the same importer have complied with the FSS Regulations. In case of high risk items, if five consecutive consignments imported by the same importer have complied with the FSS Regulations, then only 25% of next 20 consignments of the same products imported by the same importer are sampled. If these are found compliant, then thereafter, only 5% of the future consignments of the same products imported by the same importer would be sampled even for high risk items. Introduction of Integrated Risk Management System has also helped in reducing clearance time of the imports.

6.2.3 Clearance of imported food consignments and steps taken during the year for facilitating the import of food products:

The food articles that are referred by the Customs Authorities to FSSAI for clearance at the six

locations, where FSSAI is present, are subjected to scrutiny of documents, visual inspection, sampling and testing in order to determine whether or not they conform to the safety and quality standards established and laid down under various Food Safety and Standards Regulations. If the sample is found conforming, then No Objection Certificate (NOC) is generated and if not conforming, then Non-Conforming Report (NCR) is generated. Further, Customs Officials (Superintendent/Appraiser/Inspector/Examiner) at 396 locations (Airports/Ports/ICD/LCS) have also been notified as Authorized Officers for clearance of food as per FSS Regulations, thus, facilitating the trade.

6.2.4 Further, Provisional NOC (PNOC) is issued by FSSAI for imported food items having very short Shelf-life (less than 7 days) such as fresh fruit, fresh vegetables etc. which require special storage conditions (temperature). With the PNOC, an importer can move the imported food consignment to a well-equipped storage facility till receipt of the lab test results before it is finally released based on test results. To facilitate trade, PNOC facility has been extended with effect from 1st May, 2018 to cover imported pre-packaged retail food products which would help decrease the demurrage charges.

6.2.5 FSSAI has notified 175 NABL accredited laboratories and 18 referral laboratories across the country for testing of food samples. These are also used for testing of imported food samples. Of these, 56 labs in the vicinity of the ports/points of entry across the country have been identified for testing of food samples of imported food consignments. The time taken for testing by the laboratories is also being continuously monitored which is currently between 3-5 days normally.

6.2.6 Further, FSSAI has recognised food laboratories at Thimpu (Bhutan) and Dhaka (Bangladesh) for prior testing of imported food samples. The test analysis certificates issued by them are accepted for food import clearance.

6.2.7 Food for Special Medical Purposes meant for children with Inborn Errors of Metabolism (IEM) and hypoallergic conditions have been allowed to be imported for a further period of six months from 2nd November, 2018 or till their standards are notified, whichever is earlier.

6.2.8 FSSAI has developed Food Import Rejection Alert (FIRA) portal for capturing non-compliances of all imported food product consignments and it has been made operational from 31st October, 2018. The Authorised Officers of FSSAI and Custom Officials working as Authorised Officers provide the details of rejected food consignments at their respective ports in FIRA which, after screening based on the decision of the appeals committee, as applicable, is made available as Rejection/ Alert on the Portal. This is available for public view as well. FIRA portal provides the details of the rejected consignments including, the product, importer & exporter, country of origin, reason for rejection etc. It will facilitate the exporting country or the exporter in getting information on the necessary standards to be complied with relating to product, packaging, labelling etc. Officials/ public can view country-wise food import rejections status to get an understanding of reasons for rejection and for alerts, if any, causing countries to take appropriate decisions.

6.2.9 Labeling information required as per Regulation 5.12 of FSS (Alcoholic Beverages) Regulations, 2018, has been allowed to be rectified for imported Alcohol consignments.

6.3 Trade data with respect to imported food items at a glance

6.3.1 As per data available in Food Import Clearance System (FICS) for the period 2018-19, major food commodities being imported in India are oil and fats, vegetables, fruits and nuts, coffee, tea, mate, spices, beverages, cereals, sugars and sugar confectionery. Top countries exporting food commodities to India are Indonesia, Ukraine, Myanmar, Malaysia, U.S.A, Canada, Argentina, Mozambique, Russia and Brazil.

Figures 11 - List of top 10 exporting countries to India (2018-19)

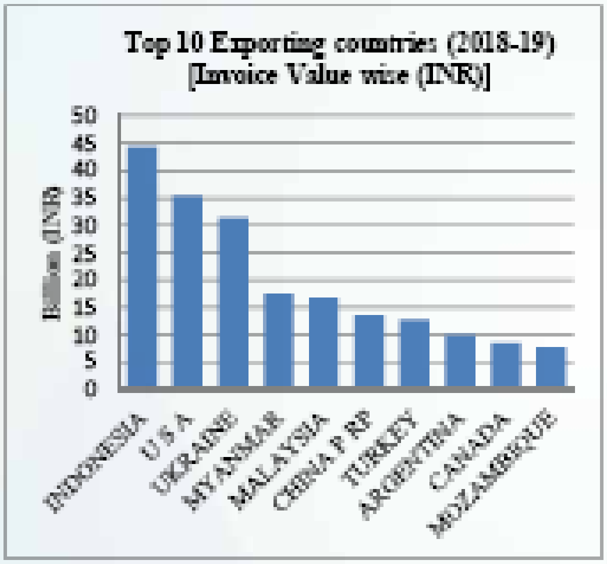

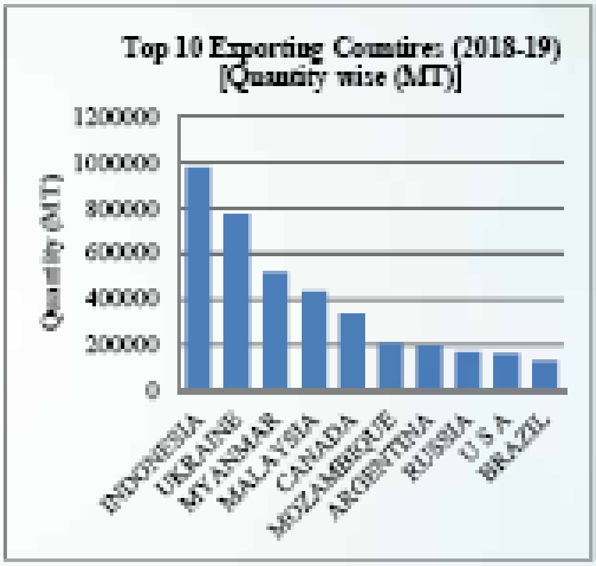

6.3.2 The details regarding the number of samples drawn & NOCs issued by FSSAI for the period April 2018 to March 2019 are furnished at Table-12. 91,879 items containing 66,73,439.24 Metric Tonne (MT) of imported food products were handled by FSSAI. Of these, 1,280 items, weighing 16,872.91 MTs of food, were issued non-conforming certificates as these did not meet the safety and quality standards prescribed under the FSS Act, 2006 and the regulations made thereunder and were, thus, rejected.

6.4 Ban on import of milk and milk products from China

6.4.1 The Government of India (DGFT) had imposed a ban on import of milk and milk products from China for three months vide Notification no. 46 dated 24th September, 2008 due to concerns regarding presence of melamine. The ban was extended for another six months upto 23rd June, 2009 vide Notification no. 67 dated 1st December, 2008. While doing so, the import of chocolates and chocolate products and candies/confectionary/food preparations with milk and milk solids as an ingredient were also included in the ban.

6.4.2 The ban was extended from time to time and was due to expire on 23rd December, 2018. The issue of ban was further reviewed in a meeting held in FSSAI on 6th December, 2018 with the concerned Ministries/Departments of the Government of India. It was opined that the ban on import of milk and milk products from China may be extended until the capacity of all notified laboratories at ports of entry across India has been suitably upgraded for testing melamine. Accordingly, based on the recommendations, the ban on import of milk and milk products, including chocolates and chocolate products and candies/confectionary/food preparations with milk and milk solids as ingredients from China has been extended by Central Government for a further period of four months i.e. upto 23rd April, 2019.

Table 12 - Data of food import clearance for the period 1st April, 2018 to 31st March, 2019

Location	Number of imported food Items	Total Quantity (MT*)	Number of Non-Conforming Reports (NCR) Issued	Quantity Belonging to NCR issued (MT)	Number of issued NOC	Quantity Belonging to NOC issued (MT)
Chennai	16,725	19,08,208.03	218	6,621.16	11,328	18,58,726.71
Cochin	2,233	64,619.57	134	995.97	2,087	40,667.36
Kolkata	3,887	22,78,632.87	69	657.96	3,049	8,95,890.86
Mumbai	58,406	19,02,129.35	537	4,681.22	46,982	16,61,164.2
Delhi	9,018	45,490.25	236	277.5	8,470	41,054.36
Tuticorin	1,610	4,74,359.18	86	3,639.09	1,516	4,59,659.74
Total	91,879	66,73,439.24	1,280	16,872.9	73,432	49,57,163.23

MT* Metric Tons

Chapter-7

Food Safety Compliance

7.1 Licencing/Registration:

7.1.1 Regulatory Provision

All Food Business Operators (FBOs) in the country are required to be registered or licensed under Section 31 of the Food Safety & Standards Act, 2006 to commence or carry on any food business. The Food Safety and Standards (Licensing and Registration) Regulations, 2011 regulate the procedure for grant of licence and registration to FBOs. The licences or registrations are issued as per the eligibility criteria for Central Licence, State Licence and Registration. In case of Central/ State Licence, a Unique License Number is granted for different kinds of businesses for carrying out food business at a particular premise for which licence has been granted. The FBOs are required to buy and sell food products only from, or to, licensed/registered vendors and maintain record thereof.

7.1.2 Eligibility criteria for Central or State Licence/Registration are at Table 14.

7.1.3 To facilitate and streamline the procedure for issuance of licence and registration, the manual procedure was replaced with an online Food License and Registration System (FLRS) by FSSAI in 2012 to serve as a single window for registration, central licence and state license. The FLRS has been constantly improved to make it more user friendly and has helped in reaching out to the FBOs. During the last few years, the number of FBOs applying for registration and license has increased substantially.

7.1.4 In addition to FLRS, FSSAI is also leveraging Common Service Centres (CSC-SPV) to ease the process of registration for small scale FBOs. The service is available through all CSCs Pan- India.

7.1.5 Till 31-03-2019, 46,851 Central licences have been issued to FBOs by the Central Licensing Authorities (CLAs), which is an increase of about 25% compared to the previous year. Similarly, as on 31.03.2019, 10,44,992 licences and 47,97,997 registrations have been issued by Licensing Authorities of States/Union Territories under the Act. The figure reflects significant increase in numbers of Central Licenses, State Licenses and Registrations. Year-wise comparative sheet of licenses and registrations is at Table 13.

Table 13- Data reflecting rise in number of license and registration issued over the years

As on	Central License	State Licence	Registration
31.03.2014	14,610	4,66,057	20,73,405
31.03.2015	19,250	5,52,113	23,78,082
31.03.2016	24,917	7,08,664	27,64,600
31.03.2017	30,413	7,92,780	30,39,762
31.03.2018	37,405	7,83,832	31,90,371
31.03.2019	46,851	10,44,992	47,97,997

Projection of above data in graph

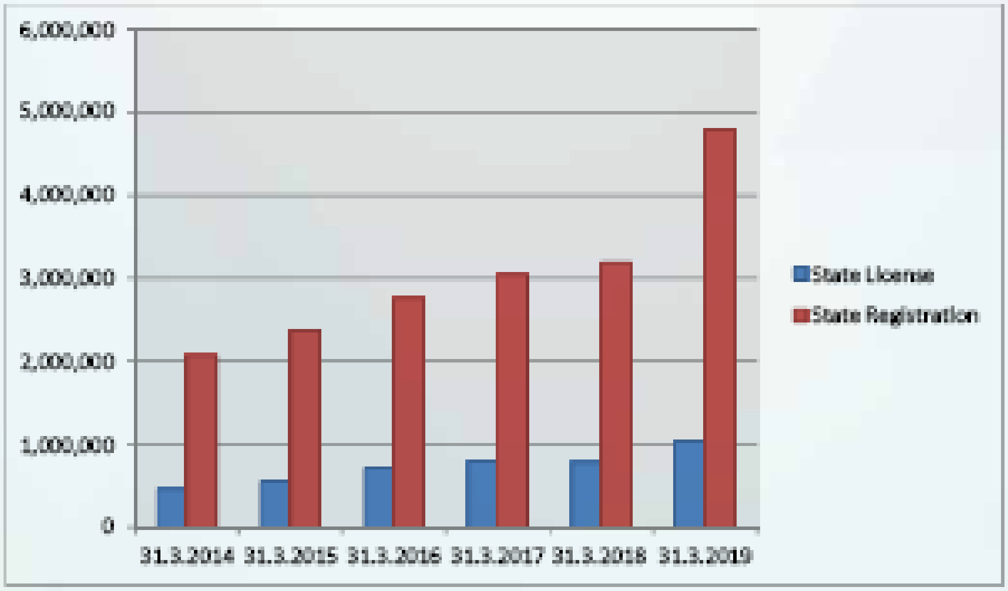

7.2 Administrative setup of enforcement machinery in States/UTs -

Chapter VII of the FSS Act, 2006 contains provisions relating to enforcement of the Act. The State/UT Governments are primarily responsible for the enforcement of the FSS Act, 2006 in their respective jurisdictions through the institution of the Commissioner of Food Safety. The team under the Commissioner of Food Safety includes Designated Officers (DOs) and Food Safety Officers (FSOs). A total number of 36 Food Safety Commissioners (FSCs) in various States and UTs undertake the task of licensing /registration and enforcement through DOs and FSOs. Adjudicating machinery includes Adjudicating Officers (AOs) and Appellate Tribunals, besides Special Courts and Ordinary Civil Courts. The details of the administrative structure of enforcement machinery in various States/UTs is at Table 15.

7.3 Progress during the year 2018-19 in implementation of the FSS Act in States/UTs and new initiatives:

7.3.1 The implementation and enforcement of FSS Act, 2006 and Rules and Regulations made thereunder primarily rests with the State/UT Governments. Regular surveillance, monitoring, inspection and random sampling of food products are undertaken by the officials of Food Safety Departments of the respective States/ UTs to check that the food products comply with the laid down standards. In cases where the food samples are found to be non-conforming, recourse is taken to penal provisions under Chapter IX of the FSS Act, 2006. Details of samples analysed, found non-conforming to the prescribed standards and norms and penal action taken during the year 2018-19 is at Table 16.

7.3.2 To evolve the overall approach to compliance, FSSAI is adopting a risk based approach towards inspections and surveillance aligning to global standards. Risk Based Inspection System (RBIS) will strengthen and ensure safe food supply and fair trade practices and will prevent fraudulent practices. Its objectives are to (i) prevent unsafe food to be placed in the domestic market in order to protect food consumers in India; (ii) to draw a food inspection system from a product-based process to a risk–based process that can be used by food inspectors across the entire food sector, regardless of the specific product(s) handled or manufactured; and (iii) linking 'Risk grade' with Licensing & Registration System.

7.3.3 FoSCoRIS

7.3.3.1 FSSAI has developed a digital inspection system 'Food Safety Compliance through Regular Inspection and Sampling' (FoSCoRIS) and requested all States/UTs to adopt the same to bring transparency in food safety inspection and sampling. It can be used with hand held device like Mobile phones, Tablets and Desktops as well. FoSCoRIS will serve as an empowering tool not only for Inspection but also for monitoring, data collection and data analysis in real time basis. FoSCoRIS will enable to view details of the officers conducting inspections, their geographical location, food premises being inspected etc. The Inspecting Officers shall also be able to

capture the images and upload the same in the system.

7.3.3.2 Initially, FSSAI implemented FoSCoRIS in three States namely Punjab, Tamil Nadu and Madhya Pradesh and in all 5 regional offices of FSSAI. Subsequently, FoSCoRIS has been implemented in Bihar and Chandigarh. Further, FSSAI has provided hand holding training on FoSCoRIS to regulatory staff of 21 States/UTs that have shown willingness to adopt it.

7.3.3.3 Mobile network is one of the major challenges in the implementation of FoSCoRIS for inspections of FBO units located in remote areas. Another challenge faced by States to implement FoSCoRIS is lack of basic amenities viz. IT enabled handheld devices for being provided to their officers which hinder the implementation of FoSCoRIS. Subsequently, an offline module (app version) of FoSCoRIS has also been developed and shared with States/UTs to further encourage them to come forward and adopt this system.

7.3.4 In order to improve interface with the States/UTs, FSSAI is conducting Video Conferencing (VC) session with the Food Safety Departments of States/UTs. Normally, Video Conference session is organised on weekly basis with one State/UT at a time. State specific issues and workable solutions to these issues are discussed during the session.

7.3.5 FSSAI has also increased interaction with States by participating in the State level Advisory Committee meetings to discuss food safety issues of States/UTs.

7.3.6 FLRS is one of the main software applications that facilitates licensing and registration system of the FSSAI and is now in operation in all States/UTs except Nagaland. Further, FLRS has been rolled out in all the 16 zones of Indian Railways and all zones of Indian Railways are now live on FLRS.

7.3.7 In the course of functioning of the licensing and registration system for these years, several gaps were felt in the Regulations and the IT platform. FSSAI received various inputs from the regulatory staff as well as the food businesses from time to time about functional issues related to the implementation of the regulations. Taking into account the feedbacks, Government's emphasis on ease of doing business without, however, compromising food safety, comprehensive changes in the Food Safety and Standards (Licensing and Registration of Food Businesses) Regulations, 2011 and in the corresponding FLRS online system is proposed.

7.3.8 In order to ensure food safety, FSSAI has come out with guidelines for operation of E-commerce Food Business Operators which have now been operationalized. All applicable provisions of the Act and the Rules and Regulations made thereunder are to be complied with by e-commerce entities in food business.

7.3.9 FSSAI have signed MoU with the Advertising Standard Council of India (ASCI) to monitor and address the cases of misleading advertisements across various media in the Food and Beverage

sector (F&B). During the year 2018-19, ASCI has processed 301 misleading advertisements relating to food.

7.4 State Food Safety Index (SFSI)

FSSAI has developed a State Food Safety Index to measure the performance of States on various parameters of food safety. The index is a dynamic quantitative and qualitative benchmarking model that provides an objective framework for evaluating food safety status across all States/UTs. This index is based on performance of a State/ UT on five significant parameters, namely: Human Resource and Institutional Data, Compliance, Food Testing Infrastructure & Surveillance, Training and Capacity Building and Consumer Empowerment. Weightage pattern of these parameters is in figure below :

Figure 12- Weightage pattern of parameters for 'State Food Safety Index'

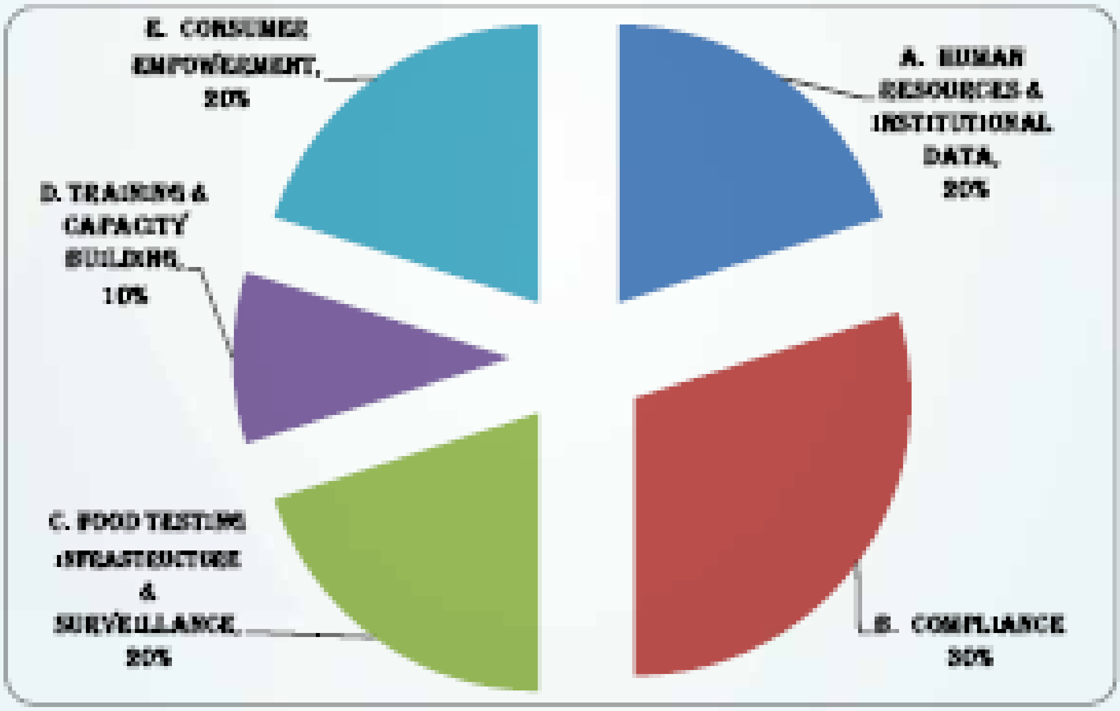

7.5 Empanelment of Food Safety Audit Agencies

Section 44 of the Food Safety and Standards Act, 2006 empowers the Food Authority to recognize an organization or an agency for carrying out food safety audit and checking compliance with the Food Safety Management Systems. Section 16(2)(c) of the Food Safety and Standards Act, 2006 empowers Food Authority to frame regulations to specify the mechanisms and guidelines for accreditation of certification bodies engaged in certification of Food Safety Management Systems (FSMS) for food businesses. Accordingly, FSSAI has notified Food Safety and Standards

(Food Safety Auditing) Regulations, 2018 w.e.f 28th August, 2018 and has recognized 24 food safety auditing agencies as on 31st March, 2019 under various scopes of auditing. FSSAI has since initiated audit of Food Business Operators through third party auditing agencies.

7.6 Conduct of Food Safety Audit of Municipal Slaughter Houses

FSSAI has launched the 'Clean and Safe Meat Campaign'. It is an initiative with the objective to develop an ecosystem that will enable the availability of clean and safe meat and meat products to consumers.In connection with the campaign, FSSAI has decided initially to conduct food safety audit of 40 municipal slaughter houses all over India. Campaign also covers mandatory licence/registration and inspection of all retail meat shops and meat processing units as well as slaughter houses by food safety officials.

7.7 Surveillance

Surveillance is an integral part of regulatory compliance and States/UTs regularly conduct surveillance activities and carry out intensive surveillance drives as per their surveillance plans. FSSAI has worked out an annual surveillance plan and shared with States/UTs to chalk out their annual surveillance plan taking into account certain factors like geographical location, availability of food items, active/specific surveillance drives during festivals or specific occasions, degree of risk associated with food commodities etc. Based on the activities undertaken in their respective areas, States and UTs are submitting surveillance reports to FSSAI from time to time which are subsequently followed up in meetings of Central Advisory Committee; Video Conferences, and other meetings with Food Safety Commissioners of States and UTs.

7.8 Initiatives towards ease of doing business in licensing/registration

- Physical submission of Documents for Licensing/Registration discontinued

  It was noted that States/UTs were seeking physical submission of various documents required for licensing/registration. This defeats the purpose of having an online system of submission of applications. Keeping this in view and in pursuance to Government's commitment to ease of doing business and as per Business Reforms Action Plan-2017, FSSAI has completely done away with submission of physical copies of various documents required for licensing/registration w.e.f 16th April, 2018.

- Introduced online dispatch of Licence/Registration

  It was noted that Food Business Operators were not receiving physical signed copy of licence/registration for a long time despite the licence having been generated. To avoid such postal delays and consequential inconvenience and harassment to Food Business Operators (FBOs), FSSAI decided on 18 April, 2018 to send the system generated licence/ registration to e-mail IDs of FBOs. The system generated FSSAI licence/registration certificate bears a Quick Response (QR) code as a security feature to verify the licence/

registration certificate. Based on the computer generated licence/registration certificate, the FBO can start his food business immediately. This has come into effect from 1st May, 2018.

- Rationalization of documents for Licensing of Hotels/Restaurants: Various documents, though not required, were earlier being asked to be uploaded by licensing authorities from Food Business Operators engaged in hotels/ restaurants. This is now discontinued.

- Number of days increased from 60 to 120 for renewal of licence/registration: Earlier, a 60 days' window was given to food business operators to renew their licence/registration prior to due date of renewal. To facilitate the business, this is now increased to 120 days.

- All zones of Indian Railways taken on board for issue of online licence/registration : Earlier, the Railways were issuing license/registration to FBOs in Railway network offline. With all the Zones being brought under FLRS, the Railways are now are issuing license/registration online.

7.9 Initiatives in pipeline:

(a) Revision of Food Safety and Standards (Licensing and Registration of Food Businesses) Regulations, 2011.

(b) Linking of Recall module in FLRS system.

(c) Simplification and rationalization of licensing and registration processes and develop a more robust IT system.

(d) Establish a wide network of accreditation and certification agencies for audit and checking compliances with FSMS.

(e) Optimisation of time gap in the internal processes of authorities through systematic monitoring at different stages.

(f) To proactively incorporate and respond to the emerging business models i.e. e-commerce, direct selling etc. to ensure accountability of Food Business Operators in the entire supply chain.

(g) Outreach to all Central Institutions having food related business activities/canteen etc. to bring under licensing and G.H.P.

Table 14 - Eligibility criteria for a Central or State Licence and Registration

Central License	
•	Dairy units with more than 50,000 litres of liquid milk/day or 2500 MT of milk solid per annum.
•	Vegetable oil processing/ producing units having installed capacity of more than 2 MT per day.
•	Slaughter houses equipped to slaughter more than 50 large animals/150 small animals/ 1000 poultry birds per day.
•	Meat processing units equipped to handle or process more than 500 kg of meat per day/ 150 MT per annum.
•	Food processing units having installed capacity of more than 2 MT/day except grains, cereals and pulses milling units.
•	100 % Export Oriented Units.
•	All Importers importing food items including food ingredients and additives for commercial use.
•	All food business operators manufacturing/ processing/ importing any proprietary food for which NOC has been given by FSSAI.
•	Registered/ Head office of FBOs operating in two or more States.
•	Food catering services in establishments and units under Central Government Agencies like Railways, Air and airport, Seaport, Defence etc.
•	Hotels with 5 Star and above accreditation.
•	All E-commerce food businesses.
State License	
•	All FBOs other than those eligible for Registration/Central License.
•	All grains, cereals and pulses milling units.
Registrations	
•	Petty Manufacturer, seller retailer, hawker, itinerant vendor or temporary stall holder.
•	Small food businesses with an annual turnover not exceeding Rupees 12 lakhs.
•	Production capacity of food not exceeding 100 kg/ltr per day.
•	Procurement or handling and collection of milk up to 500 litres per day or less.
•	Slaughtering capacity 2 large animals or 10 small animals or 50 poultry birds per day or less.

Table 15 -Administrative setup of enforcement machinery in States/UTs under FSS Act, 2006 (as on 31.03.2019)

S. No.	Name of State	FSC	No. of AOs	No. of DOs	No. of FSOs	SLAC	DLAC	Tribunal
1	Andaman & Nicobar Islands	1	3	3	14	Yes	Yes	Yes
2	Andhra Pradesh	1	13	14	32	Yes	Yes	Yes
3	Arunachal Pradesh	1	22	22	3	Yes	Yes	Yes
4	Assam	1	27	5	35	Yes	Yes	Yes
5	Bihar	1	38	14	14	Yes	Yes	No
6	Chandigarh	1	1	1	6	Yes	Yes	Yes
7	Chhattisgarh	1	27	30	56	Yes	Yes	Yes
8	Dadra & Nagar Haveli	1	1	1	1	Yes	Yes	Yes
9	Daman & Diu	1	2	2	2	Yes	Yes	Yes
10	Delhi	1	11	5	26	Yes	Yes	Yes
11	Goa	1	2	2	21	Yes	Yes	Yes
12	Gujarat	1	33	38	137	Yes	Yes	Yes
13	Haryana	1	22	25	75	Yes	Yes	Yes
14	Himachal Pradesh	1	12	15	75	Yes	Yes	No
15	Jammu & Kashmir	1	22	24	106	Yes	Yes	Yes
16	Jharkhand	1	24	24	219	Yes	Yes	No
17	Karnataka	1	36	30	230	Yes	No	Yes
18	Kerala	1	22	18	162	Yes	Yes	Yes
19	Lakshadweep	1	1	1	13	Yes	No	No
20	Madhya Pradesh	1	51	51	163	Yes	Yes	Yes
21	Maharashtra	1	7	62	265	Yes	Yes	Yes
22	Manipur	1	16	10	22	Yes	Yes	Yes
23	Meghalaya	1	11	11	11	Yes	Yes	Yes
24	Mizoram	1	9	10	25	Yes	Yes	No
25	Nagaland	1	11	4	7	Yes	Yes	No
26	Odisha	1	30	36	105	Yes	Yes	No
27	Puducherry	1	2	4	8	Yes	Yes	Yes
28	Punjab	1	22	22	35	Yes	No	Yes
29	Rajasthan	1	40	43	60	Yes	No	Yes
30	Sikkim	1	4	6	6	Yes	Yes	No
31	Tamil Nadu	1	32	32	391	Yes	Yes	Yes
32	Telengana	1	31	35	80	Yes	No	Yes
33	Tripura	1	3	23	64	Yes	Yes	Yes
34	Uttarakhand	1	13	15	90	Yes	Yes	Yes
35	Uttar Pradesh	1	75	77	662	Yes	Yes	Yes
36	West Bengal	1	23	26	152	Yes	Yes	Yes
Total		**36**	**699**	**741**	**3,373**			

Note: FSC=Food Safety Commissioner,AO=Adjudicating Officer, DO=Designated Officer, FSO=Food Safety Officer, SLAC=State Level Advisory Committee, DLAC-District Level Advisory Committee.

Table 16- Details of samples analysed, found non-conforming to the prescribed standards and norms and penal action taken during the year 2018-19

S. No.	Name of State/UT	No. of Samples Analysed	Total No. of Samples found non-conforming	Break-up of Non Conforming Samples			No. of Cases Launched		No. of Convictions / Penalties		
				Unsafe	Sub Standard	Labelling defects/ Misleading/ Miscellaneous	Criminal	Civil	Convictions	Penalties	Amount of Penalties in Rs.
1	Andaman & Nicobar Island	268	11	0	11	0	1	90	1	89	12,74,000
2	Andhra Pradesh	4,715	692	149	244	299	104	456	29	344	1,06,91,300
3	Arunachal Pradesh	291	11	1	3	7	1	7	0	6	21,000
4	Assam	515	111	46	48	17	7	14	0	5	77,000
5	Bihar	4,135	372	110	151	111	25	146	0	30	10,65,000
6	Chandigarh	315	30	3	16	11	37	21	30	15	3,35,000
7	Chhattisgarh	988	208	16	141	51	23	27	17	8	9,95,000
8	Dadara& Nagar Haveli	58	6	0	2	4	0	6	0	6	63,000
9	Daman & Diu	145	4	0	1	3	0	4	0	0	0
10	Delhi	2,461	485	96	148	241	29	110	38	31	47,16,001
11	Goa	1,550	88	6	45	37	1	9	0	17	8,66,000
12	Gujarat	9,884	822	47	432	343	22	353	22	237	1,95,89,004
13	Haryana	2,929	737	95	459	183	47	488	5	242	51,16,860
14	Himachal Pradesh	229	43	6	20	17	4	10	4	35	9,65,500
15	Jammu & Kashmir	3,600	1,416	44	732	640	10	698	1	466	57,18,800
16	Jharkhand	499	208	44	101	63	10	71	0	22	4,85,000
17	Karnataka	3,945	456	100	120	236	71	249	0	146	9,50,800
18	Kerala	4,378	781	201	321	259	102	565	2	339	1,11,17,000
19	Lakshadweep	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Madhya Pradesh	7,063	1,369	44	651	674	114	1,095	8	557	1,82,28,200
21	Maharashtra	4,742	1,036	278	633	125	957	910	18	529	1,19,96,269
22	Manipur	388	56	0	28	28	0	16	0	12	6,89,000
23	Meghalaya	81	3	3	0	0	1	0	0	3	1,93,700
24	Mizoram	124	27	2	7	18	0	0	0	0	0
25	Nagaland	202	175	0	175	0	0	63	0	63	37,500
26	Odisha	327	91	22	44	25	38	123	0	3	2,20,000
27	Puducherry	2,037	39	0	39	0	0	0	0	7	
28	Punjab	11,920	3,961	92	2,015	1,854	45	1,840	3	1,762	1,57,03,200
29	Rajasthan	5,760	2,147	208	1,272	667		657	141	686	20,17,000
30	Sikkim	182	17	0	17	0	0	0	0	0	0
31	Tamil Nadu	5,730	2,601	728	813	1060	666	1,718	306	1,485	5,01,11,950
32	Telangana	1,760	168	23	86	59	33	191	3	15	2,48,000
33	Tripura	192	8	2	6	0	0	3	0	0	0
34	Uttar Pradesh	22,583	11,817	1,404	7,907	2,506	451	8,524	73	5,526	15,89,81,003
35	Uttarakhand	755	35	0	25	10	8	28	0	28	28,53,000
36	West Bengal	1,708	384	130	157	97	6	58	0	20	4,53,000
	Total	1,06,459	30,415	3,900	16,870	9,645	2,813	18,550	701	12,734	32,57,78,087

Source: States/UTs,

Chapter-8

Food Testing & Surveillance

8.1 Notification of Food Testing Laboratories

8.1.1 As per Chapter VIII, Section 43 of the Food Safety and Standards Act, 2006, FSSAI is to foster an ecosystem for testing of food at food laboratories for compliance with the food safety standards.

8.1.2 As an integral part of the food regulatory set up, the food testing ecosystem has to serve the following major functions:

- Analyse and test foods/food commodities (domestic as well as imported) against the prescribed quality and safety parameters and enable enforcement of food laws/regulations;
- Assist in market surveillance activities to ensure that the food products being sold are standardized and are sold in compliance with the standards prescribed;
- Be a part of the risk assessment framework including those during food related incidences and, in turn, aid in development of food standards or guidance documents;
- Be an integral part of the network to harmonize, develop or validate testing methods;
- Create awareness about food testing and food standards, especially among the consumers;

The food testing laboratories can be used by the regulator, consumers and food business operators to ensure compliance of food laws at all levels.

8.1.3 As per Section 43 (1) of FSS Act, 2006, the Food Authority may notify food laboratories and research institutions accredited by National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories or any other accreditation agency for the purposes of carrying out analysis of samples by the Food Analysts under this Act.

8.1.4 As per Section 43 (2) of FSS Act, 2006, the Food Authority shall, establish or recognise by notification, one or more referral food laboratory or laboratories to carry out the functions entrusted to the referral food laboratory by the Act or any rules and regulations made thereunder.

8.1.5 Earlier, food laboratories were being recognized and notified by FSSAI as per the "Guidelines for Recognition & Notification of Accredited Food Testing Laboratories by FSSAI" laid down for the purpose. However, to provide a legal base; to bring about transparency; and, to have a proper system for reviewing and monitoring the activities of food laboratories and thereby improving the quality of food testing in the country, Food Safety and Standards (Recognition and Notification of Laboratories) Regulations, 2018 have been notified in November, 2018. The *ibid* Regulations cover all the procedural requirements for the recognition and notification for laboratories such as types of laboratories, criteria for recognition and notification, renewal, audit & investigation,

obligations of the laboratories, suspension, de-recognition, audits etc.

8.1.6 As on 31st March, 2019, the Food Authority had a network of 269 laboratories comprising of 251 laboratories for primary testing of which 175 laboratories are recognized and notified under Section 43(1) of FSS Act, 2006, and 18 laboratories for appellate (referral) testing are recognized and notified under Section 43(2) of FSS Act 2006. The sector wise composition of all the laboratories is as below –

Table 17 - Details of primary and referral food testing laboratories

Primary food testing laboratories		**Numbers**
1	State food laboratories	12
2	Labs of Central Government institutes/autonomous bodies	19
3	Private laboratories	144
4	Government laboratories under transition provision*	76
	Total primary food testing laboratories	251
Referral food testing laboratories		
1	Labs under Central Government institutes/autonomous bodies	16
2	Food Authority's own laboratories	02
	Total referral laboratories	18

(recognized and notified under the transition provision under section 98 of FSS Act 2006)*

8.1.7 During 2018-19, 13 new primary food testing laboratories were notified while already notified 4 such laboratories were de-notified. Similarly, 2 new referral laboratories, namely, Punjab Biotechnology Incubator, Mohali and CSIR-Indian Institute of Toxicology Research, Lucknow were notified and 2 referral laboratories viz. CSIR-Indian Institute of Integrative Medicine, Jammu and ICAR-Indian Institute of Vegetable Research, Varanasi were de-notified.

8.1.8 This has improved the availability of food testing facilities in every part of the country. Notification of food testing laboratories by the Food Authority is a continuous process based on voluntary application of the laboratories. However, the Food Authority proposes to encourage and notify private food testing laboratories in States where none is presently available as well as increase the number of state food laboratories or notified laboratories where their number is less. State-wise number of FSSAI notified laboratories, State/Public Food Laboratories, Referral laboratories is given in figure 15.

8.1.9 Food laboratories under the Food Authority

Two of the 18 referral laboratories are under the direct control of FSSAI viz., Food Standardization & Research Laboratory (FRSL), Ghaziabad and Central Food Laboratory (CFL), Kolkata. Both are now re-named as National Food Laboratory-Ghaziabad and National Food Laboratory-Kolkata, respectively. NFL-Ghaziabad has been developed as state-of-the-art model food testing laboratory and has become operational w.e.f. 1st August, 2018 on public-private partnership

(PPP) mode. Likewise, NFL-Kolkata has also been renovated and upgraded with sophisticated analytical instruments. Microbiology Section at NFL, Kolkata is also being upgraded with advanced microbiological analytical instruments and is likely to be ready by June, 2019.

8.2 National Reference Laboratories (NRLs)

8.2.1 As per Regulation 3 of Food Safety and Standards (Recognition and Notification of Laboratories) Regulations, 2018, the Food Authority may recognise any notified food laboratory or referral food laboratory as National Reference Laboratory (NRL) for the purpose of developing methods of testing, validation, proficiency, testing and training. FSSAI is in the process of setting up a network of National Reference Laboratories (NRLs) either on product basis or analyte basis or combination of both i.e. product and analyte basis. These NRLs would set up a country wide standard for routine procedures, reliable testing methods & validation of such standard procedure/testing methods, development of new methods and ensuring proficiency in testing across the food laboratories with special reference to the risks or food categories. The concept of setting up of NRL system was approved by the Food Authority at its 23rd meeting held on 25th May, 2017.

8.2.2 On the basis of Expression of Interest, 39 applications were received of which 17 were shortlisted. After careful assessment and inspection, the Core Committee constituted for the purpose, has finalised and recommended 13 laboratories to be notified as NRLs and 2 laboratories as Ancilliary National Reference Laboratory (ANRL) to only act as a support facility but not as an independent NRL. The name and specific area of work of the notified NRLs is as under :

Table 18 - List of National reference laboratories

S. No.	Name of the Laboratory/ Institution/Organization	Specific area for which declared as NRL/ ANRL
Government laboratories as NRL		
1.	CSIR-Central Food Technological Research Institute, Mysuru	Nutritional information and labelling
2.	Export Inspection Agency, Kochi	GMO testing
3.	Punjab Biotechnology Incubator, Mohali	Sweets & Confectionary including Honey
4.	ICAR-National Research Centre For Grapes	Pesticides Residues and Mycotoxins
5.	ICAR-Central Institute of Fisheries Technology, Kochi	Fish & Fish Products
6.	Centre for Analysis and Learning in Livestock and Food – National Dairy Development Board, Anand	Dairy & Dairy Products
7.	CSIR-Indian Institute of Toxicology Research, Lucknow	Toxicological evaluation/risk assessment of nutraceuticals, functional foods and novel/emerging foods/ food ingredients

S. No.	Name of the Laboratory/ Institution/Organization	Specific area for which declared as NRL/ ANRL
8.	National Institute of Plant Health Management, Hyderabad	Pesticide residue analysis in fruits & vegetables, cereals & pulses, spices and PTP for the same
Private laboratories as NRL		
9.	Trilogy Analytical Laboratory Pvt. Ltd., Hyderabad	Mycotoxins in cereals & pulses, spices & condiments and related PT activities
10.	Edward Food Research & Analysis Centre Limited, Kolkata	Veterinary drug residues, antibiotics & hormones
11.	Vimta Labs Limited, Hyderabad	Water, Alcoholic and Non-Alcoholic Beverages
12.	Fare Labs Pvt. Ltd, Gurugram.	Oils and Fats
13.	Neogen Food & Animal Security (India) Private Limited, Kochi	Food Allergens
Ancillary facility of NRLs		
1.	Export Inspection Agency EIA, Chennai	Support facility as PTP in microbiological testing
2.	Export Inspection Agency EIA, Kolkata	Support facility as PTP in the area of heavy metals in all food categories

8.2.3 The NRLs, when fully operational, will be brought under a single umbrella network which shall be termed as a Network of NRLs (NNRL).

8.2.4 The above list of 15 laboratories was approved by the Food Authority at its 27th meeting held on 4th February, 2019.

8.2.5 The Handbook of Guidelines for NRLs and ANRLs containing the background, obligations, financial regulations, format of progress report and Memorandum of Understanding (MoU) are being prepared. The Handbook would be a part of MoU. The recognition of NRL shall come into effect only after receipt of MoU duly signed by NRL and its acceptance by FSSAI. The approval has been conveyed to these laboratories in March, 2019. The Handbook and MoU would be shared with them shortly.

8.3 Central Sector Scheme for Strengthening of the Food Testing System in the country including provision for Mobile Food Testing Laboratories-

8.3.1 A Central Sector Scheme for "Strengthening of the Food Testing System in the Country including provision for Mobile Food Testing Laboratories" was approved on 31st August, 2016 by the Ministry of Health and Family Welfare with an outlay of Rs. 481.95 Crore (Rs.400.40 Crore - Non recurring, Rs. 81.55 Crore – Recurring) for implementation for a period of three years starting from 2016-17 upto 2018-19. Keeping in view the progress of implementation, a proposal has been sent to the Ministry of Health and Family Welfare for continuation of the Scheme for a period of two years i.e. upto March, 2021. The approval of the Ministry is awaited

8.3.2 The details of important components and status of implementation of the Central Sector Scheme is given below:

(i) Strengthening of State Food Testing laboratories:

Under this component of the Scheme, nearly 45 State Food Testing Laboratory (SFTL) are to be strengthened at an estimated cost of Rs.10 crore (approx.) each which includes Rs. 50 Lakh for the creation/renovation of physical infrastructure for installing three high- end equipments (HEEs) viz. GC-MSMS, ICPMS and LC-MSMS, Rs.8.50 Crore for procuring HEEs (including 7 years' manpower support and 5 years' Comprehensive AMC) and Rs.1.00 Crore for setting up of a microbiology laboratory. The estimated grant for establishment of a new laboratory in North-Eastern State is Rs. 3 crore.

During the period 2018-19, 13 more SFTLs were taken up for upgradation with a sanctioned grant of Rs. 143.10 crore towards procurement of high end equipment (including manpower), setting up of microbiology laboratory and renovation of infrastructure for housing sophisticated equipments, of which Rs. 141.60 cr was released. With this, the total number of SFTLs taken up for upgradation has increased from 24 SFTLs in 23 States/UTs in previous year to 37 SFTLs in 29 States/UTs with total sanctioned grant of Rs.220.30 crore (of which Rs. 218.80 cr has been released). Details of grant sanctioned is given in Table 19 below:

Table 19- Details of grant sanctioned for upgradation of SFTLs

Grant sanctioned/ released and purpose	No. of SFTLs States/ UTs	Name of the States/UTs
Rs.15.50 crore for renovation work (@Rs. 50 lakh/SFTL)	31 SFTLs of 27 States/ UTs	Andhra Pradesh, Assam, Bihar, Chhattisgarh, Delhi, Goa, Gujarat (2 Laboratories viz. Vadodara & Rajkot), Haryana, Himachal Pradesh, J & K (2 Laboratories viz. Jammu & Srinagar), Jharkhand, Karnataka (Bengaluru), Kerala (2 laboratories viz. Kozhikode & Thiruvananthapuram), Madhya Pradesh, Maharashtra, Manipur, Meghalaya, Nagaland, Odisha, Puducherry, Punjab, Rajasthan (2 laboratories viz. Jodhpur & Udaipur), Tamil Nadu (2 laboratories viz. Chennai & Madurai), Telangana, Uttarakhand, West Bengal.
Rs. 183.45 crore for procurement of high end equipments (HEEs)	26 SFTLs of 22 States/ UTs	Assam, Bihar, Chhattisgarh, Delhi, Goa, Gujarat (2 Laboratories viz. Vadodara & Rajkot), Haryana, J & K (2 Laboratories viz. Jammu & Srinagar), Jharkhand, Karnataka (Bengaluru), Kerala, Manipur, Madhya Pradesh, Meghalaya, Nagaland, Odisha, Punjab, Rajasthan (2 laboratories Jodhpur & Udaipur), Tamil Nadu (2 laboratories viz. Chennai & Madurai), Telangana, Uttar Pradesh and West Bengal.

Grant sanctioned/ released and purpose	No. of SFTLs States/ UTs	Name of the States/UTs
Rs. 8.95 crore for Micro-biology laboratory	14 SFTLs of 13 States/ UTs	Delhi, J&K (2 laboratories), Gujarat, Goa, Karnataka, Kerala, Meghalaya, Nagaland, Punjab, Rajasthan, Tamil Nadu, Telangana and West Bengal
Rs. 2.40 crore for establishment of New Food Testing Laboratory in NE State	1 SFTL of 1 State	Manipur (Moreh)
Rs. 10 crore for Upgradation as Basic Functional Laboratory *in lieu of* HEEs	2 SFTLs of 2 States	Karnataka (Mysuru) and Sikkim (Singtam)

(ii) Strengthening of Referral Food Testing Laboratories:

This component of the Scheme envisions strengthening of Referral Food Testing laboratories with high end testing facilities as per Food Safety and Standards Regulations (FSSRs). The estimated grant for upgradation of each referral laboratory is Rs. 3 crore for bridging the gap in the existing and required test facilities as per FSSRs for a few major equipment facilities.

During the period, 3 more referral laboratories viz. CSIR-Indian Institute of Toxicology Research (IITR), Lucknow, National Referral Centre for Meat (NRC-M), Hyderabad and Punjab Biotechnology Incubator (PBTI), Mohali were approved for upgradation with a few high-end equipments for which a grant of Rs. 9.856 crore was released. With this, a total grant of Rs. 28.08 crore have been approved till end of March, 2019 to 10 referral laboratories for procurement of high-end equipments out of which Rs. 23.571 crore was released as per details at Table 20 below:

Table 20 –Details of grant sanctioned and released for upgradation of referral labs

S. N.	Name and Address of the Referral Lab	Amount (Rs. in Crore)		Name of the equipment
		Sanctioned	Released (month, year)	
1	Food Safety and Analytical Quality Control Laboratory, C/o CFTRI, Mysuru,	4.00	4.00 (Mar, 2017)	IRMS & LC-MS/MS
2	Indian Institute of Food Processing Technology (IIFPT),Thanjavur	1.65	0.825 (July, 2017)	Automated Microbial Identification System & DNA Sequencer
3	Indian Institute of Chemical Technology (IICT) Hyderabad	1.25	1.25 (in three installments)	AAS,GC-MS & HPLC-UV-FLD
4	ICAR - Central Institute of Fisheries Technology (CIFT) Kochi, Kerala	3.50	3.50 (in two installments)	LC-MS/MS
5	Centre for Analysis and Learning in Livestock in Food, C/o NDDB Anand, Gujarat	2.10	1.886(in two installments)	QQQ ICP MS/MS hyphenated with Chromatography along with accessories
6	National Institute of Plant Health Management (NIPHM), Hyderabad	3.18	1.59	LC-MS/MS, Evaporator with nitrogen generator etc
7	National Referral Centre for Grapes (ICAR-NRCG),Pune	3.00	3.00 (in two installments)	UPLC-QToF-MS with licensed software
8	CSIR-Indian institute of Toxicology Research (CSIR-IITR), Lucknow	3.40	2.72	LC-HRMS
9	Punjab Biotechnology Incubator (PBTI), Mohali	3.00	2.40	ICP-MS EA-LC-IRMS
10	ICAR-National Research Centre on Meat (ICAR-NRCM), Hyderabad	3.00	2.40	LC- MS/MS DNA sequencer Bacterial culture system Biosafety work station
	Total	28.08 cr	23.571 cr	

(iii) Support for Mobile Food laboratories:

Under the Scheme, nearly 60 Mobile Food Testing Laboratories (MFTL) referred to as 'Food Safety on Wheels' (FSW) (one in every 20 districts, with at least one in each State/UT) is to be established in States/UTs across the country. This would not only address the issue of lack of food testing infrastructure in the remote areas but also cater to the basic analytical needs of consumers. These laboratories would be operated by the respective State/UT Governments or their agencies/NGOs etc. The estimated cost of creation of one FSW, its refurbishment and laboratory equipment is Rs. 38.5 lakh approximately, including GST. Besides this, a recurring grant of Rs. 5 lakh/year is also

being provided to States/UTs towards POL (petrol, oil, lubricants) and consumables.

FSWs are to be utilized for executing the functions of (i) surveillance and creating awareness regarding the food safety in remote areas in the State, large public congregations, schools and consumer organisations; (ii) transporting samples picked from remote areas to the nearest food testing laboratory; (iii) education of the consumers in various aspects of food safety laws and common hygiene practices; (iv) on the spot test facilities for qualitative adulteration of common food items like ghee, milk, khoya, sweets, edible oil, non-permitted food colours in various foods like namkeens, spices, prepared foods etc. Each FSW can test >54 parameters qualitatively across 7 different food categories. In addition, each FSW has a provision for performing simple microbiological tests, if the States so desire.

During 2018-19, 20 FSWs were sanctioned to 13 States/UTs, out of which, 17 FSWs were delivered to 12 States/UTs. As on 31st March, 2019, a total of 46 FSWs in 32 States/UTs FSWs were sanctioned of which 40 have been delivered. Almost all the FSWs already delivered have been operationalized by the States/UTs during the period. The State-wise allocation of FSW is as under:

Andaman & Nicobar (01), Arunachal Pradesh (01), Assam (01), Bihar (01), Chandigarh (01), Chattisgarh (02), Dadra & Nagar Havelii, Daman and Diu (01), Delhi (03), Goa (01), Gujarat (02), Haryana (02), Himachal Pradesh (02), Jammu & Kashmir (02), Jharkhand (01), Karnataka (01), Kerala(01), Madhya Pradesh (02), Maharashtra (02), Manipur (01), Meghalaya (02), Nagaland (01), Odisha (01), Puducherry (01),Punjab (02), Rajasthan(01), Sikkim (01), Tamil Nadu (01), Telengana (01), Tripura (01), Uttrakhand (01), Uttar Pradesh (04) and West Bengal (01).

Figure 13 - Internal view of the FSW Van

Figure 14 -External view of the FSW

(iv) Capacity Building of Food Testing Laboratories:

Capacity building is an essential component of strengthening and up-gradation of food testing laboratories eco-system in the country. The ultimate objective of this activity is to ensure that all the state food testing laboratories attain the NABL accreditation and bring them at par with best of the laboratories in the country. All the state food laboratories and referral laboratories are eligible to participate in this programme. Further, in order to establish an effective and qualified network of food analysts in the country, FSSAI notified laboratories are also being encouraged to participate in the capacity building programme. Under this component, a sum of Rs. 15 crore is earmarked for 3 years.

During the period, 22 training programs for Food Testing Laboratory personnel were organised by the Food Authority, including 6 specialized programs and 16 general programs, in collaboration with National and International Organizations/institutions.

8.4 Manuals on Methods of Sampling and Analysis

Based on the recommendations of the Scientific Panel on Methods of Sampling & Analysis and Scientific Committee, following methods of analysis have been approved by the Food Authority during the year:

(i) Methods of analysis of the parameters of new commodities under cereal and cereal product category.
(ii) Methods for analysis of fortificants in food products.
(iii) Method for detection of adulteration in ghee (clarified milk fat) with vegetable oils.

All approved methods of analysis are available on the website of the FSSAI.

8.5 Food Analyst Examination (FAE)/Junior Analyst Examination (JAE)

8.5.1 5th Food Analyst Examination (FAE)

FSSAI regularly conducts Food Analyst Examinations (FAE) to increase the pool of qualified Food Analysts and to augment human resource requirement of the primary and referral laboratories. During the period, theory papers of 5th FAE were held on 22nd September, 2018 at 13 centres (North-4, South-4, West-3 & East-2), through online mode. 640 candidates appeared in theory paper of which 100 were found eligible for appearing in practical examinations. Practical examinations were conducted during 22-23 December, 2018 at three Centres viz. (i) National Institute of Food Technology, Entrepreneurship & Management (NIFTEM), Kundli, Sonepat, Haryana (ii) Department of Food Safety & Analytical Quality Control (FSAQCL) CSIR-Central Food Technological Research Institute (CSIR-CFTRI), Mysuru and (iii) Department of Food Engineering & Technology Institute of Chemical Technology (ICT), Mumbai. Of the 92 candidates who appeared in practical examination, the Food Analyst Examination Board, at its meeting held on 9th January, 2019, declared 83 candidates as qualified food analysts. With this, candidates declared as qualified food analysts through the 5 editions of this Examination is 360. In addition, there are 31 more Public Analysts deployed in State/UT labs.

8.5.2 2nd Junior Analyst Examination (JAE)

Keeping in view the scarcity of food testing personnel and to encourage the fresh post-graduates to have job prospects in Food Industry/ Food testing laboratories and take up Food Analyst as a profession after acquiring required analytical experience, Junior Analyst Examination (JAE) are also being conducted along with the regular Food Analyst Examination. 2nd JAE was conducted simultaneously along with 5th FAE through the online mode. The educational qualification, syllabus of examination and theory papers (Paper I & II) were same in 5th FAE and 2nd JAE. A total of 964 candidates appeared for the JAE, out of which 125 candidates were declared as qualified Junior Analysts. These 125 candidates, upon acquiring three years' experience in the analysis of food, will be eligible for appearing directly in the practical examination of Food Analysts Examination.

8.5.3 A Committee has been constituted with the Terms of Reference for revision of the syllabus and to suggest changes in the examination pattern for Food Analyst and Junior Analyst Examinations.

8.6 Surveillance Activities

8.6.1 Milk Surveillance

National Milk Safety and Quality Survey (NMQS), 2018 was assigned to third party by FSSAI. Scope of NMQS 2018 covered 2 quality parameters (Fat & SNF), 13 common adulterants; and 4 contaminants (antibiotics, pesticides, aflatoxin$M_{1,}$ Aluminium Phosphate). The survey was designed under the guidance of FSSAI to cover all districts and major towns/cities with a population of >50,000 spanning across all the 29 States and 7 Union Territories. The survey was conducted over a period of six months, May to Oct 2018. 6432 samples were taken and tested. It was unique in terms of large sample size and application of uniform test protocols. Of the total 6432 samples, 41% (2607) were of processed milk and remaining 59% (3825) were of raw milk. Of the processed milk, 60% were toned milk, 20% full-cream milk, 15% standard milk and 5% double toned milk. Of the raw milk, one third each were samples of cow, buffalo and mixed milk. All the 6432 samples were analysed qualitatively immediately on site in mobile vans and nearly one-third of the samples that indicated possible adulteration or contamination for safety parameters were sent to the laboratory and analysed quantitatively. The Interim report was released by FSSAI on 13th November, 2018. It reveals that milk in India is largely safe. In a large number of samples, very few samples were found to be adulterated. The Survey, however, found slightly less than 10% samples had contaminants coming mainly from poor farm practices. Over 90% of the samples were found safe in the survey.

- Less than 10% (638 out of 6,432 samples) had contaminants (antibiotics, pesticides, Aflatoxin $M_1$and Ammonium Sulphate) that make milk unsafe for consumption
- Aflatoxin M1 was detected in 368 out of 6,432 samples (i.e in 5.7% samples) at levels above the permissible limit. Occurrence of Aflatoxin may not amount to wilful adulteration, but is directly related to feed quality and has bearing on human health

- Ammonium sulphate was detected in 195 out of 6,432 samples (i.e. in 3% samples). Ammonium compounds including ammonium sulphate are reportedly added to feed to enhance protein intake of animals
- 77 out of 6,432 samples which are 1.2%, failed on account of antibiotics residues above tolerance level and it was mainly due to oxy-tetracycline used to treat animals with bovine mastitis
- Pesticide residues were detected in milk but at the lower levels than the MRLs specified in the regulation, hence there is no concern due to pesticides residues
- 12 out of a total of 6,432 samples had adulterants that affect the safety of milk. Statistical analysis reveals that the occurrence of such adulterants is statistically not significant considering the sample size in the survey
- The samples were tested for levels of fat and SNF in this survey against limits of fat and SNF for various types of milk. It is noted that as many as 1,261 (19.6%) samples did not meet standards of fat and 2,165 (33.7%) samples did not meet standards of SNF. In another 218 samples (3.4%) sugar and maltodextrin were found to be added. Overall, 2,505 samples i.e. 39% of the total, did not meet quality parameters.

This is the first survey that analysed contaminants including residues of pesticides, antibiotics, Aflatoxin and Ammonium sulphate in milk. In all these cases, milk appeared to be contaminated due to poor quality of feed, irresponsible use of antibiotics and poor farm practices. It is found to be restricted to few pockets and in some States and accordingly hot spots have been identified. These survey findings would assist FSSAI in intensifying efforts in hot spot areas in addition to its regulatory sampling across the nation.

8.7 Partnership to strengthen food testing and surveillance capacity

MoU with M/s Thermofisher Scientific India Ltd

FSSAI has entered into an agreement with M/s Thermofisher Scientific India Ltd. on 3rd May, 2018 for establishment of the Food Safety Solution Centre at FSSAI's premises located at NRL, Ghaziabad to further research and to provide demonstration and training in the field of food safety. The Centre has been established and is likely to be opened in April, 2019.

MoU with M/s Merck Life Science Private Limited

FSSAI has entered into an agreement with M/s Merck Life Science Private Limited on 12th July, 2018 to establish a state-of-the-art laboratory called "Centre for Microbiological Analysis Training" or C-MAT for the purpose of building a world class laboratory for skill development of food analysts, research, developing food safety standards and SOPs. FSSAI has also entered into an another agreement with M/s Merck Life Science Private Limited on 23rd January,2019 to

collaborate with each other for providing microbiological training at C-MAT. The C-MAT is likely to be handed over to FSSAI in April, 2019.

Memorandum of Intent (MoI) with University of Laval, Quebec, Canada

FSSAI has signed an MoI with University of Laval, Quebec, Canada on 12th October, 2018 for establishing a collaborative framework encompassing food safety and nutrition. It basically aims at capacity building and technical exchange programs through faculty and students exchange.

MoU with United States Pharmacopeial Convention (USP), USA

FSSAI has entered into an agreement with United States Pharmacopeial Convention (USP), USA on 25th February, 2019 with the objective to improve transfer and exchange of information and increase awareness of the importance of the quality and safety of foods including food ingredients and additives, health supplements, nutraceuticals and related products.

Figure 15- State-wise number of FSSAI notified laboratories, State/Public food laboratories, referral laboratories

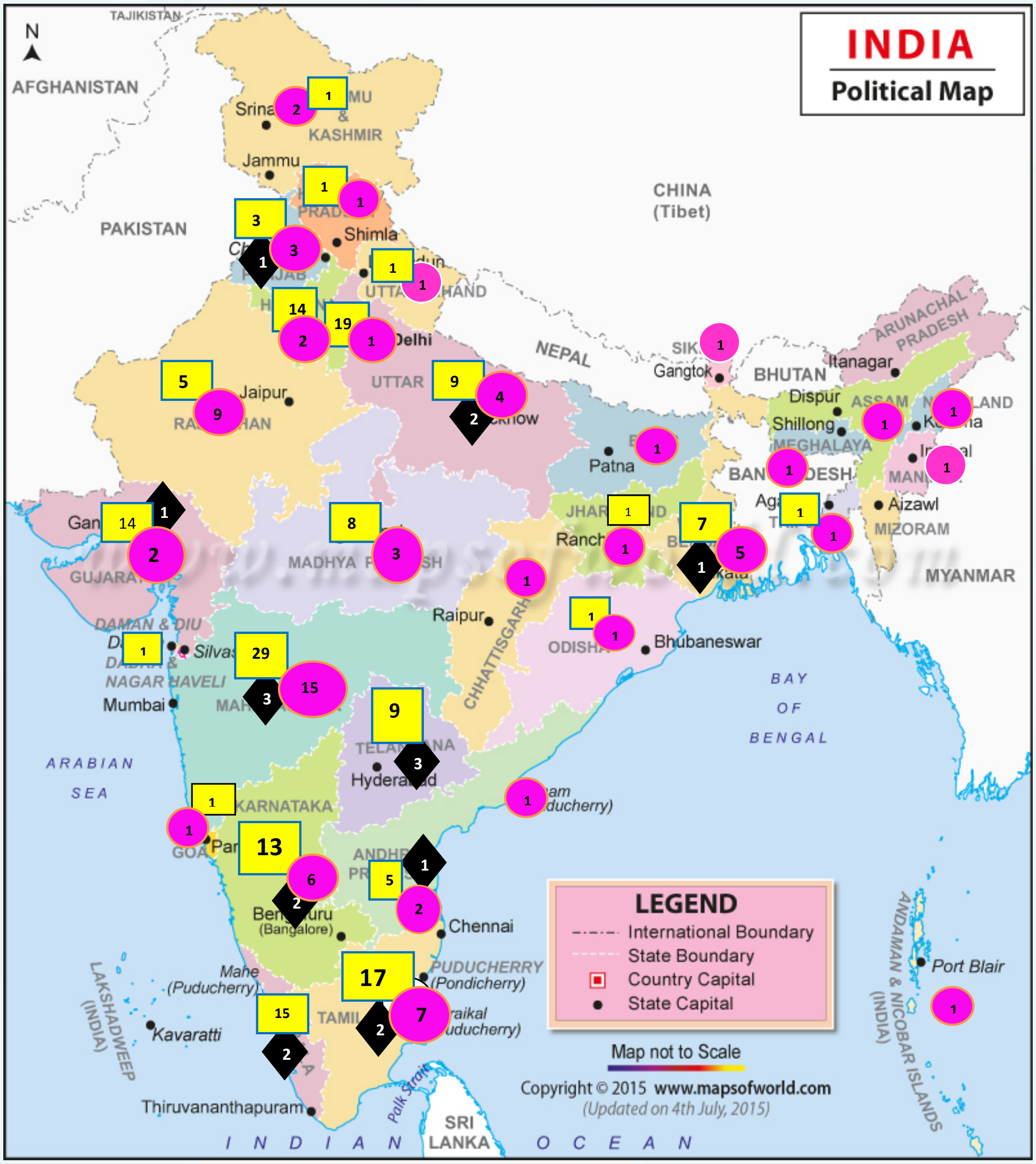

INDEX:

■	**FSSAI notified laboratories-175**
●	**State/public Laboratories-76**
◆	**Referral laboratories-18**

Figure 16 –State/UT –wise sanction of 'Food Safety on Wheel'

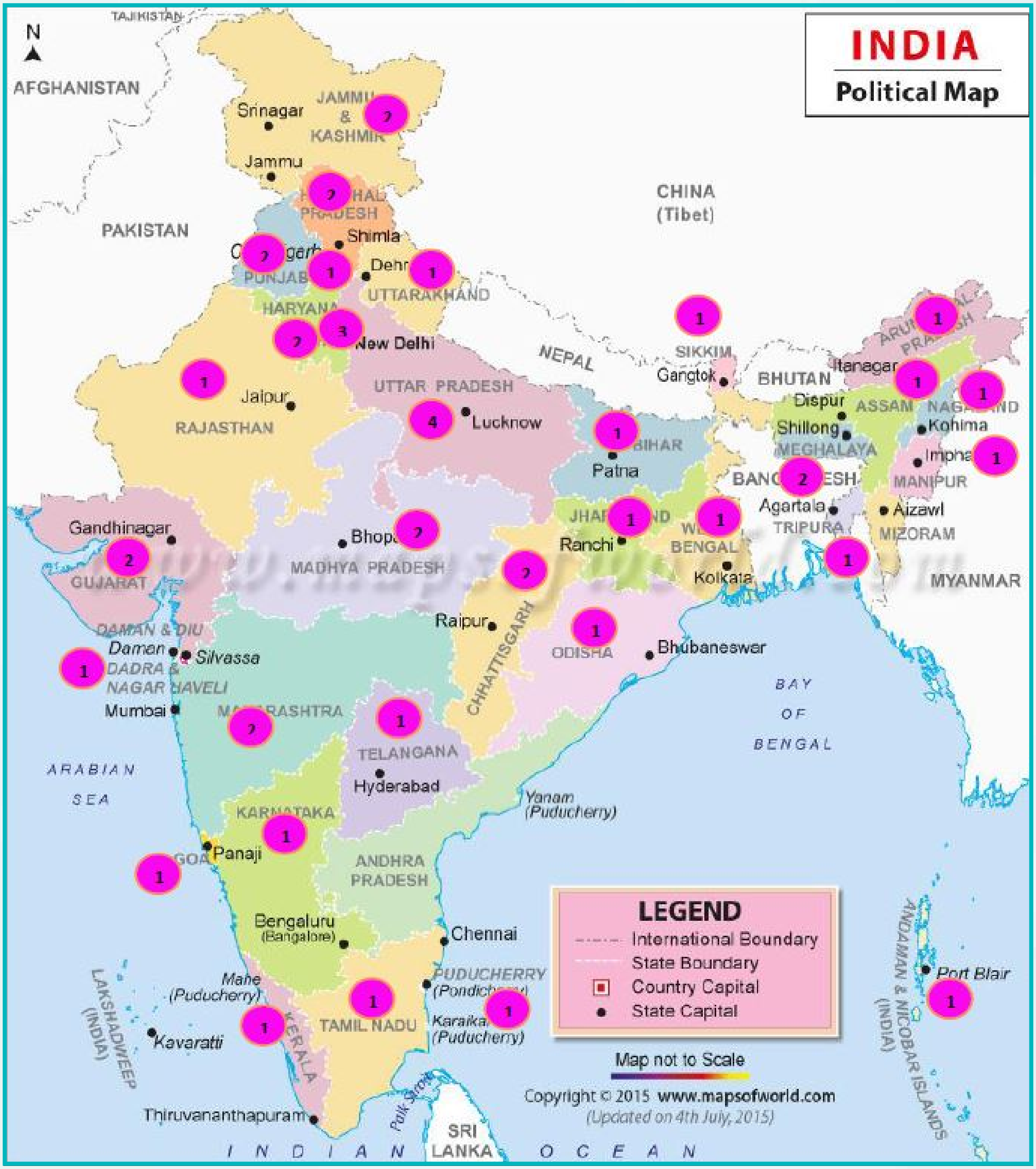

Chapter-9

Food Safety Training and Capacity Building

9.1 **Food Safety Training & Certification (FoSTaC)**

9.1.1 Section 16(3)(h) of the Food Safety and Standards Act requires Food Authority to provide, whether within or outside their area, training programmes in food safety and standards for persons who are or intend to become involved in food businesses, whether as food business operators or employees or otherwise.

9.1.2 In compliance thereof, FSSAI launched a Food Safety Training and Certification (FoSTaC) program on food safety and hygiene for food handlers across the food ecosystem in May, 2017. It helps build a culture of self compliance for food safety and hygiene in food businesses in the country. The Courses are primarily based on general & specific good hygiene & sanitary practices to be followed by Food Business Operators in various sectors as laid down under Schedule 4 of Food Safety & Standards (Licensing & Registration of Food Businesses) Regulations, 2011.

9.1.3 In a short period, the training ecosystem has grown organically having 160 training partners; more than 1500 trainers and 17 courses across the food value chain,including, Manufacturing, Catering, Retail and Storage-Transportation. Courses cover provision for high-risk food like Milk, Meat, Poultry Product, Health Supplements etc.

9.1.4 During 2018-19, nearly one lakh Food Safety Supervisors were trained under FoSTaC.

9.1.5 Training Partner's effort to commemorate one year of FoSTaC

On completion of one year of FoSTaC in May 2018, all Training Partners voluntarily took part in the "celebration of one year of FoSTaC" by conducting at least one training during the period 1st May to 31st May, 2018. Thus, in one month 257 training programmes were conducted at different locations in India starting from North Eastern States like Manipur, Meghalaya to Southern States of Kerala, Karnataka etc. Total number of people trained during this one month period was 4,100.

9.1.6 Special drive by State FDAs

In 2018-19, training under FoSTaC was taken up in all States of the country (except Nagaland). Special drives for 100 percent completion of training was taken up by the States of Madhya Pradesh, Punjab and Delhi. In Punjab, FoSTaC has been integrated with Mission 'Tandarust', which is a State initiative to build a healthy Punjab for achieving human excellence in a sustainable manner. Nearly all States have nominated nodal officer for FoSTaC.

9.1. 7 Engagement with other Government Departments

Apart from food businesses, FoSTaC programme has also been adopted centrally by Paramilitary Forces; Ministry of Human Resource Development for Mid-Day Meal Scheme; DoPT for departmental canteens; Maharashtra State Rural Livelihood Mission for Self Help Groups; National Urban Livelihood Mission for street food vendors; Ministry of Food Processing Industries for small and medium scale business enterprises; IRCTC; and Home Departments of States for prisons.

9.1.8 Special drive for street food vendors

Special drive for training of street food vendors was undertaken by large food businesses like HUL, Coca-cola, Nestle, KFC, Jubilant Food Pvt Ltd., utilizing their Corporate Social Responsibility (CSR) fund. In one year, nearly 20,000 street food vendors have been trained.

9.1.9 Special drive in colleges and corporate campuses

Special drive was undertaken for training of canteen staff in university and corporate office campuses in association with HUL. In one year, 41 training programmes have been conducted touching 12 corporate campuses and 8 training programmes in 35 college campuses.

9.1.10 Courses launched

In 2017-18, there were 15 courses under FoSTaC in sectors like Catering, Manufacturing, Bakery, Milk and milk products etc. During 2018-19, following courses were started:

S.No.	Sector	Level of course	Duration
1	Meat and meat products	Special level	8 hours
2	Poultry and poultry meat products	Special level	8 hours

Apart from the above mentioned courses, a new series of course was launched as 'FoSTaC Plus' course which are for mid-management or senior management level in a food business establishment and includes exposure to other regulatory provisions in addition to food safety and hygiene requirements as per provisions of Schedule 4. Two courses were launched as FoSTaC Plus course for Start Ups and for Organic Food Businesses. Sector-wise status of trainings for Food Safety Supervisors conducted during 2018-19 is at Table 21.

9.1.11 FoSTaC in Swasth Bharat Yatra

Year 2018-19 witnessed a massive relay cycle rally led by FSSAI for spreading awareness around food safety, combating food adulteration and healthy diets. Enthusiastic participation from every nook and corner of the country took place to spread message of Eat Right India. Training Partners of FoSTaC actively participated in the rally across the country. They participated in the rally, conducted series of awareness programme with students, public, food businesses and conducted routine FoSTaC programmes simultaneously.

Figure 17- Snap shots of enthusiastic participation of training partners in 'Swasth Bharat Yatra'

9.1.12 Other special Initiatives

9.1.12.1 Interactive Radio Counselling Session

FSSAI has initiated special programme in collaboration with Indira Gandhi National Open University (IGNOU) to educate the consumers and the industry people on various aspects of Food Safety & Hygiene through Interactive Radio Counselling (IRC) Sessions on 'Gyanvani'. This is a live interactive one-hour session held on fortnightly basis wherein subject experts talk about various safety & hygiene aspects of different issues of food sector. The experts also chat with the listeners and answer their questions. The first such session was held on 14th January, 2018 regarding "Rising consumption of High Fat, Salt and Sugar (HFSS) foods and their health implications". Since then many such sessions have been conducted encompassing various subjects of Food Safety & Hygiene.

9.1.12.2 New steps in FoSTaC-

A new FoSTaC logo was introduced with a tagline "FSSAI committed to build a culture of self-compliance". A complete guide on FoSTaC has been released.

FoSTaC
Food Safety Training & Certification
fssai committed to build a culture of self compliance

Figure 18 - Scenes from Food Safety Supervisors' trainings in various sectors

FSS Training in Milk & Milk Products @ ADSD

FSS Training in Edible Oil & Fats @ SEA

FSS Training on Health Supplements & FSS Training on Animal Meat & Meat Nutraceuticals @ CPHFS

Products @ Food Cognizant

FSS Training on Advance Manufacturing @ Equi-nox @ FBMI

FSS Training on Advance Catering Labs

Table 21 - Sector-wise training status for Food Safety Supervisors in 2018-19

Sl. No.	Sector and Level	Total training conducted	Food Safety Supervisors trained
1	Bakery (Level-1)	29	646
2	Bakery (Level-2)	56	1,472
3	Catering	788	14,975
4	Catering (Level- 2)	849	17,519
5	Edible Oil & Fat	50	952
6	Health Supplements & Neutraceuticals	1	21
7	Manufacturing (Level- 1)	238	4,638
8	Manufacturing (Level -2)	1,413	28,774
9	Milk & Milk Product for Food Safety Supervisor	209	4,415
10	Poultry Meat & Poultry Products- Special	8	194
11	Retail and Distribution (Level-1)	21	427
12	Retail and Distribution (Level-2)	119	3,250
13	Storage and Transport (Level-2)	54	825
14	Street Food Vending	412	19,905
15	Water & Water Based Beverages	94	1,895
Total		4,341	99,908

9.2 Capacity Building and Training of Food Testing Laboratories and Lab Personnel

9.2.1 During the period, total 22 training programs for food testing laboratory personnel were organised by the Food Authority, including 6 specialized programs and 16 general programs, in collaboration with National and International Organizations/institutions. Details of these programs are given below-

9.2.2 Good Food Laboratory Practices (GFLP)

Training on Good Food Laboratory Practices (GFLP) is the Pan-India project of FSSAI for all the scientific and technical staff working in food testing laboratories across the country to train them on various aspects of good food laboratory operations. This course is conducted at identified reputed/notified laboratories. During the period, a total of 15 such programs were organized. Total 446 laboratory personnel participated in these programs. Details of these programs are given in Table 22.

Table 22- Details of training on Good Food Laboratory Practices

S.No.	Date of Training	Venue	No. of Candidates
1	24-26 April, 2018	Hubert Enviro Care System Pvt. Ltd., Chennai.	22
2	9-11 May, 2018	Institute of Chemical Technology, Mumbai.	22
3	29-31st May, 2018	Central Institute of Fisheries Technology (CIFT), Kochi.	32
4	20-22 June, 2018	CSIR-Indian Institute of Toxicology Research (IITR), Lucknow.	25
5	31 July- 2 August, 2018	Shriram Institute for Industrial Research, Delhi.	29
6	28-30 August, 2018	Vimta Labs Limited,Ahmedabad.	33
7	10 -12 September, 2018	Indian Institute of Food Processing Technology, IIFPT, Thanjavur.	32
8	17 -19 September, 2018	Indian Institute of Chemical Technology, IICT, Hyderabad.	31
9	24 -26 September, 2018	Envirocare Labs, Mumbai.	29
10	9-11 October, 2018	Export Inspection Council (EIA), Kochi.	36
11	24-26 October, 2018	National Test House, Jaipur.	33
12	26-28 December, 2018	Indian Institute for Horticultural Research, Bengaluru.	18
13	15-17 January, 2019	Quality Evaluation laboratory, Spices Board, Mumbai.	31
14	28-30 January, 2019	CEG Test House & Research Centre Pvt Ltd, Jaipur.	33
15	6-8 February, 2019	Oil Laboratory, Department of Technology, University of Kolkata.	40
		Grand Total	446

Figure 19- Few glimpses from GFLP trainings at various places

EIA, Kochi

CSIR- IITR, Lucknow

CEG Test House, Rajasthan

9.2.3 NABL Accreditation Awareness program

During the period, one NABL Awareness Program was conducted at FSSAI Headquarter on 12th March, 2019 for State Government laboratories to enable them to get NABL accreditation for their laboratories. 29 State Government laboratories participated in the training program.

9.2.4 Specialized Training Programs

During the period, 6 specialized training programs were conducted. 172 laboratory personnel participated in these training programs. Details of these programs are given in Table 23 below-

Table 23 - Details of specialised training programs for lab personnel

S.No.	Dates	Training particulars	No. of participants
Training Program on Method of Analysis for Fortificants in Milk			
1	11-15 June, 2018	Training Program on Method of Analysis for Fortificants in Milk at the National Dairy Development Board (NDDB), Anand.	13
Training program on Method of Analysis for Fortificants in oils and fats			
2	24-28 September, 2018	Training program on Method of Analysis for Fortificants in oils and fats at Fare Labs Pvt Ltd., Gurugram.	22
Hands on Training on Microbiology			
3	8th October, 2018	Hands on Training on Microbiological Food Safety Sampling and Testing in Food Safety Management at New Delhi.	40
4	26-30 November, 2018	Hands on Training on Advance Microbiological Techniques at State Food Laboratory,Vadodara, Gujarat.	30
Hands on Training on Advanced analytical techniques			
5	26th February, 2019	Hands on Training on Advanced analytical techniques for non-alcoholic beverages, Manesar.	57
6	8-10 January, 2019	Food Safety Training Workshop on Mycotoxin in Singapore.	10
		Grand Total	172

Figure 20 - Training program on non-alcoholic beverages, Manesar

Figure 21- Training programme on Method of Analysis for Fortificants in Milk at CALF, NDDB, Anand

9.3 Training of Regulatory staff

FSSAI has framed a training policy for regulatory staff and all newly recruited Food Safety Officers and Designated Officers are being given Induction Training. The trainings are conducted at the empanelled institutes all across the States or at any other venue mutually agreed by FSSAI and the State/UT Government. Sampling is an integral part of the curriculum. FSSAI has been conducting induction as well as refresher trainings for regulatory staffs. The training content has been shared with all the State/UT Governments and have been asked to get the training material translated, if required by them.

During 2018-19, 583 regulatory personnel (DOs/FSOs/AOs) have been trained under this Training Policy.

Chapter-10

Healthy Diets

10.1 Today, India is facing three major health challenges. The first challenge is the threat of food borne diseases and infections such as dysentery, typhoid, and diarrhea. The second challenge is the increasing incidence of non-communicable diseases such as cancer, cardiovascular diseases and diabetes. The third major health challenge is the triple burden of malnutrition-under nutrition or hunger, micronutrient malnutrition caused by the deficiency of key vitamins and minerals in the diet and over nutrition, resulting in obesity. These problems are not restricted to certain sections of the society; rather they cut across social and economic strata, gender, age and geographical locations. In other words, everybody is affected. Moreover, all are linked to the food we eat. These diseases are, however, largely preventable by ensuring safe food, good nutrition and healthy eating habits.

10.2 The threat of food borne diseases:

Eating food that is unsafe and unhygienic causes food borne diseases. The global burden of food borne illnesses and infections is substantial. According to the World Health Organization, each year, food borne diseases cause one in ten people to fall ill around the world. Thus, these diseases take a tremendous toll on the health and productivity of people. Food borne diseases, in many cases, particularly for young children under five years of age, can even cause death. Each year, 4,20,000 lives are lost due to food borne illnesses globally. A third of these deaths are of children under 5 years of age. India is responsible for a significant proportion of death and disease globally.

10.3 Increasing Incidence of Non-Communicable Diseases

Non-communicable diseases such as cancer, cardiovascular diseases, diabetes and chronic respiratory diseases are rising rapidly. These diseases are responsible for 5.87 million deaths in India, which account for 60% of all deaths in India. The main causes linked to these diseases are unhealthy diet, lack of physical activity, alcohol and tobacco abuse. It is possible to prevent the onset of these diseases.

10.4 Nutrition Issues

India suffers from the triple burden of under-nutrition, micronutrient deficiencies and over-nutrition. Large sections of the population do not get sufficient food to eat. According to the Global Hunger Index, 2018, India is ranked #103 out of 119 countries. Then, there is issue of micro-nutrient deficiency. One third of the two billion people globally that suffer from vitamin and micronutrient deficiencies are in India. Over 70% of Indians suffer from at least some form of deficiency of key vitamins and minerals and are unable to meet 50% of the Recommended

Dietary Allowance (RDA) of micronutrients. This 'hidden hunger' affects all sections of India's population – urban and rural, rich and poor, old and young - with women and children most at risk. This results in a spectrum of disorders such as anemia, brain damage, stunting, neural tube defects, blindness etc. National Family Health Survey (NFHS) 4 data of 2015-16 shows that 58.4% of children (6 – 59 months) are anaemic, 35.7% of children under 5 are underweight, 53% of women in the reproductive age (15–49 years) group and 22.7% of men in the same age group are anaemic (<13.0 g/dl). Under-nourishment and micronutrient deficiencies incur huge costs to the Indian economy in terms of human resources and hampers the productivity and growth of the country. On the other hand, in recent years, there has been an increase in over nutrition as well, resulting in overweight people and obesity. At present 30 million people in India are considered obese. India and China account for 15% of the world's obese population.

10.5 Role of FSSAI

10.5.1 FSSAI has taken several steps to address these health challenges. To address the issue of food borne illnesses, FSSAI is working towards having a fully functional and robust system for collection of data and information on food borne diseases. For this, FSSAI has been working with WHO to develop a platform namely "Food Safety Module". This "Food Safety Module" will be integrated with Integrated Health Information Services (IHIS) platform which is already being developed by WHO in coordination with IDSP (Integrated Disease Surveillance Programme) under Ministry of Health and Family Welfare. This platform would enable FSSAI to monitor the incidences of food borne illnesses and actions taken thereon by the concerned Food Safety Officers through the database. On the basis of the report, the food hazards found during monitoring will help the Risk Assessment Cell to prioritize the risk to human health and call for proposal to commission the risk assessment studies, wherever required, and the results of the studies will then be communicated to Scientific Panels/Committee for their scientific opinion. FSSAI is also developing a Guidance Manual for investigation of Food borne illnesses. FSSAI has also issued a direction to Food Safety Commissioners for requesting Health Secretaries to nominate the Food Safety Officer (FSO) of each district as member of the Rapid Response Team (RRT) under Integrated Diseases Surveillance Program (IDSP) who will undertake the activities mentioned therein. This direction would enable state food safety authorities to receive communication with respect to food borne illness incidents/outbreaks, as and when they occur, and take appropriate actions accordingly.

10.5.2 FSSAI has launched SNF initiatives focussing on bringing about social and behavioural change around food safety, hygiene and healthy diets by making every individual aware, cognizant and receptive to SNF, whether at 'Home', 'School', 'Work' or 'Eating Out'. It has launched Eat Right India movement to build awareness around food safety, combating food adulteration and healthy diets and spread the message of 'Eat Safe, Eat Healthy and Eat Fortified', details of which are given in subsequent chapters.

10.5.3 To address the rise of non-communicable diseases and obesity, FSSAI is in process of making regulations on HFSS-High Fat, Salt and Sugar Foods, which are strongly linked to non-communicable diseases.

10.5.4 To address the problem of micronutrient malnutrition, FSSAI is steering large-scale fortification of food in the country.

10.6 Reduced consumption of High Fat, Sugar, Salt (HFSS) Foods

10.6.1 To address the issue of reduction in consumption of high fat, salt and sugar foods by general population, FSSAI has proposed 'Front-of-Pack labelling' (FoP) which stipulates mandatory declaration of energy (calories), saturated fat, trans fat, added sugar and sodium along with their percentage contribution to RDA on the front of the pack. These provisions have been included in the proposed FSS (Labelling and Display) Regulations. Proposed FoP design is provided below:

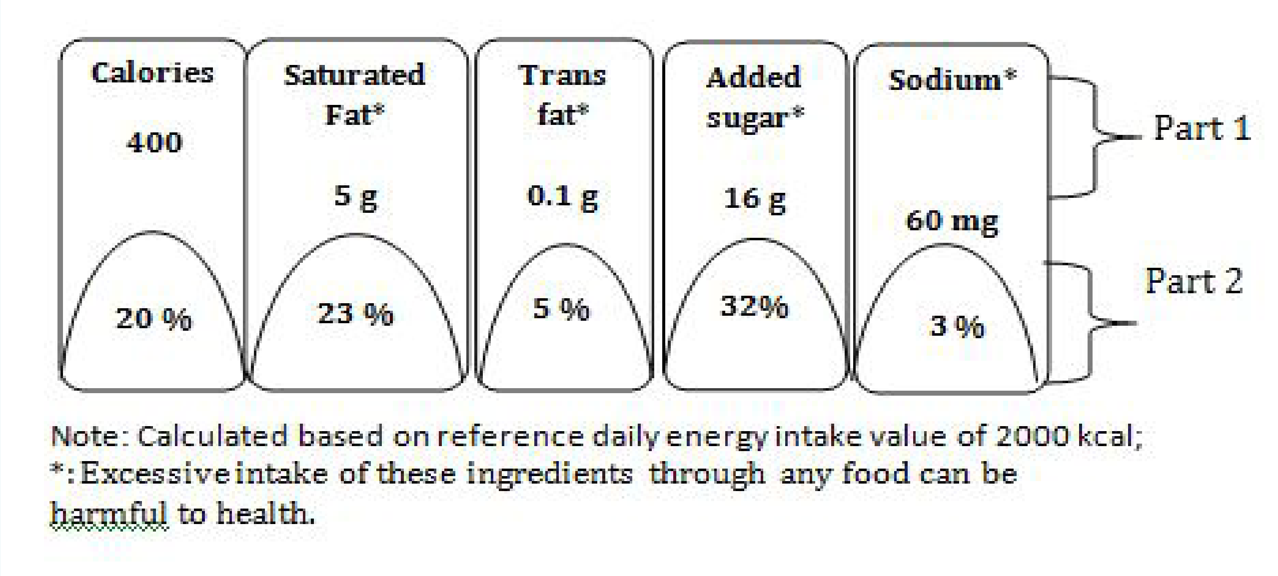

10.6.2 Besides, under the 'Eat Right India' Movement, FSSAI has nudged food businesses to provide healthier food options. Several FBOs pledged to contribute towards this initiative through the following measures:

- Phasing-out of trans-fats in food products by the edible oil industry, bakeries and 'halwais' towards a 'Trans-fats-free India by 2022': India@75
- Reformulation of food products by major food companies to reduce the content of sugar and salt in packaged food.
- Provision of healthier food options by the food services sector and introduction of menu- labelling on nutrition information.

- Promotion of healthier food options and responsible retail practices by food retailers and e-commerce players.

10.7 Food Fortification

10.7.1 One of the most effective, scalable, affordable and sustainable ways to address micronutrient deficiencies is fortification of staple foods. Food Fortification involves adding small amounts of vital micronutrients to foods. It complements diet diversification and helps complete a person's daily nutritional needs. It fills the gap in nutrition in an easy manner without any change in taste, texture or flavour of food. Moreover, it does not require a behavioural change.

10.7.2 Regulations

Taking the lead on this, FSSAI has notified the Food Safety and Standards (Fortification of Foods) Regulations, 2018 on fortification of food in 5 key staples viz. Oil and Milk (with Vitamin A and D), Wheat Flour and Rice (with Iron, Folic Acid and Vitamin B 12), and Double Fortified Salt (with Iodine and Iron). The Logo (+F) for fortified foods, has created a rallying point for the industry to adopt fortification, placing fortification firmly on the national agenda. During the year, various advisories for premix supplier, endorsement of +F logo, and scientific health claims for label declaration of fortified foods approved by the Scientific Panel on Nutrition and Fortification were also released.

10.7.3 Implementation under Social Network Schemes

10.7.3.1 The Ministry of Women and Child Development & Ministry of Human Resource Development (Department of Education and Literacy) had issued advisories for mandatory fortification of Wheat Flour, Edible Oil and Double Fortified Salt on 10th July,2018 and 2nd August, 2017 in ICDS and MDM respectively. Recently, Ministry of Women and Child Development has issued advisory for including fortified rice under ICDS and SABLA on 28th February 2019. The Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution had also issued a circular on 22nd December, 2016 advising States which are distributing wheat flour to use only Fortified Atta for distribution under PDS. Further, the Department of Food and Public Distribution has issued an advisory dated 1st October, 2018 encouraging publicity of fortified oil in the States/UTs. Further, the Department of Food and Public Distribution is introducing a Central Scheme to promote fortification of rice in PDS.

10.7.3.2 The National Council on India's Nutrition challenges at its 1st meeting held on 18th April,2018, inter-alia, directed that in order to address the persistent high levels of anaemia and Vitamin-D deficiency in the country, the fortification of staple food commodities may be taken up immediately under Anganwadi Services Scheme and MDM and wherever feasible. NITI Aayog has issued directions to all States/UTs to scale up or initiate Food Fortification.

10.7.3.3 Several States are already at the advanced stages of adopting fortified foods in government programmes. 17 States viz. Odisha, Karnataka, Haryana, Gujarat, Uttar Pradesh, Himachal Pradesh, Madhya Pradesh, Maharashtra, Jharkhand, Rajasthan, Tamil Nadu, Tripura, West Bengal, Kerala, Bihar, Chattisgarh and Andhra Pradesh and 4 UTs have now adopted fortification of their chosen commodities at the district or at a limited scale in the government safety net programmes (SNP) namely ICDS, MDM and PDS.

10.7.4 Open Market Availability of Fortified Staples

10.7.4.1 Voluntary fortification has begun for 5 staples. 70 top companies and regional brands have ~ 113 brands of fortified staples presently available in the open market with a Pan-India and regional presence. There has been tremendous traction in the oil and milk industry, with 47 percent of top ten players of packaged refined edible oil industry and 31.5 percent of the organized milk industry fortifying as per FSSAI standards.

10.7.4.2 Retailers and e-commerce platforms, Kendriya Bhandars, CRPF/CSD and other armed forces canteens and messes are communicating the benefits and providing fortified staples to the masses.

10.7.5 Food Fortification Resource Centre

10.7.5.1 FSSAI has setup the Food Fortification Resource Centre (FFRC), http://ffrc.fssai.gov.in/, as a nodal point to provide the required support to stakeholders. Resource material have been developed commodity-wise e.g. Tool Kits including technical handbooks, training manuals, FAQs, creation of standard operating procedures for accredited premix suppliers and equipment manufacturers, list of NABL accredited labs for testing of micronutrients and standardised tender documents.

10.7.5.2 FSSAI / FFRC has reached out to all State Governments requesting them to appoint a nodal officer to co-ordinate fortification efforts across the State.

10.8 Project Diet 4 Life:

10.8.1 Children born with Inborn Errors of Metabolism (IEM) have special dietary needs, which if unmet, result in cognitive and physical disorders. Without special diets, children with IEM would often not survive infancy. Fortunately, through early identification and initiation of treatment, IEM disorders can be mitigated. IEM is estimated to affect over 30,000 children in India but in the absence of adequate screening facilities for this disorder, 30,000 diagnosed cases most likely represent only the tip of the iceberg.

10.8.2 In May 2016, Parent Support Group- MERD (Metabolic Errors and Rare Diseases), approached FSSAI to get special diets for IEM imported to India. The initiative include formulating standards for IEM products while simultaneously permitting import of products in the interim period and reaching out to various stakeholders through workshops and training programmes aimed at

building their capacity. This is being called as 'Diet4Life' initiative.

10.8.3 FSSAI, along with the Ministry of Health and Family Welfare, has been collaborating with various organizations such as Indian Dietetic Association, All India Institute of Medical Sciences, Indian Society for Inborn Errors of Metabolism, MERD (Metabolic Errors and Rare Diseases), Indian Academy of Pediatrics, National Neonatology Forum, Indian Council of Medical Research and Indian Society of Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition. These stakeholders are part of a Steering Committee which now guides and drives this initiative.

Highlights of the project:

- ✓ Standards for specialty food for IEM conditions are under the process of formulation. Meanwhile, import and manufacturing of specialty foods for the 17 medical conditions (15 IEM and 2 hypoallergenic) recommended by the Scientific Panel on Functional Foods, Nutraceuticals, Dietetic Products and other Similar Products have been allowed. Accordingly, the products have started reaching the patients.
- ✓ National-level Training of Trainers (ToT) program on Nutritional Management on Inborn Errors of Metabolism has been held to sensitize and train dieticians Pan-India on IEM disorder management.
- ✓ A series of awareness program on IEM have been held for doctors, dieticians, parents/ patients to build awareness about diets for management of IEM & allergy conditions in children.
- ✓ A transactional website on IEM has been developed to share information on metabolic disorders, possible symptoms, diagnostic/treatment centres, diets available etc. with the public (http://diet4life.fssai.gov.in/)

10.8.4 The project adopts a holistic approach to ensure the availability of diets for patients, training of the relevant medical faculty, awareness generation programs and a portal as a platform for stakeholders' interaction and information dissemination.

Chapter-11

Social and Behavioural Change

11.1 The FSSAI's bouquet of 'Safe and Nutritious Food (SNF) initiatives' focus on bringing about social and behavioural change around food safety, hygiene and healthy diets. Making every individual aware, cognizant and receptive to SNF, whether at 'Home', 'School', 'Work' or 'Eating Out' is the mission of SNF. The following section describes these initiatives along with activities undertaken during the year 2018-19.

11.2 SNF@Workplace

11.2.1 A nation-wide campaign to help people eat safe and eat right while at work, was launched on 15th May, 2018. On this occasion, 'The Orange Book: Your Guide to Safe and Nutritious Food at the Workplace' was released by the Chief Guest- Dr. Vinod Paul, Member, NITI Aayog. To create a self-propelling and sustainable ecosystem, a systematic framework of FSSAI-trained Resource Persons, Health & Wellness Coordinators and Food Safety Supervisors for every workplace has been enabled. An online portal (www.snfportal.in/workplace) was also launched where interested workplaces can join the movement and access resources, information and links to become a health promoting workplace.

Figure 22 - Launch of 'The Orange Book'

11.2.2 As a part of FSSAI's SNF@Workplace initiative, FSSAI conducted training for Food Safety Supervisors across various Central Government departmental canteens serving several thousand employees every day. To ensure that all the government departmental canteens are licensed/registered under the FSS Regulations, FSSAI also facilitated on-the-spot registration on the day of training and distributed Food Safety Display Boards to the registered canteens. This was the first phase of training and the objective is to cover all departmental canteens over a period of time.

11.3 SNF@School

11.3.1 In September 2017, the FSSAI had launched the SNF (Safe and Nutritious Food) @School initiative to promote healthier eating habits amongst school children. Under SNF@School, credible scientific resource material has been created to spread awareness among the school community. 'The Yellow Book' Level I & II and ' Activity Book' have been created for students. 'The Training Manual' has been prepared for teachers and parents.

11.3.2 'Yellow Book' Level I & II are crafted for students of classes I to VIII. These present basic concepts in food safety and nutrition with more emphasis on activities to encourage 'learning by doing'. The books are an authentic technical resource; are easy to understand and are written and designed in an interactive, illustrative way to address the issues around food safety and nutrition.

Figure 23 - Front cover of 'Yellow books' level I and II

11.3.3 The Activity Book has been developed as an accompaniment to Yellow Book, to inculcate safe and healthy eating habits through games and activities based on key themes and messages provided in this book. The activities have been designed to engage and educate school children in an interesting and interactive manner.

11.3.4 The Training Manual is authored by academicians, practitioners and domain experts. The book is a resource-pool of facts, information and concepts, along with a diverse range of supportive material and tools for adults and teachers. The learning content, Yellow Books & Training Manual are hosted on the FSSAI's website 'snfportal.in' and on 'Diksha', an online learning platform under the Ministry of Human Resource Development for access by teachers and parents across India.

11.3.5 Mascots

The SNF program superhero mascots 'Master Sehat' and 'Miss Sehat', have been created to engage the children and adults through interactive sessions at public places & schools. Till 31st March, 2019, over 900 such activation sessions have taken place in various cities across India.

11.3.6 Master Trainer

SNF@School has a resource pool of over 521 Master Trainers across Delhi, Haryana, Maharashtra, Karnataka, UP and Goa. These Master Trainers have been trained by domain experts under EU-CITD partnership program.

11.3.7 SNF Fellowship program

SNF Fellowship program has been created in collaboration with colleges, whereby college students adopt 10 schools each and enroll the schools in the SNF@School program. During 2018-19, 7 colleges (SNDT, SVN, Lady Irwin, JamiaHamdard, Bhaskaracharya College, Daulat Ram &Laxmi Bai) were enrolled under the SNF Fellowship program in Mumbai & Delhi-NCR.

Figure 24 - SNF Fellowship Training, Mumbai

11.3.8 SNF Portal

A website for school registration has been created and till 31st March, 2019, approximately 7,200 schools have registered on the portal. Post registration, schools can certify their Health & Wellness Coordinator (HWC) and conduct activities out of the Yellow Book, Activity Book

or create their own. Approximately, 750 HWCs have been certified and over 9,000 activities conducted by the schools.

11.3.9 Outreach through partnerships

Various organizations have come forward to adopt the SNF@School program either under voluntary initiatives or under CSR.

- Voluntary Health Association of India –It has incorporated SNF@School in their ongoing School health program in 125 schools. Phase 1 saw the impact on 10,000 students, 390 teachers, created 119 members of Team Sehat, and 40 HWC (30 schools);
- Child Survival India-It has implemented SNF@School in 40 Schools in North MCD under the aegis of Mondelez, India which has funded the activity for one year;
- Bharti Foundation – It has incorporated SNF@School in their ongoing School health program in 1000 schools across 5 states viz. Punjab, Rajasthan, Tamil Nadu, Uttar Pradesh and Madhya Pradesh;
- HealthSetGo- It is a health start-up in the school space. It has implemented SNF@School in over 200 schools across their network;
- Macmillan Education- It is a leading education content company. It has added content in their curriculum books, appropriate for young children for the academic year 2019. It is also translating the books in three languages (Punjabi, Assamese, Bengali). It is also enrolling 20,000 schools in phases for SNF@School through workshops;
- Tropicana – It has funded the SNF Fellowship program across 4 colleges in Mumbai & Delhi;
- ITC has contributed by taking SNF@School awareness programs through IVR quiz, their existing school contact program and through insertions in their class mate notebooks;
- Marico has assisted in digitizing the training material and translating it in Hindi and Marathi. They have also contributed by getting Mascot activities conducted in cities like Delhi-NCR, Mumbai, Kolkata, Lucknow, Kanpur, Chandigarh, Jaipur and Ahmedabad;
- Dabur India has got Mascot activation and the printing of Yellow Books for free distribution;
- Kellogs India has got 10,000 Yellow Books printed for free distribution;
- Novozymes India has got the Yellow Books translated in 3 languages (Kannada, Malayalam, Telugu) and created activity books for distribution.

11.4 Food Safety Magic Box

A do-it-yourself food safety testing kit has been developed as a pedagogical tool to educate school children. It is a small-sized, light-weight portable box that contains a few basic chemicals, small instruments and safety gadgets. A companion guidance book illustrates testing across

various food products such as milk, honey, spices etc. in a very simple way through pictures. In all, the box contains 76 super-easy tests. These magic boxes (5,000 in initial phase) will be provided to schools across States.

11.5 SNF@BHOG

11.5.1 Project BHOG ~ "Blissful Hygienic Offering to God" is an initiative of FSSAI to encourage Places of Worship (PoW) to adopt and maintain food safety and hygiene while preparing 'Prasad' to ensure that safe and wholesome Prasad is received by devotees. Through the Project BHOG, FSSAI aims to create awareness amongst PoW to prevent incorrect practices related to food served as Prasad/langar and to ensure proper regulatory compliance.

11.5.2 A Guidance document on 'Maintaining Food Safety and Hygiene in Places of Worship' has been prepared to enable and support the Places of Worship to implement BHOG in their premises. It provides useful tips, dos and don'ts, methods and practices that should be followed. SNF@BHOG brochure has also been developed and contains important information about the initiative, the roll out plan and contact information.

11.5.3 During the year 2018-19, following further steps were taken towards strengthening the SNF@ BHOG initiative:

(a) FSSAI, in partnership with National Association of Street Vendors of India (NASVI), organised a three-day 'Eat Right Mela' from 14^{th} to 16^{th}, December, 2018 at IGNCA, near India Gate, New Delhi. Under BHOG Initiative, a pavilion on 'Temple Foods of India' was included showcasing legendary cuisines of India's most famous temples and variety of Prasad was offered to visitors. Total 14 temples from Gujarat, Tamil Nadu, Rajasthan, Maharashtra and Delhi participated in this Mela.

(b) Standard Operating Procedure (SOP) for implementation of BHOG has been revised and circulated to state bodies. States like Odisha, Madhya Pradesh and Uttarakhand have identified temples for implementation of BHOG initiative.

Figure 25 - Few Glimpses under 'Project Bhog'

11.6 SNF on Track

Public health messages- “खाने में नमक, चीनी व तेल: आज से थोड़ा कम"; "स्वच्छता अपनाओ, बीमारियाँ भगाओ” were shared by FSSAI for printing on IRCTC’s sandwich boxes, paper cups and paper napkins. More than 10,000 posters with 8 different messages in food safety and hygiene have been printed and delivered to IRCTC to be displayed at different locations (pantry cars/ base kitchens/ water vending machines etc) as identified by IRCTC.

11.7 NetProFan (Network of Professionals of Food and Nutrition)

With a view to take a holistic approach to food and nutrition through cross-fertilization of ideas amongst professionals of different disciplines, NetProFan, a network of professionals in the areas of food, nutrition and public health to promote safe food and healthy diets for all was launched at a two days’ workshop held at New Delhi on 22nd and 23rd March,2019. This Network is envisaged as a self-sustaining model functional at national, state and city levels to adopt and implement activities to address local needs and issues in a phased manner. In Phase I, the activities will be initiated across 20 cities and in Phase 2, the learnings from Phase 1 will be incorporated and expanded to 20 additional cities. Six National Level Professional associations viz. Indian Medical Association (IMA), Indian Dietetic Association (IDA), Nutrition Society of India (NSI), Association of Food Scientists and Technologists of India (AFSTI), Association of Analytical Chemists, India Chapter (AOAC), Indian Federation of Culinary Associations (IFCA) are members of this Network. Many of these Associations/Federations have widespread local networks, which can support dissemination of content through their local chapters.

Figure 26 - Launch of 'NetProFan'

Chapter-12

Information, Education and Communication (IEC)

12.1 Information, Education and Communication (IEC) combines strategies and approaches that enable the organisations, communities and stakeholders to play key roles in achieving and sustaining their defined goals. IEC is the backbone of any organization to channelize the promotional activities targeted at various stakeholders. It empowers people to make decisions and modify behaviours. IEC activities of FSSAI are aimed at enhancing the visibility, educate about the Act, Rules & Regulations and to generate awareness around food safety. Using various channels of communication, valuable information is disseminated to different target groups.

Awareness Campaigns

12.2 The 'Eat Right India' Movement

With India's high burden of food borne diseases, under-nutrition, micro-nutrient deficiencies and growing incidence of obesity and non-communicable diseases (NCDs), educating people and changing their attitude towards food is critical. In this backdrop, the 'Eat Right India' movement has been launched by FSSAI by engaging with key stakeholders and citizens. This initiative aligns with Government's focus on public health through its three key programmes, Swachch Bharat Mission, Ayushman Bharat and Poshan Abhiyaan. The movement was launched on 10th July, 2018. The food industry, public health professionals, civil society and consumer organizations, influencers and celebrities came together on a common platform and pledged to take concrete steps to create 'The Eat Right Movement' in the country. While the edible oil industry, bakeries and 'halwais' committed to phase out trans-fats by 2022, major food companies pledged to reformulate packaged foods to reduce the level of salt, sugar and saturated fat. The food services sector promised to provide healthier food options and introduce menu-labeling, even as major food retail players, including e-commerce players, agreed to promote healthier food options and responsible retail practices.

Figure 27- Launch of the 'Eat Right India' Movement

During 2018-19, following activities were conducted under the 'Eat Right India' movement:

12.2.1 'Aaj Se Thoda Kam' Campaign

To kick start and popularize the movement, a powerful infotainment campaign that encourages citizens to reduce salt, sugar and fat intake was launched on mass media and social media, through a short video starring National Award winning actor Sh. Raj Kumar Rao (who consented to participate in the campaign pro-bono) and it has the potential to go viral with its simple message - 'Aaj Se Thoda Kam'. Shri Rao, as the main face of the campaign, officially launched the 'The Eat Right India ' movement in Mumbai and offered his support to spread the message of 'Aaj Se Thoda Kam' across possible formats. The video was screened through Digital Cinema theatres in various cities across India. The video was also screened on 'Food Food' Channel and was also run on DD, Regional and Satellite channels through the Ministry of Health and Family Welfare.

Figure 28- 'Aaj Se Thoda Kam' Campaign

12.2.2 Eat Right Tool Kit

To leverage existing resources and ensure convergence across government programs on food and nutrition, the ' Eat Right Toolkit' has been created as an easy to use comprehensive package with simple messages and interactive material (games, AVs, posters etc.). This would be used by over 1,50,000 Health and Wellness Centres over a period of time. It serves as a supplementary engagement resource to be mainstreamed in the national nutrition and public health programmes. It integrates the 'Eat Right India' movement with Health and Wellness Centres (HWCs). More than 1500 frontline health workers namely Auxiliary Nurse Midwives (ANMs), Accredited Social Health Activists (ASHAs), Anganwadi Workers and 500 Nodal Officers of mid-day meal programmes have been trained to mainstream the 'Eat Right Toolkit' for community education and outreach and were also provided with Toolkits. Through these frontline workers, a very extensive reach of eat-right messaging across the country is possible.

Figure 29 - Display of 'The Eat Right Toolkit'

30- Distribution of Toolkit and training of Frontline workers

12.2.3 Swasth Bharat Yatra

12.2.3.1 Inspired by the Hon'ble Prime Minister's vision of leveraging the 150th Birth Anniversary of Mahatma Gandhi to bring about social change, *'Swasth Bharat Yatra'*, said to be the world's biggest cyclothon, to nudge people to 'Eat Right' was flagged off on 16th October, 2018, World Food Day. The Yatra began from six different locations - Leh, Panaji, Thiruvananthapuram, Puducherry, Kolkata and Agartala on six different tracks in which 21,629 volunteer cyclists along with a convoy including the 'Eat Right Mobile Unit' and 'Mobile Food Testing Unit' covered over 21,000 km across 36 States and UTs reaching out to nearly 25 million people to build awareness around food safety, combating food adulteration and healthy diets and spread the message of 'Eat Safe, Eat Healthy and Eat Fortified'.

12.2.3.2 The Yatra culminated in a grand finale at New Delhi after more than 100 days since its flag off. The concluding ceremony was held at Central Park, Rajiv Chowk, Delhi on 29th January, 2019 with Hon'ble Minister of State, Ministry of Health and Family Welfare, Shri Ashwani Kumar

Choubey as Chief Guest and in presence of many other dignitaries.

12.2.3.3 More than 6,000 'Eat Right Champions' were created to sustain the momentum and carry forward the key messages within their communities.

12.2.4 National Eat Right Mela

12.2.4.1 Inspired by Gandhiji's thoughts on food, nutrition and his food habits, FSSAI organized 1st National Eat Right Mela between 14th-16th December, 2018 at New Delhi in association with the 10th edition of National Association of Street Vendors of India (NASVI)'s National Street Food Festival. It was organized in collaboration with NASVI, Tasting India Symposium, various Ministries and Departments of the Government of India, Food Business Operators (FBOs), eminent experts in the food and health sector and various other stakeholders. The National Eat Right Mela (NERM) was curated to provide a 360-degree experience of the various elements of eating right, to ensure nutrition and wellbeing, as well as to highlight the various initiatives of FSSAI aimed at spreading the message of eating safe, healthy and fortified. Eat Right Mela promotion radio campaign was undertaken from 13th to 16th December, 2018. This national level event was developed on an infotainment model with a vibrant mix of informative pavilions, food stalls and engagement activities including competitions, live food demos, expert panel discussions and physical activities.

12.2.4.2 A replication template has been developed to organize similar fairs at 40 other locations, including State Capitals, in partnership with the Ministry of Housing & Urban Affairs.

Figure 31- Glimpses of 'National Eat Right Mela'

12.2.5 Eat Right Creativity Challenge Awards

12.2.5.1 On the occasion of Children's Day, the 14th November, 2018, FSSAI announced the 'Eat Right Awards' and 'Eat Right Creativity Challenge', giving the 'Eat Right India' movement a further boost. The objective of 'Eat Right Creativity Challenge' was to unleash the creativity of the country's youth to spread the message of 'Eat Right'. This competition was conducted at three levels: School, City and National level, which brought forth talent of students from classes one to twelve. The competition sparked the imagination of the children. It also propelled them to use creativity as a strong medium to build an enabling environment for conveying simple messages of eating safe, eating right and eating fortified along with no food waste.

12.2.5.2 Over 75,000 students from 3,600 schools across India participated in the challenge. About 150 wall arts and 800 digital creatives including videos, short stories and jingles were developed.

Figure 32- Art worshop organized for all the winners during the event

Figure-33- Distribution of awards to differently abled

12.3 Eat Right Start Up Awards

Eat Right Start-Up Awards were instituted to encourage and foster innovation in the safe foods and healthy diet space. The first edition was launched on 14th November, 2018 across four categories: Food Testing; Food Services; Community Outreach & Engagement. Twenty-six applications were received out of which four winners were chosen and awarded with a cash prize in the respective categories of food products.

12.4 Heart Attack Rewind

A mass media campaign was launched on 30th November, 2018 with the support of M/s Vital Strategies, calling for the elimination of industrially produced trans-fat in the food supply. "Heart Attack Rewind" warned citizens about the health hazards of consuming trans-fat and offered strategies to avoid them through healthier alternatives. The 30 second public service announcement was broadcasted in 17 languages for a period of four weeks on major digital

platforms such as YouTube, Facebook, Hotstar, and Voot. Additionally, the campaign was also run on radio channels and through outdoor hoardings in Delhi/NCR. A corresponding social media campaign highlighted the harmful effects of trans-fat on people's health.

12.5 Engagement with Higher Education Institutes on Food Safety and Applied Nutrition

To update the food safety ecosystem in the country and build capacities of food professionals for the future, FSSAI led a first-level discussion with Vice-Chancellors of various Universities, Academicians, Industry and Industry Associations, representatives from line Ministries, University Grants Commission, National Institute of Food Technology Entrepreneurship and Management (NIFTEM), Indian Institute of Food Processing Technology (IIFPT), Federation of Indian Chambers and Commerce (FICCI), and AOAC India, on 3rd July, 2018, to introduce its comprehensive framework for Engagement with Higher Education Institutes on Food Safety and Applied Nutrition. A triple E strategy (Engage, Excite, Enable) to engage effectively with HEIs is being followed. The framework was introduced to relevant stakeholders on 13th August, 2018, through FSSAI-CII-SKA annual international quiz contest on food safety, with participation from over 160 colleges. Through this initiative, FSSAI seeks to build a future-ready skilled workforce for the sunrise food industry in India.

12.6 Interactive Radio Counseling Sessions

Interactive Radio Counseling Sessions were conducted in collaboration with Indira Gandhi National Open University through 'Gyanvani', an educational FM radio station, on the following subjects:

i. 'Food Safety & Nutrition at School-I' on 1st April, 2018
ii. 'Food Safety & Nutrition at School-II' on 15th April, 2018
iii. 'Food Adulteration: Simple methods to check it' on 6th & 20th May, 2018
iv. 'Foodborne Illness and Prevention' on 23rd June, 2018
v. 'Food Fraud, Food Defense' & 'Sanitary on 4th July, 2018
vi. 'Safe & Nutritious food at Home-II' on 7th July, 2018
vii. 'Food Contamination and Allergy Awareness' on 21st July, 2018
viii. 'Hygiene Requirement for a Food Establishment' on 21st July, 2018
ix. 'Artificial Sweeteners and Human Health – Aaj se thoda kam' on 20th October, 2018
x. 'Eliminate Trans-Fat from Diet-Trans Fat Free India by 2022' on 3rd November, 2018
xi. 'Awareness on Poultry Meat and Poultry Products' on 17th November, 2018
xii. 'Disposal of Used Cooking Oil-RUCO' on 1st December, 2018
xiii. 'Health impact of use of liquid nitrogen for instant freezing of ice creams and other cold food products & usage of Anti-Microbial Drugs' on 15th December, 2018
xiv. 'Choice of Healthy & Safe Food' on 5th January, 2019
xv. 'Swasth Bharat Yatra' on 26th January, 2019.

12.7 Social Media

In the year 2018-19, FSSAI's social media platforms – Twitter, Facebook, YouTube and Instagram saw an exponential increase with respect to followers, engagement, and reach to the audience. FSSAI was able to engage with an audience of 9.84 lakhs while reaching approximately 3.34 crore people through comprehensive social media plans formulated for every platform leading to a constantly growing follower-base. In addition to normal promotional methods, this year FSSAI also adopted a paid promotion strategy for the first time. Analysing FSSAI's audience to gain key insights and tapping current trends to stay relevant to the younger generation, while utilizing an array of social media tools for additional features, has been the core strategy of implementation during the year.

12.8 Publications/Brochures/Leaflets/ Videos

To empower consumers and to communicate the importance of FSSAI's working and new initiatives amongst all stakeholders, the following publications were released and distributed during the year 2018-19 :

Brochures/Leaflets	Books	Videos
• Docket Eat Right • Namak Kam • Cheeni Kam • Tel/Ghee Kam • Eight Right India-Oil & Fat • Eight Right India-Tea, Coffee and other beverages • Eat Right Creativity Challenge • Eight Right Creativity Challenge Guidelines. • 25Eight Right Awards • SNF@Hospital • Share Food Share Joy • Eat Right Mela • NetProFan • Empowering Consumers • Transforming Food Safety in India • Building Capacity • Eat Right Puzzle • RUCO	• Guidance Document -Clean Street Food Hub, • Guidance Note- Menu Labelling in Food Service Establishments • Lauh Yatra Book • Eat Right India – Swasth Bharat Yatra • Swasth Bharat Yatra Photo book • 50 Days of mass public participation: Swasth Bharat Yatra • FOSTAC Book- Creating a Culture of self - compliance through capacity building in food business • Eat Right Toolkit • Orange Book • DART Version 2 • Training Manual- Milk & Milk Products • Training Manual on Organic Food (FoSTaC+) • Go to guide for Start Ups • SNF@School Activity Book • Healthy India Desktop Calendar	• Serve Food Safely • Combat Adulteration • Clean Street Food Hubs • RUCO • Gandhi film • SBY film • Double Fortified Salt • Fortified Wheat Flour and Rice • Fortified Oil and Milk • Check Spoiled Food • Safe and Healthy Cooking Oil • Healthy Lives (balanced diet) • HFSS-ThodaKam, Dil Dimag, Control Kyun • Eat Right Mela • Vaishnav Jan To

12.9 FSSAI's Experience Zone

Experience Zone, that landscapes India's food safety ecosystem, was developed in partnership with Tata Trusts at FDA Bhawan, New Delhi. The same was inaugurated by Mr. Amitabh Kant,

CEO, NITI Aayog on 16th May, 2018. Using technologies like virtual and augmented reality, it captures the journey of food safety regulation from its earlier narrow focus on adulteration to a more holistic approach of ensuring safe and wholesome food for all 1.32 billion citizens. The 360- degree Experience Zone reflects how FSSAI has made a shift in its role from just an 'enforcer' to an 'enabler'. Through interactive exhibits, visitors can experience the complexity of the food value chain, see the systems and processes in place and appreciate how FSSAI is nurturing partnerships among the regulator, food businesses and citizens

Figure 34- Inauguration of 'FSSAI Experience Zone'

12.10 Events and Exhibitions

During the year 2018-19, FSSAI participated in various exhibitions/events for public awareness, consumer education and publicity of FSSAI's initiatives and to develop strong engagements with various stakeholders. These include:

i. 'Govt. Achievements & Schemes Expo' held during 27th – 29th July, 2018 at Pragati Maidan, New Delhi. FSSAI was awarded 1st prize for Excellent Achievements and Best Display

ii. 'AAHAR-The Food and Hospitality Fair 2018', organized by India Trade Promotion Organization (ITPO) during 23rd-25th August, 2018 at Chennai Trade Centre

Figure 35- Participation in 'AAHAR-The Food and Hospitality Fair, 2018'

iii. 'Food ingredients India & Health ingredients (Fi India & Hi) 2018' organized by UBM India Pvt. Ltd. during 30th August-1st September 2018 at India Expo Mart, Greater Noida

iv. '19th IUFoST World Congress of Food Science & Technology, 2018' during 23rd-27th October, 2018 at CIDCO Exhibition Centre, Navi Mumbai. The International Union of Food Science and Technology (IUFoST) is the global scientific organization for food science and technology representing over 3,00,000 members from more than 75 countries supporting programs and projects to increase the safety and security of the world's food supply

Figure 36 - Pics from 19th IUFoST Conference, 2018

v. ''Drink Technology India, 2018' from 24th -27th October, 2018 at Bombay International Exhibition Centre, Mumbai

vi. 'Biofach India 2018' from 25th -27th October, 2018 at Pragati Maidan, New Delhi

vii. 'AgroWorld, 2018' from 25th October to 27th October, 2018 at IARI, PUSA Campus, New Delhi

viii. 'Climate Jamboree, 2018' during 1st-3rd November, 2018 at Thyagaraj Sports Complex, New Delhi

ix. '5th Vibrant India-2018' and 'Meri Dilli Utsav' on 2nd and 4th November, 2018 at Pitampura Dilli Haat, New Delhi

x. '23rd All India Children's Educational Audio - Video Festival & ICT Mela' during 27th -29th November, 2018 at CIET, NCERT, New Delhi

xi. '8th International Food Convention (IFCON 2018)' during 12th-15th December, 2018 at CFTRI, Mysuru. The theme of the convention was 'Holistic Approaches for Start up, Food Innovation and Human Resource Training for Agriculture and Food Industry Gemmation (HASHTAG)'. FSSAI won Best Exhibitor Award for excellence in creating public awareness, driving and encouraging food safety.

Figure 37- Inauguration Ceremony of IFCON, 2018

xii. 'Indus Food- a Global Food and Beverage Reverse Buyers-Sellers Meet (RBSM)', organised by Trade Promotion Council of India during 14th -15th January, 2019 at India Exposition Mart, Greater Noida

xiii. 'National Workshop on Promoting Healthy Diets through Local Food Systems' organised by NITI Aayog in collaboration with National Centre of Excellence & Advanced Research on Diets, Lady Irwin College, and UNICEF India at Hotel Le Meridien, New Delhi during 20th-21st February, 2019

xiv. 'NIFTEM Food Festival' at NIFTEM Campus, Kundli, Sonepat, Haryana during 21st-22nd February, 2019

xv. 'Dwitiya Dwadash Jyotirling Samaroh-2019' at Somnath, Gujarat during 23-25th February, 2019 to promote and sensitize administrators of all the 12 Jyotirlings of the country about FSSAI's BHOG (Blissful Hygienic Offering to God) and Hygiene Rating initiatives

xvi. 'AAHAR International Food & Hospitality Fair, 2019' organized by Indian Trade Promotion Organization (ITPO) during 12-16th March, 2019 at Pragati Maidan, New Delhi for public awareness, consumer education, publicity of FSSAI's initiatives and to develop strong engagements with various stakeholders

xvii Culmination Ceremony of Swath Bharat Yatra: The Yatra culminated in a grand finale at New Delhi after more than 100 days since its flag off. The Concluding Ceremony was held at Central Park, Rajiv Chowk on 29th January, 2019 with Hon'ble Minister of State, Ministry of Health and Family Welfare, Shri Ashwani Kumar Choubey as Chief Guest and in presence of many other dignitaries.

Figure 38- Shri Ashwini Kumar Choubey, MoS (H&FW) awarding certificates to the awardees who contributed towards the success of SBY

Chapter 13

Consumer Focus and Empowerment

13.1 Introduction

Consumers have a right to information, informed choice, right to education, safe and nutritious food, right to be protected from unfair trade practices and the right to redress their grievances. In recognition of these rights, FSSAI has taken several key initiatives, aimed at empowering consumers and protecting their interests.

13.2 Exclusive Consumer Education Portal

In order to educate consumers on all the issues pertaining to food safety, the FSSAI has created an exclusively dedicated interactive portal www.foodsmart.fssai.gov.in for making all food purchasers into smart, alert and aware consumers. The portal tells them how to make an informed choice: whether they are buying raw food, processed foods or eating out. It also provides consumers with a forum/platform providing an opportunity to express their views, ask questions and register their complaints.

13. 3 Guidance Notes

FSSAI is developing and disseminating guidance notes for consumers and other stakeholders to address common concerns around food adulteration and other food safety issues and dispel food related misconceptions. Guidance notes have so far been issued on following topics :

- Artificial ripening of fruits
- Egg Quality and Safety: dispelling the myth about plastic eggs
- Stickers on Fruits & Vegetables
- Handling and disposal of Used Cooking Oil
- Irradiated Food is safe: busting myths around it
- Ensuring safety of pulses & besan
- Safe ground spices
- Issue of formalin in fish

These have been shared by FSSAI through its website and social media handles. Content is available in many languages as well as in electronic format for ease of dissemination.

13.4 Food Safety Display Boards

13.4.1 FSSAI has introduced 'Food Safety Display Boards' (FSDBs) for various food businesses such as, retail stores, milk booths, vegetable & fruit retail, meat shops, restaurants, street food vendors, manufacturing, storage, liquor retail, transport and distribution.

13.4.2 These Boards not only display the FSSAI registration/license number, but also convey to the consumers about the appropriate food safety and hygiene practices to be followed by the Food Business Operators (FBOs) in their establishments. They further provide consumers with contact numbers for feedback, queries and complaints.

13.4.3 Further, FSDB for the catering sector has been made mandatory and FSSAI is in the process of ensuring that the FSDB for the entire sector are being displayed by the respective food business operators.

Figure 39 - 'Food Safety Display Boards'

13.5 Safe and Nutritious Food Initiatives

Safe and Nutritious Food (SNF) initiatives are a bouquet of initiatives that focus on a 360-degree approach for citizen guidance and behavioural change in every day life i.e at home, school, workplace or eating out. Safe and Nutritious Food resource books have been developed for home (The Pink Book), school (The Yellow Book), and workplace (The Orange Book). The Pink

Book provides useful tips, dos and don'ts, methods and practices that are recommended for Indian kitchens. The Yellow Book provides material for interactive classroom lectures as well as curricular and co-curricular activities. It serves as an important tool for parents, teachers and students. The Orange Book is a guidance document to create an enabling environment to ensure food safety and nutrition for everyone at workplace. The Detect Adulteration with Rapid Test (DART) book includes simple do-it-yourself tests to detect food adulteration in commonly consumed food items and help build public trust in food. These are being made available into regional languages. Under SNF, FSSAI trained and certified Health and Wellness Coordinators in each domain are being trained through a 'ToT –model'(Training of Trainers). Collaboration models with industry for funding support under corporate social responsibility (CSR) have been piloted successfully and a systematic framework for sustained engagement has been developed.

13.6 Social Mobilisation

Campaigns are often useful to bring an issue into focus and energize all stakeholders towards action. The Swasth Bharat Yatra, a pan-India relay cyclothon, was envisaged with the idea to promote messages of Eat Safe, Eat Healthy and Eat Fortified and to build consumer trust in the food available in the market. In this relay cyclothon, 21,629 volunteer cyclists covered a distance of over 21,000 km over a period of 104 days between 16th October, 2018 and 29th January, 2019. Several events and activities were organised across the country reaching out to nearly 25 million people. More than 6,000 Eat Right Champions were created to sustain the momentum and carry forward the key messages within their communities. The Eat Right Creativity Challenge, a pan-India art competition, was organised to unleash the creative potential of the youth and spread the message of 'Eat Right'. 75,000 students across 3,600 schools participated in the challenge. About 150 wall art and 800 digital creatives including videos, short stories and jingles were developed.

13.7 Use of Electronic, Mass and Social Media

Dedicated web portals with interactive content such as short videos, GIFs, Eat Right Quiz, Eat Right Calendar and habit tracker, posters, healthy recipes etc. have been developed. Dissemination of key messages of Eat Right is also underway through radio, YouTube, Twitter and other social media platforms. Efforts have been made to curb false and malicious videos on social media platforms regarding safety and quality of food.

13.8 Use of Influencers and celebrities

Influencers in the field of nutrition and food safety have been roped in to spread awareness on key messages of Eat Right, drawing inspiration from Mahatma Gandhi's food and nutrition philosophy. Short films featuring popular celebrities are being used to influence consumers to adopt fortified foods and a low salt, sugar and fat-based diet. Team Sehat' Mascots have

been brought to life to popularise healthy eating habits amongst children. Several mascot activations have been conducted across the country with an outreach of over a million children.

13.9 Interactive Radio Counselling Session

FSSAI has initiated special programme in collaboration with Indira Gandhi National Open University (IGNOU) to educate the consumers and the industry people on various aspects of Food Safety & Hygiene through Interactive Radio Counselling (IRC) Sessions on Gyanvani. This is a live interactive one-hour session held on fortnightly basis wherein subject experts talk about various safety & hygiene aspects of different issues of food sector. The experts also chat with the listeners and answer their questions. The first such session was held on 14th January, 2018 regarding 'Rising consumption of High Fat, Salt and Sugar (HFSS) foods and their health implications'. Since then, many such sessions have been conducted encompassing various subjects of Food Safety & Hygiene.

13.10 Triggering Informed Choices:

Better information empowers consumers to make informed choices. Some of the recent initiatives include :

Hygiene Rating – The objective is to empower consumers to make informed choices by rating food hygiene standards in food service establishments through third- party audits and inspections.

Clean Street Food Hub (CSFH)- The concept of 'safe' street food has been elevated in the eyes of consumers through the introduction of Clean Street Food Hubs. The first Hub was launched in Kankariya lake, Ahmedabad in 2018. 8 more such hubs were awarded certificate. 62 clean street food hubs across the country are in the process.

Menu - labelling - The objective is to inform consumers about the calorific value and nutrient content of food while eating out. The envisaged outcome is to help consumers make an informed choice and motivate restaurants to provide healthier options in their menu.

Certification- Symbols and Logos have been developed to help consumers identify organic foods, fortified products, dope-free sports nutrition products etc. Responsible establishment – based symbols are also being promoted for consumer awareness, for e.g. RUCO (Repurposed Used Cooking Oil).

13.11 No Food Waste

To prevent food waste and fight hunger, the Save Food, Share Food, Share Joy initiative has been launched. It includes building awareness on behavioural strategies to reduce food waste. To fight hunger, the Indian Food Sharing Alliance (IFSA) has been set up as a network

of food-collection agencies to deliver surplus food safety to those in need across 70 cities. 12 such agencies are part of alliance and the network is set to expand.

13.12 Food Safety on Wheels

An innovative concept of a mobile food-testing has been introduced for the purpose of testing, training and awareness generation. Apart from conducting simple tests for common adulterants in milk, water, edible oil and other items of food of daily consumption, these mobile units are also being used for awareness building around food safety, hygiene and promoting healthy eating habits in citizens at large and for conducting training and certification programmes for food handlers and supervisors in food businesses. 46 such mobile labs have been sanctioned of which 40 have been delivered to 30 States/UTs.

13.13 Food Safety Magic Box

A do-it-yourself food safety testing kit has been developed as a pedagogical tool to educate school children. It is a small-sized, light-weight portable box that contains a few basic chemicals, small instruments and safety gadgets. A companion guidance book illustrates testing across various food products such as milk, honey, spices etc. in a very simple way through pictures. In all, the box contains 76 super-easy tests. These magic boxes (5,000 in initial phase) will be provided to schools across States.

13.14 Robust Consumer feedback and Grievance Redressal Mechanism-Food Safety Connect

13.14.1 Food Safety Connect is an initiative of FSSAI for active engagement and appropriate connect mechanism across channels (including Digital). It is an effort for efficient consumer complaint redressal related to food safety and hygiene. Its objectives are:

- To create a responsive ecosystem: Food safety in a collaborative manner by engaging with all the stakeholders in the food business with special focus on the consumers.
- To improve the communication channels: Between the Consumers, Food Regulators and the Food Business Industry.
- To build a credible and robust information and feedback :Mechanism within FSSAI and the State Food Regulators to ensure a seamless information flow between the consumers and address their concerns/ complaints in a timely and efficient manner.

Figure 40 - Consumer complaint Redressal Mechanism

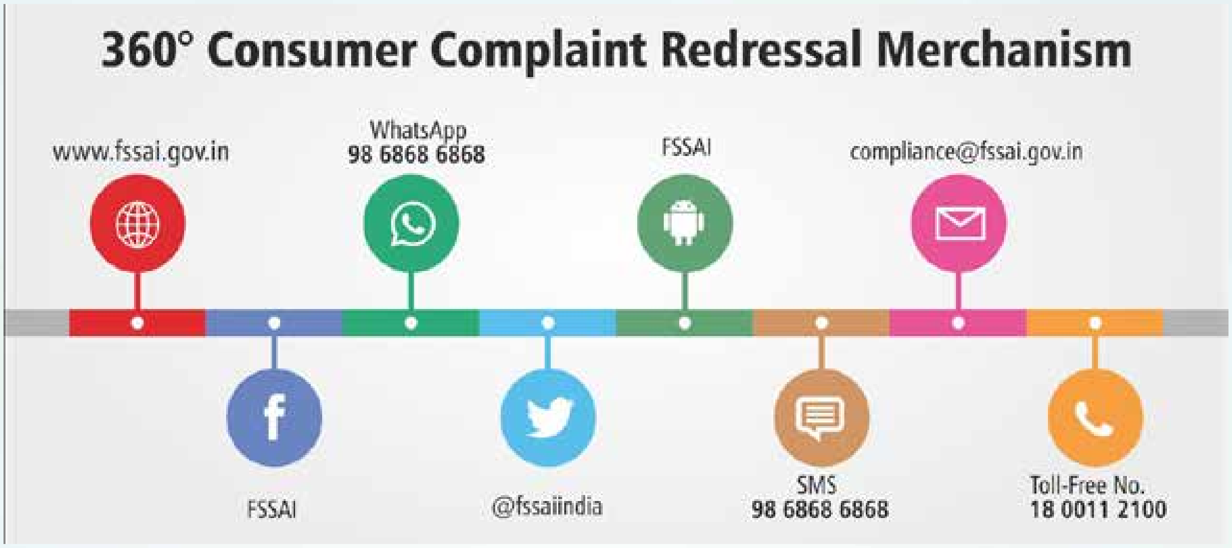

13.14.2 Mechanism for Handling a Consumer Concern:

(a) FSSAI has facilitated consumer feedback/complaints through a number of channels thereby creating a credible and robust information and feedback mechanism to enable a responsive ecosystem. Complaints/concerns of consumers and FBOs are being received by FSSAI through various channels made available by FSSAI viz. Web Portal & Mobile App, FSSAI Helpline, Emails, WhatsApp, Twitter, Facebook,. In addition, complaints related to Food & Beverages sector are also received through INGRAM portal of Department of Consumer Affairs.

(b) Further, FSSAI is also receiving public grievances through other sources e.g. Department of Administrative Reforms and Public Grievances (DARPG), Cabinet Secretariat, President's Secretariat, Department of Pensions and Pensioners Welfare, Prime Minister's office etc. both offline and online (through PG Portal of DARPG).

(c) All the complaints /concerns of consumers and FBOs received by FSSAI through various channels listed above are consolidated into a single portal i.e. Food Safety Connect Portal. A unique code is generated against each lodged complaint/concern, prioritized according to their risks and then forwarded to concerned State Designated Officers and FBOs for necessary action as per provisions of FSS Act, Rules and Regulations made thereunder. The proper disposal of concerns are regulary monitored.

13.14.3 Enhancing regulatory work and empowering consumers

In order to improve the overall efficiency of the grievance redressal system and to sensitize the FSOs in all the States and Union Territories towards consumer rights, FSSAI regularly organises training workshops for FSOs.

13.14.4 Sensitization of FBOs to consumer rights

For timely and effective redressal of consumer complaints, FSSAI has formulated standards and turnaround times, and has ensured that FBOs nominate 'Nodal Officers' to deal exclusively with consumer complaints and concerns. Besides monitoring their work, FSSAI regularly holds workshops for nodal officers. These workshops are also aimed at strengthening and improving the grievance redressal system at the FBO level and at the same time, promoting responsive and responsible business practices.

13.15 Misleading Advertisements and Labels

Food Safety and Standards (FSS) Act, 2006 prohibits false and misleading advertisements and labels related to food. Similarly, the Consumer Protection Act gives the consumer the right to be protected against such advertisements, described as an 'unfair trade practice'. In order to detect and curb violations of the FSS Act in respect of advertisements, FSSAI has signed a Memorandum of Understanding (MoU) with the Advertising Standards Council of India (ASCI), where ASCI will comprehensively monitor cases of misleading advertisements in the food and beverage (F & B) sector across various media channels. ASCI will also process complaints against misleading F&B advertisements received through various sources, including the GAMA (Grievances against Misleading Advertisements) portal of the Ministry of Consumer Affairs. The MoU also requires ASCI to report to FSSAI non-compliance by any FBO of ASCI's directions on the advertisement for further action as required under the provisions of FSS Act. During the year 2018-19, ASCI has processed 301 misleading advertisements relating to food.

13.16 Available Policy and Regulatory Support

While all regulations and standards support food safety, the following key Regulations notified/finalised by FSSAI in particular support consumer empowerment:

- Regulations for Advertising and Claims
- Labelling Regulations that include labelling of foods that are high in saturated fats, salt and sugar (HFSS)
- Fortification Regulations
- Organic Food Regulations
- Trans-fat limits for different food product categories

13.17 Multi-stakeholder Partnerships

Partnerships have been established with a range of stakeholders to support the extensive range of consumer initiatives. This includes Government Departments, Consumer and Civil Society Organisations, Development Partners, Corporates, Academic Institutions, Professional Networks and Citizens. These partnerships are critical for engaging, exciting and enabling citizens to adopt safe and healthy diets.

Chapter-14

Leveraging Technology and e-Governance at FSSAI

14.1 Role and Responsibilities of the IT Division of the FSSAI

14.1.1 E-governance has emerged as a key focus area for the Government in the last few years. Given the critical importance of technology for a regulatory body with a mandate as broad and overarching as FSSAI, an Information Technology (IT) Division was set up in-house moving away from an earlier outsourced model in which all IT-related activities pertaining to FSSAI were carried out through National Institute of Smart Governance (NISG).

14.1.2 At FSSAI, IT Division's mission is to deliver meaningful technology solutions to new and existing applications that result in the best possible solution in the assigned tasks. For that, IT Division sometimes uses services of a strong network of innovative technology partners that can help FSSAI in accomplishing the tasks faster and smarter.

14.1.3 IT Division of the FSSAI, since its inception two years back, has emerged as a prime builder of e-Government / e-Governance applications up to the grassroots level for each principal Division of FSSAI. In-house IT Division has reduced the dependence of FSSAI on external agencies for large scale critical IT systems like Food Licensing & Registration System (FLRS) and Food Import Clearance System (FICS), which form the backbone of FSSAI's Licensing, Registration and Import systems. The year 2018-19 witnessed the launch of various initiatives like Eat Right India, Swasth Bharat Yatra among many more. All these initiatives are supported intensively through IT platforms and systems.

14.2 Strengthening of IT Infrastructure in FSSAI

14.2.1 IT infrastructure has been significantly strengthened both at New Delhi Headquarters and at Regional Offices of the FSSAI:

(i) Bandwidth for the Internet connectivity at all offices has been enhanced and now it is 60 MBPS at FSSAI Headquarter at Delhi through PGCL and 12 MBPS at all Regional Offices. At NIC Data Centre, Shastri Park, New Delhi, FSSAI has FLRS Servers (6 Servers), with total allocated resource: 292 Core CPU, 224 GB RAM and 20.252TB HDD.

(ii) Cloud Adoption - Website, micro-sites and other portals are now running from BSNL cloud. FSSAI has adopted *"Cloud First"* strategy for hosting all its new applications on Internet which helped in reducing the time and cost required.

(a) At BSNL Cloud, for FICS, there are now three VMs with total Allocated Resource: 14vCPU; 40GB RAM; 2240GB HDD. In addition to that, FSSAI have taken services of BSNL Cloud for all other 50+ websites/portals (11VMs) with total Allocated

Resource: 16vCPU; 28GB RAM 1040GB HDD for all Websites.

(b) At National Cloud Services 'Meghraj' of NIC, the Food Safety & Compliance System (FoSCos) application is being hosted and it has seven VMs with total Allocated Resource: 112vCPU; 224 GB RAM and 3620 GB HDD.

(iii) All FSSAI Offices are now equipped with Video-conferencing facility and regular video conferencing is being conducted internally and with officials of the State Governments, which has reduced both travel needs and cost.

14.3 Management of Food Licensing and Registration System (FLRS) and Food Import Clearance System (FICS)

Food Licensing and Registration System (FLRS)

14.3.1 Food Licensing and Registration System (FLRS) is one of the major software applications that facilitates Licensing and Registration System of the FSSAI and is now operational in all States and Union Territories, except Nagaland. The FLRS has also been rolled out in all of the 16 Zones of the Railways. Necessary credentials have been provided to officials of these 16 Zones to make use of FLRS application for issuance of Licenses and Registration to FBOs under Railway network.

14.3.2 Online payment gateway has been implemented in seven States viz. Delhi, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Tamil Nadu, Karnataka, Kerala and West Bengal. Besides different payment gateways, PayGov of the Government of India as a single payment gateway across all States/ UTs has also been implemented.

14.3.3 A facility was provided to petty food businesses in the year 2016 to obtain FSSAI registration by utilising over three lakh Common Service Centres (CSCs) which are operational in the country and for that, FSSAI has entered into an agreement with CSC-SPV and FLRS has been integrated with CSCs. To encourage registrations, service charges of CSCs are being paid by the FSSAI.

14.3.4 During the year, FSSAI has decided to revamp the whole licensing and registration regulations under the FSS Act, 2006 which shall focus more on raising the bar for food safety compliance instead of just the documentation by means of licensing and registration. FoSCoS is the new software enhanced application in an Open Source platform that has been envisaged to replace the existing Food Licensing and Registration System (FLRS).

Food Import Clearance System (FICS)

14.3.5 The Food Import Clearance System (FICS) is an Integrated Web based System for the process of clearance of imported food into India at six locations where FSSAI is present.

14.3.6 The FICS application has also been integrated with Customs' Single Window Interface for

Facilitating Trade (SWIFT). Now, the importers/ Custom House Agents are required to file their Bills of Entry (BoE) through an Integrated Declaration Form only once with SWIFT. Required information is then forwarded electronically from SWIFT to FICS for clearance.

14.3.7 As a part of FICS, all clearance sub-processes are handled electronically which includes document scrutiny, sampling, payment of fees, testing of samples and final clearance. Integrated Risk Management System for food sampling has been introduced. This has also helped in reducing clearance time of the imports.

14.3.8 The system can be accessed by using the link https://fics.fssai.gov.in/ using any standard web browser like IE, Chrome etc. It is a web enabled system and, hence, can be used 24*7 by all the stakeholders.

14.4 Development and Implementation of different ongoing Systems during 2018-19

14.4.1 Food Import Rejection Alert (FIRA)

Food Import Rejection Alert (FIRA) is a web-based tool, the link to which is also available on the FICS system, for capturing non-compliances of all imported food product consignments and it has been made operational from 31st October, 2018.

14.4.2 Food Product Identity Verification System (FPIVS)

FSSAI has launched Food Product Identity Verification System (FPIVS) on 5th November,2018, which is available at portal https://fssai.gov.in/fpas/home.This online service helps Food Business Operators (FBOs) in identifying whether a food product is covered under any of the food regulations notified by FSSAI including Proprietary Foods, Nutraceuticals, Food supplements and other special foods, or requires product approval as prescribed under Food Safety and Standards (Approval for Non-Specified Food and Food Ingredients) Regulations, 2017.

14.4.3 e-Platform for Comments

FSSAI launched "e-Platform for Comments" on 5th November, 2018 and is available on the portal https://fssai.gov.in/comments/Directlogin.aspx. This system will facilitate stakeholders for online submission of their views on upcoming food standards & regulations.

Other Ongoing Systems

14.4.4 Food Safety Compliance through Regular Inspection & Sampling System (FoSCoRIS)

Food Safety Compliance through Regular Inspection & Sampling System (FoSCoRIS) is a web based real time inspection platform for Food Safety. FoSCoRIS is a comprehensive 360^0 verification system. It can be accessed at https://foscoris.fssai.gov.in. Beside this, offline module also exist which is an easy to operate and handy tool that syncs data as and when net

is available.

14.4.5 IFS.Quick Access System

Indian Food Standards Quick Access is a single platform integrating all the Food Safety Standards and Regulations on safety as well as quality of food items. This system provides all the relevant information about any product on a single screen and can be accessed athttp://fssai.gov.in/IFSquickaccess/.

14.4.6 Indian Food Laboratory Network (INFoLNET)

Indian Food Laboratory Network (INFoLNET) is an IT solution for integrating all categories of Labs which are involved in any type of food sample testing. This system helps in planning and execution of surveillance activities by the States. The data repository created as a part of INFoLNET also helps in risk analysis, improvements in Food Standards, Training and Capacity Building. The URL of the Portal is - https://infolnet.fssai.gov.in/.

14.4.7 Jaivik Bharat Portal for Organic Products

The portal on organic food from India is a regulatory portal. Organic food products may be searched by name of the food or/and by the name of the company as well. Through this Portal, the consumers can access all information with respect to the producer, the certification system and the availability of certified organic products. The portal can be accessed using the URL - https://jaivikbharat.fssai.gov.in/.

14.4.8 Food Regulatory Portal - A friendly Portal for Food Businesses

Food Regulatory Portal is a single interface for food businesses to cater to both domestic operations and food imports. The portal hosts multiple IT platforms at one point to facilitate food businesses and reduce compliance burden. The portal can be accessed through the URL – http://foodregulatory.fssai.gov.in/.

14.4.9 Food Safety Training and Certification (FoSTaC) Training Portal

Training and Certification has now become a key function of FSSAI. In addition to the online Safe and Nutritious Food (SNF) resources, FoSTaC portal has three type of training modules viz. Basic, Advance and Special. The portal can be accessed at URL: https://fostac.fssai.gov.in/.

14.5 Social Outreach/Digital Connect:

14.5.1 Many new communication channels have been introduced to reach end consumers directly, which act as a direct link between consumer and the FSSAI. FSSAI is now connected to large number of consumers actively with the help of social media channels.

14.5.2 FSSAI has a considerable presence on Facebook and Twitter - two of the most widely used

social media platforms. There are multiple users at FSSAI on Facebook from every department to handle queries and issues raised by consumers.

14.5.3 FSSAI has also a toll-free helpline desk and its helpline number has been circulated through the connect mediums as above.All the complaints/queries coming from the above mentioned multiple channels are being auto-redirected to web portal/ mobile APP.

14.5.4 A mobile APP for the Consumer Connect initiative has also been rolled out. Under this initiative, a consumer can reach the Authority through multiple channels like mobile APP, WhatsApp, Toll-free number, website etc. to resolve issues related to FSSAI.

14.6 Safe Water for Healthy Living

This portal captures test results of samples of packaged drinking water. The goal of this project is to enable the consumer to make an informed choice on the quality of water being consumed. The URL for the site is - https://safewater.fssai.gov.in/.

14.7 FSSAI Website

A new look integrated website of the FSSAI has been designed and developed looking into latest trends in the website design. Information has been structured in a more convenient way so that citizens/FBO can search for data in effective way. All initiatives of the FSSAI and various sites can be easily accessed through FSSAI integrated website.

14.8 Food Fortification Resource Centre (FFRC)

The Food Fortification Resource Centre is a Resource and Support Centre to promote large-scale fortification of food across India. The revamped website is available at the URL http://ffrc.fssai.gov.in.

14.9 Micro-Sites/Portals

Table 24- Micro-sites / Portals created / under development

Name of Micro-sites/ Portals	Features
Safe and Nutritious Food Initiative -SNF@School, SNF@Home, SNF@eatingout -Restaurant, -Clean Street Food Hub, SNF@ Bhog,SNF@Workplace, etc.	Various micro-sites have been created for each initiative mentioned here and are being improved further to make these micro-sites exhaustive one. The purpose is to bring all stakeholders on one platform.
Food Analyst Exam Portal	The Food Analyst Exam Portal was single point of contact for all applicants to the examination for Food Analyst held during 2017 and 2018.
Consumer Education portal	This portal aims at Consumer Education and Awareness on matters of food safety and standards. It will promote citizen's participation and enlighten consumer about their rights with respect to food they consume.
Food Innovators Network (FINE) - Engaging Innovators to Address Key Challenges on Food Safety and Nutrition	In conjunction with Govt. of India initiatives on 'Start-Up India' and 'Digital India', FSSAI is bringing together innovators and start-up entrepreneurs to provide innovative solutions and transform country's food safety and nutrition landscape. The portal can be accessed through URL - http://fssai.gov.in/fine/
Save Food, Share Food, Share Joy - a platform called Indian Food Sharing Alliance (IFSA)	Under 'Save Food, Share Food, Share Joy' initiative to promote food sharing among citizens and food businesses of the country, a platform called Indian Food Sharing Alliance (IFSA) has been created in a coordinated manner to prevent food being lost or wasted throughout the supply chain, from initial production down to final household consumption.
FSSAI Internship Portal	FSSAI Internship Scheme is being offered to provide learning opportunities to young talent in the field of Foods and Nutrition. The portal provides instructions for Filling the Online Application Form for FSSAI Recruitment and one can access the same through URL- http://www.fssai.gov.in/internship.
Detect Adulteration with Rapid Test (DART) – mobile responsive Portal	It is mobile responsive web portal which provides details about easy to do rapid common test analysis for detection of any kind of adulteration. The site can be accessed at URL - http://fssai.gov.in/dart/.
Repurpose Used Cooking Oil (RUCO) Portal	Repurpose Used Cooking Oil (RUCO) Portal is an ecosystem that will enable the collection and conversion of UCO to biodiesel. The site can be accessed at URL - http://fssai.gov.in/ruco/.

14.10 Way Forward

14.10.1 A fundamental digital transformation of FSSAI's legacy software application, FLRS is under way. New food safety & compliance system (FoSCoS) and many new applications are under development, which is an ongoing process. FSSAI is creating flexible technical solutions using artificial intelligence (AI) based automation to a wide array of applications that ultimately helps the consumers.

14.10.2 Looking ahead, it is deeply believed that FSSAI's IT team has the ability to create, deliver and show-case their worth during coming year(s) also using technology and automation to ensure food safety and standards, implement risk management, increase transparency, build efficient processes and developing a robust data strategy.

Chapter-15

Global Outreach

15 **Participation in Codex meetings**

15.1 The Codex Alimentarius Commission (CAC) is a joint inter-governmental body of the Food and Agriculture Organization (FAO) and World Health Organisation (WHO) of the United Nations with 189 Members [188 Member countries and one Member Organization (EU)]. Codex has worked since 1963 to create harmonized international food standards to protect the health of consumers and ensure fair trade practices. India is a member of Codex Alimentarius Commission since 1964 and continues to be a partner in the international food standards development process. India actively participates in the Codex meetings, hosting and co-hosting Codex Committee meetings to ensure that India's concerns/issues are taken into consideration while developing international standards.

15.2 India's contribution in international food standards formulation is evident through its active involvement in the work of Codex Alimentarius Commission. During the period April 2018 - March 2019, Indian delegations attended 14 Codex Committee Meetings. The delegates from Food Authority, concerned Ministries/ Departments and other stakeholders were part of the Indian delegations. In these Codex meetings, India's written comments, submitted to Codex Secretariat, were considered and India's concerns were largely addressed based on these comments and interventions during the Committee sessions.

15.3 Some important issues considered in the Codex committee meetings during the period 2018-2019

15.3.1 24th Session of the Codex Committee on Residues of Veterinary Drugs in Foods (CCRVDF24) held during 23rd – 27th April, 2018

The Committee agreed to retain Ethoxyquin on the list at the request of Philippines and India. Now, India has to submit data on Ethoxyquine (used as feed additive for shrimps) for evaluation or re-evaluation by Joint Expert Committee on Food Additives by next session of CCRVDF.

15.3.2 41st Session of Codex Alimentarius Commission (CAC41) held during 2nd – 6th July 2018

(i) New work proposal on pesticides as endocrine disrupting chemicals

The Commission noted the importance of the issue raised by India while acknowledging that India has revised the proposal as per suggestion of CCPR50 held in April, 2018 with a focus on pesticides and, therefore, CCPR is the relevant technical body to further consider this issue. Now,India needs to take up the proposal at the next session of CCPR

in April, 2019 for its consideration.

(ii) Standard for Aubergines and Draft Standard for Ware Potatoes

The Commission adopted the standard for aubergines at step 8 and the draft standard for ware potato at Step 5 which were originally framed and submitted by India.

(iii) Maximum Levels for lead in selected commodities

The Commission adopted the maximum level (ML) of lead in mango chutney at 0.4mg/kg at step 8 as proposed by India. The adopted ML is higher than the occurrence levels as per the data generated by India domestically.

15.3.3 50th Session of the Codex Committee on Food Hygiene (CCFH50) held during 12-16th November, 2018-

(i) Proposed draft revision of the general principles of food hygiene (CXC 1-1969) and its HACCP ANNEX -(Co-Chaired by India)

Draft was returned to Step 3 for further revision. Further, the Committee also established Physical Working Group (PWG) chaired by the United Kingdom and co-chaired by India to prepare a revised proposal for consideration by next CCFH.

(ii) Proposed draft revision of the code of practice for fish and fishery products (CXC 52-2003)

The Committee agreed for newly adopted histamine guidance as a separate section in the Code and the consequential amendments to other sections of CXC 52-2003 for adoption by Codex Commission.

(iii) Proposed draft code of practice on food allergen management for food business operators

The Committee agreed to forward the proposed draft code for adoption by Codex Commission at Step 5.

15.3.4 40th Session of the Codex Committee on Nutrition and Foods for Special Dietary Uses (CCNFSDU40) held during 26th to 30th November, 2018-

(i) Review of the standard for Follow-up formula-Essential composition

The Committee agreed to retain the essential requirements for follow-up formula for older infants at Step 7 and for product for young children and established an electronic Working Group (eWG) to work further on the document.

(ii) Review of the standard for Follow-up formula

The Committee agreed to advance Section A: follow up formula for older infants to *Step* 5 for adoption by CAC42, send the labelling provisions for follow up formula for older infants to CCFL45 for endorsement.

(iii) Proposed draft guideline for Ready to Use Therapeutic Foods

The agenda was discussed in the Physical Working Group (PWG), wherein focus was on the sections where the eWG did not reach consensus and which had been put in square brackets. Thereafter, the Committee agreed to re-establish an eWG to continue developing Section 5.2.2 (Food additives) and Section 6.2 (Proteins) and to hold the rest of the text at Step 4.

15.3.5 6th Session of the Ad hoc Codex Inter-governmental Task Force on Antimicrobial Resistance (TFAMR6) during 10th December to 14th December, 2018

(i) Proposed draft revision of the code of practice to contain and minimize foodborne anti-microbial resistance (CXC 61-2005)

The Committee agreed to return the proposed draft Code of Practice to Step 2/3 for re-drafting and established an eWG for the same.

(ii) Proposed draft guidelines on integrated monitoring and surveillance of foodborne anti-microbial resistance

The Committee agreed to return the proposed draft Code of Practice to Step 2/3 for re-drafting and established an eWG for the same.

15.3.6 4th Session of Codex Committee on Spices and Culinary Herbs (CCSCH4) during 21st to 25th January, 2019

The proposed draft Standard for Dried or Dehydrated Garlic as prepared and presented by India was forwarded to the 42th Session of Codex Alimentarius Commission for adoption at Step 5/8 (final adoption as Codex standard).

15.3.7 26th Session of Codex Committee on Fats and Oils (CCFO26) during 25th February to 1st March, 2019

The inclusion of Walnut oil, Almond oil, Hazelnut oil, Pistachio oil, Flaxseed oil and Avocado oil in the Codex Standard for named vegetable oils, as supported by India, has been forwarded to the 42nd Session of Codex Alimentarius Commission for adoption at Step 5/8. India was co-chairing the electronic working group for this work along with Iran.

15.3.8 31st Session of the Codex Committee on General Principles (CCGP31) during 11th -15th March, 2019

The Committee agreed to develop criteria to identify work appropriate to be undertaken by committees working by correspondence and develop procedural guidance for such committees based on and consistent with relevant guidance in the procedural manual while ensuring that the core values of Codex i.e. collaboration, inclusiveness, consensus building and transparency are maintained.

15.4 Participation in Electronic Working Groups

During the period, India has participated in 53 electronic working groups (eWGs) and significant comments were submitted in the eWGs. India also chaired 7 eWGs and co-chaired 3 eWGs.

15.5 Training workshop on "Effective preparation for participation in Codex"

A two-day training workshop for CCASIA member countries was held at New Delhi during 5-6 September, 2018. 45 officials from 18 Asian countries participated in the workshop which focussed on enhancing the ability of Asian countries to operate the electronic systems and tools including the new Codex website; Online Commenting System (OCS); Digital platform for Electronic Working Groups (eWG) and other web-based tools.

15.6 Training of the Sri Lanka stakeholders involved in food safety and codex contact point Sri Lanka(25th to 28th February, 2019 in Colombo, Sri Lanka)

A workshop and a training program were conducted for the stakeholders involved in food safety in Sri Lanka and the Codex Contact Point of Sri Lanka. The main objective was to sensitise the participants, particularly the Government officials, on complete understanding of the Codex procedures including the National Codex Structure; need for active participation in Codex for an effective food control system; the newly developed Codex web tools for participating in Codex related activities; structure and functioning of a codex contact point - example of India; and rights and obligations under the WTO regime and legal process for notifying Food Regulations in line with the SPS Agreement. The training was imparted by officers from the codex contact point of India (FSSAI), along with Senior International consultant to WHO.

15.7 Codex Trust Fund 2

The Codex Trust Fund 2(CTF) is developed by FAO/WHO, with the focus on building strong, solid and sustainable national capacity to engage in Codex through a series of supported activities in eligible Countries. As per CFT2, multi-annual support will be provided through individual country or group applications to eligible countries with successful applications.

India, as a lead country, submitted a group application with Bhutan and Nepal under CTF2 for

strengthening national Codex structures, processes and systems to build capacity for full and effective engagement in Codex. The application has been approved by the CTF Secretariat. India has also signed a contribution agreement with Codex Trust Fund Secretariat (WHO) for contribution towards the trust fund for a period of 5 years.

Table 25 Explanation regarding step procedure for development of Codex standards

Member country prepares a Project Document for new work	
STEP 1:	The Commission approves new work based on a Project Document and the critical review of the Executive Committee, and identifies the body (subsidiary-Codex committee or other body) to undertake the work.
STEP 2:	Preparation of a proposed draft standard.
STEP 3:	The Codex Secretariat circulates the proposed draft for comments to all members and observers.
STEP 4:	The body undertaking the work discusses the proposed draft and the comments; amends the text, and decides the next step (forward, backward, hold).
STEP 5:	The proposed draft standard is submitted for comments to all members and observers; to the Executive Committee for critical review; and to the Commission for adoption as a draft standard.
	[Step 5/8:A shortcut to speed up work, is to leave out the second round of comments: At STEP 5 the Commission may decide to take three decisions at once: adopt at STEP 5; omit STEPS 6 and 7; and adopt at STEP 8].
STEP 6:	Circulation for comments (same as STEP 3).
STEP 7:	Discussion and decision on next step (same as STEP 4).
STEP 8:	The draft standard is submitted to the Executive Committee for critical review and to the Commission, with a view to its adoption as a Codex standard.

15.8 Other International engagements

In line with the Food Safety and Standards Act, 2006, the Food Authority is required to provide scientific and technical assistance to the Central Government and the State Governments for improving co-operation with international organizations. The Food Authority shall also promote co-ordination of work on food standards undertaken by international governmental and non-governmental organizations and promote consistency between international technical standards and domestic food standards. As a part of this activity, following activities were undertaken during 2018-19 :

15.9 MoUs signed and Activities based on MoUs signed

15.9.1 Denmark

15.9.1.1 A MoU on Food Safety Cooperation between FSSAI and the Danish Veterinary and Food Administration (DVFA) was signed on 16th April, 2018. The same was exchanged during the visit of Hon'ble Prime Minister of India to Stockholm (April 16-17, 2018). This MoU will help in encouraging and promoting cooperation and mutual exchange in the areas of food safety between the two countries.

15.9.1.2 Denmark study visit under the aegis of MoU - 17-21 September, 2018

The visit of an Indian delegation to Denmark was organized by Danish Veterinary and Food Administration (DVFA), Ministry of Environment and Food, Denmark. The focus was on learning and exchanging experiences regarding Food Smart Cities in Denmark, nutritional labelling and monitoring food market of unhealthy foods and beverages to children and young people for the prevention of obesity and overweight. The visit proved useful in learning about food safety regulatory system in Denmark, their ongoing health promotion activities in schools and food safety solution and nutrition recommendations provided by Nordic Food lab policy.

15.9.2 Portugal

A MoU was signed between FSSAI and ASAE (Economic and Food Safety Authority), Portugal in the areas of food safety and training and capacity building on 7th September, 2018. Areas of cooperation are as under:

- Information exchange on food safety policy, including laws, regulations, and standards
- Risk analysis; standard setting systems; monitoring and surveillance systems (inspection); food borne outbreaks and investigations, testing laboratories
- Development of specific technical cooperation projects
- Notification and cooperation in cases of serious and immediate concern with respect to public health, or fraudulent practices associated with food traded between two countries

15.9.3 EFSA

15.9.3.1 A Memorandum of Cooperation (MoC) between FSSAI and the European Food Safety Agency (EFSA) was signed in Parma, Italy on 14th September, 2018 during the visit of CEO, FSSAI. The visit also included meetings to understand the processes adopted for setting up of MRLs and import tolerance by EFSA. The focus of MoC is to enhance scientific cooperation and dialogue between the two agencies in the areas of data collection and data sharing related to risk assessment. The MoC with EFSA will help in understanding the processes involved in

setting Maximum Residue Levels (MRLs) of Plant Protection Products (pesticides) and import tolerances by EFSA. This would help in establishing similar systems in place in India.

15.9.3.2 Visit of delegation led by CEO, FSSAI to Netherlands/Belgium/Italy (EFSA) during 10-14 September, 2018

The visit of delegation led by CEO, FSSAI helped strengthen mutual collaboration in the areas of food safety between FSSAI and other agencies in Europe viz. NVWA in Netherlands, DG SANTE and Belgian Federal Agency for Safety of Food Chain, Belgium, FAO/Codex Alimentarius Commission in Rome and EFSA in Parma, Italy.

15.9.4 Japan

15.9.4.1 A MoU on food safety was signed between FSSAI and 4 Japanese agencies viz. the Food Safety Commission of Japan, the Consumer Affairs Agency of Japan, the Ministry of Health, Labour and Welfare of Japan and the Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries of Japan. The same was exchanged on 29th October, 2018 during the visit of Hon'ble Prime Minister of India to Japan. The objective of the MoU is to strengthen mutual cooperation between the above agencies from India and Japan in the areas of food safety.

15.9.4.2 1st Indo-Japan Joint Working Group (JWG) under the MoU was held at FSSAI on 29th January, 2019. JWG helped in addressing concerns of Japanese companies in India.

15.9.5 Netherlands

A tripartite Memorandum of Understanding (MoU) between FSSAI, Export Inspection Council of India (EIC) and Netherlands Food and Consumer Product Safety Authority (NVWA) was signed in March, 2019 for cooperation in areas of food safety. This MoU is renewal of earlier MoU signed between FSSAI and NVWA, Netherlands in November, 2012 with addition of EIC as 3rd Party.

15.9.6 France

A MoU was signed between FSSAI and ANSES, French Agency for Food, Environmental and Occupational Health & Safety in January, 2016. Under this MoU, a training program on Microbiological Analysis with experts from France was held at State Food Lab, Vadodara, Gujarat from 26-30 November, 2018.

15.9.7 Germany

A meeting to discuss collaboration under the Joint Statement of Implementation signed between FSSAI and BfR (Germen Federal Institute for Risk Assessment) and BVL (German Federal Office of Consumer Protection and Food Safety) was held with a German delegation on 28th March, 2019 at FSSAI. FSSAI proposed to establish a Risk Assessment Centre with

technical expertise from BfR. BfR and BVL will also support in upgradation of India's Reference Laboratories. An exchange of experts/scientists program between FSSAI's National Reference Laboratories (NRL) and European Union Reference Laboratory (EURL) will also be explored.

15.9.8 New Zealand

An Arrangement for cooperation was signed between FSSAI and Ministry for Primary Industries (MPI), New Zealand in October, 2016. To work out the modalities for implementation of the arrangement and exposure to New Zealand food safety systems, a delegation led by CEO, FSSAI visited New Zealand in April, 2018. The visit gave insights into food safety regulatory system in place in New Zealand.

15.10 Activities in Collaboration with Global Food Safety Partnership (GFSP)

GFSP - established by the World Bank – is a unique public-private initiative dedicated to improve the safety of food in middle-income and developing countries.

15.10.1 Training Program in Collaboration with GFSP

- GFSP Food Safety Training Program on Mycotoxins was held in Singapore in collaboration with AVA Singapore from 8-10 January, 2019.
- The Master Trainers are now providing training on these subjects in India and helped create a pool of trained personnel.

15.10.2 In October, 2018, FSSAI has been selected as an observer member of the Governing Committee of GFSP of the World Bank for a two-year term.

15.10.3 GFSP is also supporting FSSAI in setting up an International Training Centre in Mumbai and facilitating study visits to various countries.

15.11 Participation in Meetings/Programs abroad

Officials/delegates from FSSAI participated in following meetings/workshop programs during the year 2018-19:

15.11.1 Inaugural meeting of the Global Action Network on Nutritional Labelling from 6-7 February, 2019 in Paris, France

Chairperson, FSSAI represented FSSAI in the inaugural meeting of the Global Action Network on Nutritional Labelling from 6-7 February, 2019 in Paris, France. The Action Network is a follow up of the UN Decade of Action on Nutrition 2016-2025. The goal of the Action Network is to establish a coalition of countries interested to accelerate efforts around nutrition labelling and promote the implementation of the same.

15.11.2 WHO/FAO 1st Global Conference on Food Safety in Addis Ababa, Ethiopia

A delegation led by CEO, FSSAI, including a representative from the Ministry of Health and Family Welfare, participated in the WHO/FAO 1st Global Conference on Food Safety in Addis Ababa, Ethiopia from 11-14 Feb., 2019. The Conference helped in connecting with many Food Regulators around the world, especially the African countries of Gambia, Zambia and Ethiopia who were impressed with FSSAI's model of food safety, recent capacity building & awareness initiatives and showed interest in learning more about the same. In this regard, a proposal for FSSAI's partnering with the African countries in capacity building in area of food safety along with a concept note on 'Food Safety in Africa' has been taken up with the Ministry of External Affairs through the Ministry of Health and Family Welfare for concurrence and support.

15.12 Delegation visits to India

15.12.1 Afghanistan Delegation Visit to India

At the request of Govt. of Afghanistan, a 2 week training program for food safety officials from Afghanistan was conducted in India from 28th Jan. – 8th Feb., 2019. The visit was coordinated by the International Trade Centre (ITC), Geneva and funded by the European Union. The training program included visit to State Food Safety Office in Chandigarh, field visits to ports of import in Kochi, Laboratories in Delhi and food processing unit at Nashik which helped in enhancing understanding of the delegation on various aspects of food safety.

Figure 41 - Visit of Afghanistan Delegation

15.12.2 Nepal Delegation Visit to India

A delegation from Department of Food Technology and Quality Control (DFTQC), Nepal visited FSSAI, New Delhi for consultation meeting program-cum- exposure visit during 25th-29th March, 2019. The delegation was led by Mr. Sanjeev Kumar Karn, Director General, DFTQC. The focus of the visit of delegation was to understand the functions and structural arrangement of FSSAI, implementation of the FSS Act and the food safety and quality control system in States through field visits.

15.12.3 Delegation from Indo-French Chamber of Commerce (IFCCI)

A meeting with a delegation from Indo-French Chamber of Commerce (IFCCI) Consumer Goods and Services Committee of French companies operating in India was held on 9th January, 2019. Trade related issues regarding FSSAI Regulations-Alcoholic Beverage Regulations, Flavour Regulations, FSS (Advertising and Claims Regulations); Standards (food colors, additives); Product approvals and Imports requirements in India were discussed.

Figure 42 - Visit of IFCCI Delegation

15.12.4 Delegation of Group Of Latin American And Caribbean Countries in the United Nations (GRULAC)

A meeting with GRULAC Chiefs of Mission was held on 4th June, 2018, to exchange viewpoints concerning trade relations between Latin American countries (LAC) countries and India. The issues related to international standards, food safety were discussed. Both sides expressed their resolve to strengthen engagement on activities of mutual interest.

15.12.5 Meeting with officials from New Zealand

A meeting with the Market Access Counsellor of New Zealand's Ministry for Primary Industries (MPI) with CEO, FSSAI was held on 13th June, 2018. Discussions revolved around draft

implementing arrangement as part of MoU signed with MPI, NZ and technical cooperation in the area of laboratories and test methods.

15.12.6 Meeting with delegation from Ethiopia-Netherlands Trade for Agricultural Growth Program (ENTAG)

A meeting with delegation from Ethiopia-Netherlands Trade for Agricultural Growth Program (ENTAG) with Chairperson, FSSAI was held on 30th August, 2018. The agenda of the meeting was to understand the Indian regulations for pulses import.

15.12.7 Meeting with officials from British High Commission

A meeting with officials from the British High Commission was held on 6th September, 2018. Discussions revolved around sharing best practices between Government to Government (G2G) collaboration on ease of doing business.

15.12.8 Meeting with a delegation from Philippines

A meeting with a delegation led by Senator of Philippines was held on 24th October, 2018. The agenda of the meeting was to understand the food safety framework in India and recent initiatives of FSSAI.

15.13 Meetings in Ministry of Commerce/ Ministry of Health & Family Welfare/others

15.13.1 6th Indo-German Joint Working Group (JWG) meeting between India and Germany on Agriculture, Food Industry and Consumer Protection was held in New Delhi on 27th March, 2019

The delegation was informed that the India's food safety authority is relatively new and standards Rules and Regulations are being put in place. Also, most of the food safety standards have been harmonized with Codex. As the food safety ecosystem in India is evolving, FSSAI is actively developing partnerships with other related agencies. Cooperation with Germany under Joint Statements of Intents signed between FSSAI and BfR and BVL could be helpful in addressing the issues. The two sides agreed to work together in the area of endocrine disruptors. German side will share the details of ongoing Fellowship and training programs**.**

15.14 Future Vision

FSSAI is regularly working to explore the possibilities of collaboration with various countries/ international agencies in the areas of food safety by conducting/participating in meetings, organizing seminars, missions, workshops with various countries/technical experts on areas of mutual interest and to discuss potential areas of collaboration. In addition, delegations from FSSAI also undertake study tours/visits in various countries from time to time for better understanding of their best practices in food safety and implementing the same in Indian context.

Chapter-16

Rajbhasha

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने 2018-19 के दौरान राजभाषा के क्षेत्र में सतत प्रगति जारी रखी और राजभाषा क्रियान्वयन के हर क्षेत्र को नई दिशा प्रदान की। राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में एफ.एस.एस.ए.आई ने अनेक विनियमों, अधिसूचनाओं, प्रेस नोटों, मानक मसौदों, परिपत्रों, प्रपत्रों, ब्रोशरों, संसदीय समितियों की प्रश्नावलियों, एफ.ए.क्यू, मैनुअलों, वेबसाइटों, पोर्टलों, महत्वूपर्ण एवं प्रमुख समितियों की बैठकों, आदेशों, दिशा-निर्देशों, निविदाओं, वार्षिक रिपोर्ट, पोस्टरों, विज्ञापनों, ए.टी.एन, संदेशों इत्यादि के लगभग 2,000 पृष्ठों का अनुवाद कार्य किया। प्राधिकरण ने अपनी राजभाषा कार्यान्वयन समिति की सभी बैठकें समय पर कीं। इन बैठकों में प्राधिकरण में राजभाषा कार्यान्वयन के संबंध में अनेक महत्वूपर्ण निर्णय लिए गए और उन पर अनुवर्ती कार्रवाई भी सुनिश्चित कराई गई। प्राधिकरण ने नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की सभी बैठकों में भाग लिया और मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों के लिए सामग्री समय पर भेजी। प्राधिकरण ने वर्ष की चारों तिमाहियों के हिंदी कार्यों की तिमाही प्रगति रिपोर्टें मंत्रालय, राजभाषा विभाग, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय आदि को समय पर भेजीं। दिनांक 14 जून, 2018 को संसदीय संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप-समिति ने प्राधिकरण के हिंदी कार्य की प्रगति का निरीक्षण किया, जिस दौरान उसने हिंदी कार्य को और अधिक बढ़ाने के लिए अनेक मार्गदर्शन दिए। प्राधिकरण ने इन मार्गदर्शनों के अनुसार हिंदी कार्यान्वयन की 40-सूत्री नीति बनाकर उसका कार्यान्वयन कराया। प्राधिकरण ने वर्ष के दौरान चार हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन भी किया, जिनमें अधिकारियों और कर्मचारियों दोनों को हिंदी कार्यान्वयन का प्रशिक्षण प्रदान किया गया। वर्ष के दौरान 14 से 28 सितंबर, 2018 तक हिंदी पखवाड़ा भी मनाया गया, जिस दौरान हिंदी की विभिन्न प्रतियागिताएँ आयोजित की गईं और विजेता प्रतियोगियों को नकद पुरस्कार प्रदान किए गए। वर्ष के दौरान अंग्रेजी-हिंदी पुस्तकों पर हुए कुल व्यय का 61.5% हिंदी पुस्तकों पर व्यय किया गया,जबकि 2017-18 वर्ष के दौरान हिंदी पुस्तकों पर कोई व्यय नहीं किया गया था। भर्ती विनियमों की अधिसूचना के बाद प्राधिकरण में अन्य पदों के साथ-साथ एक सहायक निदेशक (राजभाषा) और पाँच हिंदी अनुवादकों के पद भी स्वीकृत कराए गए और इन पर भर्ती की आगे की कार्रवाई आरंभ की गई। इनके अतिरिक्त मुख्यालय के विभिन्न प्रभागों तथा अधीनस्थ कार्यालयों को समय-समय पर हिंदी कार्यान्वयन संबंधी मार्गदर्शन प्रदान करना जारी रखा गया, जिसके परिणामस्वरूप इन सभी प्रभागों और कार्यालयों में राजभाषा हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने में तत्परता देखने को मिली। कुल मिलाकर प्राधिकरण ने अपने यहाँ राजभाषा कार्यान्वयन में तत्परता से कार्य करके इसे नया आयाम दिया और अपने अधिकारियों तथा कर्मचारियों को विभिन्न प्रकार से प्रेरित और प्रोत्साहित किया, जिनके परिणामस्वरूप प्राधिकरण में हिंदी पत्राचार, टिप्पण लेखन, धारा 3(3) के अनुपालन आदि में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। इस प्रकार प्राधिकरण हिंदी कार्य को बढ़ाने के लिए लगातार प्रतिबद्ध है तथा भविष्य में यह इसे और अधिक बढ़ाने के लिए प्रयासशील है।

Chapter-17

RTI Matters

Year: 2018-2019 (1.4.2018 – 31.3.2019)

	Opening Balance as on 01-04-2018	No. of applications received as transfer from other Public Authorities u./ 6(3)	Received during the year (including cases transferred to other Public Authorities)	No. of Cases transferred to other Public Authority	Cases where requests/ appeals rejected	Cases where requests/ appeals accepted
Request	142	399	1,013	166	59	1,194
First Appeals	6	1	86	3	0	83

No. of cases where disciplinary action taken against any officer	Nil

No. of APIOs designated	No. of CPIOs designated	No. of AAs designated
	28	19

No. of times various provisions were invoked while rejecting requests													
Relevant Sections of RTI Act 2005													
Section 8 (1)										Sections			Others
a	B	c	d	e	f	g	h	i	j	9	11	24	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59

	Amount of charges Collection (in Rs.)	
Registration Fee Amount	Additional Fee &Any other charges	Penalties Amount
Rs 3282	Rs. 9696	0

If the Public Authority made any changes in regard to its rules/regulations/procedures as a result of requested information by the citizens, please3 provide the summarized details of the changes (max. 500 chars)
Nil

Block V (Details regarding Mandatory Disclosures)		
A. Is the Mandatory Disclosure under Section 4(1) (b) posted on the website of public Authority?	If Answer of (A) is No-Is there any other medium of dissemination? Provide details below (not exceeding 500 chars)	Is answer (A) is yes-Provide the details/ URL of webpage, where the disclosure is posted (max 150 chards)
B. Last date of updating of Mandatory disclosure under Section 4(1)(b)		30/06/2017
C. Has the Mandatory disclosure been audited by third party as per DOPT vide OM No. 1/6/20011-IR dated 15.04.2013?	No	Is answer of (C) is Yes- Provide the details/URL of webpage, where the Audit report is posted (max 150 chars)
Date of audit of Mandatory disclosure under Section 4(1) (b) (Format dd/mm/yyy		(Format dd/mm/yyyy)

FINANCIAL STATEMENTS

FINANCIAL YEAR 2018-19

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA

(A Statutory Authority established under the Food Safety & Standards Act, 2006)
FDA Bhawan, Kotla Road, New Delhi-110 002

CONTENTS

	Page No.
BALANCE SHEET	137
INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT	138
SCHEDULES TO THE ABOVE FINANCIAL STATEMENTS (SCHEDULES 1 TO 251)	139
RECEIPTS AND PAYMENT ACCOUNT	154
SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (SCHEDULE 26)	157
CONTINGENT LIABLIBILITES AND NOTES ON ACCOUNTS (SCHEDULE 27)	159
ANNEXURE I	161
SEPARATE AUDIT REPORT OF C&AG	165
RESPONSE OF FSSAI ON SEPARATE AUDIT REPORT	173

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA
BALANCE SHEET AS ON 31-03-2019

(Amount in Rs.)

CORPUS/CAPITAL FUND AND LIABILITIES	Schedule	Current Year	Previous Year
Corpus/Capital Fund	1	3,03,13,11,342	2,27,14,72,990
Reserves And Surplus	2	-	-
Earmarked/Endowment Funds	3	-	-
Secured Loans And Borrowings	4	-	-
Unsecured Loans And Borrowings	5	-	-
Deferred Credit Liabilities	6	-	-
Current Liabilities & Provisions	7	16,49,34,617	34,09,62,607
TOTAL		**3,19,62,45,959**	**2,61,24,35,597**
ASSETS			
Fixed Assets	8	11,37,11,431	10,99,83,508
Investments-From Earmarked/Endowment Funds	9	-	-
Investments-Others	10	-	-
Current Assets, Loans, Advances Etc.	11	3,08,25,34,528	2,50,24,52,089
Miscellaneous Expenditure (to the extent not written off or adjusted)		-	-
TOTAL		**3,19,62,45,959**	**2,61,24,35,597**

Asstt. Director
(Finance, Budget & Accounts)

CHIEF EXECUTIVE OFFICER, FSSAI

PLACE : NEW DELHI
DATE : 28.6.2019

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA
INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED ON 31-03-2019

(Amount in Rs.)

INCOME	Schedule	Current Year	Previous Year
Income from Services	12	47,35,92,128	32,85,44,592
Grants/Subsidies from Ministry of Health & Family Welfare	13	2,58,04,92,086	1,81,13,21,690
Fees/ Subscriptions	14	-	-
Income from Investments (Income on Investment from earmarked/endow. funds transferred to funds)	15	-	-
Income from Royalty, Publication etc.	16	-	-
Interest Earned	17	19,38,89,514	12,69,48,764
Other Income	18	1,54,90,235	37,99,618
Increase/(decrease) in stock of Finished goods and work in progress	19	-	-
TOTAL(A)		**3,26,34,63,962**	**2,27,06,14,664**
EXPENDITURE			
Establishment Expenses	20	18,24,78,567	17,46,64,496
Administrative Expenses etc.	21	2,25,59,98,916	1,58,00,05,361
Repair & Maintenance Expenses	22	2,18,73,730	2,30,18,508
Expenditure on Grants, Subsidies etc.	23	1,74,81,160	1,02,01,800
Depreciation	24	2,57,93,237	2,57,57,236
Interest	25	-	-
TOTAL(B)		**2,50,36,25,610**	**1,81,36,47,401**
Balance being excess of Income over Expenditure (A-B)		75,98,38,352	45,69,67,263
Transfer to Special Reserve		-	-
Transfer to/from General Reserve		-	-
BALANCE BEING SURPLUS/(DEFICIT) CARRIED TO CORPUS/CAPITAL FUND		**75,98,38,352**	**45,69,67,263**
Significant Accounting Policies	26		
Contingent Liabilities and Notes On Accounts	27		

Asstt. Director
(Finance, Budget & Accounts)

CHIEF EXECUTIVE OFFICER, FSSAI

PLACE : NEW DELHI
DATE : 28.6.2019

SCHEDULE 1 - CORPUS/CAPITAL FUND:

(Amount in Rs)

	Current Year	Previous Year
Balance as at the beginning of the year	2,27,14,72,990	1,81,45,05,727
Add: Contributions towards Corpus/Capital Fund		
Add/(Deduct): Balance of net income/(expenditure) transferred from the Income and Expenditure Account	75,98,38,352	45,69,67,263
Add: Amount transferred from Endowment fund	-	-
BALANCE AS AT THE YEAR - END	**3,03,13,11,342**	**2,27,14,72,990**

SCHEDULE 2 - RESERVES AND SURPLUS:

	Current Year	Previous Year
1. Capital Reserve:		
As per last Account	-	-
Addition during the year	-	-
Less:Deductions during the year	-	-
2. Revalution Reserve:		
As per last Account	-	-
Addition during the year	-	-
Less:Deductions during the year	-	-
3. Special Reserves:		
As per last Account	-	-
Addition during the year	-	-
Less:Deductions during the year	-	-
4. General Reserve:		
As per last Account	-	-
Addition during the year	-	-
Less:Deductions during the year	-	-
TOTAL	-	-

SCHEDULE 3 - EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS

(Amount in Rs)

	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
	Fixed Asset Fund	**Fixed Asset Fund**
a) Opening balance of the funds	-	-
b) Additions to the Funds:		
i. Donations/Grants	-	-
ii. Income from Investments made on account of funds	-	-
iii. Other additions (specify nature)		
a) Capital Expenditure - Plan	-	-
b) Capital Expenditure - Non Plan	-	-
c) Gifted Capital	-	-
e) Staff Subscription to GPF	-	-
f) Interest credited in GPF Account	-	-
g) Refund of Advance	-	-
iv. Accumulated Reserve	-	-
v. Transfer to Corpus fund	-	-
Total (b)	**-**	**-**
TOTAL (a+b)	**-**	**-**
c) Utilisation/Expenditure towards objectives of funds		
i. Capital Expenditure	-	-
- Fixed Assets	-	-
- Others	-	-
- Disposal of unserviceable material	-	-
- Depreciation during the year	-	-
Total	**-**	**-**
ii. Revenue Expenditure		
-Salaries, Wages and allowances etc.	-	-
-Rent	-	-
-Other Administrative expenses	-	-
- Advance to staff	-	-
- Final Payment to Staff and Artists	-	-
- Transferred to Unclaimed Balances	-	-
- Final Withdrawls by staff	-	-
Total	**-**	**-**
TOTAL (c)	**-**	**-**
NET BALANCE AS AT THE YEAR-END (a+b-c)	**-**	**-**

SCHEDULE 4 - SECURED LOANS AND BORROWINGS

(Amount in Rs)

	Current Year	Previous Year
1.Central Government	-	-
2. State Government(Specify)	-	-
3. Fiancial Institutions		
a) Term Loans	-	-
b) Interest accrued and due	-	-
4. Banks		
a) Term Loans	-	-
- Interest accrued and due	-	-
b) Other Loans (specify)	-	-
-Interest accrued and due	-	-
5. Other Insitutions and Agencies	-	-
6. Debentures and Bonds	-	-
7. Others (specify)	-	-
TOTAL	-	-

SCHEDULE 5 - UNSECURED LOANS AND BORROWINGS

(Amount in Rs)

	Current Year	Previous Year
1. Central Government	-	-
2. State Government (Specify)	-	-
3. Financial Institutions	-	-
4. Banks:		
a) Term Loans	-	-
b) Other Loans(specify)	-	-
5. OtherInstitutions and Agencies	-	-
6. Debentures and Bonds	-	-
7. Fixed Deposits	-	-
8. Others (Specify)	-	-
TOTAL	-	-

SCHEDULE 6-DEFERRED CREDIT LIABILITIES:

	Current Year	Previous Year
a) Acceptances secured by hypothecation of capital equipment and other assets	-	-
b) Others	-	-
TOTAL	-	-

SCHEDULE 7 - CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS

(Amount in Rs)

	Current Year	Previous Year
A. CURRENT LIABILITIES		
1. Acceptances	-	-
2. Sundry Creditors		
a) For Goods/Services (as per Schedule-7.1)	10,40,49,555	26,95,10,917
b) Others (as per Schedule-7.2)	-	-
3. Earnest Money Deposits	4,12,800	4,94,000
4. Interest accrued but not due on:		
a) Secured Loans/borrowings		
b) Unsecured Loans/borrowings		
5.Statutory Liabilities:		
a) Overdue		-
b) Others (Duties & Taxes for the Month payable in next F.Y)	44,51,650	9,29,303
6. Other current Liabilities:		
a) Deductions from Salaries	18,90,408	12,05,241
b) Stale Cheques	21,15,706	45,43,586
c) Security Deposits Received	1,74,64,914	1,59,79,614
d) FRSL Old Pending Payments	(7,095)	25,96,018
e) Wrong Credits by Bank	-	11,79,365
f) GST Reverse Charges & Relief Fund Payable	24,201	-
7. Unspent balance of the grant at the end of the year:		
a) Unspent Grant at the end of the year	3,45,32,477	4,45,24,563
TOTAL (A)	**16,49,34,617**	**34,09,62,607**

(Amount in Rs)

B. PROVISIONS		
1. For Taxation		-
2. Gratuity	-	-
3. Superannuation/Pension	-	-
4. Accumulated Leave Encashment	-	-
5. Trade Warranties/Claims	-	-
6. Others (Specify)	-	-
a) Rent Rate & Taxes Expenses	-	-
b) Office Expenses	-	-
c) Supply & Material Expenses	-	-
d) Travelling Expenses	-	-
TOTAL (B)	**-**	**-**
TOTAL (A+B)	**16,49,34,617**	**34,09,62,607**

SCHEDULE 7.1 - SUNDRY CREDITORS FOR GOODS/SERVICES

		Current Year	**Previous Year**
1	Shri. A. Ramachandaran	4,810	4,810
2	Shri. Chinmayee	8,755	4,560
3	Leave Salary Pension Contribution Cheque Returned	22,57,884	-
4	Asian Scientific Industries	2,20,78,931	-
5	Hydrocarbon Soultions India Pvt. Ltd	34,69,200	-
6	Members	60,132	3,65,235
7	Confederation of Indian Industry	-	3,88,800
8	DG Medical, Health	-	5,00,000
9	Waters GES MBH hetzinger	-	37,70,989
10	Commissioner Food Safety lucknow	-	50,00,000
11	Accredited Laboratories Claims	6,32,98,861	5,10,61,024
12	Arbro Pharmaceuticals Limited	1,28,70,982	20,84,15,499
	TOTAL	**10,40,49,555**	**26,95,10,917**

SCHEDULE 7.2 - SUNDRY CREDITORS FOR OTHERS

		Current Year	**Previous Year**
1	Interest Expenses Payable	-	-
	TOTAL	**-**	**-**

SCHEDULE 8 - FIXED ASSETS

(Amount in Rs.)

Sl. No		Description	Rate of Dep.	GROSS BLOCK					DEPRECIATION					NET BLOCK	
				Cost/ valuation As at beginning of the year	Additions during the year: Addition upto 30.09.2018	Additions during the year: Addition After 30.09.2018	Deductions during the year	Cost/ valuation at the year-end	As at the beginning of the year	On opening balance during the year	On additions during the year	On deductions during the year	Total up to the year-end	As at the Current year-end	As at the Previous year-end
A.		**Building:-**													
	a)	RO, Kolkata (Civil & Electrical Work)	10%	52,40,885	-	-	-	52,4 0,885	14,91,733	3,74,915	-	-	1,866,648	33,74,237	37,49,152
	b)	RO, Chennai (Civil & Electrical Work)	10%	54,65,606	-	-	-	54,65,606	7,92,513	4,67,309	-	-	12,59,822	42,05,784	46,73,093
	c)	HQ, FDA Bhawan (Civil & Electrical Work)	10%	1,25,76,718	1,05,03,272	-	-	2,30,79,990	17,63,815	10,81,290	10,50,327	-	38,95,433	1,91,84,558	1,08,12,903
	d)	Top Floor (Temparary Construction)	40%	2,57,80,953	-	-	-	2,57,80,953	75,48,691	72,92,905	-	-	1,48,41,596	1,09,39,357	1,82,32,262
B.		**Plant, Machinery & Equipments**						-		-	-	-	-		
	a)	Lab Equipments	15%	63,32,665	-	5,06,355	-	68,39,020	34,10,020	4,38,397	37,977	-	38,86,393	29,52,627	29,22,645
	b)	Water Pipeline	15%	2,88,891	-	-	-	2,88,891	2,03,219	12,851	-	-	2,16,070	72,821	85,672
	c)	Machinery & Equipment	15%	30,84,315	-	1,18,363	-	32,02,678	15,90,624	2,24,054	8,877	-	18,23,555	13,79,123	14,93,691
	d)	LED Fittings	15%	24, 80,589	-	-	-	24,80,589	5,30,226	2,92,554	-	-	8,22,780	16,57,809	19,50,363
C.		**Maruti Ciaz (2)**	15%	15, 11,028	-	-	-	15,11,028	3,22,982	1,78,207	-	-	5,01,189	10,09,838	11,88,046
D.		**Furnitures & Fixtures**	10%	1, 48,85,805	98,000	67,29,992	-	2,17,13,797	50,29,282	9,85,653	3,46,300	-	63,61,235	1,53,52,564	98,56,532
		Top Floor (Interior Furniture & Fixture)	10%	2, 99,07,028				2,99,07,028	14,95,351	28,41,168	-	-	43,36,519	2,55,70,509	2,84,11,678
E.		**Office Equipments**					-	-		-	-	-	-	-	
	1	Electronic Attendance Machine	15%	1,65,690	-	40,674	-	2,06,364	71,729	14,094	3,051	-	88,874	1,17,490	93,961
	2	Photocopy Machine	15%	48,67,567	-	-	-	48,67,567	24,37,766	3,64,470	-	-	28,02,236	20,65,331	24,29,801
	3	Refrigerator	15%	3,07,985	-	1,65,008	-	4,72,993	1,53,759	23,134	12,376	-	1,89,269	2,83,725	1,54,226
	4	Room Heater	15%	10,980	-	31,919	-	42,899	4,421	984	2,394	-	7,799	35,100	6,559
	5	Scanning Machine	15%	1,56,750	9,746	-	-	1,66,496	1,17,240	5,927	1,462	-	1,24,628	41,868	39,510
	6	Vaccum Cleaner	15%	7,790			-	7,790	5,986	271	-	-	6,257	1,533	1,804
	7	VGA Switcher & Splitter	15%	2,12,510	20,678	-	-	2,33,188	87,809	18,705	3,102	-	1,09,616	1,23,572	1,24,701
	8	Beetel Twin Phones	15%	10,931	6,509	-	-	17,440	8,266	400	976	-	9,642	7,798	2,665
	9	Mobile Phones	15%	2,46,661			-	2,46,661	1,42,301	15,654	-	-	1,57,955	88,706	1,04,360
	10	Cordless Phones/ Micro Phone	15%	8,476	3,08,630	8,29,600	-	11,46,706	6,814	249	1,08,515	-	1,15,578	10,31,128	1,662
	11	Fax Machines	15%	2,29,930	-	-	-	2,29,930	1,71,928	8,700	-	-	1,80,628	49,302	58,002
	12	Gyser	15%	16,042	-	28,000	-	44,042	12,895	472	2,100	-	15,467	28,575	3,147
	13	Micro Wave	15%	13,350	-	22,877	-	36,227	10,574	416	1,716	-	12,706	23,521	2,776
	14	Oil Field Radiator	15%	25,365	-	-	-	25,365	19,940	814	-	-	20,754	4,611	5,425
	15	Voltage Stablizer	15%	25,950	-	-	-	25,950	20,281	850	-	-	21,131	4,819	5,669
	16	Water Dispenser	15%	20,500	-	-	-	20,500	15,242	789	-	-	16,031	4,469	5,258
	17	Audio Conference System	15%	18,17,526	-	-	-	18,17,526	8,84,296	1,39,985	-	-	10,24,281	7,93,246	9,33,230

Sl. No	Description	Rate of Dep.	GROSS BLOCK: Cost/ valuation As at beginning of the year	GROSS BLOCK: Additions during the year: Addition upto 30.09.2018	GROSS BLOCK: Additions during the year: Addition After 30.09.2018	GROSS BLOCK: Deductions during the year	GROSS BLOCK: Cost/ valuation at the year-end	DEPRECIATION: As at the beginning of the year	DEPRECIATION: On opening balance during the year	DEPRECIATION: On additions during the year	DEPRECIATION: On deductions during the year	DEPRECIATION: Total up to the year-end	NET BLOCK: As at the Current year-end	NET BLOCK: As at the Previous year-end
18	Video Conference System	15%	26,72,500	-	-	-	26,72,500	7,00,118	2,95,857	-	-	9,95,975	16,76,525	19,72,383
19	LCD/LED TV	15%	31,72,432	21,875	12,16,042	-	44,10,349	16,86,668	2,22,865	94,484	-	20,04,017	24,06,332	14,85,764
20	Plasma TV	15%	25,68,875	-	-	-	25,68,875	20,28,984	80,984	-	-	21,09,968	4,58,908	5,39,891
21	Pumpset	15%	28,173	-	-	-	28,173	12,112	2,409	-	-	14,521	13,653	16,061
22	Tata Sky & EPRS System	15%	29,495	-	-	-	29,495	22,715	1,017	-	-	23,732	5,764	6,780
23	Siemen Hi Path 1150 Digital & Optipoint	15%	8,61,793	-	-	-	8,61,793	5,72,836	43,344	-	-	6,16,179	2,45,615	2,88,958
24	Speaker	15%	1,40,055	-	-	-	1,40,055	21,293	17,814	-	-	39,107	1,00,949	1,18,762
25	Digital Camera	15%	83,050	-	-	-	83,050	61,218	3,275	-	-	64,493	18,558	21,832
26	Office Appliances	15%	3,81,716	82,550	30,82,412	-	35,46,678	1,27,167	38,182	2,43,563	-	4,08,913	31,37,766	2,54,549
27	Blue Ray Disc Player	15%	99,000	-	-	-	99,000	72,024	4,046	-	-	76,070	22,931	26,976
28	LCD Projector	15%	2,47,950	-	65,975	-	3,13,925	1,54,981	13,945	4,948	-	1,73,875	1,40,051	92,969
29	Cooler	15%	1,23,697	-	42,110	-	1,65,807	72,277	7,713	3,158	-	83,148	82,659	51,420
30	Franking Machine	15%	3,44,940	-	-	-	3,44,940	2,42,654	15,343	-	-	2,57,997	86,943	1,02,286
31	Visicooler & Deep Freezer	15%	1,07,437	-	44,830	-	1,52,267	72,995	5,166	3,362	-	81,524	70,743	34,442
32	Phone	15%	47,853	-	-	-	47,853	18,299	4,433	-	-	22,732	25,121	29,554
33	TATA Sky	15%	7,622	-	-	-	7,622	6,172	218	-	-	6,389	1,233	1,450
34	Air Conditioner	15%	1,95,488	2,42,729	2,65,000	-	7,03,217	1,15,255	12,035	56,284	-	1,83,574	5,19,643	80,233
35	Voice Recorder	15%	6,490	-	-	-	6,490	2,803	553	-	-	3,356	3,134	3,687
36	Transformer	15%	12,53,668	-	-	-	12,53,668	4,83,759	1,15,486	-	-	5,99,246	6,54,422	7,69,909
37	Borewell Summer Sevel	15%	55,968	-	-	-	55,968	4,198	7,766	-	-	11,964	44,005	51,770
F.	**Computer Peripherals**						-	-	-	-	-	-		
1	Computer	40%	2,17,85,464	1,987,202	1,95,799	-	2,39,68,465	1,86,87,475	12,39,196	8,34,041	-	2,07,60,711	32,07,754	30,97,989
2	UPS & Battery	40%	82,33,221	-	22,500	-	82,55,721	39,28,680	17,21,816	4,500	-	56,54,996	26,00,725	43,04,541
3	Printer & Scanner	40%	52,82,039	2,38,881	1,078,771	-	65,99,691	32,53,335	8,11,482	3,11,307	-	43,76,123	22,23,568	20,28,704
4	Cisco 2821 Security Bundle	40%	1,71,306	-	-	-	1,71,306	1,40,827	12,192	-	-	1,53,019	18,287	30,479
5	Computer Software	40%	62,49,848	-	-	-	62,49,848	47,09,949	6,15,960	-	-	53,25,909	9,23,939	15,39,899
6	Library Software Sysyem	40%	2,28,800	-	-	-	2,28,800	2,28,643	63	-	-	2,28,706	94	157
7	Networking Equipment	40%	28,67,643	-	14,36,272	-	43,03,915	14,65,166	5,60,991	2,87,254	-	23,13,411	19,90,504	14,02,477
8	Web Cam	40%	1,14,916	-	-	-	1,14,916	54,126	24,316	-	-	78,442	36,474	60,790
9	Server	40%	1,27,34,397	-	-	-	1,27,34,397	1,06,05,826	8,51,428	-	-	1,14,57,255	12,77,142	21,28,571
10	San System Hard Disk	40%	35,78,379	-	-	-	35,78,379	15,92,378	7,94,400	-	-	23,86,779	11,91,600	19,86,001
G.	**Library books**	40%	47,58,263	18,810	59,779	-	48,36,852	46,52,831	42,173	19,480	-	47,14,484	1,22,367	1,05,432
	TOTAL (A)		**19,41,30,964**	**1,35,38,882**	**1,59,82,278**	**-**	**22,36,52,124**	**8,41,47,465**	**2,23,51,684**	**34,41,553**	**-**	**10,99,40,702**	**11,37,11,431**	**10,99,83,508**
	PREVIOUS YEAR		12,69,52,741	2,02,01,189	4,75,40,806	5,63,772	19,41,30,964	5,88,40,151	1,48,13,479	1,09,43,757	-	8,45,97,386	10,99,83,508	6,81,12,599

SCHEDULE 9 - INVESTMENTS FROM EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS

(Amount in Rs.)

	Current Year	Previous Year
1. In Government Securities	-	-
2. Other approved Securities	-	-
3. Shares	-	-
4. Debentures and Bonds	-	-
5. Subsidiaries and Joint Ventures	-	-
6. Others (to be specified)	-	-
TOTAL	-	**-**

SCHEDULE 10 - INVESTMENTS - OTHERS

	Current Year	Previous Year
1. In Government Securities	-	-
2. Other approved Securities	-	-
3. Shares	-	-
4. Debentures and Bonds	-	-
5. Subsidiaries and Joint Ventures	-	-
6. Others (to be specified)	-	-
TOTAL	**-**	**-**

SCHEDULE 11 CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES ETC.

(Amount in Rs.)

	Current Year	Previous Year
A. CURRENT ASSETS:		
1. Inventories		
a) Stores and Spares	-	-
b) Loose Tools	-	-
c) Stock-in-trade		
Work-in-progress - Northern Region (CHEB)	45,90,000	45,90,000
2. Sundry Debtors		
a) Debts Outstanding for a period exceeding six months	-	-
3. Cash balances in hand (including cheques/drafts and imprest)	90,884	90,884
4. Bank Balances:		
a) With Scheduled Banks:		
-On Deposit Accounts	2,45,00,65,614	2,12,24,11,739
-On Regional Offices Saving Accounts	6,12,54,794	3,11,27,744
-On Saving Accounts with Headquarter & Others	31,73,76,531	16,85,16,196
-TDS Deducted on F.D's	2,88,14,230	2,21,73,338

	Current Year	Previous Year
b) With non-scheduled Banks:	-	
-On Current Accounts	-	-
-On Deposit Accounts	-	-
-On Saving Accounts	-	-
5. Post Office-Savings Accounts	-	-
TOTAL(A)	**2,86,21,92,053**	**2,34,89,09,901**

SCHEDULE 11 CURRENT ASSETS, LOANS, ADVANCES ETC. (Contd.)

(Amount in Rs.)

	Current Year	Previous Year
B. LOANS, ADVANCES AND OTHER ASSETS		
1. Loans		
a) Staff	-	-
b) Other Entities engaged in activities/objectives similar to that	-	-
of the Entity	-	-
c) Other(specify)	-	-
2. Advances and other amounts recoverable in cash or in kind or for value to be received		
a) On Capital Account	-	-
b) Prepayments	-	-
c) Others	-	-
- Security Deposits	1,91,55,227	1,89,15,620
- Central Drugs Standards Control Organisation (60% Share)	7,60,11,398	5,92,27,864
- Advance given in the F.Y 2018-2019 (Annexure I)	7,92,37,805	-
- Advance given in the F.Y 2017-2018 (Annexure I)	1,78,02,899	3,59,75,633
- Advance given in the F.Y 2016-2017 (Annexure I)	72,05,206	82,19,406
- Advance given in the F.Y 2015-2016 (Annexure I)	62,97,428	85,97,428
- Advance given in the F.Y 2014-2015 (Annexure I)	468,121	4,68,121
- Advance given in the F.Y 2013-2014 (Annexure I)	1,06,475	1,06,475
- Advance given during F.Y 2008-2009 to F.Y 2012-2013 (Annexure I)	1,40,57,916	1,42,12,270
3. Income Accrued		
a) On Investments from Earmarked/Endowment Funds		-
b) On Investments - FD	-	78,19,371
c) On Loans & Advances	-	-
d) Others		
4. Claims Receivable	-	-
TOTAL(B)	**22,03,42,475**	**15,35,42,188**
TOTAL(A+B)	**3,08,25,34,528**	**2,50,24,52,089**

SCHEDULE 12 - INCOME FROM SALES/SERVICES

(Amount in Rs.)

	Current Year	Previous Year
1) Income from Sales		
a) Sale of Finished Goods		
b) Sale of Raw Material	-	-
c) Sale of Scraps	-	-
2) Income from Services		
a) Licence Fee	37,71,02,417	29,95,47,518
b) Sample Testing Fee	80,89,926	72,35,005
c) Product Approval Fee	47,50,000	2,550,000
d) Import Visual Inspection	8,36,49,785	1,92,12,069
TOTAL	**47,35,92,128**	**32,85,44,592**

SCHEDULE 13 - GRANTS/SUBSIDIES

	Current Year	Previous Year
1) Central Government (Ministry of Health & Family Welfare, Govt. of India)	2,57,05,00,000	1,83,44,00,000
2) State Government		
3) Government Agencies		
4) Institutions/ Welfare Bodies		
5) International Organisations		
6) Others :		
Add: Unspent balance at the beginging of the year	4,45,24,563	2,14,46,253
Less: Grants Refunded to Ministry	-	-
Less: Unspent balance of grant at the end of the year	(3,45,32,477)	(4,45,24,563)
Less: Grants Capitalised during the year	-	
TOTAL	**2,58,04,92,086**	**1,81,13,21,690**

SCHEDULE 14 - FEES/SUBSCRIPTION

(Amount in Rs.)

	Current Year	Previous Year
1) Entrance Fees	-	-
2) Annual Fees/ Subscription		
3) Seminar/Program Fees		
4) Consultancy Fees		
5) Others		
TOTAL	-	-

SCHEDULE 15 - INCOME FROM INVESTMENTS

(Amount Rs.)

	Current Year	Previous Year
1) Interest		
a) On Govt. Securities	-	-
b) Other Bonds/Debentures	-	-
2) Others:		
- Interest from investments	-	-
TRANSFERRED TO EARMARKED/ENDOWMENT FUNDS	-	-

SCHEDULE 16 - INCOME FROM ROYALTY, PUBLICATIONS ETC.

(Amount in Rs.)

		CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
1	Income from Royalty	-	-
2	Income from Publication	-	-
3	Others (Specify)	-	-
	TOTAL	-	-

SCHEDULE 17 - INTEREST EARNED

		CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
1	On Term Deposits		
	a) With Scheduled Banks		
	I Bank of Baroda	-	-
	II ICICI Bank	19,59,711	-
	III Oriental Bank of Commerce	-	-
	IV AU Small Finance Bank	86,79,452	-
	V Indusind Bank	13,36,17,070	9,68,90,646
	b) Earned from Autosweep	2,45,07,252	2,08,28,748
	c) With Institutions		
	d) Others		
2	On Savings Accounts:		
	a) With Scheduled Banks	2,51,26,029	92,29,370
	b) With Non-Scheduled Banks		
	c) Post Office Saving Accounts		
	d) Others: Interest refunded to Ministry		
3	On Loans:		
	a) Employees/Staff		
	b) Others		
	TOTAL	**19,38,89,514**	**12,69,48,764**

SCHEDULE 18 - OTHER INCOME

(Amount in Rs.)

		CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
1	Profit on Sale/disposal of Assets		
	a) Owned Assets	-	-
	b) Assets acquired out of grants, or received free of cost	-	-
2	Miscellaneous Income		
	-Lab Testing & Auditing Agency & FAO Fund etc	18,57,270	-
	-Sale of old Newspapers/Scrap	13,19,698	6,188
	-Sale of Tender Form/Application Fees/ Recruitment Fees	1,16,71,568	22,41,007
	-RTI Fees	10,424	4,986
	-Misc Income	2,75,241	11,00,035
	-CPF Receipts	3,56,034	4,47,402
	TOTAL	**1,54,90,235**	**37,99,618**

SCHEDULE 19 - INCREASE/(DECREASE) IN STOCK OF FINISHED GOODS & WORK IN PROGRESS

		CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
a)	Closing Stock		
	- Finished Goods	-	-
	- Work in Progress	-	-
b)	Less: Opening Stock		
	- Finished Goods	-	-
	- Work in Progress	-	-
	NET INCREASE/(DECREASE) (a-b)	**-**	**-**

SCHEDULE 20 - ESTABLISHMENT EXPENSES

	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
a) Salaries and Wages	16,18,45,818	14,82,49,942
b) Allowances and Bonus	-	-
c) Staff Welfare Expenses	-	-
d) Leave Salary and Pension Contribution	1,95,17,645	2,52,76,896
e) Others:	-	
-Reimbursement of Medical Claims	11,15,104	11,37,658
TOTAL	**18,24,78,567**	**17,46,64,496**

SCHEDULE 21 - ADMINISTRATIVE EXPENSES

(Amount in Rs.)

		CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
a)	Labour and processing expenses	-	-
b)	Electricity and Power	74,40,211	63,27,841
c)	Water charges	10,44,841	11,10,037
d)	Rent, Rates and Taxes	5,18,98,437	5,32,94,249
e)	Postage and Communication Charges	4,97,173	7,40,855
f)	Printing & Stationery (Supply & Material)	79,20,176	46,37,863
g)	Travelling and Conveyance Expenses	4,27,24,314	4,12,21,011
h)	Expenses on Seminar/Workshops (CM&S)	49,25,792	53,08,800
i)	Subscription Expenses (Contribution to Codex Trust Fund)	45,67,225	-
j)	Auditors Remuneration	72,255	92,340
k)	Legal & Professional Charges	16,03,64,176	14,46,54,147
l)	Wall painting and Polishing work	-	-
m)	IEC & Publicity Expenses	4,47,65,341	9,67,57,532
n)	Office Expenses	2,12,07,350	1,11,66,619
o)	Training Charges	46,10,947	31,00,947
p)	Surveillance	2,21,22,058	5,21,067
q)	Telephone & Mobile Expenses	23,18,926	19,17,506
r)	Entertainment Exp	1,17,645	87,849
s)	Strengtheing of Food Testing Laboratories (SoFTeL)	1,77,26,67,745	1,13,68,85,449
t)	Motor Vehicle Expenses	1,30,13,967	1,24,85,962
u)	Liabrary Expenses	2,32,858	2,97,193
v)	Other Administrative Expenses		
	-Bank Charges	7,16,244	1,19,181
	-Internet Charges	79,007	19,092
	-Information Tech Expenses	1,41,02,578	79,56,892
	-Membership Fees		
	-GST Paid	6,42,95,227	-
	-Others	1,42,94,424	5,12,61,016
w)	Prior Period Expenditure	-	41,913
	TOTAL	**2,25,59,98,916**	**1,58,00,05,361**

SCHEDULE 22 -REPAIR & MAINTENANCE EXPENSES

(Amount in Rs.)

	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
Repair & Maintenance		
i) Repair and Maintenance of AC Plant, Computers & Other Equipments	2,18,73,730	2,30,18,508
ii) Repair, Running and Maintenance of Vehicles	-	-
iii) Others	-	-
TOTAL	**2,18,73,730**	**2,30,18,508**

SCHEDULE 23 - EXPENDITURE ON GRANTS, SUBSIDIES ETC.

(Amount in Rs.)

	Current Year	Previous Year
a) Grants Given to Institutions/Organisation (Referral Lab, Pune & CFTRI, Mysore)	1,74,81,160	1,02,01,800
b) Subsidies given to Institutions/Organisations	-	-
TOTAL	**1,74,81,160**	**1,02,01,800**

SCHEDULE 24 - DEPRECIATION

	Current Year	Previous Year
On Fixed Assets	2,57,93,237	2,57,57,236
TOTAL	**2,57,93,237**	**2,57,57,236**
Less: Transferred to Fixed Asset Fund	**-**	**-**
TOTAL	**2,57,93,237**	**2,57,57,236**

SCHEDULE 25 - INTEREST PAID

	Current Year	Previous Year
a) On Fixed Loans	-	-
b) On Other Loans	-	-
c) Others- Interest on CPF	-	-
TOTAL	**-**	**-**

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA
FORMING PART OF BALANCE SHEET AS AT 31.03.2019

(Amount in Rs.)

Treatment of Unspent Grants on CASH BASIS		**2018-19**	**2017-18**
	Cash & Bank Balance as on last day	31,74,67,415	16,86,07,080
	Balance with Regional Offices	6,12,54,794	3,11,27,744
ADD:	Investments in FD	2,45,00,65,614	2,12,24,11,739
ADD:	TDS Refundable on FD	2,88,14,230	2,21,73,338
Less:	Unpaid Creditors	4,68,66,687	21,84,49,893
Less:	Internal Earnings of FSSAI for the Financial 2018-19	69,48,57,443	-
Less:	Internal Earnings of FSSAI for the Financial 2017-18	48,33,09,517	48,33,09,517
Less:	Internal Earnings of FSSAI for the Financial 2016-17	36,84,12,371	36,84,12,371
Less:	Internal Earnings of FSSAI for the Financial 2015-16	29,64,62,374	29,64,62,374
Less:	Internal Earnings of FSSAI for the Financial 2014-15	30,11,59,250	30,11,59,250
Less:	Internal Earnings of FSSAI for the Financial 2013-14	33,18,78,910	33,18,78,910
Less:	Internal Earnings of FSSAI for the Financial 2012-13	25,53,25,389	25,53,25,389
Less:	Internal Earnings of FSSAI for the Financial 2011-12	3,12,84,900	3,12,84,900
Less:	Internal Earnings of FSSAI for the Financial 2010-11	71,96,249	71,96,249
Less:	Internal Earnings of FSSAI for the Financial 2009-10	49,83,589	49,83,589
Less:	Internal Earnings of FSSAI for the Financial 2008-09	13,32,896	13,32,896
	Unspent Grant for the year (Current Liability)	**3,45,32,477**	**4,45,24,563**
	Grant received during the year	2,57,05,00,000	1,83,44,00,000
Add:	Unspent balance at the beginging of the year	4,45,24,563	2,14,46,253
Less:	Unpent balance of grant at the end of the year	(3,45,32,477)	(4,45,24,563)
Less:	Grants Capitalised during the year	-	-
Less:	Grant Refunded to Ministry	-	-
	Grants to be shown as Income from Ministry	**2,58,04,92,086**	**1,81,13,21,690**
SNO.	**Funds Received other than Grant of FSSAI for the Financial Year**	**2018-19**	**2017-18**
1	License Fee	37,71,02,417	29,95,47,518
2	Product Approval	4,75,00,00	25,50,000
3	Sample Testing	2,03,27,763	2,70,48,910
4	Import Visual Inspection	8,36,49,785	1,92,12,069
5	Bank Interest	2,51,26,029	92,29,370
6	Auto Sweep Interest/ FD Interest	16,87,63,485	10,99,00,023
7	RTI Fees	10,424	4,986
8	Sale of Newspaper/Scrap	13,19,698	6,188
9	Cost of Tender/Application Fees	1,16,71,568	22,41,007
10	CPF Receipts of Chairperson	3,56,034	4,47,402
11	Misc Receipts	21,32,511	11,00,035
12	Security Deposit/Earnest Money	11,64,493	30,26,676
13	Prior Period Adjustment	-	8,57,337
14	Stale Cheques	(24,27,880)	27,10,183
15	Statutory Deduction from Salary	6,85,167	42,48,448
16	Wrong Credit by Bank	-	11,79,365
17	Misc Receipts related to previous year	2,25,950	-
		69,48,57,443	**48,33,09,517**

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA
RECEIPTS AND PAYMENTS FOR THE PERIOD 01.04.2018 TO 31.03.2019

(Amount in Rs.)

S. No.	RECEIPTS	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
I	**Opening Balance**		
	a) Cash in hand	90,884	90,884
	b) Bank Balances		
	i) Saving Bank Accounts	19,96,43,940	25,46,00,053
	ii) Current Deposits		
	iii) Deposit Account		
II	**Grants Received**		
	a) From Government of India		
	- Ministry of Health & Family Welfare	2,57,05,00,000	1,83,44,00,000
III	**Income on Investments from**		
	a) Earmarked/Endow. Funds	-	-
	b) Own funds (Oth. Investments)	-	-
IV	**Interest Received**		
	On Bank Deposits (Autosweep)	2,45,07,252	2,08,28,748
	On Bank Deposits (FDR + Savings)	16,93,82,262	9,83,00,645
	Loans, Advances etc.	-	-
V	**Income received from Licencee's**		
	- Licence Fees	37,71,02,417	29,95,47,518
	- Sample Testing Fees	80,89,926	72,35,005
	- Product Approval	47,50,000	25,50,000
	- Import Visual Inspection	8,36,49,785	1,92,12,069
VI	**Encashment of Investment**	2,12,24,11,739	1,33,80,37,436
VII	**TDS Received:**		
	-on Contractors	-	-
	-on Rent	-	-
	-on Professional	-	9,66,227
	-on Salary	-	4,89,566
VIII	**Advances Adjusted**		
	-Employees	54,83,040	47,14,291
	-Suppliers/Others	5,41,24,356	15,08,85,910
IX	**Any other receipts :**		
	RTI fees	10,424	4,986

S. No.	RECEIPTS	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
	Sale of Newspaper/Scrap	13,19,698	6,188
	Sale of Tender Form/ Application	1,16,71,568	22,41,007
	Misc. receipts	21,32,511	11,00,035
	Wrong Credit by Bank	-	11,79,365
	Other Receipts	3,56,034	4,47,402
X	**Contractor's EMD/ Security Deposits**	17,33,100	35,06,676
XI	**Deduction from salary**	2,42,57,906	42,48,448
XII	**Stale Cheques**	9,57,020	32,24,080
XIII	**Accredited Laboratories**	4,10,814,583	1,29,963,580
	TOTAL	**6,07,29,88,445**	**4,17,77,80,119**

(Amount in Rs.)

S.No.	PAYMENTS	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
I	**Expenses**		
	a) Establishment Expenses	14,89,65,350	14,70,15,365
	(Corresponding to Schedule 20)		
	b) Administrative Expenses	2,23,92,80,292	1,34,23,54,829
	(Corresponding to Schedule 21)		
	c) Repair & Maintenance Expenses	1,95,95,286	2,15,82,923
	(Corresponding to Schedule 22)		
	d) Other Expenses	21,00,21,680	11,54,820
II	**Grants Given**		
	Grant in Aid	1,74,81,160	1,02,01,800
III	**Investments and deposits made**		
	a) Out of Earmarked/Endowment funds		
	b) Out of Own Funds (Investments - Others)	2,45,00,65,614	2,12,24,11,739

S.No.	PAYMENTS	CURRENT YEAR	PREVIOUS YEAR
IV	**Expenditure on Fixed Assets & Capital Work in Progress**		
	a) Purchase of Fixed Assets	2,95,21,160	6,77,41,995
	b) Expenditure on Capital Work in Progress		
V	**Advance to Employees**	65,35,271	52,17,618
VI	**Advances to Suppliers/Others**	11,11,18,993	10,25,11,698
VII	**TDS Deposit:**		
	-on Contractors	22,78,444	14,35,585
	-on Rent	18,53,509	13,74,854
	-on Professional	1,48,65,115	1,19,15,861
	-on Salary	99,40,478	1,07,17,064
	-on Fixed Deposits	66,40,892	43,33,505
			-
VIII	**Contractor's EMD/ Security Deposits**	5,68,607	4,80,000
			-
IX	**Deductions from salary**	2,35,72,739	1,69,32,067
X	**Stale Cheques**	33,84,900	5,13,897
XI	**Accredited Laboratories**	39,85,76,746	11,01,49,675
XII	**Closing Balances**		
	a) Cash in hand	90,884	90,884
	b) Bank Balances		
	i) Saving Bank Accounts	37,86,31,325	19,96,43,940
	ii) Current Deposits		
	iii) Deposit Account		
		6,07,29,88,445	**4,17,77,80,119**

Asstt. Director (Finance, Budget & Accounts)

CHIEF EXECUTIVE OFFICER, FSSAI

PLACE : NEW DELHI

DATE : 28.6.2019

SCHEDULES FORMING PART OF THE FINANCIAL ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31-03-2019

SCHEDULE 26 – SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. **ACCOUNTING CONVENTION**

The financial statement are prepared on the basis of historical cost convention, unless otherwise stated and on the accrual method of accounting.

2. **REVENUE RECOGNITION**

License Fees, Product Approval Fees and Sample Testing Fees etc. are recognized as and when received. Other Income is recognized on receipts basis. Interest on saving bank accounts is accounted on accrual basis.

3. **INVESTMENTS**

Investment classified as "long term investments" are carried at cost. Provision for decline, other than temporary, is made in carrying cost of such investments. Investments classified as "Current" are carried at lower of cost and fair value. Provision for shortfall on the value of such investments is made for each investment considered individually and not on a global basis. Cost includes acquisition expenses like brokerage, transfer stamps.

4. **FIXED ASSETS**

Fixed Assets are stated at cost of acquisition less accumulated depreciation inclusive of inward freight, duties and taxes and incidental and direct expenses related to the acquisition. In respect of projects involving construction, related pre-operational expenses (including interest on loans for specific project prior to its completion), forming part of the value of the assets capitalized.

Fixed Assets received by way of non-monetary grants, other than towards the Corpus fund, are capitalized at values stated, by corresponding credit to capital Reserve.

5. **DEPRECIATION**

Depreciation is provided as per the provisions of Income Tax Act and based upon written down value method & as per rates specified therein.

In respect of additions to / deductions from fixed assets during the year, depreciation is considered accordingly.

6. **VALUATION OF INVENTORIES**

Expenditure on purchase of stationary, consumables, publication, and other stores is accounted as revenue expenditure.

7. **MISCELLANEOUS EXPENDITURE**

Deferred revenue expenditure is written off over a period of 5 years from the year it is incurred.

8. **GOVERNMENT GRANTS**

8.1 Government Grants are accounted on realization basis. However, where a sanction for release of grant pertaining to the financial year is received before 31st March and the grant is actually received in the next financial year, the grant is accounted on accrual basis and an equal amount is shown as recoverable.

8.2 Government Grants of capital nature are recognized on receipts basis and shown as capital grants under Earmarked/ Endowment fund in consistent with fund based accounting.

8.3 Government grants for meeting revenue expenditure are treated, to the extent utilized, as income of the year in which they are realized.

8.4 Unutilized grants computed on Cash Basis are carried forward and= exhibited as a liability in the balance sheet.

9. **FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS**

9.1 Transactions denominated in foreign currency are accounted at the exchange rate prevailing at the date of the transaction.

9.2 Current assets, foreign currency loans and current liabilities are converted at the exchange rate prevailing as at the year end and the resultant gain/loss is adjusted to cost of fixed assets, if the foreign currency liability relates to fixed assets, and in other cases is considered to revenue.

SCHEDULE 27 – CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES ON ACCOUNTS

A. CONTINGENT LIABILITIES

1. CONTINGENT LIABILITIES

1.1 Claims against the Authority not acknowledged as debts – Rs. NIL (Previous year Rs. NIL)

1.2 In respect of:

- Bank guarantees given by /on behalf of the Authority – Rs. NIL (Previous year Rs. NIL)
- Bills discounted with banks– Rs. NIL (Previous year Rs. NIL)

1.3 Disputed demands in respect of:

- Income-tax – Rs. 9.66 Crore (Previous year Rs. NIL)
- Sales-Tax – Rs. NIL (Previous year Rs. NIL)
- Municipal Tax – Rs. NIL (Previous year Rs. NIL)

1.4 In respect of claims from parties for non-execution of orders, but contested by the Entry Rs. NIL (Previous year Rs. NIL)

2. CAPITAL COMMITMENTS

Estimated value of contracts remaining to be executed on capital account and not provided for (net of advances) Rs. NIL (Previous year Rs. NIL)

B. NOTES TO ACCOUNTS

Food Safety and Standards Authority of India is a Statutory Authority established under Food Safety & Standards Act, 2006 under the Administrative control of the Ministry of Health & Family Welfare and is fully financed by Govt. of India, therefore, its accounting policies are mostly based on GFR's & R&P Rules. The accounting principles and policies of the authority in brief are as under:

1. CURRENT ASSETS, LOANS AND ADVANCES

In the opinion of the management, the current assets, loans and advances have a value on realization in the ordinary course of business, equal at least to the aggregate amount shown in the Balance Sheet. Increase in advances during the year is mainly on account of advances given to employees/ outside parties.

TAXATION

In the F.Y 2014-15 the Authority has obtained the PAN number i.e **AAAGF0023K.**

2. FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS

2.1 Value of imports calculated on C.I.F. Basis:

Purchase of finished goods	NIL
Raw Materials & Components (Including in transit)	NIL
Capital Goods	NIL
Stores, Spares and Consumables	NIL

2.2 Expenditure in foreign Currency:

a) Travel	48,63,720/-
b) Remittances and Interest payment to Financial Institutions/ Bank in Foreign Currency	NIL
c) Other expenditure:	
Commission on sales	NIL
Legal and Professional Expenses	NIL
Miscellaneous Expenses	NIL

2.3 Earnings:

Value of exports on FOB basis	NIL
Value of Services	NIL

3. The presentation of the financial statements is based upon the prescribed format given by CAG applicable to the Authority.

4. SOURCE OF FUNDS

The receipts of funds in the budget of the authority are classified as under:-

i) Net grant from Ministry of Health & Family Welfare, Govt. of India

ii) Misc. Receipts like Licence Fee, Sample Testing Fee, Interest on saving bank accounts, Interest on Fixed Deposits and other miscellaneous receipts, etc.

5. FIXED ASSET FUND & BUILDING FUND

The capital assets acquired out of grant-in-aid has been capitalized under fixed assets by capitalizing grant under Corpus Fund by simultaneously reducing the grant in aid received for the year and accordingly, the depreciation charged on the fixed assets has been charged to the corresponding fund in accordance with fund based accounting and matching concept.

6. Figures are rounded off to the nearest rupees.

7. Figures of the previous year have been regrouped/ rearranged and recasted wherever considered necessary in lines with format prescribed and suggested by AGCR adopted by the Authority.

8. Schedule 1 to 27 are annexed to and form an integral part of the Balance Sheet as at 31-03-2019 and the Income and Expenditure account for the year ended on that date.

Annexure I

ADVANCES GIVEN TO PARTIES FOR THE YEAR 2018-2019

SNO.	NAME OF PARTIES	(AMOUNT IN RS.)
1	ITPO	4,14,180
2	SHUTTER STOCK	1,66,793
3	NUMBERGMESSE INDIA PVT LTD	3,61,080
4	INDIRA GANDHI NATIONAL CENTRE	6,36,256
5	TRADE PROMOTION COUNCIL	7,36,320
6	NATIONAL FILM DEVELOPMENT CORPORATION	77,88,000
7	ADVANCE TO STAFF	23,59,171
8	MANU PATRA	48,300
9	CENTRE FOR DEVELOPMENT OF ADVANCED COMPUTING	53,900
10	DATA CENTRE NDC	38,59,818
11	HOTEL ASHOKA	1,81,333
12	COMMISSIONER OF FOOD SAFETY ASSAM	1,00,000
13	AFST	5,00,000
14	BSES	43,595
15	DDO	11,800
16	BALMER & LAWRIE	79,00,000
17	KAMINI CONTRUCTIONS	1,36,11,347
18	MANMOHAN SINGH	1,56,12,890
19	NBCC LTD	1,50,00,000
20	CONTROLLER OF PUBLICATION	6,41,400
21	NDMC	3,22,468
22	MERAKI SPORTS & ENTERTAINMENT PVT. LTD	30,00,000
23	INSTITUTE OF CHEMICAL TECHNOLOGY	1,92,500
24	DIRECTOR INDIAN INSTITUTE OF TOXICOLOGY	5,97,900
25	NATIONAL RESEARCH CENTRE FOR GRAPS	99,987
26	INDIAN INSTITUTE OF FOOD PROCESSING	2,93,805
27	CSIR - INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY	5,47,000
28	ENVIROCARE LABS	2,03,000
29	IUFOST 2018	17,70,000
30	INDIAN INSTITUTE OF TOXIXILOGY RESEARCH	2,00,000
31	FOOD & DRUG CONTROL ADMINISTRATION (WHO FUND)	2,25,000
32	CENTRE FOR ANALYSIS AND LIVE STOCK	50,000
33	CFTRI MYSORE	2,00,000
34	INSTITUTE OF CENTRAL TECHNOLOGY	1,60,000
35	NIFTEM KUNDLI HARYANA	1,70,000
36	INDIAN INSTITUTE OF HORTICULTURE	3,18,500
37	QUALITY EVALUATION LAB	1,86,098
38	OIL LABORATORY DEPTT, KOLKATTA	2,14,113
39	BIS NITS	36,108
40	ICAR UNIT CIFT COCHIN	3,00,000
41	INDIAN INSTITUTE OF HYDERABAD	1,25,143
	TOTAL	**7,92,37,805**

ADVANCES GIVEN TO PARTIES FOR THE YEAR 2017-2018		
SNO.	**NAME OF PARTIES**	**(AMOUNT IN RS.)**
1	ADVANCE TO STAFF	5,67,513
2	ALPCORD NETWORK	27,882
3	APEDA	1,57,500
4	BIS NITS	1,16,323
5	CENTRAL INSTITUTE OF FISHERIES TECHNOLOGY	2,47,500
6	DEPUTY GENERAL INDIAN COUNCIL	10,982
7	DIRECTORATE OF ADVERTISING AND VISUAL PUBLICITY	45,50,467
8	EXPORT INSPECTION AGENCY, MUMBAI	1,17,500
9	INDIA TRADE PROMOTION ORGANIZATION	19,70,552
10	INSTITUTE OF CHEMICAL TECHNOLGY	1,50,000
11	INSTITUTE OF ECONOMIC GROWTH	2,35,000
12	MANMOHAN SINGH CONTRACTOR	50,01,454
13	MOHFW	7,650
14	NABL NEW DELHI	94,400
15	NATIONAL INSTITUTE OF FOOD TECH	1,60,000
16	NATIONAL PRODUCTIVITY COUNCIL	7,080
17	NATIONAL RESEARCH CENTRE FOR GRAPS	4,14,000
18	NNS EVENTS & EXHIBITION	7,25,417
19	PCIM&H	2,000
20	SKOTCH CONSULTANCY	1,53,400
21	SPORTS AUTHORITY OF INDIA	19,99,939
22	TRADE PROMOTION COUNCIL OF INDIA	7,96,500
23	TRADE PROMOTION ORGANISATION, MUMBAI	2,89,840
	TOTAL	**1,78,02,899**

ADVANCES GIVEN TO PARTIES FOR THE YEAR 2016-2017		
SNO.	**NAME OF PARTIES**	**(AMOUNT IN RS.)**
1	NICSI	14,79,820
2	NICSI	13,479
3	ADVANCE TO STAFF	4,65,636
4	ASSISTANT DIRECTOR ESTATES (CASH)	1,35,000
5	ASSISTANT DIRECTOR ESTATES (CASH)	15,000
6	BALMER & LAWRIE	1,29,906
7	CENTRAL GOVT EMPLOEE WELFARE ASSOCIATION	62,000
8	CENTRE FOR SCIENCE AND ENVIRONMENT	550
9	CHILDREN BOOKS TRUST	2,292
10	CONFEDERATION OF INDIAN INDUSTRY	8,000
11	CONTROLLER FOOD AND DRUGS ADMINSITRATION	1,12,000
12	CPWD	1,62,104
13	D O MUMBAI FOR NABL	65,510
14	DEEN DAYAL UPADHYA	10,20,983

ADVANCES GIVEN TO PARTIES FOR THE YEAR 2016-2017		
SNO.	**NAME OF PARTIES**	**(AMOUNT IN RS.)**
15	DIRECTORATE OF ADVERTISING AND VISUAL PUBLICITY	11,28,521
16	DIRECTORATE OF GENERAL INDIA COUNCIL OF MEDICAL	638
17	IICA	25,000
18	INDIA TRADE PROMOTION ORGANISATION	2,67,168
19	INDIAN FOOD PACKER	5,000
20	INSTITUTE OF ECONOMICS GROWTH	2,35,000
21	MANUPATRA INFORMATION SOLUTION PVT. LTD	47,081
22	N CODE SOLUTION	13,800
23	NATIONAL BOOKS TRUST	2,156
24	NIPHM	1,99,308
25	PRAGATI INDIAN OIL	22,576
26	PRESIDENT NARAKASH DELHI	1,000
27	RAJASTHAN ELECTRONICS	49,328
28	SANCHALAK RCVP NORONHA PRASHASAN ACADEMY, BHAOPAL	68,950
29	SHSB NRHM -B	64,400
30	SKOTCH CONSULTANCY SERVICES PVT. LTD	1,38,000
31	SPORTS AUTHORITY OF INDIA	12,65,000
	TOTAL	**72,05,206**

ADVANCES GIVEN TO PARTIES FOR THE YEAR 2015-2016		
SNO.	**NAME OF PARTIES**	**(AMOUNT IN RS.)**
1	DIRECTORATE OF ADVERTISEMENT AND VISUAL PUBLICITY	54,72,119
2	DEEN DAYAL UPADHYAYA INST.	57,000
3	ADVANCE TO STAFF	3,58,170
4	TATA SKY	11,770
5	FCI, MUMBAI	2,00,000
6	CENTRAL GOVT. EMPLOYEES WELFARE ASSOCIATION	35,000
7	NATIONAL INFORMATICS CENTRE SERVICES	1,63,369
	TOTAL	**62,97,428**

ADVANCES GIVEN TO PARTIES FOR THE YEAR 2014-2015		
SNO.	**NAME OF PARTIES**	**(AMOUNT IN RS.)**
1	DIRECTORATE OF ADVERTISING AND VISUAL PUBLICITY	4,647
2	ADVANCE TO STAFF	1,03,489
3	TATA SKY	22,190
4	PRAGATI INDIAN OIL	21,840
5	CENTRAL INSTITUTE OF FISHERIES TECH	1,50,000
6	DIRECTOR OF HEALTH SERVICES (LAKSHYADEEP)	62,750
7	INSTITUTE OF RURAL MANAGEMENT ANNAD	35,955
8	FDA CHATTISGARH	67,250
	TOTAL	**4,68,121**

ADVANCES GIVEN TO PARTIES FOR THE YEAR 2013-2014		
INVOICE NO.	**NAME OF PARTIES**	**(AMOUNT IN RS.)**
1	DIRECTORATE OF ADVERTISING AND VISUAL PUBLICITY	47,575
2	MANUPATRA	46,000
3	TATA SKY	9,900
4	NATIONAL PRODUCTIVITY COUNCIL	1,000
5	INSTITUTE OF SECRETARIAT TRAINING AND MANAGEMENT	2,000
	TOTAL	**1,06,475**

ADVANCES GIVEN TO PARTIES FROM F.Y 2008-2009 TO 2012-2013		
SNO.	**NAME OF PARTIES**	**(AMOUNT IN RS.)**
1	ABP PVT LTD.	14,134
2	ALL INDIA FOOD PROCESSING ASSOCIATION	2,167
3	AUTHORISED OFFICER CHENNAI	10,000
4	AUTHORISED OFFICER JNPT NHAVA SHEVA.	10,000
5	AUTHORISED OFFICER SEA PORT CHENNAI.	10,000
6	BAG FULL	1,200
7	COMMISSIONER OF FOOD SAFETY, J&K	2,45,073
8	CONFEDERATION OF INDIAN INSTT	18,50,000
9	CONSUMER ASSOCIATION OF INDIA CHENNAI	58,148
10	D.G.ACADEMY OF ADMINISTRATION BHOPAL	90,000
11	DAKSH EDUCATION & WELFARE SOCIETY	2,64,900
12	DEEN DYAL UPADHYAY	2,34,008
13	DIRECTORATE OF ADVERTISING AND VISUAL PUBLICITY (DAVP)	44,56,977
14	DY DIRECTOR SPIPA, AHEMDABAD	1,002
15	FICCI	79,750
16	GENERAL SECRETARY DELHI TELEGRAPH ACADEMY	50,000
17	H.S.C.C. INDIA LTD	16,414
18	INDIA TRADE PROMOTION ORGANISATION	2,00,000
19	INDIAN INSTITUTE OF MANAGEMENT BANGALORE.	4,37,698
20	NATIONAL INSTITUTE NUTRITION	47,43,444
21	S.S. BUILDCON PVT LTD GHAZIABAD	2,00,000
22	STATE HEALTH SOCIETY (IDSL) JAIPUR	4,56,400
23	UAHFWS FOOD SAFETY& STANDARDS DEHRADUN	1,61,600
24	DEPUTY DIRECTOR CHENNAI	1,10,000
25	DEPUTY DIRECTOR (F&VP) NBCC	44,394
26	DEPUTY DIRECTOR GUWAHATI	10,000
27	DEPUTY DIRECTOR - KOLKATA	62,336
28	DEPUTY DIRECTOR MUMBAI	90,000
29	ADVANCE TO STAFF	1,48,271
	TOTAL	**1,40,57,916**

कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय व्यय)
Office of the Director General of Audit, (Central Expenditure)
इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली–110 002
Indraprastha Estate, New Delhi-110002

सत्यमेव जयते

पत्र संख्याः ए.एम.जी. II/एस.ए.आर./एफ.एस.एस.ए.आई./7-17/2019-20/.. दिनांकः 10.01.2020

सेवा में,
सचिव, भारत सरकार,
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय,
निर्माण भवन,
नई दिल्ली-110011.

विषय : वर्ष 2018-19 के लिए भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली के लेखाओं पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

मैं, **भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली** के वर्ष 2018-19 के प्रमाणित वार्षिक लेखे की प्रति, उसके पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र की प्रति संसद के पटल पर रखने के लिए संलग्न करता हूँ।

संसद को प्रस्तुत कर दस्तावेज की दो प्रतियाँ उस तिथि को दर्शाते हुए, जब वे संसद को प्रस्तुत किए गए थे, इस कार्यालय को तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, 9 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110124. को भेजी जाएं।

कृपया यह सुनिश्चित किया जाए कि पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को संसद के दोनो सदनों के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले वार्षिक लेखाओं को शासी निकाय (Governing body) द्वारा अनुमोदित करा लिया गया है तथा यह भी सुनिश्चित करें कि वर्ष 2018-19 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षा प्रमाण पत्र को संसद के पटल पर रखने से पहले सभी पूर्व वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र संसद के पटल पर प्रस्तुत किये जा चुके है।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद एवं इससे जारी करने से सम्बन्धित सभी कार्यों को आपके निकाय द्वारा किया जाना ही अपेक्षित है। पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद जारी करते समय निम्नलिखित अस्वीकरण **(disclaimer)** अंकित करें।

"प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप से अंग्रेजी में लिखित पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा।"

अनुलग्नकः यथोपरि

भवदीय,

– ह०/-
(प्रवीण कुमार सक्सेना)
उप-निदेशक (ए.एम.जी.-II)

Ph. : +91-11-23454100
Fax : +91-11-23702271
DGACR Building, I.P. Estate, New Delhi - 110002
E-mail : dgace@cag.gov.in

पत्र संख्याः ए.एम.जी. II/एस.ए.आर./एफ.एस.एस.ए.आई./7-17/2019-20/902 दिनांकः 10.01.2020

पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र की प्रति **श्री रीता तेयोटिया, अध्यक्ष, भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, एफडीए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली- 110002.** को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित की जाती है।

संसद को प्रस्तुत दस्तावेंजो की दो प्रतियाँ उस तिथि को दर्शाते हुए जब वे संसद को प्रस्तुत किए गए थे, इस कार्यालय को तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, नई दिल्ली-110124 को भेजी जाएं।

अनुलग्नकः **यथोपरि**

प्रवीण सक्सेना 10/1/2020

(प्रवीण कुमार सक्सेना)
उप-निदेशक (ए.एम.जी.-II)

पत्र संख्याः ए.एम.जी. II/एस.ए.आर./एफ.एस.एस.ए.आई./7-17/2019-20/ दिनांकः

भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली की पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र सहित **महानिदेशक (रिपोर्ट स्वायत्त निकाय), भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, 9 दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110124.** को अग्रेषित की जाती है।

यह महानिदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय व्यय) के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

अनुलग्नकः **यथोपरि**

-हस्ता-

(प्रवीण कुमार सक्सेना)
उप-निदेशक (ए.एम.जी.-II)

Separate Audit Report of the Comptroller & Auditor General of India on the accounts of Food Safety & Standards Authority of India for the year ended 31 March 2019.

We have audited the attached Balance Sheet of Food Safety & Standards Authority of India (Authority) as at 31st March 2019, Income & Expenditure Account and Receipts & Payment Account for the year ended on that date under Section 19(2) of the Comptroller & Auditor General's (Duties, Powers & Conditions of Service) Act, 1971. These financial statements are the responsibility of the management of Food Safety & Standards Authority of India. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

2. This Separate Audit Report contains the comments of the Comptroller & Auditor General of India (CAG) on the accounting treatment only with regard to classification, conformity with the best accounting practices, accounting standards and disclosure norms etc. Audit observations on financial transactions with regard to compliance with the Law, Rules & Regulations (Propriety and Regularity) and efficiency-cum- performance aspects, etc., if any, are reported through Inspection Reports/CAG's Audit Report separately.

3. We have conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit includes examining on a test basis, evidences supporting the amount and disclosure in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of financial statements. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

4. Based on our audit, we report that:-

i. We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.

ii. The Balance Sheet, Income & Expenditure Account and Receipts & Payment Account dealt with by this report have been drawn up in the uniform format of accounts approved by the Ministry of Finance, Government of India.

iii. In our opinion, proper books of accounts and other relevant records have been maintained by the Authority, in so far as it appears from our examination of such books.

iv. We further report that:

A. **Balance Sheet**

A.1. **Liabilities**

A.1.1 Current Liabilities & Provisions (Schedule - 7) - ₹16.49 crore

A.1.1.1 An amount of ₹18.19 crore was collected as fees under the Product Approval Scheme during the period 2012-13 to 2015-16 which was stated to be non-refundable. However, the Product Approval Scheme was quashed by Supreme Court on 19 August 2015. At that time 1876 applications were pending with the Authority. The fee of the same was not refunded to the applicants and the same was taken as receipt of the Authority in previous year accounts. As these applications were pending decision of either rejection or approval of the application, the fees received on these applications should have been shown as liability in the accounts. Hence, the liabilities of the Authority were understated by ₹4.50 crore (1800 X ₹ 25000) and Corpus/Capital Fund is overstated by the same amount.

A.1.1.2 As per Schedule 17 (Interest Earned) of annual accounts, during the year 2018-19, Authority had earned interest of ₹19.39 crore. This includes ₹2.30 crore as interest earned on Grant-in-Aid (GIA) received from Ministry of Health & Family Welfare (Ministry). Further, as per Utilisation Certificate for the year 2018-19, the Authority had earned ₹3.02 crore as interest on unspent balance of GIA of previous year.
The interest earned on GIA is required to be refunded to the Ministry and treated as liability but the same has been treated as income of the Authority. This has resulted in understatement of Current Liabilities and overstatement of Income by ₹5.32 crore.

A.1.1.3 An amount of ₹3.56 lakh was shown as CPF Receipts in Other Income - Schedule 18 instead of Liability. This has resulted in overstatement of Income and understatement of Liabilities by ₹3.56 lakh.

A.2 Assets

A.2.1 Fixed Assets (Schedule-8) - ₹11.37 crore

A.2.1.1 Under the Schedule - 11 (Current Assets), the Authority has shown work in progress in Northern Region, Central Health Education Bureau (CHEB), of ₹0.46 crore. This is related to the ongoing civil work in the Region. As per the Uniform Format of Accounts, this should be shown as capital work-in-progress under the Fixed Assets instead of Current Assets. This has resulted in understatement of Capital Work in Progress under Fixed Assets and overstatement of Current assets, Loans and Advances by ₹0.46 crore each.

A.2.2 Current Assets, Loans, Advances, etc. (Schedule - 11) - ₹308.25 crore

A.2.2.1 Audit noted that Authority has not disclosed/included bank balances of three bank accounts which were operated by Authority for functioning of various activities. The activity wise balances are as under:

(Amount in ₹)

S. No.	Bank Account No./Bank	Activity of bank account	Balance as on 31.03.2019
1	038601002307/ ICICI Bank	For receiving funds from Tata Trusts to establish and run the Food Fortification Resource Centre (FFRC). The primary goal of FFRC is to address the deficiency of vitamins and minerals	12,28,141
2	038601002456/ ICICI Bank	For receiving accumulated amount at Common Service Centre which are designated for registration of small food handlers.	2,33,66,707
3	038601002194/ ICICI Bank	For organising Swasth Bharat Yatra which was launched by the Authority to build awareness around food safety, combating food adulteration, and health diets.	98,443
		Total	**2,46,93,291**

The non-inclusion of bank accounts balances resulted in understatement of Current Assets (Bank Balances) and Current Liabilities/Earmarked Fund by ₹2.47 crore.

B. Income & Expenditure Account

B.1 Administrative Expenses- ₹225.60 crore

FSSAI is implementing a Central Sector Scheme for "Strengthening of Food Testing System in the Country including Provision of Mobile Food Testing Labs" (SoFTEL) pertaining to the different components and own laboratories *i.e.* Strengthening of State Food Laboratories, Strengthening of Referral Laboratories, Food Safety on wheels, National Food Laboratory, Ghaziabad and National Food Laboratory, Kolkata. During the year 2018-19, Authority has received GIA (Creation of Capital Assets) of ₹185.60 crore from Ministry. Out of this, ₹177.27 crore was booked as administrative expenditure for SoFTEL instead of Grants given to Institutions/ Organisations thereby resulting in overstatement of Administrative Expenditure and understatement of Expenditure on Grants by the like amount.

C. General

C.1 Authority had neither made any provision for retirement benefits nor disclosed the accounting policy for retirement benefits in its accounts in contravention of Accounting Standard 15 issued by ICAI.

C.2 As per Accounting Standard - 5, the nature and amount of prior period items should be separately disclosed in the statement of profit & loss in a manner that their impact on the current profit & loss can be perceived.

In Schedule – 21 (Administrative Expenses) ₹45,67,225/- has been booked as 'Subscription Expenses (Contribution to Codex Trust Fund)'. This amount includes the expenditure incurred during the period from 2016-17 to 2018-19. Thus, the expenditure of the previous year must have been shown as prior period expenditure.

C.3 In Schedule 11 (Current Assets, Loans, Advances etc.), an amount of ₹ 6.12 crore has been shown under the head 'Bank Balances – With Scheduled Banks – On Regional Offices Saving Accounts' which includes balances of the regional offices of the Authority. Scrutiny of records revealed that the balances of National Food Laboratory, Ghaziabad was ₹ 49.05 lakh whereas ledger shown ₹53.23 lakh. This difference needs to be reconciled.

C.4 As per Utilisation Certificate for the year 2018-19, the Authority has earned ₹2.21 crore as interest on Grants-in-Aid (GIA). However, statement of bank accounts maintained by Authority revealed that interest earned on GIA was ₹2.30 crore. This needs to be reconciled.

D Grants-in-aid:

During the year 2018-19, the Authority received Grants-in-Aid (GIA) of ₹257.05 crore from the Ministry. It had unspent balance of ₹7.47 crore (GIA - ₹4.45 crore and Interest - ₹3.02 crore) at the beginning of the year. The Authority also earned interest of ₹2.30 crore. The Authority utilized ₹258.05 crore and leaving unspent balance of ₹8.77 crore (GIA - ₹3.45 crore and Interest - ₹5.32 crore) as on 31 March 2019.

E. Management Letter:

Deficiencies which have not been included in the audit report have been brought to the notice of the management of the Authority through a management letter issued separately for remedial/corrective action.

v. Subject to our observations in the preceding paragraphs, we report that the Balance Sheet, Income and Expenditure Account and Receipts and Payments Account dealt with by this report are in agreement with the books of accounts.

vi. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said financial statements read together with the Accounting Policies and Notes on Accounts, and subject to the significant matters stated above and other matters mentioned in annexure to this Audit Report give a true and fair view in conformity with accounting principles generally accepted in India;

a. In so far as it relates to the Balance Sheet, of the state of affairs of the Authority as at 31 March 2019 and

b. In so far as it relates to Income & Expenditure Account of the surplus for the year ended on that date.

For and on behalf of C&AG of India

Director General of Audit
(Central Expenditure)

Place: New Delhi
Date: 09.01.2020

Annexure

1. Adequacy to Internal Audit System

1.1 Internal audit for the year 2018-19 was not conducted by Ministry of Health and Family Welfare.

1.2 Consistent prior period adjustments of Income & Expenditure were observed in the accounts of the Authority since 2009-10.

2. Adequacy to Internal Control System

Internal control system was week in the following areas seen in audit:

(a) Non conducting of internal audit during the year.

(b) Keeping three bank accounts outside the annual accounts.

(c) Differences noticed in bank balance as per accounts and as per bank statement.

(d) Non conducting of physical verification of fixed assets and inventory in respect of branch offices.

(e) The assets register did not show the progressive total of the various Assets and not maintained in the prescribed formats shown under Schedule 8 – Fixed Assets.

3. System of Physical verification of fixed assets

Physical verification of fixed assets of the Authority's headquarter was conducted for the year 2018-19. Physical verification of fixed assets in respect of branch offices was not conducted.

4. System of physical verification of inventory

Physical verification of inventory like books, stationery and other consumables was conducted for the year 2018-19. Physical verification of inventory in respect of branch offices was not conducted.

5. Regularity in payment of statutory dues

Statutory liability of overdue & Other (Duties & Taxes for the Month payable in next Financial Year.) of ₹18.90 lakh was outstanding as on 31.03.19.

RESPONSE OF FSSAI ON SEPARATE AUDIT REPORT

The Audit observations in the Separate Audit Report have been noted for suitable action.

FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA

Inspiring Trust, Assuring Safe & Nutritious Food

Ministry of Health and Family Welfare, Government of India

एफडीए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली

FDA Bhawan, Kotla Road, New Delhi

www.fssai.gov.in @FoodsafetyinIndia @fssaiindia FSSAI

Jaina Offset Printers: 9873149889, 9811269844